HO/MBD/2019 05.06.2019

Scrip Code: ORIENTBANK	**Scrip Code: 500315**
The Executive Director, **National Stock Exchange of India Ltd.,** Exchange Plaza, 5th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),Mumbai-400051	General Manager, Dept. of Corporate Services, **Bombay Stock Exchange Limited,** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Mumbai-400001

Dear Sir /Madam,

Subject: Annual Report 2018-19 of the Bank

Pursuant to Regulation 34 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of Annual Report of the Bank for FY 2018-19.

You are requested to take the above on record.

Yours faithfully,

Company Secretary
(as enclosed)

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT 2018-19

77
FOUNDATION DAY

Another Inning of Championship Performance

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
Oriental Bank of Commerce

विषय सूची / Contents

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश Managing Director & CEO Speech	1-4
निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन वर्ग Board of Directors and Top Management Team	5-6
सूचना Notice	7-20
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	21-25
अनुसचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट Secretarial Audit Report	26-29
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण Management Discussion and Analysis	30-50
बासेल III के अंतर्गत पिलर III का प्रकटन – मार्च, 2019 Pillar III Disclosures under Basel III - March, 2019	51-94
कम्पनी अभिशासन Corporate Governance	95-135
कारोबार दायित्वता रिपोर्ट Business Responsibility Report	136-151
तुलन–पत्र और लाभ–हानि लेखा Balance Sheet and Profit & Loss Account	152-153
लेखा टिप्पणियां 1–18 Schedules 1-18	154-206
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	207-213
नकदी प्रवाह विवरणी Cash Flow Statement	214-215
फॉर्म Forms	

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश
MANAGING DIRECTOR & CEO SPEECH

प्रिय शेयरधारकों,

आपके बैंक की 25वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं ।

इससे पूर्व कि मैं बैंक के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत करूं, मैं आपके समक्ष उस व्यापक आर्थिक परिवेश की चर्चा करना चाहूंगा जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके बैंक ने कार्य-निष्पादन किया है ।

<u>आर्थिक पृष्ठभूमि</u>

वित्तीय वर्ष 2019 की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर 5.8% थी, जो कि पिछली तिमाही की वृद्धि 6.6% से कम रही । वित्तीय वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही के 6.3% की तुलना में जनवरी - मार्च 2019 अवधि में सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए) में 5.7% की वृद्धि दर्ज की गई। जबकि सेवा क्षेत्र में वृद्धि ठीक रही जबकि कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में काफी गिरावट दर्ज की गई।

छिटपुट वर्षा के मौसम एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण कृषि वृद्धि में पूरे वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान सतत् गिरावट दर्ज की गई, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 5.1% की वृद्धि दर में वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में 0.1% का संकुचन दर्ज किया गया। अतः, कृषि क्षेत्र में वृद्धि वित्तीय वर्ष 2018 के 5.0% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में 2.9% दर्ज की गई। इसके साथ ही, इस मौसम में मानसून स्थितियों पर निर्भरता एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नई पहलों के कारण, आगामी वित्तीय वर्ष में वृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रहने की आशा है।

उद्योग क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही के 6.0% की तुलना में विनिर्माण एवं बिजली क्षेत्रों में गिरावट के कारण वित्तीय वर्ष 2019 की चौथी तिमाही में 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई।

मुख्यतः वित्तीय एवं रियल एस्टेट क्षेत्र (तीसरी तिमाही के 7.2% की तुलना में चौथी तिमाही में 9.5%) के साथ-साथ सरकारी संबंधी सेवाओं (तीसरी तिमाही में 7.5% की तुलना में चौथी तिमाही में 10.7%) के कारण, सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2018 में 7.8% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में 7.7% के साथ समग्र रूप से सेवा क्षेत्र में वृद्धि स्थिर रही।

मार्च, 2019 के लिए 2.86% की तुलना में अप्रैल 2019 के लिए भारत में ग्राहक मूल्य-आधारित कीमत-स्फीति 2.92% रही। कोर सीपीआई मार्च 2019 के 4.99% से मंदी के साथ अप्रैल 2019 में 4.54% रही। प्राथमिक वस्तुओं के मूल्य में अनुकूल आधार के कारण वृद्धि के रुझान के बावजूद थोक मूल्य स्फीति (डब्ल्यूपीआई) मार्च,2019 के 3.18% की तुलना में अप्रैल 2019 में 3.07% रही।

Dear Shareholders,

I have great pleasure in welcoming you all to the 25th Annual General Meeting of your Bank and present the Annual Report for the year ended 31st March 2019.

Before I present the performance highlights of the Bank, I would like to place before you the general macroeconomic environment within which your Bank has performed in FY18-19.

<u>ECONOMY AT A GLANCE</u>

India's GDP growth stood at 5.8% for Q4 FY19, lower than the 6.6% growth witnessed in the previous quarter. Gross Value Addition (GVA) has shown a growth of 5.7% in the Jan-Mar 2019 period compared to 6.3% in Q3 FY19. While growth in the services sector remained comfortable, agriculture and industry witnessed a significant slowdown.

Scattered rainfall conditions and slowdown in the rural economy led farm growth to witness a steady decline over the course of FY19, falling from a growth of 5.1% in Q1 FY19 to a contraction of 0.1% in Q4 FY19. As such, agriculture sector growth stood at 2.9% in FY19 as compared to 5.0% in FY18. Going forward, dependent upon monsoon conditions this season and initiatives to revive the rural economy, agriculture sector is expected to be a crucial growth driver in the incoming fiscal.

Growth in Industry stood at 3.4% in Q4 FY19 compared to 6.0% in Q3 FY19 led by a slowdown in manufacturing and electricity sectors.

In the Services sector, growth was led by Financial and Real-estate sector (9.5% in Q4 vis-à-vis 7.2% in Q3) as well as government related services (10.7% in Q4 vis-à-vis 7.5% in Q3). Overall, service sector growth remained steady at 7.7% in FY19 compared to 7.8% in FY18.

India's Consumer Price-based inflation for April 2019 stood at 2.92% compared to 2.86% for March 2019. Core CPI decelerated to 4.54% in April 2019 from 4.99% in March 2019. Wholesale Price inflation (WPI) stood at 3.07% for Apr-19 compared to 3.18% in Mar-19 despite significant upside momentum in the prices of primary articles due to a favourable base.

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (जीएनपीए) का अनुपात जो मार्च 2018 में 11.5% था, सितम्बर, 2018 में कम होकर 10.8% हो जाने के कारण, आस्ति गुणवत्ता ने सुधार दर्शाया। इस अवधि में इनकी निवल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में भी कमी दर्ज की गई।

अब मैं, आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु बैंक के कारोबार की विशेषताएं प्रस्तुत करना चाहूंगा:-

कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं

- कारोबार मिश्र मार्च 2018 के रु.3.55 लाख करोड़ की तुलना में मार्च 2019 में रु.4.04 लाख करोड़ रहा । कुल जमाराशियां तथा अग्रिम क्रमशः रु.2.32 लाख करोड़ एवं रु. 1.71 लाख करोड़ रहे । कासा जमाराशियां मार्च 2018 के रु.65,697 करोड़ से बढ़कर मार्च 2019 में रु.68,387 करोड़ हो गईं।
- बैंक ने सितम्बर, 2018 में वापसी करते हुए तिमाही लाभ दर्शाया और तब से लगातार तीन तिमाहियों में निवल लाभ दर्शाया है। बैंक ने दो वर्ष तक लगातार हानि प्रदर्शित करने के बाद पुनः वापसी करते हुए वार्षिक लाभ अर्जित किया है।
- वित्तीय वर्ष 2019 के लिए परिचालन लाभ रु.3754 करोड़ तथा निवल लाभ रु.55 करोड़ रहा। प्रति कर्मचारी कारोबार रु.18.6 करोड़ रहा, प्रति शाखा कारोबार रु.169.12 करोड़ रहा और मार्च, 2019 को बैंक का प्रति शेयर बही मूल्य रु.100.99 रहा।
- बैंक अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष 15.75% की वृद्धि दर्ज की गई जबकि पूंजी की अधिकतम वृद्धि के कारण ऋण जोखिम भारित आस्तियों में 0.96% की वृद्धि हुई। सकल ऋणों की तुलना में ऋण जोखिम भारित आस्तियां, मार्च 2018 के 63% की अपेक्षा मार्च 2019 में गिरावट के साथ 57.59% रहीं, जो बैंक के जोखिम को कम करने की दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना दर्शाता है।
- वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान, बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो में 41.62% एवं एमएसएमई अग्रिमों में 12.63% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई जबकि 31 मार्च 2019 को आरएएम (रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई) बैंक के कुल अग्रिम का 54.94% (आईबीपीसी को छोड़कर) दर्ज किए गए।
- डिजीटल बैंकिंग लेनदेन वित्तीय वर्ष 2018 के 63% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019 में 73% हो गए।
- कॉरपोरेट कार्यालय में एक पृथक दबावग्रस्त आस्तियां प्रबंधन वर्टिकल बनाया गया है तथा वसूली पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के आदेश के साथ फील्ड में छः महाप्रबंधक तैनात किए गए हैं।
- वसूली पर लगातार दिए जा रहे ध्यान तथा इस दिशा में किए गए विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018 में रु.3161 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में रु.6597 करोड़ की नकद वसूली तथा अपग्रेडेशन किया, जबकि तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए/ रिकार्डिड ब्याज खातों में वसूली वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु.363 करोड़ की तुलना में रु.1572 करोड़ रही ।
- नई स्लीपेज, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान रु.12429 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रु.7066 करोड़ के साथ 43% कम हुए।
- बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात, 31 मार्च, 2018 के 64.07% से बढ़कर 31 मार्च, 2019 को 75.84% हो गया । बैंक का सकल एनपीए मार्च 2018 के 17.63% से काफी कम होकर मार्च 2019 को 12.66% हो गया, जबकि निवल एनपीए भी मार्च 2018 के 10.48% से कम होकर मार्च 2019 को 5.93% हो गया ।

Asset quality showed improvement with Scheduled Commercial Banks' gross non-performing assets (GNPA) ratio declining from 11.5% in March 2018 to 10.8% in September 2018. Their net non-performing assets (NNPA) ratio also registered a decline during the period.

Now, I would like to present before you the business highlights of the Bank for the FY18-19:-

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- Business Mix as on March-19 stood at Rs. 4.04 lac crore as against Rs. 3.55 lac crore as on March-18. Total Deposits and Advances stood at Rs. 2.32 lac crore and Rs.1.71 lac crore respectively. CASA deposits have increased from Rs 65,697 crore in March-18 to Rs 68,387 crore in March-19.
- Bank bounced back to quarterly profits in September 2018 and has since shown net profits for three consecutive quarters. The Bank has also bounced back to annual profits after 2 years of consecutive annual losses.
- The Operating Profits stood at Rs. 3754 crore and Net Profit stood at Rs. 55 crore for FY 19. Business per Employee was Rs.18.6 crore, Business per Branch was 169.12 crore and Book value per share of the bank was Rs.100.99 as of March 2019.
- Bank advance has increased by 15.75% on y-o-y basis while the Credit Risk Weighted Assets have increased by 0.96% only due to capital optimized growth. The Credit risk weighted assets to gross advance declined to 57.59% in March 2019 compared to 63% in March 2018 reflecting bank's focus on optimizing risk efficiency.
- During FY19, Bank's retail portfolio grew by 41.62% and MSME Advances by 12.63% Y-o-Y while RAM (Retail, Agriculture and MSME) accounted for 54.94% of Bank's total advances as on 31st March 2019 (excluding IBPC).
- Digital Banking Transactions increased from 63% in FY18 to 73% in FY19.
- A separate Stressed Assets Management Vertical has been created at Corporate Office and Six General Managers have been posted in the field with exclusive mandate of focusing on Recovery.
- As a result of the continuous thrust on recovery and various efforts made in the direction, the Bank made cash recovery and upgradation of Rs 6597 crore in FY 19 as against Rs 3161 crore in FY 2018 while recovery in Technically Written Off/Recorded Interest accounts amounted to Rs 1572 crore as against Rs 363 crore in FY 2017-18.
- Flesh Slippages reduced by 43% to Rs 7066 crore during FY 2018-19 as compared to Rs.12429 crore during FY 2017-18.
- Provision Coverage Ratio of the Bank improved to 75.84% as on 31st March 2019 from 64.07% as on 31st March 2018. The Gross NPA of the Bank significantly reduced from 17.63% as on March 2018 to 12.66% as on March 2019 while Net NPA also reduced to 5.93% as at March 2019 from 10.48% as at March 2018.

- बैंक की पूंजी पर्याप्तता, 9.98% टीयर-1 अनुपात के साथ, मार्च 2019 को 12.73% रही।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक को भारत सरकार से दो किश्तों में कुल रु.6686 करोड़ की पूंजी प्राप्त हुई । साथ ही बैंक, ओबीसी-कर्मचारी शेयर क्रय योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को शेयर आंबटित करने के माध्यम से रु.250 करोड़ की पूंजी जुटाने में भी सफल रहा ।
- भारत सरकार की शेयरधारिता 31 मार्च, 2018 के 77.23% से बढ़कर 31 मार्च, 2019 को 87.58% हो गई ।
- वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से क्रय विकल्प का प्रयोग करके कुल रु.500.00 करोड़ के 8.75% अपर टीयर II बॉड्स रिडीम किए ।

<u>वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रमुख विकास</u>

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंध, बैंक के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए और पीसीए फ्रेमवर्क के अनुसार न्यूनतम मानदंड स्तर पूरे करने पर 31 जनवरी, 2019 को हटा दिए गए ।
- पीएसबी 59 के माध्यम से एमएसएमई ऋण उपलब्ध कराने के साथ 'नियम आधारित प्रक्रिया' के अंतर्गत मुद्रा ऋणों को डिजिटल रूप से प्रोसेस करना शुरु किया गया ।
- वर्ष के दौरान, बैंक को ब्रांड फाइनेंस द्वारा 500 मूल्यवान बैंकिंग ब्रांड्स 2018 में से एक, पीएफआरडीए द्वारा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला बैंक, एनएसडीएल द्वारा पीएसबी श्रेणी में बैंक डीमेट खातों में दूसरा रनरअप तथा आईबीए तकनीकी अवार्ड में दूसरा रनरअप चुना गया ।
- बैंक ने भारत सरकार के पीएसबी सुधार एजेंडा के ईएएसई इंडैक्स के विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत बेहतरीन प्रदर्शन किया ।

  मार्च 2019 के लिए भारत सरकार के पीएसबी सुधार एजेंडा के ईएएसई इंडैक्स के अनुसार, बैंक मध्यम-आकार के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रथम स्थान तथा 19 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में चौथे स्थान पर रहा। साथ ही, बैंक को ईएएसई मापदंडों के अंतर्गत 'जिम्मेदार बैंकिंग एवं एमएसएमई हेतु उद्यमी मित्र' के संबंध में अपने प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया गया ।
- भारत सरकार ने बैंक की वर्टिकल संगठनात्मक संरचना तथा शिकायत निवारण तंत्र की सराहना की और इसे अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक प्रेरणास्त्रोत माना है।

<u>क्षमता निर्माण</u>

प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बैंक के छः मानव संसाधन विकास संस्थानों में अत्याधुनिक अधिसंरचना उपलब्ध है जहां केस स्टडी और प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सीखने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके अलावा, कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु प्रतिष्ठित प्रबंधन संगठनों यथा इंस्टीटयूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (एनआईबीएम), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीज एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट (निब्सकॉम), सदर्न इण्डिया बैंक्स स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, बेंगलुरु (एसआईबीएसटीसी) में भेजा जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक में 79843 प्रशिक्षण दिवस पूर्ण किए गए थे ।

- Capital Adequacy of the Bank stood at 12.73% as at March 2019, with Tier-1 Ratio being 9.98%.
- During FY 2018-19, Bank received capital infusion from the Government of India aggregating to Rs.6686 crore in two tranches. Also, the Bank was able to raise capital of Rs.250 crore by way of allotment of shares to employees under OBC-Employee Share Purchase Scheme.
- The shareholding of Government of India increased from 77.23% as on 31st March 2018 to 87.58% as on 31st March 2019.
- During FY 19, the Bank redeemed 8.75% Upper Tier II Bonds aggregating to ₹500.00 Crore upon exercise of Call Option with the prior approval of RBI.

<u>MAJOR DEVELOPMENTS IN FY 19</u>

- The restrictions imposed on the Bank by RBI under the PCA framework were lifted on 31st January 2019 in view of its improved performance and the Bank meeting the benchmark levels as per the PCA framework.
- Digital Processing of Mudra Loans under 'Rule based Processing' was introduced along with MSME loan delivery through PSB 59
- During the year, the Bank was recognized amongst the 500 valuable Banking Brands 2018 by Brand Finance, Best Performing Bank under Atal Pension Yojana by PFRDA, 2nd runner up Bank Demat A/Cs in PSB category by NSDL and 2nd runner up in IBA Technology Award.
- The Bank performed exceedingly well under various parameters of EASE Index of the PSB Reform Agenda of Govt. of India.

  In terms of the EASE Index Ranking of the PSB Reform Agenda of Govt. of India for March 2019, Bank occupied 1st position amongst mid-sized Public Sector Banks and 4th among 19 PSBs. Besides, the Bank was also awarded for its performance with respect to 'Responsible Banking & 'Udyami Mitra for MSMEs' under the EASE Parameters.
- The Govt. of India appreciated the Bank's Verticalized Organizational Structure and the Grievance Redressal System and recognized the Bank as a resource bank for other Public Sector Banks to follow.

<u>CAPACITY BUILDING</u>

The Bank has state of the art infrastructure for imparting training in its six HRDIs where the focus is on learning through case studies and presentations. Apart from same, the employees are sent for training to reputed management organizations like Institute for Development and Research in Banking Technology, Hyderabad, National Institute of Banking and Finance (NIBM), National Institute of Banking Studies and Corporate Management (NIBSCOM), Southern India Banks' Staff Training College Bangalore (SIBSTC). During FY 2018-19, 79843 Training Man-days were completed in the Bank.

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम

बैंक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को कारोबार अवसर के रूप में देखता है और अपने ग्राहक आधार को विस्तृत एवं व्यापक करने के लिए इसका लाभ उठाता है। अगस्त, 2014 में प्रधान मंत्री जन-धन योजना की शुरुआत से बैंक ने ऐसे 48.83 लाख खाते खोले हैं जिनमें कुल रु. 4012.74 करोड़ की जमाराशियां हैं। बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 121327 खाते स्वीकृत किए हैं और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रु.2990.20 करोड़ की राशि संवितरित की है। बैंक ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 45.52 लाख नामांकन किए हैं।

भावी योजना

चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, मुख्य ध्यान इष्टतम कारोबार मिश्र के माध्यम से अधिकतम लाभ पर होगा तथा कारोबार वृद्धि के लिए संचालकों के रूप में रिटेल/एमएसएमई पोर्टफोलियो पर निरंतर जोर दिया जाएगा। बैंक एनपीए खातों में वसूली की गति को बनाए रखने की दिशा में प्रयास करने के साथ-साथ आस्ति गुणवत्ता की निगरानी भी करेगा ताकि इसमें आगे कोइ स्लीपेज न हो। बैंक को ऐसे खातों में समाधान की आशा है जिनमें गत वित्तीय वर्ष के दौरान एनसीएलटी मामले दायर किए गए थे।

बैंक का रणनीतिक दृष्टिकोण आरएएम और मिड कॉरपोरेट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिटेल और एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय बैंक होना और सार्वजनिक क्षेत्र का मध्यम आकार का एक आदर्श बैंक बनना है।

एक ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना, परिचालन क्षमता में वृद्धि के साथ गुणात्मक विकास प्राप्त करने के लिए मुख्य संचालक होगा। सहस्राब्दी और नए युग के ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और ग्राहकों के समग्र अनुभव को बढ़ाने के लिए बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफार्मों का लाभ उठाता रहेगा।

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की 'निगरानी योग्य कार्ययोजना' के तहत प्रमुख मापदंडों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बेंचमार्क स्तरों से ऊपर बनाए रखने का प्रयास करेगा।

निष्कर्ष टिप्पणी

मैं इस अवसर पर बैंक के निदेशक मण्डल में कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विजय दुबे, श्री बालकृष्ण अल्से एस्. (कार्यकारी निदेशक) और श्री एस. एम. एन. स्वामी (भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक) का स्वागत करता हूं।

मैं, अपना कार्यकाल पूरा करने पर श्री हिमांशु जोशी (कार्यकारी निदेशक), श्रीमती माला श्रीवास्तव (अंशकालिक गैर-कार्यकारी निदेशक) एवं श्री एस. गणेश कुमार (भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक), द्वारा बैंक में दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी सराहना करता हूं।

समस्त निदेशक मण्डल की ओर से और मेरी ओर से प्रबंधन और बैंक में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए मैं बैंक के शेयरधारकों का आभार व्यक्त करता हूं व धन्यवाद देता हूं। मैं बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को उनकी लगन व समर्पण तथा हमारे ग्राहकों को उनकी सतत निष्ठा व संरक्षण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को उनके निरंतर मार्गदर्शन व सहयोग के लिए धन्यवाद और आभार। मैं भविष्य में भी आपके निरंतर सहयोग एवं उत्साहवर्धन की अपेक्षा रखता हूं।

मुकेश कुमार जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

FINANCIAL INCLUSION PROGRAMME

The Bank takes the Financial Inclusion programs as business opportunity and leverages this to increase and diversify its customer base. Since the launch of Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojna in August 2014, the Bank has opened 48.83 lakhs such accounts which have aggregate deposits of Rs 4012.74 crore. Under Pradhan Mantri Mudra Yojna, the Bank has sanctioned 121327 accounts and has disbursed Rs. 2990.20 crore in FY 2018-19. The Bank has done 45.52 lakh enrolments in Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna.

LOOKING FORWARD

During current FY 2019-20, the main focus shall be on Profit maximization through optimized business mix and continued emphasis on Retail / MSME portfolio as drivers for business growth. The Bank shall continue to make efforts towards maintaining the momentum of recovery in NPA accounts while simultaneously monitoring the asset quality to contain further slippages. The Bank is expecting resolutions in the accounts where NCLT cases were filed during last FY.

Bank's strategic vision is to be National Bank for Retail and MSME with focus on RAM & Mid Corporate segment and to become a model mid-sized PSB.

Adopting a customer centric approach would be the core driver for achieving qualitative growth with increased operational efficiency. The Bank shall continue to leverage Digital Banking Platforms to meet the requirements of millennial and new age customers and for enhancing overall customers' experience.

The Bank shall strive to maintain the key parameters above the benchmark levels stipulated by RBI under the 'Monitorable Action Plan' of RBI.

CONCLUDING REMARKS

I would like to take this opportunity to welcome Sh Vijay Dube, Sh Balakrishna Alse S. (Executive Directors) and Sh S.M. N. Swamy (RBI Nominee Director) who joined the Board of the Bank.

I also appreciate the contribution of Sh Himanshu Joshi (Executive Director), Smt. Mala Srivastava (Part Time Non-Official Director) and S Ganesh Kumar (RBI Nominee Director) who laid down office, for their valuable contribution to the Bank.

On behalf of all the Board of Directors and on my own behalf, I convey my sincere gratitude and thanks to the Shareholders of the Bank for reposing their faith in the Management and Bank. I would like to use this occasion to thank every employee of OBC for their sincerity & dedication and our customers for their continuous loyalty and patronage. My sincere thanks and regards to the Ministry of Finance, Govt. of India and Reserve Bank of India for their continued guidance and support. I solicit your continued cooperation and encouragement in future also.

Mukesh Kumar Jain
Managing Director & Chief Executive Officer

निदेशक मंडल / Board of Directors

श्री मुकेश कुमार जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Sh. Mukesh Kumar Jain
Managing Director & CEO

श्री विजय दुबे
कार्यकारी निदेशक
Sh. Vijay Dube
Executive Director

श्री बालकृष्णा अल्से एस.
कार्यकारी निदेशक
Sh. Balakrishna Alse S.
Executive Director

श्री प्रशांत गोयल
Sh. Prashant Goyal

श्री एस. गणेश कुमार
(25.04.2019 तक)
Sh. S. Ganesh Kumar
(till 25.04.2019)

श्री एस. एम. एन. स्वामी
(26.04.2019 से)
Sh. S. M. N. Swamy
(from 26.04.2019)

श्री संजय कपूर
Sh. Sanjay Kapoor

श्रीमती माला श्रीवास्तव
(24.04.2019 तक)
Smt. Mala Srivastava
(till 24.04.2019)

श्री देश दीपक खेत्रपाल
Sh. Desh Deepak Khetrapal

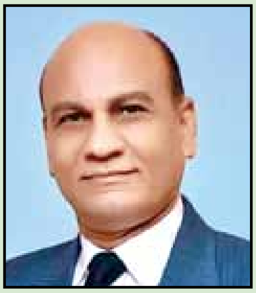

श्री अशोक कुमार शर्मा
Sh. Ashok Kumar Sharma

श्री एम. एम. एल. वर्मा
Sh. M. M. L. Verma

शीर्ष प्रबंधन वर्ग / Top Management Team

श्री अम्बरीष कुमार मिश्रा
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Sh. Ambrish Kumar Mishra
Chief Vigilance Officer

श्रीमती विद्यावती रुद्रा
Smt. Vidyavati Rudra

श्री चरणजीत सिंह
Sh. Charanjit Singh

श्री प्रदीप चौहान
Sh. Pradeep Chauhan

श्री अश्वनी कुमार
Sh. Ashwani Kumar

श्री कुलदीप भल्ला
Sh. Kuldeep Bhalla

श्री हरीश बांगा
Sh. Harish Banga

श्री स्वरुप साहा
Sh. Swarup Saha

श्री भंवर सिंह जैतावत
Sh. Bhanwar Singh Jaitawat

श्री बृज मोहन शर्मा
Sh. Brij Mohan Sharma

श्री आशुतोष चौधरी
Sh. Ashutosh Choudhury

श्री सुकेश गुप्ता
Sh. Sukesh Gupta

श्री रजनीश कर्नाटक
Sh. Rajneesh Karnatak

श्री सुरेन्द्र दीक्षित
Sh. Surendra Dixit

श्री बिनय गुप्ता
Sh. Binay Gupta

श्री महेश धवन
Sh. Mahesh Dhawan

श्री अमित श्रीवास्तव
Sh. Amit Srivastava

श्री राजेन्द्र साबू
Sh. Rajendra Saboo

श्री संजीवन नीखर
Sh. Sanjeevan Nikhar

श्री प्रमोद दुबे
Sh. Pramod Dubey

श्री दिनेश कुमार विश्नोई
Sh. Dinesh Kumar Vishnoi

श्री अशोक कुमार गुप्ता
Sh. Ashok Kumar Gupta

श्री सुनील कुमार चुघ
Sh. Sunil Kumar Chugh

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के शेयरधारकों की 25वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार 29 जून, 2019 को प्रातः 10:00 बजे **पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाऊस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली -110016** में निम्नलिखित कारोबार संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण कारोबार

मद सं. 1: ''31 मार्च, 2019 को बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ हानि खाते, इस अवधि के तुलन पत्र एवं खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा बैंक की कार्यप्रणाली और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं स्वीकार करने हेतु।''

विशेष कारोबार

मद सं. 2: एक विशेष संकल्प के रूप में, निम्नलिखित संकल्प(पों) पर विचार करने और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 (अब से ''अधिनियम'' बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (अब से ''योजना'' कहा जाएगा), ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 (अब से ''ओबीसी विनियम'' कहा जाएगा), किसी संशोधन या उसका पुनराधिनियमन सहित लागू अन्य सभी अधिनियम/कानून तथा भारत सरकार (GOI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (SEBI) या अन्य किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथालागू अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/विनियम/दिशानिर्देश, यदि कोई हो, तथा इस संबंध में यथापेक्षित भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, सेबी तथा/या किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति के अध्यधीन तथा इस प्रकार का अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित किन्हीं नियमों, शर्तों तथा संशोधनों के अध्यधीन तथा जो कि ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (बैंक) के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो, तथा जो सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 यथा संशोधित (अब से सेबी आईसीडीआर विनियम कहा जाएगा) तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 यथा संशोधित (अब से सेबी सूचीकरण विनियम कहा जाएगा) तथा जो उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अध्यधीन हैं, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के निदेशक मंडल (अब से "मंडल" कहा जाएगा जिसमें मंडल द्वारा गठित कोई समिति सम्मिलित होगी) को बैंक के शेयधारकों की सहमति है तथा एतद्द्वारा प्रदान की जाती है कि भारत या विदेश में ऑफर दस्तावेज/विवरणिका/ और इसी प्रकार के किसी अन्य दस्तावेज द्वारा इक्विटी शेयरों की संख्या का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन पर आरक्षण हेतु प्रावधान तथा/या निर्गम के उस भाग पर प्रतिस्पर्धी आधार पर तथा उस समय लागू कानून द्वारा अनुमत्य व्यक्तियों की इस प्रकार की श्रेणी सहित) ₹3000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित), की राशि के लिए निर्गमित कर सकता है जो अधिनियम की धारा 3(2क) के अनुसार अथवा संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार बढ़ी हुई अधिकृत पूंजी के अंदर होगी, जिसे भविष्य में अधिनियम के अनुरूप बनाया जाएगा के अनुसार बैंक की मौजूदा प्रदत्त पूंजी तक इस प्रकार निर्गत कर सकता है कि (भारत सरकार

NOTICE

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting of the shareholders of Oriental Bank of Commerce will be held on Saturday, 29th June 2019 at 10.00 a.m. at **PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016,** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No.1: "To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2019, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2019, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

SPECIAL BUSINESS

Item No. 2: To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution(s) as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as "the Act") the Banking Regulation Act, 1949, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as "the Scheme"), Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations 1998 (hereinafter referred to as "OBC Regulations") and all other applicable Acts/laws, including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules/Notifications/Circulars/Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India (GOI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, if any of RBI, GOI, SEBI and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce (the Bank), and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as the "SEBI ICDR Regulations") as amended SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 as amended (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which term shall include any Committee constituted by the Board) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares may be issued for an amount not exceeding ₹3000 crore (including share premium) which together with the existing paid-up capital of the Bank will be within the ceiling of the Authorised Capital of the Bank as per section 3(2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the

के वर्तमान दिशानिर्देश के अनुसार) किसी भी समय केंद्रीय सरकार द्वारा बैंक को प्रदत्त पूंजी के 52% से कम धारित न करती हो, भले वो बाजार मूल्य से बट्टे पर या प्रीमियम पर हो, एक या अधिक भागों में हो, सेबी आईसीडीआर विनियमों तथा लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम या किसी अन्य पद्धति द्वारा योग्य संस्थागत प्लेसमेंट ('क्यूआईपी') के माध्यम से जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य, ईएसपीएस के माध्यम से बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कंपनियां, निजी अथवा सार्वजनिक, निवेश संस्थान, समितियां, न्यास, शोध संस्थान, अहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी) जैसे कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ़आईआई) बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर पूंजी निधि, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य संस्थाएं, प्राधिकारी या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी जो इक्विटी, अधिमानी शेयर/बैंक की अन्य प्रतिभूति में विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपरोक्त में से किसी भी समूह में या जैसा कि बैंक द्वारा नियुक्त तथा/या नियुक्त किए जाने वाले किसी मर्चेंट बैंकर(रों) या अन्य परामर्शदाता(ओं) के परामर्श से, इस प्रकार से कि तथा इन नियमों एवं शर्तों के अनुसार जैसा उपयुक्त समझा जाए, सेबी आईसीडीआर विनियमों के बिना सीमा के लागू कानूनों के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति अनुसार।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन, अधि-आबंटन के विकल्प सहित अथवा इसके बिना अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ), अधिकार निर्गम, अर्हता प्राप्त संस्थान द्वारा प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी द्वारा अनुमोदित अन्य माध्यम द्वारा होगा और ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन अथवा आबंटन, सेबी आईसीडीआर विनियम के अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, या यथालागू किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य सभी मार्गनिर्देशों के अनुरूप होगा तथा ऐसे समय पर तथा ऐसे तरीके तथा ऐसे नियम व शर्तों पर होगा जो मंडल अपने संपूर्ण विवेक से उचित समझे।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल को अपने सम्पूर्ण विवेक से मूल्यों के बारे में जैसा भी आवश्यक हो अग्रणी प्रबन्धकों तथा/या हामीदारों तथा/या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या जैसा मंडल द्वारा अपने विवेक से निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन मूल्य या मूल्यों को इस प्रकार तय करने का प्राधिकार होगा जो सेबी आईसीडीआर विनियमों तथा किसी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा जिसके निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य हों या नहीं भी हो सकते हैं और ऐसे मूल्य को सेबी आईसीडीआर विनियमों के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार यथानिर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर तय नहीं किया जाएगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थान द्वारा प्लेसमेंट के माध्यम से इक्विटी शेयर का कोई भी निर्गम उस मूल्य पर होगा जो कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत दिए गए मूल्य सूत्र (क्यूआईपी न्यूनतम मूल्य) के अनुरूप निर्धारित किए गए मूल्य से कम न हो, तथापि, बैंक लागू कानूनों के अनुरूप 5% (पांच प्रतिशत) या क्यूआईपी न्यूनतम मूल्य पर लागू कानून के अंतर्गत अनुमत प्रतिशत तक छूट दे सकता है।''

"यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार पात्र अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी) को अर्हता प्राप्त संस्थान द्वारा प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से इक्विटी शेयर निर्गमित किए जाने की स्थिति में लागू विधि के अध्यधीन, इक्विटी शेयर के मूल्य निर्धारण की 'संगत तिथि' मण्डल की बैठक की तिथि होगी, जिसमें मण्डल इक्विटी शेयर के लिए क्यूआईपी खोलने का निर्णय लेता है। अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ)/अधिकार निर्गम के माध्यम से इक्विटी शेयरों के मूल्य निर्धारण की संगत तिथि, सेबी आईसीडीआर विनियम और अन्य लागू कानून या विनियम में यथानिर्दिष्ट तिथि होगी।''

Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such manner that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up equity capital of the Bank (as per the extant directive of Government of India), whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, by way of a qualified institutions placement ('QIP') or by way of public issue, rights issue or any other method in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations and applicable laws including to one or more members, employees of the Bank by way of ESPS, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") including Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/ other securities of the Bank as may be permitted under applicable laws including without limitation, the SEBI ICDR Regulations, as may be deemed appropriate, in such manner and on terms and conditions, in consultation with any merchant banker(s) or other advisor(s) appointed and / or to be appointed by the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on Public Offer (FPO), Rights Issue, Qualified Institutions Placement, Private Placement or any other mode approved by GOI/RBI/SEBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, the SEBI ICDR Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT any issue of Equity Shares by way of QIP in terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations shall be at such price which is not less than the price determined in accordance with the pricing formula provided under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations (the 'QIP Floor Price'), however the Bank may in accordance with applicable laws, also offer discount of note more than 5% (five percent) or such percentage as permitted under applicable laws on the QIP Floor Price."

"RESOLVED FURTHER THAT subject to applicable law, in the event Equity Shares are issued to eligible QIBs by way of QIP in terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, the 'relevant date' for the purpose of pricing of the Equity Shares shall be the date of the meeting of the Board in which the Board decides to open the QIP of Equity Shares. The Relevant Date for the purpose of pricing of the Equity Shares by way of Follow on Public Offer (FPO)/Rights Issue will be the date as specified under the SEBI ICDR Regulations and other applicable law or regulation."

"RESOLVED FURTHER THAT the allotment of Equity Shares to be made by way of the QIP to the eligible QIBs, in terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, shall be completed within 365 days from the date of the shareholders resolution or such other time as may be allowed to under SEBI ICDR Regulations from time to time."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार पात्र अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता को अर्हता प्राप्त संस्थान द्वारा प्लेसमेंट के माध्यम से किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का आवंटन, शेयरधारकों के संकल्प की तारीख से 365 दिनों या सेबी आईसीडीआर विनियम के अंतर्गत समय-समय पर यथास्वीकृत समय के भीतर पूरा किया जाएगा।''

"यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों, अधिनियम के प्रावधानों, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स विनियम के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन अधिनियम 1999 के प्रावधानों तथा विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम 2017 तथा सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक, औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) एवं ऐसे सभी आवश्यक प्राधिकारी (जिसे यहां सामूहिक रूप से उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में कहा गया है) के प्रावधानों के अनुसार तथा उन शर्तों के अध्यधीन जो इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं/या मंजूरी प्रदान करते समय इनके द्वारा निर्धारित की गई हो (जिसे अब से "औचित्यपूर्ण अनुमोदन" कहा जाएगा), मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इक्विटी शेयर समय-समय पर एक या अधिक भागों में इस प्रकार से निर्गमित, प्रस्तावित ततः आबंटित कर सकता है, जिससे बैंक में केंद्र सरकार का किसी भी समय इक्विटी कैपिटल 52% से कम न हो "योग्य संस्थागत प्लेसमेंट ('क्यूआईपी') द्वारा या बाजार मूल्य या लागू मूल्यांकन फार्मूले के अनुसार गणना किए गए मूल्यों पर छूट या प्रीमियम पर, इस प्रकार के मूल्य या मूल्यों पर लागू सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार तथा लागू विधि अनुसार सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम या अन्य किसी पद्धति द्वारा, तथा बिना किसी सीमा के लागू कानून सेबी आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत यथानुमत्य, जैसा उपयुक्त समझा जाए बैंक द्वारा नियुक्त तथा/या नियुक्त किए जाने वाले किसी मर्चेंट बैंकर(रों) या अन्य परामर्शदाता(ओं) के परामर्श से इस प्रकार से तथा नियमों एवं शर्तों पर, निवेशकों की ऐसी श्रेणी जिन्हें इस प्रकार के निर्गम में निवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें सेबी आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत यथापरिभाषित पात्र योग्य संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी) सम्मिलित हों, परंतु यह उन्हीं तक सीमित न हो, भले ही इस प्रकार के निवेशक बैंक के सदस्य हों या न हों"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल को निर्गमन, आबंटन तथा मंडल द्वारा सहमत सूचीकरण को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति प्रदान करते समय भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित या अधिरोपित प्रस्ताव में किसी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार तथा शक्ति होगी।''

"यह भी संकल्प किया जाता है कि नए इक्विटी शेयरों यदि कोई हों, एनआरआई, एफ़आईआई तथा/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को निर्गमन और आबंटन विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 के (इसके अंतर्गत निर्धारित नियमों एवं विनियमों सहित) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यधीन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर किया जाएगा।''

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the SEBI Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the OBC Regulations, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and / or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the equity capital of the Bank(as per the extant directive of Government of India), to such category of investors that may be permitted to invest in such issuance, including but not limited to eligible Qualified Institutional Buyers (QIBs) as defined under the SEBI ICDR Regulations, whether or not such investors are member of the Bank, by way of a qualified institutions placement ('QIP') or by way of public issue, rights issue or any other method in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations and applicable laws at such price or prices, at a discount or premium to market price or prices calculated as per the applicable pricing formula and as may be permitted under applicable laws including without limitation, the SEBI ICDR Regulations, as may be deemed appropriate, in such manner and on terms and conditions, in consultation with any merchant banker(s) or other advisor(s) appointed and / or to be appointed by the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (including Rules & Regulations framed thereunder) as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गमित होने वाले नए इक्विटी शेयर ओरियंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स विनियम यथा संशोधित, के अधीन होंगे एवं इन्हें हर तरह से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप माना जाएगा और घोषित लाभांश, यदि कोई हो तो, के हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा।''

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयर किसी भी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के लिए मंडल एतदद्वारा सार्वजनिक प्रस्ताव, अधिकार निर्गम, अर्हता प्राप्त संस्थान प्लेसमेंट की शर्तें तय करने के लिए प्राधिकृत है, जिसमें निवेशकों की वह श्रेणी जिनको प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित होने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम का मूल्य, निर्गम का प्रीमियम मूल्य जिसके संबंध में मंडल अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी उचित हो, इस प्रकार के सभी कर्तव्य, कार्य, मामले और विषय के बारे में निर्णय लेने तथा ऐसे विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों के संबंध में अपने सम्पूर्ण विवेक से आवश्यक, उपयुक्त या अपेक्षित हो और प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन तथा निर्गम से प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग से संबन्धित प्रश्नों, कठिनाइयों व शंकाओं का समाधान करने के लिए अनुदेश देने या निर्देश देने तथा नियम व शर्तों के संबंध में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, अंतर, बदलाव, विलोपन, परिवर्धन को प्रभावी करने और लागू करने, जो यह अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में उचित व उपयुक्त समझें, जिसके लिए शेयरधारकों से आगे अनुमोदन लेने की आवश्यकता न हो तथा इस संकल्प के द्वारा बैंक और मंडल को दी गई सभी या किसी शक्ति का प्रयोग मंडल द्वारा किया जा सकता है।''

"यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल को अग्रणी प्रबन्धकों, कानूनी सलाहकारों, हामीदारों, बैंकरों, यथावश्यक परामर्शदाताओं और ऐसी सभी एजेंसियों को रखने/नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, जो इक्विटी शेयरों को प्रस्तावित करने में तथा कमीशन, दलाली, शुल्क अथवा उसके जैसे माध्यमों से प्रतिपूर्ति करने में संलिप्त या उससे संबन्धित हों तथा ऐसी एजेंसियों के साथ सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि का निष्पादन करते हों तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों पर निर्गमित इक्विटी शेयरों का सूचीकरण करते हों, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मण्डल को अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों, जिसमें निवेशकों के वर्ग सहित, जिन्हें इक्विटी शेयर आबंटित किए जाने हैं, की सलाह से प्रत्येक बार में आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या, मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम अथवा बट्टा खाता, रिकॉर्ड तिथि निर्धारण अथवा बही बंदी तथा भारत में एवं/अथवा विदेश में एक अथवा अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण, जैसा निदेशक मण्डल अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे निर्गम (मों) के फॉर्म तथा शर्तें निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसे इक्विटी शेयर जो शेष रह गए हैं, उनके बारे में मंडल जैसा भी उचित समझे उनको विधिसम्मत तरीके से अपने पूर्ण विवेक से निपटा सकता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि संकल्प को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंडल को ऐसे सभी प्रकार के कार्यों, विलेखों, मामलों को अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी आवश्यक और उचित, विधिवत और वांछनीय समझे, करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम से

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the OBC Regulations, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, rights issue, qualified institutions placement, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deem fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as it may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to engage/appoint Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and to remunerate them by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies and to seek the listing of Equity Shares issued such on the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the equity shares are to be allotted, number of equity shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue, number of equity shares, the price, premium or discount on issue, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such of these equity shares as are not subscribed may be disposed of by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion

संबन्धित प्रश्नों, कठिनाइयों, शंकाओं का समाधान करने तथा शेयरधारकों के अतिरिक्त परामर्श एवं अनुमोदन के बिना ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और विषय, सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों और लेखन को अंतिम रुप देने तथा निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, जिसमें अपने पूर्ण विवेक से उपयुक्त, उचित अथवा अपेक्षित समझें अथवा अंतिम आशय तक यह माना जाएगा कि इस संकल्प के प्राधिकार से शेयरधारकों ने अपना स्पष्ट अनुमोदन प्रदान कर दिया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक/(कों) या निदेशकों की समिति को प्रदत्त सभी शक्तियों या किसी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

स्थान: गुरुग्राम — **मुकेश कुमार जैन**
दिनांक: 13.05.2019 — **प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

नोट

पूंजी को प्राप्त करने हेतु जारी नोटिस की मद सं.2 से संबंधित प्रमुख तथ्यों को विश्लेषित करने वाली व्याख्यात्मक विवरणी नोटिस के साथ संलग्न है।

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर एक प्रॉक्सी को बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने के लिए पात्र है और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा। प्रॉक्सी की कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि यह फॉर्म बी (संलग्न) पर न हो और यह बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। प्रॉक्सी फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए यह बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा कॉरपोरेट कार्यालय में सोमवार, 24 जून, 2019 को अथवा इससे पूर्व सायं 5.00 बजे (बैंक के कार्य समाप्ति समय) तक प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी अथवा निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वार्षिक आम बैठक में भाग लेने अथवा मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रति, जिसमें यह पारित किया गया है, सोमवार, 24 जून, 2019 को अथवा इससे पूर्व सायं 5.00 बजे (बैंक के कार्य समय) तक बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा कॉरपोरेट कार्यालय में जमा कर दी गई हो। कृपया नोट करें कि कोई भी व्यक्ति जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, उसे ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा।

deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & CEO or in his absence to the Executive Director(s) or to the Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions."

By order of the Board of Directors
For ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Place: Gurugram — **Mukesh Kumar Jain**
Date: 13.05.2019 — **Managing Director & CEO**

NOTES

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of item No. 2 of the Notice regarding raising of Capital is annexed to the Notice.

1. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting. No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" (annexed) and also available on the Bank's website. The proxy form, in order to be effective must be received at the Bank's Head Office situated or its Corporate Office situated on or before 5.00 p.m. (closing hours of the Bank) of Monday, the 24th June, 2019.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at Head Office or Corporate Office of the Bank before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. of Monday, the 24th June, 2019. Please note that no person shall be appointed as an authorised representative who is an officer or an employee of the Bank as per the provisions of OBC Regulations.

3. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह-मतपत्र पास

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह- मतपत्र पास इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के पास मतदान के लिए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म प्रयोग करने का विकल्प है। जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया है वे असाधारण आम बैठक की तिथि पर बैठक स्थल पर होने वाले मतदान में मतदान कर सकते हैं। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि विवरणों की जांच कर लें और रिक्त स्थान भर लें, इसमें दिए गए स्थान में अपने हस्ताक्षर करें और इसे बैठक के स्थल पर जमा करा दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह- प्रवेश पास-सह-मतपत्र पास में **"प्रॉक्सी" अथवा "प्राधिकृत प्रतिनिधि"**, जो भी हो, उल्लेख करना चाहिए। ऐसे प्रवेश पास मतदान के समय मतपत्र प्राप्त करने के लिए जमा कर दिए जाएंगे।

4. सदस्यों का रजिस्टर बन्द होना

25वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही 23 जून, 2019 से 29 जून, 2019 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

5. मतदान अधिकार

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार के इतर, बैंक का कोई शेयरधारक उसके द्वारा बैंक के समस्त शेयरधारकों के मताधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक शेयर धारिता के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा। प्रत्येक शेयरधारक, जो शनिवार, 22 जून, 2019 (रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक स्थल पर मतपत्र के द्वारा मतदान करने के शेयरधारकों के मताधिकार का निर्धारिण करने के लिए निर्दिष्ट तिथि) को अथवा इससे पहले शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, का उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा **बशर्ते यह केन्द्र सरकार के इतर कुल मताधिकार का अधिकतम 10%** होगा।

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में है तो मतदान के लिए, रजिस्टर में पहले स्थान पर नाम वाला व्यक्ति उसका संपूर्ण धारक माना जाएगा।

(I) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान

I. सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम,2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक सहर्ष अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है और कारोबार ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। एजीएम के स्थल से इतर स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली का प्रयोग करके मतदान ("रिमोट ई-वोटिंग") की सुविधा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

II. मतपत्र के द्वारा मतदान की सुविधा वार्षिक आम बैठक में उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में शामिल होने वाले ऐसे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया है, मतपत्र के द्वारा बैठक में मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

3. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum Ballot Paper Pass is annexed. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives of Shareholders have an option to cast their votes by using e-voting platform. Those who do not exercise e-voting facility can cast their votes at voting to be conducted at the venue of the meeting on the date of the meeting. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details and fill in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy holders/Authorized Representatives of shareholders should state on the Attendance Slip – cum - Entry Pass – cum - ballot paper pass as **"Proxy"** or **"Authorized Representative"** as the case may be. Such entry passes shall be surrendered to obtain ballot paper at the time of Poll.

4. CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 23rd June 2019 to 29th June 2019 (both days inclusive) for the purpose of the 25th Annual General Meeting.

5. VOTING RIGHTS

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of **ten per cent** of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. Each shareholder who has been registered as a shareholder on or before Saturday, 22nd June 2019 (cut-off date for determining the voting rights of the shareholders both for remote e-voting and voting by ballot paper at the venue of the Meeting) shall have one vote for each share held by him **subject to maximum of 10% of the total voting rights** other than the Central Government.

As per Regulation 10 of the OBC Regulations, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

(I) VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

I. In compliance with provisions of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Bank is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM) ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

II. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the Annual General Meeting and the *members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting* shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.

III. ऐसे सदस्य भी वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है किंतु वे पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

IV. रिमोट ई-वोटिंग अवधि 26 जून, 2019 (प्रातः 9.00 बजे) से शुरु होकर 28 जून, 2019 को (सायं 5.00 बजे) (दोनों दिन शामिल) समाप्त होगी। इस अवधि में बैंक के सदस्य, जो अंतिम तिथि 22 जून, 2019 को मूर्त अथवा अमूर्त रूप में शेयर धारण कर रहे हैं, रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडयूल बंद कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा संकल्प पर मतदान करने के बाद सदस्य को इसे बाद में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

V. एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के "दो चरण" हैं :

पहला चरणः एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में https://www.evoting.nsdl.com/ पर लॉगिन करें।

दूसरा चरणः एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मतदान करें।

पहले चरण का विवरण निम्नानुसार हैः

एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर निम्न यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें - https://www.evoting.nsdl.com/
2. एक बार ई–वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुल जाने पर लॉगिन आइकन, जो 'शेयरधारक' खण्ड में उपलब्ध है, पर क्लिक करें
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड तथा स्क्रीन पर दिखने वाला सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

   वैकल्पिक रूप से यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाओं अर्थात् आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप https://www.eservices.nsdl.com/ पर अपनी मौजूदा आईडीईएएस लॉगिन के साथ लॉगिन कर सकते हैं। एक बार अपने लॉगिन विवरणों के साथ आपके द्वारा एनएसडीएल की ई-सेवाओं पर लॉगिन करने पर, ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मतदान करें, पर जा सकते हैं।
4. आपकी यूजर आईडी विवरण निम्नानुसार हैः

शेयर धारिता का प्रकार अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) अथवा मूर्त रूप	आपकी यूजर आईडी हैः
क) ऐसे सदस्य जिनके शेयर एनएसडीएल में डीमैट खाते में हैं	8 वर्णों वाली डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लांइट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी है आईएन300*** तथा क्लांइट आईडी 12****** है तब आपकी यूजर आईडी है आईएन300***12******

III. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Annual General Meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The remote e-voting period commences on 26th June 2019 (9:00 a.m.) and ends on 28th June 2019 (5:00 p.m.) both days inclusive. During this period members' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 22nd June, 2019, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

V. The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Log-in to NSDL e-Voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

Step 2: Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details on Step 1 are mentioned below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.
4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.

ख) ऐसे सदस्य जिनके शेयर सीडीएसएल में डीमैट खाते में हैं	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी है 12********** तब आपकी यूजर आईडी है 12**********
ग) मूर्त रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए	ईवीईएन संख्या के बाद बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या उदाहरण के लिए यदि फोलियो संख्या है 001*** तथा ईवीईएन है 101456 तब यूजर आईडी है 101456001***

5. आपके पासवर्ड का विवरण निम्नानुसार हैः

   क) यदि आप ई-वोटिंग के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप लॉगिन करने एवं मतदान के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

   ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली को पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड', जो आपको सूचित किया गया था, को पुनः प्राप्त करना होगा। एक बार आपके द्वारा अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेने पर आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

   ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः कैसे प्राप्त करें ?

      i) यदि आपकी ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते में अथवा कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपकी ई-मेल आईडी पर भेजा गया है। अपने मेल बॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को ढूंढें। ई-मेल खोलें और अटैचमेंट अर्थात् .पीडीएफ फाइल को खोलें। .पीडीएफ फाइल को खोलने के लिए एनएसडीएल खाते के लिए 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी अथवा मूर्त रूप में शेयर रखने पर फोलियो संख्या पासवर्ड है। .पीडीएफ फाइल में 'यूजर आईडी' तथा आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' दिया गया है।

      ii) यदि आपकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके डाक पते पर आपको भेजा गया है।

6. यदि आप 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं अथवा यह आपको प्राप्त नहीं हुआ है अथवा अपना पासवर्ड भूल गए हैं :

   क) "Forgot User Details/Password?" पर क्लिक करें (यदि आपके पास शेयर एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल में डीमैट खाते में हैं) www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।

   ख) Physical User Reset Password? (यदि आपके पास शेयर मूर्त रूप में हैं) www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।

   ग) यदि आप अब भी उपरोक्त दो विकल्पों के द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, अपने पैन संख्या, अपने नाम तथा अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting.nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12**************
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:

   a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

   b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

   c) How to retrieve your 'initial password'?

      (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

      (ii) If your email ID is not registered, your 'initial password' is communicated to you on your postal address.

6. If you are unable to retrieve or have not received the " Initial password" or have forgotten your password:

   a) Click on "Forgot User Details/Password?"(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com

   b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com

   c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.

घ) सदस्य एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम पर मतदान करने के लिए ओटीपी (One time Password) आधारित लॉग-इन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद चेक-बॉक्स में "Agree to Terms and conditions" पर टिक करें।

8. अब आपको ''लॉगिन'' बटन पर क्लिक करना होगा।

9. ''लॉगिन'' बटन क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा।

चरण 2 के विवरण निम्नानुसार हैं :

<u>एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कैसे करें?</u>

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग के होम पेज को देख पाएंगे। ई-वोटिंग पर क्लिक करें। उसके पश्चात् एक्टिव वोटिंग साइकिल्स पर क्लिक करें।
2. एक्टिव वोटिंग साइकिल्स पर क्लिक करने के बाद, आप सभी "EVEN" कंपनियों को देख पाएंगे जिनके आपके पास शेयर हैं तथा जिनके मतदान साइकिल सक्रिय स्थिति में हैं।
3. बैंक के "EVEN" का चयन करें।
4. जैसे ही वोटिंग पेज खुलता है आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं ।
5. समुचित विकल्प अर्थात् सहमति अथवा असहमति का चयन करके, जितने शेयरों के लिए आप मतदान करना चाहते हैं, उतनी संख्या को सत्यापित/संशोधित करके अपना मतदान करें और Submit" पर तथा "Confirm" पर भी, जब दिखाई दे, क्लिक करें।
6. पुष्टि करने के बाद "Vote cast successfully" संदेश दिखाई देगा।
7. आप किए गए मतदान का पुष्टिकरण पृष्ठ पर उपलब्ध प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके प्रिंट भी ले सकते हैं।
8. एक बार संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

<u>शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश</u>

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों,एचयूएफ,एनआरआई इत्यादि के अलावा) को विधिवत् अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं), जो मतदान के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित मण्डल संकल्प / प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति(पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट में) <u>evoting@nsdl.co.in</u> को प्रति चिन्हित करते हुए संवीक्षक को <u>nitesh@indiacp.com</u> पर ई-मेल द्वारा भेजनी आवश्यक है।
2. इस बात की जोरदार संस्तुति की जाती है कि किसी भी अन्य व्यक्ति को अपना पासवर्ड न बताएं और अपने पासवर्ड को गुप्त रखने का यथासंभव प्रयास करें। सही पासवर्ड खण्ड में पांच असफल प्रयासों के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट निष्क्रिय हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको पासवर्ड रिसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प <u>"Forgot User Details/Password?"</u> अथवा <u>Physical User Reset Password?</u> का प्रयोग करना होगा।

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 are given below:

<u>How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?</u>

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.
2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
3. Select "EVEN" of Bank.
4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

<u>General Guidelines for shareholders</u>

1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to <u>nitesh@indiacp.com</u> with a copy marked to <u>evoting@nsdl.co.in</u>.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "<u>Forgot User Details/Password?</u>" or "<u>Physical User Reset Password?</u>" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. किसी प्रकार की शंका होने पर आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न(एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

VI. सदस्यों के मताधिकार बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के समानुपात में होंगे बशर्ते यह अंतिम तिथि 22 जून, 2019 को केन्द्र सरकार से इतर, समस्त मताधिकारों का अधिकतम 10% होगा।

VII. कोई भी व्यक्ति जो नोटिस भेजने के बाद बैंक के शेयर धारण करता है और बैंक का शेयरधारक बन जाता है तथा अंतिम तिथि अर्थात् 22 जून, 2019 को शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in अथवा बैंक के रजिस्ट्रार लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लिमि.को delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध भेज कर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

VIII. ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम अंतिम तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा निक्षेपक (डिपॉजिटरी) द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा एजीएम में मतपत्र के माध्यम से मतदान करने हेतु पात्र होंगे।

IX. निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग एवं बैठक में हुए मतदान की संवीक्षा करने के लिए बैंक द्वारा मै. पीआई एण्ड एसोसिएटस, कार्यरत कंपनी सचिव (एफआरएन P2014UP035400) को संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

X. एजीएम में मतदान किए जाने वाले संकल्प पर चर्चा के बाद अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित सभी सदस्यों को, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाते हुए अपना मत नहीं दिया है, संवीक्षक की सहायता से 'मतपत्र' द्वारा मतदान की अनुमति देंगे।

XI. आम बैठक में मतदान की समाप्ति के बाद संवीक्षक पहले बैठक में डाले गए मतों की गिनती करेगा तथा उसके बाद कम-से-कम ऐसे दो गवाहों जो बैंक के कार्मिक नहीं हैं, के समक्ष रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाले गए मतों को खोलेगा तथा आम बैठक की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर पक्ष या विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए कुल मतों की समेकित संवीक्षक रिपोर्ट को अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो इस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे तथा तत्काल मतदान का परिणाम घोषित करेगा।

XII. अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा घोषित परिणामों को संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम घोषित होते ही अविलंब बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। परिणामों को तत्काल एनएसई और बीएसई को भी अग्रेषित किया जाएगा।

6. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंट को भुनाया नहीं है/जिन्हें पिछली अवधियों यानि वर्ष 2011-2012 से 2015-16 तक का लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे अनुरोध है कि वे इसके लिए दावा करने हेतु बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

निवेशक के नाम और लाभांश के वर्ष सहित अप्रदत्त लाभांश का विवरण भी निवेशक संबंधों के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है ताकि शेयरधारक रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट/या बैंक से कॉरपोरेट कार्यालय, गुरुग्राम में

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in

VI. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank **subject to maximum of 10% of total voting rights other than Central Government** as on the cut-off date of **22nd June 2019**.

VII. Any person, who acquires shares of the Bank and becomes member of the Bank after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. **22nd June 2019**, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to Bank's Registrar, Link Intime India Pvt. Ltd. at delhi@linkintime.co.in.

VIII. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the AGM through Ballot Paper.

IX. M/s PI & Associates, Practicing Company Secretaries (FRN: P2014UP035400) has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the remote e-voting and voting at the meeting in a fair and transparent manner.

X. The Chairman shall at the AGM at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of Scrutinizer, by use of "Ballot Paper" for all those members who are present at the AGM and have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

XI. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and shall make not later than 48 hours of the conclusion of the AGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.

XII. The Results along with the Report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank www.obcindia.co.in and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the NSE and BSE.

6. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/received dividend of previous periods i.e. for the year from 2011-2012 to 2015-16, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for claiming the same.

Details of unpaid dividends containing names of the investor and Year of Dividend have also been placed on the website of the Bank under investor relations to enable the shareholders to claim by contacting the Registrar & Share Transfer Agent/or the Bank at

संपर्क करके दावा कर सकें। इसके अलावा, शेयरधारक इस मामले में किसी भी सहायता के लिए बैंक से mbd@obc.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा अधिनियम की धारा 10ख के प्रावधानों के अनुसार, सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त अथवा अदावाकृत लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2011-12 से संबंधित अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश जो बैंक के पास हैं उनको 19.07.2019 को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना है।

जिन शेयरधारकों को वर्ष 2011-12 हेतु लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है या जिन्होंने इसके लिए दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसके लिए दावा करने हेतु बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा. लि. से संपर्क करें। दावा न किए जाने की स्थिति में, देय तिथि को अप्रदत्त लाभांश खाते में शेष राशि आईईपीएफ में अंतरित कर दी जाएगी। बैंक ने संबंधित शेयरधारकों को अनुस्मारक पत्र जारी किए हैं।

अन्य जानकारी

- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाएं।
- उपस्थिति पर्ची एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके का उल्लेख करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु बैंक की पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ बैंक की 25वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, यदि किसी सदस्य ने हार्ड प्रति की मांग नहीं की है, तो उन सभी सदस्यों को प्रेषित की जा रही है जिनके ई-मेल आईडी बैंक/निक्षेपागार सहभागी(गियों)/आरटीए के पास संप्रेषण के प्रयोजन से पंजीकृत हैं। ऐसे सदस्यों के लिए जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं करवाए हैं उनको उपस्थिति पर्ची व प्रॉक्सी फार्म के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु बैंक की संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ बैंक की 25वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस की मूर्त प्रतियां अनुमत्य मोड से भेजी जा रही हैं।
- शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु बैंक की पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक आम बैठक का नोटिस बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in पर भी उपलब्ध होंगे ताकि शेयरधारक उसे डाउनलोड कर सकें। ई-संप्रेषण के लिए पंजीकरण करने के बाद भी, शेयरधारक पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की निःशुल्क हार्ड प्रति प्राप्त करने के लिए डाक द्वारा या बैंक की ई-मेल आईडी mbd@obc.co.in या आरटीए delhi@linkintime.co.in. को ई-मेल भेजकर अनुरोध कर सकते हैं।
- **शेयरों का अमूर्तिकरण :** 1 अप्रैल, 2019 से मूर्त रूप में शेयरों के अंतरण पर रोक लगाने से संबंधित सेबी के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर अभी भी मूर्त रूप में है उनसे अनुरोध है कि वे यथाशीघ्र अपने शेयर अमूर्तीकृत करा लें।
- **पता बदलना अथवा ई-मेल आईडी अद्यतित करना :** पता अथवा ई-मेल आईडी बदलने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पते/ई-मेल आईडी में बदलाव की सूचना:
  - यदि उनके पास शेयर अमूर्त रूप में है तो अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी को दें

Corporate Office, Gurugram. Further, the shareholders can contact the Bank at mbd@obc.co.in for any assistance in the matter.

As per the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 125 of the Companies Act, 2013. The Unpaid / Unclaimed Dividend for the year 2011-12 lying with the Bank is due for transfer to IEPF on 19.07.2019.

The shareholders who have not received or claimed dividend for the year 2011-12 are requested to contact the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank, Link Intime India Pvt. Ltd for claiming the same. If not claimed, the balance remaining outstanding in the unpaid dividend account on the due date will be transferred to IEPF. The Bank has issued reminder letters to the concerned shareholders.

OTHER INFORMATION

- Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report and valid photo identity card to the meeting.
- Electronic copy of the Full Annual Report of the Bank for FY 2018-19 inter alia containing Notice of the 25th Annual General Meeting indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members whose email IDs are registered with the Bank/ Depository Participants(s)/RTA for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their email address, physical copies of Abridged Annual Report of the Bank for FY 2018-19 inter alia containing Notice of the 25th Annual General Meeting of the Bank indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent in the permitted mode.
- Members may also note that Full Annual Report of the Bank inter alia containing the notice of the AGM for FY 2018-19 will also be available on the Bank's website https://www.obcindia.co.in for download. Even after registering for e-communication, members can request for a hard copy of Full Annual Report, free of cost by post or by sending an email to the Bank's email id: mbd@obc.co.in or to Bank's RTA at delhi@linkintime.co.in.
- **Dematerialization of Shares**: Shareholders who are still holding their shares in physical form are requested to get their shares dematerialized at the earliest in view of SEBI Guidelines restricting transfer of shares in physical form effective 1st April, 2019.
- **Change of address or updation of e-mail ID:** For change of address or email id, shareholders are requested to notify change in address / email id to:
  - Their respective Depository Participant in respect of holding shares in demat form and

- यदि उनके पास शेयर मूर्त रूप में है तो बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) यथा लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. को दें।

- रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट का पता

  मै. लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा.लि.
  नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच-2, सी-1 ब्लॉक एलएससी,
  सावित्री मार्केट के समीप, जनकपुरी,
  नई दिल्ली-110058
  दूरभाष नंबर.: +91-11-49411000
  फैक्सः +91-11-4141 0591
  ई-मेल आईडीः delhi@linkintime.co.in;
  वेबसाइट : www.linkintime.co.in

- **निवेशक किसी प्रकार की सहायता के लिए नीचे दिए पते पर भी सम्पर्क कर सकते हैं :**

  ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
  कॉरपोरेट कार्यालय – मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग
  द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 5
  सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम – 122001
  दूरभाष नंबर – 0124-4126281/285
  ई-मेल : mbd@obc.co.in; वेबसाइट : www.obcindia.co.in

- जिन शेयरधारकों के पास नामों के समान क्रम में, एक जैसे नामों में अथवा संयुक्त नामों में एक से अधिक फोलियो के शेयर मूर्त रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इन्हें एक ही फोलियो में समेकित करने हेतु अपने शेयर प्रमाण-पत्र बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा.लि. को भेजें।

- ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे हमारे या हमारे रजिस्ट्रार के पास अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत कराएं ताकि हम दस्तावेज, नोटिस, संप्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट आदि ई-मेल द्वारा भेज सकें। ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर अमूर्त रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रयोजन हेतु अपनी ई-मेल आईडी संबंधित निक्षेपागार सहभागी के पास पंजीकृत कराएं।

- शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।

- कड़े सुरक्षा कारणों से सभागार के अंदर ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। अतः बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा हेतु स्वयं व्यवस्था करें।

मद संख्या - 2 से संबंधित व्याख्यात्मक कथन

व्याख्यात्मक कथन, जिसमें नोटिस के मद सं. 2 से संबंधित भौतिक तथ्य दिए गए हैं, निम्नानुसार हैं:

पूंजी जुटाने हेतु बैंक का कार्यक्रम

बासेल III के अनुसार, 31 मार्च, 2019 को टियर I 9.98% (सीईटी 9.86%) और टियर II 2.75% के साथ बैंक का सीआरएआर 12.73% था। बैंक की अधिकृत पूंजी ₹3000 करोड़ तथा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹1370.21

— Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. Link Intime India Pvt. Ltd. in case of physical holding.

- Address of Registrar and Share Transfer Agent:

  M/s Link Intime India Pvt. Ltd
  Noble heights, 1st floor, Plot NH-2, C-1 Block LSC,
  Near Savitri Market, Janakpuri,
  New Delhi - 110058
  Phone Nos.: +91-11-49411000
  Fax: +91-11-41410591
  Email Id: delhi@linkintime.co.in; Website: www.linkintime.co.in

- **Investors may also contact the Bank at the under mentioned address for any assistance:**

  Oriental Bank of Commerce
  Corporate Office - Merchant Banking Division,
  Second Floor, Plot No.5,
  Sector - 32, Institutional Area, Gurugram – 122001
  Phone Nos. 0124-4126281/285
  E mail: mbd@obc.co.in; Website: www.obcindia.co.in

- Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, Link Intime India Pvt. Ltd. *for consolidation into single folio*.

- The shareholders having shares in physical form are requested to register their email-ids with the Bank or our Registrar to enable us to serve any document, notice, communication, annual reports etc. through e-mail. The shareholders holding shares in demat form are requested to register their email-ids with their respective Depository Participant for the above purpose.

- Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

- Due to strict security reasons brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the Auditorium. Persons attending the meeting are therefore advised to make their own arrangements for safe keeping of their articles.

EXPLANATORY STATEMENT TO ITEM NO.2

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No.2 of the Notice is as given below:

Capital Raising Programme of the Bank

As per Basel III, Bank's CRAR as on 31st March 2019 was 12.73% with Tier I at 9.98% (CET1 being 9.86%) and Tier II at 2.75%. The Authorised Capital of the Bank is ₹3000.00 crore and the Paid-up Equity Share Capital of the Bank is ₹1370.21 crore. In order to meet

करोड़ है। बासेल-।।। पूंजी विनियम के अनुपालन में निधियों की बढ़ती पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं बैंक की सामान्य कारोबार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बैंक पूंजी जुटाने का प्रस्ताव करता है। निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित पूंजी योजना के अनुसार, बैंक वर्ष 2019-20 के दौरान, फॉलोऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ)/राइट इश्यू / अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) अथवा मण्डल या बैंक के मण्डल की समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप इसी प्रकार के इश्यू के माध्यम से ₹3000 करोड़ की पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित) जुटाना चाहता है, जो अधिकृत पूंजी की सीमा के अधीन होगा। लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने के अध्यधीन, बैंक का इरादा, लागू कनूनों के अनुसार इश्यू की शुद्ध आय का उपयोग सीईटी 1 पूंजी को बढ़ाने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए करने का है।

सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 41 (4) के अनुसरण में शेयरधारकों के लिए किसी अन्य प्रतिभूति के निर्गम को अनुमोदित करना अनिवार्य है, यदि उन्हें समानुपातिक आधार पर ऑफर नहीं किए गए हैं। यह संकल्प, यदि पारित हो जाता है, तो यह बैंक की ओर से मंडल को वर्तमान शेयरधारकों को अन्यथा आनुपातिक आधार पर प्रतिभूति निर्गम एवं आबंटित करने के लिए अनुमति प्रदान करेगा ।

प्रस्तावित विशेष संकल्प निदेशक मंडल के सदस्यों से, पब्लिक ऑफर, राईट इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट, अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट अथवा ऐसे अन्य इश्यू, जिन्हें बाजार की स्थितियों, कानून व प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुरूप मण्डल अपने विवेकाधिकार से उचित समझे, बशर्ते इसे केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी का अनुमोदन तथा अन्य अनुमोदन प्राप्त हो और बैंक में भारत सरकार की किसी भी समय प्रदत्त शेयर पूंजी 52% से कम न हो (भारत सरकार के मौजूदा निर्देशानुसार), द्वारा इक्विटी शेयरों/वरीयता शेयरों/प्रतिभूतियों का सृजन, प्रस्ताव, इश्यू, आबंटन करने के लिए, बिना किसी अगले अनुमोदन के सदस्यों को प्राधिकृत करने की अनुमति चाहता है।

सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार क्यूआईपी के लिए संकल्प की वैधता 365 दिन तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, यह विशेष संकल्प निदेशक मंडल को यह अधिकार देता है कि वह शेयरधारकों से नए सिरे से अनुमोदन लिए बिना सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अंतर्गत अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीदारों के साथ अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट लाए। सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार क्यूआईपी का निर्गम उस मूल्य पर होगा जो कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत दिए गए मूल्य सूत्र (क्यूआईपी न्यूनतम मूल्य) के अनुरूप निर्धारित किए गए मूल्य से कम न हो, तथापि, बैंक लागू कानूनों के अनुरूप 5% (पांच प्रतिशत) या क्यूआईपी न्यूनतम मूल्य पर लागू कानून के अंतर्गत अनुमत प्रतिशत तक छूट दे सकता है। ''संगत तारीख'' इक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण करने के लिए, का तात्पर्य है उस बैठक की तारीख जब बैंक का मंडल या समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने का निर्णय लेता है। अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ)/अधिकार निर्गम के माध्यम से इक्विटी शेयरों के मूल्य निर्धारण की संगत तिथि, सेबी आईसीडीआर विनियम और अन्य लागू कानून या विनियम में यथानिर्दिष्ट तिथि होगी। चूंकि प्रस्ताव के मूल्य आगे की तिथि के अलावा, निर्धारित नहीं किए जा सकते अतः जारी किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों के मूल्य बताना संभव नहीं है। प्रस्ताव की विस्तृत शर्तों व नियमों का निर्धारण अग्रणी प्रबंधकों, सलाहकारों, तथा अन्य एजेंसियों जिनकी आवश्यकता हो, के परामर्श से वर्तमान बाजार दशाओं तथा अन्य संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

the growing capital requirement of funds in terms of Basel III Capital Regulations and to fund general business needs of the Bank, the Bank proposes to raise capital. As per the Capital Plan for FY 2019-20 approved by the Board of Directors, the Bank intends to raise an amount of ₹3000 crore (including share premium), subject to the ceiling of the Authorised Capital, through issue of shares in the form of Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issue / Qualified Institutions Placement (QIP) or such other issue as decided by the Board or Committee of the Board of the Bank. Subject to compliance with applicable laws and regulations, the Bank intends to use the net proceeds of the issue to augment its CET I Capital and for general corporate purposes, in accordance with applicable laws.

Pursuant to Regulation 41(4) of the SEBI Listing Regulations, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security, if not offered to them on proportionate basis. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

The proposed special resolution seeks the enabling authorization of the shareholders of the Bank to the Board of Directors (Board), without the need of any further approval from the Shareholders, to create, offer, issue and allot equity shares by way of Qualified Institutions Placement, Follow on Public offer, Rights Issue, or such other issue as the Board may in its absolute discretion think fit depending upon market conditions in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, pursuant to applicable laws and guidelines and subject to approval of Central Government, Reserve Bank of India, SEBI and other required approvals and subject to the shareholding of Govt. of India not falling below 52% of the paid-up equity share capital of the Bank (as per the extant directive of Government of India).

In terms of SEBI ICDR Regulations, the validity of the resolution is restricted to 365 days for QIP. The above Special Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutions Placement with Qualified Institutional Buyers under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations without seeking fresh approval from the shareholders. In terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, the QIP Issue shall be at such price which is not less than the price determined in accordance with the pricing formula provided under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations (the QIP Floor Price). However, the Bank may in accordance with applicable laws, also offer a discount of not more than 5% or such percentage as permitted under applicable laws on the QIP Floor Price. "Relevant Date" for the purpose of pricing of Equity Shares shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Board decides to open the QIP Issue. The Relevant Date for the purpose of pricing of the Equity Shares by way of Follow on Public Offer (FPO)/Rights Issue will be the date as specified under the SEBI ICDR Regulations and other applicable law or Regulation. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of the shares/ securities to be issued. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Lead Managers and Advisors and such other agencies as may be required, considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

आबंटित किए गए इक्विटी शेयर, सभी प्रकार से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे। प्रस्ताव के अनुसार निर्गमित शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होंगे।

इस उद्देश्य हेतु, विशेष संकल्प द्वारा बैंक के शेयरधारकों से सहमति लेना अपेक्षित है।

बैंक के निदेशक मंडल नोटिस की मद संख्या 2 में दिए गए विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करता है।

कोई भी निदेशक इस विशेष संकल्प में दिए गए प्रस्ताव से संबद्ध या हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

स्थानः गुरुग्राम **मुकेश कुमार जैन**
दिनांकः 13.05.2019 **प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

The equity shares allotted, shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank. The shares issued pursuant to the offering would be listed on the stock exchanges.

For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of shareholders by means of special resolution.

The Board of Directors of the Bank recommends the passing of the proposed resolution as set out in Item No.2 of the Notice.

None of the Directors is concerned or interested in the proposal contained in the Resolutions.

By order of the Board of Directors
For ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Place: Gurugram **Mukesh Kumar Jain**
Date: 13.05.2019 **Managing Director & CEO**

निदेशकों की रिपोर्ट 2018 -19

निदेशक मंडल 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाते के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

कारोबार परिचालन

बैंक का कुल कारोबार 31 मार्च, 2018 के ₹3,55,552.07 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2019 को ₹4,04,194.84 करोड़ रहा। बैंक की कुल जमाराशियां ₹2,32,645.38 करोड़ रहीं। मार्च, 2019 के अंत में कुल अग्रिम ₹1,71,549.46 करोड़ रहे। मार्च, 2019 के अंत में बैंक ऋण जमा अनुपात 73.77% रहा। बैंक ने अर्थव्यवस्था के उत्पादनपरक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया। बैंक का ऋण एवं अग्रिम संविभाग सुविस्तृत और संतुलित है।

वित्त वर्ष 2018-19 में बैंक के कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं

- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने बैंक को कुल ₹6686 करोड़ की पूंजी प्रदान की। बैंक ने अपने स्टाफ सदस्यों से भी ईएसपीएस के अंतर्गत ₹250.00 करोड़ की पूंजी जुटाई, जो बैंक के स्टाफ सदस्यों के बीच उच्च स्तर की प्रेरणा को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप, बैंक की पूंजी पर्याप्तता 31 मार्च 2018 के 10.50% से बढ़कर 31 मार्च, 2019 को 12.73% हो गई।
- बैंक के बेहतर कार्यनिष्पादन और पीसीए ढांचे के अनुसार बेंचमार्क स्तर को प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 31 जनवरी 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पीसीए ढांचे के अंतर्गत बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया गया।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की ₹5872 करोड़ की हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹55 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया।
- सकल एनपीए 31 मार्च, 2018 के 17.63% से घटकर 31 मार्च, 2019 को 12.66% हो गए, जबकि निवल एनपीए 31 मार्च, 2018 के 10.48% से घटकर 31 मार्च, 2019 को 5.93% रह गए।
- बैंक की जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष 12.20% की वृद्धि हुई तथा सकल अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 15.75% की वृद्धि हुई। 31 मार्च, 2019 को कासा जमाराशियां बैंक की कुल जमाराशियों का 29.40% रहीं।
- रिटेल अग्रिम पोर्टफोलियो में वर्ष-दर-वर्ष 41.62% और एमएसएमई अग्रिम पोर्टफोलियो में वर्ष-दर-वर्ष 12.63% की वृद्धि हुई।
- वसूली और अपग्रेडेशन वित्तीय वर्ष 2017-18 के ₹3161 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹6597 करोड़ हो गया, जबकि रिपोर्ट किए गए वर्ष के दौरान ₹7066 करोड़ के नए स्लिपेज हुए तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के ₹12429 करोड़ थे ।
- प्रावधान कवरेज अनुपात 31 मार्च, 2018 के 64.07% से बढ़कर 31 मार्च, 2019 को 75.84% हो गया।
- एनआईएम वित्तीय वर्ष 2017-18 के 2.18% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018-19 को 2.73% हो गयी।
- जमाओं की लागत मार्च 2018 के 5.67% से कम होकर मार्च 2019 में 5.64% हो गयी तथा कुल आग्रिमों पर आय मार्च 2018 के 7.73% से बढ़कर 8.23% हो गयी।

पूंजी और आरक्षित निधि

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक को भारत सरकार से दो किस्तों में पूंजी प्राप्त हुई अर्थात 31 दिसंबर 2018 को ₹5500 करोड़ और 31 जनवरी 2019 को ₹1186 करोड़। तदनुरूप, सभी अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने पर, निम्नलिखित शेयर भारत सरकार को अधिमानी आधार पर आबंटित किए गए:

i. 57,23,20,499 इक्विटी शेयर ₹96.10 के निर्गम मूल्य पर (₹86.10 के प्रीमियम सहित) प्रति शेयर कुल योग ₹ 5500 करोड़

DIRECTORS' REPORT 2018-19

The Board of Directors has pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with Audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2019.

Business Operations

The Business of the Bank stood at ₹4,04,194.84 crore as on 31st March 2019 as against ₹3,55,552.07 crore as on 31st March 2018. Total deposits of the Bank stood at ₹2,32,645.38 crore. The gross advances as at end-March 2019 stood at ₹1,71,549.46 crore. The Credit deposits ratio of the Bank, as at end-March 2019, stood at 73.77%. The Bank ensured adequate flow of credit to the productive sectors of the economy. The Loans & Advances portfolio of the Bank is well diversified and balanced.

Key Highlights of Bank's Performance in FY 2018-19

- During the financial year 2018-19, the Govt. of India infused capital aggregating to ₹6686 crore in the Bank. The Bank also raised capital of an amount upto ₹250 crore from its employees under ESPS Consequently, the Capital Adequacy of the Bank improved to 12.73% as on 31st March 2019 from 10.50% as at 31st March 2018.
- The restrictions imposed on the Bank by RBI under the PCA framework were lifted on 31st January 2019 in view of its improved performance and the Bank meeting the benchmark levels as per the PCA framework.
- The Bank reported Net Profit of ₹55 crore for FY 2018-19 as against loss of ₹5872 crore for FY 2017-18.
- The Gross NPA reduced from 17.63% as at 31st March 2018 to 12.66% as on 31st March 2019 while the Net NPA declined from 10.48% as at 31st March 2018 to 5.93% as on 31st March 2019.
- The deposits of the Bank witnessed a growth of 12.20% y-o-y and the gross advances increased by 15.75% y-o-y. CASA deposits as a percentage of total deposits of the Bank stood at 29.40% as on 31st March 2019.
- Retail Advances Portfolio increased by 41.62% y-o-y and MSME Advances Portfolio increased by 12.63% y-o-y.
- Cash Recovery and Upgradation increased from ₹3161 crore for FY 2017-18 to ₹6597 crore for FY 2018-19 while fresh slippages were contained to ₹7066 crore during the reported year against ₹12429 crore of FY 2017-18.
- The Provision Coverage Ratio improved to 75.84% as on 31st March 2019 from 64.07% as at 31st March 2018.
- NIM for FY 2018-19 increased to 2.73% from 2.18% for FY 2017-18.
- The Cost of Deposits decreased to 5.64% as at March 2019 from 5.67% as at March 2018, while yield on Total advances increased to 8.23% as at March 2019 from 7.73% as at March 2018.

Capital & Reserves

During the Financial Year 2018-19, the Bank received capital infusion from the Government of India in two tranches viz. ₹5500 crore on 31st December 2018 and ₹1186 crore on 31st January 2019. Accordingly, upon receipt of all requisite approvals, the following shares were allotted to the Government of India on Preferential basis:

(i) 57,23,20,499 equity shares at an Issue price of ₹96.10 (including premium of ₹86.10) per share aggregating to ₹5500 crore

ii. 13,89,89,804 इक्विटी शेयर ₹85.33 के निर्गम मूल्य पर (₹75.33 के प्रीमियम सहित) प्रति शेयर कुल ₹1186 करोड़

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स कर्मचारी शेयर क्रय योजना (ईएसपीएस)

कर्मचारी शेयर क्रय योजना के अन्तर्गत शेयर जारी करने के प्रस्ताव को दिनांक 21 दिसबर, 2018 को आयोजित असाधारण आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया था।। तदनुसार, बैंक ने "ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स- कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना" (ओबीसी-ईएसपीएस) के अंतर्गत अपने पात्र कर्मचारियों को ₹95.67 प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर प्रीमियम में 25% की छूट सहित ₹71.76 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर, नकदी के लिए ₹10.00 के अंकित मूल्य वाले 2,61,31,493 नए इक्विटी शेयरों का प्रस्ताव किया। 20867 पात्र कर्मचारियों द्वारा पूरे प्रस्ताव का वैध रूप से लाभ उठाया गया और शेयरों का आबंटन 16 फरवरी, 2019 को किया गया जिसके एवज में बैंक को ₹1875.52 करोड़ की राशि सब्सक्रिप्शन मनी के रूप में प्राप्त हुई। सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, ओबीसी-ईएसपीएस के अंतर्गत आबंटित शेयर आबंटन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन रहेंगे।

शेयरधारकों के अनुमोदन के पश्चात्, उक्त योजना में कोई बड़े बदलाव नहीं हुए हैं और योजना सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के अनुपालन में लागू की गई है। सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियम 14 के अन्तर्गत सुसंगत प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in पर उपलब्ध हैं। साथ ही, यह योजना सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार लागू की गई है इस आशय का बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों से प्रमाणपत्र तथा बैंक के शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्प वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

उपर्युक्त आबंटनों के बाद, भारत सरकार की हिस्सेदारी 31 मार्च 2018 के 77.23% की तुलना में 31 मार्च 2019 को बढ़कर 87.58% हो गई है।

तदनुरूप, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक की प्रदत्त पूंजी में ₹737.44 करोड़ तथा शेयर प्रीमियम में ₹6136.08 करोड़ की वृद्धि हुई। लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप क्रय विकल्प का प्रयोग करते हुए वर्ष के दौरान, बैंक ने कुल ₹500.00 करोड़ के अपर टीयर II बॉण्ड की एक श्रृंखला रिडीम की है। 31 मार्च 2019 को बैंक की पूंजी एवं आरक्षित निधियां मार्च 2018 की समाप्ति पर ₹11,786.76 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹18,901.24 करोड़ हो गईं तथा औसत कार्यशील निधि की तुलना में पूंजी एवं आरक्षित निधि का अनुपात 31 मार्च 2018 के 4.64 % की तुलना में 31 मार्च 2019 को 7.52% रहा।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बासेल ।।। मार्गनिर्देशों के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 को बैंक का पूंजी जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 31 मार्च, 2018 के 10.50% की तुलना में 12.73% रहा।

श्रेणी	मार्च 2018	मार्च 2019
सीईटी-I (%)	7.46%	9.86%
टीयर I पूंजी (%)	7.61%	9.98%
टीयर II पूंजी (%)	2.89%	2.75%
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (टीयर I + टीयर II)	10.50%	12.73%

(ii) 13,89,89,804 equity shares at an Issue price of ₹85.33 (including premium of ₹75.33) per share aggregating to ₹1186 crore

Oriental Bank of Commerce Employee Share Purchase Scheme [OBC-ESPS]:

The proposal for issuance of shares under Employee Share Purchase Scheme was approved by the shareholders of the Bank in the Extraordinary General Meeting held on 21st December 2018. Accordingly, the Bank made an offer of 2,61,31,493 new equity shares of face value of ₹10.00 each to its eligible employees under OBC-ESPS for cash at an issue price of ₹71.76 per share including premium at a discount of 25% on the floor price of ₹95.67 per share. The entire offer was validly exercised by 20867 eligible employees and the allotment of shares was made on 16th February 2019 against which the Bank received an amount of ₹187.52 crore as subscription money. In terms of the provisions of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, the shares allotted under the OBC-ESPS would remain under lock-in for a period of one year from the date of allotment.

Subsequent to the approval of the shareholders, there has been no material change in the said scheme and the Scheme has been implemented in compliance with SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014. The relevant disclosure under Regulation 14 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014 is available at the website of the Bank www.obcindia.co.in. Further, a certificate from the Statutory Central Auditors of the Bank that the Scheme has been implemented in accordance with the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and Resolution passed by the shareholders of the Bank shall be placed before the shareholders in the Annual General Meeting.

Subsequent to the aforesaid allotments, the shareholding of Government of India increased from 77.23% as at 31st March 2018 to 87.58% as at 31st March 2019.

Accordingly, during FY 2018-19, the Paid-up capital of the Bank increased by ₹737.44 crore and Share Premium by ₹6136.08 crore. During the year, the Bank has redeemed one series of Upper Tier II Bonds aggregating to ₹500.00 crore upon exercise of Call Option by the Bank in terms of applicable guidelines. The Capital & Reserves as on March 31, 2019 were at ₹18,901.24 crore as against ₹11,786.76 crore as at end March 2018 and the ratio of Capital and Reserves to average working funds stood at 7.52% as on 31st March 2019 as against 4.64 % as on 31st March 2018.

Capital Adequacy Ratio

The Bank's Capital Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) as on 31st March 2019 under Basel III Guidelines stood at 12.73% as against 10.50% as on 31st March 2018.

Category	March 2018	March 2019
CET-I (%)	7.46%	9.86%
Tier I Capital (%)	7.61%	9.98%
Tier II Capital (%)	2.89%	2.75%
Capital Adequacy Ratio (Tier I + Tier II)	10.50%	12.73%

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय पिछले वर्ष की ₹20,181.25 करोड़ की तुलना में ₹ 20,536.77 करोड़ रही। बैंक का परिचालन लाभ 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के ₹3703.18 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2019 को बढ़कर ₹3753.76 करोड़ हो गया। बैंक का वित्तीय कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:-

वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि ₹ करोड़ में)

	31.03.2019	31.03.2018
ब्याज आय	17867.69	17388.89
अन्य आय	2669.08	2792.36
कुल आय	20536.77	20181.25
प्रदत्त ब्याज	12369.57	12888.13
परिचालन व्यय	4413.44	3589.94
कुल व्यय	16783.01	16478.07
परिचालन लाभ	3753.76	3703.18
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	3698.77	9574.92
असाधारण मदों से पहले, वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि)	**54.99**	**(5871.74)**
घटाएं: असाधारण मदें	0.00	0.00
असाधारण मदों के बाद, वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि)	**54.99**	**(5871.74)**
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ / (हानि)	**(5871.74)**	0.00
जोड़ें : निवेश आरक्षित खाता	**0.00**	0.00
विनियोजन हेतु उपलब्ध निवल लाभ/(हानि)	**(5816.75)**	**(5871.74)**
विनियोजन	**(5816.75)**	**(5871.41)**
सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित	13.75	0.00
राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधि में अंतरित	0.00	0.00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि में अंतरित	0.00	0.00
पूंजी आरक्षित निधि में अंतरित	31.05	0.00
निवेश आरक्षित खाते में अंतरित	0.00	0.00
अंतरिम लाभांश	0.00	0.00
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि	10.19	0.00
प्रस्तावित लाभांश	0.00	0.00
लाभांश पर कर	0.00	0.00
तुलनपत्र में ले जाया गया शेष	(5871.74)	(5871.74)

* कोष्ठक () में दिखाए गए आंकड़े हानि दर्शाते हैं

** जहाँ भी आवश्यक समझा गया, वर्तमान अवधि/वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पिछली अवधि/वर्ष के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मण्डल

वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशक मंडल की 14, मण्डल की प्रबन्ध समिति की 12 और मण्डल की लेखापरीक्षा समिति की 12 बैठकें हुईं । श्री हिमांशु जोशी अपनी अधिवर्षिता की तिथि अर्थात्, 31 अक्टूबर, 2018 तक बैंक के कार्यकारी निदेशक रहे। इसके उपरांत, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,1980 की धारा 9(3)(क) के अंतर्गत श्री विजय दुबे और श्री बालकृष्ण अल्से एस्. को नियुक्त किया गया और उन्होंने क्रमश: 01 नवंबर, 2018 और 26 दिसंबर, 2018 को बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप

Financial Performance

The Bank has posted a total income of ₹20,536.77 crore during the year as against ₹20,181.25 crore last year. The Operating Profit of the Bank increased to ₹3753.76 crore for the year ended 31st March 2019 as against ₹3,703.18 crore for the year ended 31st March 2018. The Financial performance of the Bank is given below:-

Financial Performance

(Amt. in ₹ crore)

	31.03.2019	31.03.2018
Interest Income	17867.69	17388.89
Other Income	2669.08	2792.36
Total Income	20536.77	20181.25
Interest Paid	12369.57	12888.13
Operating Expenses	4413.44	3589.94
Total Expenses	16783.01	16478.07
Operating Profit	3753.76	3703.18
Provisions & Contingencies	3698.77	9574.92
Net Profit/(Loss) for the Year before Exceptional Item	**54.99**	**(5871.74)**
Less: Exceptional Item	0.00	0.00
Net Profit/(loss) for the year after Exceptional Item	**54.99**	**(5871.74)**
Add-Profit/(Loss) brought forward	(5871.74)	0.00
Add-Investment Reserve Account	0.00	0.00
Net Profit/ (loss) available for appropriation	**(5816.75)**	**(5871.74)**
APPROPRIATION	**(5816.75)**	**(5871.74)**
Transferred to Statutory Reserve	13.75	0.00
Transferred to Revenue and Other reserves	0.00	0.00
Transferred to Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961	0.00	0.00
Transferred to Capital Reserve	31.05	0.00
Transferred to Investment Reserve Account	0.00	0.00
Interim Dividend	0.00	0.00
Investment Fluctuation Reserve	10.19	0.00
Proposed Dividend	0.00	0.00
Tax on Dividend	0.00	0.00
Balance carried over to Balance Sheet	(5871.74)	(5871.74)

*Figures in bracket () denote loss.

** The figures of the previous period/year have been regrouped/ rearranged, wherever considered necessary, to conform to current period/year's classification.

Board of Directors

During the year FY 2018-19, 14 meetings of Board of Directors, 12 meetings of Management Committee of Board and 12 meetings of Audit Committee of Board, were held. Sh. Himanshu Joshi was Executive Director of the Bank till the date of his superannuation i.e. upto 31st October 2018. Thereafter, Shri Vijay Dube and Shri Balakrishna Alse S were appointed in accordance with Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and they assumed charge as Executive Directors of the Bank on 01st November 2018 and 26th December

में पदभार ग्रहण किया। श्री एस. एम. नरसिम्हा स्वामी ने श्री एस. गणेश कुमार के स्थान 26 अप्रैल, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक के रूप कार्यभार ग्रहण किया। अग्रतर, श्रीमती माला श्रीवास्तव, अंशकालिक गैर-कार्यकारी निदेशक का कार्यकाल 24 अप्रैल, 2019 को समाप्त हुआ।

मण्डल/मण्डल की समितियों की चर्चा के दौरान और बैंक के निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बैंक के कारोबार संचालन में श्री हिमांशु जोशी, श्रीमती माला श्रीवास्तव और श्री एस. गणेश कुमार से प्राप्त अमूल्य मार्गदर्शन के लिए बैंक उनका आभारी है।

सांविधिक लेखापरीक्षा

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से मै. बी. सी. जैन एण्ड कंपनी, कानपुर, मै. एस. एन. धवन एण्ड कंपनी, एलएलपी, नई दिल्ली, मै. एस. पी. चोपड़ा एण्ड कंपनी, नई दिल्ली, मै. बत्रा दीपक एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संशोधित मत/प्रतिकूल टिप्पणी/ किसी मुद्दे पर जोर देने, यदि कोई हो, की प्रतिक्रिया में निदेशक मण्डल का स्पष्टीकरण/टिप्पणी

लागू नहीं

सचिवीय लेखापरीक्षा

सेबी के परिपत्र दिनांक 08 फरवरी, 2019 के साथ पठित सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 24(ए) के अनुसार, निदेशक मण्डल ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु सचिवीय लेखापरीक्षा का संचालन करने के लिए मै. अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों, यदि कोई हो, की प्रतिक्रिया में निदेशक मण्डल का स्पष्टीकरण/टिप्पणी

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मै. अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (ई), (एफ) और (एच) के अंतर्गत रिक्तियों के मद्देनजर सूचीबद्ध इकाइयों के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में की गई टिप्पणी के विषय में, यह कहा गया है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9 (3) के अनुसार, शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) द्वारा चुने गए तीन निदेशकों को छोड़कर मण्डल के सभी निदेशकों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किया जाता है। बैंक ने मौजूदा रिक्तियों के संबंध में निदेशकों को नामित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न पत्रों द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मण्डल में मौजूदा रिक्तियों की स्थिति भी मासिक आधार पर मंत्रालय को सूचित की जा रही है।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

बैंक का उद्देश्य पर्यावरण पर कारोबार के प्रभाव को कम करना, समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालना तथा उन एनजीओ या गैर-लाभकारी संस्थाओं, विकास एजेंसियों, संगठन आदि के साथ काम करना है, जो इन उद्देश्यों को अपनाते हैं। हमारा लक्ष्य दायित्वपूर्ण तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना, सामुदायिक परियोजनाओं के साथ काम करना तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने कर्मचारियों को प्रेरित एवं शिक्षित करना है। स्टाफ सदस्यों को प्रेरित किया जाता है कि वे अल्प-सुविधाप्राप्त वर्ग की

2018, respectively. Shri S.M. Narasimha Swamy recently joined the Bank as RBI Nominee Director in place of Shri S. Ganesh Kumar w.e.f. 26th April 2019. Further, Smt. Mala Srivastava, Part-Time Non-Official Director of the Bank laid down office on 24th April 2019 on completion of her tenure.

The Bank places on record its appreciation for the guidance received from Shri Himanshu Joshi, Smt. Mala Srivastava and Shri S. Ganesh Kumar during deliberations of the Board/Committees of the Board and also in the conduct of the Bank's business during their tenure of office as Directors of the Bank.

Statutory Audit

During the year, the Bank has with the approval of the Reserve Bank of India appointed M/s B C Jain & Co., Kanpur; M/s S N Dhawan & Co. LLP, New Delhi; M/s S.P. Chopra & Co., New Delhi; M/s Batra Deepak & Associates, New Delhi as Statutory Central Auditors of the Bank for FY 2018-19.

Explanations/Comments by the Board of Directors in response to Modified Opinion/Adverse Remarks/Emphasis of Matter, if any, in the Independent Auditors' Report

N.A.

Secretarial Audit

Pursuant to Regulation 24A of the SEBI Listing Regulations read with SEBI Circular dated 08th February 2019, the Board of Directors appointed M/s. Agarwal S. & Associates, Company Secretaries, as the Secretarial Auditor to conduct Secretarial Audit of the Bank for the financial year ended 31st March, 2019. The Secretarial Audit Report of the Bank is annexed to this Report.

Explanations/Comments by the Board of Directors in response to observation, if any, in the Secretarial Audit Report

In respect of observation made by M/s. Agarwal S. & Associates, Company Secretaries in the Secretarial Audit Report for FY 2018-19 w.r.t. the composition of the Board of Directors of the listed entity in view of vacancies under section 9(3)(e),(f) & (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, it is stated that in terms of Section 9(3) of the aforesaid Act, all the directors on the Board are appointed /nominated by the Central Government other than three directors elected by the shareholders of the Bank (other than Central Government). The Bank has through various communications requested the Ministry of Finance, Govt. of India from time to time to nominate directors in respect of the existing vacancies. Further, the position of existing vacancies on the Board is also being apprised to the Ministry on monthly basis.

Corporate Social Responsibility

Bank's aim is to minimize the impact of business on the environment, have a positive effect on society and seek to work with other NGOs or non-profit charities, development agencies, organizations etc. who embrace these objectives. We aim to use natural resources responsibly, work with community projects and encourage and educate our employees in these goals. Staff members are encouraged to make contributions by understanding the aspirations

आवश्यकताओं को समझते हुए अपना योगदान दें तथा निर्विवाद सामाजिक तथा विकास अभावों को दूर करने के लिए उपाय करें। सामुदायिक सेवा के अंतर्गत बैंक द्वारा समाज के वंचित एवं अल्प-सुविधा प्राप्त वर्गों के जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग दोनों क्षेत्रों में विविध कल्याणपरक और सामजिक गतिविधियां की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बैंक द्वारा की गई मुख्य सीएसआर गतिविधियां

बैंक विभिन्न सीएसआर गतिविधियों चलाता रहता है, जिनमें स्वरोजगार उत्पन्न करने वाली गतिविधियों आदि के लिए आरसेटी में प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। सामुदायिक सेवाओं के अंतर्गत बैंक ने गरीब और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए एनजीओ को टाटा ऐस टेम्पो की भी मंजूरी दी है।

निदेशकों का दायित्व कथन

- निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखे तैयार करने में:
- महत्वपूर्ण परिवर्तनों, यदि कोई हों, के संबंध में लागू लेखा मानकों को उपयुक्त स्पष्टीकरण के साथ अपनाया गया है,
- भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियां निरंतर लागू की गईं,
- वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यों तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि का सही एवं स्पष्ट चित्र सामने आ सके, इसके लिए तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए,
- बैंक में आस्तियों की अभिरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने व इनका पता लगाने के लिए भारत में बैंकों पर लागू विधि के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने के लिए सम्यक एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई,
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए तथा ये पर्याप्त थे एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं,
- बैंक पर लागू सभी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां मौजूद और पर्याप्त थीं तथा ये प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं,
- लेखे कार्यशील संस्था आधार पर तैयार किए गए हैं।

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा अन्य सरकारी एवं नियामक एजेंसियों का उनके द्वारा बैंक को वर्ष के दौरान दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और सतत सहयोग के लिए धन्यवाद करता है। निदेशक मंडल अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों, सम्मानित हितधारकों का उनके संरक्षण तथा बैंक के प्रति दर्शाए गए उनके विश्वास के लिए आभार प्रकट करता है और बैंक के सर्वांगीण विकास, प्रगति और समृद्धि में स्टाफ सदस्यों की सहभागिता और समर्पण की भी सराहना करता है।

मंडल के लिए और उनकी ओर से

(मुकेश कुमार जैन)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः गुरूग्राम
दिनांकः 13 मई, 2019

of underprivileged sections and endeavoring to evolve measures to remove indisputable social and development lacunae. Under the community service various welfare and social activities are undertaken by the Bank both in Banking and non-Banking areas to raise the quality of life of the downtrodden and under privileged sections of the society.

CSR initiatives undertaken by the Bank in FY 2018-19

The Bank undertakes various CSR activities on an ongoing basis which includes training programs at RSETIS for self employment generating activities etc. Bank has also sanctioned TATA ACE TEMPO as a part of community services to NGO for providing assistance to poor and needy.

Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that, in preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2019:

- the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any,
- the accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied,
- reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of financial year and of the profit and loss of the Bank for the year ended on 31st March, 2019,
- proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- Internal financial controls were laid down and these were adequate and operating effectively
- Proper systems were in place to ensure compliance of all laws applicable to the Bank and these were adequate and operating effectively
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

Acknowledgments

The Board of Directors expresses its gratitude to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchanges Board of India (SEBI) and other Government & Regulatory Agencies for their valuable guidance and continued support provided to the Bank throughout the year. The Board of Directors are also grateful to the valued customers, esteemed stakeholders and also wish to place on record its great appreciation of the staff members for their involvement and dedication in the overall development, growth and prosperity of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

(Mukesh Kumar Jain)
Managing Director & CEO

Place: Gurugram
Date: 13th May 2019

अनुसचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु
[भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनयम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्य

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

हमने **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स** (अब से सूचीबद्ध इकाई कहा जाएगा) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों तथा उत्तम कॉरपोरेट व्यवहार की पालना के अनुपालन की अनुसचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित की। अनुसचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से आयोजित की गई, जिससे हमें कॉरपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन हेतु पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ तथा हम उस पर अपना अभिमत प्रकट कर पाए।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स की बहियों, प्रलेखों, मिनट बुक्स, फार्मों तथा दायर विवरणियों तथा सूचीबद्ध इकाई द्वारा तैयार अन्य रिकार्डों की जांच के आधार पर तथा अनुसचिवीय लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमतानुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने नीचे दिए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि सूचीबद्ध इकाई के पास पर्याप्त उपयुक्त मंडल-प्रक्रिया तथा अनुपालन-तंत्र है, जो इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अध्यधीन है :

हमने बहियों, प्रलेखों, मिनट मुक्स, फार्मों तथा दायर विवरणियों एवं 31 मार्च, 2109 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स** ("सूचीबद्ध इकाई") द्वारा तैयार अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुरूप कर ली है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम; यथालागू सीमा तक

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956('एससीआरए') तथा उसके अधीन बनाए गए नियम

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा विनियम और उसके अधीन बनाए गए उप-नियम

(iv) विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम एवं विनियम; लागू नहीं

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश:-

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018;

SECRETARIAL AUDIT REPORT

For the financial year ended 31st March, 2019
[Pursuant to Regulation 24A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure requirements) Regulations, 2015]

To,

The Members,

Oriental Bank of Commerce.

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Oriental Bank of Commerce** (hereinafter called the listed entity). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the **Oriental Bank of Commerce** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the listed entity and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the listed entity has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2019 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the listed entity has proper Board- processes and Compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by **Oriental Bank of Commerce** ("the listed entity") for the financial year ended on 31st March, 2019 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under; ***to the extent Applicable***

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; ***Not Applicable***

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): -

(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011;

(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (डेब्ट प्रतिभूतियों का निर्गमन तथा सूचीकरण) विनियम, 2008; **लागू नहीं**

(ङ) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ संव्यवहार के सबंध में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गमन तथा शेयर अंतरण एजेंट के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियम, 2009; **लागू नहीं**

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 2018; **लागू नहीं**

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार तथा प्रतिभागी) विनियम, 2018; तथा

(झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

(vi) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980;

(vii) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980;

(viii) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998

हमने निम्नलिखित यथालागू खंडों के अनुपालन का भी परीक्षण किया है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक। लागू नहीं

(ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यता तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015

आलोच्य अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने निम्नलिखित अभिमत के अध्यधीन, ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है :

(क) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) के संदर्भ में सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल के संयोजन में धारा 9(3)(ई),(एफ) तथा (एच) के अंतर्गत रिक्तियां है ।

हम अग्रतर रिपोर्ट करते हैं कि

सूचीबद्ध इकाई का निदेशक मंडल बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) के अनुसार गठित की जाएगी । आलोच्य अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तनों को यथालागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है ।

सामान्यतया, मंडल की बैठकों के कार्यक्रम, एजेंडा तथा एजेंडा पर विस्तृत नोट्स और बैठक से पूर्व एजेंडा मदों पर आगामी जानकारी व स्पष्टीकरण हेतु मौजूदा प्रणाली और बैठक में अर्थपूर्ण प्रतिभागिता हेतु निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है ।

(d) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; ***Not Applicable***

(e) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;

(f) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; ***Not Applicable***

(g) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; ***Not Applicable***

(h) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018; and

(i) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014.

(vi) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980;

(vii) Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980;

(viii) Oriental Bank of Commerce (Shares & Meetings) Regulations, 1998.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India. ***Not Applicable***

(ii) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure requirements) Regulations, 2015.

During the period under review the listed entity has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observation:

(a) *Section 9 (3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 w.r.t. the composition of the Board of Directors of the listed entity in view of vacancies under section 9(3)(e),(f) & (h).*

We further report that

The Board of Directors of the listed entity shall be constituted as per Section 9 (3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the applicable laws.

Generally, adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

अधिकांश निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं और असहमत सदस्यों के विचार कार्यवृत्त के अंश के रूप में रिकार्ड किए जाते हैं ।

हम अग्रतर रिपोर्ट करते हैं कि सूचीबद्ध इकाई में यथालागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा निगरानी करने के लिए सूचीबद्ध इकाई के आकार एवं परिचालन से अनुरूप पर्याप्त पद्धति एवं प्रणालियां हैं ।

हम अग्रतर रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने :

(क) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स कर्मचारी शेयर खरीद योजना (ओबीसी-ईएसपीएस) के अंतर्गत किए गए प्रस्ताव की स्वीकारोक्ति के अनुसरण में रु.71.76/- प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर रु.10/- प्रति शेयर के 2,61,31,493 इक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए ।

(ख) 14.02.2019 को भारत सरकार को अधिमानी आधार पर रु.96.10/- प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर रु.10/- प्रति शेयर के 57,23,20,499 इक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए ।

(ग) 26.03.2019 को भारत सरकार को अधिमानी आधार पर रु.85.33/- प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर रु.10/- प्रति शेयर के 13,89,89,804 इक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए ।

कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सीएस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस 5774
सीपी 5910

दिनांक : 10.05.2019
स्थान : नई दिल्ली

यह रिपोर्ट समसंख्यक तिथि के हमारे पत्र के साथ पढ़ी जाए जो "अनुबंध ए" के रूप में संलग्न तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है ।

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the listed entity commensurate with the size and operations of the listed entity to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period the listed entity has:

(a) Issued and allotted 2,61,31,493 Equity Shares of Rs. 10/- each at an Issue Price of Rs. 71.76/- each pursuant to the acceptance of Offer made under Oriental Bank of Commerce Employee Share Purchase Scheme (OBC - ESPS).

(b) Issued and allotted 57,23,20,499 Equity Shares of Rs. 10/- each at an issue price of Rs. 96.10/- each on preferential basis to the Government of India on14.02.2019.

(c) Issued and allotted 13,89,89,804 Equity Shares of Rs. 10/- each at an issue price of Rs. 85.33/- each on preferential basis to the Government of India on 26.03.2019.

For Agarwal S. & Associates
Company Secretaries

CS Sachin Agarwal
Partner
FCS 5774
COP 5910

Date: 10.05.2019
Place: New Delhi

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as "Annexure A" and forms an integral part of this report.

"अनुबंध ए"

सेवा में,
सदस्य
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए ।

1. अनुसचिवीय रिकॉर्ड्स के रख-रखाव का दायित्व सूचीबद्ध इकाई के प्रबंधन वर्ग का है । हमारा दायित्व लेखापरीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड्स के निरीक्षण के आधार पर, इन अनुसचिवीय रिकॉर्ड्स पर अपना अभिमत प्रकट करना है ।
2. हमने, अनुसचिवीय रिकॉर्ड्स की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए समुचित लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का अनुपलान किया है । परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अनुसचिवीय रिकॉर्ड्स में वास्तविक तथ्य दिए गए हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं ने हमारे अभिमत के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध कराया है।
3. हमने, सूचीबद्ध इकाई के वित्तीय रिकॉर्ड्स तथा लेखा बहियों की सत्यता एवं सुसंगतता का सत्यापन नहीं किया है (तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा पहले से दिए गए अभिमतों / टिप्पणियों / कमजोरियों को हमारी रिपोर्ट कवर नहीं कर रही है) ।
4. जहां कहीं आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों तथा विनियमों और घटित घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का स्पष्टीकरण लिया है।
5. कॉरपोरेट तथा अन्य यथालागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है । हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तथा हमारे अभिमत तक सीमित थी कि क्या कंपनी में समुचित मंडल-प्रक्रिया तथा अनुपालन-तंत्र है या नहीं।
6. अनुसचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो सूचीबद्ध इकाई की भविष्यगत व्यवहार्यता अथवा उस प्रभावकारिता और प्रभावशीलता का आश्वसान देती है जिससे प्रबंधन वर्ग ने बैंक के कार्यकलापों को सम्पन्न किया है।
7. अनुसचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को विनियम 15 के परंतुक के साथ पढ़ा जाए – अन्य सूचीबद्ध इकाइयों के लिए जो कंपनियां नहीं हैं, परंतु निगमित निकाय या अन्य कानून के तहत विनियमों के अधीन हैं, विनियम 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तथा विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) तक तथा अनुसूची v के पैरा सी, डी और ई में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन के प्रावधान उस सीमा तक लागू होंगे कि वे संबंधित कानूनों तथा संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों या निर्देशों का उल्लंघन न करे ।

कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सीएस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस 5774
सीपी 5910

दिनांक : 10.05.2019
स्थान : नई दिल्ली

"Annexure A"

To,
The Members,
Oriental Bank of Commerce
Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the listed entity. Our Responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our inspection of records produced before us for audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the listed entity (and our report is not covering observations/ comments/ weaknesses already pointed out by the other Auditors).
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulation and happening of events etc.
5. The Compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards are the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis and to give our opinion whether Company has proper Board-processes and Compliance-mechanism in place or not.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to future viability of the listed entity or of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.
7. The Secretarial Audit Report is to be read along with proviso to Regulation 15 - for other listed entities which are not companies, but body corporate or are subject to regulations under other statues, the provisions of corporate governance as specified in regulation 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27 and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of regulation 46 and para C, D and E of Schedule V shall apply to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

For Agarwal S. & Associates
Company Secretaries

CS Sachin Agarwal
Partner
FCS 5774
CP 5910

Date: 10.05.2019
Place: New Delhi

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

भाग क- समष्टि - आर्थिक परिदृश्य

1. सकल घरेलू उत्पाद

वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर (अनंतिम अनुमान के अनुसार) निम्नानुसार दी गई है:-

जीडीपी वृद्धि दर		
	स्थिर मूल्य (2011-12)	वर्तमान मूल्य
वार्षिक 2018-19 (द्वितीय अग्रिम)	6.8%	11.2%
प्रथम तिमाही 2018-19	8.0%	12.6%
द्वितीय तिमाही 2018-19	7.0%	12.0%
तृतीय तिमाही 2018-19	6.6%	11.0%
चतुर्थ तिमाही 2018-19	5.8%	9.4%

2. औद्योगिक उत्पादन

मार्च 2019 माह के लिए सामान्य सूचकांक 140.2 पर रहा, जो कि मार्च 2018 माह के स्तर के मुकाबले 0.1% कम है। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-मार्च 2018-19 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि 3.6% रही है।

3. आठ महत्वपूर्ण उद्योग

आठ महत्वपूर्ण उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल मदों का योगदान लगभग 40% है। आठ महत्वपूर्ण उद्योगों का संयुक्त सूचकांक, मार्च, 2019 में 145.0 रहा, जो कि मार्च, 2018 के सूचकांक की तुलना में 4.7% अधिक है। अप्रैल से मार्च, 2018-19 के दौरान इनकी संचयी वृद्धि दर 4.3% रही।

4. थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति

मासिक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मार्च, 2019 की वार्षिक मुद्रास्फीति दर 3.18% (अनंतिम) रही, जबकि पिछले माह में यह 2.93% और पिछले वर्ष के आलोच्य माह के दौरान 2.74% थी। सीपीआई (सामान्य) पर आधारित भारतीय मुद्रास्फीति की दर, मार्च,2019 के महीने में 2.86% (अनंतिम) थी, यह पिछले महीने 2.57% (अनंतिम) और पिछले वर्ष के इसी महीने में 4.28% थी।

5. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि

कुल विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 29 मार्च 2019 को 411.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर आंकी गई और इसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 12.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी दर्ज की गई। कुल आरक्षित निधि में, विदेशी मुद्रा आस्तियां 384.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई और इनमें 15.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी दर्ज की गई।

6. मुद्रा आपूर्ति

29 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, मुद्रा आपूर्ति (एम3) ₹1,39,625.9 बिलियन थी तथा इसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 में 10.6% (₹14,798.9 बिलियन) की वृद्धि हुई। वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋणों में 2018-19 के दौरान 12.6% (₹11,647.3 बिलियन) की वृद्धि हुई। सरकार को दिए गए निवल बैंक ऋणों में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 4301.8 बिलियन (10.8%) की वृद्धि हुई। बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 536.1 बिलियन (1.8%) की वृद्धि हुई।

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

PART A - MACRO–ECONOMIC SCENARIO

1. GROSS DOMESTIC PRODUCT

GDP Growth rates (As per provisional estimate) for 2018-19 and Q1, Q2, Q3 & Q4 of 2018-19 are as given below:-

GDP Growth Rate		
	Constant Prices (2011-12)	Current Prices
Annual 2018-19 (Second Advance)	6.8%	11.2%
Q1 2018-19	8.0%	12.6%
Q2 2018-19	7.0%	12.0%
Q3 2018-19	6.6%	11.0%
Q4 2018-19	5.8%	9.4%

2. INDUSTRIAL PRODUCTION

The General Index for the month of March 2019 stands at 140.2, which is 0.1% lower as compared to the level in the month of March 2018. The cumulative growth for the period April- March 2018-19 over the corresponding period of the previous year stands at 3.6%.

3. EIGHT CORE INDUSTRIES

Eight core industries comprise nearly 40% of the weight of items included in the Index of Industrial Production (IIP). The combined Index of Eight Core Industries stands at 145.0 in March 2019, which was 4.7% higher compared to the index of March 2018. Its cumulative growth during April to March, 2018-19 was 4.3%.

4. WPI & CPI INFLATION

The annual rate of inflation, based on monthly WPI, stood at 3.18% (provisional) for the month of March 2019 as compared to 2.93% for the previous month and 2.74% during the corresponding month of the previous year. The all India inflation rate, based on CPI (General), stood at 2.86% (provisional) for the month of March 2019 as compared to 2.57% (provisional) for the previous month and 4.28% during the corresponding month of the previous year.

5. FOREX RESERVES

Total Foreign exchange reserves as on March 29, 2019 were valued at US$ 411.91 Billion and recorded a decline of US$ 12.64 Billion during the fiscal 2018-19. Out of the total reserves, foreign currency assets were valued at US$ 384.05 Billion and have shown a decline of US $ 15.39 Billion.

6. MONEY SUPPLY

As on March 29, 2019 Money supply (M3) was of the order of ₹1,39,625.9 Billion and has increased by 10.6% (₹14,798.9 Billion) in FY 2018-19. Bank credit to the commercial sector increased by 12.6% (₹11,647.3) in 2018-19. Net bank credit to Government increased by ₹4,301.8 Billion (10.8%) during FY 2018-19. The net foreign exchange assets of the Banking sector increased by ₹536.1 Billion (1.8%) during 2018-19.

7. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) कारोबार

i. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियां

29 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियां ₹12,572.6 बिलियन रहीं तथा इनमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 10.0% की वृद्धि हुई।

ii. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंक ऋण

29 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए बैंक ऋण ₹97,674.3 बिलियन रहे और इनमें वर्ष-दर-वर्ष 13.2% की वृद्धि हुई। बैंकिंग उद्योग का ऋण-जमा अनुपात दिनांक 29.03.2019 को 77.69% रहा।

iii. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

29 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल निवेश ₹33,803.5 बिलियन रहा और इनमें 1.9%की वृद्धि हुई। 29.03.2019 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का निवेश-जमा अनुपात 26.89% रहा।

भाग ख - बैंक का कार्यनिष्पादन

1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए ऋण का क्षेत्रवार नियोजन

बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिम ₹2535.95 करोड़ की वृद्धि के साथ मार्च, 2018 के ₹ 66096.04 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2019 में ₹ 68631.99 करोड़ हो गए और इनमें 3.84% की औसत वृद्धि दर्ज की गई । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम निर्धारित 40% की तुलना में बैंक के समायोजित निवल बैंक ऋणों (एएनबीसी) का 40.32% रहे। चार तिमाहियों के औसत के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विभिन्न खंडों के अंतर्गत अग्रिमों की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	31 मार्च 2018 (लेखापरीक्षित)	2017-18 औसत आधार पर	2018-19 औसत आधार पर
1.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण	73101	*66096.04	68631.99
2.	कृषि	32309	29494.70	28023.74
3.	एमएसएमई	28861	25737.59	30107.01
4.	शिक्षा ऋण	968.72	1029.50	1065.89
5.	आवास ऋण	6884.73	7722.76.	8381.25
6.	अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	40.94	2111.49	1021.21

* 31 मार्च, 2019 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के आंकड़ों में ₹9000 करोड़ के पीएसएलसी शामिल हैं, जिनमें ₹ 5000 करोड़ कृषि तथा ₹2700 करोड़ लघु एवं सीमान्त किसानों को ऋण शामिल हैं। आरआईडीएफ के ₹ 4069.02 करोड़ भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल हैं, जिनमें से ₹ 2549.93 करोड़ कृषि क्षेत्र के ऋण शामिल हैं।

1.1 कृषि अग्रिम

कृषि खंड के अग्रिम ₹1470.96 करोड़ की कमी के साथ 31 मार्च, 2018 के ₹ 29494.70 करोड़ से घटकर 31 मार्च, 2019 को ₹ 28023.74 करोड़ हो गए और इनमें 4.99% की औसत कमी दर्ज की गई। कृषि ऋण निर्धारित 18% की तुलना में बैंक के समायोजित निवल बैंक ऋणों (एएनबीसी) के 16.48% रहे। छोटे एवं मझौले कृषि ऋण का अंश निर्धारित 8% की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋणों (एएनबीसी) का 7.91% होकर ₹ 13467.67 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कृषि क्षेत्र को ₹ 9011.76 करोड़ के नए ऋण संवितरित किए गए।

7. SCHEDULED COMMERCIAL BANKS (SCBs) BUSINESS

i. Aggregate Deposits of Scheduled commercial Banks

Aggregate Deposits of SCBs as on 29.03.2019 were of the order of ₹12,572.6 Billion and have increased by 10.0% on Y-o-Y basis.

ii. Bank credit of scheduled Commercial banks

Bank credit of SCBs as on 29.03.2019 were of the order of ₹97,674.3 Billion and have increased by 13.2% on Y-o-Y basis. The Credit – Deposit ratio of the Banking System stood at 77.69% as on 29.03.2019.

iii. Investments of Scheduled Commercial Banks

Total Investments of Scheduled Commercial Banks as on 29.03.2019 stood at ₹33,803.5 Billion and have increased by 1.9%. The Investment - Deposit ratio of SCBs as on 29.03.2019 stood at 26.89%.

PART B – PERFORMANCE OF THE BANK

1. SECTORAL DEPLOYMENT OF CREDIT TO PRIORITY SECTOR

Bank's advances to Priority Sector increased by ₹ 2535.95 crore from ₹ 66096.04 crore as on 31st March 2018 to ₹ 68631.99 crore as on March 2019 registering a growth of 3.84% on average basis. The Priority Sector Advances constituted 40.32% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the stipulation of 40%. The comparative position of advances of various segments under Priority Sector during F.Y. 2017-18 and 2018-19 on the basis of average of four quarters is as follows:

(Amount ₹ in crore)

Sr. No.	Sectors	31 March 2018 (Audited)	2017-18 on average basis	2018-19 on average basis
1.	Priority sector credit	73101	*66096.04	68631.99
2.	Agriculture	32309	29494.70	28023.74
3.	MSME	28861	25737.59	30107.01
4.	Educational Loan	968.72	1029.50	1065.89
5.	Housing Loan	6884.73	7722.76.	8381.25
6.	Other P.S.	40.94	2111.49	1021.21

* Figures of Priority Sector as on 31.03.2019 include PSLC of ₹ 9000 crore out of which ₹ 5000 crore is included in Agriculture and ₹ 2700 crore in Small & Marginal farmer. RIDF of ₹ 4069.02 crore is also included in PS, out of which ₹ 2549.93 crore is included in Agriculture.

1.1 Agriculture Advances

The advances to Agriculture segment decreased by ₹1470.96 crore, from ₹ 29494.70 crore as on 31.3.2018 to ₹ 28023.74 crore as on 31.3.2019, registering a decline of 4.99% on average basis. The Agriculture advances constituted 16.48% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the stipulation of 18%. The share of Small and Marginal farmers stood at ₹13467.67 crores as on 31.03.2019, which constituted 7.91% of ANBC on average basis, against the stipulated norms of 8% of ANBC. During the financial year 2018-19, fresh flow of credit to Agriculture sector amounted to ₹ 9011.76 crore.

1.2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्‌यम (एमएसएमई)

मार्च, 2019 के अंत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में बैंक का एक्सपोज़र 31 मार्च, 2018 के ₹ 25737.59 करोड की तुलना में ₹ 30107.01 करोड़ रहा। सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को ऋण निर्धारित 7.50% की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋणों (एएनबीसी) का 7.68% होकर ₹13080 करोड़ रहा।

1.3. ओरियन्टल ग्रीन कार्ड (ओजीसी) एवं ओरियन्टल किसान गोल्ड कार्ड (ओकेजीसी)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक द्वारा किसानों को फसल उत्पादन, कृषि मशीनरी एवं संयंत्रों की मरम्मत हेतु ऋण आवश्यकता को पूरा करने, संबंद्ध क्रियाकलापों हेतु कार्यशील पूंजी, गैर-संस्थागत ऋण प्रदाताओं से लिए गए पुराने कर्जों को चुकाने व उपभोग संबंधी आवश्यकताओं के लिए 35921 कार्ड जारी किए गए। वर्ष के दौरान, इन कार्डों के जरिए ₹ 736.32 करोड़ के ऋण संवितरित किए गए।

1.4. कमजोर वर्ग को अग्रिम

कमजोर वर्गों, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, ग्रामीण शिल्पकार, सरकार द्वारा समर्थित योजनाओं (पीएमईजीपी को छोड़कर) के लाभार्थी शामिल हैं, को दिए गए अग्रिम 31 मार्च, 2018 के ₹ 18080.54 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2019 को ₹ 17866.08 करोड़ रहे। एएनबीसी के निर्धारित 10% के मानक की तुलना में कमजोर वर्ग को अग्रिम का प्रतिशत 10.50% रहा (31 मार्च, 2019 के कमजोर वर्ग को ऋण के आंकड़ों में लघु एवं सीमान्त किसानों के पीएसएलसी की ₹ 2700 करोड़ की राशि शामिल है)।

1.5 प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

प्रधान मंत्री जन-धन योजना के अन्तर्गत हुई प्रगति निम्नानुसार हैः

(राशि ₹ लाख में)

क्रम सं.	मानदण्ड	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
1	खोले गए खातों की संख्या	42.44	48.83
2	जारी किए गए रुपे कार्ड	37.90	40.82
3	जारी रुपे कार्ड का प्रतिशत	89.30%	83.59%
4	शून्य शेष वाले खाते	4.31	4.69
5	शून्य शेष वाले खातों का प्रतिशत	10.16%	9.60%
6	जारी पासबुकों की संख्या	40.13	45.68
7	जारी पासबुकों का प्रतिशत	94.55%	93.55%
8	आधार संख्या के साथ खोले गए खाते	32.07	38.09
9	आधार सीडिंग वाले खातों का प्रतिशत	75.57%	78.00%
10	खातों में जमा की गई राशि	₹440596.63	₹401274.00

1.6 प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

ऋण से वंचितों को ऋण देने के लिए **विनिर्माण, ट्रेडिंग एवं सेवा क्षेत्र के गैर-कृषि उद्‌यमों को सामान्य वित्तीय प्रणाली में लाने** और ₹ 10.00 लाख तक के आसान ऋण उपलब्ध कराने हेतु 08 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की गई । बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 2900 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹ 2990.20 करोड़ के ऋण संवितरण किए गए।

1.2. Micro, Small & Medium Enterprises (MSME)

Bank's exposure to Micro, Small & Medium Enterprises stood at ₹ 30107.01 crore at the end of March 2019 as against ₹ 25737.59 crore as on 31.03.2018. The Micro Enterprises sector advances stood at ₹ 13080 crore which is 7.68% of ANBC on average basis, against the stipulated norms of 7.50%.

1.3. Oriental Green Card (OGC) & Oriental Kisan Gold Card (OKGC)

During the Financial Year 2018-19, Bank has issued 35921 cards to farmers to meet their credit requirement for crop production, repairing of agricultural machinery and equipment, working capital for allied activities, to repay their old debts taken from non institutional money lenders and consumption needs. The total amount of loan sanctioned through these cards during the year was ₹ 736.32 crore.

1.4. Advances to Weaker Sections

Advances to weaker sections, consisting of beneficiaries belonging to scheduled castes/scheduled tribes, small and marginal farmers, landless labourers, rural artisans, beneficiaries under Govt. Sponsored schemes (except PMEGP) are ₹ 17866.08 crore as on 31.03.2019 against ₹ 18080.54 crore as on 31.03.2018. The percentage of advances to weaker sections is 10.50 % of ANBC on average basis, against stipulated norm of 10%. (Amount of PSLC of Small & Marginal farmer ₹2700 crore is added in figure of Weaker Section as on 31.03.2019)

1.5 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

The progress under PMJDY is as under:

(Figures ₹ in lacs)

SN	Parameters	As on 31.03.2018	As on 31.03.2019
1	No. of accounts opened	42.44	48.83
2	RuPay card issued	37.90	40.82
3	Percentage of RuPay card issued	89.30%	83.59%
4	Accounts with zero balance	4.31	4.69
5	Percentage of Zero balance accounts	10.16%	9.60%
6	No. of Passbooks issued	40.13	45.68
7	Percentage of Passbooks issued	94.55%	93.55%
8	Accounts opened with Aadhaar numbers	32.07	38.09
9	Percentage of Aadhaar seeded accounts	75.57%	78.00%
10	Amount of deposit in accounts	₹440596.63	₹401274.00

1.6 Pradhan Mantri Mudra Yojna (PMMY)

PMMY was launched on April 08th, 2015 to fund the unfunded by bringing non-farm enterprises in Manufacturing, Trading and Services to the formal financial system and extending affordable credit up to ₹10 lakhs to them. As against the disbursement targets of ₹2900 crore, the Bank has disbursed ₹2990.20 crore during F.Y 2018-19.

1.7. सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं जैसे विभेदक ब्याज दर योजना(डीआरआई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(पीएमईजीपी), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(एनयूएलएम), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(एनआरएलएम) आदि को लागू कर रहा है जिनसे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है, इसमें अजा/ अजजा एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

1.8 राज्य स्तरीय बैंक समिति दायित्व

बैंक को नवंबर, 2011 से भारत सरकार द्वारा दिल्ली राज्य की राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक का दायित्व सौंपा गया है। दिल्ली राज्य की राज्य स्तरीय बैंकर समिति में 45 सदस्य बैंक हैं जिनमें सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक तथा सहकारी बैंकों सहित सभी प्रमुख बैंक शामिल हैं। राज्य स्तरीय बैंकर समिति, दिल्ली ने डीबीटी योजना, जो भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों को लागू करने के लिए बैंक वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/राज्य सरकार के विभागों/सदस्य बैंकों के साथ निकट समन्वय भी बनाए हुए है।

1.9 अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व

बैंक चार जिलों में अर्थात पंजाब में फिरोजपुर, राजस्थान में श्रीगंगानगर, हरियाणा में पलवल जिले और दिल्ली राज्य में उत्तर दिल्ली में अग्रणी बैंक का कार्य कर रहा है। अग्रणी जिले श्रीगंगानगर एवं उत्तरी दिल्ली में वार्षिक ऋण योजना में 100% से अधिक की उपलब्धि रही। अग्रणी जिला पलवल व फिरोजपुर की वार्षिक ऋण योजना में उपलब्धि 90% से अधिक रही।

1.10 ओबीसी ग्रामीण विकास न्यास

बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण देने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से ओरियन्टल बैंक ग्रामीण विकास न्यास (ओबीसी आरडीटी) नामक एक विशेष संस्थान की स्थापना की है। इस समय देहरादून, श्रीगंगानगर, जयपुर, फिरोजपुर और पलवल में पांच ओबीसीआरसेटी (ओबीसी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 137 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए और विभिन्न कार्यक्रमों में 3412 उम्मीदवार लाभान्वित हुए। समेकित रूप से इन केन्द्रों ने अपने आरंभ से 1160 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 30467 उम्मीदवार लाभान्वित हुए, स्थापना से अब तक इनकी सेटलमेंट दर 68.74% रही है।

2. रिटेल ऋण

रिटेल ऋण खंड निरंतर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। हमारे सभी रिटेल क्रेडिट उत्पाद, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप और प्रतिस्पर्धी हैं तथा इन्हें विशेषकर समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। 31 मार्च, 2018 के कुल अग्रिमों के 15.79% की तुलना में रिटेल ऋण पोर्टफोलियो 31 मार्च,2019 के अनुसार 19.32% है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रिटेल ऋण में (आईबीपीसी, अप्रत्यक्ष एवं समूह को छोड़कर) 33.72% की वृद्धि हुई है।

2.1 आवास ऋण

आवास ऋण में (आईबीपीसी को छोड़कर) वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 30.80% की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान 12490 खातों में ₹ 4535.88 करोड़ के नए आवास ऋण स्वीकृत किए गए।

1.7 Government sponsored schemes

The Bank is implementing various Government sponsored schemes such as Differential Rate of Interest (DRI), Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP), National Urban Livelihood Mission (NULM), National Rural Livelihood Mission (NRLM) etc., benefitting all sections of society with special focus on SC/ST and women.

1.8 State Level Bankers Committee Responsibility

The Bank has been bestowed with the assignment of Convener – State Level Bankers' Committee for Delhi State by the Government of India from November, 2011. There are 45 member banks of SLBC – Delhi State which include all prominent banks i.e. PSBs, Private Sector Banks and Cooperative Banks. SLBC Delhi has played important role in implementation of DBT scheme, a flagship program of Government of India. It has also closely co-ordinated with DFS, MoF, GoI/ RBI/ State Govt. departments/ Member Banks for implementation of Government and RBI directions.

1.9 Lead Bank Responsibility

Bank is performing the functions of Lead Bank in four Districts, namely, Ferozpur in Punjab, Sriganganagar in Rajasthan, Palwal in Haryana and North Delhi in Delhi state. There is more than 100% achievement under ACP by Lead District Sriganganagar and North Delhi. Lead District Palwal and Ferozpur achieved more than 90% under ACP.

1.10 OBC Rural Development Trust

Bank has set up a special purpose vehicle in the name of Oriental Bank Rural Development Trust (OBCRDT) for setting up Training Centres at various places across the country for imparting training for capacity building in rural areas. Presently, five OBCRSETIs (OBC Rural Self Employment Training Institutes) are functional at Dehradun, Sriganganagar, Jaipur, Ferozepur and Palwal. During the Financial Year 2018-19, a total of 137 Skill Development training programmes were conducted and 3412 candidates were benefitted under various programmes. Cumulatively these centers have conducted 1160 Skill Development training programmes since inception benefiting 30467 candidates, the settlement rate of trainees since inception is 68.74%.

2. RETAIL CREDIT

Retail Credit segment continues to be the thrust area of lending. All our Retail Credit products are customer friendly, competitive and specifically designed to suit all sections of the society. The Retail Credit Portfolio constitutes 19.32% of total advances as on 31.03.2019 as against 15.79% as on 31.03.2018. During FY 2018-19, Retail Credit (without IBPC, Indirect and pool) has shown a growth of 33.72%

2.1 Home Loan

The Home Loan portfolio (without IBPC) has shown a growth of 30.80% on YoY basis. During the year, fresh home loans of ₹4535.88 crore were sanctioned in 12490 accounts.

2.2 कार/वाहन ऋण

31 मार्च, 2019 को कार/वाहन ऋण ₹1879.46 करोड़ रहे। बैंक के आरएएम ऋण के अनुसार वाहन ऋण को पुनः समायोजित किया गया। वर्ष के दौरान 13541 खातों में ₹792.71 करोड़ के नए कार ऋण स्वीकृत किए गए।

2.3 शिक्षा ऋण

31 मार्च, 2019 को बैंक का शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो ₹1450.61 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान संबंधित शिक्षा ऋण खातों में ₹ 9.51 करोड़ की शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी जमा की गई।

2.4 अचल सम्पत्ति पर ऋण

अचल सम्पत्ति पर ऋणों में वर्ष-दर-वर्ष 40.20% की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान ₹823.80 करोड़ के नये ऋण स्वीकृत किए गए।

2.5 वैयक्तिक ऋण

वैयक्तिक ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 38.45% की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान 15531 खातों में ₹ 715.36 करोड़ के नए वैयक्तिक ऋण स्वीकृत किए गए।

रिटेल ऋण में वृद्धि हेतु, बैंक द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित नई पहल की गई : -

i. **<u>डीएसए की नियुक्तिः</u>** हमारे बैंक द्वारा आवास ऋण कारोबार में वृद्धि के लिए डीएसए (प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट) की नियुक्ति की पहल की गई है। बिल्डर, पेशेवर, सेवानिवृत्त स्टाफ डीएसए के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं।

ii. **<u>आवास ऋण योजना में संशोधनः</u>** आवास ऋण को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें निम्न संशोधन किए गए हैं।

- ऐसे उधारकर्ताओं के लिए जिनके सिबिल अंक 650 से अधिक हैं, 13 केन्द्रों पर प्लॉट खरीदने के लिए सीमा पात्र ऋण राशि की 70% तक बढ़ा दी गई है।

iii. **<u>वाहन ऋण योजना में संशोधनः</u>**

- 700 एवं अधिक सिबिल अंक वाले उधारकर्ताओं को 0.10% की रियायत दी गई है।

iv. **<u>वैयक्तिक ऋण योजना में संशोधनः</u>**

v. 700 एवं अधिक सिबिल अंक वाले उधारकर्ताओं को 0.25% की रियायत दी गई है।

3. तृतीय पक्ष उत्पाद

3.1 जीवन बीमा कारोबार (संयुक्त उद्यम)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने रिटेल/वैयक्तिक प्लेटफार्म पर रु.219 करोड़ के प्रथम प्रीमियम संग्रह के साथ 45128 पॉलिसियां बेचीं और ₹64.24 करोड़ का कमीशन अर्जित किया। इसके अतिरिक्त, बैंक ने रिटेल ऋणों हेतु सुरक्षित समूह योजना (जी.एस.एस) के अंतर्गत 8293 पॉलिसियां भी जुटाईं, जिससे ₹ 87.77 लाख का कमीशन प्राप्त हुआ।

3.2 सामान्य बीमा कारोबार

सामान्य बीमा कारोबार हेतु बैंक का चोलामण्डलम एमएस जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड (चोला एमएस) तथा द ओरियंटल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ कॉरपोरेट एजेंसी टाई अप है। सामान्य बीमा कारोबार के अंतर्गत बैंक ने ₹59.02 करोड़ का प्रीमियम जुटाते हुए ₹ 7.73 करोड़ का कमीशन अर्जित किया।

2.2 Car/Vehicle Loan

Car/ Vehicle loan stood at ₹1879.46 crore as on 31.03.2019. Vehicle Loan has been re-adjusted as per Bank's RAM credit. During the year fresh car loans of ₹792.71 crore were sanctioned in 13541 accounts.

2.3 Education Loan

Education Loan portfolio of the Bank stood at ₹1450.61 crore as on 31.03.2019. Education loan interest subsidy of Rs. 9.51 Crore has been credited in respective education loan accounts during the FY-2018-19.

2.4 Loan against Immovable Property

The YoY growth under Loan against Immovable Property is 40.20% During the year fresh loans of Rs. 823.80 crore were sanctioned.

2.5 Personal Loan

YoY growth in personal loan is 38.45%. During the year fresh personal loans of ₹715.36 crore were sanctioned in 15531 accounts.

For increasing retail credit, the Bank has taken the following new initiatives during the year:

I. **<u>Appointment of DSA:</u>** DSA (Direct Selling Agent) is an initiative taken by our vertical for growth in Home Loan business. Builders, professional, retired staff, can be appointed as a DSA.

II. **<u>Modification in Home Loan</u>:** Following amendments have been made in Home Loan Scheme to make it more attractive:

- In 13 centres,for purchase of plot limit has been increased upto 70% of eligible loan amount for borrowers having cibil score of more than 650.

III. **<u>Modification Vehicle Loan Scheme:</u>**

- Concession of 0.10% has been given to borrowers having cibil score of 700 and above.

IV. **<u>Modification Personal Loan Scheme:</u>**

V. Concession of 0.25% has been given to borrowers having CIBIL Score of 700 and above.

3. THIRD PARTY PRODUCTS

3.1 Life Insurance Business (JV)

During FY 2018-19, the Bank has sourced 45128 policies on retail/ Individual platform with First Premium Collection of ₹219 crore and has earned commission of ₹64.24 crore. Besides, the Bank has also sourced 8293 policies under Group Secure Scheme (GSS) for covering retail loans thereby earning commission of ₹87.77 Lacs.

3.2 General Insurance Business

Bank has a corporate agency tie up with Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd. (CholaMS) and The Oriental Insurance Company Ltd for General Insurance Business. In General Insurance Business, the Bank has collected a premium of ₹59.02 Crores, thereby earning a commission of ₹7.73 crore.

3.3 स्वास्थ्य बीमा कारोबार

बैंक चोलामण्डलम एमएस जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड (चोला एमएस) तथा द ओरियंटल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने 70992 मेडिक्लेम/हेल्थ पालिसियों की मार्केटिंग की एवं ₹67.76 करोड़ का प्रीमियम एकत्रित किया, जिससे ₹12.10 करोड़ का कमीशन अर्जित किया।

3.4 म्युचुअल फंड कारोबार

हमारा बैंक म्युचुअल फंड उत्पादों का वितरक है और इसका 7 आस्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ गठबंधन है। बैंक ने फिनटेक रोबो-एडवाइजरी फर्म, फिसडम के साथ भी टाई-अप किया है, जिनके माध्यम से ऑनलाइन म्युचुअल फंड भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने म्युचुअल फंड कारोबार से ₹40.88 लाख का कमीशन अर्जित किया है।

3.5 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स-एसबीआई क्रेडिट कार्ड

हमारे बैंक का को-ब्रैंडिड क्रेडिट कार्ड की मार्केटिंग हेतु 22 अक्तूबर, 2011 से एसबीआई काड्र्स के साथ समझौता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में, 4894 कार्ड जारी किए गए और बैंक ने इस कारोबार से ₹1.18 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।

3.6 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मई 2015 में प्रारंभ की गई इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत बैंक ने 45,52,070 लोगों का नामांकन किया है, जिनमें से पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई में क्रमशः 7,07,555 एवं 38,44,515 लोगों का नामांकन किया गया है।

4. सरकारी कारोबार

कर संग्रहणः बैंक ओल्टास सिस्टम के माध्यम से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर (उत्पाद कर और सेवा कर) के संग्रहण के लिए प्राधिकृत है। बैंक तमिलनाडु, सीमांध्रा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडीशा, मुंबई, गुजरात एवं उत्तराखंड राज्य में वाणिज्यिक करों (सरकारी राजस्व/सरकारी करों के ई-भुगतान) के संग्रह के लिए भी प्राधिकृत है ।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशनः बैंक का अपना 'केन्द्रीकृत पेंशन संसाधन केन्द्र' है जो केन्द्र सरकार सिविल, दूरसंचार, रेलवे, डाक तथा रक्षा पेंशनभोगियों को जीबीएम सिस्टम में पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से पेंशन संबंधी संवितरण करता है । बैंक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई में रह रहे अन्य राज्यों के पेंशन भोगियों को पेंशन वितरित करने के अतिरिक्त हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में संबंधित शाखाओं के माध्यम से राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन का संवितरण कर रहा है। इसके अतिरिक्त, बैंक स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन का वितरण भी कर रहा है।

लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए) और ई-किसान विकास पत्र (केवीपी): बैंक 1847 प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से पीपीफ,एससीएसएस, एसएसए तथा केवीपी कारोबार कर रहा है ।

राष्ट्रीय पेंशन योजना तथा एपीवाई: बैंक राष्ट्रीय पेंशन योजना तथा अटल पेंशन योजना के लिए पीएफआरडीए में भी पंजीकृत है ।

ई-स्टैम्पिंगः गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली तथा राजस्थान राज्यों में स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) के समन्वय से बैंक की नामित शाखाओं के माध्यम से ई-स्टैम्पिंग सेवाएं प्रदान की गई हैं ।

3.3 Health Insurance Business

Bank offers Health insurance products of Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd. (CholaMS) and The Oriental Insurance Company Ltd. During the FY 2018-19, the Bank has marketed 70992 Mediclaim/Health policies and has collected a premium of ₹67.76 crore thereby earning a commission of ₹12.10 crore.

3.4 Mutual Fund Business

Our Bank is a distributor for Mutual Fund products and has Tie Up with 7 Asset Management Companies. Bank has also tied-up with Fintech Robo-Advisory Firm, Fisdom, through which online Mutual Funds are also being made available. During the Financial year 2018-19, the Bank has earned a commission of ₹40.88 lacs from Mutual Fund Business.

3.5 Oriental Bank of Commerce-SBI Credit Cards

Our Bank has an arrangement with SBI Cards for marketing of Co-Branded credit cards since 22nd October 2011. In FY 2018-19, 4894 credit cards have been issued and the Bank has earned a commission of ₹1.18 crore through this business.

3.6 Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana(PMSBY)

Under these Social Security Schemes launched by the Hon'ble Prime Minister in May 2015, our Bank has enrolled a total of 45,52,070 persons with 7,07,555 & 38,44,515 enrolments under PMJJBY & PMSBY respectively.

4. GOVERNMENT BUSINESS

Collection of Taxes: The Bank is authorized for collection of Direct taxes and Indirect taxes (Excise Duty & Service Tax) through OLTAS system. Bank is also authorized for collection of Commercial Taxes (Govt. Revenue/ e-payment of Govt. Taxes) in the state of Tamil Nadu, Seemandhra, Rajasthan, West Bengal, Delhi, Maharashtra, Odisha, Mumbai, Gujarat and Uttarakhand.

Pension to Central Govt. / State Govt. Pensioners: The Bank has its own 'Centralized Pension Processing Centre' which handles pension related disbursements for Central Civil, Telecom, Railways, Postal and Defence Pensioners through Pension Module in the GBM system. The Bank is disbursing the pension to State Govt. Pensioners through respective branches in the States of Haryana, Punjab, Rajasthan, Chattisgarh and West Bengal besides disbursing pension to other State Govt. pensioners residing in Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. Further, the Bank is disbursing pension to Freedom Fighters under Swatantra Sainik Samman Pension Scheme.

Public Provident Fund (PPF), Senior Citizen Savings Scheme (SCSS), Sukanya Samriddhi Account (SSA) and E-Kisan Vikas Patra (KVP): The Bank is doing PPF, SCSS, SSA and KVP business through 1847 authorized Branches.

National Pension Scheme & APY: The Bank is also registered with PFRDA for National Pension Scheme and Atal Pension Yojana.

E-Stamping: E-Stamping services have been provided in the States of Gujarat, Karnataka, Delhi and Rajasthan through designated branches in the Bank in coordination with Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL).

5. ट्रेजरी परिचालन

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बैंक का गौण बाजार का टर्न ओवर ₹ 170654.45 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान राजकोषीय परिचालन से निवल लाभ ₹ 321.38 करोड़ रहा। बैंक ने ₹ 5,995.39 करोड़ की एसएलआर प्रतिभूतियों को एचटीएम से एएफ़एस में शिफ्ट किया और ₹ 86.05 करोड़ का मूल्यह्रास बुक करते हुए ₹ 4,703.23 करोड़ की एसएलआर प्रतिभूतियों को एएफ़एस से एचटीएम में शिफ्ट किया। ₹ 26.99 करोड़ की गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों को एचटीएम से एएफ़एस श्रेणी में शिफ्ट किया गया। बैंक का सकल निवेश 31 मार्च, 2018 के ₹ 70856.96 करोड़ से बढ़कर 31.03.2019 को ₹ 80505.59 करोड़ हो गया। 31.03.2019 की तुलना में 31.03.2018 को निवेश कम था। 31 मार्च, 2019 को निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि सरकारी प्रतिभूतियों में ₹ 2950.16 करोड़ के अधिक निवेश तथा पुनर्पूंजीकरण बॉण्डों में ₹ 6686.00 करोड़ के निवेश के कारण हुई।

6. विदेशी विनिमय कारोबार

राजकोषीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक का फॉरेक्स टर्नओवर ₹60,255.00 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु विदेशी कारोबार से कुल आय ₹57.00 करोड़ रही। विदेशी मुद्रा कारोबार करने के लिए बैंक की 82 अधिकृत डीलर शाखाएँ एवं 7 सीटीसी हब हैं। दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक का निर्यात ऋण ₹3,378 करोड़ रहा जबकि बैंक की अनिवासी जमाराशियां 31 मार्च, 2018 के ₹5,230 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2019 को ₹ 5,570 करोड़ रहीं और इस प्रकार गत वित्तीय वर्ष के मुक़ाबले 6.50% की वृद्धि दर्ज की। अनिवासी ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने तथा नया कारोबार प्राप्त करने के लिए बैंक ने शाखा कार्यालय पुणे को विशेषीकृत एनआरआई शाखा के रूप में अधिकृत किया है। कुशल एवं त्वरित ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और अमृतसर में विदेशी लेनदेन के लिए केन्द्रीकृत लेनदेन केन्द्रों (सीटीसी) की स्थापना की है।

7. मर्चेंट बैंकिंग

बैंक पंजीकृत श्रेणी-I का मर्चेंट बैंकर और एक स्थाई प्रमाणपत्र धारक है । बैंक, बैंकर टू इश्यू के रूप में भी स्थाई रुप से पंजीकृत है। स्व-पंजीकृत सिंडिकेट बैंक (एस.सी.एस.बी.) के रूप में कार्य करते हुए बैंक ने अपने ग्राहकों को ए.एस.बी.ए.(ब्लॉक की गई राशि द्वारा समर्थित आवेदन) सुविधा प्रदान की है। बैंक ने वर्ष के दौरान 51 आईपीओ/ डेब्ट/अधिकार निर्गम का कार्य किया है व 5 वाणिज्यिक पत्रों के इश्यू में अरेंजर के रुप में भी कार्य किया है।

8. वसूली

बैंक की सुपरिभाषित वसूली नीति है, जिसमें एनपीए प्रबंधन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। इसमें एनपीए प्रबंधन, निगरानी तथा अनुवर्ती उपायों, समझौता करार, सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने, डीआरटी एवं अन्य अदालतों के समक्ष वाद दायर करने, लोक अदालत आयोजित करने, वसूली/ प्रवर्तन एजेंटों की नियुक्ति, एआरसी को आस्तियों की बिक्री, इरादतन चूककर्ताओं की घोषणा करने से संबंधित सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वसूली कार्यनिष्पादन तथा एनपीए की स्थिति नीचे दी गई है:-

नकद वसूली ₹ 2234.78 करोड़ से बढ़कर ₹ 4262.08 करोड़ हो गई है, तकनीकी रुप से बट्टे खाते में डाले गये खातों में वसूली ₹ 263.69 करोड़ से बढ़कर ₹ 1061.97 करोड़ रही और अपग्रेडेशन ₹563.27 करोड़ से बढकर ₹763.61 करोड़ हो गए हैं।

5. TREASURY OPERATIONS

The Bank's secondary market turnover has been ₹170654.45 crore in FY 2018-19. The net profit from Treasury Operations has been ₹321.38 crore during FY 2018-19. The bank shifted SLR securities amounting to ₹5,995.39 crore from HTM to AFS. The bank also shifted SLR securities amounting to ₹4,703.23 Crore from AFS to HTM by booking depreciation of ₹86.05 crore. Non SLR securities amounting to ₹26.99 crore were shifted from HTM to AFS category. The aggregate investment of the Bank has increased to ₹80505.59 crore as on 31.03.2019 from ₹70856.96 crore as on 31.03.2018. The Investment as on 31.03.2018 was lower as compared to investment on 31.03.2019. The investment portfolio as on 31.03.2019 increased due to enhanced investment in Govt Securites by ₹2950.16 crore, and investment in recapitalization bond to extent of ₹6686.00 crore.

6. FOREIGN EXCHANGE BUSINESS

During the fiscal year 18-19, the Bank achieved Forex turnover of ₹60,255.00 crore. The total earnings from Foreign Exchange business for the financial year 2018-19 was ₹57.00 crore. Bank has 82 AD Branches & 7 CTC Hubs to handle Foreign Exchange Business. The Export Credit of the Bank stood at ₹3,378 crore as on 31st March 2019 while the Bank's Non Resident deposits stood at ₹5,570 crore as on 31st March 2019 as against ₹5,230 crore as on 31st March 2018, thereby registering a growth of 6.50% over the preceding financial year. Bank has authorized B/o Pune as specialized NRI branch to cater to the needs of nonresident and garnish the new business. To provide efficient and speedy Customer Service, Bank has opened Centralized Transaction Centres (CTC) for handling of Forex transactions at Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Kolkata, Chennai, Hyderabad and Amritsar.

7. MERCHANT BANKING

The Bank is a registered Category I Merchant Banker and holds permanent registration certificate. The Bank also holds permanent registration as Banker to an Issue. As a Self Certified Syndicate Bank (SCSB) it has made available ASBA (Application Supported by Blocked Amount) facility to its customers. During the year, the Bank handled 51 IPO/Debts/Rights issues and also acted as an Arranger in 5 issues of Commercial Paper.

8. RECOVERY

The Bank has well-defined Recovery Policy containing detailed guidelines for NPA Management. It encompasses all areas of NPA Management, Monitoring and follow-up measures, Compromise settlements, taking action under SARFAESI Act, Filing of recovery suit with DRTs and other courts of Law, organizing Lok Adalats, appointment of Recovery/Enforcement agents, Sale of assets to ARCs, declaring Wilful Defaulters.

The position of recovery performance and NPA for the F.Y.2018-19 in comparison with F.Y. 2017-18 is given as under:-

Cash Recovery has increased from ₹2234.78 crore to ₹4262.08 crore, Recovery in T.W.O. accounts has increased from ₹263.69 Crore to ₹1061.97 Crore and Up-gradation has increased from ₹563.27 crore to ₹763.61 crore

रिकॉर्डिड ब्याज में वसूली ₹99.65 करोड़ से बढकर ₹509.50 करोड़ हो गई।

सकल एनपीए ₹26133.64 करोड़ से घटकर ₹ 21717.07 करोड़ हो गया।

निवल एनपीए ₹ 14282.86 करोड़ से घटकर रु.9439.62 करोड़ हो गया।

बैंक का पीसीआर 64.07% से बढ़कर 75.84%हो गया है।

सकल एनपीए अनुपात 17.63% से घटकर 12.66% हो गया तथा निवल एनपीए अनुपात भी 10.48% से घटकर 5.93% हो गया।

9. जोखिम प्रबंधन

बैंक की अपेक्षित जोखिम प्रबंधन संरचना तथा प्रणाली है, जिसका भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, वित्त मंत्रालय आदि से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, समय-समय पर नियमित पुनरीक्षण और अद्यतन किया जाता है। बैंक में जोखिम प्रबंधन संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। इसमें मण्डल की सहायता बोर्ड की उप-समिति जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षण समिति (एससीडीआरएम) द्वारा की जाती है, जिसकी बैठकें तिमाही अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। बैंक में एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग है, जिसके प्रमुख मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) हैं। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) बैंक में जोखिम प्रबंधन के अनुप्रयोग के नेतृत्व, दिशा और समन्वय के लिए उत्तरदायी है और वह सुनिश्चित करता है कि जोखिमों के प्रबंधन के सिद्धांतों और आवश्यकताओं को पूरे बैंक में लगातार अपनाया जाता है।

कार्यपालक स्तर पर, पृथक समितियां बनी हैं जैसे; ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति तथा आस्ति देयता प्रबंधन समिति, जिनमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी तथा विभागों के कार्यपरक कार्यपालकगण, जो संबंधित कारोबार के जोखिम क्षेत्रों को देखते हैं, शामिल हैं। परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक कार्यकारी स्तरीय समिति है। सभी नीतियों की समीक्षा, अनुपालनों की प्रमाणीकरण, पोर्टफोलियो समीक्षा तथा बैंक के जोखिम नवोन्मेषों को लागू करने के लिए ये समितियां निर्धारित अवधि में बैठकें करती हैं।

बैंक में विभिन्न जोखिमों की पहचान, आकलन, प्रबंधन तथा उन्हें कम करने के लिए बैंक के पास मण्डल द्वारा अनुमोदित नीतियां हैं, जिनमें ऋण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता प्रबंधन, तरलता जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, प्रकटीकरण नीति, अनुपालन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप नीति, सीआरएआर नीति, प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम प्रबंधन नीति, सूचना सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा नीति, एकीकृत राजकोषीय नीति, देश जोखिम प्रबंधन नीति, तनाव परीक्षण नीति, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, ऋण एवं अग्रिमों हेतु प्रदत्त शक्तियों की दिशानिर्देश नीति, एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, वसूली नीति, कारोबार निरंतरता योजना एवं आपदा वसूली नीति, लेखा-परीक्षा नीति, केवाईसी एवं एएमएल नीति, ग्राहक सेवा नीति इत्यादि सम्मिलित हैं। विभिन्न जोखिमों को कवर करने वाले निहित जोखिम के विस्तृत आकलन और नियंत्रण मापदंडों को शामिल करते हुये जोखिम डैशबोर्ड को मण्डल के समक्ष एक जोखिम प्रोफाइलिंग टेम्पलेट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बैंक में जोखिम एपिटाइट फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क के आधार पर जोखिम एपिटाइट विवरण तैयार करके समय-समय पर विभिन्न समितियों के समक्ष सूचना एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

Recovery in Recorded Interest has increased from ₹99.65 crore to ₹509.50 Crore.

Gross NPA has declined from ₹26133.64 Crore to ₹21717.07 crore.

Net NPA has declined from ₹14282.86 crore to ₹9439.62 crore.

PCR of the Bank has increased from 64.07% to 75.84%.

Gross NPA ratio has decreased from 17.63% to 12.66% and Net NPA ratio has also decreased from 10.48% to 5.93%.

9. RISK MANAGEMENT

The Bank has put in place requisite Risk Management Architecture and Systems which are reviewed and updated regularly in the light of guidelines received from time to time from Reserve Bank of India, SEBI and Ministry of Finance etc. The Risk Management Function in the Bank is supervised and managed by the Board of Directors of the Bank. The Board is assisted in this through a Sub-Committee of the Board viz. Supervisory Committee of Directors on Risk Management (SCDRM) which meets at quarterly intervals. The Bank has an independent Risk Management Department which is headed by Chief Risk Officer (CRO). The Chief Risk Officer (CRO) is responsible for the leadership, direction and coordination of the application of risk management at the Bank and to ensure that the principles and requirements of managing risk are consistently adopted throughout the Bank.

At the Executive Level, separate committees viz. Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee and Asset Liability Management Committee have been formed comprising of MD&CEO, ED and executives of functional departments looking after the respective business risk area. Operational Risk Management Committee is an executive level committee headed by the Executive Director. These committees meet periodically to monitor all policies, validate compliances, undertake portfolio review and implement risk initiatives of the Bank.

The Bank has Board approved policies in place for identifying, assessing, managing and mitigating various risks in the Bank which includes Loan Policy, Credit Risk Management Policy, Asset Liability Management Policy, Liquidity Risk Management Policy, Market Risk Management Policy, Operational Risk Management Policy, Disclosure Policy, Compliance Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Policy for credit default swaps, CRAR policy, Reputational Risk Management Policy, Information security policy, Cyber security Policy, Integrated Treasury Policy, Country Risk Management Policy, Stress Testing Policy, Credit Risk Mitigations & Collateral Management Policy, Policy guidelines of Delegated Powers for loans &advances, Integrated Risk Management Policy, Recovery Policy, Business Continuity Plan & Disaster Recovery Policy, Audit Policies, KYC & AML Policy, Customer Service Policy etc. A Risk dashboard incorporating the detailed assessment of various risk covering inherent risk and control parameters is presented to the Board in the form of a Risk Profiling Template. Bank has put in place risk appetite framework. Based on the framework risk appetite statement is prepared and presented to various committees from time to time for information and necessary corrective actions.

बासेल-III का क्रियान्वयन

पिलर I:

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बासेल- III पूंजी विनियम के अनुसार बासेल-III अनुपालक है। बासेल-III के अंतर्गत पिलर-I प्रतिमानों के अनुसार बैंक ने ऋण, बाजार व परिचालन जोखिम के लिए 31.03.2019 की पूंजीगत आवश्यकताओं का परिकलन किया है। 31 मार्च, 2019 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) क्रमशः 10.875% और 8.875% की न्यूनतम नियामक अपेक्षा के मुकाबले क्रमश:12.73% एवं 9.98% रहा।

पिलर II :

पिलर-2 के अंतर्गत पर्यवेक्षी समीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) के एक भाग के रूप में बैंक के पास मंडल द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) संबंधी नीति है। यह नीति पिलर-1 के अंतर्गत शामिल न किए गए अन्य जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करने में बैंक की सहायता करती है। तदनुसार, आन्तरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) के अन्तर्गत पूंजी मूल्यांकन प्रक्रिया की वार्षिक समीक्षा की जाती है, ताकि पूंजी तथा जोखिम के साथ बैंक की कारोबार आयोजना, कारोबार कार्यनिष्पादन का एकीकरण किया जा सके।

पिलर III :

बासेल –III के पिलर-3 प्रतिमानों के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के भाग हैं और बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) तथा बाजार जोखिम प्रबंधन

बैंक द्वारा सभी प्रकार के बाजार जोखिमों, जैसे तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, इक्विटी जोखिम तथा विदेशी विनिमय जोखिम का समाधान, बैंक के मंडल द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट नीतियों, जैसे आस्ति देयता प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, तरलता जोखिम प्रबंधन नीति तथा एकीकृत राजकोषीय नीति द्वारा किया जाता है

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) एवं बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) का गठन किया है। अल्को को तरलता जोखिम प्रबंधन, निधिगत एवं पूंजीगत योजना, लाभ योजना एवं वृद्धि पूर्वानुमान के सक्रिय पर्यवेक्षण, जबकि एमआरएमसी को बाजार जोखिम प्रबंधन, ट्रेडिंग जोखिम प्रबंधन, बैंक के निवेश पोर्टफोलिओ की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है।

ऋण जोखिम प्रबंधन

बैंक ने, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) का गठन किया है जो आवधिक अंतरालों पर ऋण प्रशासन एवं निगरानी संबंधी नीतियों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों की समीक्षा करती है। बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया मण्डल द्वारा अनुमोदित विभिन्न नीतियों द्वारा परिभाषित है जैसे कि ऋण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण समीक्षा तंत्र नीति, ऋण निगरानी नीति, ऋण एवं अग्रिमों हेतु प्रदत्त शक्तियां, वसूली नीति इत्यादि।

ऋण जोखिम प्रबंधन विभिन्न स्तरों पर जोखिम को नियंत्रित करता है, जैसे ऋण प्रारंभीकरण, ऋण अनुमोदन, ऋण संवितरण तथा ऋण संवितरण के पश्चात्।

बैंक ने ऋण देने के लिए प्रवेश स्तर पर ही बाहरी और आंतरिक रेटिंग निर्धारित की है। बैंक जोखिम आधारित मूल्य-निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए बाहरी एवं आंतरिक रेटिंग से जुडी ट्रेडिंग के लिए जोखिम-अंकों का ध्यान भी रखता है।

Implementation of Basel III

Pillar I:

The Bank is Basel III compliant in terms of the Basel III-capital regulations issued by RBI. In terms of the Pillar-1 norms under Basel III, Bank has computed its capital requirements for Credit, Market and Operational risk as on 31.03.19. The Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank stood at 12.73% and Total Tier I ratio at 9.98% as on 31st March 2019 as against minimum regulatory requirement of 10.875% and 8.875% respectively.

Pillar II:

The Bank has a Board approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) as a part of Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) under Pillar-2. The Policy enables the Bank to identify and assess other risks which are not covered under Pillar-1. Accordingly, the Capital Assessment process under Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) is reviewed annually so as to integrate the Bank's Business Planning, Business performance with Capital & Risk.

Pillar III:

The disclosures required in terms of Pillar-3 norms of Basel III form part of the annual report of the Bank and are made available on Bank's website.

Asset Liability Management (ALM) and Market Risk Management

All forms of market risks, viz. Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Equity Risk and Foreign Exchange Risk are addressed by the Bank through a well-defined set of policies viz. Asset Liability Management, Market Risk Management Policy, Liquidity Risk Management Policy and Integrated Treasury Policy are approved by Bank's Board.

The Bank has constituted the Asset Liability Management Committee (ALCO) & Market Risk Management Committee (MRMC) in terms of RBI guidelines. The ALCO is entrusted with active supervision of Liquidity Risk Management, Funding and Capital Planning, Profit Planning and Growth Projection, whereas the MRMC is entrusted with Market Risk Management, Trading Risk Management, monitoring of Investment portfolio of the Bank.

Credit Risk Management

The Bank has constituted Credit Risk Management Committee (CRMC) which reviews the Policies, Procedures and Systems relating to Credit Administration and Monitoring at periodic intervals. The Bank's Credit Risk Management process is articulated through various Board approved policies viz. Loan Policy, Credit Risk Management Policy, Loan Review Mechanism Policy, Credit Monitoring Policy, Delegated Powers for loans & advances, Recovery Policy etc.

The Credit Risk Management has risk controls at different stages viz. Loan Origination, Loan Approval, Loan Disbursement and Post Disbursement.

The Bank has defined credit appetite linked to entry level external and internal rating. The Bank also factors risk-reward trade off linked to external and internal rating matrix to ensure risk based pricing.

ऋण विनिर्देश के निर्धारण, निगरानी तथा समीक्षा, एकल एवं समूह उधारकर्ता को एक्सपोजर के लिए ऋण जोखिम सीमा, ऋण रेटिंग व उधारकर्ता की प्रकृति के आधार पर एकल उधारकर्ता का उप-सीमा निर्धारण, संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण (रियल एस्टेट तथा पूंजी बाजार सहित), ऋण देने के लिए महत्वपूर्ण एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों का निर्धारण, किसी उद्योग के लिए सीमा निश्चित करके, पर्याप्त एक्सपोजर तथा अंतर-बैंक एक्सपोजर द्वारा ऋण जोखिम कम किया जाता है।

बैंक ने ऋण के क्षेत्र पर बैंक के रुख की पहचान और वर्गीकरण के लिए एक नई पद्धति को अपनाया है, जैसे- ऋण के महत्वपूर्ण, निर्दिष्ट, सामान्य व नकारात्मक क्षेत्र। यह प्रणाली बैंक को तनावग्रस्त उद्योग/क्षेत्र की पहचान करने में सक्षम करता है और अनवरत आधार पर निर्देशात्मक तनाव या प्रतिकूल क्षेत्रीय विकास के आधार पर बैंक के ऋण देने के रुख की समीक्षा करता है। बैंक ने दबावग्रस्त क्षेत्रों की पहचान तथा ऐसे दबावग्रस्त क्षेत्रों (यदि कोई हो) के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता के लिए मण्डल द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली को भी अपनाया है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप 01 अप्रैल, 2019 से बड़े एक्सपोज़र फ्रेमवर्क को लागू किया है । एक्सपोज़र सीमा के दिशानिर्देश, पूर्व के दिशानिर्देशों में बैंक की कुल पूंजी निधि (टीयर1+टीयर2) की तुलना में बैंक की पात्र पूंजी निधियों (टीयर1) पर आधारित हैं।

बैंक ने पोर्टफोलियो स्तर पर ही सीलिंग लिमिट को निर्धारित कर दिया है (जैसे कि एएए, एए,ए,बीबीबी) ताकि एक स्वस्थ ऋण पोर्टफोलियो को बनाए रखा जा सके और ट्रिगर पॉइंट्स के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहे एक्सपोजर की निगरानी की जा सके। ऋण संकेंद्रण की उद्योगवार, रेटिंग वार, क्षेत्र वार समीक्षा तिमाही आधार पर भी की जाती है।

ऋणियों, बड़े कॉरपोरेट, उभरते कॉरपोरेट, लघु कारोबार तथा सेवाएं, लघु एवं मध्यम उद्यमियों, बुनियादी संरचना, ग्रीनफ्रील्ड प्रोजेक्ट तथा रियल एस्टेट एवं रिटेल क्रेडिट जिसमें आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वैयक्तिक ऋण, कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों के ऋण शामिल हैं, के लिए निर्धारित विभिन्न ऋण रेटिंग मॉडलों के प्रयोग द्वारा, ऋण जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। ऋण समीक्षा तंत्र जो, ऋण विभाग तथा जोखिम प्रबंधन विभाग से स्वतंत्र कार्य करता है, बैंक के बड़े ऋण एक्सपोजर की आवधिक आधार पर समीक्षा तथा निगरानी करता है। प्रधान कार्यालय स्तर पर जोखिम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन समूह (आरएमजी) का गठन किया गया है ताकि सार्वजनिक डोमेन से संभावित उधारकर्ताओं (₹50.00 करोड व अधिक) पर स्वतंत्र सूचनाएँ और बाजार आसूचना एकत्र की जा सके।

परिचालनपरक जोखिम प्रबंधन

बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) है, जो परिचालन जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा, मौजूदा व नए उत्पादों एवं प्रक्रिया की समीक्षा के साथ नए एवं मौजूदा उत्पादों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा के साथ परिचालनगत जोखिम पद्धति तथा आकलन के तरीकों सहित साधनों के विकास और क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुमोदन के लिए नियमित आधार पर बैठकें करती है। बैंक की परिचालन जोखिम प्रबन्धन नीति में बैंक में परिचालन जोखिम के मापन, निगरानी और नियंत्रण की संरचना व रुपरेखा दी गई है।

जोखिम प्रबंधन विभाग बैंक के सभी क्षेत्रों के साथ समन्वय करता है और सुसंगत सूचनाएं एकत्रित करता है, परिचालन जोखिम का समेकित सार तैयार करता है, इसका सारांश तैयार करता है और जोखिम प्रबंधन समितियों व अन्य इच्छुक पार्टियों को संप्रेषित करता है। परिचालन दृष्टि से जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की जाती है तथा सिस्टम व प्रक्रिया की समीक्षा के माध्यम से इस प्रकार के जोखिमों को कम करने/रोकने हेतु उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं, नियंत्रणकारी उपाय आरंभ किए जाते हैं तथा इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाता है ।

The Credit Risk Mitigation is undertaken by fixing, monitoring and reviewing of lending specifications, credit exposure limits in terms of Single & Group borrower exposure, fixing sub limits within single borrower exposure based on credit rating & constitution of the borrower, exposure to sensitive sectors (including real estate and capital market), laying down thrust and restricted areas of lending, ceiling for Industry exposure, Substantial exposure and Inter-Bank exposure.

The Bank has defined methodology for identification and categorization of Bank's stance on Area of lending i.e. Thrust, Specified, General and Negative Area of Lending. This mechanism enables the Bank in identification of Stressed industry / Sector and review Bank's stance of lending based on indicative stress or adverse sectoral developments, on a frequent basis. The Bank has also adopted a Board approved methodology for identification of stressed sectors and additional provision requirement to such stressed sectors (if any).

The Bank has implemented Large Exposure Framework in line with RBI guidelines with effect from 01st April 2019. The Guidelines of exposure limit are based on Eligible Capital Funds (Tier 1) of the Bank as against Total Capital Fund (Tier 1+Tier 2) of the Bank in the previous guidelines.

The Bank has fixed ceiling limit at portfolio level (like AAA, AA, A, BBB) to maintain a healthy credit portfolio and monitor the growing exposure to various sectors by way of trigger points. Credit Concentration is also reviewed on quarterly basis industry wise, rating wise, region wise, etc.

The credit risk assessment of the borrowers is undertaken using different credit rating models for borrowers including Large Corporate, Emerging Corporate, Small Business & Services, Small & Medium Enterprises, Infrastructure, Greenfield project and Real Estate and for Retail Credit including Housing loan, Education Loan, Personal Loan and Agriculture & Allied activities. The Loan Review Mechanism, which functions independent of the Credit Department and Risk Management Department, reviews and monitors large credit exposures of the Bank on periodic basis. Risk Management Group (RMG) has been constituted at Head Office level under Risk Management Department to collect independent information and market intelligence on the potential borrowers (₹50.00 Crore & above) from the public domain.

Operational Risk Management

The Bank has an Operational Risk Management Committee (ORMC) which meets on regular basis to review the operational risk profile, review and approval of the development and implementation of operational risk methodologies and tools including assessment approaches along with review of the existing as well as new products and processes. The Operational Risk Management Policy of the bank outlines the structure and framework for measuring, monitoring and controlling the operational risk of the bank.

The Risk Management Department co-ordinates with all areas of the Bank and collects relevant information, builds a consolidated view of operational risk, assembles summary of the same and communicates to the Risk Management Committees and other interested parties. The operational risk prone areas are identified and suitable steps are initiated to mitigate/ prevent such risks by reviewing systems and procedures, introducing control elements and imparting training to the staff so as to guard against such incidents.

परिचालन जोखिम का महत्व बढ़ा है क्योंकि इसमें बैंक की वित्तीय सामर्थ्य, साख तथा इसके विभिन्न हितधारकों के साथ इसके सम्बन्धों को प्रभावित करने की क्षमता है। इसे ध्यान में रखते हुए बैंक ने ऐसी उच्च जोखिम की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। हाल ही में, बैंक ने फील्ड स्तर अर्थात्; मंडल कार्यालय तथा शाखा स्तर पर जोखिम मूल्यांकन कार्यशालाओं का आयोजन किया है । यह एक नियमित आधार पर चलने वाला अभियान है, जिसका उद्देश्य दैनिक लेन-देन में जोखिम को न्यूनतम करने के संबंध में फील्ड पदधारियों को जागरुक करना है। साथ ही, नियामक आवश्यकतों को पूरा करने के लिए बैंक में आरसीएसए और केआरआई फ्रेमवर्क पहले से ही मौजूद है।

अग्रतर, बैंक उन्नत दृष्टिकोण बनाने हेतु वर्तमान सिस्टम एवं कार्यपद्धतियों के उन्नयन की प्रक्रिया में है। इसके लिए, बैंक ने सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान के कार्यान्वयन के लिए सलाहकार नियुक्त किया है। बैंक आईबीए द्वारा गठित ऋण तथा परिचालनगत जोखिम हानि डाटा एक्सचेंज (सीओआरडीईएक्स) का सदस्य है जो अपने सदस्यों के लिए परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं को एकत्रित और प्रसारित करता है।

10. आरबीआईए एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

सभी स्तरों पर अर्थात्; कारोबार, परिचालनगत प्रभावोत्पादकता, कम हुई प्रतिवर्तन अवधि (टीएटी) तथा सशक्त अनुपालन कार्यकलापों की गुणवत्ता में सुधार के लिए बैंक ने प्रोजेक्ट उद्भव के अंतर्गत वर्टिकल सिस्टम शुरु किया है । नियंत्रण वर्टिकल के तहत, निरीक्षण एवं नियंत्रण वर्टिकल, बैंक द्वारा आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन तथा विनियामक अनुपालन की प्रभावोत्पादकता पर सर्वोच्च प्रबंधन को आश्वासन देता है । अंतिम दायित्व के साथ वर्टिकल सुनिश्चित करता है कि शाखाओं/ कार्यालयों पर नियंत्रण तथा उनके पर्यवेक्षण हेतु बैंक द्वारा अपनाए गए विविध तंत्र समुचित, प्रभावी, सशक्त तथा विनियामक और सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं । वर्टिकल के सहायक के रूप में 12 विशेषीकृत निरीक्षण एवं नियंत्रण मंडल कार्यालय कार्य कर रहे हैं, जो शाखाओं/ कार्यालयों की विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षाएं/निरीक्षण करने में समन्वय तथा सहायक का कार्य करते हैं। बैंक नियमित/ आवधिक लेखापरीक्षाओं के लिए लेखापरीक्षा, फॉरेक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में पर्याप्त अनुभव रखने वाली सनदी लेखाकार फर्मों को भी नियुक्त करता है, जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता के प्रति भी अपना योगदान देती हैं।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया परियोजना आईआईएएमएस का स्वचालन - पर्यवेक्षण प्रक्रियाओं को सशक्त करने के लिए ताकि परिचालन स्तर पर आंतरिक अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, बैंक विभिन्न लेखापरीक्षाओं के स्वचालन की प्रक्रिया में है जैसे; आरबीसीए, आरबीआईए, आरबीएमए, एलआरएम, विशेष फोकस, राजस्व हानि, आईएस लेखापरीक्षा तथा विधिक लेखापरीक्षा। वर्तमान में, संपार्श्विक लेखापरीक्षा 01.04.2019 से परिचालित कर दी गई है। अन्य मॉड्यूल्स का स्वचालन प्रक्रियाधीन है तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से इनका परिचालन शुरु कर दिया जाएगा, जो परिचालन स्तर पर आंतरिक अनुदेशों के अनुपालन को अग्रतर सशक्त करेगा।

बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा नीतियों की समीक्षा – स्वचालन, कवरेज की व्यापक समीक्षा मौजूदा लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों की संभावना तथा पद्धति की दृष्टि से आंतरिक लेखापरीक्षा क्रियाविधियों में बड़े बदलावों पर विचार किया गया ताकि नई प्रणाली के सुसंगत बनाया जा सके । तदनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा नीतियों की समीक्षा की गई यथा; संपार्श्विक लेखापरीक्षा, आरबीआई, आरबीएमए, आईएस लेखापरीक्षा, एलआरएम और इन्हें 26 मार्च, 2019 को हुई बैठक में मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

Operational risk is increasing in importance, owing to its ability to severely impact the Bank's financial strength, reputation and its relationships with its various stakeholders. Keeping in view of the same, Bank has taken numerous steps to mitigate such high risk events. Recently, Bank has conducted Risk Assessment Workshops at ground level i.e. Circle office and branches. The same is an ongoing exercise aimed at sensitizing the field functionaries regarding mitigation of risk in day to day operations. Also the Bank has already in place the RCSA and KRI framework to meet the regulatory requirements.

Further, the Bank is in the process of upgrading the existing system and practices to facilitate migration to advanced approaches. For the same, Bank has engaged consultant for implementation of Integrated Risk Management Solution along with the System Integrator. Bank is also a member of Credit and Operational Risk Loss Data Exchange (CORDEX) incorporated by IBA, which collects & disseminates the Operational Risk loss events among its members.

10. RBIA & INTERNAL CONTROL SYSTEM

To improve the quality at all levels i.e. business, operational efficiency, reduced turnaround time (TAT) and strengthen compliance functions, the Bank has embarked upon Vertical System under Project Udbhav. Under Control Vertical, the I&C Vertical provides vital assurance to the Top Management on the effectiveness of internal control, risk management & regulatory compliance by the Bank. With ultimate responsibility the Vertical ensures that the various mechanisms adopted by the Bank for control and supervision over the Branches/Offices are appropriate, effective, robust & in conformity to the regulatory & statutory guidelines. 12 specialized I&C Circle Offices operate as an extended arm of the Vertical which co-ordinates & facilitates to carry out various types of audits/inspection of the Branches/Offices. The Bank also engages CA firms having adequate exposure in the area of Bank Audit, Forex and Information Technology etc. for regular/periodic audits, which also contribute towards effectiveness of the internal control system.

Automation of Audit Processes Project iIAMS - To strengthen the supervision processes so as to ensure adherence with internal instructions at operational level, the Bank is in the process of automating various Audit types viz. RBCA, RBIA, RBMA, LRM, Special Focus, Revenue Leakage, IS Audit and Legal Audit. Presently, the Concurrent Audit module is made operational w.e.f 01.04.2019. The automation of other modules is under process and shall be made operational in phased manner during current F.Y. which shall further strengthen the adherence with internal instructions at operational level.

Review of Bank's Internal Audit Policies - Considering the sweeping changes in internal audit functions in view of the automation, comprehensive review of the coverage, scope & methodology of the existing audit guidelines have been undertaken so as to make it compatible with new system. Accordingly, the review of the internal audit policies namely Concurrent Audit, RBI, RBMA, IS Audit, LRM was undertaken & the same was approved by the Board in the meeting held on 26th March 2019.

धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु सशक्त तकनीकी-संचालित प्रणाली -

ओएसएस तथा एएमएल कक्ष - ऑन-साइट निरीक्षणों के अनुपूरक साधन के रूप में, निर्धारित अंतरालों पर ओएसएस अलर्ट दिए जाते हैं तथा कार्यप्रणाली में पर्यवेक्षी दृष्टिकोण के किन्ही क्षेत्रों की पहचान के लिए आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है । धन-शोधन निवारक (एएमएल) संबंधी गतिविधियों की निगरानी हेतु एफआईयू- इंडिया, आरबीआई तथा आईबीए के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप एक समर्पित एएमएल कक्ष निरीक्षण एवं नियंत्रण वर्टिकल पहले से क्रियाशील है ।

उद्यम धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएमएस) - ए.डी. (फॉरेक्स कारोबार), ट्रेजरी, मुद्रा पेटिका तथा सेवा शाखाओं आदि के माध्यम से शाखा, क्रेडिट संबंधी किए जाने वाले संव्यवहारों को कवर करने वाले ऑन लाइन चैनल्स (नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तथा कार्ड) तथा ऑफ लाइन चैनल्स दोनों की निगरानी के उद्देश्य से निरीक्षण एवं नियंत्रण वर्टिकल के अंतर्गत एक ईएफआरएमएस कक्ष शुरू किया गया है । वर्तमान में विभिन्न मुद्दों को कवर करने वाले नियम आधारित अलर्ट्स दिए जाते हैं तथा जोखिम संभावित क्षेत्रों की पहचान और धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु ईएफआरएमएस कक्ष द्वारा इनकी जांच की जा रही है ।

11. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदण्ड एवं धन-शोधन निवारण (एएमएल) उपाय

विभिन्न कानून व विनियमों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/अनुदेशों व मार्गनिर्देशों का पालन करने के लिए और मुख्यतः अपराधिक तत्वों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में बैंक का प्रयोग धन-शोधन गतिविधियों से बचाने के लिए, ''ओबीसी केवाईसी नीति'' बनाई गई है। इस नीति के चार प्रमुख तत्व हैं- 'ग्राहक स्वीकरण नीति', 'ग्राहक पहचान प्रक्रिया', 'लेनदेनों की मॉनीटरिंग' तथा 'जोखिम प्रबंधन'। इससे बैंक को ग्राहकों को व उनके वित्तीय लेनदेनों को बेहतर ढंग से जानने - समझने में व जोखिम प्रबंधन अधिक विवेकपूर्ण तरीके से करने में सहायता मिलती है। फील्ड पदधारियों द्वारा सख्ती से पालन किए जाने हेतु विस्तृत मार्गनिर्देश एवं अनुवर्ती अनुदेशों की पुनर्रावृत्ति समय-समय पर की जाती है।

12. ग्राहक सेवा

विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर ग्राहक सेवा समिति बैठकों का नियमित रुप से आयोजन होता है। ये बैठकें नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयुक्त क्रियान्वयन सुनिश्चित करती हैं। ग्राहकों को इन बैठकों में भाग लेने के लिए और बैंक की योजनाओं व सेवाओं पर अपने बहुमूल्य सुझाव/ फीडबैक देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बैंक ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि के लिए उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्राहकों की शिकायतों के अविलंब निवारण के लिए वेब आधारित शिकायत निवारण पद्धति उपलब्ध कराई गई है। ग्राहकों के खातों से संबन्धित जानकारी तथा अन्य शंकाओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1235 तथा 1800-102-1235 पर एक समर्पित ग्राहक सेवा केंद्र कार्य कर रहा है। अलग-से एक एसएलबीसी हेल्पलाइन संख्या 1800-180-0124 भी परिचालनगत है।

वर्तमान पद्धति एवं प्रक्रिया की समीक्षा करना बैंक कार्यप्रणाली का एक अभिन्न अंग है। बैंक की वेबसाइट पर ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों को बैंक मॉनीटर करता है एवं उन पर अविलंब प्रतिक्रिया करता है और सुनिश्चित करता है कि बैंक के ग्राहकों को होने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान हो।

Robust Techno-Driven system for Prevention of Fraud –

OSS & AML Cell - As a supplementary tool to on-site inspections, generation of OSS alerts are done at prescribed intervals & critically analyzed to identify any areas of supervisory concern in the functioning. A dedicated AML Cell I&C Vertical is already operational in accordance with the regulatory guidelines of FIU-India, RBI and IBA for monitoring of Anti Money Laundering (AML) related activates.

Enterprise Fraud Risk Management Solution (EFRMS) – An EFRMS Cell has been made operational under I&C vertical with a purpose to monitor both online channels (Net Banking, Mobile Banking & Card) and off-line channels covering transactions undertaken at Branch, Credit, through A.D.(Forex Business), Treasury, Currency Chest and Service Branches etc. Presently rule based alerts covering various scenarios are generated and being scrutinized by EFRMS Cell for identifying risk prone areas and to prevent frauds.

11. KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) NORMS & ANTIMONEY LAUNDERING (AML) MEASURES

OBC 'KYC' Policy has been formulated to comply with the various laws and regulations, national as well as international, Govt. of India and Reserve Bank of India directives / instructions & guidelines, primarily to prevent the Bank from being used, intentionally or unintentionally, by criminal elements for money laundering activities. The Policy comprises of four key elements viz. "Customer Acceptance Policy", "Customer Identification Procedures", "Monitoring of Transactions" and "Risk Management". This enables the Bank to know / understand the customers and their financial dealings better and helps in managing risks prudently. The detailed guidelines and subsequent instructions are being reiterated from time to time for strict compliance by the field functionaries.

12. CUSTOMER SERVICE

The Customer Service Committee Meetings are held regularly at different administrative levels. These meetings ensure proper implementation of guidelines issued by regulatory authorities. The customers are invited to attend these meetings and give their valuable suggestions / feedback on bank's services and schemes. The Bank is committed to extend excellent customer service for maximum satisfaction of customers.

Web-based Customer Grievance Redressal System is provided for prompt redressal of customers grievances. A dedicated Customer Care Centre on toll free Number 1800-180-1235 and 1800 -102 -1235 has been working for clarifying the customers' account related and other general queries. A separate SLBC Helpline Number 1800-180-0124 has also been operational.

The review of existing systems & procedures is an integral part of Bank's functioning. The Bank monitors the queries and suggestions received from the constituents on its website and gives prompt response while also ensuring that instant solution is provided to the problems faced by the customers of the Bank.

13. सतर्कता तंत्र

बैंक सतर्कता के सभी क्षेत्रों अर्थात्; निवारक, खोजपूर्ण व दण्डात्मक सतर्कता में पर्याप्त सुधार लाने के उपाय कर रहा है। निवारक सतर्कता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । धोखाधड़ी तथा अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए बैंक में नियंत्रक उपायों को सशक्त किया गया है यथा; विपथन, निधियों के निस्तारण, अपराधों तथा ऋण से संबंधित धोखाधड़ियों की घटनाओं की निगरानी के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेत प्रणाली लागू की गई है । सिस्टम में वाउचर्स की दोहरी जांच लागू की गई है । बेहतर नियंत्रण एवं पारदर्शिता के लिए फॉरेक्स लेन-देन हेतु सीबीएस सिस्टम के साथ स्विफ्ट (SWIFT) एकीकृत किया गया है ।

''भ्रष्टाचार उन्मूलन – नव भारत का निर्माण'' विषय पर सर्वसाधारण के मध्य भ्रष्टाचार के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए बैंक के सभी कार्यालयों में "सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2018" मनाया गया । सप्ताह के दौरान, पूरे देश में, बैंक के अंदर तथा जनता/नागरिकों के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया ।

14. डिजिटल बैंकिंग चैनल्स

एटीएम एवं डेबिट कार्ड्स :- मार्च, 2019 के अनुसार, बैंक में 2625 एटीएम / रिसाइक्लर हैं, जिनमें 2341 ऑनसाइट, 283 ऑफसाइट एवं 01 मोबाइल एटीएम हैं। बैंक द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड्स देश भर में 2.39 लाख से ज्यादा एटीएम पर और साथ ही साथ पीओएस और ई-कॉमर्स खरीद के लिए स्वीकार किये जाते हैं। 31.03.2019 तक, कुल कार्डबेस 11.17 मिलियन तक पहुंच गया है ।

इंटरनेट बैंकिंग :- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता आधार मार्च, 2018 को 2.74 मिलियन से बढ़कर मार्च, 19 तक 3.47 मिलियन तक पहुंच गया।

बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा विभिन्न नई सुविधाएं शुरू की हैं, जैसे-

- मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग में नई सुरक्षा लेयर लागू करना
- नेट बैंकिंग के माध्यम से नामिति अद्यतन करना
- गैर-डेबिट कार्डधारकों के लिए रिटेल इंटरनेट बैंकिंग लॉग-इन पासवर्ड रीसेट करना
- इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एड-ऑन-डेबिट कार्ड हेतु अनुरोध करना

मोबाइल बैंकिंग :- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान,बैंक का मोबाइल बैंक उपयोगकर्ता आधार मार्च 2018 के 12.54 लाख से बढ़कर मार्च 2019 को 20.98 लाख हो गया । मोबाइल बैंकिंग में कुछ नई सुविधाएं शुरु की गई हैं, जैसे:

- मोबाइल बैंकिंग पर भारत बिल भुगतान सेवाएं (गैर-भारत बिल भुगतान बिलर्स सहित)
- मोबाइल बैंकिंग पर भारत क्यूआर
- फिसडम (FISDOM) के साथ गठबंधन के तहत ओबीसीएमपे एप्प के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में ऑनलाइन निवेश की शुरुआत
- ओबीसीएमपे में यूपीआई एप्प का एकीकरण
- ओबीसीएमपे में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत
- मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से नामिति का अद्यतन

13. VIGILANCE MACHINERY

The Bank is taking measures for improvement in all areas of vigilance i.e. preventive, detective and punitive. Prime focus is on Preventive Vigilance. Control measures have been strengthened in the bank to deter the incidents of Frauds & malfeasance e.g. an Early Warning Signal system has been implemented to monitor incidents of diversion, siphoning of funds, delinquencies and fraud related to credit. Second checking of vouchers has been implemented in the system. SWIFT has been integrated with CBS system for Forex transactions to have a better control and transparency.

“Vigilance Awareness Week-2018” was observed at all the offices of the bank to create awareness among the public about corruptions with the theme “Eradicate Corruption- Build a New India”. During the week, various activities within the bank as well as for Public/ citizens were conducted throughout India.

14. Digital Banking Channels

ATMs & Debit Cards:- As on March 2019, Bank has 2625 ATMs/ Recyclers, which include 2341 Onsite ATMs, 283 Offsite ATMs and 01 Mobile ATMs. The Debit cards issued by the Bank are accepted across 2.39 Lac+ ATMs as well as for POS and E-Commerce purchases in the country. As of 31.03.2019, the total Card-base has reached 11.17 Million.

Internet Banking

:- During the financial year 2018-19, Internet Banking user base has increased from 2.74 Million as on March 2018 to 3.47 Million on March 2019.

Bank has introduced various new facilities through internet banking viz.

- Introduction of New Security Layer in Mobile Banking and Net banking.
- Nominee updation through Net Banking.
- Resetting of Retail Internet Banking Login Password for Non Debit Card Holders.
- Request of Add on Debit Card through Internet Banking.

Mobile Banking:- During the financial year 2018-19, the Bank’s mobile Banking user base grew up from 12.54 lac in March 2018 to 20.98 lac as on March 2019. Some new features were also introduced in Mobile Banking such as:

- Bharat Bill Pay services on Mobile Banking (including non Bharat Bill Pay billers).
- Bharat QR on Mobile Banking.
- Launch of Online Investments in Mutual Funds through OBCmPay App under tie up with Fisdom.
- Integration of UPI app within OBCmPay.
- Introduction of Social Security schemes in OBCmPAY.
- Nominee updation through Mobile Banking.

एसएमएस बैंकिंग :- 31 मार्च 2019 को कुल 13.8 मिलियन ग्राहक एसएमएस अलर्ट सेवा के लिए पंजीकृत हुए । बैलेंस जांच, मिनी स्टेटमेंट, चेक भुगतान पर रोक, एटीएम कार्ड हॉट-लिस्टिंग और ईमेल पंजीकरण के लिए ग्राहक पुल आधारित एसएमएस बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक द्वारा कुछ नए उत्पाद एवं सेवाओं का भी शुभारम्भ किया गया है :-

- ग्राहकों को सक्रिय ऋण, जहां प्रभार वापसी की शिकायत दर्ज किए बिना ग्राहकों को स्वचालित समाधान प्रणाली पर आधारित हमारे एटीएम/बीएनए पर असफल लेन-देन की राशि बैंक द्वारा वापस की जाती है।
- "ओरियन्टल बैंक रिवाड्र्स" कार्यक्रम की शुरुआत ।
- ऑनलाइन धोखाधड़ी से ग्राहकों को बचाने के लिए डेबिट कार्डस में ई-कॉमर्स लिमिट में कमी करना ।
- आईवीआर (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस) के माध्यम से ग्रीन पिन तैयार करना ।
- रिटेल एवं कॉरपोरेट नेट बैंकिंग दोनों प्रकार के ग्राहकों के लिए पासवर्ड पुनः जारी करने के अनुरोध को देने के लिए सीबीएस-फिनेकल में “pwdries” विकल्प का नया मेन्यू ।
- ओबीसी वेब पोर्टल का पुर्नोत्थान किया गया (ई-परिपत्र) ।
- ग्रीन पिन तैयार करना – डेबिट कार्डस के लिए सुरक्षित ओटीपी आधारित इलैक्ट्रॉनिक पिन ।

<u>ओरिएंटल साथी मोबाइल एप्लिकेशनः-</u> ओरिएंटल साथी मोबाइल एप्लिकेशन जो एटीएम व शाखा लोकेटर के साथ अतिरिक्त सुविधाएं जैसे ईएमआई कैलकुलेटर, जमा राशियों व रिटेल ऋणों पर ब्याज दर, शिकायतें व सुझाव के साथ एसएमएस और मिस्ड कॉल बैंकिंग, क्विक लिंक, जो मिस्ड कॉल बैंकिंग के लिए निर्दिष्ट नंबरों पर कॉल करता है और एसएमएस बैंकिंग के लिए अनिवार्य एसएमएस सिंटैक्स खोलता है, का शुभारंभ किया। यह एप्प बैंक के उत्पादों तथा सेवाओं, हिंदी शब्दावली आदि की जानकारी भी उपलब्ध कराता है । इसके अतिरिक्त, ग्राहक इस एप्प के जरिए रिटेल ऋणों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं ।

<u>ओबीसीएमपे के माध्यम से ऑनलाइन म्यूचुअल फंड्स पोर्टल (फिसडम) की शुरुआत :-</u>

ओबीसी एम-पे, फिसडम के साथ भागीदारी में एक ऑनलाइन सम्पत्ति प्रबंधक है, जो ओबीसी एम-पे एप्प के माध्यम से डिलीवर किया जाता है। यह एप्प, पेपरलेस केवाईसी प्रक्रिया, लक्ष्य आधारित निवेश, स्मार्ट फंड रिकमन्डेशन इंजिन तथा रियल-टाइम ट्रेकिंग सिस्टम द्वारा म्यूचुअल फंड निवेश के सभी पहलुओं का सरल बनाता है।

अब हमारे ग्राहक, "ऑनलाइन म्यूचुअल फंड्स" बटन का चयन करते हुए ओबीसी मोबाइल बैंकिंग एप्प, ओबीसी एम-पे के माध्यम से इस एप्प का प्रयोग कर सकते हैं।

ओरियन्टल बैंक रिवार्डस कार्यक्रम :- "ओरियन्टल बैंक रिवार्डस" बैंक का लॉयल्टी कार्यक्रम, जो ग्राहकों को शाखा में जाने की अपेक्षा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से बैंक की इलैक्ट्रॉनिक या डिजिटल पहलों को प्रयोग करना शुरु करने तथा निरंतर प्रयोग करते रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है । प्रत्येक उत्पाद/डिलीवरी चैनल विविध रिवार्डस प्वाइंट्स क्रेडिट पद्धति कवर करता है । इसके लिए विशेष रूप से तैयार वेबसाइट तथा मोबाइल एप्प के जरिए विभिन्न प्रकार की व्यापारिक वस्तुएं या सेवाएं खरीदने के द्वारा इन रिवार्डस की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है ।

SMS Banking: - As on March 31st 2019, there are 13.8 Million customers, who are registered for SMS alert services. The customers can use pull based SMS banking for balance enquiry, mini statement, cheque stop payment, ATM card hot-listing & Email registration.

In addition to the above, the following new products and services were also launched by the Bank during the financial year 2018-19:-

- Proactive credit to customers wherein Banks remit the refund of failed transactions on our ATM/BNAs based on automated reconciliation systems to customers without the lodgment of chargeback complaint.
- Launch of “Oriental Bank Rewardz” Program.
- Reduction in e-Commerce limit in Debit Cards to safeguard the customers against online frauds.
- Generation of Green Pin through IVR (Interactive voice Response).
- New menu option “pwdreis” in CBS-Finacle for submission of passwords reissue requests for both retail and corporate net banking customers
- The OBC web portal was revamped (e-circular).
- Generation of Green PIN – Secure OTP based electronic PIN for Debit Cards

<u>Oriental Saathi Mobile Application</u>:- Oriental Saathi Mobile application has been launched as ATM and Branch locator offering additional facilities such as EMI calculator, Interest rates for Deposits and Retail loans, complaints and suggestions along with SMS and Missed call banking quick link which triggers calls to designated numbers for Missed call Banking and opens mandatory SMS syntax for SMS Banking. The application also provides information of Bank’s Product and Services, Hindi Glossary etc. Further, customers can also apply for retail loans through this application.

<u>Launch of online mutual funds portal (FISDOM) through OBCmPAY</u>:-

OBC m-pay in partnership with **Fisdom** is an online wealth manager, delivered through the OBC m-pay app. This app simplifies all aspects of mutual fund investments by providing paperless KYC process; goal based investing, smart fund recommendation engine and real-time tracking system.

Our Customer can now access this app through OBC mobile banking app, OBC mPAY by choosing the tab “Online Mutual Funds”

<u>Oriental Bank Rewardz Program:-</u>Oriental Bank Rewardz” is Bank’s Loyalty program that has been designed to encourage customers to start using and continue to use electronic or digital initiatives of the bank through Internet banking, Mobile Banking, UPI, debit card etc. rather than visiting the branch. Each product/delivery channel covers varied rewards points credit methodology. Such rewards can be reimbursed by purchasing different kinds of merchandise or service through specially designed website and mobile app for the same.

15. सूचना प्रौद्योगिकी

15.1 कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) एवं वाइड एरिया नेटवर्क

बैंक के पास आधुनिकतम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है तथा इसकी 2390 शाखाओं के नेटवर्क के जरिए 100% कार्य सीबीएस पर होता है और विभिन्न आईटी प्रोडक्ट व सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। इन उत्पादों और सेवाओं को शाखाओं, एटीएम, नेट बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। सभी सीएमओ, क्लस्टर कार्यालय, सेवा शाखाएं, मुद्रा पेटिकाएं तथा अन्य प्रशासनिक कार्यालय सीबीएस प्लेटफार्म पर हैं ।

अधिकांश शाखाएं एमपीएलएस पर हैं तथा एमपीएलएस क्लाउड के जरिए पीडीसी एवं डीआर तक सीधी पहुंच रखती हैं । जो शाखाएं प्वाइंट टू प्वाइंट से जुड़ी हैं तथा एमपीएलएस पर नहीं हैं, वे एग्रीगेशन प्वाइंट से जुड़ी हैं । उसके बाद, सभी एग्रीगेशन प्वाइंट एमपीएलएस पर हैं । इसके अलावा यदि प्वाइंट टू प्वाइंट लिंक बंद होते हैं तो, शाखाओं को वीसेट/आईएसडीएन उपलब्ध कराए गए हैं और शाखाएं बैकअप लिंक्स के जरिए पीडीसी तथा डीआर से कनेक्ट कर सकती हैं।

बैंक के प्राइमरी डाटा सेंटर, मुंबई तथा डिसास्टर रिकवरी साइट, दिल्ली के मध्य कनेक्टीविटी, वैकल्पिक सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

15.2 आपदा रिकवरी सेट-अप (डीआरएस)

बैंक ने नवी मुम्बई में प्राइमरी डाटा केन्द्र (पीडीसी), नियर लाइन साइट (एनएलएस) और ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली में डिज़ास्टर रिकवरी साइट के जरिए त्रि-आयामी डीआर ढांचा स्थापित किया है ताकि सीबीएस के लिए "शून्य डाटा हानि" सुनिश्चित की जा सके। प्राइमरी डाटा सेन्टर से डाटा की नियर लाइन साइट में अनुकृति निरंतर साथ-साथ होती रहती है और नियर लाइन साइट से डीआरएस में प्रतिलिप्यकरण होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि प्राइमरी डाटा सेन्टर पर बड़ी खराबी होने की स्थिति में सीबीएस का संपूर्ण डाटा यथासंभव कम से कम समय में डीआरएस में उपलब्ध कराया जा सके।

15.3 इलैक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति

बैंक की सभी शाखाएं आरटीजीएस, एनईएफटी तथा आईएमपीएस के माध्यम से अंतर-बैंक प्रेषण की सुविधा दे रही हैं। बैंक के इंटरनेट बैंकिंग तथा मोबाइल बैंकिंग ग्राहकों को अंतर-बैंक विप्रेषण के लिए आईएमपीएस, आरटीजीएस तथा एनईएफटी की ऑनलाइन सुविधा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, कॉरपोरेट एवं सरकार के लिए राष्ट्रीय ओटोमेटेड समाधान गृह (एनएसीएच) को क्रियान्वित किया है ताकि अंतर बैंक सुविधा, हाई वॉल्यूम, बारंबार एवं आवधिक स्वरूप के इलेक्ट्रॉनिक लेन-देनों के लिए वेब आधारित समाधान दिया जा सके। बैंक ने प्रायोजक एवं लक्ष्य बैंक के रूप में एनएसीएच (क्रेडिट) तथा एनएसीएच (डेबिट) एवं रूटीन परिचालन में भाग लेने की दृष्टि से इसे क्रियान्वित किया है।

नई पीढ़ी और विशेषतः समृद्ध द्विभाषी मोबाइल बैंकिंग ऐप (ओबीसी एमपे) की शुरूआत बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए दोनों प्रमुख मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफार्मों जैसे; ऐप्पल ऐप स्टोर और एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर की है।

डिजिटल बैंकिंग की क्षमता को देखते हुए, इसकी क्षमता का उपयोग करने और कम नकदी अर्थव्यवस्था के लिए योगदान करने के लिए, बैंक एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) को अपने मोबाइल ऐप "भीम ओरिएंटल पे" के माध्यम से पेश कर रहा है।

बैंक ने भीम आधार मर्चेंट एप्लीकेशन की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से निवासी, आधार तथा बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से मर्चेंट को भुगतान कर सकता है । ऑन-बोर्डिंग से ट्रांजेक्शन तक प्रत्येक चरण पर, मर्चेंट/ग्राहकों को एसएमएस भेजे जाते हैं ।

15. INFORMATION TECHNOLOGY

15.1 Core Banking Solution (CBS) and Wide Area Network

The Bank has put in place state of the art IT Infrastructure with 100% working on CBS through Network of 2390 branches offering an array of various IT products and services. These products and services are offered through Branches, ATMs, Net-Banking and Digital Banking Channels. All the CMOs, Cluster Offices, Service Branches, Currency Chests and other Administrative Offices are on CBS platform.

Majority branches are on MPLS and directly access PDC & DR through MPLS cloud. Branches which are on point to point link and not on MPLS, they are connected to aggregation points. Thereafter, all aggregation points are on MPLS. Further, if point to point links are down, the branches have been provided with VSAT / ISDN and branches can connect to PDC and DR through back up links.

The connectivity between Bank’s Primary Data Center, Mumbai and Disaster Recovery site, Delhi is from alternate service providers.

15.2 Disaster Recovery Setup (DRS)

Bank has implemented-3-way DR architecture through Primary Data Centre (PDC), Near Line Site (NLS) at Navi Mumbai and Disaster Recovery Site at Greater Kailash, New Delhi for Zero Data Loss for CBS. The data is synchronously replicated from PDC to NLS and is asynchronously replicated from NLS to DRS. This ensures that in case of any major problem at PDC, complete data of CBS can be made available at DRS within the shortest possible time.

15.3 Electronic Payment System

All the branches of the Bank offer inter-Bank remittances through RTGS, NEFT and IMPS. Internet Banking and Mobile Banking subscribers of the Bank are encouraged to use online facility of IMPS, RTGS and NEFT for inter-bank remittances.

National Payments Corporation of India (NPCI) has implemented “National Automated Clearing House (NACH)” for Banks, Financial Institutions, Corporate and Government, a web based solution to facilitate interbank, high volume, electronic transactions which are repetitive and periodic in nature. Bank has implemented NACH (Credit) and NACH (Debit) as Sponsor and Destination Bank and participating in routine operations.

New generation and feature rich bi-lingual Mobile Banking App (OBCmPAY) has been launched by the Bank on both the major mobile operating system platforms viz. Apple App Store and Android Play Store for its customers

Envisaging the potential of digital banking, harnessing its potential and contributing towards less cash economy, Bank is offering Unified Payment System (UPI) through its own Mobile App BHIM Oriental Pay.

Bank has launched BHIM Aadhaar Merchant Application through which residents can pay to merchants through Aadhaar and biometric authentication. At every stage from on-boarding to transactions, SMS are being sent to merchants/ customers.

सरकारी योजनाएं जैसे सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई), सुकन्या समृद्धि योजना के अंशदान हेतु, जीएसटी भुगतान बैंक की नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं।

बैंक ने शाखाओं के माध्यम से जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण की कार्यशीलता तथा ओटीपी आधारित आधार प्रमाणीकरण उपलब्ध कराया है जिसका कॉरपोरेट वेबसाइट में एप्लीकेशन लिंक उपलब्ध है ।

15.4 कॉरपोरेट वेबसाइट

बैंक ने जागरूकता पैदा करने के लिए बैंक की कॉरपोरेट वेबसाइट पर अलर्ट के साथ विभिन्न आईटी उत्पादों एवं सेवाओं के उपयोग का विवरण प्रदर्शित किया है। ऑनलाइन लॉकर उपलब्धता सुविधा, खाता खोलने, ऋण आवेदन ट्रेकिंग, शिकायत करने आदि सहित अन्य सेवाएं बैंक द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं । भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार बैंक ने नया ऑनलाइन सिस्टम द्वारा तैयार की जाने वाली शिकायत निवारण पद्धति लागू की है । बैंक की “psbloansin59minutes.com” के साथ भागीदारी भी है ।

15.5 सूचना सुरक्षा

बैंक के डाटा सेंटर आईएसओ 27001:2013 से मान्यता प्राप्त हैं । बैंक की महत्वपूर्ण सम्पत्तियों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के लिए बैंक ने सशक्त, स्केलेबल, स्टेट-ऑफ-आर्ट आईटी सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया है, जिसमें फायरवॉल, आईपीएस (इंट्रयूज़न प्रिवेंशन सिस्टम), एंटी वायरस तथा सिक्योरिटी टूल्स आदि सम्मिलित हैं ।

बैंक ने 24x7x365 दिनों के आधार पर सुरक्षा घटनाओं की सक्रिय निगरानी तथा रोकथाम के लिए स्टेट ऑफ आर्ट एसओसी टूल्स जैसे; एसआईईएम, एनबीए, पीआईएम, आईटी-जीआरसी सॉल्यूशन्स आदि स्थापित किए हैं ।

16. मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण

आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए, बैंक ने मौजूदा मानव संसाधनों को प्रशिक्षण चैनलों के माध्यम से उनके कौशल को सुदृढ़ करके अधिकतम उपयोगी बनाने की रणनीति तैयार की है। वर्ष के दौरान बैंक ने 195 विशेषज्ञ अधिकारी, 113 परिवीक्षाधीन अधिकारी, 396 लिपिक एवं 17 अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती की है। मार्च 2019 के अंत में, बैंक की कुल स्टाफ संख्या 21729 थी, जिसमें 12,929 अधिकारी, 6601 गैर-अधीनस्थ तथा 2199 अधीनस्थ कर्मचारी शामिल हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक में 79843 प्रशिक्षण कार्यदिवस पूर्ण किए । बैंक ने यथानिर्धारित रियायतें / छूट प्रदान करने के अलावा अनुसूचित जाति/जनजाति/ ओबीसी/ पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व सैनिक को आरक्षण, भर्ती तथा प्रोन्नति के संदर्भ में सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों, यदि कोई रही हों, का निवारण सभी मंडल कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय में सृजित अनुसूचित जाति/जनजाति कक्षों के प्रभारी संपर्क अधिकारी/मुख्य संपर्क अधिकारी द्वारा किया गया । मार्च 2019 के अंत तक, सभी 5 मानव संसाधन विकास संस्थानों (एचआरडीआई) ने आईएसओ प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।

औद्योगिक संबंध

बैंक भागीदारी प्रबंधन के सिद्धान्त को जारी रखे हुए है। कर्मकार यूनियन, ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं प्रबंधन वर्ग संगठन की समग्र समृद्धि और विकास के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। बैंक की शिकायत निवारण पद्धति अति प्रभावी है तथा कर्मचारियों की शिकायतें, यदि कोई हों, उनको नियमित रूप से आयोजित होने वाली श्रमिक संबंध बैठकों में परस्पर व द्विपक्षीय वार्ता द्वारा अविलंब दूर किया जाता है।

Government schemes like subscription to Public Provident Fund (PPF) and Atal Pension Yojana (APY), Sukanya Samriddhi Yojana, GST payments have been made available online through Bank’s Net Banking.

Bank has provided functionality of Demographic Authentication through branches and OTP Based Aadhaar Authentication - Application Link is available in Corporate Website.

15.4 Corporate Website

Bank has displayed the details on the usage of various IT products and services along with Alerts on the Bank’s Corporate Website to create awareness. Online services provided by Bank include the Online Locker Availability facility, Account Opening, Loan Application Tracking, Complaints submission etc. As per government guidelines, Bank has implemented new online system driven grievances redressed system. Bank also partner with “psbloansin59minutes.com”

15.5 Information Security

Bank’s data centres are accredited with ISO 27001:2013. Bank has established robust, scalable, state-of-the-art IT Security Infrastructure including Firewalls, IPS (Intrusion Prevention System), Anti-virus and Security Tools etc. to secure and safeguard Bank’s Critical assets.

Bank has deployed the state of the art SOC Tools viz. SIEM, NBA, PIM, IT-GRC solutions etc. to do proactive monitoring and prevention of security incidents on 24x7x365 days basis.

16. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND TRAINING

In order to meet the challenges ahead, the Bank has planned strategies for optimum utilization of existing Human Resources by enhancing their skills through the channel of Training. During the year, Bank recruited 195 Specialist Officers, 113 Probationary Officers, 396 Clerks and 17 Sub-staff. At the end of March, 2019, the Bank had total staff strength of 21729, comprising 12929 Officers, 6601 Non-Subordinates and 2199 Subordinates. During FY 2018-19, the Bank has completed 79843 Training Man-days in the Bank. The Bank has complied with Government guidelines in respect of reservation, recruitment and promotion for SC/ST/OBC/PWD/EXSM besides extending concessions/relaxation as prescribed. The grievances of SC/ST/OBC employees, if any, were resolved through SC/ST Cell created at all Circle Offices and Corporate Office under the charge of Liaison Officers / Chief Liaison Officer. As at the end of March 2019, all 5 Human Resource Development Institutes (HRDIs) had obtained ISO certification.

Industrial Relations

The Bank continues to pursue the principle of Participative Management. The Workmen Union, Officers Association and the Management worked together for the all-round prosperity and growth of the organization. The Grievance Redressal Mechanism in the Bank is quite effective and facilitates enables prompt resolution of grievances of employees, through mutual and bilateral discussions in the regularly held industrial relations meetings.

17. अनुपालन

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देशों को आधार मानते हुए बैंक ने अनुपालन नीति को लागू किया है। अनुपालन वर्टिकल के प्रमुख मुख्य अनुपालन अधिकारी (महाप्रबंधक) हैं जो कॉरपोरेट कार्यालय के साथ-साथ फील्ड स्तर पर समय-समय पर सांविधिक/नियामक/आंतरिक दिशा निर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग करते हैं।

18. जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

भारतीय रिजर्व बैंक की एसपीएआरसी (जोखिम एवं पूंजी का आंकलन करने हेतु पर्यवेक्षी कार्यक्रम)जोखिम केंद्रित है तथा इसका उद्देश्य बैंकों में पर्यवेक्षी प्रक्रिया के प्रभाव तथा क्षमता को बढ़ाना है क्योंकि पर्यवेक्षक, इनकी व्यक्तिगत जोखिम प्रोफाइल के आधार पर विभेदित पर्यवेक्षण लागू करता है। एसपीएआरसी के अंतर्गत, पर्यवेक्षक प्रत्येक बैंक को दो पहलुओं की जानकारी देते हैं यथा; बैंक द्वारा सामना किए जाने वाला जोखिम तथा पूंजी की स्थिति। एसपीएआरसी स्कोरकार्ड आधारित एप्रोच का प्रयोग करती है, जहां बैंक के मूल्यांकन के परिणाम, आईआरआईएससी मॉडल के लिए इनपुट के रूप में काम करते हैं, जो संरचित और बहु-स्तरीय मॉडल है, जो उपलब्ध पूंजी के लिए समायोजित बैंक में जोखिम के मूल्यांकन का समर्थन करता है । एसपीएआरसी ऑफसाइट तथा ऑनसाइट निगरानी उपकरणों के संयोजन के माध्यम से नियमित आधार पर पर्यवेक्षक द्वारा बैंक के जोखिम का विस्तृत गुणात्मक तथा मात्रात्मक मूल्यांकन है ।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के छः चक्र अर्थात 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 पूर्ण हो चुके हैं। जोखिम आकलन रिपोर्ट (आरएआर) अर्थात्; आईएसई के अंतर्गत आरबीआई रिपोर्ट प्रत्येक निरीक्षण के बाद वार्षिक आधार पर उपलब्ध कराई जाती है जिसमें, पर्यवेक्षण पूंजी निर्धारण, पर्यवेक्षी रेटिंग, पर्यवेक्षी दृष्टिकोण एवं जोखिम न्यूनीकरण योजना (आरएमपी) सम्मिलित हैं । आरएमपी बैंक को अंतर्निहित और नियंत्रण जोखिमों पर कुछ विशिष्ट टिप्पणियों सहित विभिन्न जोखिम समूहों के मध्य पर्यवेक्षक द्वारा इंगित प्रमुख जोखिम क्षेत्रों के बारे में अवगत कराता है। इसके अंतर्गत, पर्यवेक्षक जोखिम नियंत्रण/ निहित जोखिम तथा/या न्यूनतम नियामक पूंजी से अधिक और अतिरिक्त पर्यवेक्षी पूंजी रखने की अनिवार्य धारिता के उपायों का सुझाव देता है। बैंक आरएआर और आरएमपी में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आरबीआई की टिप्पणियों के अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाता है और आरबीआई को नियमित आधार पर इसकी पुष्टि करता है।

19. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) - रणनीति और प्रगति

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डीबीआर.बीपी.बीसी सं.76/21-07-001/2015-16 दिनांक 11 फरवरी 2016 द्वारा भारत में बैंकों में भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप निर्धारित किया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के कार्यान्वयन की रणनीति एवं इस संबंध में हुई प्रगति की जानकारी देनी होगी। तदनुसार, बैंक ने इंड एएस की प्रगति की निगरानी के लिए परियोजना संचालन समिति (पीएससी) का गठन भी किया गया है जिसके अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक हैं और इसमें बैंक के विभिन्न पारस्परिक कार्यात्मक क्षेत्रों के महाप्रबंधक शामिल हैं। मण्डल की लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल को भी नियमित आधार पर इस संबंध में हुई प्रगति के बारे में अवगत किया जाता है। इसके अलावा इंड एएस कार्यान्वयन के लिए बैंक के पास सलाहकार भी है।

पूर्व में, भारतीय रिजर्व बैंक आवधिक आधार पर इंडएएस वित्तीय विवरणियों का प्रारूप मंगवाता रहा है, जो उन्हें भेजे गए हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रतर 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही से शुरु करते हुए, तिमाही के परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर या तिमाही समाप्ति के 60 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, बैंक को प्रत्येक तिमाही में इंडएएस प्रोफार्मा भेजने का परामर्श दिया है । ये प्रोफार्मा वित्तीय विवरणियां केवल विनियामक के मूल्यांकन के उद्देश्य से हैं तथा इनका पूर्णतया इंडएएस अनुपालन होना या बैंकिंग विनियम

17. COMPLIANCE

The Bank has put in place a Compliance Policy, based on the guidelines of Reserve Bank of India. The Compliance vertical headed by the Chief Compliance Officer (General Manager) monitors the compliance of the statutory / regulatory / internal guidelines in force from time to time at corporate as well as field level.

18. RISK BASED SUPERVISION

SPARC (Supervisory Program for Assessment of Risk and Capital) of RBI is risk focused and intended to increase the effectiveness and efficiency of the supervisory process as the supervisor would apply differentiated supervision to banks' based on their individual risk profile. Under SPARC, supervisors appraise each bank on two aspects i.e. the risk faced by a bank and the capital position. SPARC uses a scorecard based approach wherein the results of assessment of the Bank act as an input for the IRISc model which is a structured and multi-tiered model that supports the assessment of risks in a bank adjusted for the capital available. SPARC is a detailed qualitative and quantitative assessment of the Bank's risks by the Supervisor on an ongoing basis through combination of offsite and onsite monitoring tools.

Six Cycles of RBS i.e. 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 & 2017-18 have been completed. Risk Assessment Report (RAR) i.e. RBI report under ISE is provided on yearly basis after each inspection which includes Supervisory Capital Prescription, Supervisory Rating, Supervisory Stance and Risk Mitigation plan (RMP). RMP appraises the Bank about the key risk areas identified by the Supervisor amongst various risk groups including some specific observations on inherent and control risks. Under this, the Supervisor suggests measures to control Risk/inherent Risk and/or additional capital required over and above the minimum regulatory capital. The Bank takes necessary steps for compliance of RBI observations as highlighted in RAR and RMP within the stipulated timelines and confirms the same to RBI on an ongoing basis.

19. IND AS - STRATEGY AND PROGESS

The Reserve Bank of India (RBI) vide DBR.BP.BC.No. 76/21.07.001/2015-16 dated 11th February 2016, prescribed the roadmap for implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS) in the Banks in India. As per the guidelines, Banks need to disclose in the Annual Report, the strategy for Ind AS implementation, including the progress made in this regard. Accordingly, to oversee the progress of Ind AS, the Project Steering Committee (PSC) had also been constituted which is headed by the Executive Director and comprises of General Managers from various cross functional areas of the Bank. The Audit Committee of the Board and the Board of Directors are also being apprised of the progress on regular basis. Further, the Bank has a Consultant for implementation of Ind AS.

In the past, the RBI periodically called for Proforma Ind AS Financial Statements which were duly submitted. The RBI further advised the Banks to submit Proforma Ind AS Financial Statements every quarter, starting from quarter ended 30th June 2018 within 15 days of declaration of quarterly results or within 60 days from the end of the quarter, whichever is earlier. These Proforma Financial Statements are for regulatory analysis purpose only and may not necessarily be completely Ind AS compliant or indicative of the final format to be specified in the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित अंतिम फार्मेट के अनुरूप होना अनिवार्य नहीं है । तदनुसार, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को निर्धारित समयावधि के भीतर 30 जून 2018, 30 सितंबर 2018 तथा 31 दिसंबर 2018 को समाप्त अवधि (संक्रमण तिथि 01 अप्रैल 2018) हेतु फार्मेट/टेम्प्लेट के अनुसार प्रोफार्मा इंडएएस वित्तीय विवरणियां प्रस्तुत कर दी हैं।

अग्रतर, भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिसूचना सं. डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.29/21-07-001/2018-19 दिनांक 22.03.2019 के माध्यम से इंडएएस के क्रियान्वयन को आगामी निर्देशों तक के लिए स्थगित कर दिया है । तथापि, प्रोफार्मा इंडएएस वित्तीय विवरणियां प्रस्तुत करना यथावत जारी रहेगा।

साथ ही इसके स्थगन से इंडएएस क्रियान्वयन हेतु बैंक की तैयारी की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

20. अनुपात

क्र. सं.	उद्योग विशिष्ट अनुपात	वित्तीय वर्ष 31.03.2019	वित्तीय वर्ष 31.03.2018	% बदलाव	व्याख्या
1	सामान्य ईक्विटी टीयर -1 (%)	9.86	7.46	32.17%	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में सीईटी-1 31.03.2018 के रु.10995.50 करोड़ की तुलना में 31.03.2019 को समानुपातिक रूप से बढ़कर रु. 14440.54 करोड़ हो गई अर्थात् इसमें रु.3445.04 करोड़ की वृद्धि हुई।
2	टीयर 1 (%)	9.98	7.61	31.14%	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में टीयर-1 पूंजी 31.03.2018 के रु. 11216.28 करोड़ की तुलना में समानुपातिक रूप से बढ़कर 31.03.2019 को रु. 14611.28 करोड़ हो गई अर्थात् इसमें रु. 3395 करोड़ की वृद्धि हुई।
3	आस्तियों पर आय (%)	0.02	-2.31	-100.87%	बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के रु.5871.74 करोड़ की हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु.54.99 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।
4	ईक्विटी पर आय (%)	0.46	-51.14	-100.90%	बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के रु.5871.74 करोड़ की हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु.54.99 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।
5	निवल एनपीए (%)	5.93	10.48	-43.42%	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निवल एनपीए में मुख्यतः निम्न कारणों से रु.4843.24 करोड़ की कमी आई: 1) नए स्लीपेज में कमी: वित्तीय वर्ष 2017-18 के रु.12429 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में नए स्लीपेज कमी के साथ रु.7066 करोड़ रहे अर्थात् इनमें 43.15% की कमी हुई। 2) नगद वसूली एवं अपग्रेडेशन:वित्तीय वर्ष 2017-18 के रु.3161 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में खातों में रु.6597 करोड़ की कुल नगद वसूली एवं अपग्रेडेशन हुआ अर्थात् इसमें 108.68% की वृद्धि हुई।

Accordingly, the Bank has submitted Proforma Ind AS Financial Statements as per the format / template for the periods ended 30th June 2018, 30th September 2018 and 31st December 2018 (Transition date 01st April 2018) within stipulated time, to the RBI.

RBI vide Notification No.DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March 2019 has deferred the implementation of Ind AS till further notice. However, the submission of Proforma Ind AS Financial Statements shall continue as hitherto.

Further, the deferment will not affect the pace of Bank's preparedness of Ind AS implementation.

20. RATIOS

S. No.	Industry specific Ratios	FY 31.03.2019	FY 31.03.2018	% change	Explanations
1	Common equity Tier -1 (%)	9.86	7.46	32.17%	The CET-1 has increased from Rs. 10995.50 crore as on 31.03.2018 to Rs. 14440.54 crore as on 31.03.2019 i.e. by Rs. 3445.04 crore as compared to proportionate increase in Risk Weighted Assets.
2	Tier 1 (%)	9.98	7.61	31.14%	The Tier-1 capital has increased from Rs. 11216.28 crore as on 31.03.2018 to 14611.28 crore as on 31.03.2019 i.e. by Rs. 3395 crore as compared to proportionate increase in Risk Weighted Assets.
3	Return on Assets (%)	0.02	-2.31	-100.87%	In FY 2018-19 the Bank has earned net profit of Rs. 54.99 crores as compared to a loss of Rs. 5871.74 crore in FY 2017-18.
4	Return on Equity (%)	0.46	-51.14	-100.90%	In FY 2018-19 the Bank has earned net profit of Rs. 54.99 crore as compared to a loss of Rs. 5871.74 crores in FY 2017-18.
5	Net NPA (%)	5.93	10.48	-43.42%	During FY 2018-19, net NPA have decreased by Rs. 4843.24 crore mainly due to following: 1) Lower Fresh Slippages : Fresh slippages has reduced to Rs. 7066 crore in FY 2018-19 from Rs. 12429 crore in FY 2017-18 i.e decrease by 43.15%. 2) Cash Recovery plus upgradation :Total cash recovery and upgradation in accounts has increased to Rs. 6597 crores in FY 2018-19 as compared to Rs. 3161 crore in FY 2017-18 i.e. increase by 108.68%.

6	सकल एनपीए (%)	12.66	17.63	-28.19%	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सकल एनपीए में मुख्यतः निम्न कारणों से रु. 4416.57 करोड़ की कमी आईः: 1) नए स्लीपेज में कमी: वित्तीय वर्ष 2017-18 के रु.12429 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में नए स्लीपेज कमी के साथ रु.7066 करोड़ रहे अर्थात् इनमें 43.15% की कमी हुई। 2) नगद वसूली एवं अपग्रेडेशन:वित्तीय वर्ष 2017-18 के रु.3161 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में खातों में रु.6597 करोड़ की कुल नगद वसूली एवं अपग्रेडेशन हुआ अर्थात् इसमें 108.68% की वृद्धि हुई।
7	निवल ब्याज मार्जिन (%)	2.73	2.18	25.23%	बैंक की निवल ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2017-18 के रु. 4500.76 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में बढ़कर रु. 5498.12 हुई।
8	ऋण लागत अनुपात (%)	4.03	6.07	-33.61%	ऋण संबंधी लागत/ प्रावधानों में कमी के कारण ऋण लागत अनुपात में कमी आई।
9	प्रति शेयर आय (रु.)	0.77	-168.09	-100.46%	बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के रु.5871.74 करोड़ की हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु.54.99 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।
10	प्रति कर्मचारी लाभ/ हानि (रु. लाख में)	0.25	-26.72	-100.94%	बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के रु.5871.74 करोड़ की हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु.54.99 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।
11	प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	100.59	162.86	-38.24%	बैंक की निवल मालियत में रु. 3477.59 करोड़ की वृद्धि के बावजूद प्रति शेयर बही मूल्य में कमी आई क्योंकि निवल मालियत के प्रतिशत में (33.75%) की वृद्धि की तुलना में अधिशेष शेयरों की संख्या के प्रतिशत (116.54%) में कहीं अधिक वृद्धि हुई है।
12	निवल मालियत (रु. लाख में)	1378299	1030540	33.75%	बैंक की निवल मालियत में निम्न कारणों से वृद्धि हुईः 1) भारत सरकार द्वारा रु.6686 करोड़ की पूंजी प्रदान की गई। 2) रु.250 करोड़ का ईएसपीएस निर्गम 3) वर्ष के लिए रु.54.99 करोड़ का लाभ साथ ही, आस्थगित कर आस्तियों में वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 में इसमें रु.3418 करोड़ की कमी हुई।

6	Gross NPA (%)	12.66	17.63	-28.19%	During FY 2018-19, gross NPA have decreased by Rs. 4416.57 crore mainly due to following: 1) Lower Fresh Slippages : Fresh slippages has reduced to Rs. 7066 crore in FY 2018-19 from Rs. 12429 crore in FY 2017-18 i.e decrease by 43.15%. 2) Cash Recovery plus upgradation : Total cash recovery and upgradation in accounts has increased to Rs. 6597 crores in FY 2018-19 as compared to Rs. 3161 crore in FY 2017-18 i.e. increase by 108.68%.
7	Net Interest Margin (%)	2.73	2.18	25.23%	Net interest income of the Bank has increased to Rs. 5498.12 crores in FY 2018-19 against Rs. 4500.76 in FY 2017-18.
8	Credit Cost Ratio (%)	4.03	6.07	-33.61%	Credit cost ratio has decreased due to decrease in credit related costs /provisions.
9	Earning per Share (Rs.)	0.77	-168.09	-100.46%	In FY 2018-19 the Bank has earned net profit of Rs. 54.99 crores as compared to a loss of Rs. 5871.74 crores in FY 2017-18.
10	Profit / Loss per Employee (Rs. in lakhs)	0.25	-26.72	-100.94%	In FY 2018-19 the Bank has earned net profit of Rs. 54.99 crores as compared to a loss of Rs. 5871.74 crores in FY 2017-18.
11	Book Value per share (Rs.)	100.59	162.86	-38.24%	Book value per share has decreased despite increase in net worth of the bank by Rs. 3477.59 crores because percentage increase in number of shares outstanding (116.54%) is much higher than the percentage increase in net worth (33.75%).
12	Net Worth (Rs. In lakhs)	1378299	1030540	33.75%	Net worth of the bank has increased due to following reasons: 1) Infusion of capital of Rs. 6686 by GOI 2) ESPS issue of Rs. 250 crores 3) Profit for the year 54.99 crores Further due to increase in Deferred tax assets it has reduced by Rs. 3418 crores in financial year 2018-19.

21. अवसर एवं चुनौतियां

सम्पूर्ण देश में बैंक की 2390 शाखाओं एवं 2625 एटीएम के साथ भौगोलिक रूप से विस्तृत उपस्थिति है। बैंक की लगभग 50% शाखाओं की ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उपस्थिति रिटे क्रेडिट एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों में अपना अंश बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है।

बैंक का टर्न-अराउंड, पीसीए से बाहर आना, एनपीए स्तर में कमी, भारत सरकार द्वारा पूंजी प्रदान करना और कर्मचारियों द्वारा ईएसपीएस को ओवरसब्सक्राईब करना वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के लिए प्रमुख सकारात्मक कारक रहे हैं और ये सभी कारक बैंक को निकट भविष्य में मजबूती के साथ बेहतर कार्य-निष्पादन देने के लिए अवसर प्रदान करते हैं।

आस्ति गुणवत्ता में गिरावट पर लगाम लगाई गई है, किंतु खराब आस्तियों की बड़ी मात्रा इस समय भी बड़ी समस्या है, जो बैंक के लाभ को प्रभावित करेगी। बैंकिंग उद्योग में नए प्रवेशकर्ता भी कड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में आर्थिक वृद्धि का दृष्टिकोण आशाजनक है और भारतीय बैंकिंग उद्योग के भी बेहतर परिणाम देने की आशा है।

22. बैंक में हिन्दी का प्रयोग

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने तथा भारत सरकार, संसदीय राजभाषा समिति और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त दिशानिर्देशों/ निर्देशों का पालन करने के सार्थक प्रयास जारी रखे। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2018-19 में निर्धारित विभिन्न क्षेत्रवार लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बैंक द्वारा ठोस एवं कारगर कदम उठाए गए।

बैंक को हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। **मण्डल कार्यालय, जयपुर** को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर द्वारा **राजभाषा शील्ड योजना, 2017-18** के अंतर्गत **प्रथम पुरस्कार** प्रदान किया गया। साथ ही, मण्डल कार्यालय, रायपुर, जालंधर, मेरठ, कोलकाता को संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से **तृतीय पुरस्कार** तथा मण्डल कार्यालय, पंचकूला को **प्रोत्साहन पुरस्कार** प्रदान किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा हमारे विभिन्न मण्डल कार्यालयों एवं अन्य कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया। निरीक्षणकर्ताओं ने बैंक द्वारा हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की ।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति</u>:

- ग्राहकों को एटीएम लेन-देन पर्चियां हिन्दी में भी जनरेट करने की सुविधा प्रदान की गई है।
- ग्राहकों को हिन्दी में एसएमएस अलर्ट भेजे गए।
- बैंक की वेबसाइट तथा ओबीसी पोर्टल अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिन्दी यूनिकोड में भी उपलब्ध।
- फिनेकल का द्विभाषीकरण किया गया, जिससे ग्राहकों को पास-बुक, सीडीआर/एफडीआर आदि हिन्दी में भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
- एचआरएमएस सिस्टम का द्विभाषीकरण किया गया, जिससे स्टाफ सदस्य अपने बायोडाटा, वेतनपर्ची, पेंशन व ग्रेच्युटी संबंधी विवरण हिंदी में भी प्राप्त कर सकेंगे।

21. OPPORTUNITIES & THREATS

The Bank has a wide spread geographical presence throughout the country with 2390 branches and 2625 ATMs. The presence of Bank's almost 50% branches in rural and semi-urban areas provides the opportunity to increase the share of retail credit and priority sector advances.

The Bank's turnaround, exit from PCA, reduction in NPA level, capital infusion by GOI and oversubcription of ESPS by the employees have been the major positive factors for the Bank during FY 2018-19 and all these factors provide opportunity to build up and show better performance in the near future.

The deterioration in asset quality has been checked, however the sheer volume of bad assets at present is still an issue and is going to affect the bottom-line of the Bank. The new entrants in the Banking Industry are also going to provide tough competition.

Outlook of Economic Growth in FY 2019-20 is optimistic and the Indian Banking Industry is also expected to show improved performance.

22. USE OF OFFICIAL LANGUAGE IN THE BANK

During FY 2018-19, the Bank continued its concerted efforts to increase the use of Official Language (Hindi) and to comply with the guidelines/instructions received from Government of India, Parliamentary Committee and RBI on Official Language. Bank has taken strong and effective measures to achieve the targets of Hindi as prescribed in Annual Program 2018-19 issued by Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Government of India.

Bank has been rewarded by Various Town Official Language Implementation Committees for doing excellent work in Hindi. Circle Office, Jaipur received First prize under Rajbhasha Shield Yojna, 2017-18 instituted by Town Official Language Implementation Committee, Jaipur. Besides, Circle Offices Raipur, Jalandhar, Meerut & Kolkata received Third Prize and Circle Office Panchkula has been awarded Consolation Prize by concerned Town Official Language Committees.

Our various Circle Offices & other offices were visited by Third Sub-committee of Parliamentary Committee on Official Language, Department of Financial Services, Ministry of Finance & Ministry of Home Affairs. The visiting officials appreciated the efforts being made by the Bank towards improvement of progressive use of Hindi.

<u>Progress made in use of Hindi in IT:</u>

- Facility of generating ATM Transactions Slips in Hindi was introduced for customers
- SMS alerts in Hindi were sent to Customers.
- Bank’s website and OBC Portal is available in Hindi Unicode also in addition to English.
- Bilingual facility has been provided on Finacle, through which Pass Book, CDR/FDR can be provided to customers in Hindi as well.
- HRMS has been made available in Hindi enabling the Staff to generate their Bio-Data, Salary Slip, Pension & Gratuity statements in Hindi.

हमारे अग्रणी बैंक, पलवल तथा फ़िरोज़पुर को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजन का दायित्व सौंपा गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इन समितियों द्वारा हिंदी कार्यशालाओं के साथ-साथ छमाही बैठकों का आयोजन किया गया।

23. शाखा विस्तार :-

31 मार्च, 2018 को 2389 की तुलना में 31 मार्च, 2019 को कुल शाखाओं की संख्या 2390 रही। शाखाओं का श्रेणी-वार वर्गीकरण निम्नानुसार है :

वर्गीकरण	**31.03.2019**
ग्रामीण	564
अर्ध- शहरी	626
शहरी	607
महानगरीय	593
कुल	**2390**

24. आगामी रणनीति

बैंक का विजन एवं मिशन वक्तव्य है -"एक ग्राहक-हितैषी अग्रणी बैंक बनना जो स्टेकहोल्डरों के मूल्यवर्धन के लिए वचनबद्ध है। गुणवत्ता सुलभ करते हुए ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप नवीनतम टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाकर निपुणता के साथ नई सेवाएं प्रदान करना। कर्मचारियों के व्यावसायिक कौशल एवं सामंजस्य-सुदृढ़ता में वृद्धि करना। ग्राहकों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए संपदा सृजन करना"।

मण्डल के लिए उनकी ओर से

(मुकेश कुमार जैन)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 13.05.2019

Rajbhasha Vibhag, Ministry of Home Affairs, Government of India has given the responsibility of convener of Town Official Language Implementation Committees to Lead Bank Palwal & Lead Bank, Firozpur of Bank. Half-yearly meetings along with Hindi Workshops were organized by these Committees during the financial year 2018-19.

23. BRANCH NETWORK:

As on 31st March 2019, the total number of branches stood at 2390, as against 2389 as on 31st March 2018. Category-wise classification of branches is as under:

Classification	**31.03.2019**
Rural	564
Semi-urban	626
Urban	607
Metropolitan	593
Total	**2390**

24. WAY FORWARD

The Bank’s Vision and Mission Statement is “To be a customer friendly premier bank committed to enhancing stakeholders’ value. Provide quality, innovative services with state-of-the-art technology in line with customer expectations. Enhance employees’ professional skills and strengthen cohesiveness. Create wealth for customers and other stakeholders.”

For and on behalf of the Board

Place: Gurugram
Date: 13th May 2019

(Mukesh Kumar Jain)
Managing Director & CEO

बासेल-III के अंतर्गत पिलर III का प्रकटन - मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

- ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसकी स्थापना 19 फरवरी, 1943 को हुई। भारत सरकार द्वारा बैंक को दिनांक 15 अप्रैल, 1980 को राष्ट्रीकृत किया गया। ओबीसी पहला राष्ट्रीकृत बैंक था, जिसने 1994 में सर्वप्रथम आईपीओ निकाला था तथा पहला राष्ट्रीकृत बैंक था, जिसने 2003-04 में कुल एनपीए शून्य घोषित किया था ।
- बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 31 मार्च, 2009 से निर्धारित बासेल-II पूंजी पर्याप्तता मार्गनिर्देशों का अनुपालन करता है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बासेल-III मार्गनिर्देश, 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी हैं । 31 मार्च, 2019 तक बासेल-III लागू करने के लिए परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.102/21.06.201/2013-14 दिनांक 27 मार्च, 2014 के माध्यम से संशोधित संक्रमण अनुसूची जारी की गई थी जिसे नीचे तालिका में दर्शाया जा रहा हैः

संक्रमणकालीन प्रबंध - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(एलएबी तथा आरआरबी के अतिरिक्त)

न्यूनतम पूंजी अनुपात	1 अप्रैल, 2013	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020
न्यूनतम सामान्य इक्विटी टीयर 1 (सीईटी 1)	4.5	5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
पूंजी परिमित बफर (सीसीबी)	-	-	-	0.625	1.25	1.875	1.875	2.5*
न्यूनतम सीईटी1+सीसीबी	**4.5**	**5**	**5.5**	**6.125**	**6.75**	**7.375**	**7.375**	**8**
न्यूनतम टीयर 1 पूंजी	6	6.5	7	7	7	7	7	7
न्यूनतम टीयर 1 पूंजी+ सीसीबी	**6**	**6.5**	**7**	**7.625**	**8.25**	**8.875**	**8.875**	**9.50**
न्यूनतम कुल पूंजी	9	9	9	9	9	9	9	9
न्यूनतम कुल पूंजी+सीसीबी	**9**	**9**	**9**	**9.625**	**10.25**	**10.875**	**10.875**	**11.5**
सीईटी 1 से सभी कटौतियों का फेज़-इन (% में)#	20	40	60	80	100	100	100	100

*भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.20/21.06.201/2018-19 के अनुसार पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की 0.625% की अंतिम श्रृंखला को 31 मार्च, 2019 से 31 मार्च, 2020 के लिए स्थगित कर दिया गया है।

*** 10.25%** की न्यूनतम कुल पूंजी आवश्यकता के मध्य के अंतर तथा टीयर 1 की जरूरत को टीयर 2 एवं पूंजी के उच्च स्वरूप से प्राप्त किया जा सकता है ।

यही संक्रमणकालीन दृष्टिकोण अतिरिक्त टीयर 1 तथा टीयर 2 पूंजी से कटौतियों पर भी लागू होगा ।

इसके अतिरिक्त, मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 15.2 की तालिका 25 में निम्नानुसार संशोधन किए गए हैं :

PILLAR III DISCLOSURES UNDER THE BASEL - III FOR YEAR ENDED MAR 2019

- Oriental Bank of Commerce is a scheduled commercial bank which was incorporated on 19th February 1943. Bank was nationalized by Government of India on April 15, 1980. OBC was the first nationalized bank to go for public with IPO in 1994 as well as the first nationalized bank to declare zero net NPA in 2003-04.
- Bank was subject to the Basel II capital adequacy guidelines stipulated by the Reserve Bank of India (RBI) from March 31, 2009. RBI issued Basel III guidelines, applicable with effect from April 1, 2013. The revised transition schedule issued through circular DBOD.No.BP.BC.102/21.06.201/2013-14 dated March 27, 2014 for Basel III implementation till March 31, 2019 is as shown in the below table.

Transitional Arrangements-Scheduled Commercial Banks

(excluding LABs and RRBs) (% of RWA)

Minimum capital ratios	April 1, 2013	March 31, 2014	March 31, 2015	March 31, 2016	March 31, 2017	March 31, 2018	March 31, 2019	March 31, 2020
Minimum Common Equity Tier 1 (CET1)	4.5	5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Capital conservation buffer (CCB)	-	-	-	0.625	1.25	1.875	1.875	2.5*
Minimum CET1+ CCB	**4.5**	**5**	**5.5**	**6.125**	**6.75**	**7.375**	**7.375**	**8**
Minimum Tier 1 capital	6	6.5	7	7	7	7	7	7
Minimum Tier 1 capital+CCB	**6**	**6.5**	**7**	**7.625**	**8.25**	**8.875**	**8.875**	**9.50**
Minimum Total Capital*	9	9	9	9	9	9	9	9
Minimum Total Capital +CCB	**9**	**9**	**9**	**9.625**	**10.25**	**10.875**	**10.875**	**11.5**
Phase-in of all deductions from CET1 (in %) #	20	40	60	80	100	100	100	100

*As per RBI Circular DBR.BP.BC.No.20/21.06.201/2018-19 the implementation of the last tranche of 0.625% of Capital Conservation Buffer (CCB) has been deferred from March 31, 2019 to March 31, 2020.

* The difference between the minimum total capital requirement of 10.88% and the Tier 1 requirement can be met with Tier 2 and higher forms of capital;

The same transition approach will apply to deductions from Additional Tier 1 and Tier 2 capital.

In addition, Table 25 of Paragraph 15.2 of the Master Circular is revised as under:

तालिका: प्रत्येक बैंक हेतु न्यूनतम पूंजी परिमित मानक			
चालू अवधि की आय सम्मिलित करने के बाद सामान्य इक्विटी टीयर 1 अनुपात			न्यूनतम पूंजी परिमित अनुपात (आय के % के रूप में प्रदर्शित)
31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार	
5.5% - 5.8125%	5.5% - 5.96875%	5.5% - 5.96875%	100%
>5.8125% - 6.125%	>5.96875% - 6.4375%	>5.96875% - 6.4375%	80%
>6.125% - 6.4375%	>6.4375% - 6.90625%	>6.4375% - 6.90625%	60%
>6.4375% - 6.75%	>6.90625% - 7.375%	>6.90625% - 7.375%	40%
>6.75%	>7.375%	>7.375%	0%

उपरोक्त परिमित तालिका के अनुसार, 31 मार्च, 2019 को, बैंक को न्यूनतम **7.375%** का सीईटी 1 पूंजी अनुपात, न्यूनतम **8.875%** का टीयर- 1 पूंजी अनुपात तथा न्यूनतम **10.875%** का कुल पूंजी अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है ।

बासेल III की रूपरेखा में तीन-पारस्परिक प्रबलन पिलर्स हैं :

पिलर 1 : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम हेतु न्यूनतम पूंजी आवश्यकता

पिलर 2 : पूंजी पर्याप्तता की पर्यवेक्षी समीक्षा

पिलर 3 : मार्केट अनुशासन

मार्केट अनुशासन (पिलर 3) में, पूंजी पर्याप्तता पर प्रकटन, बैंक के आस्ति गुणवत्ता तथा बैंक में जोखिम प्रबंधन की रूपरेखा के प्रकटन का समूह सम्मिलित है । ये प्रकटन निम्नलिखित क्षेत्रों में किए गए हैं:

अनुप्रयोग तथा पूंजी पर्याप्तता की संभावना

डीएफ-1 : अनुप्रयोग की व्यापकता

बैंकिंग समूह के प्रधान का नाम :- **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स**

(i) गुणात्मक प्रकटन :-

- **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स** पर लागू पिलर 3 प्रकटीकरण

कंपनी / निगमन के देश का नाम	क्या कंपनी समेकन की लेखा क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति बताएं	क्या कंपनी समेकन की विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति बताएं	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण बताएं	यदि केवल एक क्षेत्र के अंतर्गत समेकन किया गया है तो कारण बताएं
शून्य						

- ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक है जिसकी कोई समनुषंगी नहीं है।
- पूंजी पर्याप्तता के समेकन हेतु विचाराधीन कंपनी में बैंक के समनुषंगी, सहायक तथा संयुक्त उपक्रम सम्मिलित हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समेकित विवेकसम्मत रिपोर्ट तैयार करने की संभावना में बताई गई बैंकिंग या वित्तीय प्रक्रिया संबंधी गतिविधियां करती हैं।

Table: Minimum capital conservation standards for individual bank			
Common Equity Tier 1 Ratio after including the current periods retained earnings			**Minimum Capital Conservation Ratios (expressed as % of earnings)**
As on March 31, 2017	**As on March 31, 2018**	**As on March 31, 2019**	
5.5% - 5.8125%	5.5% - 5.96875%	5.5% - 5.96875%	100%
>5.8125% - 6.125%	>5.96875% - 6.4375%	>5.96875% - 6.4375%	80%
>6.125% - 6.4375%	>6.4375% - 6.90625%	>6.4375% - 6.90625%	60%
>6.4375% - 6.75%	>6.90625% - 7.375%	>6.90625% - 7.375%	40%
>6.75%	>7.375%	>7.375%	0%

As per the transition table above, at March 31st 2019, the Bank is required to maintain minimum CET1 capital ratio of **7.375**%, minimum Tier-1 capital ratio of **8.875**% and minimum total capital ratio of **10.875**%.

The Basel III framework consists of three-mutually reinforcing pillars:

(i) Pillar 1: Minimum capital requirements for credit risk, market risk and operational risk

(ii) Pillar 2: Supervisory review of capital adequacy

(iii) Pillar 3: Market discipline.

Market discipline (Pillar 3) comprises set of disclosures on the capital adequacy, asset quality and risk management framework of the Bank. These disclosures have been set out in the following sections.

SCOPE OF APPLICATION AND CAPITAL ADEQUACY

DF-1: Scope of Application

Name of the Head of the Banking Group:-**Oriental Bank of Commerce**

(i) **QUALITATIVE DISCLOSURES:-**

- Pillar 3 disclosures apply to **Oriental Bank of Commerce**.

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under Accounting scope of consolidation (Yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of of the scopes of consolidation
NIL						

- Oriental Bank of Commerce is a Public Sector Bank having no subsidiary.
- The entities considered for consolidation for capital adequacy include subsidiaries, associates and joint ventures of the Bank, which carry on activities of banking or financial nature as stated in the scope for preparing consolidated prudential reports as

बीमा कारोबार से जुड़ी कंपनियों तथा वित्तीय सेवाओं के अतिरिक्त अन्य कारोबार को पूंजी पर्याप्तता हेतु समेकन कार्य से बाहर रखा गया है। बैंकिंग की पूंजी में विशेष निवेश, वित्तीय तथा बीमा कंपनियां जो उस विनियामक समेकन की संभावना से बाहर हैं, जहां बैंक के पास जारीकर्ता कंपनी द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक का स्वामित्व है, वहां भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सामान्य शेयर की प्रकृति में निवेश पर 250% का जोखिम भार है। (दिनांक 1 जुलाई, 2014 के मास्टर परिपत्र- बासेल- III पूंजी विनियामक के पैरा सं. 4.4.9.2 सी iii के अनुसार)।

क) समेकन हेतु विचाराधीन समूह कंपनियां

31 मार्च, 2019 को समेकन हेतु लेखा क्षेत्र तथा समेकन हेतु विनियामक क्षेत्र दोनों के अंतर्गत समेकन हेतु विचारार्थ कोई समूह कंपनियां नहीं हैं।

ख) समेकन हेतु लेखा तथा विनियामक क्षेत्र दोनों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न की जाने वाली समूह कंपनियां

कंपनी / निगमन के देश का नाम	कंपनी की मुख्य गतिविधि	31 मार्च, 2019 को कुल तुलन पत्र इक्विटी (लेखा तुलन पत्र के अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक द्वारा धारित %	कंपनी के पूंजी प्रलेख में बैंक के निवेश का विनियामक प्रबंध	31 मार्च, 2019 को कुल तुलन पत्र आस्तियां (लेखा तुलन पत्र के अनुसार)
केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि./ भारत	**बीमा**	**₹ 1075.00 करोड़** (₹950 करोड़ की कुल प्रदत पूंजी + ₹125 करोड़ की शेयर प्रीमियम)	**23%**	250% करोड़ का भारित जोखिम	**₹15090.28 करोड़**

(ii) मात्रात्मक प्रकटन:-

ग) समेकन की विनियामक क्षेत्र हेतु विचारार्थ समूह कंपनियां

कंपनी / निगमन के देश का नाम (जैसा ऊपर (i) क में दर्शाया गया है)	कंपनी की मुख्य गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक कंपनी के लेखा तुलन पत्र में दर्शाया गया है)	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसे विधिक कंपनी के लेखा तुलन पत्र में दर्शाया गया है)
शून्य			

समेकन के लेखा क्षेत्र तथा समेकन के विनियामक क्षेत्र दोनों के अंतर्गत समेकन हेतु विचारार्थ कोई समूह कंपनियां नहीं हैं।

घ) समनुषंगियों में पूंजी संबंधी कमियां

कंपनी / निगमन के देश का नाम	कंपनी की मुख्य गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक कंपनी के लेखा तुलन पत्र में दर्शाया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक द्वारा धारित %	पूंजी संबंधी कमियां
शून्य				

बैंक की कोई अनुषंगी नहीं है अतः लागू नहीं।

prescribed by RBI. Entities engaged in insurance business and businesses not pertaining to financial services are excluded from consolidation for capital adequacy. Significant Investment in the capital of Banking, Financial and Insurance Entities which are outside the scope of regulatory consolidation where bank owns more than 10% of the issued common share capital of the issuing entitity are risk weighted at 250% as stated by RBI as such investment is in the nature of common share. (As per para 4.4.9.2 C iii of Master circular- Basel-III Capital regulations dated July 1,2014).

a) **Group entities considered for consolidation**

As on March 31st 2019, there are no group entities that are considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

b) **Group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation:**

Name of the entity / Country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity at March 31st 2019 (as per accounting balance sheet)	% of Bank's holding in total equity	Regulatory treatment of Bank's investment in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets at March 31st 2019 (as per accounting balance sheet)
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co Ltd./India	**Insurance**	**₹1075.00 Crore** (total paid up capital of ₹950 crores + Share premium of ₹125 crores)	**23%**	Risk Weighted at 250%	**₹15090.28 Crore**

(ii) **QUANTITATIVE DISCLOSURES:-**

c) **Group entities considered for regulatory scope of consolidation:**

Name of the entity / Country of incorporation (as indicated in (i)a above	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity
NIL			

There are no group entities that are considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

d) **Capital deficiency in subsidiaries:**

Name of the entitity / Country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

Not Applicable as Bank does not have any subsidiary.

ड.) बीमा कंपनियों में बैंक का हित

बीमा कंपनियों में बैंक के हित का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :

कंपनी / निगमन के देश का नाम	कंपनी की मुख्य गतिविधि	31 मार्च, 2018 को कुल तुलन पत्र इक्विटी (लेखा तुलन पत्र के अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक द्वारा धारित %	जोखिम भारित पद्धित के सापेक्ष पूर्ण कटौती पद्धति के प्रयोग करने पर विनियामक पूंजी पर गुणात्मक प्रभाव
केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	**बीमा**	**₹1075.00 करोड़**	**23%**	**10 बीपीएस**

च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा :

उपरोक्त मामले में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू हैं :

i) अंतः समूह जोखिम की सीमा, प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित निधियों के 10% तक प्रतिबंधित है ।

ii) अग्रतर, बैंक को डीबीएस, भा.रि.बैंक को उन समूह इकाइयों की सूची प्रस्तुत करनी होती है जिनके साथ पिछले तीन वर्षो के दौरान महत्वपूर्ण लेन-देन रहा हो । तथापि, पिछले तीन वर्षो के दौरान बैंक का अपनी संयुक्त उपक्रम बीमा कंपनी, केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ ऐसा कोई लेन-देन नहीं है।

डीएफ-2 : पूंजी पर्याप्तता

(i) गुणात्मक प्रकटन :-

उद्देश्य

अपने कारोबार में जोखिम, रेटिंग एजेंसियों, शेयरहोल्डरों एवं निवेशकों की अपेक्षाओं तथा पूंजी में वृद्धि के लिए उपलब्ध विकल्पों को ध्यान में रखकर बैंक चालू एवं भावी कारोबार की ज़रूरतों को देखते हुए तथा नियामक प्रतिमानों की पूर्ति हेतु अपनी पूंजी का सक्रियता से प्रबंध करता है। इसके लिए बैंक वार्षिक (संशोधित तिमाही) आधार पर पूंजी योजना की समीक्षा करता है और पूर्ववर्ती तिमाही के लिए इसका परीक्षण करता है।

संगठनात्मक संरचना

जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षक समिति तथा आईसीएएपी पर कार्यपालक स्तर की समिति के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा बैंक के पूंजी प्रबंधन फ्रेमवर्क का संचालन किया जाता है।

नियामक पूंजी

बैंक को बासेल III। पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता के प्रतिमानों का पालन करना होता है । बासेल III। पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कुल पूंजी के टीयर-। में 8.875% की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ साथ जोखिम भारित आस्ति के लिए 10.875% का न्यूनतम अनुपात बनाए रखना होता है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 9.98% की टीयर-। पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ एकल आधार पर बैंक की कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.73% रही।

e) Bank’s interest in insurance entities

Following table gives the details of the Bank’s interest in insurance entity:

Name of the entity/ Country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity at March 31st 2019 (as per accounting balance sheet)	% of bank's holding in the total equity	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co Ltd.	**Insurance**	**₹ 1075.00 Crore**	**23%**	**10 bps**

f) Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

The following restriction is applicable in the aforesaid matter:

(i) Intra group exposure limit is restricted to 10% of Paid-up Capital and Reserves.

(ii) Further, the Bank is required to submit the list of group entities with which they have material transactions during last three years to DBS, RBI. However, the Bank does not have any such transactions with its joint venture insurance company, Canara HSBC OBC Life Insurance Company Limited during the last three years

DF-2: Capital Adequacy

(i) **QUALITATIVE DISCLOSURES**

Objective

The Bank actively manages its capital to meet regulatory norms and current and future business needs considering the risks in its businesses, expectation of rating agencies, shareholders and investors, and the available options of raising capital. Bank undertakes yearly(revised quarterly) Capital planning exercise and back test the same for the preceding quarter.

Organisational set-up

The capital management framework of the Bank is administered by the Risk Management Department under the supervision of the Executive level committee on ICAAP and Supervisory Committee of Directors on Risk Management.

Regulatory capital

The Bank is subjected to the capital adequacy norms stipulated by RBI guidelines on Basel III. The RBI guidelines on Basel III require the Bank to maintain a minimum ratio of total capital to risk weighted assets of 10.875%, with a minimum Tier-1 capital including CCB adequacy ratio of 8.875% for the year ended March 31st 2019. The total capital adequacy ratio of the Bank including CCB on standalone basis as on March 31st 2019 is 12.73% with Tier-1 capital adequacy ratio of 9.98%.

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार नए पूंजी पर्याप्तता ढांचा - बासेल III के कार्यान्वयन हेतु बैंक ने निम्न दृष्टिकोण अपनाया है :

- ऋण जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण
- बाजार जोखिम हेतु मानक अवधि दृष्टिकोण
- परिचालन जोखिम हेतु मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण

पूंजी का आंतरिक निर्धारण

- बैंक के पूंजी प्रबंधन ढांचे में आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) व्यापक रूप से शामिल है जो वार्षिक रूप से की जाती है व जिसमें बैंक के लिए पर्याप्त स्तर पर पूंजी जुटाने का प्रयास किया जाता है ताकि दवाब के परिप्रेक्ष्य में नियामक के प्रतिमानों तथा चालू व भावी कारोबारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके । आईसीएएपी की पूंजी आयोजना में आगामी पांच वर्षो की अवधि, भौतिक जोखिमों की नाप-तोल और शिनाख्त, तथा जोखिम व पूंजी के बीच के संबंध को ध्यान में रखा जाता है । बैंक में स्वतंत्र आईसीएएपी समिति है जिसमें बैंक के सर्वोच्च कार्यपालक शामिल हैं और जो बैंक की पूंजी आवश्यकताओं और इसके अभीष्टतम प्रयोग पर नजर रखती है ।
- जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क, पूंजी प्रबंधन फ्रेमवर्क के लिए पूरक का कार्य करता है जिसमें भौतिक जोखिमों का व्यापक मूल्यांकन सम्मिलित होता है ।
- आईसीएएपी का मुख्य पक्ष दवाब परीक्षण और जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क रहता है जो बैंक के जोखिम प्रोफाइल और पूंजीगत स्थिति पर अति और मध्यम परिस्थितियों में पड़ने वाले प्रभावों से संबधित जानकारी उपलब्ध कराता है। मंडल द्वारा अनुमोदित दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क के आधार पर ,बैंक विविध पोर्टफोलियो में दवाब परीक्षण करता है और पूंजी अनुपातों, चालू और आगामी अवधियों में पूंजी बफर की पर्याप्तता पर इसके प्रभाव का निर्धारण करता है । बैंक आवधिक अंतरालों पर दबाव परीक्षणों का निर्धारण व इसमें सुधार करता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं दवाब की परिस्थितियों में भौतिक जोखिम तो नहीं हैं व साथ ही साथ बाजार की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न बाजार की संभावित अति गतिविधि को भी प्रतिबिम्बित किया जा सके।

निगरानी एवं रिपोर्टिंग

ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का निदेशक मण्डल बैंक के पूंजी पर्याप्तता स्तरों पर सक्रिय दृष्टि रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता की स्थिति, जोखिम भारित आस्तियों तथा पूंजी और जोखिम प्रबंधन पर बासेल III के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण वार्षिक आधार पर मण्डल को रिपोर्ट किया जाता है। आगे, आईसीएएपी, जोकि एक वार्षिक प्रक्रिया है, मण्डल के लिए पांच वर्षो की अवधि हेतु बैंक की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के निर्धारण और निगरानी के लिए सहायक के तौर पर एक मशीनरी के रूप में भी कार्य करता है। पूंजी आयोजना प्रयास में बैंक निम्न समीक्षा करता है:

- चालू पूंजीगत आवश्यकताएं
- कारोबार रणनीति तथा जोखिम क्षमता के अनुरूप लक्षित एवं निरंतर पूंजी

In line with RBI guidelines Bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel III.

- Standardised Approach for Credit Risk
- Standardised Duration Approach for Market Risk
- Basic Indicator Approach for Operational Risk

Internal assessment of capital

- The Bank's capital management framework includes a comprehensive internal capital adequacy assessment process (ICAAP) conducted annually which determines the adequate level of capitalisation for the Bank to meet regulatory norms and current and future business needs, including under stress scenarios. The ICAAP encompasses capital planning for a five year time horizon, identification and measurement of material risks and the relationship between risk and capital. Bank has independent ICAAP Committee which meets every quarter constituting top Executives of the bank to oversee the optimum utilization of Capital and requirement of Capital.
- The capital management framework is complemented by the risk management framework, which includes a comprehensive assessment of material risks.
- Stress testing, which is a key aspect of the ICAAP and the risk management framework, provides an insight on the impact of extreme but plausible scenarios on the Bank's risk profile and capital position. Based on the Board-approved stress testing framework, the Bank conducts stress tests on its various portfolios and assesses the impact on its capital ratios and the adequacy of capital buffers for current and future periods. The Bank periodically assesses and refines its stress tests in an effort to ensure that the stress scenarios capture material risks as well as reflect possible extreme market moves that could arise as a result of market conditions.

Monitoring and reporting

The Board of Directors of Oriental Bank of Commerce maintain an active oversight over the Bank's capital adequacy levels. On yearly basis, an analysis of the capital adequacy position, the risk weighted assets and an assessment of the various aspects of Basel III on capital and risk management as stipulated by RBI, are reported to the Board. Further, the ICAAP which is an annual process also serves as a mechanism for the Board to assess and monitor the Bank's capital adequacy position over a five year time horizon. While undertaking the capital planning exercise, bank reviews:

- Current capital requirement.
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

(ii) मात्रात्मक प्रकटन :-

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार विभिन्न जोखिमों हेतु बासेल III के अंतर्गत पूंजी आवश्यकताएं

क्रमांक	जोखिम क्षेत्र	(₹ करोड़ में)
1	**ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं**	
	• मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत पोर्टफोलियो	**10842.61**
	• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य
2	**बाजार जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं**	
	मानक अवधि दृष्टिकोण;	**954.18**
	• ब्याज दर जोखिम	628.51
	• विदेशी मुद्रा (सोना सहित) जोखिम	2.25
	• इक्विटी स्थिति का जोखिम	323.42
3	**परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं:**	
	मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण	**1125.98**
	कुल पूंजी आवश्यकताएं (क)+(ख)+(ग)	**12922.77**
4	**सामान्य इक्विटी टीयर 1, टीयर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात**	
	• बैंक का सामान्य इक्विटी टीयर 1 अनुपात (सीसीबी सहित)	9.86%
	• बैंक की टीयर 1 सीआरएआर (सीसीबी सहित)	9.98%
	• बैंक की कुल सीआरएआर (सीसीबी सहित)	12.73%

डीएफ 3. ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटन

i) गुणात्मक प्रकटनः

क) ऋण जोखिम प्रबंधन नीति एवं प्रक्रिया

बैंक में ऋण जोखिम का प्रबंधन, मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति और वसूली नीति द्वारा किया जाता है । बैंक को अपने ऋण परिचालनों में ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। ऋण जोखिम, बैंक के साथ किसी वित्तीय संविदा की शर्तों और नियमों का पालन करने में किसी भी प्रतिपक्ष के असफल होने पर होने वाली हानि का जोखिम है, जो कि मुख्यतः अपेक्षित भुगतान न करने के कारण होता है। ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य प्रयोजन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति है :

- भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य विनियामक प्राधिकारियों के मार्गनिर्देशों/नीतियों का पालन
- कॉरपोरेट, सरकारी, लघु एवं मध्यम उद्यम, ग्रामीण/माइक्रो बैंकिंग, कृषि और रिटेल ग्राहकों का पसंदीदा बैंक बनना
- सभी ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति तत्काल एवं दक्षता पूर्वक करके उनसे सौहार्द्र पूर्ण व्यावसायिक संबंध बनाए रखना
- जोखिम आधारित ऋण प्रदान करके और ऋण पोर्टफोलियो को सक्रिय बनाते हुए विविधीकृत गुणवत्ता परक आस्ति पोर्टफोलियो बनाना
- उपयुक्त निकास विकल्पों के साथ इष्टतम जोखिम प्रतिफल प्रोफाइल बनाना

इस नीति में कॉरपोरेट, लघु एवं मध्यम उद्यम, रिटेल, ग्रामीण/कृषि और निवेश संबंधी ऋणों को शामिल किया गया है । इसमें व्यापक ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ एक संरचित और मानक ऋण अनुमोदन प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्तीय प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए बैंक उधारकर्ताओं और संबंधित उद्योग से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन करता है। बैंक निम्नानुसार विचार करके उधारकर्ता के गुणात्मक तथा मात्रात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करता है :

(ii) **QUANTITATIVE DISCLOSURES:-**

Capital requirements under Basel III for various risk areas as on March 31st , 2019

S. N.	Risk area	(in ₹ crores)
1	**Capital Requirements for Credit risk**	
	• Portfolio subject to standardized approach	**10842.61**
	• Securitisation exposure	Nil
2	**Capital requirements for market risk**	
	Standardised duration approach	**954.18**
	• Interest rate risk	628.51
	• Foreign exchange (including gold) risk	2.25
	• Equity position risk	323.42
3	**Capital requirements for operational risk:**	
	- Basic indicator approach	**1125.98**
	Total Capital Requirement (a)+(b)+(c)	**12922.77**
4	**Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios**	
	• Common Equity Tier 1 ratio of the Bank (Incl. CCB)	9.86%
	• Tier 1 CRAR of the bank(Including CCB)	9.98%
	• Total CRAR of the bank(Including CCB)	12.73%

DF-3: CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

(i) **QUALITATIVE DISCLOSURES:-**

a) Credit Risk Management Policy and Processes

Management of credit risk in the Bank is governed by Board approved Loan Policy, Credit Risk Management Policy and Recovery Policy. The Bank is exposed to credit risk on account of its lending operations. Credit risk is the risk of loss that may occur from the failure of counterparty to abide by the terms and conditions of any financial contract with the Bank, principally the failure to make required payments. The broad objectives of Credit Risk Management process are to meet the following goals:

- Adhere to the guidelines / policies enunciated by RBI and other regulatory authorities.
- Be the preferred bank for Corporate, Government, Small and Medium Enterprises, Rural/Micro banking, Agriculture and Retail customers.
- Maintain cordial business relationship with all customers by servicing their needs promptly and efficiently.
- Build a diversified good quality asset portfolio through risk based lending and active churning of the portfolio.
- Optimise risk return profile with adequate exit options.

The policy covers Corporate, Small and Medium Enterprise, Retail, Rural/Agriculture and Investment related exposures. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry. Bank evaluates the qualitative and quantitative aspects of borrower by considering:

- उधारकर्ता की वित्तीय विवरणियों, पिछले वित्तीय कार्यनिष्पादन, पूंजी जुटाने के लिए इसकी वित्तीय क्षमता और इसकी नकदी प्रवाह पर्याप्तता का आकलन करते हुए उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन
- उधारकर्ता की सापेक्ष बाजार स्थिति और परिचालन दक्षता
- प्रबंधन की गुणवत्ता जो उनके पिछले रिकार्ड, खाते के संचालन के विश्लेषण आदि द्वारा आंकी जाती है ।

बैंक निम्नानुसार विचार करके उद्योग जोखिम का मूल्यांकन करता है:

- औद्योगिक विशेषताएं जैसे अर्थव्यवस्था में उस उद्योग की महत्ता, विकास के प्रति उसका दृष्टिकोण, चक्रीयता और उस उद्योग के संबंध में सरकारी नीतियां
- उद्योग की प्रतिस्पर्धा भावना और औद्योगिक वित्तीय आंकड़े जिसमें नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, परिचालन मार्जिन और आय स्थिरता शामिल है ।

ऋण निगरानी को मजबूत करने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा अपनाए गए कुछ नए उपाय :-

उधार खाते के गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) में बदल जाने से पहले आरंभ में तनाव की पहचान करने के लिए, बैंक ने ऋण मॉनीटरिंग वर्टिकल नाम से एक पृथक वर्टिकल का गठन किया है। ऋण मॉनीटरिंग वर्टिकल के कार्यक्षेत्र का विस्तार निम्नानुसार है:

- एसएमए खातों की मॉनीटरिंग एवं रिपोर्ट करना
- स्वीकृति के नियम व शर्तों के अनुपालन के माध्यम से स्तरीय खातों की मॉनीटरिंग
- बैंक ने ओएलएस प्लेटफॉर्म द्वारा जनरेट किए गए विभिन्न अलर्ट की मॉनीटरिंग की व्यवस्था की है।
- मण्डल कार्यालयों द्वारा स्वीकृत ऋणों के नियम व शर्तों के अनुपालन की मॉनीटरिंग
- कॉरपोरेट उधारकर्ताओं के लिए ऋण सीमाओं की मॉनीटरिंग एवं उपयोगिता स्तर की मॉनीटरिंग

ऋण धोखाधड़ी से निपटने हेतु तंत्र को मजबूत करने के लिए, बैंक द्वारा धोखाधड़ी जोखिम नियंत्रण में एक रैड फ्लैग्ड अकाउंट (आरएफए) के सिद्धान्त को अपनाया गया है। आरएफए, जहां एक या अधिक प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडबल्यूएस) के द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधि के संदेह को दूर किया जाता है। किसी भी ऋण व्यवस्था के अंतर्गत, आरएफए और ईडब्ल्यूएस की प्रारंभिक सीमा का एक्सपोजर `50.00 करोड़ और इससे अधिक है। आरएफए के रूप में वर्गीकृत सभी खातों की सूचना क्रिलिक (बड़े ऋणों पर केंद्रीय सूचना भंडार) के डाटा प्लेटफॉर्म पर दी जानी चाहिए।

इसके अलावा, क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए, जोखिम प्रबंधन समूह (आरएमजी) बनाया गया है जो इसके विस्तार पर बाजार का रुख और साथ ही मौजूदा उधारकर्ताओं के संबंध में सार्वजनिक डोमेन से स्वतंत्र जानकारी एकत्रित करेगा और इसे क्रेडिट अधिकारियों को प्रदान करेगा।

ऋण अनुमोदन प्राधिकारी :

निदेशक मंडल ने प्रधान कार्यालय तथा क्लस्टर मॉनीटरिंग कार्यालय (क्लासिक शाखाएं) स्तर पर विभिन्न ऋण समितियों को निम्नानुसार प्राधिकार प्रत्यायोजित किए हैं :-

- The financial position of the borrower by analyzing the financial statements, its past financial performance, its financial flexibility in terms of ability to raise capital and its cash flow adequacy.
- The borrower's relative market position and operating efficiency.
- The quality of management by analysing their track record and conduct of account, etc.

The Bank evaluates industry risk by considering:

- Industry characteristics such as the importance of the industry to the economy, its growth outlook, cyclicality and government policies relating to the industry.
- The competitiveness of the industry and industry financials including return on capital employed, operating margins and earnings stability.

Certain measures for strengthening Credit Monitoring are adopted by the Bank in line with RBI guidleines:-

In order to identify incipient stress in the borrowal account before it turns into Non Performing Asset (NPA), the Bank has formed a separate dedicated Credit Monitoring Vertical. Scope of work of Credit Monitoring Vertical includes:

- Monitoring and reporting of SMA accounts.
- Monitoring of standard accounts through compliance of sanction terms and conditions.
- Bank has set up monitoring of various alerts generated through OLS platform.
- Monitoring compliance of terms and conditions in loans sanctioned Circle Offices.
- Monitoring of credit limits and utilization level for corporate borrowers.

In order to strengthen the mechanism for dealing with loan frauds', the concept of a Red Flagged Account (RFA) has been adopted by the Bank in fraud risk control. A RFA is one where a suspicion of fraudulent activity is thrown up by the presence of one or more Early Warning Signals (EWS). The thresh hold limit for RFA & EWS is an exposure of ₹ 50.00 Crore & above, irrespective of the lending arrangement. All the accounts classified as RFA must be reported on the CRILC (Central Repository of Information on Large Credit) data platform.

Further, in order to strengthen the credit appraisal process, Risk Management Group (RMG) has been formulated that would collect independent information and market intelligence on the potential as well as existing borrowers from the public domain and provide inputs to the credit officers.

Credit Approval Authorities:

The Board of Directors has delegated the authority to the various Credit Committees at Head Office and Cluster Monitoring Office (Classic Branches) Level as under:

i) प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति:

- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) की अध्यक्षता में मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी)
- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) की अध्यक्षता में ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी)
- कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति (एचएलसीसी)
- महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति (एचएलसीसी)
- उप महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति (एचएलसीसी)

ii) मण्डल कार्यालय स्तरीय ऋण समितियां:

- मण्डल अध्यश्र की अध्यक्षता में मण्डल कार्यालय स्तरीय ऋण समिति (सीओएलसीसी-सीएच)

iii) क्लस्टर स्तरीय ऋण समिति (सीएलसीसी - सीएच):

- क्लस्टर अध्यक्ष एमएसएमई की अध्यक्षता में क्लस्टर स्तरीय ऋण समिति (सीएलसीसी - सीएच)

उपर्युक्त ऋण समितियों के अतिरिक्त,

- विभिन्न स्तरों पर शाखा प्रभारी - क्लासिक शाखाओं को, उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को ऋण सुविधाओं की मंजूरी देने के अधिकार दिए गए हैं ।
- शाखा प्रभारी - उद्भव शाखाओं को, ₹.10 लाख तक के रिटेल ऋण की मंजूरी देने के अधिकार दिए गए हैं।

  अधिकारों के प्रत्यायोजन का ढांचा इस प्रकार बनाया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च एक्स्पोज़र और जोखिम-स्तर के संव्यवहार उच्चतर स्तर / समिति को अनुमोदन हेतु भेजे जाएं।

  इसके अतिरिक्त, प्रत्यायोजित शक्तियां, बैंक की ऋण नीति तथा क्रेडिट जोखिम प्रबंधन नीति में निर्धारित विभिन्न प्रसंविदाओं के आधार पर प्रदान की जाती हैं जैसे; ऋणी की प्रकृति पर आधारित प्रति ऋणी एक्सपोजर सीलिंग, ऋणी की बाह्य क्रेडिट जोखिम रेटिंग के आधार पर एक्सपोजर सीलिंग, ऋणी से संबंधित उद्योग / क्षेत्र, विशेष महत्व हेतु प्रवेश स्तर की रेटिंग, ऋण प्रदान करने का सामान्य, विशिष्ट तथा नकारात्मक क्षेत्र, अधिग्रहण दिशानिर्देश आदि।

  प्रस्तावों की गुणवत्तापरक समीक्षा करने के प्रयोजन से ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के निम्नलिखित मार्गनिर्देश अपनाए जा रहे हैं ताकि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो को सुदृढ़ बनाया जा सके :

1. बैंक के प्रधान कार्यालय में ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग और सभी मण्डल कार्यालयों में ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष स्थापित किए गए हैं । जोखिम प्रबंधन विभाग का कार्य, ऋण प्रस्ताव की प्रोसेसिंग/ मूल्यांकन / मंजूरी से भिन्न है ।
2. बैंक में निम्नलिखित के अलावा सभी उधारकर्ताओं की ऋण जोखिम रेटिंग करने की नीति है:
   - स्टाफ ऋण

i. Credit Committees at Head Office Level:

- Management Committee of Board (MCB) headed by Managing Director& Chief Executive Officer (MD & CEO).
- Credit Approval Committee (CAC) headed by Managing Director& Chief Executive Officer (MD & CEO).
- Head Office Level Credit Committee (HLCC) headed by Executive Director.
- Head Office Level Credit Committees (HLCC) headed by General Manager.
- Head Office Level Credit Committees (HLCC) headed by Deputy General Manager.

ii. Circle Office Level Credit Committees (COLCC-CH):

- Circle Office Level Credit Committee (COLCC-CH) headed by Circle Office Head.

iii. Cluster Level Credit Committee (CLCC-CH):

- Cluster Level Credit Committee (CLCC-CH) headed by Cluster Head – MSME

Apart from above mentioned Credit committees,

- Branch Incumbents -Classic Branches at various levels have also been delegated powers for sanction of credit facilities to various segments of borrowers.
- Branch Incumbents -Udbhav Branches have also been delegated powers for sanction of Non-Retail Loans upto ₹10 lakh.

  The delegation structure has been designed to ensure that transactions with higher exposure and level of risk are delegated to the higher forum/committee for approval.

  Further, the Delegated Powers are subject to various covenants prescribed in the Bank’s Loan Policy and Credit Risk Management Policy viz. exposure ceiling per borrower based on the Constitution of the borrower, exposure ceiling based on External Credit Risk Rating of the borrower, industry/sector to which the borrower belongs, entry level rating for Thrust, General, Specified and Negative area of lending, takeover guidelines etc.

  Following guidelines of Credit Risk Management Policy are being adopted for the purpose of screening of the proposals qualitatively so as to ensure healthy credit portfolio of the Bank:

1. Credit Risk Management Department is set up at Head Office and Credit Risk Management Cell at all the Circle Offices of the Bank. The function of Risk Management Department is independent of processing/ appraisal/ sanction of the proposal.
2. The Bank has a policy for undertaking Credit Risk Rating of all borrowers except the following :
   - Staff Loans.

- मीयादी जमा, सरकारी प्रतिभूतियों, डाक प्रतिभूतियों इत्यादि की जमानत पर अग्रिम
- सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं
- प्रतिष्ठित बैंकों के साख पत्रों के अंतर्गत देशी बिलों का परक्रामण
- राज्य / केन्द्र सरकार को अग्रिम
- केन्द्र / राज्य सरकार के विभागों / उपक्रमों / सरकारी संस्थापनों जैसे मंडी बोर्ड, सुधार ट्रस्ट, नगर निगमों तथा विश्वविद्यालयों इत्यादि को वित्त ।
- मुद्रा ऋण

इस ढांचे का उद्देश्य जोखिम प्रबंधन के निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए बैंक के ऋण पोर्टफोलियो को सुदृढ़ बनाना है । ऋण पोर्टफोलियो की संरचना का विश्लेषण (मूल्यांकन वार/उद्योगवार) ऋणकर्ताओं के मूल्यांकन में हुए परिवर्तन सहित जोखिम प्रबन्धन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति (एससीडीआरएम) के समक्ष रखा जाता है।

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता और उधारकर्ता समूह दोनों के लिए समेकित स्तर पर निर्धारित एक्सपोजर संबंधी मानदंडों का पालन करता है । बैंक की समेकित पूंजी निधियों/ कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सीमाएं निर्धारित की गई हैं और इन्हें नियमित आधार पर मॉनीटर किया जाता है । बैंक ने उद्योगों, संवेदनशील क्षेत्रों पर (पर्याप्त एक्सपोजर सहित) आंतरिक रूप से भी विभिन्न एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित की हैं ।

पिछला देय तथा क्षतिग्रस्त ऋण :

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि तब अतिदेय होती है, यदि इसे बैंक द्वारा नियत की गई तारीख को अदा नहीं किया जाता । बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुरूप निष्पादक और गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) में करता है । गैर-निष्पादक आस्ति ऐसे ऋण अथवा अग्रिमों के रूप में परिभाषित है जहां:

I. मीयादी ऋण के संबंध में ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय बनी रहती है । किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि "अतिदेय" तब होगी यदि राशि बैंक द्वारा नियत की गई तारीख को अदा न की गई हो।

II. ओवरड्राफ्ट / नकद उधार (ओडी/सीसी) सुविधा के संबंध में खाता लगातार 90 दिनों तक "अनियमित" बना रहता है तो खाते को "अनियमित" माना जाएगा यदि :

   - बकाया शेष राशि स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहे ।
   - जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से कम हो किन्तु तुलन-पत्र की तारीख को, लगातार 90 दिन तक कोई राशि जमा न की गई हो अथवा जमा की गई राशि लेखांकन अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज की राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो।
   - खाते में आहरण की अनुमति लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी स्टॉक विवरणियों के आधार पर परिकलित आहरण अधिकार के अनुसार की गई हो जो तीन माह से अधिक पुरानी हो चाहे यूनिट कार्य कर रही हो अथवा उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो ।

- Advance against Term Deposits, Govt. Securities, Postal Securities etc
- Govt. Sponsored Schemes.
- Negotiation of Inland Bills under L/C of reputed banks.
- Advance to State/ Central Govt.
- Finance to Central/ State Govt. Departments/ Undertakings / Govt. Establishments such as Mandi Boards, Improvement Trusts, Municipal Corporations and Universities etc.
- MUDRA loans.

The objective of this framework is to ensure healthy credit portfolio of the Bank by following the set principles of Risk Management. The analysis of the composition of the credit portfolio (Rating wise/Industry wise) is placed to the Supervisory Committee of Directors on Risk Management (SCDRM) along with the migration of rating of borrowers.

Bank complies with the exposure norms stipulated by RBI for both single borrower as well as borrower group at the consolidated level. Limits have been set up as a percentage of the Bank's consolidated capital funds/ aggregate advances and are regularly monitored. Bank has also stipulated internal limits on exposure (including substantial exposure) to industries, sensitive sectors.

Loans Past Due and Impaired:

Any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid on the due date fixed by the bank. The Bank classifies its advances into performing and non-performing Assets(NPA) in accordance with the extant RBI guidelines.NPA is defined as a loan or an advance where:

I. Interest and/ or instalment of principal remains overdue for more than 90 days in respect of a term loan. Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank;

II. The account remains 'out of order' in respect of an overdraft/ cash credit (OD/CC) facility continuously for 90 days. An account is treated as 'out of order' if:

   - The outstanding balance remains continuously in excess o1f the sanctioned limit/drawing power.
   - Where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/ drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of the balance sheet or, credits in the account are not enough to cover the interest debited during the accounting period.
   - Drawings have been permitted in the account for a continuous period of 90 days based on drawing power computed on the basis of stock statements that are more than three months old even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory.

- नियमित/तदर्थ ऋण सीमाओं की समीक्षा/नवीकरण देय तिथि/तदर्थ मंजूरी की तिथि के 180 दिनों के भीतर न किया गया हो।

III. बैंक द्वारा खरीदे गए / भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहा हो ।

IV. कृषि ऋण के संबंध में ब्याज और / अथवा मूलधन की किस्त, छोटी अवधि की फसलों के लिए दो फसली मौसम और लम्बी अवधि की फसलों के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहे ।

इसके अतिरिक्त, गैर निष्पादनकारी आस्तियों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर अवस्तरीय, संदिग्ध और घाटे वाली आस्तियों के रूप में किया जाता है । अवस्तरीय आस्ति वह है, जो 12 माह से कम अथवा इसके बराबर अवधि के लिए गैर निष्पादनकारी आस्ति रही हो । किसी आस्ति को संदिग्ध के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, यदि वह 12 माह के लिए अवस्तरीय श्रेणी में रही हो । घाटे वाली आस्ति वह है, जहां घाटे का पता, बैंक अथवा इसके आंतरिक या बाह्य लेखापरीक्षकों को अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दौरान लगा हो परंतु राशि पूरी तरह से बट्टे खाते नहीं डाली गई हो ।

(ii) मात्रात्मक प्रकटनः

ख) 31 मार्च, 2019 को सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर

श्रेणी		(₹ करोड़ में)
निधि आधारित सुविधाएं (क)	भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल नकदी तथा शेष राशि	11194
	बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग पर नकदी	5282
	निवेश	80506
	अग्रिम	171549
	अन्य आस्तियां	16881
	कुल निधि आधारित सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर	**285412**
गैर निधि आधारित सुविधाएं (ख)	साख पत्र	5646
	बैंक गारंटियां	16644
	वायदा विनिमय संविदाएं	7402
	कुल गैर-निधि आधारित सकल ऋण जोखिम	**29692**
सकल योग (क+ख)		**315104**

ग) 31 मार्च, 2019 को ऋण एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	निधि - आधारित	गैर - निधि आधारित	कुल
विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य
देशी	285412	29692	315104
कुल	**285412**	**29692**	**315104**

घ) 31 मार्च, 2019 को एक्सपोज़र का उद्योगवार संवितरण (डीएसबी विवरणी के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उद्योग	निधि आधारित बकाया	गैर निधि आधारित बकाया	कुल
1	खनन एवं उत्खनन (कोयला सहित)	298	49	347

- The regular/ad-hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction.

III. A bill purchased/discounted by the Bank remains overdue for a period of more than 90 days.

IV. Interest and/or installment of principal in respect of an agricultural loan remain overdue for two crop seasons for short duration crops and one crop season for long duration crops.

Further, NPAs are classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss assets based on the criteria stipulated by RBI. A Sub-Standard asset is one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. An asset is classified as Doubtful if it has remained in the NPA category for more than 12 months. A Loss asset is one where loss has been identified by the Bank or its internal or external auditors or during RBI inspection but the amount has not been written off fully.

(ii) **QUANTITATIVE DISCLOSURES:-**

b) Gross Credit Risk Exposure as on March 31st , 2019

Category		(in ₹ crores)
Fund-based facilities (A)	Total Cash & Balances with Reserve Bank of India	11194
	Bal. with Banks and Money at Call	5282
	Investments	80506
	Advances	171549
	Other Assets	16881
	Total Fund based Gross Credit Risk Exposure	**285412**
Non-fund based facilities (B)	Letters of Credit	5646
	Bank Guarantees	16644
	Forward Exchange Contracts	7402
	Total Non Fund based Gross Credit Risk	**29692**
Grand Total (A+B)		**315104**

c) Geographic Distribution of Credit Exposures as on March 31st , 2019

(in ₹ crores)

Particulars	Fund-based	Non-fund based	Total
Overseas	Nil	Nil	Nil
Domestic	285412	29692	315104
Total	**285412**	**29692**	**315104**

d) Industry-Wise Distribution of Exposures as on March 31st,2019 (As per DSB returns)

(in ₹ crores)

S.N.	INDUSTRY	Fund Based Outstand-ing	Non Fund Based Out-standing	Total
1	Mining and Quarrying (Inc. Coal)	298	49	347

क्र.सं.	उद्योग	निधि आधारित बकाया	गैर निधि आधारित बकाया	कुल
2	खाद्य प्रसंस्करण	5589	692	6281
2.1	जिसमें से खाद्य तेल तथा वनस्पति	99	11	110
2.2	जिसमें से चाय	38	1	39
2.3	अन्य	5452	679	6131
3.	चीनी	532	40	572
4	पेय पदार्थ (चाय एवं कॉफी को छोड़कर) तथा तम्बाकू	23	0	23
5	वस्त्र	7084	225	7309
5.1	जिसमें से कॉटन वस्त्र	2851	84	2935
5.2	जिसमें से जूट वस्त्र	27	4	31
5.3	अन्य	4206	136	4342
6	चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद	373	8	381
7	लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद	543	290	833
8	कागज तथा कागज उत्पाद	858	85	943
9	पेट्रोलियम(गैर इन्फ्रा), कोयला उत्पाद(गैर-खनन) तथा न्यूक्लियर ईंधन	587	47	634
10	रसायन तथा रसायन उत्पाद (डाई, पेंट आदि)	2064	277	2341
11	रबड़, प्लास्टिक तथा इनके उत्पाद	340	25	365
12	कांच तथा कांच की वस्तुएं	240	43	283
13	सीमेंट तथा सीमेंट उत्पाद	603	234	837
14	मूल धातु तथा धातु उत्पाद	7822	928	8750
14.1	जिसमें से लोहा तथा स्टील	7139	821	7960
14.2	जिसमें से अन्य धातु तथा धातु उत्पाद	683	107	790
15	सभी इंजीनियरिंग	2870	2575	5445
16	वाहन, वाहन पुर्जे तथा परिवहन उपकरण	1439	110	1549
17	रत्न और आभूषण	393	1	394
18	निर्माण	1374	2198	3572
19	बुनियादी संरचना	16483	4347	20830
20	गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां	20757	142	20899
21	अन्य उद्योग	7660	736	8397
22	अवशिष्ट अन्य अग्रिम	93617	9238	102855
कुल जोड़		**171549**	**22290**	**193839**

S.N.	INDUSTRY	Fund Based Outstand-ing	Non Fund Based Out-standing	Total
2	Food Processing	5589	692	6281
2.1	Of which Edible Oil and Vanaspati	99	11	110
2.2	Of which Tea	38	1	39
2.3	Others	5452	679	6131
3	Sugar	532	40	572
4	Beverages (Exc. Tea & Coffee) and Tobacco	23	0	23
5	Textiles	7084	225	7309
5.1	Of Which Cotton Textiles	2851	84	2935
5.2	Of Which Jute Textiles	27	4	31
5.3	Others	4206	136	4342
6	Leather and Leather Products	373	8	381
7	Wood and Wood Products	543	290	833
8	Paper and Paper Products	858	85	943
9	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	587	47	634
10	Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.)	2064	277	2341
11	Rubber, Plastic and their Products	340	25	365
12	Glass and Glassware	240	43	283
13	Cement and Cement Products	603	234	837
14	Basic Metal and Metal products	7822	928	8750
14.1	Of Which Iron and Steel	7139	821	7960
14.2	Of Which Other Metal and Metal Products	683	107	790
15	All Engineering	2870	2575	5445
16	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	1439	110	1549
17	Gems and Jewellery	393	1	394
18	Construction	1374	2198	3572
19	Infrastructure	16483	4347	20830
20	NBFCs	20757	142	20899
21	Other Industries	7660	736	8397
22	Residuary Other Advances	93617	9238	102855
Grand Total		**171549**	**22290**	**193839**

उद्योग जिनमें 31 मार्च, 2019 को कुल ऋण जोखिम के 5% से अधिक एक्सपोजर है

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	उद्योग	निधि आधारित बकाया	गैर निधि आधारित बकाया	कुल
1	बुनियादी संरचना	16483	4347	20830
2	एन.बी.एफ.सी.	20757	142	20899

ड.) आस्तियों का अवशिष्ट संविदापरक परिपक्वता संबंधी विवरण

च) 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार आस्तियों का परिपक्वता ढांचा निम्न सारणी में दिया गया है

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता बकेट	कुल अग्रिम	कुल निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियां
अगले दिन	1947.05	0.00	5057.22
2-7 दिन	7180.92	199.88	1303.65
8-14 दिन	748.06	124.79	53.98
15-30 दिन	3348.89	56.58	536.13
31 दिन - 2 माह	3654.99	906.23	485.73
> 2 माह - 3 माह	5349.35	696.00	546.35
> 3 माह - 6 माह	17271.60	1881.74	970.20
> 6 माह - 1 वर्ष	7592.34	2721.97	427.52
> 1 वर्ष - 3 वर्ष	20854.06	10351.60	65.23
> 3 वर्ष - 5 वर्ष	29468.21	11096.28	0.09
> 5 वर्ष - 7 वर्ष	27370.28	9423.68	--
> 7 वर्ष - 10 वर्ष	16534.10	25174.54	--
> 10 वर्ष - 15 वर्ष	10537.08	13590.48	--
> 15 वर्ष	7427.87	3928.82	--
कुल	**159284.80**	**80152.59**	**9446.10**

छ) 31 मार्च, 2019 को गैर निष्पादनकारी आस्तियां

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	**कुल एनपीए**	21717.07
	अवस्तरीय	4445.38
	संदिग्ध	16089.97
	संदिग्ध-1	4280.61
	संदिग्ध-2	11737.46
	संदिग्ध-3	71.90
	हानि	1181.72
2	**निवल एनपीए**	9439.62
3	**एनपीए अनुपात**	
	कुल अग्रिमों में कुल एनपीए	12.66%
	निवल अग्रिमों में निवल एनपीए	5.93%

Industry Where Exposure is more than 5% Of Gross Credit Risk Exposure as on March 31st , 2019

(in ₹ crores)

S. N.	INDUSTRY	Fund Based Outstanding	Non Fund Based Outstanding	Total
1	Infrastructure	16483	4347	20830
2	NBFCs	20757	142	20899

e) Residual Contractual Maturity Break-Down of Assets –

f) The maturity pattern of assets as on March 31st, 2019 is detailed in the table below.

(in ₹ crores)

Maturity Buckets	Gross Advances	Gross Investments	Foreign currency Assets
Next day	1947.05	0.00	5057.22
2 – 7 days	7180.92	199.88	1303.65
8 -14 days	748.06	124.79	53.98
15-30 days	3348.89	56.58	536.13
31 days-2 months	3654.99	906.23	485.73
>2 months- 3 months	5349.35	696.00	546.35
>3 months – 6months	17271.60	1881.74	970.20
>6months-1 Yr	7592.34	2721.97	427.52
>1 Yr - 3Yrs	20854.06	10351.60	65.23
>3Yr - 5Yrs	29468.21	11096.28	0.09
>5Yrs – 7 Yrs	27370.28	9423.68	--
>7Yrs – 10 Yrs	16534.10	25174.54	--
>10Yrs – 15 Yrs	10537.08	13590.48	--
>15 Yrs	7427.87	3928.82	--
Total	**159284.80**	**80152.59**	**9446.10**

g) Non-Performing Assets as on March 31st 2019

(in ₹ Crores)

S.N.	Particulars	Amount
1	**Gross NPAs –**	21717.07
	Sub- standard	4445.38
	Doubtful	16089.97
	Doubtful-1	4280.61
	Doubtful-2	11737.46
	Doubtful-3	71.90
	Loss	1181.72
2	**Net NPAs**	9439.62
3	**NPA Ratios**	
	Gross NPAs to gross advances	12.66%
	Net NPAs to net advances	5.93%

क्रम सं.	विवरण	राशि
4	**एनपीए का उतार-चढ़ाव**	
	01.04.18 को अथशेष	26133.64
	जोड़े गए एनपीए	7066.15
	कमी	11482.72
	31.03.19 को इतिशेष	21717.07
5	**एनपीए हेतु प्रावधान में उतार-चढ़ाव**	
	01.04.18 को अथशेष*	11777.70
	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	6952.02
	बट्टे खाते डाले गए	6585.22
	अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	0.00
	31.03.19 को इतिशेष*	12144.50
6	**गैर निष्पादनकारी निवेशों की राशि**	1121.51
7	**गैर निष्पादनकारी निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि**	353.00
8	**निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव**	
	01.04.18 को अथशेष	954.69
	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	283.08
	बट्टे खाते / अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	-
	31.03.19 को इतिशेष	1237.77
9	**एनपीए-वार शीर्ष उद्योग**	Iron & Steel
	-एनपीए की राशि	4231.09
	-विशेष प्रावधान (सामान्य प्रावधान)	2946.00
	-चालू तिमाही के दौरान बट्टाकृत	438.18
10	**एनपीए-वार शीर्ष प्रतिपक्ष**	BHUSHAN POWER AND STEEL LIMITED
	-एनपीए की राशि	1616.30
	-विशेष प्रावधान (सामान्य प्रावधान)	1029.88
	-चालू तिमाही के दौरान बट्टाकृत	0
11	एनपीए की राशि तथा, यदि उपलब्ध हो, पिछला प्रदत्त देय ऋणों को भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि व्यावहारिक हो तो, बैंक प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट एवं सामान्य प्रावधानों की राशि उपलब्ध करा सकता है। सामान्य प्रावधानों का हिस्सा, जो किसी भोगोलिक क्षेत्र को आबंटित नहीं किया गया है, को अलग से बताया जाए। *पूर्ण रूप से यह बैंक के लिए अस्थायी प्रावधान को छोड़कर एनपीए के लिए कुल विनिर्दिष्ट प्रावधान है।	एनपीए के लिए कुल विशेष प्रावधानः ₹12120.38 करोड़

(*) 31.03.2018 तथा 31.03.2019 को एनपीए के लिए प्रावधान के उतार-चढ़ाव में बैंक द्वारा एनपीए पोर्टफोलियो के लिए किए गए ₹24.12 करोड़ के परिवर्तनशील प्रावधान को शामिल किया गया है।

S.N.	Particulars	Amount
4	**Movement of NPAs**	
	Opening balance as on 01.04.2018	26133.64
	Additions	7066.15
	Reductions	11482.72
	Closing balance as 31.03.2019	21717.07
5	**Movement of provisions for NPAs**	
	Opening balance as on 01.04.2018*	11777.70
	Provisions made during the period	6952.02
	Write-off	6585.22
	Write-back of excess provisions	0.00
	Closing balance as on 31.03.2019*	12144.50
6	**Amount of Non-Performing Investments**	1121.51
7	**Amount of provisions held for non-performing investments**	353.00
8	**Movement of provisions for depreciation on investments**	
	Opening balance as on 01.04.2018	954.69
	Provisions made during the period	283.08
	Write Off/ Write back of excess provision	-
	Closing balance as on 31.03.2019	1237.77
9	**Top Industry NPA wise**	Iron & Steel
	· Amount of NPAs	4231.09
	· Specific Provision (General provision)	2946.00
	· Write-off during current quarter	438.18
10	**Top Counterparty NPA wise**	BHUSHAN POWER AND STEEL LIMITED
	· Amount of NPAs	1616.30
	· Specific Provision (General provision)	1029.88
	· Write-off during current quarter	0
11	Amount of NPAs and, if available, past due loans provided separately broken down by significant geographic areas. In addition, if practical, Bank may provide the amounts of specific and general provisions related to each geographical area. The portion of general provisions that is not allocated to a geographical area should be disclosed separately. *This is total specific provisons for NPA exclusding floating provisions for the Bank as a whole.	Total Specific Provision for NPA : ₹12120.38 Crore

(*) The movement of Provision for NPAs as on 31.03.2018 and 31.03.2019 includes the effect of floating provision of ₹24.12 Crores made by the Bank towards NPA portfolio.

डीएफ 4. ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन पोर्टफोलियो

i) गुणात्मक प्रकटन

क) बाह्य मूल्यांकन

बासेल - **III** मार्गनिर्देशों में बैंकों से यह अपेक्षा है कि वे विनिर्दिष्ट बाह्य ऋण मूल्यांकन एजेन्सियों (ईसीएआई) अर्थात् घरेलू प्रतिपक्षों हेतु क्रिसिल, केयर, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क्स तथा एस.एम.ई.आर.ए तथा विदेशी प्रतिपक्षों के लिए स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर्स, मूडीज एवं फिच द्वारा दिए गए मूल्यांकन का प्रयोग करें । ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में निर्धारित है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित बाह्य ऋण मूल्यांकन एजेन्सियों का उपयोग किया जाए। इस मूल्यांकन का प्रयोग निधि आधारित और गैर निधि आधारित दोनों प्रकार के एक्सपोज़र के लिए किया जाता है ।

अनुमोदित मूल्यांकन एजेन्सियों के द्वारा नियत मूल्यांकनों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के एक्सपोज़र हेतु निम्नानुसार किया जाता है :

(i) एक वर्ष से कम या उसके बराबर संविदागत परिपक्वता वाले एक्सपोज़र हेतु (नकद-उधार, ओवर ड्राफ्ट और अन्य परिक्रामी साख के अतिरिक्त), ईसीएआई द्वारा किया गया अल्पावधि मूल्यांकन लागू होगा ।

(ii) घरेलू नकद-उधार, ओवरड्राफ्ट और अन्य परिक्रामी साखों (अवधि कुछ भी हो) और / या एक वर्ष से अधिक मीयादी ऋण हेतु दीर्घावधि मूल्यांकन लागू होगा ।

विदेशों में एक्सपोज़र हेतु, संविदागत परिपक्वता कुछ भी हो, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन एजेन्सियों द्वारा किया गया दीर्घावधि मूल्यांकन लागू होगा ।

(iii) एक कॉरपोरेट समूह के भीतर किसी संस्था विशेष को दिए गए मूल्यांकन का प्रयोग उसी समूह के भीतर अन्य संस्थाओं के जोखिम भार के लिए नहीं किया जा सकता।

पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रेटिंग का मापन, इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों में बताई गई मापन प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

बैंक नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अनुसार जोखिम भार की गणना करने के लिए बाह्य मूल्यांकनों का प्रयोग करता है। बैंक के परामर्शदाता के रूप में कार्य करने वाली विशेषीकृत एजेन्सी की सहायता से विकसित आंतरिक मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग करके बैंक अपने ग्राहकों का आंतरिक मूल्यांकन भी करता है।

ii) मात्रात्मक प्रकटन :-

ख) जोखिम भार द्वारा ऋण एक्सपोज़र

नीचे दी गई सारणी में तीन प्रमुख जोखिम श्रेणियों में, कटौती के पश्चात मानक दृष्टिकोण अपनाते हुए जोखिम न्यूनीकरण के बाद बैंक की कुल बकाया राशि (मूल्यांकित व अमूल्यांकित) दी गई है:

(₹ करोड़ में)

एक्सपोज़र श्रेणी	बकाया राशि
100% से कम जोखिम भार	63224
100% जोखिम भार	41110
100% से अधिक जोखिम भार	29784
कटौती की गई*	13644
कुल	**120473**

* कटौती की गई राशि में ऋण जोखिम न्यूनीकृत सम्मिलित है ।

DF-4- Credit Risk: Portfolios Subject to the Standardised Approach

h) **QUALITATIVE DISCLOSURES:-**

a) **External Ratings**

Basel III guidelines require banks to use ratings assigned by specified External Credit Assessment Agencies (ECAIs) namely CRISIL, CARE, ICRA, India Rating, Brickworks,Infomerics and SMERA for domestic counterparties and Standard & Poor's, Moody's and Fitch for foreign counterparties. The Credit Risk Management Policy prescribes for utilisation of RBI approved ECAIs. The rating is used for both fund based and Non-fund based exposure.

The ratings assigned by approved Rating Agencies are used for various types of exposures as follows:

(i) For Exposure with a contractual maturity of less than or equal to one year (except Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits) , Short -Term Rating given by ECAIs will be applicable.

(ii) For Domestic Cash Credit, Overdrafts and other Revolving Credits (irrespective of the period) and/ or Term Loan exposures of over one year, Long Term Rating will be applicable.

For Overseas exposures, irrespective of the contractual maturity, Long Term Rating given by International Rating Agencies will be applicable.

(iii) Rating assigned to specific entity within a corporate group cannot be used to risk weight the other entities within the same group.

The ratings available in public domain are mapped according to mapping process as envisaged in RBI guidelines on the subject.

Bank uses external ratings for the purposes of computing the risk weights as per the new capital adequacy framework. Bank also rates its clients internally using an internal rating model developed with the assistance of specialised agency acting as Bank's consultant.

ii) **QUANTITATIVE DISCLOSURES:-**

b) **Credit Exposures by Risk Weights**

The table below classifies the bank's outstanding amount (rated and unrated), after risk mitigation subject to standardised approach, in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:

(In ₹ Crores)

Exposure Category	**Amount outstanding**
Less than 100% risk weight	63224
100% risk weight	41110
More than 100% risk weight	29784
Deducted*	13644
Total	**120473**

*Deducted amount includes Credit Risk Mitigant

डीएफ - 5 ऋण जोखिम न्यूनीकरण

i) गुणात्मक प्रकटन :-

(क) नीतियां एवं पद्धितयां, जिनसे पता चलता है कि बैंक तुलन पत्र की तथा तुलन पत्र से इतर मदों के समायोजन (नेटिंग) का उपयोग किस सीमा तक करे :

बैंक तुलन पत्र की मदों का समायोजन, ऋणी के लिए ऋण जोखिम को कम करने की (सीआरएम) तकनीक के रूप में करता है, चूंकि बैंक को समंजन का अधिकार है। बैंक द्वारा अपने उधारकर्ताओं से लिए जाने वाले ऋण दस्तावेज में यह खंड होता है कि बैंक का उधारकर्ता/ गारंटीदाता, जैसा भी मामला हो, की सभी प्रतिभूतियों पर ग्रहणाधिकार, प्रभार व समंजन का अधिकार होगा तथा बैंक में उसके किसी भी खाते में जमा उससे संबंधित सभी राशियों को समायोजित/वसूल करने का अधिकार होगा तथा बैंक को प्रतिभूतियों से वसूल की गई राशि और उपर्युक्तानुसार उधारकर्ता/गारंटीदाता के खातों से वसूल की गई राशि में से ऋण खाते में देय राशि को समायोजित/ परिसमाप्त करने का अधिकार होगा।

(ख) संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीति एवं प्रक्रिया

बैंक में मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीक (सीआरएम) और संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, जिसमें संपार्श्विक का चयन, संपार्श्विक के जोखिम, संपार्श्विक का मूल्यांकन व निरीक्षण, पात्र वित्तीय संपार्श्विक, गारंटी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मार्जिन दिए गए हैं। बैंक द्वारा संपार्श्विक की परिभाषा ऋण सुविधा की प्रतिभूति के लिए ऋणी अथवा अन्य पक्ष द्वारा बैंक को दी गई आस्तियों या अधिकारों के रूप में दी गई है । ऋणी / बाध्यताधारी के दायित्वों हेतु प्रतिभूति के रूप में दी गई आस्तियों / संविदाओं के संबंध में बैंक को प्रतिभूत लेनदार के अधिकार होंगे।

(ग) संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन : भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों में यथाविनिर्दिष्ट

- बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्यांकन हेतु व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, बैंक बासेल-II मार्गनिर्देशों में यथाविनिर्दिष्ट, पूंजीगत आवश्यकताओं की गणना करते समय पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों द्वारा कम किए गए जोखिम की सीमा तक प्रतिपक्ष को दी जाने वाली ऋण राशि कम कर देता है। बासेल-II मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य में भविष्य में संभावित उतार-चढ़ाव को समायोजित करने के लिए प्राप्त हुई किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य का समायोजन करता है। ये समायोजन, जिन्हें "मार्जिन" भी कहा गया है, संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु अस्थिरता-समायोजित राशि निकालते हैं और लागू जोखिम भारों पर आधारित पूंजी प्रभार की गणना करते समय एक्सपोज़र में से घटा दिए जाते हैं । रिटेल उत्पादों हेतु ली जाने वाली प्रतिभूति, संबंधित उत्पादों की उत्पाद नीति में परिभाषित की गई है। आवास ऋणों और अन्य रिटेल ऋणों के लिए वित्त पोषित की जाने वाली संपत्ति / आस्ति को प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है। संपत्तियों का मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांकन एजेन्सी द्वारा किया जाता है । बैंक ऐसे उत्पाद भी प्रस्तुत करता है जो प्रमुखतः संपार्श्विक प्रतिभूति पर आधारित होते हैं, जैसे शेयर, विनिर्दिष्ट सिक्योरिटीज़, भंडारित जिंस और स्वर्ण आभूषण । ये उत्पाद अनुमोदित योजनाओं के अनुरूप प्रस्तावित किए जाते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों, मूल्यांकन और मार्जिन आदि भी होते हैं।

DF-5 Credit Risk Mitigation

(i) **QUALITATIVE DISCLOSURES:-**

(a) **Policies and Processes for, and an indication of the extent to which the Bank makes use of, on and off- balance sheet netting:**

Bank off-set the on-balance sheet exposure of the borrower using the Credit Risk Mitigation (CRM) technique as the right of set off is with the Bank. The loan documents obtained by the Bank from its borrowers carry a clause that the Bank shall have a lien, charge and right to set-off, adjust/ realize on all securities and all moneys belonging to the borrower/ guarantor, as the case may be, standing to their credit in any of the account with the Bank and the Bank shall have all rights, power and authority to adjust/ liquidate the dues in the loan accounts from the amount of the securities so realized and out of the proceeds recovered from the accounts of borrower/ guarantor as mentioned above.

(b) **Policies And Processes For Collateral Valuation And Management**

Bank has Board approved policy on Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques & Collateral Management, having detailed guidelines on selection of collaterals, risk in collaterals, valuation and inspection of collaterals, eligible financial collaterals, guarantees and RBI stipulated haircuts. The Bank defines collateral as the assets or rights provided to the Bank by the borrower or a third party in order to secure a credit facility. Bank shall have the rights of secured creditor in respect of the assets/ contracts offered as security for the obligations of the borrower/ obligor.

(c) **Collateral valuation and management: As stipulated by the RBI guidelines**

- Bank uses the comprehensive approach for collateral valuation. Under this approach, Bank reduces the credit exposure to counterparty when calculating the capital requirements to the extent of risk mitigation provided by the eligible financial collateral as specified in the Basel II guidelines. In line with Basel II guidelines, Bank adjusts the value of any collateral received for possible future fluctuations in the value of the collateral. These adjustments, referred as'haircuts', produce volatility-adjusted amounts for collateral, and are reduced from the exposure to compute the capital charge based on the applicable risk weights. For retail products, security to be taken is defined in the respective policy of the specific products. Housing loans and other retail loans are secured by the security of the property/ asset being financed. The valuation of the properties is carried out by an approved valuation agency. Bank also offers products, which are primarily based on collateral such as shares, specified securities, warehouse commodities and gold jewellery. These products are offered in line with the approved schemes, which also deal with types of collateral, valuation and margin.

- बैंक उच्च श्रेणी के ग्राहकों और कुछेक उत्पादों जैसे डेरिवेटिव, व्यक्तिगत ऋणों आदि के लिए बे-जमानती सुविधाएं भी प्रदान करता है। बे-जमानती सुविधाओं के संबंध में ऋण सीमाओं का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। प्रत्येक संव्यवहार के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के प्रकार और मात्रा के संबंध में निर्णय, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण अनुमोदन प्राधिकार के अनुसार, ऋण अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। अनुमोदित उत्पाद नीतियों के अनुसार, प्रदान की जाने वाली सुविधाओं (रिटेल उत्पाद, शेयरों की जमानत पर ऋण आदि) के लिए उक्त नीति के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति ली जाती है ।

(घ) ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीकें :

ऋण जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण के अनुसार विनियामक पूंजी की गणना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीकें निम्नानुसार हैं :

1. संपार्श्विक लेन-देन
2. ऑन-तुलन पत्र नेटिंग
3. गारंटियां

(ङ) बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के मुख्य प्रकारों का विवरण :

- बैंक अपने उधारकर्ताओं को दिए गए एक्सपोज़र (निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित) की प्रतिभूति के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां लेता है (जिन्हें संपार्श्विक भी कहा जाता है) । बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार ऋण जोखिम कम करने के संबंध में एक्सपोज़र में कमी करने का तरीका अपनाया है। जहां भी ऋण जोखिम को कम करने के लिए गारंटी उपलब्ध होती है, वहां उपलब्ध गारंटी की सीमा तक ऋण जोखिम गारंटीदाता का होता है। सामान्यतः निम्न प्रकार की प्रतिभूतियां (प्राथमिक प्रतिभूतियां या संपार्श्विक प्रतिभूतियां) ली जाती हैः-

1. चल आस्तियां जैसे स्टॉक, चल मशीनरी आदि
2. अचल आस्तियां जैसे भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी
3. अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर
4. बैंक की अपनी जमाराशियां
5. एनएससी, किसान विकास पत्र, जीवन बीमा पॉलिसी, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां आदि।
6. ऋण प्रतिभूतियां - अनुमोदित ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा मूल्यांकित - कुछ शर्तों सहित ।
7. ऋण प्रतिभूतियां - गैर मूल्यांकित - बैंक द्वारा जारी - कुछ शर्तों सहित ।
8. म्युचुअल फंड के यूनिट
9. गैर निधि आधारित सुविधाओं के प्रति नकद मार्जिन
10. स्वर्ण तथा स्वर्ण आभूषण

क्रम संख्या 4 से 10 पर दी गई प्रतिभूतियों को, ऋण जोखिम के लिए बासेल मार्गनिर्देश-मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम कम करने में सक्षम माना जाता है ।

(च) गारंटीदाता प्रतिपक्षों के मुख्य प्रकार तथा उनकी ऋण योग्यता

- Bank extends unsecured facilities to high rated clients and for certain products such as derivatives, personal loans etc. The limit structure with respect to unsecured facilities has been approved by the Board of Directors. The decision on the type and quantum of collateral for each transaction is undertaken by the credit approval authority as per the Board approved credit approving authorisaton. For facilities provided as per approved product policies (retail products, loan against shares etc.), collateral is taken in line with the policy.

(d) Credit Risk Mitigation techniques:

Credit Risk Mitigation Techniques allowed by RBI for calculation of regulatory capital as per Standardised Approach for Credit Risk are as follows :

1. Collateralised Transactions
2. On-Balance Sheet Netting
3. Guarantees

(e) Description of the main types of Collateral taken by the Bank:

- Bank obtains various types of securities (which may also be termed as collaterals) to secure the exposures (Fund based as well as Non-Fund based) on its borrowers. Bank has adopted reduction of exposure in respect of certain credit risk mitigant, as per RBI guidelines. Wherever guarantee is available as credit risk mitigant, the credit risk remains with the guarantor to the extent of guarantee available. Generally following types of securities (whether as primary securities or collateral securities) are taken:

1. Movable assets like stocks, movable machinery etc.
2. Immovable assets like land, building, plant & machinery.
3. Shares as per approved list
4. Bank's own deposits
5. NSCs, KVPs, LIC policies, Securities issued by Central & State Governments etc.
6. Debt securities - rated by approved credit rating agency-with certain conditions
7. Debt securities- not rated- issued by a bank- with certain conditions
8. Units of Mutual funds
9. Cash Margin against Non-fund based facilities
10. Gold and Gold Jewellery.

The securities mentioned at Sr. No. 4 to 10 above are recognized as Credit Risk Mitigants under Basel guidelines- standardized approach for credit risk.

(f) Main Types of Guarantor Counterparty and their Creditworthiness

- ऐसी गारंटियां जो प्रत्यक्ष, सुनिश्चित, अप्रतिसंहरणीय तथा बिना किसी शर्त की होती हैं, को बैंक द्वारा पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने के लिए विचार में ली जाती हैं । पूंजी की गणना के प्रयोजन के लिए ऐसी गारंटियों का उपयोग, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित मार्गनिर्देशों के अनुरूप है।

  बैंक के ऋण जोखिम के प्रति मुख्य प्रकार के गारंटर निम्नानुसार है:-

  - एए(-) या बेहतर रेटिड कॉरपोरेट्स
  - केन्द्र सरकार
  - राज्य सरकार
  - ईसीजीसी
  - सीजीटीएमएसई - सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
  - सीजीएफएमयू - लघु इकाईयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड
  - सीजीएसएसआई - स्टैंड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना
  - सीजीएफएसईएल - शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना
  - सीआरजीएफटीएलआईएच - कम आय वालों के लिए आवास के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी फंड ट्रस्ट

(छ) जोखिम संकेन्द्रीकरण (बाजार अथवा साख) के बारे में जोखिम कम करने संबंधी सूचना

जोखिम न्यूनीकरण के उद्देश्य हेतु बैंक द्वारा प्रयोग किए जा रहे संपार्श्विक के प्रकार सहजता से वसूली योग्य वित्तीय प्रतिभूतियां हैं तथा बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती हैं । अतः इस समय बैंक द्वारा पहचाने गए ऋण जोखिम न्यूनीकरण में जोखिम संक्रेंद्रीकरण का सामना करने के लिए कोई सीमा/सीलिंग निर्धारित नहीं की गई है ।

(ii) मात्रात्मक प्रकटन :-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019
क	कुल एक्सपोज़र (जहां लागू हो, ऑन या ऑफ तुलन पत्र नेटिंग के बाद), जो अलग से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए मार्जिन लगाने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर प्राप्त हो ।	13644
ख	कुल एक्सपोज़र (जहां लागू हो, ऑन या ऑफ, तुलन पत्र नेटिंग के बाद), जो अलग से प्रकट संविभाग के लिए गारंटी / ऋण डेरिवेटिव (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमोदित) मार्जिन द्वारा कवर प्राप्त हो ।	6054

डीएफ - 6. प्रतिभूतिकरण

(i) **गुणात्मक प्रकटन :-**

- बैंक में मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रतिभूतिकरण नीति है। बैंक में 31 मार्च, 2019 को इसकी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण का कोई मामला नहीं है।
- प्रतिभूतिकरण के संबंध में कोई धारित एक्सपोजर नहीं है ।

- Guarantees, which are direct, explicit, irrevocable and unconditional, are taken into consideration by Bank for calculating capital requirement. Use of such guarantees for capital calculation purposes is strictly as per RBI guidelines on the subject.

  The main types of guarantors against the credit risk of the bank are:

  - Corporates rated AA(-) or better
  - Central Government
  - State Government
  - ECGC
  - CGTMSE - Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises
  - CGFMU – Credit Guarantee fund for Micro Units
  - CGSSI- Credit Guarantee Fund Scheme for Stand up India
  - CGFSEL - Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loan
  - CRGFTLIH - Credit Risk Guarantee Fund Trust for Low Income Housing

(g) **Information about (Market or Credit) risk concentrations within the mitigation taken:**

The types of collaterals used by the Bank for mitigation purpose are easily realizable financial securities and are not affected by market volatility. As such, presently no limit/ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

(ii) **QUANTITATIVE DISCLOSURES:-**

(In ₹ Crores)

S.No.	Particulars	31.03.2019
a	Total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio	13644
b	Total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) for each separately disclosed portfolio	6054

DF-6 Securitisation

(i) **QUALITATIVE DISCLOSURES:-**

- The Bank has a Securitization Policy duly approved by its Board. The Bank does not have any case of its assets securitized as on March 31st , 2019.
- There is no case of retained exposure in respect of securitization.

डीएफ- 7. ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

(i) **गुणात्मक प्रकटन:-**

- बाजार जोखिम वित्तीय लिखतों के मूल्य में परिवर्तन से होने वाली संभावित हानि है जो बाजार की विविधता के परिणामस्वरूप होती है जैसे ब्याज दर, विनिमय दर, ऋण विस्तार तथा अन्य आस्तियों का मूल्य।
- बाजार जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम तथा ईक्विटी मूल्य जोखिम मॉनिटर तथा नियंत्रित किए जाते हैं । बैंक इस समय जिंसों में ट्रेडिंग नहीं कर रहा है।

तरलता जोखिम

तरलता जोखिम को मॉनिटर करने के लिए दैनिक आधार पर अंतर विश्लेषण किया जाता है। अल्पकालिक अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित विवेकपूर्ण सीमाएं मॉनिटर की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, बाजार उधार दैनिक और औसत मांग ऋण-अंतर बैंक देयताएं, खरीदी गई निधियों आदि के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं हैं। निवेश समिति द्वारा दैनिक आधार पर उच्च मूल्य की समग्र जमाराशियां मॉनिटर की जाती हैं। तरलता स्थिति का जायजा लेने के लिए अल्पकालिक गतिशील तरलता विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें कारोबार वृद्धि पर भी विचार किया जाता है । आकस्मिकताओं से निपटने के लिए आकस्मिक निधीयन योजना बनी हुई है । योजना की मासिक आधार पर समीक्षा की जाती है । तरलता संकट होने और आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से निधियां लेने की स्थिति में बैंक को होने वाली संभावित हानि का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर दबाव परीक्षण (स्ट्रैस टेस्टिंग) भी किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम

अगले 12 माह के लिए तथा अगले वित्तीय वर्ष तक बैंक की निवल ब्याज आय पर प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतर विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। बैंक अवधि अंतर विश्लेषण का भी प्रयोग करता है।

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो अवधि विश्लेषण के आधार पर मॉनिटर किए जाते हैं।

इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का निर्धारण करने के लिए, बाजार दर में 200 बेसिस प्वाइंट तक के परिवर्तन के आघात द्वारा दबाव परीक्षण किया जाता है ।

विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम

बैंक ने विभिन्न मुद्राओं में विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए अधिकतम दिन व रात के (डेलाइट और ओवरनाइट) एक्सपोजर निर्धारित किए हैं। इसके साथ, डीलरों के फोरेक्स परिचालनों की मॉनीटरिंग के लिए हानि रोध सीमा और एकल सौदा सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

इक्विटी मूल्य जोखिम

बैंक की घरेलू निवेश योजना ने इक्विटी डीलरों के लिए हानि रोध सीमाएं निश्चित की हैं। लेन-देनों तथा लाभ के बारे में सर्वोच्च प्रबंधन को प्रतिदिन रिपोर्टिंग की जाती है ।

- **बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का ढांचा एवं संगठन**

  बैंक में जोखिम प्रबंधन का कार्य तीन स्तरों पर समर्थित है — (i) निदेशकों की जोखिम प्रबंधन पर्यवेक्षी समिति जो पर्यवेक्षण करती है और जहां आवश्यक हो, निर्देश जारी करती है/जोखिम प्रबंधन नीतियों इत्यादि का अनुमोदन करती है (ii) आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) जो नीतिगत मुद्दों पर विचार करती है और तरलता, लाभप्रदता तथा बाजार जोखिम पर विचार विमर्श करती है तथा (iii) जोखिम प्रबंधन विभाग जो आधारभूत स्तर पर सहायता प्रदान करता है।

DF-7: Market Risk in Trading Book

(i) **QUALITATIVE DISCLOSURES:-**

- **Market risk** is the possibility of loss arising from changes in the value of a financial instrument as a result of changes in market variables such as interest rates, exchange rates, credit spreads and other asset prices.
- Under Market Risk Management, Liquidity risk, Interest rate risk, Foreign Exchange Risk and equity price risk are monitored and managed. Bank is not currently trading in commodities.

Liquidity Risk

Gap analysis is undertaken for monitoring liquidity risk on daily basis. Prudential limits based on RBI guidelines for the short-term buckets are monitored. Besides prudential limits are in place for market borrowing – Daily and average call borrowing – Inter Bank Liabilities, Purchased funds etc. High value bulk deposits are monitored on daily basis by the Investment Committee. Short- term dynamic liquidity statement is prepared on a monthly basis to assess the liquidity position, which takes into account the business growth. A contingency funding plan is in place to meet the emergencies. The plan is reviewed on monthly basis. Stress Testing is also done on a quarterly basis to assess possible loss to Bank if there is any liquidity crisis and if funds are to be raised from the market to meet the contingencies.

Interest Rate Risk

Gap analysis is used to assess the impact on the Net Interest Income of the bank for the next 12 months and till the next financial year. The Bank also uses duration gap analysis.

Bank's investments portfolio is monitored on basis of duration analysis.

Stress Testing is done to assess the impact on Economic Value of Equity by infusing shock of change in market rate upto 200 basis points.

Foreign Exchange Risk

The Bank has fixed maximum daylight and overnight exposure for foreign exchange exposure in various currencies. Also, stop loss limits and single deal limits are in place for monitoring the forex operations of the dealers.

Equity Price Risk

The bank's domestic investment policy has fixed stop loss limits for equity dealers. Daily reporting to Top Management on the transactions and profit is done.

- **Structure and Organisation of the Market risk management function**

  Market Risk Management function in the Bank is supported at three levels- (i) Supervisory Committee of Directors on Risk Management for overseeing and issuing directions, wherever necessary / approving Risk Management Policies (ii) Asset Liability Committee (ALCO) for considering policy issues and deliberating on Liquidity, Profitability and Market Risk and (iii) Risk Management department providing support at the ground level.

- **जोखिम रिपोर्टिंग और /अथवा मापन पद्धतियों का क्षेत्र तथा स्वरूप :**

  घरेलू कारोबार के संबंध में बाजार जोखिम प्रबंधन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों जैसे, मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी तैयार करना, ट्रेडिंग बुक निवेशों का दैनिक आधार पर अवधि विश्लेषण, तरलता जोखिम/बाजार जोखिम का तिमाही आधार पर दबाव परीक्षण। इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का मासिक आधार पर अवधि विश्लेषण किया जाता है। ब्याज दर संवेदनशीलता की कॉरपोरेट स्तर पर आल्को द्वारा नियमित अंतरालों पर पुनरीक्षा की जाती है । तरलता जोखिम की मॉनिटरिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार उधार व ऋण के संबंध में विभिन्न विवेकपूर्ण प्रतिमान निर्धारित किए गए हैं। संरचनात्मक तरलता विवरणी दैनिक आधार पर तैयार की जाती है और अल्पकालिक गतिशील तरलता विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाती है और आल्को को रिपोर्ट की जाती है। दबाव परीक्षण तथा इक्विटी के आर्थिक मूल्य के प्रभाव पर किए गए तिमाही अध्ययन के परिणाम आल्को को रिपोर्ट किए जाते हैं। ट्रेडिंग बुक स्थिति के बारे में सर्वोच्च प्रबंधन को प्रतिदिन सूचित किया जाता है ।

- **बचाव व्यवस्था और / अथवा जोखिम कम करने की नीतियां**

  निवेश प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन तथा बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए विस्तृत नीतियां लागू हैं, जिनमें बाजार जोखिम की मॉनिटरिंग तथा प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां और प्रक्रियाएं विस्तार से दी गई हैं।

(ii) **मात्रात्मक प्रकटन :-**

बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता

विवरण	राशि (₹करोड़ में)
अपेक्षित पूंजी	**854.18**
- ब्याज दर जोखिम हेतु	628.51
- विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) हेतु	2.25
- इक्विटी स्थिति जोखिम हेतु	323.42

डीएफ- 8. परिचालन जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटन :-

परिचालन जोखिम, अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रिया, लोग या सिस्टम या बाह्य घटनाओं के परिणामस्वरूप हुई हानि का जोखिम है। परिचालन जोखिम में कानूनी जोखिम सम्मिलित है परंतु रणनीति एवं प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम सम्मिलित नहीं हैं । बैंक की देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार की कारोबारी गतिविधियों में परिचालन जोखिम निहित है तथा यह मुद्दों के वृहद परिदृश्य को कवर करता है।

क) परिचालन जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य :-

- सामान्य में परिचालन जोखिम को समझने की आवश्यकता को तथा उन विशेष बैंकिंग गतिविधियों/कारोबार लाइनों में समाहित परिचालन जोखिम को पहचानना, जिनमें बैंक संलिप्त है। परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य को इस प्रकार के जोखिम को समाप्त करने की प्रक्रिया नहीं समझा जाए वरन् इस प्रकार के जोखिम को समझने, पहचानने, मॉनिटर तथा नियंत्रण करने के लिए सुव्यवस्थित दृष्टिकोण समझा जाए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंक का प्रत्येक कर्मचारी परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में भाग ले तथा इस संबंध में अपने दायित्व को समझे।

- **Scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:**

  In respect of domestic business, the guidelines stipulated by RBI for managing Market Risk is followed such as, Preparation of Interest Rate Sensitivity statement on a monthly basis, Duration analysis of investments in the Trading book on a daily basis, conducting stress test for liquidity risk / market risk on a quarterly basis. Duration analysis and impact on the Economic Value of Equity is done on a monthly basis. Interest Rate sensitivity is reviewed at regular intervals by ALCO at the corporate level. Various prudential measures have been put in respect of market borrowing and lending in conformity with RBI guidelines for monitoring liquidity risk. Structural Liquidity statement is prepared on daily basis and Short Term Dynamic Liquidity statement on a monthly basis and reported to ALCO. The results of the Quarterly study on Stress Testing and Impact on Economic Value of Equity is reported to ALCO. Trading book position is reported daily to Top Management.

- **Policies for hedging and / or mitigating risk.**

  Detailed policies are operational for Investment management, Asset Liability Management and Market Risk Management which deal in detail the various strategies and processes for monitoring and managing Market Risk.

(ii) **QUANTITATIVE DISCLOSURES:-**

Capital Requirement for Market Risk

Particulars	Amount (in ₹ Crores)
Capital required	**854.18**
- For interest rate risk	628.51
- For foreign exchange (including gold) risk	2.25
- For equity position risk	323.42

DF-8: Operational Risk

(i) **QUALITATIVE DISCLOSURES:-**

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems, or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk. Operational risk is inherent in the Bank's business activities in both domestic as well as overseas operations and covers a wide spectrum of issues.

a) **Objectives of Operational Risk Management:-**

- Recognise the need to understand Operational Risk in general and also in particular Operational Risk inherent in specific banking activities/business lines in which the Bank is engaged. Operational Risk Management Functions shall not be understood as a process of eliminating such risk but as a systematic approach to understand, identify, measure, monitor and control such risk. It shall be ensured that each individual employee of the Bank participates in the Operational Risk Management process and understands his/her responsibility in this regard.

- विशिष्ट कारोबारी इकाइयों / कारोबारी लाइनों के लिए आवधिक परिचालन जोखिम आंकड़ों के संग्रहण हेतु फार्मेट को अंतिम रूप दें तथा इस प्रकार के जोखिम को बढ़ाने वाले कारणों की समीक्षा करना ताकि इस प्रकार के जोखिम को मापा जा सके व इसकी निगरानी की जा सके ।
- जोखिम के वास्तविक संग्रहीत आंकड़ों, उसकी तीव्रता तथा उसके रुझान के आधार पर परिचालन जोखिम की घटनाओं को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारणों को जानने के लिए परिचालन जोखिम सीमाएं निर्धारित करना । परिचालन जोखिम घटनाएं घटित होने के पीछे छिपे कारणों को दूर करने / रोकने के लिए यह दृष्टिकोण आवश्यक है ।
- विशेष कारोबारी लाइनों के लिए परिचालन जोखिम रिपोर्टिंग सिस्टम का निर्धारण / संशोधन करना।
- संभावित परिचालन जोखिम घटनाओं तथा कारोबारी लाइनों द्वारा सुव्यवस्थित ट्रेकिंग परिचालन जोखिम आंकड़ों के द्वारा होने वाली हानि की नियमित आधार पर पहचान करने, निगरानी करने तथा नियंत्रण करने के लिए प्रत्येक कारोबारी लाइन हेतु आंतरिक नियंत्रण सिस्टम संशोधित/पुनर्समायोजित करना ।
- प्रभावी पहचान, मूल्यांकित निगरानी, नियंत्रण तथा परिचालन जोखिम घटनाओं को कम करने के लिए स्पष्ट दायित्वों के निर्धारण द्वारा बैंक की दैनिक जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालन जोखिम प्रबंधन सिस्टम लागू करना।
- समय-समय पर भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त मार्गनिर्देशों के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर परिचालन जोखिम हेतु अपने दृष्टिकोण को मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) से मानकीकृत दृष्टिकोण में बदलने का प्रस्ताव रखना ।

ख) परिचालन जोखिम प्रबंधन पद्धति का ढांचा एवं संगठन

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य तीन स्तरों पर समर्थित है -

(i) जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति जो जहां जरूरी हो निदेश देती है तथा जोखिम प्रबंधन नीतियों की देखरेख/अनुमोदन करती है (ii) नीतिगत मुद्दों पर विचार करने तथा विभिन्न परिचालनपरक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा (iii) आधारभूत स्तर पर समर्थन देने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग ।

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति है जो परिचालन जोखिम प्रबंधन संरचना, परिचालन जोखिमों और इन्हें कम करने के तत्वों, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं इत्यादि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। इस नीति की समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक आधार पर की जाती है।

ग) जोखिम रिपोर्टिंग और/अथवा मापन पद्धति का स्वरूप एवं प्रकृति :

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति की नियमित आधार पर बैठकें होती हैं जिसमें व्यक्तियों, प्रक्रियाओं, तकनीक तथा बाहरी घटनाओं से संबंधित, बैंक को परिचालन जोखिम में डालने वाली घटनाओं पर विस्तार से चर्चा होती है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

ख. बैंक, भारतीय बैंक संघ के साथ मिलकर, हानि डाटा एकत्रित करने के लिए ''ऋण एवं परिचालन जोखिम हानि डाटा विनिमय (CORDEX)'' उद्यम में पहले से ही एक प्रवर्तक के रूप में कार्य कर रहा है।

- Finalise the format for collection of Operational Risk Data for specified business units/ business lines periodically and analyse causes influencing such risk so as to measure and monitor such risk.
- Set up Operational Risk Limits for various causes leading to Operational Risk event based on actual risk data collected, its severity and its trend. This approach would be necessary to eliminate/restrict the underlying causes for Operational Risk Event to occur.
- Devise/Modify Operational Risk Reporting System for specified business lines.
- Modify/readjust the Internal 1Control System for each business line for identification, monitoring and control on a continuing basis of probable operational risk events and consequent losses by systematically tracking operational risk data by business lines.
- Integrate the operational risk management system into day to day risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing monitoring, controlling and mitigating operational risk events.
- Propose to move from Basic Indicator Approach (BIA) to Advanced Approach for Operational Risk in due course in line with guidelines received from Govt. of India/Reserve Bank of India from time to time.

b) **Structure and organization of operational risk management system**

Operational Risk Management function in the Bank is supported at three levels-

(i) Supervisory Committee of Directors on Risk Management for overseeing and issuing directions, wherever necessary / approving Risk Management Policies (ii) Operational Risk Management Committee (ORMC) for considering policy issues and deliberating on various operational issues and (iii) Risk Management department providing support at the ground level.

Bank has operational risk management policy that clearly defines operational risk management framework, operational risks and its mitigants, reporting requirements etc. The policy is reviewed on annual basis by the Board of Directors.

c) **Scope and nature of risk reporting and / or measurement systems**:

a. The Operational Risk Management Committee meets at regular intervals wherein the incidents related to people, processes, technology and external events exposing the Bank to Operational risk are deliberated at length and suitable steps are initiated to check recurrence of such events.

b. The Bank has collaborated with IBA in a venture “Credit and Operational Risk Loss Data Exchange (CORDEX)” as one of the promoters.

घ) पूंजी प्रभार की गणना

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल संकेतक दृष्टिकोण अपना रहा है और बासेल-II/III के अंतर्गत अपेक्षित पूंजी प्रावधान कर रहा है । इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, पूंजी प्रभार आस्तियां निकालने के लिए पिछले तीन वर्षो की औसत वार्षिक सकल आय को हिसाब में लिया जाता है ।

डीएफ . 9. बैंक बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

(i) **गुणात्मक प्रकटन:-**

क) आईआरआरबीबी के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचा

ब्याज दर जोखिम, आय में तथा मार्किट ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पूंजीगत मूल्य में संभावित उतार-चढ़ाव से संबंधित जोखिम है। आईआरआरबीबी, किसी संस्थान की बैंकिंग बहियों में निर्धारित समय के भीतर ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण स्थिति के खराब होने के जोखिम की जानकारी देती है । बैंक विभिन्न बाजारों में विविध परिपक्वता या पुनर्मूल्यांकन तिथियों के साथ आस्तियां, देयताएं तथा ऑफ तुलन-पत्र रखता है तथा विभिन्न बेंचमार्क दरों से संबद्ध रहता है जिससे इस प्रकार की मार्किट में ब्याज दरों के स्तर में अनपेक्षित परिवर्तनों के कारण जोखिम उत्पन्न होता है। बैंकिंग बही में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संविभाग में रखे गए सभी अग्रिम तथा निवेश शामिल हैं। आईआरआरबीबी मापन में कार्यविधि तथा प्रमुख अवधारणाएं निम्नानुसार हैं :

- आईआरआरबीबी का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों पर आधारित है ।
- विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं की दर संवेदनशीलता तथा अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के संबंध में विभिन्न समय-श्रेणियों में ब्याज दर संवेदनशील विवरणी तैयार की जाती है ।
- प्रत्येक आस्ति एवं देयता की अवधि, प्रत्येक समयावधि के मध्य बिन्दु को परिपक्वता तारीख के रूप में लेकर और औसत आय को कूपन के रूप में तथा बट्टे के उद्देश्य से मार्किट दर लेकर निकाली जाती है । निवेशों के लिए वास्तविक समयावधि निकाली जाती है और जोखिम निर्धारण के लिए प्रयोग की जाती है।
- प्रत्येक श्रेणी के लिए देयताओं एवं आस्तियों की संशोधित अवधि निकाली जाती है और ब्याज दर पर 200 बेसिस प्वाइंट के परिवर्तन से उनके मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को निकाला जाता है ।

ख) ब्याज दर जोखिम प्रबंधन कार्यों की संरचना एवं संगठन :

- बैंक में ब्याज दर प्रबंधन कार्य तीन स्तरों पर समर्थित हैं- (i) निदेशकों की जोखिम पर्यवेक्षी समिति जो जोखिम प्रबंधन नीतियों की देखरेख तथा जहां आवश्यक हो मार्गनिर्देश जारी करती है/अनुमोदन करती है (ii) नीतिगत मुद्दों तथा तरलता, लाभप्रदता एवं बाजार जोखिम पर विचार करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) तथा (iii) आधारभूत स्तर पर समर्थन देने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग ।

(ii) **गुणात्मक प्रकटन:-**

- आईआरआरबीबी मापने के लिए ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के आघातों के लिए आय तथा आर्थिक मूल्य में वृद्धि (कमी) निम्नानुसार हैः-

d) **Calculation of capital charge**

The Bank is following Basic Indicator Approach and providing for requisite capital under Basel II/III as per RB1I guidelines. Under this approach, average annual positive gross income for the previous 3 years is taken into consideration for arriving at capital charge.

DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

(i) **QUALITATIVE DISCLOSURES:-**

a) **Risk Management Framework for IRRBB**

Interest rate risk is the risk of potential variability in earnings and capital value resulting from changes in market interest rates. IRRBB refers to the risk of deterioration in the positions held on the banking book of an institution due to movement in interest rates over time. The Bank holds assets, liabilities and off balance sheet items across various markets with different maturity or re-pricing dates and linked to different benchmark rates, thus creating exposure to unexpected changes in the level of interest rates in such markets. Banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio. The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as follows:

- IRRBB is assessed based on RBI guidelines.
- Interest Rate Sensitivity statement is prepared with various time buckets havingregard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.
- The duration for each asset and liability is arrived by taking the midpoint of each time bucket as the maturity date, the average yield as coupon and the marketrate for discounting purpose. For investments, the actual duration is arrived and used for risk assessment.
- Modified Duration of Liabilities and Assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 Basis Points is arrived.

b) **Structure and Organisation of Interest Rate Risk Management function:**

- Interest Rate Risk Management function in the Bank is supported at three levels- (i) Supervisory Committee of Directors on Risk Management for overseeing and issuing directions, wherever necessary / approving Risk Management Policies (ii) Asset Liability Committee (ALCO) for considering policy issues and deliberating on Liquidity, Profitability and Market Risk and (iii) Risk Management department providing support at the ground level.

(ii) **QUANTITATIVE DISCLOSURES:-**

- The increase (decrease) in Earnings and Economic Value for upward and downward rate shocks for measuring IRRBB is as follows:-.

विवरण	शर्तें	कुल (₹ करोड़ में)
1. अर्जन पर प्रभाव (एनआईआई)	1 वर्ष के लिए अपवर्ड 50 बीपीएस पर	-268.77
	1 वर्ष के लिए डाउनवर्ड 50 बीपीएस पर	+268.77
2 जोखिम वाली ईक्विटी का आर्थिक मूल्य	200 बेसिस प्वाइंट अपवर्ड आघात	-1018.89
	200 बेसिस प्वाइंट डाउनवर्ड आघात	+1018.89
ईक्विटी मूल्य में प्रतिशत कमी		18.97%

डीएफ-10 : प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित जोखिम हेतु सामान्य प्रकटीकरण

(i) **गुणात्मक प्रकटन:-**

क) प्रतिपक्षकार जोखिम

व्युत्पन्नी संविदा के मामले में प्रतिपक्षकार जोखिम, वायदा संविदा के कारण होता है । उसके उपरांत के ऋण जोखिम एक्सपोजर बाजार के तथ्यों के मूल्य पर आधारित होते हैं (उदा. ब्याज दरें तथा विदेशी विनिमय दरें), जो प्रकृति से अस्थिर तथा अनिश्चित हो सकते हैं । बैंक वायदा संविदा के अलावा व्युत्पन्नी संविदा नहीं करता है ।

ख) ऋण सीमा

नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार, प्रतिपक्षकार बैंक हेतु ऋण सीमा उनके वित्तीय कार्यनिष्पादन के आधार पर निर्धारित की जाती है । सीमा निर्धारित करते समय विभिन्न वित्तीय मापदंड यथा एनपीए अनुपात, चलनिधि अनुपात आदि पर विचार किया जाता है। ऋण एक्सपोजर की दैनिक मॉनिटरिंग की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अनुमोदित ऋण सीमा से अधिक न हो । यह ऋण सीमाएं अनुमानित एक्सपोजर आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

ग) वायदा संविदा पर ऋण एक्सपोजर

बैंक कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में, स्थितिकरण तथा अंतरपणन उद्देश्य के लिए तथा साथ में अपनी स्वयं की जोखिम प्रबंधन आवश्यकताओं के लिए वायदा करार करता है जिसमें ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करना शामिल है। व्युत्पन्नी जोखिम की गणना मौजूदा जोखिम पद्धित के अनुसार की जाती है ।

(ii) **मात्रात्मक प्रकटन:-**

घ) 31 मार्च, 2019 को वायदा संविदा पर ऋण एक्सपोजर :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुमानित राशि	संभावित भविष्यगत एकस्पोजर	करार का सकल सकारात्मक उचित मूल्य	कुल ऋण एक्सपोजर
वायदा संविदा	7401.87	150.56	77.93	228.49

- बैंक ऋण व्युत्पन्नी में कारोबार नहीं करता है।

Particulars	Condition	Total (in ₹ Crore)
1. Impact on Earnings (NII)	At upward 50 bps for 1 year	-268.77
	At downward 50 bps for 1 year	+268.77
2. Economic Value of Equity at Risk	200 basis point shock upwards	-1018.89
	200 basis point shock downwards	+1018.89
Drop in Equity value in percentage terms		7.39%

DF-10: General Disclosures for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

(i) **QUALITATIVE DISCLOSURES:-**

a) **Counterparty exposure**

Counterparty credit risk in case of derivative contracts arises from the forward contracts. The subsequent credit risk exposures depend on the value of underlying market factors (e.g., interest rates and foreign exchange rates), which can be volatile and uncertain in nature. The Bank does not enter into derivative transactions other than forward transactions.

b) **Credit limits**

The credit limit for counterparty bank is fixed based on their financial performance as per the latest audited financials. Various financial parameters such as NPA ratios, liquidity ratios, etc are taken into consideration while assigning the limit. Credit exposure is monitored daily to ensure it does notexceed the approved credit limit. These credit limits are set on the notional exposure basis.

c) **Credit exposures on forward contracts**

The Bank enters into the forward contracts in the normal course of business for positioning and arbitrage purposes, as well as for our own risk management needs, including mitigation of interest rate and foreign currency risk. Derivative exposures are calculated according to the current exposures method.

(ii) **QUANTITATIVE DISCLOSURES:-**

d) **Credit exposure on forward Contracts as on March 31st 2019:-**

(in ₹ crores)

Particulars	Notional Amount	Potential future exposure	Gross Positive fair value of contracts	Total credit exposure
Forward Contracts	7401.87	150.56	77.93	228.49

- The Bank does not deal in credit derivatives.

डीएफ 11 - पूंजी की संरचना

विनियामक समायोजनों के परिवर्तन के दौरान बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट प्रयुक्त किया जाए (अर्थात्1अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2019) (₹ करोड़ में)			बासेल III पूर्व उपचार के अध्यधीन राशि	संदर्भ सं.
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधि				
1	प्रत्यक्ष जारी पात्र सामान्य शेयर पूंजी जमा संबंधित स्टॉक आधिक्य (शेयर प्रीमियम)	14840.64	-	ए+बी
2	प्रतिधारित अर्जन	-5871.74	-	सी
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	8420.83	-	डी
4	सीईटी 1 से फेजआउट के अध्यधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर ही लागू)	-	-	
	सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजीगत सहायता जो 1 जनवरी 2018 तक प्राप्त होनी है	-	-	
5	समनुषंगियों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टियों द्वारा रोकी गई सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में स्वीकृत राशि)	-	-	
	सीईटी 1 पूंजी के लिए योग्य राशि - पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	675.59	1501.31	ई
6	**विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी**	18065.32		
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजीः विनियामक समायोजन				
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-	-	
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)	-	-	
9	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार के अलावा अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	35.94	35.94	
10	आस्थगित कर आस्तियां	3581.00	3581.00	वी+ एक्स
11	नकदी- प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	-	-	
12	संभावित हानियों के लिए प्रावधान की कमी	-	-	
13	बिक्री पर प्राप्त प्रतिभूतिकरण	-	-	
14	उचित मूल्य देयताओं पर स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ एवं हानि	-	-	
15	परिभाषित लाभ पैंशन निधि निवल आस्तियां	0.00	0.00	एल
16	स्वयं के शेयरों में विनिवेश (यदि प्रस्तुत किए गए तुलन पत्र में प्रदत्त पूंजी पहले से नेटेड ऑफ नहीं है)	-		
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता	7.84	7.84	पी
18	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा इकाइयों की पूंजी में विनिवेश जो कि विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाने के पश्चात, जहां बैंक के पास, जारी किए गए कुल शेयर का 10% से अधिक नहीं है (राशि 10% से अधिक थ्रेशहोल्ड)	0.00	0.00	क्यू
19	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण विनिवेश जोकि विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर है, पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाने के पश्चात (राशि 10% से अधिक थ्रेशहोल्ड)	-	-	
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (राशि 10% थ्रेशहोल्ड से अधिक)	-	-	
21	आस्थिगत कर आस्तियां जो अस्थाई अंतर से उत्पन्न हुई हैं (राशि 10% से अधिक थ्रेशहोल्ड, संबंधित कर जिम्मेदारियों को घटाने के बाद)	-	-	
22	15% थ्रेशहोल्ड से अधिक राशि	-	-	
23	उसमें से : वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण विनिवेश	-	-	
24	उसमें से : बंधक सर्विसिंग अधिकार	-	-	
25	उसमें से : आस्थिगत कर आस्तियां जो अस्थाई अंतर से उत्पन्न हुई हैं	-	-	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन	-	-	
26 क	असमेकित बीमा समनुषंगियों की इक्विटी-पूंजी में विनिवेश	-	-	
26 ख	असमेकित गैर-वित्तीय समनुषंगियों की इक्विटी-पूंजी में विनिवेश	-	-	
26 ग	अधिकांशतः स्वाधिकृत वित्तीय इकाइयों की इक्विटी-पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है	-	-	
26 घ	अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	-	-	
27	कटौतियों को कवर करने हेतु प्रचुर मात्रा में अतिरिक्त टीयर 1 एवं टीयर 2 न होने के कारण सामान्य इक्विटी टीयर 1 के लिए विनियामक समायोजन लागू करना	-	-	
28	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 के कुल विनियामक समायोजन**	3624.78	-	
29	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1)**	14440.54		

DF 11 - COMPOSITION OF CAPITAL

Basel III Common Disclosure Template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e.from April 1,2013 to March 31,2019) (In ` crores)			**Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**	**Ref No.**
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves				
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	14840.64	-	a+b
2	Retained earnings	-5871.74	-	c
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	8420.83	-	d
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1)	-	-	
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	-	-	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	-	
	Amount Eligible for CET1 Capital- Revaluation Reserve	675.59	1501.31	e
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**18065.32**		
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments				
7	Prudential valuation adjustments	-	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	-	-	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	35.94	35.94	
10	Deferred tax assets	3581.00	3581.00	v+x
11	Cash-flow hedge reserve	-	-	
12	Shortfall of provisions to expected losses	-	-	
13	Securitisation gain on sale	-	-	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-	-	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	0.00	l
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	7.84	7.84	p
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	0.00	q
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	-	-	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-	-	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	-	-	
22	Amount exceeding the 15% threshold	-	-	
23	of which : significant investments in the common stock of financial entities	-	-	
24	of which : mortgage servicing rights	-	-	
25	of which : deferred tax assets arising from temporary differences	-	-	
26	National specific regulatory adjustments	-	-	
26a	Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-	-	
26b	Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	-	-	
26c	Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	-	
26d	Unamortised pension funds expenditures	-	-	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-	-	
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	3624.78	-	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	14440.54		

				₹ करोड़ में
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : लिखत			**बासेल III पूर्व उपचार के अध्यधीन राशि**	**संदर्भ सं.**
30	प्रत्यक्ष जारी पात्र अतिरिक्त टीयर 1 लिखत जमा संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	-	-	
31	उसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (निरंतर गैर-समेकित अधिमानी शेयर)	-	-	
32	उसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (निरंतर कर्ज लिखत)	-	-	
33	अतिरिक्त टीयर 1 से फेज आउट के अध्यधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखत	180.00	-	एच
34	समनुषंगियो द्वारा जारी अतिरिक्त टीयर 1 लिखत (व सीईटी 1 लिखत पांचवी लाइन में सम्मिलित नहीं है) तथा अन्य पार्टी द्वारा धारित (राशि समूह ए.टी. 1 में स्वीकृत)	-	-	
35	उसमें से : फेज आउट के अध्यधीन समनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	-	-	
36	**विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी**	180.00	-	
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन				
37	स्वयं के अतिरिक्त टीयर 1 लिखत में विनिवेश	-		
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता	9.26	9.26	आर
39	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा इकाइयों की पूंजी में विनिवेश जो विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाने के पश्चात, जहां बैंक के पास, जारी किए गए कुल शेयर का 10% से अधिक नहीं है (राशि 10% थ्रेशहोल्ड से अधिक)	0.00	0.00	एस
40	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा इकाइयों की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश जोकि विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं (पात्र लघु स्थिति 10 का निवल)	-		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन	-		
41क	असमेकित बीमा समनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर I पूंजी में विनिवेश	-		
41ख	अधिकांशतः स्वाधिकृत वित्तीय इकाइयों की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी, जो बैंक के पास समेकित नहीं है	-		
	बासेल III पूर्व उपचार के अध्यधीन राशि के संबंध में अतिरिक्त टीयर 1 के लिए लागू विनियामक समायोजन			
	उसमें सेः अतरल स्थितियों हेतु पूंजी प्रभार			
	उसमें सेः समेकन पर साख			
	उसमें सेः आस्थगित कर आस्तियां	0.00	0.00	एम+डब्ल्यू +वाई
42	कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त टीयर 2 के कारण अतिरिक्त टीयर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	-		
43	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी के कुल विनियामक समायोजन**	9.26		
44	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी (एटी1)**	170.74		
44 क	**पूंजी पर्याप्तता को समझने के लिए अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी**	170.74		
45	**टीयर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी 1 + एटी 1)**	**14611.28**		
	टीयर 2 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान			
46	प्रत्यक्ष जारी पात्र टीयर 2 लिखत जमा संबंधित स्टॉक आधिक्य	-		
47	टीयर 2 से फेज आउट के अध्यधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखत	3367.50	-	आई
48	समनुषंगियों द्वारा जारी टीयर 2 लिखत (व सीईटी 1 व एटी 1 लिखत 5वीं अथवा 34वीं पंक्ति में सम्मिलित नहीं है) तथा अन्य पार्टी द्वारा धारित	-		
49	उसमें से : फेज आउट के अध्यधीन समनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	-		
50	प्रावधान और हानि आरक्षित	677.84		एफ+के+पी
51	**विनियामक समायोजन से पूर्व टीयर 2 पूंजी**	4045.34		

				In ₹ crore)
Additional Tier 1 capital : instruments			**Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**	**Ref No.**
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	-	-	
31	of which : classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	-	
32	of which : classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	-	-	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	180.00	-	h
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-	-	
35	of which : instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-	-	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**180.00**	-	
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments				
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	-		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	9.26	9.26	r
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	0.00	s
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions10)	-		
41	National specific regulatory adjustments	-		
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-		
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	**-**		
	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment			
	of which : capital charge for illiquid positions			
	of which : goodwill on consolidation			
	of which : deferred tax assets	0.00	0.00	m+w+y
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-		
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	9.26		
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	170.74		
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	170.74		
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1)**	**14611.28**		
Tier 2 capital : instruments and provisions				
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	-		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	3367.50	-	i
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties	-		
49	of which : instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
50	Provisions and Loss reserves	677.84		f+k+p
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	4045.34		

टीयर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन			पूर्व बासेल III के अध्यधीन राशि	संदर्भ सं.
52	स्वयं के टीयर 2 लिखतों में विनिवेश	-		
53	टीयर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	4.50	4.50	टी
54	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा इकाइयों की पूंजी में विनिवेश जो विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर है, पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाने के पश्चात, जहां बैंक के पास, जारी किए गए कुल शेयर का 10% से अधिक नहीं है (राशि 10% थ्रेशहोल्ड से अधिक)	0.00	0.00	यू
55	विनियामक समेकन (निवल पात्र अधिविक्रय स्थिति) क्षेत्र से बाहरी-बैंकिंग, वित्तीय एवं इंश्योरेंस इकाइयों की पूंजी में महत्वपूर्ण विनिधान	-		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क + 56 ख)	-		
56 क	इनमें से : गैर-समेकित समनुषंगियों की टीयर 2 पूंजी में विनिवेश	-		
56 ख	इनमें से : अधिकांशतः स्वाधिकृत वित्तीय इकाइयों की टीयर 2 पूंजी में कमी, जो बैंक के पास समेकित नहीं है	-		
57	**टीयर 2 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन**	4.50		
58	**टीयर 2 पूंजी (टी 2)**	4040.84		
58 क	पूंजी पर्याप्तता हेतु मानी गई टीयर 2 पूंजी	4040.84		
58 ख	**टीयर 2 पूंजी के रूप में मानी गई अधिक अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी**	-		
58 ग	**पूंजी पर्याप्ता के लिए स्वीकार्य कुल टीयर 2 पूंजी**	4040.84		
59	**कुल पूंजी (टीसी =टी1+टी2)**	18652.12		
: राशि के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां पूर्व बासेल III के अध्यधीन उपचारित				
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां**	146475.49		
60 क	उसमें से : कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां	120473.48		
60 ख	उसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	11927.29		
60 ग	उसमें सेः कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	14074.73		
पूंजी अनुपात				
61	सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम धारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.86%		
62	टीयर 1 (जोखिम धारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.98%		
63	कुल पूंजी (जोखिम धारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.73%		
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 अपेक्षा + पूंजी परिमित एवं काउंटर साइक्लिकल बफर अपेक्षा, जिसे जोखिम धारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है)	7.375%		
65	उसमें सेः पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	1.875%		
66	उसमें सेः बैंक की विशिष्ट काउंटर साइक्लिकल बफर आवश्यकता	-		
67	उसमें सेः जी-सिब बफर आवश्यकता	-		
68	बफर को पूरा करने हेतु उपलब्ध सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम धारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	2.485%		
राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बासेल III से भिन्न है तो)				
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न है)			
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न है)			
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न है)			

(₹ करोड़ में)

कटौती के लिए थ्रेशहोल्ड से कम राशि (जोखिम भार से पहले)			पूर्व बासेल III के अध्यधीन राशि	संदर्भ सं.
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण विनिवेश	-		
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टाक में महत्वपूर्ण विनिवेश	218.50		

				(In ₹ crore)
Tier 2 capital: regulatory adjustments			**Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**	**Ref No.**
52	Investments in own Tier 2 instruments	-		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	4.50	4.50	t
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00	0.00	u
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	-		
56a	of which: investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	-		
56b	of which: shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	4.50		
58	**Tier 2 capital (T2)**	4040.84		
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	4040.84		
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	-		
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy**	4040.84		
59	**Total capital (TC = T1 + T2)**	18652.12		
: Risk Weighted Assets in Respect of Amounts ■Subject to Pre-Basel III Treatment				
60	**Total risk weighted assets**	146475.49		
60a	of which : total credit risk weighted assets	120473.48		
60b	of which : total market risk weighted assets	11927.29		
60c	of which : total operational risk weighted assets	14074.73		
Capital Ratios				
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.86%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.98%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	12.73%		
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%		
65	of which : capital conservation buffer requirement	1.875%		
66	of which : bank specific countercyclical buffer requirement	-		
67	of which : G-SIB buffer requirement	-		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	2.485%		
National minima (if different from Basel III)				
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)			
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)			
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)			

				(In ₹ crore)
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			**Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**	**Ref No.**
72	Non-significant investments in the capital of other financials	-		
73	Significant investments in the common stock of financial entities	218.50		

74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयताओं को घटाने के पश्चात)	-		
75	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयताओं को घटाने के पश्चात)	--		
टीयर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमा (कैप)				
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन एक्सपोजर के संदर्भ में टीयर 2 में सम्मिलित होने योग्य प्रावधान (कैप के आवेदन से पूर्व)	677.84		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों के सम्मिलित होने पर कैप	1505.92		
78	आंतरिक रेटिंग-आधारित दृष्टिकोण के अध्यधीन एक्सपोजर के संदर्भ में टीयर 2 में सम्मिलित होने योग्य प्रावधान (कैप के आवेदन से पूर्व)	-		
79	आंतरिक रेटिंग-आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों के सम्मिलित होने पर कैप	-		
फेज-आउट व्यवस्था के अध्यधीन पूंजी लिखत (केवल 1अप्रैल, 2018 एवं 31 मार्च, 2022 के बीच लागू)				
80	फेज-आउट व्यवस्था के अध्यधीन सीईटी1 लिखत पर वर्तमान कैप	लागू नहीं		
81	कैप की वजह से सीईटी1 से बाहर रखी गई राशि (शोधन एवं परिपक्वता के पश्चात कैप से अधिक)	लागू नहीं		
82	फेज-आउट व्यवस्था के अध्यधीन एटी1 लिखत पर वर्तमान कैप	लागू नहीं		
83	कैप की वजह से सीईटी1 से बाहर रखी गई राशि (शोधन एवं परिपक्वता के पश्चात कैप से अधिक)	लागू नहीं		
84	टी 2 लिखत पर चालू कैप फेज-आउट व्यवस्था की शर्तों के अध्यधीन	लागू नहीं		
85	कैप की वजह से टी2 से बाहर रखी गई राशि (शोधन एवं परिपक्वता के पश्चात कैप से अधिक))	लागू नहीं		
टेम्पलेट के लिए नोट्स				
# टेम्पलेट की पंक्ति	**विवरण**	**₹ करोड़ में**		
10	संचित हानियों से संबद्ध आस्थगित कर	-		
	आस्थगित कर देयताओं को घटा कर, आस्थगित कर आस्तियां (उनके अतिरिक्त, जो संचित हानियों से संबद्ध हैं)	0		
19	यदि बैंक की बढ़ी पूंजी में से, बीमा समनुषंगियों में किए गए विनिवेश को पूर्णतया नहीं घटाया गया है एवं कटौती हेतु 10% थ्रेशहोल्ड माना गया है	लागू नहीं		
	उनमें से : सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं		
	उनमें से : अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं		
	उनमें सेः टीयर 2 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं		
26 ख	यदि असमेकित गैर-वित्तीय समनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में विनिवेश नहीं घटाया गया है और इसके बावजूद जोखिम धारित किया गया है	लागू नहीं		
	(i) सामान्य इक्विटी टीयर1 पूंजी में वृद्धि			
	(ii) जोखिम धारित आस्तियों में वृद्धि	0		
44 क	आधिक्य, अतिरिक्त टीयर1 पूंजी को पूंजी पर्याप्तता नहीं माना गया है (पंक्ति 44 में प्रस्तुत की गई अतिरिक्त टीयर1 पूंजी एवं पंक्ति 44 क में प्रस्तुत की गई स्वीकार्य अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में अंतर)	-		
	उनमें से : आधिक्य अतिरिक्त टीयर1 पूंजी जिसे पंक्ति 58 ख के अंतर्गत टीयर 2 की पूंजी माना गया है	-		
50	टीयर 2 पूंजी में सम्मिलित पात्र प्रावधान	677.84		
	टीयर 2 पूंजी में सम्मिलित पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि	0		
	पंक्ति 50 का जोड़	677.84		
58 क	आधिक्य, अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी जो पूंजी पर्याप्तता को समझने के लिए नहीं है (पंक्ति 58 में प्रस्तुत अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी एवं पंक्ति 58 क में प्रस्तुत टी 2 पूंजी में अंतर)	-		

74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	-		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	-		
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2				
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	677.84		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	1505.92		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	-		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	-		
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between April 1, 2018 and March 31, 2022)				
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
82	Current cap on AT 1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	NA		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
Notes to the Template				
Row # of template	**Particular**	**₹ in crores**		
10	Deferred tax associated with accumulated losses	-		
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of deferred tax liability	0		
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	NA		
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	NA		
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	NA		
	of which: Increase in Tier 2 capital	NA		
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	NA		
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital			
	(ii) Increase in risk weighted assets	0		
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	-		
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	-		
50	Eligible provisions included in Tier 2 capital	677.84		
	Eligible revaluation reserves included in Tier 2 capital	NIL		
	Total of row 50	677.84		
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	-		

डीएफ-12- पूंजी का संघटन - समाधान आवश्यकताएं

बैंक का समेकन

(चरण-1) :-नियामक समेकन एवं लेखांकन में कोई अन्तर नहीं है				**₹ करोड़ में**
(चरण-2) :-				
क. पूंजी एवं देयताएं		**समेकित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन-पत्र**	**नियामक समेकन की आवश्यकताओं के अनुसार तुलन-पत्र**	**संदर्भ सं.**
		31 मार्च -2019 को	**31 मार्च 2019 को**	
i	**पूंजी**	**18901.24**	**18901.24**	
	प्रदत्त पूंजी	1370.21	1370.21	
	उसमें सेः सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	1370.21	1370.21	a
	आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	17531.03	17531.03	
	उसमें सेः सीईटी 1 - शेयर प्रीमियम खाता हेतु पात्र राशि	13470.43	13470.43	b
	उसमें सेः सीईटी 1 प्रतिधारित आय खाता हेतु पात्र राशि	-5871.74	-5871.74	c
	उसमें सेः सीईटी 1 - सांविधिक आरक्षित निधि, पूंजी आरक्षित निधि, राजस्व आरक्षित निधि, अन्य आरक्षित निधि पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि तथा शेयर आवेदन राशि हेतु पात्र राशि	8420.83	8420.83	d
	विशिष्ट आरक्षित निधि पर कर	0.00	0.00	
	उसमें से : सीईटी 1 से कटौती	0.00	0.00	x
	उसमें से : एटी -1 से कटौती	0.00	0.00	y
	उसमें से : सीईटी 1 पूंजी हेतु पात्र राशि - पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि	1501.31	675.59	e
	उसमें से टीयर-II पूंजी - विनिवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि हेतु पात्र राशि	10.20	10.20	f
	उसमें से : बासेल-III के अनुसार विनियामक पूंजी के रूप में न आने वाली पूंजी	0	825.72	g
	अल्पांश हित	0	0	
ii	**जमाराशि**	**232645.37**	**232645.37**	
	उसमें से : बैंकों से जमाराशियां	89.21	89.21	
	उसमें से : ग्राहक जमाराशियां	232556.16	232556.16	
	उसमें से : अन्य जमाराशियां	0.00	0.00	
iii	**उधार**	**14119.37**	**14119.37**	
	उसमें सेः भारतीय रिज़र्व बैंक से	7550.00	7550.00	
	उसमें सेः बैंकों से	0.00	0.00	
	उसमें सेः अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	1744.37	1744.37	
	उसमें सेः अन्य (भारत के बाहर बैंकों से उधार)	0.00	0.00	
	उसमें सेः पूंजीगत लिखत- अतिरिक्त टीयर-I बॉण्ड	600.00	180.00	h
	उसमें सेः पूंजीगत लिखत- टीयर-II बॉण्ड	4225.00	3367.50	i
	उसमें सेः बेसल-III के अनुसार विनियामक पूंजी के रूप में न आने वाली पूंजी	0.00	1277.50	j
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	**6243.58**	**6243.58**	
	(क) स्तरीय आस्तियों के लिए प्रावधान	642.46	642.46	k
	(ख) द्वितीय पेन्शन फण्ड हेतु देयता	0.00	0.00	
	(ग) अरक्षित एक्सपोजर के लिए प्रावधान	25.18	25.18	p
	उसमें से : सीईटी 1 से कटौती	0.00	0.00	l
	उसमें से : एटी -1 से कटौती	0.00	0.00	m
	उसमें से : अन्य देयताएं	5575.94	5575.94	
	उसमें से : वार्षिक लाभ	0.00	0.00	n
	उसमें से : बेसल-III के अनुसार विनियामक पूंजी के रूप में न आने वाली पूंजी	0.00	0.00	o
कुल पूंजी एवं देयताएं		**271909.56**	**271909.56**	

DF-12- Composition Of Capital - Reconciliation Requirements

Consolidation of the Bank.

(Step-1)There is no difference between the regulatory consolidation and accounting				(In ₹crore)
(Step-2) :-				
A.	**Capital and Liabilities**	**Balance sheet as in consolidated financial statements**	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation**	**Ref. No.**
		As on 31-March -2019	**As on 31-March -2019**	
i	**Capital**	**18901.24**	**18901.24**	
	Paid-up capital	1370.21	1370.21	
	of which: Amount Eligible for CET1	1370.21	1370.21	a
	Reserves & surplus	17531.03	17531.03	
	of which: Amount Eligible for CET1-Share Premium Account	13470.43	13470.43	b
	of which: Amount Eligible for CET1-Retained earning Account	-5871.74	-5871.74	c
	of which: Amount Eligible for CET1-Stautory Reserve, Capital Reserve, Revenue Reserve, other Reserves,Revaluation reserve & Share Application Money	8420.83	8420.83	d
	Tax on Special Reserve	0.00	0.00	
	of which : deduction from CET-1	0.00	0.00	x
	of which : deduction from AT-1	0.00	0.00	y
	of which: Amount Eligible for CET1 Capital- Revaluation Reserve	1501.31	675.59	e
	of which: Amount Eligible for Tier-II Capital- Investment fluctuation Reserve	10.20	10.20	f
	of which: Capital that is not qualified as Regulatory Capital as per Basel-III	0	825.72	g
	Minority interest	0	0	
ii	**Deposits**	**232645.37**	**232645.37**	
	of which: Deposits from banks	89.21	89.21	
	of which: Customer deposits	232556.16	232556.16	
	of which: Other deposits	0.00	0.00	
iii	**Borrowings**	**14119.37**	**14119.37**	
	of which: from RBI	7550.00	7550.00	
	of which: From banks	0.00	0.00	
	of which: From other institutions & agencies	1744.37	1744.37	
	of which: Others(Borrowing Outside India from Banks)	0.00	0.00	
	of which: Capital instruments- Add. Tier-I Bonds	600.00	180.00	h
	of which: Capital instruments- Tier-II Bonds	4225.00	3367.50	i
	of which: Capital that is not qualified as Regulatory Capital as per Basel-III	0.00	1277.50	j
iv	**Other liabilities & provisions**	**6243.58**	**6243.58**	
	(a) Provision for Standard Assets	642.46	642.46	k
	(b) Liability for IInd pension fund	0.00	0.00	
	(c) Provision for Unhedged Exposure	25.18	25.18	p
	of which : deduction from CET-1	0.00	0.00	l
	of which : deduction from AT-1	0.00	0.00	m
	of which: other Liabilities	5575.94	5575.94	
	of which: Profit for the Year	0.00	0.00	n
	of which: Capital that is not qualified as Regulatory Capital as per Basel-III	0.00	0.00	o
Total Capital and Liabilities		**271909.56**	**271909.56**	

ख. आस्तियां				
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं आरक्षित निधि	11193.88	11193.88	
	बैंकों के पास शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर देय राशि	5282.21	5282.21	
	कुल	**16476.09**	**16476.09**	
ii	**विनिवेश**	**79267.82**	**79267.82**	
	उसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	58483.24	58483.24	
	उसमें से : अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	0.15	0.15	
	उसमें से : शेयर	2071.53	2063.69	
	उसमें से : डिबेन्चर एवं बॉण्ड	16693.77	16680.01	
	उसमें से : अनुषंगी, संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनियां	218.50	218.50	
	उसमें से : अन्य (कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, म्युचुअल फंड, वेन्चर फंड इत्यादि)	3038.40	3038.40	
	उसमें से : सीईटी 1 में से पारस्पिरिक हिस्सा पूंजी की कटौती	0.00	7.84	p
	उसमें से : सीईटी 1 में से वित्तीय कंपनियों की पूंजीगत आवश्यकताओं हेतु विनिधान	0.00	0.00	q
	उसमें से : टीयर-1 में से पारस्परिक हिस्सा पूंजी की कटौती	0.00	9.26	r
	उसमें से : एटी-1 में से वित्तीय कंपनियों की पूंजीगत आवश्यकताओं हेतु विनिवेश	0.00	0.00	s
	उसमें से : टीयर-2 हेतु पारस्पिरिक हिस्सा पूंजी की कटौती	0.00	4.50	t
	उसमें से : टीयर-2 में से वित्तीय कंपनियों की पूंजीगत आवश्यकताओं हेतु विनिवेश	0.00	0.00	u
	उसमें से : विनिवेश में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	1237.77	1237.77	
iii	**ऋण एवं अग्रिम**	**159284.81**	**159284.81**	
	उसमें सेः बैंकों को	0.00	0.00	
	उसमें सेः ग्राहकों को	159284.81	159284.81	
iv	**अचल परिसंपत्तियां**	2589.27	2589.27	
v	**अन्य आस्तियां**	**14291.57**	**14291.57**	
	उसमें सेः			
	(क) साख एवं अमूर्त आस्तियां	35.94	0.00	
	(ख) आस्थगित आयकर आस्तियां	3581.00	3581.00	
	उसमें सेः सीईटी-1 से कटौती	3616.94	3581.00	v
	उसमें सेः एटी-1 से कटौती	0.00	0.00	w
vi	समेकन पर साख	0.00	0.00	
vii	अन्य समस्त परिसंपत्तियां	10710.57	10710.57	
vii	**लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष**	0.00	0.00	
	कुल परिसंपत्तियां	**271,909.56**	**271,909.56**	

B. **Assets**				
i	Cash and balances with RBI	11193.88	11193.88	
	Balance with banks and money at call and short notice	5282.21	5282.21	
	Total	**16476.09**	**16476.09**	
ii	**Investments**	**79267.82**	**79267.82**	
	of which: Government securities	58483.24	58483.24	
	of which: Other approved securities	0.15	0.15	
	of which: shares	2071.53	2063.69	
	of which: Debentures & Bonds	16693.77	16680.01	
	of which: Subsidiaries, Joint Ventures, Associates	218.50	218.50	
	of which: Others (including Commercial Papers, Certificate of Deposits, Mutual Funds, Venture Funds etc.)	3038.40	3038.40	
	of which: Deduction from CET-1 for Reciprocal holdings	0.00	7.84	p
	of which: Deduction from CET-1 for Investment in the capital of Financial Entities	0.00	0.00	q
	of which: Deduction from Add. Tier-1 for Reciprocal holdings	0.00	9.26	r
	of which: Deduction from AT-1 for Investment in the capital of Financial Entities	0.00	0.00	s
	of which: Deduction from Tier-2 for Reciprocal holdings	0.00	4.50	t
	of which: Deduction from Tier-2 for Investment in the capital of Financial Entities	0.00	0.00	u
	of which: provisions for Depreciation in Investment	1237.77	1237.77	
iii	**Loans and Advances**	**159284.81**	**159284.81**	
	of which: to banks	0.00	0.00	
	of which: to customers	159284.81	159284.81	
iv	**Fixed assets**	2589.27	2589.27	
v	**Other assets**	**14291.57**	**14291.57**	
	of which:			
	(a) goodwill and intangible assets	35.94	0.00	
	(b) deferred Income tax assets	3581.00	3581.00	
	of which : deduction from CET-1	3616.94	3581.00	v
	of which : deduction from AT-1	0.00	0.00	w
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00	
vii	All Other Assets	10710.57	10710.57	
vii	**Debit balance in Profit & Loss account**	0.00	0.00	
	Total Assets	**271,909.56**	**271,909.56**	

डीएफ-13 : नियामक पूंजीगत लिखतों की मुख्य विशेषताओं को दर्शानेवाला प्रकटीकरण टेम्पलेट 31 मार्च 2019 को									
		इक्विटी	**लोअर टीयर-II**	**आईपीडीआई बॉण्डस**	**आईपीडीआई बॉण्डस**	**अपर टीयर-II**	**टीयर-II**	**टीयर-II**	**टीयर-II**
1	जारीकर्ता								
2	यूनिक पहचानकर्ता (अर्थात् प्राईवेट प्लेसमेंट हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई 141A01014	आईएनई 141A09132	आईएनई 141A09116	आईएनई 141A09108	आईएनई 141A09124	आईएनई 141A08019	आईएनई 141A08035	आईएनई 141A08043
3	लिखत के संबंध में लागू कानून	भारतीय कानून							
नियामक व्यवहार									
4	परिवर्तनीय बैसेल-III नियम	सीईटी-1	टीयर-II	टीयर-I	टीयर-I	टीयर-II	टीयर-II	टीयर-II	टीयर-II
5	परिवर्तन-बाद बैसेल-III नियम	सीईटी-1	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल
6	सोलो/ग्रुप/ ग्रुप एवं सोलो हेतु पात्रता	एकल	बॉण्डस	बॉण्डस	बॉण्डस	बॉण्डस	बॉण्डस	बॉण्डस	बॉण्डस
7	लिखत का प्रकार	ईक्विटी	बॉण्डस	बॉण्डस	बॉण्डस	बॉण्डस	बॉण्डस	बॉण्डस	बॉण्डस
8	विनियामक पूंजी के अन्तर्गत चिह्नित राशि (` मिलियन में, अद्यतन रिपोर्टिंग तिथी को)	13702.09	3075	900	900	600	10000	10000	10000
9	लिखत का सममूल्य (₹)	10	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
10	लेखांकन वर्गीकरण	शेयरधारक ईक्विटी	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	विविध दिनांक	30.11.12	17.09.10	17.12.09	20.09.10	27.10.14	26.10.15	24.06.16
12	सतत या दिनांकित	लागू नहीं	दिनांकित	सतत	सतत	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	अवधि समाप्ति की मूल तिथि	लागू नहीं	30.11.22	परिपक्वता नहीं	परिपक्वता नहीं	20.09.2025	27.10.2024	26.10.2025	24.06.2026
14	क्या जारीकर्ता कॉल पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के तहत है	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
15	ऑप्शनल कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं प्रतिदान राशि	नहीं	नहीं	17.09.2020 सममूल्य पर	17.12.2019 सममूल्य पर	20.09.2020 सममूल्य पर	नहीं	नहीं	24.06.2021 सममूल्य पर
16	परवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं	हां, देय तिथि पर कॉल ऑप्शन का प्रयोग न करने पर प्रति कूपन तिथि पर	हां, देय तिथि पर कॉल ऑप्शन का प्रयोग न करने पर प्रति कूपन तिथि पर	-	लागू नहीं	लागू नहीं	हां, देय तिथि पर कॉल ऑप्शन का प्रयोग न करने पर प्रति कूपन तिथि पर
17	कूपन/ डिविडेंड	डिविडेंड	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
18	स्थायी अथवा अस्थायी डिविडेंड/ कूपन	अस्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी

DF-13: Disclosure Template for Main Features of Regulatory Capital Instruments as on 31.03.2019									
		Equity	**Lower Tier-II**	**IPDI Bonds**	**IPDI Bonds**	**Upper tier II**	**Tier-II**	**Tier II**	**Tier II**
1	Issuer								
2	Unique identifier(e.g.CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE 141A01014	INE 141A09132	INE 141A09116	INE 141A09108	INE 141A09124	INE 141A08019	INE 141A08035	INE 141A08043
3	Governing law(s)of the instrument	**Indian Laws**							
Regulatory treatment									
4	Transitional Basel III rules	CET-1	Tier-II	Tier-I	Tier-I	Tier-II	Tier-II	Tier-II	Tier-II
5	Post-transitional Basel III rules	CET-1	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo
6	Eligible at solo /group/group &solo	Solo	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds
7	Instrument type	Equity	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds
8	Amount recognized in regulatory capital(r in million, as of most recent reporting date)	13702.09	3075	900	900	600	10000	10000	10000
9	Par value of instrument (₹)	10	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
10	Accounting classification	Shareholder's Equity	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	Various Dates	30.11.12	17.09.10	17.12.09	20.09.10	27.10.14	26.10.15	24.06.16
12	Perpetual or dated	NA	Dated	Perpetual	Perpetual	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	NA	30.11.2022	No Maturity	No Maturity	20.09.2025	27.10. 2024	26.10.2025	24.06.2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amt	No	No	17.09.2020 At Par	17.12.2019 At Par	20.09.2020 At Par	No	No	24.06.2021 At Par
16	Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.	Yes, if call not exercised on Call Option Due Date then subsequently on each coupon date.	Yes, if call not exercised on Call Option Due Date then subsequently on each coupon date .	-	N.A.	N.A.	Yes, if call not exercised on Call Option Due Date then subsequently on each coupon date
17	Coupons/dividends	Dividend	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons
18	Fixed or floating dividend / coupon	Floating	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed

19	कूपन दर एवं अन्य संबंधित सूची	लागू नहीं	8.93%	9.05%	9.10%	8.68%	9.20%	8.34%	9.05%
20	डिविडेण्ड स्टॉपर की मौजूदगी	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	पूर्णतया विवेकाधीन, अंशत विवेकाधीन अथवा अधिदेशात्मक	पूर्णतया विवेकाधीन	आज्ञापक	अंशत विवेकाधीन	अंशत विवेकाधीन	अंशत विवेकाधीन	पूर्णतया विवेकाधीन	पूर्णतया विवेकाधीन	पूर्णतया विवेकाधीन
22	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन की उपलब्धता	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
23	असंचयी अथवा संचयी	लागू नहीं	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
24	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	लागू नहीं	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
25	यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन के लिए ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दिनांक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, तो आज्ञापक या ऐच्छिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत की परिवर्तन संबंधी सूचना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

12.02.2019 को बैंक ने 8.75% अपर टीयर II बॉन्ड्स के संदर्भ में नियामक कॉल विकल्प का प्रयोग किया है

आईएसआईएन	**राशि (₹ करोड़ में)**	**कूपन**	**आबंटन की तिथि**
आईएनई 141ए09090	500	8.75%	12.02.2009

19	Coupon rate and any related index	NA	8.93%	9.05%	9.10%	8.68%	9.20%	8.34%	9.05%
20	Existence of a dividend stopper	No	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21	Fully discretionary, partiallydiscretionary or mandatory	Fully Discretionary	Mandatory	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary
22	Existence of step up or other Incentive to redeem	No	No	Yes	Yes	Yes	No	No	No
23	Non-cumulative or cumulative	N.A.	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-cumulative
24	Convertible or non-convertible	N.A.	non-convertible	non-convertible	non-convertible	non-convertible	non-convertible	non-convertible	non-convertible
25	If convertible conversion trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26	If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27	If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28	If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29	If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

The Bank has exercised Call Option in respect of 8.75% upper tier II bonds on 12.02.2019.

ISIN	**Amount (₹ in crores)**	**Coupon**	**Date of Allotment**
INE 141A09090	500	8.75%	12.02.2009

डीएफ-14: विनियामक पूंजीगत लिखतों हेतु सम्पूर्ण नियम एवं शर्तें	
लिखत का प्रकार	**सम्पूर्ण नियम एवं शर्तें**
सतत - टीयर । अधीनस्थ बॉण्ड 17.12.2009	लिखत का प्रकारः प्रॉमिसरी नोट के रूप में अप्रतिभूत, अपरिवर्तनीय, अधीनस्थ, सतत बॉण्ड। कॉल ऑप्शनः 10 साल के बाद यानि 17.12.2019 या उसके बाद (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन). **अन्य विवरणः** राशिः ₹300 करोड़ अवधिः सतत कूपनः 9.10% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) पहले 10 वर्षों के लिए एवं 9.60% वार्षिक बाद के वर्षों के लिए यदि कॉल ऑप्शन 10वें वर्ष के अन्त में नहीं लिया जाता है। रेटिंग : केयर द्वारा ए एवं ब्रिकवर्क द्वारा ए+
सतत - । अधीनस्थ बॉण्ड 17.09.2010	लिखत का प्रकारः प्रॉमिसरी नोट के रूप में अप्रतिभूत, अपरिवर्तनीय, अधीनस्थ, सतत बॉण्ड। कॉल ऑप्शनः 10 साल के बाद अर्थात्17.09.2020 या उसके बाद (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन)। अन्य विवरणः राशिः ₹300 करोड़, अवधिः सतत कूपनः 9.05% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) पहले 10 वर्षों के लिए एवं 9.55% वार्षिक बाद के वर्षों के लिए यदि कॉल ऑप्शन 10वें वर्ष के अन्त में नहीं लिया जाता है । रेटिंगः केयर द्वारा ए एवं ब्रिकवर्क द्वारा ए+
अपर - टीयर ॥ अधीनस्थ बॉण्ड 20.09.2010	लिखत का प्रकारः प्रोमिजरी नोट के रूप में अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टीयर-॥ बॉण्ड। कॉल ऑप्शन : 20.09.2020 को सममूल्य पर (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन)। **अन्य विवरणः** राशिः ₹200 करोड़ अवधिः 180 माह परिपक्वताः 20.09.2025 कूपनः 8.68% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) पहले 10 वर्षों के लिए एवं 9.18% वार्षिक बाद के वर्षों के लिए यदि कॉल ऑप्शन 10वें वर्ष के अन्त में नहीं लिया जाता है. रेटिंग : केयर द्वारा ए एवं ब्रिकवर्क द्वारा ए+
लोअर टीयर-॥ अधीनस्थ बॉण्ड 30.11.2012	डिबेंचरों के रूप में -अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, अधीनस्थ लोअर टीयर-॥ बॉण्ड। कॉल ऑप्शन - कोई नहीं, स्टेप अप - कोई नहीं । **अन्य विवरणः** राशिः ₹1025 करोड़, अवधिः 120 माह 30.11.2022 को परिपक्व होगी। कूपनः 8.93% वार्षिक भुगतान। रेटिंगः केयर द्वारा ए+ एवं इकरा द्वारा ए+
टीयर ॥ अधीनस्थ बॉण्ड 27.10.2014	लिखत का प्रकार : डिबेंचरों के रूप में अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बासेल ॥। अनुपालक टीयर-॥ बॉण्ड। अन्य विवरण : राशि ₹1000 करोड़ अवधि : 120 माह परिपक्वता तिथि : 27.10.2024 : कूपनः 9.20% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) 10 वर्षों के लिए रेटिंग : केयर द्वारा ए+ एवं इकरा द्वारा ए+ (हाइब्रिड) हानि वहनीयता खंड
टीयर ॥ बॉण्ड 26.10.2015	लिखत का प्रकारः डिबेंचरों के रूप में अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड बासेल III अनुपालक टियर-II बांड **अन्य विवरणः** राशि ₹1000 करोड़ अवधि -120 माह परिवक्वता तिथि-26.10.2025, कूपनः 8.34% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) 10 वर्षों के लिए रेटिंगः केयर द्वारा ए+ इकरा द्वारा ए+(हाइब्रिड), हानि वहनीयता खंड
टीयर ॥ बॉण्ड 24.06.2016	लिखत का प्रकारः डिबेंचरों के रुप में अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बासेल III अनुपालक बांड कॉल ऑप्शनः 24.06.2021 सममूल्य। बैंक जारी होने की तिथि अर्थात 24.06.2016 के पांचवें वर्ष अर्थात पांचवे कूपन भुगतान तिथि अथवा किसी भी कूपन भुगतान तिथि से। **अन्य विवरण :** राशि ₹1000 करोड़ अवधिः 120 माह कूपन 9.05% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) 10 वर्ष के लिए रेटिंग : केयर द्वारा ए+ एवं इकरा द्वारा ए+ (हाइब्रिड), हानि वहनीयता खंड

DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments	
Type of Instrument	**Full terms &conditions**
Perpetual - Tier I Subordinated Bonds 17.12.2009	Type of Instrument: Unsecured, non-convertible Subordinated, Perpetual Bonds in the nature of Promissory Notes. Call: After 10 years i.e. on 17.12.2019 or thereafter (subject to prior approval from RBI). **Other details:** Amount: ₹300cr.Tenor: Perpetual Coupon: 9.10% (fixed, payable annually) for first 10 years and 9.60% p.a. for subsequent years if call option is not exercised at the end of 10thyear. Rating: A by CARE A+ by Brickwork
Perpetual - I Subordinated Bonds 17.09.2010	Type of Instrument: Unsecured, non-convertible Subordinated, Perpetual Bonds in the nature of Promissory Notes. Call option: After 10years i.e. on 17.09.2020 or thereafter (subject to prior approval from RBI). Other details: Amount: ₹300 cr Tenor : Perpetual Coupon: 9.05% (fixed, payable annually) for first 10years and 9.55%p.a. for subsequent years if call option is not exercised at the end of10th year Ratings: A by CARE A+ by Brickwork
Upper Tier-II Subordinated Bonds 20.09.2010	Type of Instrument : Unsecured, redeemable, non-convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes. Call option: At par on 20.09.2020 (subject to prior approval from RBI). **Other details**: Amount: ₹200 cr Tenor: 180 months maturing on: 20.09.2025 Coupon: 8.68% (fixed, payable annually) p.a. for first 10 years and 9.18% p.a. for subsequent year if call option is not exercised at the end of 10th year Rating : A by CARE and A+ by Brickwork
Lower Tier-II Subordinated Bonds 30.11.2012	Unsecured, redeemable, non-convertible, subordinated Lower Tier-II Bonds in the nature of Debentures. Call option- none and step-up-none. **Other details:** Amount:Rs.1025 cr. Tenor: 120 months maturing on 30.11.2022 Coupon: 8.93% payable annually. Ratings: A+ by CARE and A+ by ICRA
Tier-II Bonds 27.10.2014	Type of Instrument: Unsecured, redeemable, non-convertible Basel III Compliant Tier-II Bonds in the nature of Debentures. Other details: Amount : ₹1000 cr Tenor: 120 months maturing on: 27.10.2024 Coupon: 9.20% (fixed, payable annually) for 10 years Rating : A+ by CARE and A+ (hyb.) by ICRA Loss Absorbency Clause
Tier-II Bonds 26.10.2015	Type of Instrument: Unsecured, redeemable, non-convertible Basel III Compliant Tier-II Bonds in the nature of Debentures. **Other details**: Amount : ₹1000 cr Tenor: 120 months maturing on: 26.10.2025 Coupon: 8.34% (fixed, payable annually) for 10 years Rating : A+ by CARE and A+ (hyb.) by ICRA Loss Absorbency Clause
Tier-II Bonds 24.06.2016	Type of Instrument: Unsecured, redeemable, non-convertible Basel III Compliant Tier-II Bonds in the nature of Debentures. Call option: On 24.06.2021 at par.The Bank may exercise Call Option on the fifth anniversary from the Date of Allotment viz. 24.06.2016 i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. **Other details**: Amount: ₹1000 cr Tenor: 120 months maturing on: 24.06.2026 Coupon: 9.05% (fixed, payable annually) for 10 years Rating : A+ by CARE and A+ (hyb.) by ICRA Loss Absorbency Clause

तालिका डीएफ-15 पारिश्रमिक हेतु प्रकटन

भारत में परिचालित सभी निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों को जारी परिपत्र सं.डीबीओडी सं.बीसी.72/29-67-001/2011-12 दिनांक 13 जनवरी, 2012 जो कि पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों / अन्य रिस्कटेकर्स को क्षतिपूर्ति दिशानिर्देश के **मास्टर परिपत्र - बासेल III पूंजी विनियमन के परिशिष्ठ 18 के पैरा 3.6 के अनुरूप** जारी किया गया है। इस मास्टर परिपत्र के अनुसार भारत में परिचालित सभी निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों को मास्टर परिपत्र में दिए गए नमूने के अनुरूप अपनी वार्षिक वित्तीय विवरणी में वार्षिक आधार पर कम-से-कम एक बार पारिश्रमिक का प्रकटन करना आवश्यक है।

सरकारी क्षेत्र का बैंक होने के कारण ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स को डीएफ-15 के अंतर्गत प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

तालिका डीएफ-16 इक्विटीः बैंकिंग बुक स्थिति हेतु प्रकटन

i) गुणात्मक प्रकटन
इक्विटी जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटन, इसमें शामिल हैं-
1.) वे जोखिम जिन पर पूंजीगत लाभ अपेक्षित है, के बीच अंतर और वे जो संबंध और अन्य रणनीतिक कारणों सहित अन्य उद्देश्य हेतु लिए गए हैं।
संयुक्त उद्यम बीमा कंपनी CHOICE में बैंक ने ₹218.50 करोड़ निवेश किए हैं, इसका कारण दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के साथ-साथ रणनीतिक भी है, ताकि ग्राहकों को एक ही छत के नीचे बीमा उत्पाद खरीदने की सुविधा दी जा सके, जिससे ग्राहक बैंक के साथ जुड़े रहें ।
2.) महत्वपूर्ण नीतियों पर विचार-विमर्श जिसमें बैंकिंग बुक में इक्विटी होल्डिंग का मूल्यांकन और लेखांकन शामिल हैं । इसमें प्रयोग किए जाने वाले लेखांकन तकनीक और मूल्यांकन कार्यविधि शामिल है, इसमें मूल्यांकन के साथ व्यवहार में हुए महत्वपूर्ण बदलावों को प्रभावित करने वाले मुख्य अनुमान और व्यवहार शामिल हैं ।
क) परिपक्वता तक धारिता वर्ग के अंतर्गत निवेश अधिग्रहण लागत अथवा परिशोधन लागत पर किया जाता है । यदि अंकित मूल्य के प्रीमियम पर अर्जित किया गया है, जहां बही मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में किया जाता है ।
ख) संयुक्त उद्यम में निवेश का मूल्यांकन मूल्य में ह्रास, यदि कोई हो, को घटाकर रख-रखाव लागत पर किया जाता है, अस्थायी स्वरूप को छोड़कर।

ii) मात्रात्मक प्रकटन			
		बही मूल्य 31.03.2019	उचित मूल्य 31.03.2019
1.2	मूल्य प्रकार और संकल्प		
	*गुप्त रूप से धारित***		
	जेवी (भारत में) ₹ में	218,50,00,000	218,50,00,000
3.	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और लिक्विडेशन से प्राप्त संचित वास्तविक लाभ (हानि)	शून्य	
4.	कुल अवास्तविक लाभ (हानि)	शून्य	

Table DF-15: Disclosure Requirements for Remuneration

As per para 3.6 of Annex 18 of Master Circular - Basel III Capital regulations Guidelines on Compensation of Whole Time Directors / Chief Executive Officers / Other Risk Takers issued vide circular DBOD.No.BC.72/29.67.001/2011-12 dated January 13, 2012 addressed to *all private sector and foreign banks operating in India*. Private sector and foreign banks operating in India are required to make disclosure on remuneration on an annual basis at the minimum, in their Annual Financial Statements in the template provided with Master circular.

Oriental Bank of Commerce being a Public Sector Bank is not required to make Disclosure under DF-15.

Table DF-16: Equities:-Disclosures for Banking Book Positions

i) Qualitative Disclosures
The general qualitative disclosures requirement with respect to equity risk, including:-
1.) Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons.
The Bank has invested ₹ 218.50 Crores in the Joint Venture Insurance Company, CHOICe, where the Bank is expecting capital gains in longer term as well for strategic reason of giving the facility to the customers for purchasing insurance products under one roof and thus to increase the customer retention.
2.) Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.
a) Investments under "Held to Maturity" category are carried at acquisition cost or amortized cost if acquired at a premium over face value. Wherever the book value is higher than the face value / redemption value, the premium is amortized over the remaining period of maturity.
b) Investments in joint venture are valued at carrying cost less diminution, in value, if any,other than temporary in nature.

ii) Quantitative Disclosures			
		BOOK VALUE 31.03.2019	FAIR VALUE 31.03.2019
1.,2.	Value Type & Nature		
	Privately held		
	JVs (In India) in `	218,50,00,000	218,50,00,000
3.	The cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	NIL	
4.	Total unrealized gains (losses)	NIL	

5.	कुल पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि)	शून्य
6.	टीयर-1 और / अथवा टीयर-2 पूंजी में शामिल उपर्युक्त कोई भी राशि	शून्य
7.	बैंक की कार्यप्रणाली के अनुरूप पूंजी उचित इक्विटी ग्रुपिंग द्वारा विभाजित पूंजी आवश्यकताओं के साथ ही, समग्र राशि और इक्विटी निवेश का प्रकार विनियम पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित किसी पर्यवेक्षी अंतरण अथवा प्रमुख प्रावधानों के अध्यधीन है ।	निवेश राशि 250% पर जोखिम भारित है ।
8	तुलन-पत्र में शामिल लेकिन लाभ और हानि खाते में शामिल नहीं किए गए अवास्तविक लाभ (हानि)	शून्य
9	न तो तुलन-पत्र और न ही लाभ-हानि खाते में शामिल किए गए अवास्तविक लाभ (हानि)	शून्य

लीवरेज अनुपात

बासेल-III लीवरेज अनुपात को पूंजी मानक (गणक) के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त अनुपात के साथ एक्सपोजर मानक (भाजक) द्वारा विभाजित किया जाता है ।

बासेल III के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लीवरेज अनुपात	टीयर-I पूंजी बैंक का ऑन और ऑफ बैलेन्स शीट एक्सपोजर
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यनूतम लीवरेज अनुपात	4.50%

वर्तमान में, भारतीय बैंकिंग प्रणाली 4.5 % से अधिक लीवरेज अनुपात पर परिचालित है। अंतिम न्यूनतम लीवरेज अनुपात बासेल समिति द्वारा निर्धारित अंतिम नियमों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया जाएगा। साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश बैंकों द्वारा समानांतर रुख और प्रकटन के उद्देश्य के लिए आधार प्रदान करते हैं। इस अवधि के दौरान, रिजर्व बैंक 4.5 % लीवरेज अनुपात आधार पर प्रत्येक बैंक की निगरानी करेगा।

पूंजी उपाय

विभिन्न विनियामक समायोजनों/कटौतियों और संक्रमण प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, लीवरेज अनुपात हेतु पूंजी मानक जोखिम आधारित पूंजीगत ढांचा की टीयर-1 पूंजी है । अन्य शब्दों में, किसी खास समय लीवरेज अनुपात हेतु पूंजी मानक जोखिम आधारित ढांचे के अंतर्गत उस समय लागू टीयर 1 पूंजी मानक है।

एक्सपोजर उपाय

सामान्य माप नियम

एक बैंक का कुल एक्सपोजर मानक निम्नलिखित एक्सपोजर का योग होता हैः

5.	Total latent revaluation gains (Losses)	NIL
6.	Any amounts of the above included in Tier-1 and/or Tier 2 capital	NIL
7.	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and type of equity investment subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	The investment amount is Risk weighted at 250%.
8.	Unrealised gains (losses) recognized in the balancesheet but not through the profit and loss account.	NIL
9.	Unrealised gains (losses) not recognized either in the balancesheet or through the profit and loss accounts.	NIL

LEVERAGE RATIO

The Basel III leverage ratio is defined as the capital measure (the numerator) divided by the exposure measure (the denominator), with this ratio expressed as a percentage.

Leverage Ratio prescribed by RBI under Basel-III	Tier-I Capital Bank's On & Off balance sheet exposure
Minimum Leverage Ratio prescribed by RBI	4.50%

Currently, Indian banking system is operating at a leverage ratio of more than 4.5%.The final minimum leverage ratio will be stipulated taking into consideration the final rules prescribed by the Basel Committee. In the meantime, RBI guidelines serves as the basis for parallel run by banks and also for the purpose of disclosures below. During this period, Reserve Bank will monitor individual banks against an indicative leverage ratio of 4.5%.

Capital Measure

The capital measure for the leverage ratio is the Tier 1 capital of the risk-based capital framework, taking into account various regulatory adjustments / deductions and the transitional arrangements. In other words, the capital measure used for the leverage ratio at any particular point in time is the Tier 1 capital measure applying at that time under the risk-based framework.

Exposure Measure

General Measurement Principles

A bank's total exposure measure is the sum of the following exposures:

क) बैलेंस शीट पर एक्सपोजऱ

ख) व्युत्पन्न एक्सपोजऱ

ग) प्रतिभूति वित्तीय लेन-देन एक्सपोजऱ (एसएफटी) और

घ) ऑफ बैलेंस शीट (ओबीएस) मदें ।

डीएफ-17 : लेखा आस्तियों और लीवरेज अनुपात मानक की सारांश तुलना 31.03.2019 के अनुसार

	मद	₹ करोड़ में
1	वित्तीय विवरण के अनुसार कुल समेकित आस्तियां प्रकाशित	2719095.60
2	बैकिंग वित्तीय बीमा अथवा वाणिज्यिक इकाइयों में निवेश हेतु समायोजन, जिनको लेखा उद्देश्य से समेकित किया गया है लेकिन, विनियामक समेकन के बिना	-36340.40
3	तुलन पत्र में दिए गए परिचालित लेखा ढांचे के अनुरूप प्रत्ययी आस्तियों हेतु समायोजन, लेकिन लीवरेज अनुपात एक्सपोजऱ मानक को छोड़कर	-116530.00
4	व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों हेतु समायोजन	2284.80
5	प्रतिभूति वित्तीय लेन-देन हेतु समायोजन (अर्थात् रेपो और समरूप जमानती ऋण)	30024.38
6	ऑफ़ बैलेंस शीट मदों हेतु समायोजन (अर्थात् ऑफ़ बैलेंस शीट एक्सपोजर का ऋण समतुल्य राशियों में अंतरण)	160659.51
7	अन्य समायोजन	0
8	**लीवरेज अनुपात एक्सपोजर**	**2759193.89**

डीएफ-18 लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	31.03.2019
	ऑन बैलेन्स शीट एक्सपोजर	
1	ऑन - बैलेन्स शीट मदें (व्युत्पन्नी और एसएफटी के बिना पर संपार्श्विक सहित)	2602565.60
2	बासेल III टीयर 1 पूंजी निर्धारित करने में घटाई गई आस्ति राशि	-36340.40
3	**कुल ऑन -बैलेन्स शीट एक्सपोजर (व्युत्पन्नी और एसएफटी के बिना) (पंक्ति 1 और 2 का योग)**	**2566225.20**
4	सभी व्युत्पन्नी लेन-देन से संबंधित प्रतिस्थापन्न लागत (अर्थात योग्य नकद विचरण मार्जिन का निवल)	779.20
5	सभी व्युत्पन्नी लेन-देन से संबंधित पीएफई हेतु वर्धित राशि	1505.60
6	व्युत्पन्नी संपार्श्विक हेतु ग्रौस-अप बशर्ते तुलन पत्र आस्तियों से कटौती परिचालित लेखा ढांचे के अनुरूप हो	-

(a) on-balance sheet exposures;

(b) Derivative exposures;

(c) Securities financing transaction (SFT) exposures; and

(d) Off- balance sheet (OBS) items.

DF 17- SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS. LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE AS ON 31.03.2019

	Item	(₹ in millions)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	2719095.60
2	Adjustment for investments in banking financial insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	-36340.40
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-116530.00
4	Adjustments for derivative financial instruments	2284.80
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	30024.38
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	160659.51
7	Other adjustments	0
8	**Leverage Ratio Exposure**	**2759193.89**

DF-18: Leverage Ratio Common Disclosure Template

(₹ millions)

S. N.	Items	31.03.2019
On-balance sheet exposures		
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs but including collateral)	2602565.60
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	-36340.40
3	**Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)**	**2566225.20**
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	779.20
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	1505.60
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-

7	व्युत्पन्नी लेन-देन में प्रदत्त नकद विचरण मार्जिन हेतु प्राप्य आस्तियों की कटौती	-
8	(क्लाईट- क्लियर्ड ट्रेड एक्सपोजर का छूट प्राप्त सीसीपी अंश)	-
9	लिखित ऋण व्युत्पन्नी हेतु समायोजित प्रभावी राष्ट्रीय राशि	-
10	लिखित ऋण व्युत्पन्नी हेतु समायोजित प्रभावी राष्ट्रीय ऑफसेट्स और वर्धित कटौतियां	-
11	**कुल व्युत्पन्नी एक्सपोजर (पंक्ति 4 से 10 का योग)**	2284.80
12	सकल एसएफटी आस्तियां, (नेटिंग के बिना) विक्रय हेतु लेखा लेन-देन के समायोजन के पश्चात	30000.00
13	सकल एसएफटी आस्तियों की नकद प्राप्य और नकद देय नेटेड राशि	-
14	एसएफटी आस्तियों हेतु सीसीआर एक्सपोजर	24.38
15	एजेंट लेन-देन एक्सपोजर	-
16	**कुल प्रतिभूति वित्तीय लेन-देन एक्सपोजर (पंक्ति 12 से 15 का योग)**	30024.38
17	सकल राष्ट्रीय राशि पर ऑफ़ बैलेंस शीट एक्सपोजर	376419.45
18	(ऋण समतुल्य राशि तक कनवर्ज़न हेतु समायोजन)	-215759.94
19	**ऑफ बैलेंस शीट मदें (पंक्ति 17 और 18 का योग)**	**160659.51**
20	टीयर 1 पूंजी	146112.80
21	कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का योग)	**2759193.89**
22	**बासेल III लीवरेज अनुपात**	**5.30%**

7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	-
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	-
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	-
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	2284.80
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting) after adjusting for sale accounting transactions	30000.00
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	-
14	CCR exposure for SFT assets	24.38
15	Agent transaction exposures	-
16	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	30024.38
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	376419.45
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-215759.94
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**160659.51**
20	Tier 1 capital	146112.80
21	Total exposures (sum of lines 3 11 16 and 19)	**2759193.89**
22	**Basel III Leverage Ratio**	**5.30%**

कम्पनी अभिशासन

1. कम्पनी अभिशासन पर बैंक की अवधारणा

बैंक सभी घटकों जिसमें ग्राहक, कर्मचारी और विनियामक प्राधिकारी शामिल हैं, के प्रति इसके निर्णयों के महत्व को मानता है और यह दर्शाता है कि शेयरधारक ही हमारी आर्थिक गतिविधियों के अंतिम लाभग्राही हैं। मंडल तथा कार्यपालक प्रबंधन के कार्य सुपरिभाषित हैं और एक दूसरे से भिन्न हैं। ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ने सदैव सुदृढ़ अभिशासन पद्धतियों को कार्यान्वित करने के लिए स्वेच्छा से प्रयास किए हैं। बैंक संगठन की गुणवत्ता और विकास में सुधार के लिए पारदर्शिता के उच्चतम मानकों, नैतिक मूल्यों का पालन करने में दृढ़ता से विश्वास करता है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 के तहत बैंक एक कॉरपोरेट निकाय है। तथापि, सूचीबद्ध इकाई भी होने के कारण, यह सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों का जिस सीमा तक यह बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 और अन्य लागू भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है, अनुपालन करता है ।

बैंक ने मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया है जिनकी बैठकें नियमित आधार पर होती हैं जो बैंक के कार्यपालकों द्वारा दैनिक आधार पर की जाने वाली बैंक की गतिविधियों की निगरानी करती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की उप-समिति की बैठकों में लिए गए निर्णय बैंक द्वारा क्रियान्वित किए गए हैं।

2. निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का गठन, समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना 1980 के साथ पठित बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत तक, निदेशक मण्डल में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशकों के रूप में दो कार्यकारी निदेशक और 7 गैर-कार्यकारी निदेशक हैं, जिनमें भारत सरकार के प्रतिनिधि, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि, भारत सरकार द्वारा नामित दो अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक जिनमें एक सनदी लेखाकार श्रेणी के अन्तर्गत नामित है तथा केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा चुने गए तीन निदेशक शामिल हैं। कर्मकार कर्मचारी निदेशक, अधिकारी कर्मचारी निदेशक, दो अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के पद 31 मार्च, 2019 से रिक्त थे।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान मंडल में निदेशकों के विवरण निम्नानुसार हैः

CORPORATE GOVERNANCE

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

The Bank recognizes the importance of its decisions to all its constituents including customers, employees and the regulatory authorities, and demonstrates that the shareholders are the ultimate beneficiaries of its economic activities. The functions of the Board and the executive management are well defined and are distinct from one another. Oriental Bank of Commerce has always voluntarily made efforts to implement sound governance practices. The Bank strongly believes in adhering to the highest standards of transparency, ethical values for improving efficiency and growth of the organization.

The Bank is a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980. However, being a listed entity also, it complies with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and other applicable Govt. of India / RBI Guidelines.

The Bank has set up various Committees of the Board which meet at regular intervals and monitor the activities of the Bank being carried out on a daily basis by the Executives of the Bank and ensure that the Bank implements the decisions taken at the meetings of the Board of Directors/Sub-Committee of Board of Directors.

2. BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors of the Bank is constituted in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 as amended from time to time.

As at the end of the financial year 2018-19, the Board of Directors comprised of the Managing Director & Chief Executive Officer and two Executive Director(s) as Whole Time Directors appointed by the Government of India and 7 Non-executive Directors including a Representative of Government of India, Representative of RBI two Part time Non Official Directors nominated by the Government of India including one nominated under Chartered Accountant category and three Directors elected by the shareholders other than the Central Government. The positions of workmen Employee Director, Officer Employee Director, two Part-Time Non Official Directors were vacant as on 31st March, 2019.

The details of the Directors on the Board during the financial year 2018-19 are as follows:-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	आयु (वर्ष)	अर्हता	ओबीसी में शेयर	अन्य कंपनियों / इकाइयों में निदेशक का पद	बैंक की समितियों की सदस्यता	बैंक की समितियों के अध्यक्ष	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदत्त सदस्यता शुल्क
1	**श्री मुकेश कुमार जैन** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	58	स्नातकोत्तर एवं सनदी लेखाकार	10284	**सूचीबद्ध** शून्य **गैरसूचीबद्ध** 1. केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि0 (CHOICe) 2. दी ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 3. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीस एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट (निबसकॉम) 4. इंडियन बैंक एसोसिएशन 5. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फ़ाइनेंस **उप-समितियों के सदस्य : 11** **उप-समितियों के अध्यक्ष : 1**	1-मंडल की प्रबंधन समिति 2- मण्डल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 3-हितधारक की संबंध समिति 4-मंडल की ग्राहक सेवा उप-समिति 5-बड़ी राशि की धोखाधड़ी की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की विशेष समिति 6-जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति 7.अनुशासनिक कार्रवाई समिति 8. ऋण अनुमोदन समिति 9. मानव संसाधन समिति 10. जन संपर्क एवं प्रचार समिति 11. अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु मण्डल की समिति 12. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 13. शेयर निर्गम और आबंटन समिति 14. चुनाव विवाद समिति 15. सीएसआर समिति 16. असहयोगी उधारकर्ता एवं इरादतन चूककर्ता पर मंडल की समीक्षा समिति 17. निगरानीयोग्य कार्ययोजना तथा पीएसबी सुधार एजेंडा के अंतर्गत प्रगति की जांच हेतु समिति	1-मंडल की प्रबंधन समिति 2-मंडल की ग्राहक सेवा उप-समिति 3-बड़ी राशि की धोखाधड़ी की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की विशेष समिति 4-जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति 5-अनुशासनिक कार्रवाई समिति 6-ऋण अनुमोदन समिति 7-मानव संसाधन समिति 8-जन संपर्क एवं प्रचार समिति 9-अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु मण्डल की समिति 10- एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 11- शेयर निर्गम और आबंटन समिति 12- चुनाव विवाद समिति 13- सीएसआर समिति 14- असहयोगी उधारकर्ता एवं इरादतन चूककर्ता पर मंडल की समीक्षा समिति 15- निगरानीयोग्य कार्ययोजना तथा पीएसबी सुधार एजेंडा के अंतर्गत प्रगति की जांच हेतु समिति	**लागू नहीं**
2	**श्री विजय दुबे** कार्यकारी निदेशक	56	मास्टर्स डिग्री (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) स्नातकोत्तर (सांख्यिकी), सीएआईआईबी	7320	**सूचीबद्ध** शून्य **गैर-सूचीबद्ध** नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीस एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट (निबसकॉम) **उप-समितियों के सदस्य / अध्यक्ष: शून्य**	1. मंडल की प्रबंधन समिति 2. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 3 मण्डल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 4. हितधारक की संबंध समिति 5. मंडल की ग्राहक सेवा उप-समिति 6. बड़ी राशि की धोखाधड़ी की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की विशेष समिति 7. जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति 8. अनुशासनिक कार्रवाई समिति 9. ऋण अनुमोदन समिति 10. मानव संसाधन समिति 11. जन संपर्क एवं प्रचार समिति 12. अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु मण्डल की समिति 13. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 14. शेयर निर्गम और आबंटन समिति 15. सीएसआर समिति 16. निगरानीयोग्य कार्ययोजना तथा पीएसबी सुधार एजेंडा के अंतर्गत प्रगति की जांच हेतु समिति	शून्य	**लागू नहीं**

Sr. No.	Name of the Director	Age (Yrs)	Qualification	Shares in OBC	Directorship in other Companies/ entities	Membership of the Committees of the Bank	Chairman of the Committees of the Bank	Sitting Fees paid during the Financial Year 2018-19
1	**Sh. Mukesh Kumar Jain** Managing Director & Chief Executive Officer	58	Post Graduate and Chartered Accountant	10284	• **Listed** Nil • **Unlisted** 1. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (CHOICe) 2. The Oriental Insurance Company Limited 3. National Institute of Banking Studies & Corporate Management (NIBSCOM) 4. Indian Banks' Association 5. Indian Institute of Banking & Finance **Member of sub-committees:** 11 **Chairperson of sub-committees: 1**	1. Management Committee of Board 2. IT Strategy Committee of Board 3. Stakeholders' Relationship Committee 4. Sub-Committee of Board on Customer Service 5. Special Committee of Board for monitoring of Large Value Frauds 6. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 7. Disciplinary Action Committee 8. Credit Approval Committee 9. HR Committee 10. PR & Publicity Committee 11. Committee of Board to decide candidature of Shareholder Director in other companies 12. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 13. Share Issue and Allotment Committee 14. Election Disputes Committee 15. CSR Committee 16. Review Committee of the Board on Non-Cooperative Borrowers & Wilful Defaulters 17. Committee for Overseeing of Progress under Monitorable Action Plan and PSB Reforms Agenda	1. Management Committee of Board 2. Sub-Committee of Board on Customer Service 3. Special Committee of Board for monitoring of Large Value Frauds 4. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 5. Disciplinary Action Committee 6. Credit Approval Committee 7. HR Committee 8. PR & Publicity Committee 9. Committee of Board to decide candidature of Shareholder Director in other companies 10. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 11. Share Issue and Allotment Committee 12. Election Disputes Committee 13. CSR Committee 14. Review Committee of the Board on Non-Cooperative Borrowers & Wilful Defaulters 15. Committee for Overseeing of Progress under Monitorable Action Plan and PSB Reforms Agenda	N.A
2.	**Sh. Vijay Dube** Executive Director	56	Masters Degree (Business Administration), Post Graduate (Statistics), CAIIB	7320	• **Listed** Nil • **Unlisted** National Institute of Banking Studies & Corporate Management (NIBSCOM) **Member / Chairperson of sub-committees**: Nil	1. Management Committee of Board 2. Audit Committee of Board 3. IT Strategy Committee of Board 4. Stakeholder's Relationship Committee 5. Sub-Committee of Board on Customer Service 6. Special Committee of Board for monitoring of Large Value Frauds 7. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 8. Disciplinary Action Committee 9. Credit Approval Committee 10. HR Committee 11. PR & Publicity Committee 12. Committee of Board to decide candidature of Shareholder Director in other companies 13. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 14. Share Issue and Allotment Committee 15. CSR Committee 16. Committee for Overseeing of Progress under Monitorable Action Plan and PSB Reforms Agenda	NIL	N.A

क्र. सं.	निदेशक का नाम	आयु (वर्ष)	अर्हता	ओबीसी में शेयर	अन्य कंपनियों / इकाइयों में निदेशक का पद	बैंक की समितियों की सदस्यता	बैंक की समितियों के अध्यक्ष	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदत्त सदस्यता शुल्क
3	**श्री बालकृष्ण अल्से एस.** कार्यकारी निदेशक	59	स्नातक (कृषि), सीएआईआईबी	7320	**सूचीबद्ध** शून्य **गैर-सूचीबद्ध** नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीस एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट (निबसकॉम) **उप-समितियों के सदस्य / अध्यक्ष : शून्य**	1. मंडल की प्रबंधन समिति 2. मण्डल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 3. हितधारक की संबंध समिति 4. मंडल की ग्राहक सेवा उप-समिति 5. बड़ी राशि की धोखाधड़ी की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की विशेष समिति 6. जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति 7. अनुशासनिक कार्रवाई समिति 8. ऋण अनुमोदन समिति 9. मानव संसाधन समिति 10. जन संपर्क एवं प्रचार समिति 11. अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु मण्डल की समिति 12. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 13. शेयर निर्गम और आबंटन समिति 14. सीएसआर समिति 15. निगरानीयोग्य कार्ययोजना तथा पीएसबी सुधार एजेंडा के अंतर्गत प्रगति की जांच हेतु समिति नोट: श्री बालकृष्ण अल्से एस. ने मण्डल की लेखापरीक्षा समिति की बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया।	शून्य	लागू नहीं
4	**श्री हिमांशु जोशी** कार्यकारी निदेशक (31.10.2018 तक)	60	बी.कॉम, सीएआईआईबी, ट्रेजरी और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा	शून्य	**सूचीबद्ध** शून्य **गैर-सूचीबद्ध** केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि0 (CHOICe) **उप-समितियों के सदस्य : 7** **उप-समितियों के अध्यक्ष : शून्य**	1. मंडल की प्रबंधन समिति 2. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 3. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 4. स्टेकहोल्डर संबंध समिति 5. मंडल की ग्राहक सेवा उप समिति 6. बड़ी राशि की धोखाधड़ी की मानीटरिंग हेतु मंडल की विशेष समिति 7. जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति 8. अनुशासनिक कार्रवाई समिति 9. ऋण अनुमोदन समिति 10. मानव संसाधन समिति 11. जन संपर्क एवं प्रचार समिति 12. अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु मण्डल की समिति 13. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 14. शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति 15. सीएसआर समिति 16. निगरानी योग्य कार्ययोजना तथा पीएसबी सुधार एजेंडा के अंतर्गत प्रगति की जांच हेतु समिति	शून्य	लागू नहीं
5	**श्री प्रशांत गोयल** भारत सरकार के नामिती निदेशक (गैर-कार्यकारी)	51	बी.ई., स्नातकोत्तर (अर्थशास्त्र), वितीय प्रबंधन एवं लोक प्रबंधन व नीति में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	शून्य	**सूचीबद्ध** शून्य **गैर-सूचीबद्ध** सिक्योरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड **उप-समितियों के सदस्य / अध्यक्ष: शून्य**	1. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 2. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 3. बड़ी राशि की धोखाधड़ी की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की विशेष समिति 4. जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति 5. अनुशासनिक कार्रवाई समिति 6. पारिश्रमिक समिति 7. नामांकन समिति 8. मानव संसाधन समिति 9. जनसंपर्क एवं प्रचार समिति 10. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 11. मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति 12. चुनाव विवाद समिति 13. निगरानी योग्य कार्ययोजना तथा पीएसबी सुधार एजेंडा के अंतर्गत प्रगति की जांच हेतु समिति	1. पारिश्रमिक समिति 2. नामांकन समिति 3. मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति	लागू नहीं
6	**श्री एस. गणेश कुमार** भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक (गैर-कार्यकारी)	59	बी.एससी., एमबीए, पीजीडीबीएम, बैंकिंग में पीजी डिप्लोमा, सीएआईआईबी, सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	शून्य	**सूचीबद्ध** शून्य **गैर-सूचीबद्ध** भारतीय वितीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं **उप-समितियों के सदस्य : 2** **उप-समितियों के अध्यक्ष: शून्य**	1. मंडल की प्रबंधन समिति 2. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 3. अनुशासनिक कार्रवाई समिति 4. पारिश्रमिक समिति 5. मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति 6. चुनाव विवाद समिति 7. निगरानी योग्य कार्ययोजना तथा पीएसबी सुधार एजेंडा के अंतर्गत प्रगति की जांच हेतु समिति नोट: श्री एस. गणेश कुमार ने मण्डल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया।	शून्य	लागू नहीं

Sr. No.	Name of the Director	Age (Yrs)	Qualification	Shares in OBC	Directorship in other Companies/ entities	Membership of the Committees of the Bank	Chairman of the Committees of the Bank	Sitting Fees paid during the Financial Year 2018-19
3.	**Sh. Balakrishna Alse S.** Executive Director	59	B.Sc. (Agriculture)	7320	• **Listed** Nil • **Unlisted** National Institute of Banking Studies & Corporate Management (NIBSCOM) **Member / Chairperson of sub-committees**: Nil	1. Management Committee of Board 2. IT Strategy Committee of Board 3. Stakeholder's Relationship Committee 4. Sub-Committee of Board on Customer Service 5. Special Committee of Board for monitoring of Large Value Frauds 6. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 7. Disciplinary Action Committee 8. Credit Approval Committee 9. HR Committee 10. PR & Publicity Committee 11. Committee of Board to decide candidature of Shareholder Director in other companies 12. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 13. Share Issue and Allotment Committee 14. CSR Committee 15. Committee for Overseeing of Progress under Monitorable Action Plan and PSB Reforms Agenda Note:- Sh. Balakrishna Alse S. attended the meetings of the Audit Committee as Invitee	NIL	N.A
4.	**Sh. Himanshu Joshi** Executive Director (till 31.10.2018)	60	B.Com, CAIIB, Diploma in Treasury & Risk Management	Nil	• **Listed** Nil • **Unlisted** Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd (CHOICe) **Member of sub-committees:** 7 **Chairperson of sub-committees:** Nil	1. Management Committee of Board 2. Audit Committee of Board 3. IT Strategy Committee of Board 4. Stakeholders Relationship Committee 5. Sub-Committee of Board on Customer Service 6. Special Committee of Board for monitoring of Large Value Frauds 7. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 8. Disciplinary Action Committee 9. Credit Approval Committee 10. H R Committee 11. PR & Publicity Committee 12. Committee of Board to decide candidature of Shareholder Director in other companies 13. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 14. Share Issue & Allotment Committee 15. CSR Committee 16. Committee for Overseeing of Progress under Monitorable Action Plan and PSB Reforms Agenda	NIL	N.A
5	**Sh. Prashant Goyal** Government of India Nominee Director (Non-Executive)	51	B.E., PG (Economics), PG Diploma in Financial Management and in Public Management & Policy	Nil	• **Listed** Nil • **Unlisted** Security Printing & Minting Corporation of India Limited **Member / Chairperson of sub-committees**: Nil	1. Audit Committee of Board 2. IT Strategy Committee of Board 3. Special Committee of Board for monitoring of Large Value Frauds 4. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 5. Disciplinary Action Committee 6. Remuneration Committee 7. Nomination Committee 8. HR Committee 9. PR & Publicity Committee 10. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 11. Appellate & Reviewing Authority Committee of Board 12. Election Disputes Committee 13. Committee for Overseeing of Progress under Monitorable Action Plan and PSB Reforms Agenda	1. Remuneration Committee 2. Nomination Committee 3. Appellate & Reviewing Authority Committee of Board	N.A
6	**Sh. S Ganesh Kumar** RBI Nominee Director (Non-Executive)	59	B.Sc., MBA, PGDBM, PG Diploma in Banking, CAIIB, Diploma in IT	NIL	• **Listed** Nil • **Unlisted** Indian Financial Technology & Allied Services **Member of sub-committees:** 2 **Chairperson of sub-committees:** Nil	1. Management Committee of Board 2. Audit Committee of Board 3. Disciplinary Action Committee 4. Remuneration Committee 5. Appellate & Reviewing Authority Committee of Board 6. Election Disputes Committee 7. Committee for Overseeing of Progress under Monitorable Action Plan and PSB Reforms Agenda Note:- Sh. S Ganesh Kumar attended the meetings of the IT Strategy Committee of Board as Special Invitee	NIL	N.A

क्र. सं.	निदेशक का नाम	आयु (वर्ष)	अर्हता	ओबीसी में शेयर	अन्य कंपनियों / इकाइयों में निदेशक का पद	बैंक की समितियों की सदस्यता	बैंक की समितियों के अध्यक्ष	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदत्त सदस्यता शुल्क
7	**श्री संजय कपूर** सनदी लेखाकर निदेशक (गैर-कार्यकारी)	50	बी.कॉम, एफसीए	संजय कपूर (एचयूएफ) के नाम पर 1610 शेयर	शून्य	1. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 2. मंडल की ग्राहक सेवा उप समिति 3. जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति 4. नामांकन समिति 5. अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु मंडल की समिति 6. मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति 7. शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति 8. निगरानीयोग्य कार्ययोजना तथा पीएसबी सुधार एजेंडा के तहत प्रगति की निगरानी हेतु समिति	लेखापरीक्षा समिति	₹8,15,000.00
8	**श्रीमती माला श्रीवास्तव** अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (गैर-कार्यकारी)	64	बी.ए., सामाजिक विज्ञान में परास्नातक	शून्य	**सूचीबद्ध** शून्य **गैर-सूचीबद्ध** इफ्को किसान संचार लिमिटेड **उप-समितियों के सदस्य : 3** **उप-समितियों के अध्यक्ष :1**	1. मंडल की प्रबंधन समिति 2. स्टेकहोल्डर संबंध समिति 3. मंडल की ग्राहक सेवा उप समिति 4. नामांकन समिति 5. पारिश्रमिक समिति 6. मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति 7. सीएसआर समिति 8. मानव संसाधन समिति	शून्य	₹8,00,000.00
9	**श्री देश दीपक खेत्रपाल** शेयरधारक निदेशक (गैर-कार्यकारी)	63	बी.कॉम (ऑनर्स), एमबीए, सीएआईआईबी	100 शेयर	**गैरसूचीबद्ध** शून्य **सूचीबद्ध** 1. कार्यकारी निदेशक-ओरिएन्ट सीमेंट लि., 2. गैर कार्यकारी-गैर स्वतंत्र निदेशक-एचआईएल लि. 3. गैर कार्यकारी-गैर स्वतंत्र निदेशक-ओरिएन्ट इलेक्ट्रिक लि. **उप-समितियों के सदस्य : 12** **उप-समितियों के अध्यक्ष : 1**	1. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 2. बड़ी राशि की धोखाधड़ी की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की विशेष समिति 3. जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति 4. मानव संसाधन समिति 5. मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति 6. असहयोगी उधारकर्ता एवं इरादतन चूककर्ता पर मंडल की समीक्षा समिति 7. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 8. एनपीए की निगरानी हेतु मंडल की उप-समिति 9. निगरानीयोग्य कार्ययोजना तथा पीएसबी सुधार एजेंडा के तहत प्रगति की निगरानी हेतु समिति	मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति	₹11,00,000.00
10	**श्री अशोक कुमार शर्मा** शेयरधारक निदेशक (गैर-कार्यकारी)	67	बी.कॉम, एलएलबी, एफसीए	1110 शेयर	शून्य	1. मंडल की प्रबंधन समिति 2. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 3. स्टेकहोल्डर संबंध समिति 4. मानव संसाधन समिति 5. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 6. शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति 7. सीएसआर समिति 8. उधारकर्ता एवं इरादतन चूककर्ता पर मंडल की समीक्षा समिति	स्टेकहोल्डर संबंध समिति	₹9,40,000.00
11	**श्री मदन मोहन लाल वर्मा** शेयरधारक निदेशक (गैर-कार्यकारी)	58	एम.ए.,एम.फिल.	100 शेयर	शून्य	1. .मंडल की प्रबंधन समिति 2. स्टेकहोल्डर संबंध समिति 3. बैंक में मंडल की ग्राहक सेवा उप-समिति 4. बड़ी राशि की धोखाधड़ी की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की विशेष समिति 5. पारिश्रमिक समिति 6. जनसंपर्क एवं प्रचार समिति 7. अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु मंडल की समिति 8. एनपीए की निगरानी हेतु मंडल की उप-समिति 9. निगरानीयोग्य कार्ययोजना तथा पीएसबी सुधार एजेंडा के तहत प्रगति की निगरानी हेतु समिति	शून्य	₹6,10,000.00*

* सिटिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में की गई।

Sr. No.	Name of the Director	Age (Yrs)	Qualification	Shares in OBC	Directorship in other Companies/ entities	Membership of the Committees of the Bank	Chairman of the Committees of the Bank	Sitting Fees paid during the Financial Year 2018-19
7	**Sh. Sanjay Kapoor** Chartered Accountant Director (Non-Executive)	50	B.Com, FCA	1610 shares held in the name of Sanjay Kapoor (HUF)	NIL	1. Audit Committee of Board 2. Sub - Committee of Board on Customer Service 3. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 4. Nomination Committee 5. Committee to decide candidature of Shareholder Director in other companies 6. Appellate & Reviewing Authority Committee of Board 7. Share Issue & Allotment Committee 8. Committee for Overseeing of Progress under Monitorable Action Plan and PSB Reforms Agenda	Audit Committee of Board	₹8,15,000.00
8	**Smt. Mala Srivastava** Part Time Non Official Director (Non-Executive)	64	B.A., Master in Social Science	NIL	• Listed Nil • Unlisted IFFCO Kisan Sanchar Limited **Member of sub-committees:** 3 **Chairperson of sub-committees:** 1	1. Management Committee of Board 2. Stakeholders' Relationship Committee 3. Sub-Committee of Board on Customer Service 4. Nomination Committee 5. Remuneration Committee 6. Appellate & Reviewing Authority Committee of Board 7. CSR Committee 8. HR Committee	NIL	₹8,00,000.00
9	**Sh. Desh Deepak Khetrapal** Shareholder Director (Non-Executive)	63	B.Com(Hons) MBA, CAIIB	100 shares	• Unlisted Nil • Listed 1. Executive Director - Orient Cement Limited 2. Non-Executive Non-Independent Director - HIL Limited 3. Non-Executive Non-Independent Director - Orient Electric Limited Member of sub-committees: 12 Chairperson of sub-committees: 1	1. IT Strategy Committee of Board 2. Special Committee of Board for monitoring of Large Value Frauds 3. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 4. HR Committee 5. Appellate & Reviewing Authority Committee of Board 6. Review Committee of Board on Non-Cooperative Borrowers & Wilful Defaulters 7. Audit Committee of Board 8. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 9. Committee for Overseeing of Progress under Monitorable Action Plan and PSB Reforms Agenda	IT Strategy Committee of Board	₹11,00,000.00
10	**Sh. Ashok Kumar Sharma** Shareholder Director (Non-Executive)	67	B.Com, LLB, FCA	1110 shares	Nil	1. Management Committee of Board 2. IT Strategy Committee of the Board 3. Stakeholders Relationship Committee 4. HR Committee 5. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 6. Share Issue & Allotment Committee 7. CSR Committee 8. Review Committee of Board on Non-Cooperative Borrowers & Wilful Defaulters	Stakeholders Relationship Committee	₹9,40,000.00
11	**Sh. Madan Mohan Lal Verma** Shareholder Director (Non-Executive)	58	M.A., M. Phil.	100 shares	Nil	1. Management Committee of the Board 2. Stakeholders Relationship Committee 3. Sub-Committee of Board on Customer Service 4. Special Committee of Board for Monitoring Large Value Frauds. 5. Remuneration Committee 6. PR & Publicity Committee 7. Committee of Board to decide candidature of Shareholder Director in other companies 8. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 9. Committee for Overseeing of Progress under Monitorable Action Plan and PSB Reforms Agenda	Nil	₹6,10,000.00*

* Sitting fee remitted in favour of LIC

3. वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के मंडल में हुई नियुक्तियां

वर्ष के दौरान नियुक्त निदेशकों की सूची : -

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि/ कार्य-ग्रहण तिथि	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980
01.	श्री विजय दुबे	कार्यकारी निदेशक	01.11.2018	धारा 9 (3) (क) के अंतर्गत
02.	श्री बालकृष्ण अल्से एस्.	कार्यकारी निदेशक	26.12.2018	धारा 9 (3) (क) के अंतर्गत

4. वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक से जाने वाले निदेशक

वर्ष के दौरान बैंक से जाने वाले निदेशकों की सूची :-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल पूरे होने की तिथि	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980
01	श्री हिमांशु जोशी	कार्यकारी निदेशक	31.10.2018	धारा 9 (3) (क) के अंतर्गत

5. निदेशकों का प्रोफाइल

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पदभार ग्रहण करने वाले तथा मंडल में नियुक्त हुए निदेशकों का प्रोफाइल नीचे दिया गया है :

क) श्री विजय दुबे

वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसरण में, श्री विजय दुबे को 01 नवंबर, 2018 से बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। श्री विजय दुबे भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित सदस्य होने के साथ एफएमएस, दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नाकोत्तर हैं तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में स्नातकोत्तर हैं। श्री दुबे का 34 वर्षों का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है, जिसमें उन्होंने व्यापक विस्तार के साथ सभी क्षेत्रों में काम किया तथा कई वित्तीय संस्थानों में भी कार्य किया, जिसमें अधिकतम अवधि पंजाब नेशनल बैंक एवं विजया बैंक में रही। श्री दुबे ने तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान कीं । बैंक में अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व वे ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. के अतिरिक्त प्रभार के साथ आईएफसीआई लि. के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी रहे ।

ख) श्री बालकृष्ण अल्से एस्.

वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 26 दिसंबर, 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसरण में, श्री बालकृष्ण अल्से एस्. को बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया तथा उन्होंने इसी दिन अपना कार्यभार ग्रहण किया। श्री अल्से कृषि विज्ञान से स्नातक हैं और भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित सदस्य हैं । उनके पास फील्ड और नियंत्रण कार्यालयों का 35 वर्षों से अधिक का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है। उन्होंने 28.05.1983 को कॉर्पोरेशन बैंक में कृषि फील्ड अधिकारी (AFO) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विभिन्न प्रभागों जैसे; ग्रामीण विकास, कृषि नीति और ऋण, क्रेडिट नीति और योजना, क्रेडिट जोखिम

3. APPOINTMENTS ON THE BOARD OF THE BANK DURING THE YEAR 2018-19

List of Directors appointed during the year: -

S.N.	Name of Director	Designation	Date of Appointment/ Assumption of Office	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980
1	Shri Vijay Dube	Executive Director	01.11.2018	U/s 9 (3) (a)
2	Shri Balakrishna Alse S.	Executive Director	26.12.2018	U/s 9 (3) (a)

4. OUT-GOING DIRECTORS DURING THE YEAR 2018-19

List of outgoing directors during the year: -

Sr. No.	Name of Director	Designation	Date of Completion of Tenure	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1980
01	Sh. Himanshu Joshi	Executive Director	31.10.2018	U/s 9 (3) (a)

5. PROFILE OF THE DIRECTORS

The profile of the Directors who were appointed on the Board of the Bank and assumed office during the Financial Year 2018-19 is furnished hereunder:

a) Sh. Vijay Dube

Pursuant to notification dated 20th September, 2018 of the Department of Financial Services, Government of India, Shri Vijay Dube was appointed as Executive Director of the Bank w.e.f. 01st November, 2018. Shri Vijay Dube holds a Masters Degree in Business Administration from FMS Delhi, University of Delhi, and a Post-Graduate in Statistics from Lucknow University, besides being a Certified Member of Indian Institute of Bankers. Shri Dube has more than 34 years of rich banking experience, having worked across all segments with wide exposure and has been associated with a number of financial institutions of which the major tenure was with Punjab National Bank and Vijaya Bank. He has also served as Chief Vigilance Officer (CVO) of the erstwhile State Bank of Mysore. Prior to his assumption of office in the Bank, he was holding the assignment of CVO at IFCI Ltd. with additional charge of Oriental Insurance Company Ltd.

b) Sh. Balakrishna Alse S. :

Pursuant to notification dated 26th December, 2018 of the Department of Financial Services, Government of India, Shri Balakrishna Alse S. was appointed as Executive Director of the Bank and he assumed office effective that date. Shri Alse is a graduate (B.Sc.) in Agriculture and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He has more than 35 years of rich banking experience in field and controlling offices. He joined the Corporation Bank as Agriculture Field Officer (AFO) on 28th

प्रबंधन, मानव संसाधन, क्रेडिट स्वीकृतियां, सीडीआर, एकीकृत जोखिम प्रबंधन (मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में), सूचना / साइबर सुरक्षा (मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के रूप में) और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रभाग में कार्य किया । उनके पास मुख्य सतर्कता अधिकारी का 7 महीने से अधिक का समवर्ती प्रभार भी रहा । उनके पास ग्रामीण, अर्ध शहरी और मेट्रो शाखाओं में शाखा प्रभारी एवं द्वितीय प्रभारी के रूप में कार्य करने का और बैंक के मुंबई जोन का नेतृत्व करने का भी अनुभव है । उन्होंने भारत और विदेशों में स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है ।

6. मण्डल की बैठकें

वर्ष 2018-19 के दौरान, निदेशक मंडल की 14 बैठकें हुई :

16 अप्रैल 2018, 12 मई 2018, 01 जून 2018, 07 जुलाई 2018, 25 जुलाई 2018, 30 अगस्त 2018, 27 सितंबर 2018, 25 अक्तूबर 2018, 01 दिसंबर 2018, 15 जनवरी 2019, 29 जनवरी 2019, 19 फरवरी 2019, 07 मार्च 2019 एवं 26 मार्च, 2019 ।

मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण उनके कार्यकाल में हुई बैठकों की संख्या के साथ इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है।

7. निदेशकों /कार्यपालकों की समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार के निर्देशों तथा सूचीबद्ध प्रावधानों के अनुसार, निदेशकों की विभिन्न समितियां गठित की गई हैं ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया तीव्र हो सके तथा उनके विचारार्थ विषयों से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों की उपयुक्त मॉनीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके । मंडल की महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं :

7.1 मंडल की प्रबन्धन समिति

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गनिर्देशों का अनुसरण करते हुए निदेशक मंडल द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 के खंड 13 का पालन करते हुए ऋण प्रस्तावों की मंजूरी, ऋण समझौते/बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण, निवेश दान आदि जैसे विभिन्न कारोबारी मामलों पर विचार करने के लिए मंडल की प्रबन्ध समिति गठित की गई है। इस समिति में 31 मार्च, 2019 को, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष), कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक श्री एस. गणेश कुमार, तथा बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण)अधिनियम,1980 की धारा 9(3)(ज) तथा (झ) के अंतर्गत निदेशकों में से मंडल द्वारा नामित तीन गैर-कार्यपालक निदेशक यथा; श्री अशोक कुमार शर्मा, श्री मदन मोहन लाल वर्मा एवं श्रीमती माला श्रीवास्तव शामिल हैं ।

वर्ष के दौरान मण्डल की प्रबंधन समिति की कुल 12 बैठकें हुई।

7.2 मंडल की लेखापरीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बैंक द्वारा लेखापरीक्षा समिति गठित की गई है और 31 मार्च 2019 को इसमें आंतरिक निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा के प्रभारी कार्यकारी निदेशक श्री विजय दुबे, श्री संजय कपूर, अंशकालिक गैर सरकारी सीए निदेशक, भारत सरकार नामित निदेशक- श्री प्रशांत गोयल, आरबीआई नामित निदेशक - श्री एस गणेश कुमार और श्री देश दीपक खेत्रपाल - गैर-कार्यकारी (शेयरधारक) निदेशक शामिल हैं। श्री बालकृष्ण अल्से एस्. ने भी आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठकों में भाग लिया ।

May 1983. During his tenure, he has worked in various divisions such as Rural Development, Agricultural Policy and Lending, Credit Policy and Planning, Credit Risk Management, HR, Credit Sanctions, CDR, Integrated Risk Management (as Chief Risk Officer), Information/Cyber Security (as Chief Information Security Officer) and Fraud Risk Management Divisions. He also had concurrent charge of Chief Vigilance Officer for over 7 months. He has experience of working in rural, semi urban and metro branches both as Branch Head and second line and headed the Mumbai zone of the Bank. He has also undergone trainings at reputed Institutes in India and abroad.

6. BOARD MEETINGS

During the year 2018-19, 14 Board Meetings were held on:

April 16 2018, May 12 2018, June 01 2018, July 07 2018, July 25 2018, August 30 2018, September 27 2018, October 25 2018, December 01 2018, January 15 2019, January 29 2019, February 19 2019, March 07 2019 and March 26 2019.

The details of the attendance of the Directors in the Board Meetings along with number of meetings held during their tenure, is given elsewhere in the report.

7. COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

Various Committees of Directors have been constituted in terms of Reserve Bank of India, Government of India directives and listing provisions in order to quicken decision-making, proper monitoring and follow-up of the various activities within their terms of reference. The important Committees of the Board are as under:

7.1 Management Committee of the Board

Pursuant to the directives of the Ministry of Finance, Government of India, the Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors in adherence to Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 for considering various business matters namely sanctioning of credit proposals, loan compromise/write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition of premises, investments, donations etc. As on 31st March 2019, the Committee comprised of the Managing Director & CEO (Chairperson), Executive Directors, RBI Nominee Director, Sh. S. Ganesh Kumar and three Non Executive Directors viz. Sh. Ashok Kumar Sharma, Sh. Madan Mohan Lal Verma and Smt. Mala Srivastava nominated by the Board from amongst the Directors under Section 9(3)(h) and (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

During the year, 12 meetings of the Management Committee of Board were held.

7.2 Audit Committee of Board

The Audit Committee of Board has been constituted by the Bank as per the guidelines of the Reserve Bank of India and as on 31st March 2019 comprised of Shri Vijay Dube, Executive Director in-charge of Internal Inspection & Audit, Sh. Sanjay Kapoor, Part-time Non-Official CA Director, Government of India Nominee Director - Sh. Prashant Goyal, RBI Nominee Director – Sh. S Ganesh Kumar and Sh. Desh Deepak Khetrapal – Non-Executive (Shareholder) Director. Sh. Balakrishna Alse S also attended the meetings of the Committee as invitee.

इस समिति की बैठक की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक श्री संजय कपूर द्वारा की जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की 12 बैठकें हुईं। सेबी सूचीकरण विनियमन, 2015 के विनियम 18 के अनुसार कंपनी सचिव मंडल की लेखापरीक्षा समिति के सचिव हैं।

मंडल की लेखापरीक्षा समिति के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

1. मंडल की लेखापरीक्षा समिति दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक के संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्यों को भी देखती है, जिनमें आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण पद्धति की व्यवस्था, परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की संपाश्विक लेखापरीक्षा, आंतिरक लेखापरीक्षा, सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा की निगरानी शामिल है।
2. यह वार्षिक वित्तीय निरीक्षण/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीएस तथा भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में दर्शाए गए मुद्दों/चिंताओं पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में अनुपालन की समीक्षा करती है।
3. समिति धोखाधड़ी, केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों, आंतरिक निरीक्षण रिपोर्टों/लेखापरीक्षा कार्यविधियों, लॉंग फार्म ऑडिट रिपोर्ट (एल.एफ.ए.आर.) में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करती है तथा बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ बातचीत करती है।
4. समिति लेखांकन मानदंडों, लेखांकन नीतियों एवं कार्यविधियों, रिपोर्टिंग पद्धति, वित्तीय सूचनाओं के प्रकटन एवं अन्य सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन की भी समीक्षा करती है ।
5. समिति बैंक के क्लस्टर मॉनीटरिंग कार्यालयों की प्रबंधन लेखापरीक्षा रिपोर्टों, आंतरिक निरीक्षण रिपोर्टों व उनके अनुपालन की पुनरीक्षा करती है।
6. यह आंतरिक व्यवस्था तथा अंतर-शाखा समाधान की स्थिति का पुनरीक्षण करने के साथ-साथ असंतोषजनक रेटिंग वाली शाखाओं/क्लस्टरों/कार्यालयों के अनुपालन अधिकारी, निरीक्षण रिपोर्टों की पुनरीक्षा भी करती है।
7. यह बैंक में अंतर बैंक खातों, नोशनल खातों तथा नोस्ट्रो खातों में काफी समय से मिलान न की गई प्रविष्टियों पर भी ध्यान देती है।
8. मंडल की लेखापरीक्षा समिति बैंक के तिमाही, छमाही व वार्षिक परिणामों की समीक्षा करती है और मंडल को अपनी संस्तुति देती है। यदि लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में कोई शर्त रखी जाती है तो इस पर केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करती है और मंडल को इसकी सूचना देती है।
9. समिति निदेशक मंडल को सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की संस्तुति भी करती है।
10. समिति, सेबी संबंधी अनुपालनों की भी समीक्षा करती है।

The meetings of the Committee are chaired by the Non Executive Director, Sh. Sanjay Kapoor. The Committee met 12 times during the year 2018-19. The Company Secretary is the Secretary to the Audit Committee of Board in terms of Regulation 18 of SEBI Listing Regulations, 2015.

The main functions of the Audit Committee of Board inter alia include:

1 The Audit Committee of Board provides directions, and also oversees the operations of the total audit functions of the Bank, which include organization, operationalization and quality control of the internal audit and inspection system and monitor the work done by Concurrent Audit, Internal Audit, statutory/ external audit of the Bank.

2 It reviews compliance in respect of Annual Financial Inspection / RBS by Reserve Bank of India and follows up on issues / concerns raised in the inspection reports of RBI.

3 The Committee reviews Frauds, KYC / AML guidelines, internal inspection reports/audit functions, follow-up of all issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interacts with external auditors.

4 The Committee also reviews the compliance of accounting standards, accounting policies & practices, reporting process, disclosure of financial information and compliance of other statutory requirements.

5 It reviews the Management Audit Reports of the Bank's Cluster Monitoring Offices and Internal Inspection Reports and its compliance.

6 It also reviews reports of Compliance Officer, inspection reports of branches/clusters/offices with unsatisfactory ratings, besides reviewing the position of housekeeping and inter-branch reconciliation.

7 It also focuses on un-reconciled long outstanding entries in inter-bank accounts, notional accounts and nostro accounts in the Bank.

8 The Audit Committee of Board reviews the quarterly, half-yearly and annual results of the Bank and gives its recommendations to the Board. If any qualification is given by the Auditors in their report, it discusses the same with Central Statutory Auditors and report to the Board.

9 The Committee also recommends appointment of Statutory Auditors to the Board of Directors.

10 The Committee also reviews the SEBI related compliances.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान हुई मंडल/उप-समितियों की बैठकों में उपस्थिति के संबंध में रिपोर्ट

मंडल की लेखापरीक्षा समिति और मण्डल की प्रबंध समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति और उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या का विवरण निम्न है :

		निदेशक मंडल		मंडल की प्रबंधन समिति		मंडल की लेखापरीक्षा समिति	
	अध्यक्ष	श्री मुकेश कुमार जैन (01.04.2018-31.03.2019)		श्री मुकेश कुमार जैन (01.04.2018-31.03.2019)		श्री संजय कपूर (01.04.18-31.03.2019)	
क्र. स.	**निदेशक का नाम**	**आयोजित बैठकें**	**कितनी बैठकों में भाग लिया**	**आयोजित बैठकें**	**कितनी बैठकों में भाग लिया**	**आयोजित बैठकें**	**कितनी बैठकों में भाग लिया**
1	श्री मुकेश कुमार जैन (01.04.2018-31.03.2019)	14	14	12	12	लागू नहीं	-
2	श्री हिमांशु जोशी (01.04.2018-31.10.2018)	08	08	05	05	06	06
3	श्री विजय दुबे (01.11.2018-31.03.2019)	06	06	07	07	06	06
4	श्री बालकृष्ण अल्से एस. (26.12.2018-31.03.2019)	05	05	05	05	लागू नहीं	लागू नहीं
5	श्री प्रशांत गोयल (01.04.2018 – 31.03.2019)	14	03	लागू नहीं	-	12	02
6	श्री एस गणेश कुमार (01.04.2018–31.03.2019)	14	14	12	11	12	11
7	श्रीमती माला श्रीवास्तव (01.04.2018–31.03.2019)	14	13	12	10	लागू नहीं	-
8	श्री संजय कपूर (01.04.2018–31.03.2019)	14	13	लागू नहीं	-	12	11
9	श्री देश दीपक खेत्रपाल (01.04.2018–31.03.2019)	14	12	लागू नहीं	-	12	10
10	श्री अशोक कुमार शर्मा (01.04.2018-31.03.2019)	14	12	12	11	लागू नहीं	-
11	श्री मदन मोहन लाल वर्मा (01.04.2018–31.03.2019)	14	09	12	07	लागू नहीं	-

लागू नहीं : समिति के सदस्य नहीं

आयोजित बैठकें : निदेशक की कार्यवधि के दौरान आयोजित बैठकें

Report In respect of Attendance in Meetings of Board / Sub-Committees of Board held during the financial year 2018-19

The details of the attendance of the Directors in the meetings of the Board, Audit Committee of Board and Management Committee of Board with the number of meetings held during their tenure are as follows:

		Board of Directors		Management Committee of Board		Audit Committee of Board	
	CHAIRMAN	Sh. Mukesh Kumar Jain (01.04.2018-31.03.2019)		Sh. Mukesh Kumar Jain (01.04.2018-31.03.2019)		Sh. Sanjay Kapoor (01.04.2018-31.03.2019)	
Sr. No.	**Name of the Director**	**Meetings held**	**Meetings attended**	**Meetings held**	**Meetings attended**	**Meetings held**	**Meetings attended**
1	Sh. Mukesh Kumar Jain (01.04.2018 – 31.03.2019)	14	14	12	12	N.A	-
2	Sh. Himanshu Joshi (01.04.2018 – 31.10.2018)	08	08	05	05	06	06
3	Sh. Vijay Dube (01.11.2018 – 31.03.2019)	06	06	07	07	06	06
4	Sh. Balakrishna Alse S. (26.12.2018 – 31.03.2019)	05	05	05	05	N.A	N.A
5	Sh. Prashant Goyal (01.04.2018 – 31.03.2019)	14	03	N.A	-	12	02
6	Sh. S Ganesh Kumar (01.04.2018 – 31.03.2019)	14	14	12	11	12	11
7	Smt. Mala Srivastava (01.04.2018 – 31.03.2019)	14	13	12	10	N.A	-
8	Sh. Sanjay Kapoor (01.04.2018 – 31.03.2019)	14	13	N.A	-	12	11
9	Sh. Desh Deepak Khetrapal (01.04.2018 – 31.03.2019)	14	12	N.A	-	12	10
10	Sh. Ashok Kumar Sharma (01.04.2018 – 31.03.2019)	14	12	12	11	N.A	-
11	Sh. Madan Mohan Lal Verma (01.04.2018 – 31.03.2019)	14	09	12	07	N.A	-

N.A.: Not a Member of the Committee

Meetings Held: Meetings held during the tenure of the Director

7.3 ऋण अनुमोदन समिति

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुसरण में, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 13ए के अनुपालन में निदेशक मंडल द्वारा ऋण अनुमोदन समिति गठित की गई है। समिति एक उधारकर्ता को रु.250 करोड़ के अधिकतम एक्सपोजर हेतु ऋण प्रस्तावों को मंजूरी करने तथा रु.4 करोड़ की अधित्याग की राशि हेतु ऋण समझौता/बट्टे खाते डालने के प्रस्तावों पर विचार करती है। इस समिति में इस समय प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशकगण, बड़े कॉरपोरेट ऋण के प्रभारी महाप्रबन्धक, मिड कारपोरेट ऋण के प्रभारी महाप्रबन्धक, कृषि ऋण के प्रभारी महाप्रबन्धक, लेखा के प्रभारी महाप्रबन्धक / मुख्य वित्तीय अधिकारी, जोखिम प्रबन्धन के प्रभारी महाप्रबन्धक, एमएसएमई ऋण के प्रभारी महाप्रबंधक, वसूली एवं विधि के प्रभारी महाप्रबंधक तथा निरीक्षण एवं नियंत्रण के प्रभारी महाप्रबंधक, ट्रेज़री के प्रभारी महाप्रबंधक, क्रेडिट मॉनीटरिंग प्रभारी महाप्रबंधक तथा दबावग्रस्त आस्तियां प्रबंधन वर्टिकल के प्रभारी महाप्रबंधक शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की कुल 19 बैठकें हुई ।

7.4 मंडल की स्टेक होल्डर संबंध समिति

मंडल की स्टेक होल्डर संबंध समिति का गठन शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों के हितों के विभिन्न पक्षों को देखने के लिए, बैंक के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों के निवारण करने एवं शेयरधारकों के मताधिकार को प्रभावी रूप में प्रयोग करने हेतु किए गए उपायों की समीक्षा, रजिस्ट्रार व पंजीकरण एजेन्ट द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन तथा अदावाकृत लाभांश की संख्या में कमी लाने हेतु किए जा रहे उपायों व पहलों पर विचार करने की दृष्टि से सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 20 यथासंशोधित, के अनुसरण में किया गया। 31 मार्च 2019 के अनुसार समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशकगण, गैर-कार्यकारी निदेशक, श्री अशोक कुमार शर्मा समिति के अध्यक्ष के रूप में और दो अन्य गैर कार्यकारी निदेशक, श्रीमती माला श्रीवास्तव और श्री मदन मोहन लाल वर्मा, सदस्य के रूप में शामिल हैं। समिति की इस वर्ष चार बैठकें हुई और इस समिति ने वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, शेयरों के हस्तांतरण, गत वर्षों में घोषित लाभांश प्राप्त न होने, गत वर्षों से संबंधित लाभांश के भुगतान न होने जैसी निवेशकों की शिकायतों को दूर करने संबंधी मामले देखे।

बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयरधारकों की शिकायतों का निपटान समयबद्ध तरीके से किया जाए तथा जिन शिकायतों में अंतिम निपटान के लिए जांच की आवश्यकता होती है उनका अंतरिम उत्तर/सूचना दी जाती है। आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक को 75 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से कोई भी शिकायत 31.03.2019 को लंबित नहीं थी।

क्रम सं.	बैठक की तिथि	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	01.06.2018	श्री अशोक कुमार शर्मा श्री मुकेश कुमार जैन श्री हिमांशु जोशी श्रीमती माला श्रीवास्तव श्री मदन मोहन लाल वर्मा	---
2	27.09.2018	1) श्री अशोक कुमार शर्मा 2) श्री मुकेश कुमार जैन 3) श्री हिमांशु जोशी 4) श्रीमती माला श्रीवास्तव 5) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	---

7.3 Credit Approval Committee

Pursuant to the directives of the Ministry of Finance, Government of India, the Credit Approval Committee is constituted by the Board of Directors in adherence to Clause 13A of the Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provision) Scheme, 1980. The Committee considers sanctioning of credit proposals upto ₹250 crore for single borrower exposure and loan compromise/write-off proposals with sacrifice amount upto ₹4 crore. The Committee presently consists of Managing Director & CEO (Chairperson), Executive Directors, General Manager in-charge of the Large Corporate Credit, General Manager in-charge of the Mid Corporate Credit, General Manager in-charge of the Agriculture, General Manager in-charge of Accounts/CFO, General Manager in-charge of Risk Management, General Manager in-charge of MSME Credit, General Manager in-charge of Recovery & Law, General Manager in-charge of Inspection & Control, General Manager in-charge of Treasury, General Manager in-charge of Credit Monitoring and General Manager in-charge of Stressed Assets Management Vertical.

In all, 19 meetings of the Credit Approval Committee were held during the year 2018-19.

7.4 Stakeholders Relationship Committee of Board

The Stakeholders Relationship Committee of Board has been constituted pursuant to Regulation 20 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended for looking into the various aspects of interest of shareholders, debenture holders and other security holders, resolving the grievances of the security holders and reviewing the measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders, adherence to service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & transfer Agent and measures and initiatives to reduce the quantum of unclaimed dividend. As on 31st March 2019, the Committee comprised of Managing Director & CEO, Executive Directors, a Non Executive Director, Sh. Ashok Kumar Sharma as the Chairman of the Committee and two other Non Executive Directors, Smt. Mala Srivastava and Sh. Madan Mohan Lal Verma, as members. The Committee met four times in the year and looked into the redressal of investors complaints like non receipt of Annual Reports, Transfer of Shares, non receipt of dividend declared in the previous years, non-payment of dividend pertaining to previous years.

The Bank ensures that shareholders' complaints are disposed off in a time bound manner and the complaints which need investigation for final disposal are attended with immediate interim reply / information. During the year under review, Bank received 75 complaints, of which no complaint was pending as on 31st March 2019.

Sr. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	01.06.2018	1) Sh. Ashok Kumar Sharma 2) Sh. Mukesh Kumar Jain 3) Sh. Himanshu Joshi 4) Smt. Mala Srivastava 5) Sh. Madan Mohan Lal Verma	-
2	27.09.2018	1) Sh. Ashok Kumar Sharma 2) Sh. Mukesh Kumar Jain 3) Sh. Himanshu Joshi 4) Smt. Mala Srivastava 5) Sh. Madan Mohan Lal Verma	-

3	21.12.2018	श्री अशोक कुमार शर्मा श्री मुकेश कुमार जैन श्री विजय दुबे श्रीमती माला श्रीवास्तव श्री मदन मोहन लाल वर्मा	श्री मदन मोहन लाल वर्मा
4	07.02.2019	श्री अशोक कुमार शर्मा श्री मुकेश कुमार जैन श्री विजय दुबे श्री बालकृष्ण अल्से एस्. श्रीमती माला श्रीवास्तव श्री मदन मोहन लाल वर्मा	श्री मदन मोहन लाल वर्मा

7.5 मण्डल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

इस समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यदल सूचना सुरक्षा के परिपत्र सं. भारिबै/2010-11/494 डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.सं 6/31.02.2008/2010-2-11 दिनांक 29.04.2011 द्वारा की गई संस्तुति के अनुपालन में किया गया। 31 मार्च, 2019 को इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यकारी निदेशकों के साथ-साथ श्री प्रशांत गोयल, श्री देश दीपक खेत्रपाल, श्री एस. गणेश कुमार (विशेष स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में), श्री अशोक कुमार शर्मा, बैंक के गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। श्री देश दीपक खेत्रपाल समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति की दस बैठकें हुई।

क्रम सं.	बैठक की तिथि	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	27.04.2018	1) श्री देश दीपक खेत्रपाल 2) श्री मुकेश कुमार जैन 3) श्री हिमांशु जोशी 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्री एस.गणेश कुमार 6) श्री अशोक कुमार शर्मा	1) श्री देश दीपक खेत्रपाल 2) श्री प्रशांत गोयल
2	01.06.2018	1) श्री देश दीपक खेत्रपाल 2) श्री मुकेश कुमार जैन 3) श्री हिमांशु जोशी 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्री एस.गणेश कुमार 6) श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री प्रशांत गोयल
3	07.07.2018	1) श्री देश दीपक खेत्रपाल 2) श्री मुकेश कुमार जैन 3) श्री हिमांशु जोशी 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्री एस.गणेश कुमार 6) श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री प्रशांत गोयल
4	30.08.2018	1) श्री देश दीपक खेत्रपाल 2) श्री मुकेश कुमार जैन 3) श्री हिमांशु जोशी 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्री एस.गणेश कुमार 6) श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री प्रशांत गोयल
5	27.09.2018	1) श्री देश दीपक खेत्रपाल 2) श्री मुकेश कुमार जैन 3) श्री हिमांशु जोशी 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्री एस.गणेश कुमार 6) श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री प्रशांत गोयल
6	22.10.2018	1) श्री देश दीपक खेत्रपाल 2) श्री मुकेश कुमार जैन 3) श्री हिमांशु जोशी 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्री एस.गणेश कुमार 6) श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री प्रशांत गोयल

3	21.12.2018	1) Sh. Ashok Kumar Sharma 2) Sh. Mukesh Kumar Jain 3) Sh. Vijay Dube 4) Smt. Mala Srivastava 5) Sh. Madan Mohan Lal Verma	Sh. Madan Mohan Lal Verma
4	07.02.2019	1) Sh. Ashok Kumar Sharma 2) Sh. Mukesh Kumar Jain 3) Sh. Vijay Dube 4) Sh. Balakrishna Alse S 5) Smt. Mala Srivastava 6) Sh. Madan Mohan Lal Verma	Sh. Madan Mohan Lal Verma

7.5 IT Strategy Committee of Board

The Committee is constituted pursuant to RBI Working Group Information Security recommendations vide Circular No. RBI/2010-11/494 DBS. CO.ITC.BC.No.6/31.02.2008/2010-2-11 dated 29.04.2011. As on 31st March 2019, the Committee comprised of Managing Director & CEO, Executive Directors along with Sh. Prashant Goyal, Sh. Desh Deepak Khetrapal, Sh. S Ganesh Kumar (as Permanent Special Invitee) and Sh. Ashok Kumar Sharma, Non Executive Directors of the Bank. The Committee is chaired by Sh. Desh Deepak Khetrapal. During the year IT Strategy Committee met ten times.

Sr. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	27.04.2018	1) Sh. Desh Deepak Khetrapal 2) Sh. Mukesh Kumar Jain 3) Sh. Himanshu Joshi 4) Sh. Prashant Goyal 5) Sh. S. Ganesh Kumar 6) Sh. Ashok Kumar Sharma	1) Sh. Desh Deepak Khetrapal 2) Sh. Prashant Goyal
2	01.06.2018	1) Sh. Desh Deepak Khetrapal 2) Sh. Mukesh Kumar Jain 3) Sh. Himanshu Joshi 4) Sh. Prashant Goyal 5) Sh. S. Ganesh Kumar 6) Sh. Ashok Kumar Sharma	Sh. Prashant Goyal
3	07.07.2018	1) Sh. Desh Deepak Khetrapal 2) Sh. Mukesh Kumar Jain 3) Sh. Himanshu Joshi 4) Sh. Prashant Goyal 5) Sh. S. Ganesh Kumar 6) 6. Ashok Kumar Sharma	Sh. Prashant Goyal
4	30.08.2018	1) Sh. Desh Deepak Khetrapal 2) Sh. Mukesh Kumar Jain 3) Sh. Himanshu Joshi 4) Sh. Prashant Goyal 5) Sh. S. Ganesh Kumar 6) Sh. Ashok Kumar Sharma	Sh. Prashant Goyal
5	27.09.2018	1) Sh. Desh Deepak Khetrapal 2) Sh. Mukesh Kumar Jain 3) Sh. Himanshu Joshi 4) Sh. Prashant Goyal 5) Sh. S Ganesh Kumar 6) Sh. Ashok Kumar Sharma	Sh. Prashant Goyal
6	22.10.2018	1) Sh. Desh Deepak Khetrapal 2) Sh. Mukesh Kumar Jain 3) Sh. Himanshu Joshi 4) Sh. Prashant Goyal 5) Sh. S Ganesh Kumar 6) Sh. Ashok Kumar Sharma	Sh. Prashant Goyal

7	01.12.2018	1) श्री देश दीपक खेत्रपाल 2) श्री मुकेश कुमार जैन 3) श्री विजय दुबे 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्री एस.गणेश कुमार 6) श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री प्रशांत गोयल
8	15.01.2019	1) श्री देश दीपक खेत्रपाल 2) श्री मुकेश कुमार जैन 3) श्री विजय दुबे 4) श्री बालकृष्ण अल्से एस्. 5) श्री प्रशांत गोयल 6) श्री एस.गणेश कुमार 7) श्री अशोक कुमार शर्मा	---
9	19.02.2019	1) श्री देश दीपक खेत्रपाल 2) श्री मुकेश कुमार जैन 3) श्री विजय दुबे 4) श्री बालकृष्ण अल्से एस्. 5) श्री प्रशांत गोयल 6) श्री एस.गणेश कुमार 7) श्री अशोक कुमार शर्मा	1) श्री देश दीपक खेत्रपाल 2) श्री प्रशांत गोयल
10	26.03.2019	1) श्री देश दीपक खेत्रपाल 2) श्री मुकेश कुमार जैन 3) श्री विजय दुबे 4) श्री बालकृष्ण अल्से एस्. 5) श्री प्रशांत गोयल 6) श्री एस.गणेश कुमार 7) श्री अशोक कुमार शर्मा	1) श्री प्रशांत गोयल 2) श्री एस. गणेश कुमार

7.6 जोखिम प्रबन्धन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति

निदेशक मंडल द्वारा जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षण समिति एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली की नीतियों के कार्यान्वयन और समीक्षा, एएलसीओ/एमआरएमसी/सीआरएमसी/ओआरएमसी तथा अन्य कार्यपालक स्तर की जोखिम प्रबंधन समितियों की प्रभावशीलता, पूंजी योजना, जोखिम प्रबंधन कार्यशैली की समीक्षा/बासेल III लागू करने के लिए गठित की गई थी और यह साइबर सुरक्षा की समीक्षा भी करती है। 31 मार्च 2019 के अनुसार समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष), कार्यकारी निदेशकों के साथ-साथ बैंक के गैर-कार्यकारी निदेशक श्री प्रशांत गोयल, श्री संजय कपूर तथा श्री देश दीपक खेत्रपाल शामिल हैं। इस समिति की वर्ष के दौरान नौ बैठकें हुई।

क्रम सं.	बैठक की तिथि	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	01.06.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री संजय कपूर 5) श्री देश दीपक खेत्रपाल	1) श्री प्रशांत गोयल 2) श्री देश दीपक खेत्रपाल
2	30.08.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री संजय कपूर 5) श्री देश दीपक खेत्रपाल	1) श्री प्रशांत गोयल 2) श्री संजय कपूर
3	27.09.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री. संजय कपूर 5) श्री देश दीपक खेत्रपाल	श्री प्रशांत गोयल
4.	12.11.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री संजय कपूर 5) श्री देश दीपक खेत्रपाल	1) श्री विजय दुबे 2) श्री प्रशांत गोयल

7	01.12.2018	1) Sh. Desh Deepak Khetrapal 2) Sh. Mukesh Kumar Jain 3) Sh. Vijay Dube 4) Sh. Prashant Goyal 5) Sh. S Ganesh Kumar 6) Sh. Ashok Kumar Sharma	Sh. Prashant Goyal
8	15.01.2019	1) Sh. Desh Deepak Khetrapal 2) Sh. Mukesh Kumar Jain 3) Sh. Vijay Dube 4) Sh. Balakrishna Alse S. 5) Sh. Prashant Goyal 6) Sh. S Ganesh Kumar 7) Sh. Ashok Kumar Sharma	-
9	19.02.2019	1) Sh. Desh Deepak Khetrapal 2) Sh. Mukesh Kumar Jain 3) Sh. Vijay Dube 4) Sh. Balakrishna Alse S. 5) Sh. Prashant Goyal 6) Sh. S Ganesh Kumar 7) Sh. Ashok Kumar Sharma	1) Sh. Desh Deepak Khetrapal 2) Sh. Prashant Goyal
10	26.03.2019	1) Sh. Desh Deepak Khetrapal 2) Sh. Mukesh Kumar Jain 3) Sh. Vijay Dube 4) Sh. Balakrishna Alse S. 5) Sh. Prashant Goyal 6) Sh. S Ganesh Kumar 7) Sh. Ashok Kumar Sharma	1) Sh. Prashant Goyal 2) Sh. S Ganesh Kumar

7.6 Supervisory Committee of Directors on Risk Management

The Supervisory Committee of Directors on Risk Management was constituted by the Board of Directors to oversee the implementation and review of policies of Integrated Risk Management System, effectiveness of ALCO/MRMC/CRMC/ORMC & other Executive level risk Management Committees, Capital Planning, review of Risk Management Function/Basel III implementation and also reviews cyber security. As on 31st March 2019, the Committee comprised of Managing Director & CEO (Chairperson), Executive Directors along with Sh. Prashant Goyal, Sh. Sanjay Kapoor and Sh. Desh Deepak Khetrapal, Non Executive Directors of the Bank. The Committee meetings were convened nine times during the year.

Sr. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the Meeting
1	01.06.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Sanjay Kapoor 5) Sh. Desh Deepak Khetrapal	1) Sh.Prashant Goyal 2) Sh. Desh Deepak Khetrapal
2	30.08.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Sanjay Kapoor 5) Sh. Desh Deepak Khetrapal	1) Sh. Prashant Goyal 2) Sh. Sanjay Kapoor
3	27.09.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Sanjay Kapoor 5) Sh. Desh Deepak Khetrapal	Sh. Prashant Goyal
4.	12.11.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Sanjay Kapoor 5) Sh. Desh Deepak Khetrapal	1) Sh. Vijay Dube 2) Sh.Prashant Goyal

5.	01.12.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री संजय कपूर 5) श्री देश दीपक खेत्रपाल	श्री प्रशांत गोयल
6.	15.01.2019	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री बालकृष्ण अल्से एस्. 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्री संजय कपूर 6) श्री देश दीपक खेत्रपाल	---
7.	19.02.2019	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री बालकृष्ण अल्से एस्. 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्री संजय कपूर 6) श्री देश दीपक खेत्रपाल	1) श्री प्रशांत गोयल 2) श्री देश दीपक खेत्रपाल
8.	07.03.2019	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री बालकृष्ण अल्से एस्. 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्री संजय कपूर 6) श्री देश दीपक खेत्रपाल	श्री प्रशांत गोयल
9.	26.03.2019	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री बालकृष्ण अल्से एस्. 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्री संजय कपूर 6) श्री देश दीपक खेत्रपाल	श्री प्रशांत गोयल

7.7 बड़ी राशि की धोखाधड़ी की मॉनीटरिंग हेतु मण्डल की विशेष समिति

एक करोड़ रुपये और इससे अधिक की धोखाधड़ी की मॉनीटरिंग और अनुवर्ती समीक्षा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 14.01.2004 के परिपत्र के अनुसार मंडल की एक विशेष समिति का गठन किया गया। 31 मार्च 2019 के अनुसार समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष), कार्यकारी निदेशकों के साथ भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री प्रशांत गोयल तथा दो अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक श्री देश दीपक खेत्रपाल और श्री मदन मोहन लाल वर्मा शामिल हैं। वर्ष के दौरान समिति की सात बैठकें हुई।

क्रम सं.	बैठक की तिथि	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	27.04.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री देश दीपक खेत्रपाल 5) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	1) श्री प्रशांत गोयल 2) श्री मदन मोहन लाल वर्मा
2	01.06.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री देश दीपक खेत्रपाल 5) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	श्री प्रशांत गोयल
3	07.07.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री देश दीपक खेत्रपाल 5) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	श्री प्रशांत गोयल
4	27.09.2018	श्री. मुकेश कुमार जैन श्री हिमांशु जोशी श्री प्रशांत गोयल श्री देश दीपक खेत्रपाल श्री मदन मोहन लाल वर्मा	श्री प्रशांत गोयल

5.	01.12.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Sanjay Kapoor 5) Sh. Desh Deepak Khetrapal	Sh. Prashant Goyal
6.	15.01.2019	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Balakrishna Alse S. 4) Sh. Prashant Goyal 5) Sh. Sanjay Kapoor 6) Sh. Desh Deepak Khetrapal	-
7.	19.02.2019	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Balakrishna Alse S. 4) Sh. Prashant Goyal 5) Sh. Sanjay Kapoor 6) Sh. Desh Deepak Khetrapal	1) Sh.Prashant Goyal 2) Sh. Desh Deepak Khetrapal
8.	07.03.2019	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Balakrishna Alse S. 4) Sh. Prashant Goyal 5) Sh. Sanjay Kapoor 6) Sh. Desh Deepak Khetrapal	Sh. Prashant Goyal
9.	26.03.2019	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Balakrishna Alse S. 4) Sh. Prashant Goyal 5) Sh. Sanjay Kapoor 6) Sh. Desh Deepak Khetrapal	Sh. Prashant Goyal

7.7 Special Committee of Board for monitoring of Large Value Frauds

The Special Committee of Board was constituted as per the Reserve Bank of India vide Circular dated 14.01.2004 for monitoring and following up/review of cases of frauds of ₹1 crore & above. As on 31 March 2019, the Committee comprised of the Managing Director & CEO (Chairperson), Executive Directors, Government of India Nominee Director, Sh. Prashant Goyal and two other Non-Executive Directors, Sh. Desh Deepak Khetrapal and Sh. Madan Mohan Lal Verma. The Committee met seven times during the year.

Sr. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	27.04.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Desh Deepak Khetrapal 5) Sh. Madan Mohan Lal Verma	1) Sh.Prashant Goyal 2) Sh. Madan Mohan Lal Verma
2	01.06.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Desh Deepak Khetrapal 5) Sh. Madan Mohan Lal Verma	Sh. Prashant Goyal
3	07.07.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Desh Deepak Khetrapal 5) Sh. Madan Mohan Lal Verma	Sh. Prashant Goyal
4	27.09.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Desh Deepak Khetrapal 5) Sh. Madan Mohan Lal Verma	Sh. Prashant Goyal

क्रम सं.	बैठक की तिथि	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
5.	12.11.2018	1) श्री. मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री देश दीपक खेत्रपाल 5) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	1) श्री विजय दुबे 2) श्री मदन मोहन लाल वर्मा
6.	21.12.2018	1) श्री. मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री देश दीपक खेत्रपाल 5) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	श्री मदन मोहन लाल वर्मा
7.	07.03.2019	1) श्री. मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री बालकृष्ण अल्से एस्. 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्री देश दीपक खेत्रपाल 6) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	श्री प्रशांत गोयल

7.8 बैंक में ग्राहक सेवा पर मंडल की उप-समिति

बैंक में ग्राहक सेवा पर मंडल की उप-समिति का गठन बैंकिंग प्रणाली में कॉरपोरेट अभिशासन संरचना को सशक्त करने तथा ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार लाने की दृष्टि से नीतियां बनाने तथा आंतरिक रूप से उनके अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। 31 मार्च 2019 के अनुसार इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष), कार्यकारी निदेशकों के साथ-साथ बैंक की गैर-कार्यपालक निदेशक श्रीमती माला श्रीवास्तव, श्री संजय कपूर और श्री मदन मोहन लाल वर्मा शामिल हैं। वर्ष के दौरान समिति की निर्धारित आवधिकता के अनुसार चार बैठकें हुई।

क्रम सं.	बैठक की तिथि	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	01.06.2018	श्री मुकेश कुमार जैन श्री हिमांशु जोशी श्रीमती माला श्रीवास्तव श्री संजय कपूर श्री मदन मोहन लाल वर्मा	---
2	27.09.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्रीमती माला श्रीवास्तव 4) श्री संजय कपूर 5) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	---
3	21.12.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्रीमती माला श्रीवास्तव 4) श्री संजय कपूर 5) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	श्री मदन मोहन लाल वर्मा
4	07.02.2019	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री बालकृष्ण अल्से एस्. 4) श्रीमती माला श्रीवास्तव 5) श्री संजय कपूर 6) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	श्री मदन मोहन लाल वर्मा

7.9 मंडल की पारिश्रमिक समिति

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 20/1/2005-बीओ 1 दिनांक 09.03.2007 के अनुसार पूर्णकालीन निदेशकों के कार्य-निष्पादन आधारित

Sr. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
5	12.11.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Desh Deepak Khetrapal 5)Sh. Madan Mohan Lal Verma	1) Sh. Vijay Dube 2) Sh. Madan Mohan Lal Verma
6	21.12.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Desh Deepak Khetrapal 5)Sh. Madan Mohan Lal Verma	Sh. Madan Mohan Lal Verma
7	07.03.2019	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Balakrishna Alse S. 4) Sh. Prashant Goyal 5) Sh. Desh Deepak Khetrapal 6) Sh. Madan Mohan Lal Verma	Sh. Prashant Goyal

7.8 Sub- Committee of Board on Customer Service in the Bank

The Sub-Committee of Board on Customer Service in the Bank was constituted to formulate policies and assess the compliance thereof internally with a view to strengthen the corporate governance structure in the banking system and bring about ongoing improvements in the quality of customer service. As on 31 March 2019, the Committee comprised of Managing Director & CEO (Chairperson), Executive Directors along with Smt. Mala Srivastava, Sh. Sanjay Kapoor and Sh. Madan Mohan Lal Verma, Non-Executive Directors of the Bank. During the year, the Committee met four times, as per the prescribed frequency.

Sr. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	01.06.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Smt. Mala Srivastava 4) Sh. Sanjay Kapoor 5) Sh. Madan Mohan Lal Verma	-
2	27.09.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Smt. Mala Srivastava 4) Sh. Sanjay Kapoor 5) Sh. Madan Mohan Lal Verma	-
3	21.12.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Smt. Mala Srivastava 4) Sh. Sanjay Kapoor 5) Sh. Madan Mohan Lal Verma	Sh. Madan Mohan Lal Verma
4	07.02.2019	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Balakrishna Alse S. 4) Smt. Mala Srivastava 5) Sh. Sanjay Kapoor 6) Sh. Madan Mohan Lal Verma	Sh. Madan Mohan Lal Verma

7.9 Remuneration Committee of Board

The Remuneration Committee was constituted to evaluate the performance-linked incentive of Whole-time Directors as per the

प्रोत्साहन का निर्धारण करने हेतु पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था, जिसमें भारत सरकार के नामिती निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक एवं दो अन्य गैर- कार्यपालक निदेशक हैं। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री प्रशांत गोयल, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिति निदेशक श्री एस. गणेश कुमार तथा दो अन्य गैर कार्यपालक निदेशक श्रीमती माला श्रीवास्तव और श्री मदन मोहन लाल वर्मा हैं। साथ ही, मण्डल की पारिश्रमिक समिति को लागू कानूनों के अनुपालन में कर्मचारी शेयर क्रय योजना (ईएसपीएस) की विस्तृत नियम व शर्तों को तैयार करने तथा ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स - कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (ओबीसी-ईएसपीएस) को पूरी तरह लागू करने व देख-रेख के लिए ईएसपीएस के लिए 'प्रतिपूर्ति समिति' के रूप में भी पदनामित किया गया है। वर्ष के दौरान ईएसपीएएस के लिए "प्रतिपूर्ति समिति" की तीन बैठकें हुईं:

क्रम सं.	बैठक की तिथि	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	08.01.2019	1) श्री प्रशांत गोयल 2) श्री एस. गणेश कुमार 3) श्रीमती माला श्रीवास्तव 4) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	---
2	28.01.2019	1) श्री प्रशांत गोयल 2) श्री एस. गणेश कुमार 3) श्रीमती माला श्रीवास्तव 4) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	---
3	16.02.2019	1) श्री प्रशांत गोयल 2) श्री एस. गणेश कुमार 3) श्रीमती माला श्रीवास्तव 4) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	श्रीमती माला श्रीवास्तव

7.10 नामांकन समिति

"नामांकन समिति" का गठन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3एबी) एवं उप धारा (3एए) के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के मंडलों पर चुने गए मौजूदा निदेशकों/निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति के लिए 'सक्षम व उपयुक्त' मानदण्ड निर्धारित/निश्चित करने के लिए बैंककारी कंपनी; उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम 1970/80 की धारा 9 की उप धारा (3) (झ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की 01 नवंबर, 2007 की अधिसूचना डीबीओडी.बीसी.सं0 46/29.39.001/2007.08 द्वारा किया गया। 31 मार्च 2019 के अनुसार समिति में अध्यक्ष के रूप में भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री प्रशांत गोयल, और दो गैर-कार्यपालक निदेशक अर्थात् श्रीमती माला श्रीवास्तव और श्री संजय कपूर शामिल हैं। मौजूदा निर्वाचित शेयरधारक निदेशको क सक्षम एवं उपयुक्त स्तर की समीक्षा करने के लिए समिति की एक बार बैठक हुई।

क्रम सं.	बैठक की तिथि	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	07.07.2018	1) श्री प्रशांत गोयल 2) श्रीमती माला श्रीवास्तव 3) श्री संजय कपूर	---

7.11 चुनाव विवाद समिति

यह समिति ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 के विनियम 67 के अनुसरण में, निर्वाचित घोषित अथवा माने गए व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता अथवा निदेशक के चुनाव की वैधता के संबंध

notification No. 20/1/2005-Bo.I dated 09.03.2007 from Ministry of Finance, Government of India, consisting of Govt. of India Nominee Director, RBI Nominee Director and two other Non-Executive Directors. As on 31st March 2019, the Committee comprised of Govt. of India Nominee Director Sh. Prashant Goyal as its Chairman, RBI Nominee Director, Sh. S Ganesh Kumar and Smt. Mala Srivastava and Sh. Madan Mohan Lal Verma, Non-Executive Directors.

Also, the Remuneration Committee of Board was designated as the 'Compensation Committee' for ESPS for the purpose of formulating the detailed terms and conditions of the Employee Share Purchase Scheme (ESPS) in compliance with applicable laws and for overall administration and superintendence of the Oriental Bank of Commerce – Employee Share Purchase Scheme (OBC-ESPS). During the year, three meetings of the 'Compensation Committee' for ESPS were held:

Sr. No.	Date of Meeting	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	08.01.2019	1) Sh. Prashant Goyal 2) Sh. S Ganesh Kumar 3) Smt. Mala Srivastava 4) Sh. Madan Mohan Lal Verma	-
2	28.01.2019	1) Sh. Prashant Goyal 2) Sh. S Ganesh Kumar 3) Smt. Mala Srivastava 4) Sh. Madan Mohan Lal Verma	-
3	16.02.2019	1) Sh. Prashant Goyal 2) Sh. S Ganesh Kumar 3) Smt. Mala Srivastava 4) Sh. Madan Mohan Lal Verma	Smt. Mala Srivastava

7.10 Nomination Committee

The Nomination Committee was constituted vide Reserve Bank of India notification DBOD.BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated November 1, 2007 in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for laying down/determining the 'Fit & Proper' Criteria for existing elected directors / the person to be elected as a director under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970/80 on the Boards of Nationalized Banks. As on 31st March 2019, the Committee comprised of the Government of India Nominee Director, Sh. Prashant Goyal as its Chairman and two Non-Executive Directors viz., Smt. Mala Srivastava and Sh. Sanjay Kapoor. The Committee met once to review the fit and proper status of existing elected Shareholder Directors.

Sr. No	Date of Meeting	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	07.07.2018	1) Sh. Prashant Goyal 2) Smt. Mala Srivastava 3) Sh. Sanjay Kapoor	-

7.11 Election Disputes Committee

It is a Committee constituted in pursuance of Regulation 67 of Oriental Bank of Commerce (Shares & Meetings) Regulations 1998, for resolving any doubt or dispute arising as to qualification or

में होने वाली किसी शंका अथवा विवाद के समाधान के लिए गठित की गई है। 31 मार्च, 2019 को इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री प्रशांत गोयल तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक श्री एस.गणेश कुमार शामिल हैं। वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

7.12 मानव संसाधन समिति

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मंडल की मानव संसाधन समिति के गठन के बारे में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना एफ नं. 9/18/2009-आई आर दिनांक 21 मार्च, 2012 के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा मंडल की 27.03.2012 को हुई बैठक में औद्योगिक संबंधों/मानव संसाधन संबंधी मामलों/क्षमता निर्माण तथा उत्तराधिकार योजना/प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता/तथा विनियामक दिशा-निर्देशों के लागू करने तथा यूनियन/एसोसिएशनों व प्रबंधन के बीच में बातचीत और साथ ही मानव संसाधन संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए मानव संसाधन समिति बनाई गई। 31 मार्च 2019 के अनुसार इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष), कार्यकारी निदेशकों के साथ-साथ भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री प्रशांत गोयल तथा बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक श्री देश दीपक खेत्रपाल, श्रीमती माला श्रीवास्तव एवं श्री अशोक कुमार शर्मा शामिल हैं। वर्ष के दौरान समिति की दस बैठकें हुई।

क्रम सं.	बैठक की तिथि	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	27.04.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री देश दीपक खेत्रपाल	श्री प्रशांत गोयल
2	07.07.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री देश दीपक खेत्रपाल	---
3	30.08.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री देश दीपक खेत्रपाल	---
4	27.09.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री देश दीपक खेत्रपाल	श्री प्रशांत गोयल
5	22.10.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्रीमती माला श्रीवास्तव 5) श्री देश दीपक खेत्रपाल 6) श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री प्रशांत गोयल
6	15.01.2019	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री बालकृष्ण अल्से एस्. 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्रीमती माला श्रीवास्तव 6) श्री देश दीपक खेत्रपाल 7) श्री अशोक कुमार शर्मा	---

disqualification of a person deemed or declared to be elected or as to the validity of the election of a director. As on 31st March 2019, the Committee comprised of Managing Director and CEO, Government of India Nominee Director, Sh. Prashant Goyal and RBI Nominee Director, Sh. S Ganesh Kumar. During the year, no meetings of the Committee were held.

7.12 HR Committee

Pursuant to the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India Gazette Notification No. F.No.9/18/2009-IR dated 21st March 2012 relating to the constitution of the HR Committee of the Board in all Public Sector Banks, HR Committee has been constituted by the Board of Directors in the meeting held on 27.03.2012 in order to review Industrial relations / Capacity Building and Succession Planning / efficacy of Training Programmes / implementation of Regulatory Guidelines and for interaction between unions / associations and the management and also to consider various HR related issues. As on 31st March 2019, the Committee comprised of Managing Director and CEO (Chairperson), Executive Directors along with Government of India Nominee Director, Sh. Prashant Goyal and Non-Executive Directors, Sh. Desh Deepak Khetrapal, Smt. Mala Srivastava and Sh. Ashok Kumar Sharma. During the year, the Committee met ten times.

Sr. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	27.04.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Desh Deepak Khetrapal	Sh. Prashant Goyal
2	07.07.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Desh Deepak Khetrapal	-
3	30.08.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Desh Deepak Khetrapal	-
4	27.09.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Desh Deepak Khetrapal	Sh. Prashant Goyal
5	22.10.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Smt. Mala Srivastava 5) Sh. Desh Deepak Khetrapal 6) Sh. Ashok Kumar Sharma	Sh. Prashant Goyal
6	15.01.2019	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Balakrishna Alse S. 4) Sh. Prashant Goyal 5) Smt. Mala Srivastava 6) Sh. Desh Deepak Khetrapal 7) Sh. Ashok Kumar Sharma	-

क्रम सं.	बैठक की तिथि	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
7	07.02.2019	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री बालकृष्ण अल्से एस्. 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्रीमती माला श्रीवास्तव 6) श्री देश दीपक खेत्रपाल 7) श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री प्रशांत गोयल
8	19.02.2019	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री बालकृष्ण अल्से एस्. 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्रीमती माला श्रीवास्तव 6) श्री देश दीपक खेत्रपाल 7) श्री अशोक कुमार शर्मा	1) श्री प्रशांत गोयल 2) श्री देश दीपक खेत्रपाल
9	07.03.2019	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री बालकृष्ण अल्से एस्. 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्रीमती माला श्रीवास्तव 6) श्री देश दीपक खेत्रपाल 7) श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री प्रशांत गोयल
10	26.03.2019	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री बालकृष्ण अल्से एस्. 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्रीमती माला श्रीवास्तव 6) श्री देश दीपक खेत्रपाल 7) श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री प्रशांत गोयल

7.13 जनसंपर्क एवं प्रचार समिति

जनसंपर्क एवं प्रचार समिति का गठन निदेशक मंडल की 30.04.2012 को आयोजित बैठक में किया गया। 31 मार्च 2019 के अनुसार इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष), कार्यकारी निदेशकगण और दो गैर-कार्यपालक निदेशक, श्री प्रशांत गोयल एवं श्री मदन मोहन लाल वर्मा शामिल हैं। समिति बैंक की सार्वजनिक छवि को निखारने के लिए कार्यनीति बनाती है और बैंक की सुदृढ़ ब्रांड छवि बनाने पर ध्यान देती है। यह देश भर में बैंक की पहचान को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय भी सुझाती है। वर्ष के दौरान समिति की निर्धारित समयावधि के अनुसार चार बैठकें हुई ।

क्रम सं.	बैठक की तिथि	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	01.06.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	श्री प्रशांत गोयल
2	07.07.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	श्री प्रशांत गोयल
3	01.12.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	श्री प्रशांत गोयल

Sr. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
7	07.02.2019	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Balakrishna Alse S. 4) Sh. Prashant Goyal 5) Smt. Mala Srivastava 6) Sh. Desh Deepak Khetrapal 7) Sh. Ashok Kumar Sharma	Sh. Prashant Goyal
8	19.02.2019	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Balakrishna Alse S. 4) Sh. Prashant Goyal 5) Smt. Mala Srivastava 6) Sh. Desh Deepak Khetrapal 7) Sh. Ashok Kumar Sharma	1) Sh. Prashant Goyal 2) Sh. Desh Deepak Khetrapal
9	07.03.2019	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Balakrishna Alse S. 4) Sh. Prashant Goyal 5) Smt. Mala Srivastava 6) Sh. Desh Deepak Khetrapal 7) Sh. Ashok Kumar Sharma	Sh. Prashant Goyal
10	26.03.2019	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Balakrishna Alse S. 4) Sh. Prashant Goyal 5) Smt. Mala Srivastava 6) Sh. Desh Deepak Khetrapal 7) Sh. Ashok Kumar Sharma	Sh. Prashant Goyal

7.13 PR & Publicity Committee

The PR & Publicity Committee was constituted by the Board of Directors in the meeting held on 30.04.2012. As on 31st March 2019, the Committee comprised of Managing Director and CEO (Chairperson), Executive Directors and two Non-Executive Directors, Sh. Prashant Goyal and Sh. Madan Mohan Lal Verma. The Committee formulates the Strategy Plan for improving the Public image of the Bank and focuses on strong brand building exercise for the Bank. It also suggests various measures for increasing the visibility of the Bank across the country. During the year 2018-19, the Committee met four times, as per prescribed frequency.

Sr. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	01.06.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Madan Mohan Lal Verma	Sh. Prashant Goyal
2	07.07.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Madan Mohan Lal Verma	Sh. Prashant Goyal
3	01.12.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Madan Mohan Lal Verma	Sh. Prashant Goyal

क्रम सं.	बैठक की तिथि	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
4	07.02.2019	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री बालकृष्ण अल्से एस्. 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	श्री प्रशांत गोयल

7.14 गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) की मानीटरिंग हेतु मंडल की उप-समिति

एनपीए की मानीटरिंग के लिए मंडल की उप समिति का गठन वित्त मंत्रालय से प्राप्त परिपत्र सं0 7/112/2012-बीओए दिनांक 21.11.2012 के अनुसरण में दिनांक 23.11.2012 को किया गया। 31 मार्च 2019 के अनुसार इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष), कार्यकारी निदेशकों के साथ-साथ भारत सरकार के नामिति निदेशक श्री प्रशांत गोयल एवं तीन गैर-कार्यपालक निदेशक श्री देश दीपक खेत्रपाल, श्री अशोक कुमार शर्मा एवं श्री मदन मोहन लाल वर्मा शामिल हैं। महाप्रबन्धक (समाधान, वसूली एवं विधि) समिति के सदस्य सचिव हैं। समिति गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को मॉनीटर करती है तथा एनपीए की स्थिति और वसूली की प्रगति की समीक्षा करती है। वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की सात बैठकें आयोजित की गईं।

क्रम सं.	बैठक की तिथि	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	27.04.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री प्रशांत गोयल
2	07.07.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री प्रशांत गोयल
3	30.08.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री प्रशांत गोयल
4	12.11.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री देश दीपक खेत्रपाल 5) श्री अशोक कुमार शर्मा 6) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	1) श्री अशोक कुमार शर्मा 2) श्री मदन मोहन लाल वर्मा
5	21.12.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री देश दीपक खेत्रपाल 5) श्री अशोक कुमार शर्मा 6) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	श्री मदन मोहन लाल वर्मा
6	07.02.2019	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री बालकृष्ण अल्से एस्. 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्री देश दीपक खेत्रपाल 6) श्री अशोक कुमार शर्मा 7) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	1) श्री प्रशांत गोयल 2) श्री मदन मोहन लाल वर्मा
7	26.03.2019	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री बालकृष्ण अल्से एस्. 4) श्री प्रशांत गोयल 5) श्री देश दीपक खेत्रपाल 6) श्री अशोक कुमार शर्मा 7) श्री मदन मोहन लाल वर्मा	श्री प्रशांत गोयल

Sr. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
4	07.02.2019	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Balakrishna Alse S 4) Sh. Prashant Goyal 5) Sh. Madan Mohan Lal Verma	Sh. Prashant Goyal

7.14 Sub-Committee of Board for Monitoring of NPAs

The Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs was constituted by the Board of Directors on 23.11.2012 pursuant to the Circular No.7/112/2012-BOA dated 21.11.2012 from Ministry of Finance. As on 31st March 2019, the Committee comprised of Managing Director and CEO (Chairperson), Executive Directors along with the Govt. of India Nominee Director, Sh. Prashant Goyal and three Non-Executive Director Sh. Desh Deepak Khetrapal, Sh. Ashok Kumar Sharma and Sh. Madan Mohan Lal Verma. The General Manager (Resolution, Recovery & Law) is the Member Secretary of the Committee. The Committee monitors the Non-Performing Assets including reviewing the NPA position and progress of recovery. During the year 2018-19, seven meetings of the Committee were held.

Sr. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	27.04.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Ashok Kumar Sharma	Sh. Prashant Goyal
2	07.07.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Ashok Kumar Sharma	Sh. Prashant Goyal
3	30.08.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Ashok Kumar Sharma	Sh. Prashant Goyal
4	12.11.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Desh Deepak Khetrapal 5) Sh. Ashok Kumar Sharma 6) Sh. Madan Mohan Lal Verma	1) Sh. Ashok Kumar Sharma 2) Sh. Madan Mohan Lal Verma
5	21.12.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. Desh Deepak Khetrapal 5) Sh. Ashok Kumar Sharma 6) Sh. Madan Mohan Lal Verma	Sh. Madan Mohan Lal Verma
6	07.02.2019	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Balakrishna Alse S 4) Sh. Prashant Goyal 5) Sh. Desh Deepak Khetrapal 6) Sh. Ashok Kumar Sharma 7) Sh. Madan Mohan Lal Verma	1) Sh. Prashant Goyal 2) Sh. Madan Mohan Lal Verma
7	26.03.2019	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Balakrishna Alse S 4) Sh. Prashant Goyal 5) Sh. Desh Deepak Khetrapal 6) Sh. Ashok Kumar Sharma 7) Sh. Madan Mohan Lal Verma	Sh. Prashant Goyal

7.15 सीएसआर समिति

मंडल की सीएसआर समिति दिनांक 29.10.2014 को हुई मंडल की बैठक में गठित की गई। 31 मार्च 2019 के अनुसार इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष), कार्यकारी निदेशक तथा जनसंपर्क एवं प्रचार समिति के सदस्य निदेशकों के अलावा शेष पात्र मंडल सदस्यों में से दो गैर-कार्यपालक निदेशक अर्थात् श्रीमती माला श्रीवास्तव एवं श्री अशोक कुमार शर्मा शामिल हैं। समिति, बैंक द्वारा चलाई जा रही सीएसआर गतिविधियों की निगरानी/समीक्षा के लिए गठित की गई। वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

क्रम सं.	बैठक की तिथि	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	01.06.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्रीमती माला श्रीवास्तव 4) श्री अशोक कुमार शर्मा	---
2	27.09.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्रीमती माला श्रीवास्तव 4) श्री अशोक कुमार शर्मा	---
3	21.12.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्रीमती माला श्रीवास्तव 4) श्री अशोक कुमार शर्मा	---
4	26.03.2019	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री बालकृष्ण अल्से एस्. 4) श्रीमती माला श्रीवास्तव 5) श्री अशोक कुमार शर्मा	---

7.16 शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति

इस समिति का गठन बैंक के इक्विटी शेयरों के निर्गम एवं आबंटन संबंधी सभी मामलों का निर्णय लेने के लिए दिनांक 18.07.2014 को हुई निदेशक मण्डल की बैठक में किया गया । 31 मार्च 2019 के अनुसार इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष), कार्यकारी निदेशकगण तथा दो गैर-कार्यपालक निदेशक अर्थात् श्री संजय कपूर एवं श्री अशोक कुमार शर्मा शामिल हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गईं। यद्यपि, क्यूआईपी इश्यू के लिए मर्चेन्ट बैंकर/बुक रनिंग लीड प्रबंधकों (बीआरएलएम) तथा लीगल काउंसेल की नियुक्ति के प्रस्ताव को परिचालन द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

7.17 अनुशासनिक कार्रवाई समिति

यह समिति भारत सरकार के दिनांक 24.10.1990 के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक की अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा के लिए गठित की गई है। 31.03.2019 को समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष), कार्यकारी निदेशकगण, भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री प्रशांत गोयल तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक श्री एस. गणेश कुमार शामिल हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

क्रम सं.	बैठक की तिथि	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	01.06.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री एस. गणेश कुमार	श्री प्रशांत गोयल

7.15 CSR Committee

The CSR Committee of Board was constituted by the Board of Directors in its meeting held on 29.10.2014. As on 31st March 2019, the Committee comprised of Managing Director and CEO (Chairperson), Executive Directors and two Non-Executive Directors other than the Directors who are members of PR & Publicity Committee, from the remaining eligible Board members viz., Smt. Mala Srivastava and Sh. Ashok Kumar Sharma. The Committee was constituted for focusing/reviewing the CSR activities being undertaken by the Bank. During the year 2018-19, four meetings were held of the Committee.

Sr. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	01.06.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Smt. Mala Srivastava 4) Sh. Ashok Kumar Sharma	-
2	27.09.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Smt. Mala Srivastava 4) Sh. Ashok Kumar Sharma	-
3	21.12.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Smt. Mala Srivastava 4) Sh. Ashok Kumar Sharma	-
4	26.03.2019	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Balakrishna Alse S. 4) Smt. Mala Srivastava 5) Sh. Ashok Kumar Sharma	-

7.16 Share Issue and Allotment Committee

This Committee has been constituted by the Board of Directors in the Meeting held on 18.07.2014 for deciding all matters with regard to issue and allotment of equity shares of the Bank. As on 31st March 2019, the Committee comprised of Managing Director and CEO (Chairperson), Executive Directors and two Non-Executive Directors viz., Sh. Sanjay Kapoor and Sh. Ashok Kumar Sharma. During the year 2018-19, no meeting of the Share Issue and Allotment Committee was held. However, the proposal for appointment of Merchant Bankers /Book Running Lead Managers (BRLMs) and Legal Counsel for QIP Issue was approved by the Committee through resolution passed by circulation.

7.17 Disciplinary Action Committee

This Committee has been constituted pursuant to Government of India Guidelines dated 24.10.1990 to review the Disciplinary cases and departmental enquiries of the Bank. As on 31st March 2019, the Committee comprised of Managing Director and CEO (Chairperson), Executive Directors, Government of India Nominee Director, Sh. Prashant Goyal and RBI Nominee Director, Sh. S Ganesh Kumar. During the year 2018-19, four meetings of the Committee were held.

Sr. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	01.06.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. S Ganesh Kumar	Sh. Prashant Goyal

2	30.08.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री एस. गणेश कुमार	श्री प्रशांत गोयल
3	22.10.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री हिमांशु जोशी 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री एस. गणेश कुमार	---
4	07.03.2019	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री विजय दुबे 3) श्री प्रशांत गोयल 4) श्री एस. गणेश कुमार	श्री प्रशांत गोयल

7.18 अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति

इस समिति का गठन दिनांक 30.04.2014 को निदेशक मंडल की बैठक में तथा 28.05.2014 की बैठक में कुछ संशोधनों के साथ हुआ, जिसमें अनुशासनिक मामलों की समीक्षा तथा विचार किया जाता है। 31 मार्च, 2019 को समिति में भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री प्रशांत गोयल अध्यक्ष के रूप में और भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक श्री एस. गणेश कुमार तथा तीन गैर-कार्यपालक निदेशक अर्थात् श्रीमती माला श्रीवास्तव, श्री संजय कपूर और श्री देश दीपक खेत्रपाल शामिल हैं। समिति अनुशासनिक मामलों में अपीलों की समीक्षा एवं इन पर विचार करती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं।

क्रम सं.	बैठक की तिथि	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	22.10.2018	1) श्री प्रशांत गोयल 2) श्री एस. गणेश कुमार 3) श्रीमती माला श्रीवास्तव 4) श्री संजय कपूर 5) श्री देश दीपक खेत्रपाल	---
2	12.11.2018	1) श्री प्रशांत गोयल 2) श्री एस. गणेश कुमार 3) श्रीमती माला श्रीवास्तव 4) श्री संजय कपूर 5) श्री देश दीपक खेत्रपाल	---
3	21.12.2018	1) श्री प्रशांत गोयल 2) श्री एस. गणेश कुमार 3) श्रीमती माला श्रीवास्तव 4) श्री संजय कपूर 5) श्री देश दीपक खेत्रपाल	---

7.19 असहयोगी उधारकर्ताओं एवं इरादतन चूककर्ताओं पर मंडल की समीक्षा समिति

यह समिति भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों दिनांक 01.07.2014 एवं 22.12.2014 के अनुसरण में निदेशक मण्डल द्वारा गठित की गई । 31 मार्च 2019 के अनुसार इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष) तथा दो गैर-कार्यपालक निदेशक अर्थात् श्री देश दीपक खेत्रपाल और श्री अशोक कुमार शर्मा शामिल हैं। समिति चूककर्ताओं को असहयोगी उधारकर्ता घोषित करने और इरादतन चूककर्ताओं के रूप में उधारकर्ताओं के वर्गीकरण पर कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग समिति के निर्णय की समीक्षा करती है। वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की पांच बैठकें आयोजित की गई।

क्रम सं.	बैठक की तिथि	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	27.04.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री देश दीपक खेत्रपाल 3) श्री अशोक कुमार शर्मा	---

2	30.08.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. S Ganesh Kumar	Sh. Prashant Goyal
3	22.10.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Himanshu Joshi 3) Sh. Prashant Goyal 4) Sh. S Ganesh Kumar	-
4	07.03.2019	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Vijay Dube 3) Sh. Balkrishna Alse S 4) Sh. Prashant Goyal 5) Sh. S Ganesh Kumar	Sh. Prashant Goyal

7.18 Appellate and Reviewing Authority Committee

This Committee has been constituted by the Board of Directors in its meeting held on 30.04.2014 with amendments in the meeting dated 28.05.2014 for reviewing and considering appeals in disciplinary cases. As on 31st March 2019, the Committee comprised of Government of India Nominee Director, Sh. Prashant Goyal as its chairman, RBI Nominee Director, Sh. S Ganesh Kumar and three other Non-Executive Directors viz., Smt. Mala Srivastava, Sh. Sanjay Kapoor and Sh. Desh Deepak Khetrapal. The Committee reviews and considers appeals in the disciplinary cases. During the financial year 2018-19, three meetings of this Committee were held.

Sr. No.	Date of Meeting	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	22.10.2018	1) Sh. Prashant Goyal 2) Sh. S Ganesh Kumar 2) Smt. Mala Srivastava 3) Sh. Sanjay Kapoor 4) Sh. Desh Deepak Khetrapal	-
2	12.11.2018	1) Sh. Prashant Goyal 2) Sh. S Ganesh Kumar 2) Smt. Mala Srivastava 3) Sh. Sanjay Kapoor 4) Sh. Desh Deepak Khetrapal	-
3	21.12.2018	1) Sh. Prashant Goyal 2) Sh. S Ganesh Kumar 2) Smt. Mala Srivastava 3) Sh. Sanjay Kapoor 4) Sh. Desh Deepak Khetrapal	-

7.19 Review Committee of the Board on Non-Cooperative Borrowers and Wilful Defaulters

This Committee has been constituted by the Board of Directors pursuant to RBI Circulars dated 01.07.2014 and 22.12.2014. As on 31st March 2019, the Committee comprised of Managing Director and CEO (Chairperson), and two Non-Executive Directors viz., Sh. Desh Deepak Khetrapal and Sh. Ashok Kumar Sharma. The Committee reviews the declaration of defaulters as Non-cooperative borrowers & the decision of Screening Committee headed by Executive Director on classification of Borrowers as Wilful Defaulters. During the year 2018-19, five meetings of the Committee were held.

Sr. No	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	27.04.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Desh Deepak Khetrapal 3) Sh. Ashok Kumar Sharma	-

2	07.07.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री देश दीपक खेत्रपाल 3) श्री अशोक कुमार शर्मा	---
3	30.08.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री देश दीपक खेत्रपाल 3) श्री अशोक कुमार शर्मा	---
4	01.12.2018	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री देश दीपक खेत्रपाल 3) श्री अशोक कुमार शर्मा	---
5	07.03.2019	1) श्री मुकेश कुमार जैन 2) श्री देश दीपक खेत्रपाल 3) श्री अशोक कुमार शर्मा	---

7.20 निवेश समिति

यह प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता वाली बैंक के कार्यपालकों की समिति है जिसकी नियमित रूप से होने वाली बैठक में मौजूदा निवेशों, सांविधिक चलनिधि, गैर-सांविधिक चलनिधि प्रतिभूतियों के संबंध में नए निवेश संबंधी निर्णयों, सरकारी प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग और बैंक की निधियों की स्थिति सहित कई अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार किया जाता है।

7.21 अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के संबंध में निर्णय लेने हेतु निदेशक मण्डल की समिति

'अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के बारे में निर्णय लेने हेतु निदेशक मण्डल की समिति' का गठन वित्त मंत्रालय से प्राप्त परिपत्र सं.16/11/2012-बीओ-I, दिनांक 03.04.2012 के अनुसार किया गया। मंडल ने उक्त परिपत्र के अनुसरण में दिनांक 30.04.2012 की बैठक में इस समिति के गठन का अनुमोदन किया। 31 मार्च 2019 के अनुसार इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष), कार्यकारी निदेशकगण, दो गैर-कार्यपालक निदेशक, श्री संजय कपूर और श्री मदन मोहन लाल वर्मा शामिल हैं। समिति अन्य कंपनियों में, जहां बैंक कंपनी का इक्विटी धारक है, शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने का निर्णय लेती है। अग्रतर, निदेशक मण्डल की 27.09.2018 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में समिति बैंक द्वारा अपनी सहयोगी/निवेश कंपनियों में नियुक्त नामित निदेशकों के वार्षिक कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन भी करेगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

7.22 शेयर हस्तांतरण समिति

निदेशक मण्डल द्वारा गठित शेयर हस्तांतरण समिति, जिसमें तीन महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक/सहायक महाप्रबंधक तथा एक मुख्य प्रबन्धक हैं, बैंक के शेयरधारकों से अनुरोध प्राप्त होने पर शेयरों के अंतरण, शेयरों का प्रसारण, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, नामों को रद्द करना, शेयर आदि का पुनर्मूर्तिकरण का अनुमोदन करती है । शेयर अंतरण समिति के अनुमोदन के बाद अनुरोधों को निदेशक मण्डल को सूचनार्थ तथा मंडल की स्टेकहोल्डर संबंध समिति के समक्ष अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत किया जाता है । 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान शेयर अंतरण समिति की 32 बैठकें आयोजित की गईं। बैंक द्वारा उपरोक्त सभी अनुरोधों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्रवाई की जाती है तथा प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।

2	07.07.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Desh Deepak Khetrapal 3) Sh. Ashok Kumar Sharma	-
3	30.08.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Desh Deepak Khetrapal 3) Sh. Ashok Kumar Sharma	-
4	01.12.2018	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Desh Deepak Khetrapal 3) Sh. Ashok Kumar Sharma	-
5	07.03.2019	1) Sh. Mukesh Kumar Jain 2) Sh. Desh Deepak Khetrapal 3) Sh. Ashok Kumar Sharma	-

7.20 Investment Committee

It is Committee of Executives of the Bank headed by Managing Director and CEO, which meets regularly to take a view on existing investments, fresh investments decisions with regard to SLR, Non-SLR Securities, G-Sec trading and other allied matters including funds position of the Bank.

7.21 Committee of Board to Decide Candidature of Shareholder Director in other Companies

The 'Committee of Board to decide candidature of the Shareholder Director in other companies' was constituted in terms of Circular No. 16/11/2012-BO-I dated 03.04.2012 from Ministry of Finance. Pursuant to the aforementioned circular, the Board approved constitution of this Committee in the meeting dated 30.04.2012. As on 31st March 2019, the Committee comprised of Managing Director and CEO (Chairperson), Executive Directors, two Non-Executive Directors, Sh. Sanjay Kapoor and Sh. Madan Mohan Lal Verma. The Committee decides on supporting the candidates in the Election of Shareholder Directors in other companies where Bank is the equity holder of the company. Further, pursuant to the direction of the Board of Directors in the meeting held on 27.09.2018, the Committee would also carry out the annual performance evaluation of Nominee Directors appointed by the Bank on the board of its associates / investee companies. During Financial Year 2018-19, no meeting of this Committee was held.

7.22 Share Transfer Committee

The Share Transfer Committee constituted by the Board of Directors comprises of three General Managers, Dy. General Manager / Asstt. General Manager and a Chief Manager to approve the issue of shares transfer, transmission of shares, issue of duplicate share certificate, deletion of names, rematerialisation of shares etc upon receipt of requests from shareholders of the Bank. Upon approval of the Share Transfer Committee, the requests are placed before the Board of Directors and the Stakeholders' Relationship Committee of Board for information and ratification, respectively. During the period from April 1, 2018 to March 31, 2019, 32 meetings of the Share Transfer Committee were held. The Bank ensures that all the aforesaid requests are duly processed and certificates issued within the prescribed timelines as per applicable Guidelines.

8. शेयरधारक सूचना

8.1 आम बैठकें

पूर्व के वार्षिक आम बैठक की तिथि एवं आयोजन स्थल		
बैठक की प्रकृति	तिथि एवं समय	आयोजन स्थल
बाइसवीं वार्षिक आम बैठक	23 जून, 2016 को 10.00 बजे पूर्वाह्न	पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली – 110016
तेइसवीं वार्षिक आम बैठक	29 जून, 2017 को 10.00 बजे पूर्वाह्न	पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली- 110016
चौबीसवीं वार्षिक आम बैठक	29 जून, 2018 को 10.00 बजे पूर्वाह्न	फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एफआईएफओ), निर्यात भवन, राव तुला मार्ग (आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रिफेरल के सामने), नई दिल्ली- 110057

22वीं वार्षिक आम बैठक बैंक के तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा बैंक के कार्यकलापों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा करने, अनुमोदित करने एवं अपनाने के लिए तथा लाभांश की घोषणा करने के लिए आयोजित की गई। 23वीं और 24वीं वार्षिक आम बैठकें बैंक के तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा बैंक के कार्यकलापों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा करने, अनुमोदित करने तथा अपनाने के लिए आयोजित की गईं। अग्रतर, उपर्युक्त सभी वार्षिक आम बैठकों में, विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों ने बैंक द्वारा पूंजी एकत्रित करने को भी अनुमोदित किया।

दिनांक 29 जून, 2018 को हुई पिछली वार्षिक आम बैठक में श्री प्रशांत गोयल, श्री एस. गणेश कुमार, श्री देश दीपक खेत्रपाल एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, जो पूर्वव्यस्तता के कारण बैठक में भाग नहीं ले पाए, के अलावा सभी निदेशकों ने भाग लिया।

8.2 असाधारण आम बैठक

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के शेयरधारकों की दो असाधारण आम बैठकें शुक्रवार, दिनांक 21 दिसंबर 2018 तथा गुरुवार, 07 फरवरी, 2019 को निम्नलिखित कारोबार के लिए आयोजित की गईं :

- कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना ("ओबीसी-ईएसपीएस") के तहत, एक या अधिक बार में, पूरी तरह से सभी प्रयोजनों के लिए, लाभांश के भुगतान सहित, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ-साथ ऐसे मूल्य अथवा मूल्यों, तथा ऐसी नियम व शर्तों पर जैसा भी मण्डल/समिति अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर निर्णय ले और उचित समझे, ₹10/- प्रति के अंकित मूल्य पर कुल 5,00,00,000 (पांच करोड़) तक के नए इक्विटी शेयर सममूल्य पर तैयार करने, अनुदान, प्रस्ताव देने, जारी करने तथा आबंटित करने हेतु
- सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को कुल ₹ 5500.00 करोड़ (रुपये पांच हजार पांच सौ करोड़ मात्र) तक के निर्धारित ₹ 96.10 (रुपए छियानवे पैसे दस मात्र) प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित) पर नकदी हेतु ₹10/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य के बैंक के 57,23,20,499 इक्विटी शेयरों की संख्या बनाने, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करने हेतु

8. Shareholders' Information

8.1 General Body Meetings

Date & Venue of Previous Annual General Meetings		
Nature of Meeting	Date & Time	Venue
Twenty Second Annual General Meeting	23rd June 2016 at 10.00 a.m.	PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016
Twenty Third Annual General Meeting	29th June 2017 at 10.00 a.m.	PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016
Twenty Fourth Annual General Meeting	29th June, 2018 at 10.00 a.m.	Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Niryat Bhawan, Rao Tula marg (Opposite Army Hospital Research & Referral), New Delhi-110057

The 22nd Annual General Meeting of the Bank was held to discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank and to declare dividend for FY 2015-16. The 23rd and 24th Annual General Meetings of the Bank were held to discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank. Further, in all the above Annual General Meetings, the shareholders also approved the proposal for raising of Capital by the Bank through special resolution.

The last Annual General Meeting held on 29th June 2018 was attended by all the directors except Sh. Prashant Goyal, Sh. S. Ganesh Kumar, Sh. Desh Deepak Khetrapal and Sh. Ashok Kumar Sharma who could not attend the meeting due to preoccupation.

8.2 Extra Ordinary General Meetings

During the financial year ended 31st March, 2019, two Extraordinary General Meetings of the shareholders of the Bank were held on Friday, 21st December 2018 and Thursday, 07th February 2019, to transact the following business:

- To create, grant, offer, issue and allot up to 5,00,00,000 (Five crore) new equity shares of face value of ₹10/- each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, under Employee Share Purchase Scheme ("OBC-ESPS") in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion.
- To create, offer, issue and allot 57,23,20,499 Equity Shares of the Bank of face value of ₹10/- each to the Government of India (President of India) on preferential basis for cash at an issue price (including premium) of ₹96.10 per equity share as determined in accordance with SEBI ICDR Regulations, aggregating upto ₹5500.00 crore (Rupees Five Thousand Five Hundred Crore only).

8.3 पोस्टल मतदान

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान विशेष संकल्प के माध्यम से निम्नलिखित कारोबार के संबंध में बैंक के शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बैंक ने 21 फरवरी, 2019 से 22 मार्च, 2019 तक पोस्टल मतदान कराया गया :

- सेबी आईसीडीआर के विनियम 164 के अनुसार भारत सरकार (भारत का राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर कुल ₹1186 करोड़ (रुपए एक हजार एक सौ छियासी करोड़ मात्र) तक के प्रति इक्विटी शेयर ₹85.33 के निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित) पर नकदी हेतु रुपए 10/- (रुपए दस मात्र) प्रति शेयर के अंकित मूल्य के बैंक के 138989804 इक्विटी शेयरों की संख्या बनाने, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करने हेतु। उपरोक्त संकल्प 22 मार्च, 2019, मतदान की अंतिम तिथि होने के कारण, से पारित घोषित किया गया।

बैंक ने पोस्टल मतदान प्रक्रिया सम्पन्न करने के लिए संवीक्षक के रुप में अभ्यासरत कंपनी सचिव सी.एस. अमित गुप्ता को नियुक्त किया। संवीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्टानुसार ऊपर उल्लिखित संकल्प के संबंध में मतदान का विवरण निम्नानुसार हैः-

विषय	किए गए मतदान की संख्या			प्रतिशत
	रिमोट ई-मतदान	पोस्टल मतपत्र द्वारा मतदान	कुल	
सहमत	**93859737**	**488694125**	**582553862**	**99.9994%**
असहमत	2418	750	3168	0.0005%
अवैध	0	500	500	0.0001%
कुल	**93862155**	**488695375**	**582557530**	**100%**

8.4 वित्तीय कैलेंडर

31 मार्च 2019 को समाप्त तिमाही/ वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को अनुमोदित करने हेतु निदेशक मण्डल की बैठक	13 मई, 2019
वार्षिक आम बैठक की तिथि, समय एवं स्थान	शनिवार, 29.06.2019, प्रातः 10.00 बजे पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली- 110016
बही बंद होने की तिथि	23 जून 2019 से 29 जून, 2019
प्रॉक्सी फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	24 जून, 2019
ई-वोटिंग के लिए अंतिम तिथि	22 जून, 2019
ई-वोटिंग अवधि	26 जून, 2019 (प्रातः 09.00 बजे) से 28 जून, 2019 (05.00 सांय बजे)

8.5 सूचीकरण

बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में और कॉरपोरेट कार्यालय, गुरुग्राम में है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, 2390 शाखाओं और 2625 एटीएम के नेटवर्क के साथ इसकी देश के सभी भागों में उपस्थिति है।

बैंक के शेयर (आईएसआईएन नं. आईएनई 141ए01014) निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं और इक्विटी शेयर निम्नलिखित कोड के अंतर्गत उद्धृत हैं :

8.3 Postal Ballot

During the financial year ended 31st March 2019, postal ballot was held from 21st February 2019 to 22nd March 2019 for seeking approval of the shareholders of the Bank through Special Resolution in respect of the following business:

- To create, offer, issue and allot 138989804 equity Shares of the Bank of face value of ₹10/- each to the Government of India (President of India) on preferential basis for cash at an issue price of ₹85.33 (inclusive of premium) determined in accordance with Regulation 164 of SEBI ICDR Regulations aggregating upto ₹1186.00 crore (Rupees one thousand one hundred eighty six crore only). The aforesaid resolution was declared as passed with effect from 22nd March 2019 being the last date of voting.

The Bank had appointed CS Amit Gupta, Practising Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process. The details of voting in respect of the above mentioned resolution as reported by the Scrutinizer is as follows:

Particulars	Number of Votes Contained in			Percentage
	Remote E votes	Voting through Postal Ballot	TOTAL	
Assent	**93859737**	**488694125**	**582553862**	**99.9994%**
Dissent	2418	750	3168	0.0005%
Invalid	0	500	500	0.0001%
Total	**93862155**	**488695375**	**582557530**	**100%**

8.4 Financial Calendar

Board Meeting for approving the Audited Financial Results of the Bank for the quarter/financial year ended 31st March 2019	13th May, 2019
Date, Time & Venue of the AGM	Saturday, 29th June 2019 at 10.00 a.m. at the PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110016
Book Closure dates	23rd June 2019 to 29th June 2019
Last Date for receipt of proxy forms	24th June 2019
Cut-off Date for E-voting	22nd June 2019
E-Voting period	26th June 2019 (09.00 a.m.) to 28th June 2019 (05.00 p.m.)

8.5 Listing

The Bank is a Scheduled Commercial Bank with its Head Office at New Delhi and Corporate Office at Gurugram. The Bank has its presence in all parts of the country with network of 2390 Branches and 2625 ATMs as on 31st March 2019.

The Bank's shares (ISIN No.INE141A01014) are listed on the following major Stock Exchanges and the Equity Shares are quoted under the following codes:

स्टॉक एक्सचेंज	स्क्रिप कोड	रायटर्स कोड	ब्लूमबर्ग कोड
मुम्बई स्टॉक एक्सचेंड लिमिटेड, फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, मुम्बई-400001	500315	ORBC.BO	OBC:IB
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाजा, 5वां तल, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पू.), मुम्बई - 400051	ORIENT BANK	ORBC.NS	OBC:IN

दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को आज तक के सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

8.6 अनुपालन अधिकारी

सेबी (सूचीकरण बाध्यता तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुसार श्रीमती एकता पसरीचा, कंपनी सचिव बैंक की अनुपालन अधिकारी हैं।

8.7 प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण

बैंक के शेयर सेबी की अनिवार्य डीमैट सूची में हैं और बैंक के शेयरों का अमूर्तीकरण कराने के लिए बैंक ने नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किए हैं । शेयरधारक एनएसडीएल से या फिर सीडीएसएल से शेयर अमूर्त करा सकते हैं।

31 मार्च, 2019 के अनुसार, बैंक के पास नीचे दिए गए विवरणानुसार निम्नलिखित संख्या में इक्विटी शेयर मूर्त तथा अमूर्त रूप में हैं:-

धारिता का स्वरूप	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	प्रतिशत (%)
मूर्त	28286	3139738	0.23
एनएसडीएल (अमूर्तीकृत)	83737	157178839	11.47
सीडीएसएल (अमूर्तीकृत)	33233	1209890744	88.30
कुल	**145256**	**1370209321**	**100.00**

8.8 31 मार्च, 2019 को निलंब/उचंत खाते में रखे हुए शेयरों की स्थिति

[डीमैट शेयर - अवितरित वापस हुए]

01.04.2018 को अथशेष		वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान क्रेडिट हुए शेयर	31.03.2019 को अंतिम अधिशेष	
शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या			शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
15	650	0	0	15	650

[मूर्त शेयर - अवितरित वापस हुए]

दिनांक 01.04.2018 को अथशेष		वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान क्रेडिट हुए शेयर	31.03.2019 को अंतिम शेष	
शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या			शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
बैंक ने 8601 इक्विटी शेयरों की पहचान की है जो सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार अप्रदत्त उचंत खाते में अंतरण हेतु शेष रहे।					

Stock Exchange	Scrip Code	Reuters Code	Bloomberg Code
Bombay Stock Exchange Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Mumbai-400001	500315	ORBC.BO	OBC:IB
National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051	ORIENT BANK	ORBC.NS	OBC:IN

Listing fee has been paid to both the Stock Exchanges till date.

8.6 Compliance Officer

Smt. Ekta Pasricha, Company Secretary of the Bank is the Compliance Officer in terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

8.7 Dematerialization of Securities

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered into Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2019 the Bank has the following number of equity shares in physical and dematerialized form as per details given hereunder:-

Nature of Holding	No. of shareholders	No. of Shares	Percentage (%)
Physical	28286	3139738	0.23
NSDL (Dematerialized)	83737	157178839	11.47
CDSL (Dematerialized)	33233	1209890744	88.30
Total	**145256**	**1370209321**	**100.00**

8.8 Status of Shares lying in Escrow / Suspense Account as on 31st March 2019

[Demat shares – returned undelivered]

Opening Balance as on 01.04.2018		No. of requests received during the financial year 2018-19	Shares credited during the financial year 2018-19	Closing Balance as on 31.03.2019	
No. of shareholders	No. of shares			No. of shareholders	No. of shares
15	650	0	0	15	650

[Physical shares – returned undelivered]

Opening Balance as on 01.04.2018		No. of requests received during the financial year 2018-19	Shares credited during the financial year 2018-19	Closing Balance as on 31.03.2019	
No. of shareholders	No. of shares			No. of shareholders	No. of shares
8601 equity shares are undelivered for transfer to unpaid suspense account pursuant to SEBI Guidelines.					

शेयर के वास्तविक मालिक द्वारा शेयरों पर दावा करने तक, निलंब/उचंत खाते में रखे गए शेयरों पर मताधिकार अवरुद्ध रहेंगे।

8.9 निम्नलिखित अदावाकृत लाभांश राशि का शेष नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, बैंककारी कॉरपोरेट (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10ख के प्रावधानों के तहत निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा:-

क्र. सं.	अप्रदत्त लाभांश खातों का विवरण	घोषणा की तारीख	31.03.2019 को शेष (₹ में)	आईईपीएफ में अंतरण की देय तिथि
1	अप्रदत्त लाभांश खाता 2011-12	13.06.2012	14131425.20	19.07.2019
2	अप्रदत्त लाभांश खाता 2012-13	17.06.2013	17588514.00	23.07.2020
3	अप्रदत्त लाभांश खाता 2013-14 (अंतरिम)	11.01.2014*	8397108.00	16.02.2021
4	अप्रदत्त लाभांश खाता 2013-14 (अंतिम)	19.06.2014	7603999.20	27.07.2021
5	अप्रदत्त लाभांश खाता 2014-15	26.06.2015	7709859.30	29.07.2022
6	अप्रदत्त लाभांश खाता 2015-16	23.06.2016	2101163.40	29.07.2023

**निदेशक मण्डल के बैठक की तारीख जिसमें अंतरिम लाभांश की घोषणा की गई।*

वर्ष 2011-12 के लिए अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश को 19.07.2019 को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित किया जाना है, सभी संबंधित शेयरधारकों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपना दावा 12.07.2019 तक भेज दें, अनुस्मारक पत्र भेजे गए हैं। यदि दावा नहीं किया जाता है, तो इस खाते में बची शेष राशि को आईईपीएफ खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

8.10 शेयर अंतरण पद्धति तथा निवेशक की शिकायत का निवारण

बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयर से संबंधित सभी अंतरण शेयर जमा कराए जाने की तारीख से 15 दिन की अवधि के अंदर विधिवत रूप से प्रभावी कर दिए जाएं। मंडल ने एक शेयर अंतरण समिति बनाई है जिसकी बैठक बैंक द्वारा शेयरों से संबंधित सभी मामलों में कार्रवाई करने के लिए नियमित अंतराल पर होती है। रजिस्ट्रार और अंतरण एजेन्ट, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड के कार्यालय में शेयर अंतरण, लाभांश भुगतान और निवेशक से संबंधित अनुरोधों/शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। शेयरधारक अपने अनुरोध, परिवाद और शिकायतें निम्न पते पर भेज सकते हैं:-

(क) रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा.लि.
नोबल हाइट्स, प्रथम तल,
प्लॉट नं. एनएच-2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक
सावित्री मार्केट के समीप, जनकपुरी,
नई दिल्ली-110058
दूरभाष: 011-49411000 फैक्स: +011-4141 0591
ई-मेल आईडी: delhi@linkintime.co.in

The voting rights on the shares lying in the Escrow / Suspense Account shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

8.9 The balance of the following Unclaimed Dividend amount will be transferred as per details mentioned below to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) under the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980:-

Sr. No.	Details of the Unpaid Dividend Accounts	Date of Declaration	Balance as on 31.03.2019 (in ₹)	Due date of transfer to IEPF
1	Unpaid Dividend A/c 2011-12	13.06.2012	14131425.20	19.07.2019
2	Unpaid Dividend A/c 2012-13	17.06.2013	17588514.00	23.07.2020
3	Unpaid Dividend A/c 2013-14 (Interim)	11.01.2014*	8397108.00	16.02.2021
4	Unpaid Dividend A/c 2013-14 (Final)	19.06.2014	7603999.20	27.07.2021
5	Unpaid Dividend A/c 2014-15	26.06.2015	7709859.30	29.07.2022
6	Unpaid Dividend A/c 2015-16	23.06.2016	2101163.40	29.07.2023

**Date of meeting of Board of Directors in which interim dividend was declared.*

In respect of Unpaid / Unclaimed Dividend for the year 2011-12 due for transfer to IEPF on 19.07.2019, reminder letters have been being sent to all concerned shareholders requesting them to send their claims by 12.07.2019. If not claimed, the balance remaining outstanding in this account will be transferred to IEPF account.

8.10 Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances

The Bank ensures that all transfers are duly effected within the period of fifteen days from the date of their lodgment. The Board has constituted a Share Transfer Committee, which meets on regular intervals for transacting the business of all matters relating to shares issued by the Bank. Share transfers, dividend payment and all other investor related requests /complaints are attended to and processed at the office of the Registrar & Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Limited. Shareholders may lodge their requests, grievances and complaints either to:

(a) Registrar & Share Transfer Agent

Link Intime India Pvt. Ltd.
Noble Heights, 1st Floor,
Plot No. NH2, LSC, C-1 Block,
Near Savitri Market, Janakpuri,
New Delhi-110058
Phone: 011-49411000 Fax: 011-41410591
Email id: delhi@linkintime.co.in

(ख) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
कॉरपोरेट कार्यालय – मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग
द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 5
सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम – 122001 (हरियाणा)
दूरभाष: 0124-41264511/4126281
फैक्स: 0124-4126574
ई-मेल आईडी: mbd@obc.co.in

8.11 31 मार्च, 2019 को शेयरधारिता की स्थिति

क्र. सं.	श्रेणी	धारकों की संख्या	शेयर	शेयरों का %
1.	भारत सरकार	1	1199989370	87.58
2.	बैंक/वित्तीय संस्थाएं तथा बीमा कंपनियां	35	54018491	3.94
3.	विदेशी संस्थागत निवेशक एवं अनिवासी भारतीय	1132	27317807	1.99
4.	म्यूचुअल फंड/न्यास/एआईएफ	18	30654220	2.24
5.	अन्य	141318	58229433	4.25
कुल		**142504**	**1370209321**	**100.00**

** बैंक की अखिल भारतीय स्तर पर शेयर धारिता*

31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार बैंक के शीर्ष पांच शेयरधारक

क्र. सं.	शेयर धारकों की श्रेणी	शेयरों की संख्या	कुल धारिता का %
1	भारत के राष्ट्रपति	1,19,99,89,370	87.58
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	4,66,02,538	3.40
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि./एचडीएफसी निधि	2,82,92,695	2.06
4	जुपिटर इंडिया फंड के ट्रस्टी के रूप में नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक पीएलसी	77,92,337	0.57
5	वेनगार्ड कुल अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक सूचकांक निधि	25,30,042	0.18
कुल		**1,28,52,06,982**	**93.79**

** बैंक की अखिल भारतीय स्तर पर शेयर धारिता*

नोट: 14 फरवरी 2019 तथा 26 मार्च 2019 को क्रमश: 572320499 तथा 138989804 इक्विटी शेयरों के आबंटन के अनुसरण में भारत सरकार की शेयरधारिता 31 मार्च 2018 के 77.23% से बढ़कर 31 मार्च 2019 को 87.58% हो गयी।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार संवितरण अनुसूची

प्रत्येक शेयर का सांकेतिक मूल्य - ₹10/-

शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	धारिता सीमा	शेयरों की संख्या	कुल का %
119298	82.13	1 से 5000	13707128	1.00
10033	6.91	5001 से 10000	7204537	0.53
10496	7.22	10001 से 20000	14634081	1.07
3736	2.57	20001 से 30000	8917241	0.65
765	0.53	30001 से 40000	2619439	0.19
278	0.19	40001 से 50000	1284211	0.09
363	0.25	50001 से 100000	2538901	0.19
287	0.19	100001 और उससे ऊपर	1319303783	96.28
	100.00	**कुल**	**1370209321**	**100.00**

(b) Oriental Bank of Commerce
Corporate Office – Merchant Banking Division,
Second Floor, Plot No.5
Sector – 32, Institutional Area,
Gurugram – 122001 (Haryana)
Ph: 0124- 4126451/4126281
Fax: 0124-4126574
Email id: mbd@obc.co.in

8.11 Share Holding Pattern as on 31st March, 2019

Sr. No.	Category	No. of Holders	Shares	% to Shares
1.	Government of India	1	1199989370	87.58
2.	Banks / FIs & Insurance Companies	35	54018491	3.94
3.	FPIs & NRIs	1132	27317807	1.99
4.	Mutual Funds/ Trusts/ AIF	18	30654220	2.24
5.	Others	141318	58229433	4.25
Total		**142504**	**1370209321**	**100.00**

** PAN based shareholding of the Bank.*

Top five shareholders of the Bank as on 31st March, 2019

Sr. No.	Category of Shareholders	No. of Shares	% to total holding
1	President of India	1,19,99,89,370	87.58
2	Life Insurance Corporation of India	4,66,02,538	3.40
3	HDFC Trustee Company Limited/HDFC Fund	2,82,92,695	2.06
4	National Westminster Bank PLC as Trustee of the Jupiter India Fund	77,92,337	0.57
5	Vanguard Total International Stock Index Fund	25,30,042	0.18
	Total	**1,28,52,06,982**	**93.79**

** PAN based shareholding of the Bank.*

Note: The shareholding of Govt. of India has increased from 77.23% as on 31st March 2018 to 87.58% as on 31st March 2019 pursuant to allotment of 572320499 and 138989804 Equity Shares on 14th February 2019 and 26th March 2019, respectively.

Distribution Schedule as on 31st March, 2019

Nominal Value of each Share -₹10/-

NO. OF SHARE-HOLDERS	% TO TOTAL	HOLDING RANGE	NO. OF SHARES	% TO TOTAL
119298	82.13	1 to 5000	13707128	1.00
10033	6.91	5001 to 10000	7204537	0.53
10496	7.22	10001 to 20000	14634081	1.07
3736	2.57	20001 to 30000	8917241	0.65
765	0.53	30001 to 40000	2619439	0.19
278	0.19	40001 to 50000	1284211	0.09
363	0.25	50001 to 100000	2538901	0.19
287	0.19	100001 And Above	1319303783	96.28
	100.00	**Total**	**1370209321**	**100.00**

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य परिवर्तनीय प्रलेख जारी नहीं किए हैं।

8.12 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर भाव, खरीदे-बेचे गए शेयरों की संख्या

एनएसई (निफ्टी के साथ बैंक के शेयर भाव की तुलना सहित) में मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशन तथा खरीदे - बेचे गए शेयरों की संख्या निम्नानुसार है:

एनएसई					
माह	उच्च मूल्य (₹)	निम्न मूल्य (₹)	ट्रेड किए गए शेयरों की संख्या	एनएसई निफ्टी	
				उच्च	निम्न
अप्रैल 2018	102.75	85.80	6,73,11,439	10759.00	10111.30
मई 2018	95.00	74.00	7,46,54,646	10929.20	10417.80
जून 2018	86.90	71.25	6,49,21,945	10893.25	10550.90
जुलाई 2018	84.00	65.60	10,20,06,114	11366.00	10604.65
अगस्त 2018	86.40	76.00	8,52,35,814	11760.20	11234.95
सितम्बर 2018	87.70	60.50	8,51,47,160	11751.80	10850.30
अक्तूबर 2018	84.85	58.00	10,42,62,992	11035.65	10004.55
नवम्बर 2018	94.00	77.70	12,06,57,168	10922.45	10341.90
दिसम्बर 2018	97.20	78.55	13,34,70,718	10985.15	10333.85
जनवरी 2019	102.15	89.90	10,03,72,241	10987.45	10583.65
फरवरी 2019	99.25	78.30	6,84,22,079	11118.10	10585.65
मार्च 2019	116.80	83.25	11,42,73,458	11630.35	10817.00

बीएसई (सेंसेक्स के साथ बैंक के शेयर भाव की तुलना सहित) में मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशन तथा खरीदे - बेचे गए शेयरों की संख्या निम्नानुसार है:

बीएसई					
माह	उच्च मूल्य (₹)	निम्न मूल्य (₹)	ट्रेड किए गए शेयरों की संख्या	सेंसेक्स	
				उच्च	निम्न
अप्रैल 2018	102.75	86.05	59,75,734	35213.30	32972.56
मई 2018	94.85	74.10	59,84,067	35993.53	34302.89
जून 2018	86.90	71.30	49,13,930	35877.41	34784.68
जुलाई 2018	84.10	65.80	97,14,703	37644.59	35106.57
अगस्त 2018	86.50	76.00	87,97,880	38989.65	37128.99
सितम्बर 2018	87.65	60.55	81,60,006	38934.35	35985.63
अक्तूबर 2018	82.10	58.10	87,54,759	36616.64	33291.58
नवम्बर 2018	94.10	77.80	1,00,21,512	36389.22	34303.38
दिसम्बर 2018	97.15	79.05	1,13,85,151	36554.99	34426.29
जनवरी 2019	102.00	90.00	95,48,032	36701.03	35375.51
फरवरी 2019	99.55	78.35	59,99,292	37172.18	35287.16
मार्च 2019	116.35	83.20	1,03,44,131	38748.54	35926.94

	बीएसई	एनएसई
अंतिम मूल्य- 31.03.2019	₹115.70 प्रति शेयर	₹116.25 प्रति शेयर
बाजार पूंजीकरण - 31.03.2019 (₹ करोड़ में)	₹ 15853.32 करोड़	₹15928.68 करोड़

Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments.

8.12 Share Price, Volume of Shares traded in Stock Exchanges during FY 2018-19

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on NSE (along with comparison of share price of the Bank with Nifty) are as under:

NSE					
Month	High Price (₹)	Low Price (₹)	Volume of Shares Traded	NSE Nifty	
				High	Low
April 2018	102.75	85.80	6,73,11,439	10759.00	10111.30
May 2018	95.00	74.00	7,46,54,646	10929.20	10417.80
June 2018	86.90	71.25	6,49,21,945	10893.25	10550.90
July 2018	84.00	65.60	10,20,06,114	11366.00	10604.65
August 2018	86.40	76.00	8,52,35,814	11760.20	11234.95
September 2018	87.70	60.50	8,51,47,160	11751.80	10850.30
October 2018	84.85	58.00	10,42,62,992	11035.65	10004.55
November 2018	94.00	77.70	12,06,57,168	10922.45	10341.90
December 2018	97.20	78.55	13,34,70,718	10985.15	10333.85
January 2019	102.15	89.90	10,03,72,241	10987.45	10583.65
February 2019	99.25	78.30	6,84,22,079	11118.10	10585.65
March 2019	116.80	83.25	11,42,73,458	11630.35	10817.00

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on BSE (along with comparison of share price of the Bank with Sensex) are as under:

BSE					
Months	High Price (₹)	Low Price (₹)	Volume of Shares Traded	Sensex	
				High	Low
April 2018	102.75	86.05	59,75,734	35213.30	32972.56
May 2018	94.85	74.10	59,84,067	35993.53	34302.89
June 2018	86.90	71.30	49,13,930	35877.41	34784.68
July 2018	84.10	65.80	97,14,703	37644.59	35106.57
August 2018	86.50	76.00	87,97,880	38989.65	37128.99
September 2018	87.65	60.55	81,60,006	38934.35	35985.63
October 2018	82.10	58.10	87,54,759	36616.64	33291.58
November 2018	94.10	77.80	1,00,21,512	36389.22	34303.38
December 2018	97.15	79.05	1,13,85,151	36554.99	34426.29
January 2019	102.00	90.00	95,48,032	36701.03	35375.51
February 2019	99.55	78.35	59,99,292	37172.18	35287.16
March 2019	116.35	83.20	1,03,44,131	38748.54	35926.94

	BSE	NSE
Closing price - 31.03.2019	₹115.70 per share	₹116.25 per share
Market Capitalization - 31.03.2019 (₹ in crore)	₹15853.32 crore	₹15928.68 crore

बीएसई (बीएसई बैंकेक्स के साथ बैंक के शेयर भाव की तुलना सहित) में मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशन तथा खरीदे - बेचे गए शेयरों की संख्या निम्नानुसार है:

बीएसई					
माह	उच्च मूल्य (₹)	निम्न मूल्य (₹)	ट्रेड किए गए शेयरों की संख्या	बैंकेक्स	
				उच्च	निम्न
अप्रैल 2018	102.75	86.05	5975734	28751.82	26830.38
मई 2018	94.85	74.1	5984067	30294.73	28519.42
जून 2018	86.9	71.3	4913930	30177.71	28967.7
जुलाई 2018	84.1	65.8	9714703	31223.45	28970.48
अगस्त 2018	86.5	76	8797880	32149.75	30524.32
सितम्बर 2018	87.65	60.55	8160006	31961.97	27658.87
अक्तूबर 2018	82.1	58.1	8754759	29065.16	26992.48
नवम्बर 2018	94.1	77.8	10021512	30253.11	28331.24
दिसम्बर 2018	97.15	79.05	11385151	30694.31	28509.12
जनवरी 2019	102	90	9548032	31214.44	29623.26
फरवरी 2019	99.55	78.35	5999292	30949.07	29787.55
मार्च 2019	116.35	83.2	10344131	34294.56	30199.47

8.13 पत्राचार हेतु पता:

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग
कॉरपोरेट कार्यालय, द्वितीय तल,
प्लॉट नंबर 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
गुरुग्राम – 122001 (हरियाणा)
दूरभाष: 0124-4126451/4126281
ई-मेल: mbd@obc.co.in

8.14 31.03.2019 के अनुसार, बैंक के टीयर I और टीयर II बॉण्ड्स के संबंध में, बॉण्ड्स एवं ट्रस्टी का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बॉण्ड	(राशि करोड़ ₹ में)	बॉण्ड ट्रस्टी
1	9.10% स्थायी टीयर I बॉण्ड	300	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लिमिटेड द्वितीय तल, एक्सिस हाउस, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली-मुंबई-400025, महाराष्ट्र दूरभाष सं. 022-24255227
2	9.05% स्थायी टीयर I बॉण्ड	300	
3	8.68% उच्चतम टीयर II बॉण्ड	200	
4	8.93% निम्नतर टीयर II बॉण्ड	1025	
5	9.20% बासेल III अनुपालक टीयर II बॉण्ड	1000	
6	8.34% बासेल III अनुपालक टीयर II बॉण्ड	1000	
7	9.05% बासेल III अनुपालक टीयर II बॉण्ड	1000	

वर्ष के दौरान, बैंक ने क्रय विकल्प का प्रयोग करके 12 फरवरी, 2019 को कुल ₹500 करोड़ के 8.75% उच्चतम टीयर II बॉण्ड (आईएसआईएन 141A09090) का मोचन किया है।

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on BSE (along with comparison of share price of the Bank with BSE Bankex) are as under:

BSE					
Months	High Price (₹)	Low Price (₹)	Volume of Shares Traded	BANKEX	
				High	Low
April 2018	102.75	86.05	5975734	28751.82	26830.38
May 2018	94.85	74.1	5984067	30294.73	28519.42
June 2018	86.9	71.3	4913930	30177.71	28967.7
July 2018	84.1	65.8	9714703	31223.45	28970.48
August 2018	86.5	76	8797880	32149.75	30524.32
September 2018	87.65	60.55	8160006	31961.97	27658.87
October 2018	82.1	58.1	8754759	29065.16	26992.48
November 2018	94.1	77.8	10021512	30253.11	28331.24
December 2018	97.15	79.05	11385151	30694.31	28509.12
January 2019	102	90	9548032	31214.44	29623.26
February 2019	99.55	78.35	5999292	30949.07	29787.55
March 2019	116.35	83.2	10344131	34294.56	30199.47

8.13 Address for Correspondence:

Oriental Bank of Commerce
Merchant Banking Division
Corporate Office, Second Floor,
Plot No.5, Sector – 32, Institutional Area,
Gurugram – 122001 (Haryana)
Tel No(s): 0124-4126451 / 4126281
Email: mbd@obc.co.in

8.14 The details of Bonds and Trustees in respect of Bank's Tier I & II Bonds as on 31.03.2019 are detailed hereunder:

Sr. No	Bonds	Amt. (₹ in crore)	Bond Trustees
1	9.10% Perpetual Tier I Bonds	300	Axis Trustee Services Limited 2nd Floor, Axis House, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli- Mumbai – 400025 Maharashtra Phone no. 022-24255227
2	9.05% Perpetual Tier I Bonds	300	
3	8.68% Upper Tier II Bonds	200	
4	8.93% Lower Tier II Bonds	1025	
5	9.20% Basel III Compliant Tier II Bonds	1000	
6	8.34% Basel III Compliant Tier II Bonds	1000	
7	9.05% Basel III Compliant Tier II Bonds	1000	

During the year, the Bank has redeemed 8.75% Upper Tier II Bonds (ISIN141A09090) aggregating to ₹500 crore upon exercise of call option on 12th February 2019.

8.15 क्रेडिट रेटिंग

क) <u>31 मार्च 2019 को बैंक द्वारा जारी किए गए बॉण्ड के संबंध में रेटिंग:</u>

- निम्नतम टीयर II बॉण्ड – आईसीआरए और सीएआरई द्वारा ए+ के रूप में रेटेड
- उच्चतम टीयर II बॉण्ड – सीएआरई द्वारा ए और ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्रा. लि. द्वारा ए+ के रूप में रेटेड
- स्थायी टीयर I बॉण्ड (आईपीडीआई) – सीएआरई द्वारा ए और ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्रा. लि. द्वारा ए+ के रूप में रेटेड
- बासेल III अनुपालक टीयर II बॉण्ड - आईसीआरए द्वारा ए+(Hyb.) और सीएआरई द्वारा ए+ के रूप में रेटेड

दृष्टिकोण:

- आईसीआरए 'स्थिर' है
- सीएआरई 'नकारात्मक' है
- ब्रिकवर्क रेटिंग 'स्थिर' है

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, निम्नलिखित रेटिंग संशोधन हुएः

- आईसीआरएः
  - निम्नतम टीयर -II बॉन्डस- एए-से ए+ में परिवर्तित
  - उच्चतम टीयर -II बॉन्डस- ए+से ए- में परिवर्तित (12 फरवरी, 2019 को मोचित)
  - बासेल-III अनुपालक टीयर -II बॉन्डस- II एए-(Hyb.) से ए+ (Hyb.) में परिवर्तित
- सीएआरईः
  - निम्नतम टीयर -II बॉन्डस- एए-से ए+ में परिवर्तित
  - उच्चतम टीयर -II बॉन्डस- ए+से ए में परिवर्तित
  - स्थायी टीयर -I बॉन्डस- ए+से ए में परिवर्तित
  - बासेल -III अनुपालक टीयर II बॉन्डस- एए-से ए+में परिवर्तित

ख) <u>बैंक द्वारा जारी सीडी/एफडी के संबंध में रेटिंग</u>

- जमा प्रमाणपत्र– सीआरआईएसआईएल द्वारा ए1 के रूप में रेटेड
- मीयादी जमा- सीआरआईएसआईएल द्वारा एफएए+ (आउटलुक-स्थिर) के रूप में रेटेड

<u>जारीकर्ता रेटिंग</u>

इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा एए (दृष्टिकोण -नकारात्मक) रेट की गई

9. संचार साधन

बैंक के वित्तीय परिणाम निदेशक मण्डल की बैठक में अनुमोदित होने के तुरंत बाद स्टॉक एक्सचेंजों को जमा किए जाते हैं, जहां बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। वित्तीय परिणाम पूरे भारत में या मूलतः पूरे भारत में प्रसारित कम से कम एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और एक क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र, जहां बैंक का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, अर्थात दिल्ली में प्रकाशित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैण्डर्ड (हिन्दी एवं अंग्रेजी), फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी/हिंदी/गुजराती में), मिन्ट (अंग्रेजी), इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिन्दी) एवं हिन्दुस्तान (हिन्दी) में प्रकाशित किए गए। वित्तीय परिणाम तथा विश्लेषकों को की गई प्रस्तुति, सामान्य शेयरधारक सूचना तथा शेयरधारिता पैटर्न बैंक की वेबसाइट https://www.obcindia.co.in. पर भी प्रदर्शित किए गए हैं।

8.15 Credit Ratings

A.) <u>Rating in respect of Bonds issued by the Bank as on 31.03.2019:</u>

- Lower Tier II Bonds – Rated as A+ by ICRA and CARE
- Upper Tier II Bonds – Rated as A by CARE and A+ by Brickwork Ratings India Pvt. Ltd.
- Perpetual Tier I Bonds (IPDI) – Rated as A by CARE and A+ by Brickwork Ratings India Pvt. Ltd.
- Basel III Compliant Tier II Bonds - Rated as A+ (Hyb.) by ICRA and A+ by CARE

Outlook:

- ICRA is 'Stable'
- CARE is 'Negative'
- Brickwork Ratings is 'Stable'

During the financial year 2018-19, the following ratings revisions took place:

- ICRA:
  - Lower Tier II Bonds – revised from AA- to A+
  - Upper Tier II Bonds – revised from A+ to A- (redeemed on 12th February 2019)
  - Basel III Compliant Tier II Bonds – revised from AA- (Hyb.) to A+ (Hyb.)
- CARE:
  - Lower Tier II Bonds – revised from AA- to A+
  - Upper Tier II Bonds – revised from A+ to A
  - Perpetual Tier I Bonds- revised from A+ to A
  - Basel III Compliant Tier II Bonds – revised from AA- to A+

B.) <u>Ratings in respect of CDs / FDs issued by the Bank</u>

- Certificate of Deposit – Rated as A1+ by CRISIL
- Fixed Deposit - Rated as FAA+ (Outlook-Stable) by CRISIL

<u>Issuer rating</u>

AA (Outlook-Negative) rated by India Ratings and Research

9. Means of Communication

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in at least one English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. Delhi. During the year, the quarterly, half-yearly & annual financial results were published in Business Standard (Hindi/English) Financial Express (English/Hindi/Gujarati), Jansatta (Hindi), Mint (English), Economic Times (English) and Hindustan (Hindi).The financial results as well as presentation made to the analysts, general shareholder information and shareholding pattern are also displayed on Bank's website at https://www.obcindia.co.in.

10. घोषणा एवं प्रमाणपत्र

1. सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों से वर्ष 2018-19 के लिए बैंक में कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी लिया गया प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
2. अभ्यासरत कंपनी सचिव मेसर्स अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स से इस आशय का लिया गया प्रमाणपत्र कि, बैंक के निदेशक मण्डल में शामिल किसी भी निदेशक के कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्ति या निदेशक बने रहने पर सेबी/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय या किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा रोक नहीं लगाई गई है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
3. सीईओ तथा सीएफओ प्रमाणपत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।
4. एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि मण्डल की राय में, स्वतंत्र निदेशक इन नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।
5. बैंक ने निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए आचार संहिता अपनाई है, जो बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in. पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग ने आलोच्य वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और अनुपालन की पुष्टि से संबंधित प्रमाणपत्र रिपोर्ट के अंत में दिया गया है।
6. बैंक ने बैंक की प्रतिभूतियों की भेदिया ट्रेडिंग को रोकने के लिए अपने निदेशकों, लेखापरीक्षकोण और नामित कर्मचारियों के लिए भी आचार संहिता बनाई है।

11. प्रकटीकरण

1. बैंक का सबंधित अनुषंगियों से ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं है, जिसका व्यापक रूप से बैंक के हितों के लिए प्रतिकूल होने की संभावना है। भा. रि. बैंक/आईसीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के संबंधित अनुषंगियों के लेनदेनों को 31.03.2019 के तुलन-पत्र की अनुसूची 18 में लेखा टिप्पणी में प्रदर्शित किया गया है।
2. आलोच्य वर्ष के दौरान, बैंक ने टीयर I/ टीयर II पूंजी के रूप में निम्नलिखित प्रलेख जारी किए हैं:-

प्रलेख विवरण	जारी बॉण्ड/ शेयरों की संख्या	आबंटन की तिथि	निर्गम मूल्य	जुटाई गई राशि (₹ करोड़ में)
₹10/- प्रति के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों का भारत सरकार को अधिमानी आबंटन	57,23,20,499 इक्विटी शेयर	14.02.2019	₹96.10	₹5500.00 करोड़
ईएसपीएस योजना के तहत बैंक के कर्मचारियों को ₹10/- प्रति के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों का आबंटन	2,61,31,493 इक्विटी शेयर	16.02.2019	₹71.76	₹250.00 करोड़
₹10/- प्रति के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों का भारत सरकार को अधिमानी आबंटन	13,89,89,804* इक्विटी शेयर	26.03.2019	₹85.33	₹1186.00 करोड़

* एनएसई तथा बीएसई दोनों से सूचीकरण एवं ट्रेडिंग का अनुमोदन प्राप्त होने पर 18 अप्रैल 2019 को भारत सरकार के डीमैट खाते में शेयर क्रेडिट किए गए थे।

10. DECLARATIONS AND CERTIFICATES

1. The certificate obtained from the Statutory Central Auditors on Corporate Governance of the Bank for the year 2018-19 is annexed to the Report.
2. The certificate obtained from the M/s Agarwal S. & Associates, Practising Company Secretaries to the effect that none of the directors on the board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by SEBI/Ministry of Corporate Affairs or any statutory authority is annexed to this Report.
3. The certificate of CEO & CFO has been submitted to the Board of Directors and is annexed to this Report.
4. It is hereby confirmed that in the opinion of the Board, the independent directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management.
5. The Bank has adopted a code of conduct for the Board of Directors and Senior Management, the text of which is available on the website of the Bank www.obcindia.co.in. All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the year under review and a certificate affirming compliance is given at the end of Report.
6. The Bank has also framed a Code of Conduct for its Directors, Auditors and designated employees for prevention of insider trading in Bank's securities.

11. DISCLOSURES

1. There is no materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large. The Related Party Transactions of the Bank as per RBI / ICAI guidelines are disclosed in the Notes to Accounts in Schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2019.
2. During the year under review, the Bank has issued the following as Tier I / Tier II capital:-

Instrument Details	Number of Bonds / Shares Issued	Date of Allotment	Issue Price	Amount raised (₹ in crore)
Preferential Allotment of equity shares of face value of ₹10/- each to Govt. of India	57,23,20,499 equity shares	14.02.2019	₹96.10	₹5500.00 crore
Allotment of equity shares of face value ₹10/- each to employees of the Bank under ESPS Scheme	2,61,31,493 equity shares	16.02.2019	₹71.76	₹250.00 crore
Preferential Allotment of equity shares of face value of ₹10/- each to Govt. of India	13,89,89,804* equity shares	26.03.2019	₹85.33	₹1186.00 crore

* The share were credit in the demat account of Govt. of India on 18th April 2019 subsequent to receipt of listing and trading approvals from both NSE & BSE.

3. सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 32(7ए) के अनुपालन में, एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि बैंक द्वारा अधिमानी आबंटन और ईएसपीएस के द्वारा जुटाई गई निधियों का उपयोग बासेल III दिशानिर्देशों में निर्धारित विनियामक की न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन करने और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित असाधारण सामान्य बैठकों/पोस्टल मतदान के संबंधित नोटिस में निर्दिष्ट बैंक की सामान्य जरूरतों को पूरा करने हेतु पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बढ़ाने के लिए किया गया है।

4. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार संबंधी किसी भी मामले में सेबी/स्टॉक एक्सचेंज/किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों/दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन नहीं किया गया है तथा इसलिए बैंक पर कोई अर्थदंड/जुर्माना नहीं लगाया गया है।

   निधियों के अंतिम प्रयोग, अन्य बैंको के साथ सूचना के आदान - प्रदान तथा अपने किसी एक उधारकर्ता के खाते की पुनर्संरचना पर भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमों के उल्लंघन पर तथा स्विफ्ट संबंधी परिचालनगत नियंत्रणों के समयबद्ध क्रियान्वयन व सशक्तिकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के गैर अनुपालन के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर 01.02.2019 तथा 25.02.2019 को क्रमश: ₹1.50 करोड़ और ₹2.00 करोड़ का दंड प्रभारित किया गया।

5. सेबी सूचीकरण विनियामक के अनुसार बैंक ने एक 'विसल ब्लोअर नीति' बनाई है ताकि बैंक के हितधारकों के लिए अनैतिक व्यवहार, बैंक की आचरण संहिता अथवा नीतिगत नियमों का उल्लंघन अथवा वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी के बारे में सूचित करने के लिए एक सतर्क पद्धति स्थापित की जा सके। विसल ब्लोअर नीति बैंक की वेबसाइट https://www.obcindia.co.in/documents/investor-relations/investor-information/WHISTLE%20BLOWER%20POLICY.pdf पर उपलब्ध है।

   यह पुष्टि की जाती है कि किसी भी कार्मिक को मण्डल की लेखा परीक्षा समिति से संपर्क करने से मना नहीं किया गया है।

6. बैंक ने सेबी सूचीकरण विनियमों के अनुपालन में संबंधित पार्टी लेन-देन पर एक नीति बनाई है, जो बैंक की वेबसाइट https://www.obcindia.co.in/documents/Related%20Party%20Transaction%20Policy2489_201903301631326801.pdf पर उपलब्ध है।

   इस नीति का उद्देश्य सेबी के मार्गनिर्देशों के अनुसरण में बैंक तथा इसके संबंधित पार्टियों के बीच हुए लेन-देन का उपयुक्त अनुमोदन तथा रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है।

7. बैंक ने कॉरपोरेट अभिशासन पर सेबी सूचीकरण विनियम के बैंकिंग पर्यवेक्षण तथा प्रावधानों पर बासेल समिति द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन के सिद्धांतों पर आधारित कॉरपोरेट अभिशासन नीति तैयार की है।

8. निदेशकोंकेलिएपरिचयकार्यक्रमकाविवरणबैंककीवेबसाइटपरनिम्नलिखित वेब लिंक: https://www.obcindia.co.in/documents/Familirization_Trng_programme_190420192489_201904191320560376.pdf पर उपलब्ध है।

9. बैंक की लाभांश पॉलिसी बैंक की वेबसाइट https://www.obcindia.co.in/documents/Dividend%20Policy%20-%202018-1930_20180816102032666 52.pdf पर उपलब्ध है।

3. In compliance of Regulation 32(7A) of the SEBI Listing Regulations, it is hereby confirmed that funds raised by the Bank through Preferential Allotment and ESPS have been utilized to shore up the Capital Adequacy Ratio so as to comply with the regulatory minimum capital requirements prescribed in the Basel III Guidelines and to fund the general needs of the Bank as specified in the respective Notice of Extraordinary General Meetings/Postal Ballot conducted during the financial year 2018-19

4. There is no non-compliance by the Bank in respect of Regulations/ Guidelines issued by SEBI / Stock Exchanges / any Statutory Authority on any matter related to capital markets during the last 3 years and as such no penalties/strictures imposed on the Bank.

   Penalty of Rs.1.50 crore and Rs.2.00 crore were imposed on the Bank by RBI on 01.02.2019 and 25.02.2019, respectively, on account of violation of RBI regulations on non-monitoring of end use of funds, exchange of information with other Banks and on restructuring of accounts in respect of one of its borrowers and for non-compliance of RBI directives in respect of time bound implementation and strengthening of SWIFT related operational controls.

5. In terms of the SEBI Listing Regulations the Bank has framed a 'Whistle Blower Policy' to establish a vigil mechanism for stakeholders to report concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy. The Whistle Blower Policy is available on the Bank's website at https://www.obcindia.co.in/documents/investor-relations/investor-information/WHISTLE%20BLOWER%20POLICY.pdf

   It is affirmed that no personnel has been denied access to the Audit Committee of Board.

6. The Bank has formulated a Policy on Related Party Transactions in compliance with the SEBI Listing Regulations which is available on the Bank's website at the following web link: https://www.obcindia.co.in/documents/Related%20Party%20Transaction%20Policy2489_201903301631326801.pdf

   The Policy intends to ensure proper approval and reporting of transactions between the Bank and its Related Parties pursuant to SEBI guidelines.

7. The Bank has a Policy on Corporate Governance based on the Principles of Corporate Governance issued by the Basel Committee on Banking Supervision and provisions of the SEBI Listing Regulations on Corporate Governance.

8. Details of familiarization programmes for Directors have been given on the Bank's website at the following web link:

   https://www.obcindia.co.in/documents/Familirization_Trng_programme_190420192489_201904191320560376.pdf

9. The Dividend Policy of the Bank is available on the Bank's website at https://www.obcindia.co.in/documents/Dividend%20Policy%20-%202018-1930_20180816102032666 52.pdf

10. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक गैर-कार्यकारी निदेशकों को बैठक में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए शुल्क के अलावा अन्य किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है। मंडल तथा समिति की प्रत्येक बैठक हेतु सिटिंग शुल्क क्रमशः ₹ 20000/- व ₹ 10000/- था। इसे बाद में भारत सरकार द्वारा अपने परिपत्र संख्या एफ नं. 15/1/2011-बीओआई दिनांक 18.01.2019 के माध्यम से मंडल तथा समितियों की अध्यक्षता हेतु क्रमशः ₹ 10000/- एवं ₹ 5000/- के अतिरिक्त शुल्क के साथ ₹ 40000/- एवं ₹ 20000/- में संशोधित किया गया था।
11. वरिष्ठ प्रबन्ध वर्ग के महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक संव्यवहार, जिनमें उनका निजी हित निहित है और जिनसे समग्रतः बैंक के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, की सूचना समय-समय पर मण्डल को दी गई है।
12. बैंक में यह एक सुस्थापित कार्यप्रणाली है कि निदेशक, जब उनसे या उनके रिश्तेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा होती है, मण्डल और मण्डल की उप समितियों के विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं।
13. बैंक ने वार्षिक आम बैठक आयोजित की और सांविधिक समय-सीमा के भीतर पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया।
14. विदेशी विनिमय जोखिम तथा वायदा कारोबार संबंधी प्रकटीकरण लेखा टिप्पणी में दिया गया है।
15. बैंक के निदेशक मण्डल में निदेशकों के बीच परस्पर कोई संबंध नहीं है।
16. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने, बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों (सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों सहित) को कुल ₹19,79,02,030.80 का भुगतान किया है।
17. निदेशक मंडल की कार्यकुशलता/सक्षमता निर्धारण मैट्रिक्स निम्नानुसार है:-

अपेक्षित कार्यकुशलता/ विशेषज्ञता/योग्यताएं		संक्षिप्त विवरण	उपलब्ध कार्यकुशलता/ विशेषज्ञता/ योग्यताएं
(i)	बैंकिंग	बैंकिंग का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव	जी हाँ
(ii)	सूचना प्रौद्योगिकी व साइबर सुरक्षा	सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता ताकि बैंकिंग में बदलते हुए परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रखने में बैंक को सक्षम बनाने के लिए, विशेषतया साइबर सुरक्षा के संदर्भ में	जी हाँ
(iii)	जोखिम प्रबंधन	यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक का जोखिम प्रबंधन सिस्टम सशक्त व प्रभावी है, अपना योगदान देने में सक्षमता	जी हाँ
(iv)	मानव संसाधन प्रबंधन	उद्योग में चल रही मानव संसाधन कार्यशैलियों के साथ बैंक की मानव संसाधन संबंधी नीतियों व रणनीतियों का मूल्यांकन करने में सक्षमता	जी हाँ

10. The remuneration of the MD & CEO and EDs is fixed by the Govt. of India. The Bank does not pay any remuneration to the non-executive directors except sitting fee fixed by Govt. of India. The sitting fee for each Board and Committee meeting was ₹20000/- and ₹10000/- respectively. The same was subsequently revised by Govt. of India vide its Circular F.No.15/1/2011-BO.I dated 18.01.2019 to ₹40000/- and ₹20000/- along with an additional ₹10000/- and ₹5000/- for chairing the Board and Committees, respectively.
11. Material financial and commercial transactions of the Senior Management where they have personal interest that may have conflict with the interest of the Bank at large have been reported to the Board from time to time.
12. It is an established practice in the Bank that the directors do not take part in the deliberations of the Board and other sub-committees of the Board, when matters relating to them or their relatives are discussed.
13. The Bank conducted the Annual General Meeting within the statutory timeframe.
14. The disclosure as to foreign exchange risk and hedging activities is given under notes to accounts.
15. There is no inter se relationship amongst the Directors on the Board of the Bank.
16. During the financial year 2018-19, the Bank has paid a total amount of ₹19,79,02,030.80 to the Statutory Auditors of the Bank (including statutory branch auditors).
17. The Skills/Competency Mapping Matrix of the Board of Directors is as follows:

Desired Core Skills / Expertise / Competencies		Brief Description	Available core skills/ expertise/ competencies
(i)	Banking	Knowledge or practical experience of Banking.	Yes
(ii)	Information Technology & Cyber Security	Expertise in Information Technology to enable the Bank to keep pace with the changing IT scenario in banking especially in the context of cyber security.	Yes
(iii)	Risk Management	Ability to contribute towards ensuring that the Bank's risk management system is robust and effective.	Yes
(iv)	Human Resource Management	Ability to assess Bank's HR related Policies & Strategies in line with the evolving HR Practices in the industry.	Yes

(v)	वित्त एवं विधि	तीव्रता से बदल रहे विधिक तथा विनियामक ढाँचे में महत्वपूर्ण कारोबारी निर्णय लेने के लिए ज्ञान/अनुभव प्राप्त होना	जी हाँ
(vi)	रणनीति तैयार करना	दीर्घावधि संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा निर्धारित रणनीतियों का रचनात्मक मूल्यांकन करना	जी हाँ
(vii)	विनियामक अनुपालन तथा कॉर्पोरेट अभिशासन	अनुपालन कार्यक्रम की पर्याप्तता निर्धारित करने की क्षमता के साथ अनुपालन, उद्योग जोखिम और विनियामक अपेक्षाओं को समझना	जी हाँ
(viii)	कारोबार प्रबंधन/ कार्यकारी नेतृत्व/सीईओ	कारोबार प्रबंधन, बैंक के अतिरिक्त अन्य संगठन (नों) में अग्रणी पद संभालने में ज्ञान/विशेषज्ञता	जी हाँ
(ix)	मंडल का अनुभव	बैंक के अतिरिक्त अन्य संगठन (नों) में मंडल संबंधी मुद्दों को संभालने का अनुभव	जी हाँ

18. यह एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऐसा कोई मामला नहीं आया, जहाँ मण्डल की किसी समिति की किसी संस्तुति को, जो अनिवार्यता जरूरी थी, मण्डल में स्वीकार न किया हो।

19. बैंक, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को प्रतिबंधित करता है तथा बैंक द्वारा कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 को लागू किया गया है। इस प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए, बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय एवं मण्डल कार्यालयों में आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया है तथा इनका विवरण नियमित रूप से बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान यौन उत्पीड़न संबंधी कुल 1 शिकायत प्राप्त हुई तथा यह शिकायत प्रक्रियाधीन है क्योंकि इसे मार्च 2019 में शुरू किया गया था।

बैंक ने सेबी सूचीकरण विनियमों की अनुसूची v के उप-पैरा (2) से (10) की कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में निहित आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया है। बैंक बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के तहत गठित एक कॉरपोरेट निकाय है। निदेशक मण्डल अधिनियम की धारा 9(3) के प्रावधानों द्वारा संचालित होते हैं, जहां, शेयरधारकों में से चयनित केंद्र सरकार से इतर, तीन निदेशकों को छोडकर, शेष सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित होते हैं। अग्रतर, मण्डल की उपसमितियों का गठन एवं विस्तार भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार/तथा उपरोक्त रिपोर्ट में वर्णित दिशानिर्देशानुसार है। बैंक ने सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 17 से 27 तथा 46(2)(बी) से (आई) में उल्लिखित अन्य सभी कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया है।

(v)	Finance & Law	Possessing knowledge/ experience for evaluating key business decisions in the rapidly evolving legal and regulatory framework.	Yes
(vi)	Strategy formulation	Constructive assessment of the strategies formulated by the management to achieve long term organizational goals.	Yes
(vii)	Regulatory Compliance and Corporate Governance	Understanding of compliance, industry risk and regulatory requirements along with the ability to determine the adequacy of compliance program.	Yes
(viii)	Business Management / Executive Leadership / CEO	Knowledge/ expertise in business management; holding leadership position in organization(s) other than the Bank.	Yes
(ix)	Board experience	Experience in handling board matters in organization(s) other than the Bank.	Yes

18. It is hereby confirmed that there is no instance where the board had not accepted any recommendation of any Committee of the Board which is mandatorily required, in the financial year 2018-19.

19. The Bank prohibits sexual harassment at work place and the provisions of "The Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, prohibition and redressal) Act 2013 has been implemented by the Bank. For addressing such issues, the Bank has constituted Internal Complaint Committees at the Corporate Office as well as at all the Circle Offices and the details are regularly uploaded on the Bank's website. The total number of complaints relating to sexual harassment received during FY 2018-19 was 1 and the complaint is under process as it was initiated in March 2019.

The Bank has complied with the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations. The Bank is a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980. The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of Section 9(3) of the Act, where all the directors are appointed / nominated by the Govt. of India *except* three directors elected from amongst the shareholders, other than Central Government. Further, the constitution and scope of the Sub-Committees of Board is as per extant RBI/GoI and other applicable guidelines as detailed in the Report above. The Bank has complied with all other Corporate Governance requirements as specified in Regulation 17 to 27 and 46(2) (b) to (i) of SEBI Listing Regulations.

गैर अनिवार्य अपेक्षाएं

प्रकटन हेतु अनिवार्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 27(1) की गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार हैः-

अपेक्षा	अनुपालन
मण्डल: मण्डल: गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय के रख-रखाव और अपने कर्तव्यों के निर्वाह पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति पाने का पात्र हो सकता है ।	मंडल की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जाती है, अतः यह अपेक्षा लागू नहीं होती।
शेयरधारक के अधिकार: पिछली छमाही में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की छमाही घोषणा प्रत्येक शेयरधारक के घर पर भेजी जा सकती है।	बैंक के तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों के लिए अनिवार्य प्रकटीकरण सहित बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। इन्हें शेयरधारकों की जानकारी हेतु समाचारपत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है।
लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित अभिमत: सूचीबद्ध इकाई गैर-संशोधित लेखापरीक्षा अभिमत सहित वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की दिशा में कदम उठा सकती है।	बैंक वित्तीय विवरणियों में गैर-संशोधित अभिमत को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है ।
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के अलग पदः सूचीबद्ध इकाई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग नियुक्ति कर सकती है।	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद को (क) अध्यक्ष और (ख) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के पद के रूप में विभाजित किया गया है । अध्यक्ष की नियुक्ति वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार की जाएगी।
आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग: आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं ।	बैंक की सभी शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। एलसीबी, एमसीबी, फॉरेक्स शाखाओं, फॉरेक्स सीटीसी, ईएलबी, ईवीएलबी एवं क्लासिक/उद्भव शाखाओं (उच्च जोखिम एवं उससे अधिक) की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति को भेजी जाती हैं। एसीई के कार्यवृत्त मंडल की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

दिनांक: 13 मई, 2019
स्थान: गुरुग्राम

(मुकेश कुमार जैन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Non-Mandatory Requirements

Besides the mandatory requirements for disclosure, the status of compliance of non-mandatory requirements of Regulation 27(1) of the SEBI Listing Regulations is furnished below:-

Requirement	Compliance
The Board: A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Board is chaired by Managing Director & CEO and as such this requirement is not applicable.
Shareholder's Rights: A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The Bank's Quarterly / Half yearly / Annual Financial results are displayed on the Bank's Website along with mandatory disclosure to Stock Exchanges. The same are also published in the Newspapers for information of the shareholders.
Modified opinion(s) in audit report: The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion	The Bank is continuously making efforts towards achieving unmodified opinion in the financial statements.
Separate posts of Chairman and CEO: The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	The post of Chairman and Managing Director has been split into a) Chairman and b) Managing Director and CEO. The Chairman would be appointed by the Ministry of Finance, Govt. of India Guidelines.
Reporting of Internal Auditor: The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	The Risk Based Internal Audit of all the branches of the Bank is carried out by the Internal Auditors of the Bank. The Internal Audit Reports of LCB, MCB, Forex Branches, Forex CTC, ELB, EVLB & Classic/Udbhav Branches (High Risk & Above) are submitted to Audit Committee of Executives. The Minutes of ACE are placed before the Audit Committee of Board for information.

For and on behalf of Board of Directors

Date: 13th May 2019
Place: Gurugram

(Mukesh Kumar Jain)
Managing Director & CEO

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के सदस्य,

निदेशक/वरिष्ठ प्रबंधन हेतु आचार संहिता से संबंधित प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि सेबी सूचीकरण विनियमों के अनुसार बैंक के सभी मण्डल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की गई है, जो भारतीय बैंक संघ द्वारा निर्धारित आचार संहिता के समान है। मण्डल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने वर्ष 2018-19 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

दिनांक: 13 मई, 2019 **(मुकेश कुमार जैन)**
स्थान: गुरुग्राम **प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

सेबी (सूचीकरण बाध्यता तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
नई दिल्ली

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

क) हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों तथा नकदी प्रवाह विवरणी की जांच की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणियों में कोई असत्य कथन नहीं हैं या महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड़ा गया है या ऐसे कथन नहीं हैं जो गुमराह करें;

(ii) ये विवरणियां बैंक के कार्यों का सत्य एवं सही चित्रण प्रस्तुत करती हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू विधि एवं विनियमों के अनुसार हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, बैंक द्वारा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए कुल 319 मामलों को छोड़कर ऐसे कोई लेन-देन नहीं किए गए जो कपटपूर्ण, अवैध या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हों।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने तथा बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रक पद्धति की प्रभावात्मकता का मूल्यांकन किया है और हमने आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा अथवा परिचालन में कमी, यदि कोई हो, जिसके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाएं है या कदम उठाने का प्रस्ताव किया है उसका प्रकटीकरण लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को कर दिया है।

घ) हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नानुसार सूचित कर दिया है:

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा यह कि उन्हें वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है; तथा

The Members of Oriental Bank of Commerce,

CERTIFICATE RELATED TO CODE OF CONDUCT FOR DIRECTORS/SENIOR MANAGEMENT

This is to certify that pursuant to the SEBI Listing Regulations, the Code of Conduct has been laid down for all the Board Members and Senior Management of the Bank which is in line with the Code of Conduct framed by Indian Banks' Association. The Board Members and Senior Management personnel have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the year 2018-19.

Date: 13th May 2019 **(Mukesh Kumar Jain)**
Place: Gurugram **Managing Director & CEO**

CEO & CFO Certificate under Regulation 17(8) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015

The Board of Directors

Oriental Bank of Commerce

New Delhi

This is to certify that:

a) We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March 2019 and that to the best of our knowledge and belief:

(i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct, other than 319 cases reported during the year ended 31st March 2019.

c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d) We have indicated to the Auditors and the Audit Committee:-

(i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;

(ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) महत्वपूर्ण धोखाधड़ियों के मामले जिनकी हमें जानकारी हो गई है, और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक की आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंध वर्ग या किसी कर्मचारी के इनमें लिप्त होने के मामले।

(महेश धवन)	**(मुकेश कुमार जैन)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	**प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

दिनांक: 13 मई, 2019
स्थान:गुरुग्राम

कॉरपोरेट अभिशासन के संबंध में लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के सदस्य,

हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु सेबी (सूचीकरण बाध्यता तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में यथाविनिर्दिष्ट, कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंध वर्ग की है। हमारी जांच बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपनाई गई कार्यविधियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित रही। यह बैंक के वित्तीय विवरणियों की न तो लेखापरीक्षा है और न ही उसके बारे में अभिमत की अभिव्यक्ति है ।

हमारे अभिमत तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सेबी सूचीकरण विनियम, 2015 में यथाविनिर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हमारा कथन है कि शेयरधारक संबंध समिति द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार बैंक के विरूद्ध निवेशक की ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है जो एक माह से अधिक समय से लंबित है।

हमारा यह भी कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के प्रति, न ही कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंध वर्ग ने बैंक के कार्यों का संचालन किया, के प्रति एक आश्वासन है।

कृते मै. बी. सी. जैन एंड कंपनी सनदी लेखाकार, एफआरएन 001099C	**कृते मै. एस. एन. धवन एंड कं. एलएलपी** सनदी लेखाकार, एफआरएन 000050N/N500045
(पूजा जैन) भागीदार एम. सं. 406783 यूडीआईएन सं.19073488AAAAAG3467	(एस. के. खट्टर) भागीदार एम. सं. 084993 यूडीआईएन सं.19084993AAAAAO8350
कृते मै. एस. पी. चोपड़ा एंड कंपनी सनदी लेखाकार, एफआरएन 000346N	**कृते मै. बत्रा दीपक एंड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार, एफआरएन 005408C
(पवन के. गुप्ता) भागीदार एम. सं. 092529 यूडीआईएन सं.19099143AAAAAH5945	(कपिल कुमार भागीरथ) भागीदार एम. सं. 095639 यूडीआईएन सं.19095639AAAAFJ9694

दिनांक: 13 मई, 2019
स्थान: गुरुग्राम

(iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(Mahesh Dhawan)	**(Mukesh Kumar Jain)**
Chief Financial Officer	**Managing Director & CEO**

Date: 13th May 2019
Place: Gurugram

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To the Members of Oriental Bank of Commerce

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance for the year ended 31st March, 2019 as stipulated in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned SEBI Listing Regulations, 2015.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For M/s B C Jain & Co. Chartered Accountants, FRN 001099C	**For M/s S N Dhawan & Co. LLP** Chartered Accountants, FRN 000050N/N500045
(Pooja Jain) Partner M.No. 406783 UDIN No.19073488AAAAAG3467	(S.K. Khattar) Partner M.No. 084993 UDIN No.19084993AAAAAO8350
For M/s S P Chopra & Co, Chartered Accountants, FRN 000346N	**For M/s Batra Deepak & Associates** Chartered Accountants, FRN 005408C
(Pawan K. Gupta) Partner M.No. 092529 UDIN No.19099143AAAAAH5945	(Kapil Kumar Bhagirath) Partner M.No. 095639 UDIN No.19095639AAAAFJ9694

Date: 13th May 2019
Place: Gurugram

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र

सदस्य

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

हमने **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स** के निदेशकों की सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (जिसे अब से "सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015" कहा गया है) की अनुसूची v के पैरा सी के खंड (10)(i) के अनुसरण में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-अयोग्यता स्थिति की जांच कर ली है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित रिकॉर्ड तथा दस्तावेजों के सत्यापन और प्रबंधन के प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर 31 मार्च, 2019 के अनुसार **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स** के निदेशकों की का संगठन निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	डीआईएन/ पैन	निदेशक का नाम	नियुक्ति की तिथि
1	इस कॉलम को जानबूझकर खाली छोड़ा गया है	मुकेश कुमार जैन	14.07.2017
2		विजय दुबे	01.11.2018
3		बालकृष्ण अल्से एस्.	26.12.2018
4		प्रशांत गोयल	16.01.2017
5		एस. गणेश कुमार	10.06.2014
6		माला श्रीवास्तव	25.04.2016
7		संजय कपूर	26.07.2016
8		देश दीपक खेत्रपाल	30.09.2017
9		अशोक कुमार शर्मा	30.09.2017
10		मदन मोहन लाल वर्मा	30.09.2017

हमारे मत से तथा हमारे द्वारा रिकॉर्ड एवं सूचना की समीक्षा तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और निदेशक मण्डल बैंक प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, हम सत्यापित करते हैं कि 31 मार्च, 2019 के अनुसार उपरोक्त सूचीबद्ध मंडल के निदेशक में से कोई भी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(सेबी)/ कॉरपोरेट मामले से संबंधित मंत्रालय (एमसीए) या अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त होने या जारी रहने के लिए प्रतिबंधित या अयोग्य नहीं किया गया हैं ।

हम यह भी सूचित करते हैं कि यह प्रमाणपत्र उस निदेशक मण्डल की कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता का आश्वसान नहीं देता है जिससे ने बैंक के कार्यकलापों को सम्पन्न किया है ।

कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सीएस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस नं. 5774
सीपी नं. 5910

दिनांक : 13.05.2019
स्थान : नई दिल्ली

Certificate on Non-Disqualification of Directors

The Members,

Oriental Bank of Commerce.

We have examined the disqualification status of the Directors of Oriental Bank of Commerce for the year ended 31st March, 2019, as prescribed in Clause 10 (i) of para C of Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter called as "SEBI (LODR) Regulations, 2015"). As per the information and explanations given to us, based on the verification of the relevant records & documents and management representation received, the composition of Board of Directors of Oriental Bank of Commerce as on 31st March, 2019 is as under:

S. No.	DIN/ PAN	Name of Director	Date of appointment
1	This column has been intentionally left blank.	Mukesh Kumar Jain	14.07.2017
2		Vijay Dube	01.11.2018
3		Balakrishna Alse S.	26.12.2018
4		Prashant Goyal	16.01.2017
5		S Ganesh Kumar	10.06.2014
6		Mala Srivastava	25.04.2016
7		Sanjay Kapoor	26.07.2016
8		Desh Deepak Khetrapal	30.09.2017
9		Ashok Kumar Sharma	30.09.2017
10		Madan Mohan Lal Verma	30.09.2017

In our opinion and to the best of our review of records and information and according to the explanations given to us and based on representations received from the Board of Directors/Bank Management, we certify that the none of the above listed Directors on the Board of the Bank as on 31st March, 2019 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Bank by the Securities and Exchange Board of India (SEBI)/Ministry of Corporate Affairs (MCA) or any such other statutory authority.

We further state that this certificate is neither an assurance nor the efficiency or effectiveness with which the Board of Directors has conducted the affairs of the Bank.

For Agarwal S. & Associates,
Company Secretaries,

CS Sachin Agarwal
Partner
FCS No. : 5774
C.P. No. : 5910

Date: 13.05.2019
Place: New Delhi

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कारोबार दायित्व रिपोर्ट

खंड कः बैंक के बारे में सामान्य जानकारी

कंपनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
कंपनी का नाम	ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
पंजीकृत पता कॉरपोरेट कार्यालय	हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001 प्लॉट नं. 5, सेक्टर -32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम - 122001
वेबसाइट	www.obcindia.co.in
ई-मेल आईडी	mbd@obc.co.in; ssaha@obc.co.in
रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	2018-19
क्षेत्र (त्रों), जिसमें कंपनी शामिल है (औद्योगिक गतिविधि कोड-वार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं
कंपनी द्वारा निर्मित/उपलब्ध कराई जा रही तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची (तुलन-पत्र के अनुसार)	1. थोक बैंकिंग 2. रिटेल बैंकिंग 3. ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग
कंपनी द्वारा किए जा रहे कारोबार की गतिविधि स्थानों की कुल संख्या	शाखाओं की संख्या: 2390 अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या: 1 (दुबई प्रतिनिधि कार्यालय)
कंपनी द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले बाजार	राष्ट्रीय

खंड खः बैंक का वित्तीय ब्यौरा

प्रदत्त पूंजी (रु. में)	₹1370.21 करोड़
कुल कारोबार (रु. में)	₹404,195 करोड़
कुल लाभ/(-) हानि (रु. में)	₹55 करोड़
कर पश्चात् लाभ के प्रतिशत (%) के अनुसार कारोबार सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर हुआ कुल व्यय	वित्तीय वर्ष 2017-18 में बैंक को ₹ 5871.74 करोड़ की हानि हुई है अतः आरबीआई के दिशानिर्देशों के मद्देनजर घाटे में चल रहे बैंक एक वित्तीय वर्ष में ₹5.00 लाख तक दान कर सकते हैं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अधिकतम अनुमत राशि ₹5.00 लाख थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कुल संस्वीकृत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की राशि ₹5.00 लाख है जो आवंटित सीएसआर बजट का 100% है।
गतिविधियों की सूची, जिसमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया	क) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित सीएसआर क्रियाकलाप किए हैं: **ख) सामुदायिक सेवाएं:** बैंक ने जरूरतमंद एवं वृद्ध लोगों के लिए एनजीओ को टाटा ऐस टेम्पो दान किए हैं।

Business Responsibility Report for the year ended 31st March 2018-19

Section A: General Information about the Bank

Corporate Identity Number (CIN) of the Company	Not Applicable
Name of the Bank	Oriental Bank of Commerce
Registered Address Corporate Office	Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001 Plot No.5, Sector 32, Institutional Area, Gurugram -122001
Website	www.obcindia.co.in
E-mail id	mbd@obc.co.in; ssaha@obc.co.in
Financial Year reported	2018-19
Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
List three key products/ services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)	1. Wholesale Banking 2. Retail Banking 3. Rural and Agri-Banking
Total number of locations where business activity is undertaken by the Bank	Number of branches: 2390 Number of international locations:1 (Dubai Representative Office)
Markets served by the Bank	National

Section B: Financial Details of the Bank

Paid up Capital (INR)	₹1370.21 crore
Total Business (INR)	₹404,195 crore
Total Profit / (-) Loss (INR)	₹55 crore
Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	The Bank had incurred a loss of ₹5871.74 crores in the financial year 2017-18. In view of RBI directions the loss making Banks may make donations during a financial year upto ₹5.00 Lakhs. Accordingly, the maximum permissible amount for FY 2018-19 was ₹5.00 Lakhs. The total amount of CSR sanctioned in FY 2018-19 is ₹5.00 Lakhs which is 100% of the allocated CSR budget.
List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred	The Bank has undertaken the following CSR activities during FY 2018-19: **Community Services**: Bank has donated TATA ACE TEMPO to NGO under community services for helping needy & old age people.

खंड गः अन्य विवरण

क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?	नहीं
क्या सहायक कंपनी/कंपनियां प्रमुख कंपनी की बीआर गतिविधियों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी (यों) की संख्या बताएं।	लागू नहीं
कंपनी की बीआर गतिविधियों में भाग लेने के साथ-साथ कोई अन्य इकाई/इकाइयां (जैसे आपूर्तिकर्ता संवितरणकर्ता आदि) जिसके साथ कंपनी कारोबार करती है। यदि हां, तो ऐसी इकाई/इकाइयों का प्रतिशत बताएं? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक]	**नहीं**

खंड घः बीआर सूचना

क)	**बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा**	
क्र.सं.	**विवरण**	**ब्यौरा**
	डीआईएन नंबर	लागू नहीं
	नाम	श्री विजय दुबे
	पदनाम	कार्यकारी निदेशक
ख)	**बीआर प्रमुख का विवरण**	
	डीआईएन नंबर (यदि लागू हो)	लागू नहीं
	नाम	श्री स्वरूप सहा
	पदनाम	महाप्रबंधक(एमबीडी)
	दूरभाष संख्या	0124-4126542/4126286
	ई-मेल आईडी	mbd@obc.co.in;ssaha@obc.co.in

1. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (हां/नहीं में उत्तर दें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	क्या आपके पास सिद्धांत/तों के लिए नीति/नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या संबंधित हितधारकों के परामर्श से नीति तैयार की जाती है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो उल्लेख करें (50 शब्दों में)*	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्या नीति मंडल द्वारा अनुमोदित की जाती है? यदि हां, तो क्या इसे प्रबंध निदेशक/स्वामी/सीईओ/समुचित निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु कंपनी के मंडल/निदेशक/अधिकारी की कोई विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएं?	नीतियां बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.obcindia.co.in/आंतरिक वेब-पोर्टल पर उपलब्ध हैं।								
7.	क्या नीति सभी संबंधित आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से सूचित की गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

Section C: Other Details

Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	No
Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)	N.A.
Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]	No

Section D: BR Information

a)	**Details of Director /Directors responsible for BR**	
Sr. No.	**Particulars**	**Details**
	DIN Number	Not Applicable
	Name	Shri Vijay Dube
	Designation	Executive Director
b)	**Details of the BR Head**	
	DIN Number (if applicable)	Not Applicable
	Name	Shri Swarup Saha
	Designation	General Manager (MBD)
	Telephone number	0124-4126542/4126286
	e-mail id	mbd@obc.co.in; ssaha@obc.co.in

1. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/Policies (Reply in Y/N)

Sr. No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	Do you have a Policy/ Policies for the Principle/s	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Does the Policy conform to any national / international standards? If yes, specify? (50 words)*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Has the Policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/owner / CEO / appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Does the company have a specified committee of the Board / Director / Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	The Policies are available on the Bank's website i.e. www.obcindia.co.in / Bank's internal web-portal.								
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

8.	क्या नीति/नीतियों को लागू करने के लिए कंपनी की आंतरिक व्यवस्था है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या हितधारकों की नीति/नीतियों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु नीति/नीतियों से संबंधित कंपनी का शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी से नीति के कामकाज की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन कराया है?	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां

*बैंक की सभी नीतियां विभिन्न विनियामकों तथा सांविधिक निकायों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, सेबी, भारत के संविधान, अन्य विधिक अधिनियमों आदि द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। इसलिए ये राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।

कृपया नोट करें कि बैंक द्वारा औपचारिक रूप से कई तरह की नीतियां बनाई गई हैं जो बैंक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करती हैं। उसके साथ-साथ, बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न दिशानिर्देशों का शाखाओं के साथ-साथ क्लस्टर/सर्कल कार्यालयों, कॉरपोरेट कार्यालय आदि द्वारा पालन किया जाता है। इसी प्रकार, बैंक बैंकिंग कारोबार करते समय विनियामकों, संबद्ध, सहयोगियों तथा अन्य सांविधिक संस्थाओं द्वारा जारी की गई नीतियों को भी कार्यान्वित करता है।

2. यदि क्रम सं. 1 का उत्तर किसी भी सिद्धांत के प्रति 'नहीं' है तो कृपया उल्लेख करें कि क्यों: (2 विकल्प तक टिक करें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	कंपनी ने सिद्धांत समझे नहीं हैं	लागू नहीं								
2.	कंपनी इस अवस्था में नहीं है, जहां वह विशिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों को तैयार व लागू कर सके									
3.	कंपनी के पास कार्य करने के लिए वित्तीय अथवा मानव संसाधन उपलब्ध नहीं है।									
4.	अगले 6 महीनों के भीतर पूरा किए जाने की योजना है									
5.	अगले 1 वर्ष के भीतर पूरा किए जाने की योजना है									
6.	अन्य कोई कारण (कृपया स्पष्ट करें)	मद सं.10 के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि बैंक की नीतियों की निदेशक मण्डल द्वारा वार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है।								

3 कारोबार दायित्व से संबंधित अभिशासन

- निदेशक मंडल, मण्डल की समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कंपनी के कारोबार दायित्व कार्य-निष्पादन का आकलन करने की आवधिकता को दर्शाएं। 3 महीने के भीतर, 3-6 महीने, वार्षिक, एक वर्ष से अधिक।

8.	Does the company have in-house structure to implement the Policy/ Policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	Y	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y

*All the policies being followed by the Bank are in conformity with the guidelines issued by various regulators and statutory bodies such as Reserve Bank of India, Ministry of Finance, SEBI, Constitution of India, other legal Acts etc. Hence they conform to national Standards.

Please note that there are several policies formally put in place by the Bank that govern various functions in the bank directly or indirectly. At the same time, there are various guidelines, issued by the Bank from time to time, that are followed by the Branches as well as the Clusters/Circle Offices, Corporate Office etc. Similarly, Bank also implements the policies issued by regulators, affiliates, associates and other statutes while carrying out banking function.

2. a. If answer to Sr. No. 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

Sr. No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	The company has not understood the Principles	Not Applicable								
2.	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3.	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4.	It is planned to be done within next 6 months									
5.	It is planned to be done within the next 1 year									
6.	Any other reason (please specify)	In respect of Pt.10, it is submitted that the Policies of the Bank are being reviewed by the Board of Directors on annual basis.								

3. Governance related to BR

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year

→ The Bank's performance on Business Responsibility is

→ कारोबार दायित्व पर बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक रूप से किया जाता है

→ क्या कंपनी कारोबार दायित्व या स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की आवधिकता क्या है?

→ जी हाँ, बैंक कारोबार दायित्व रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रकाशित करता है। वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 से संबंधित कारोबार दायित्व रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट यथा www.obcindia.co.in> निवेशक केंद्र> कारोबार दायित्व रिपोर्ट पर उपलब्ध है।

खण्ड ङ : सिद्धांत-वार प्रदर्शन

सिद्धांत 1

व्यवसायों को नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ संचालन और स्वयं का अभिशासन करना चाहिए

1. क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है?

→ जी हाँ। बैंक, व्यापार परिचालन के आचार, नैतिक और कानूनी आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक में निदेशकों व इसके प्रमुख प्रबंधन के लिए आचार संहिता है। संहिता उन मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करने का प्रयास करती है, जिन पर बैंक अपने हितधारकों, सरकार और नियामक संस्थाओं आदि, जिनके साथ यह जुड़ा हुआ है, के साथ अपने व्यापार का परिचालन व संचालन करेगा।

बैंक में एक व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी भी है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधि निकायों सहित बैंक के हितधारकों के लिए कानूनी या विनियामक आवश्यकताओं का कोई उल्लंघन, किसी भी वित्तीय विवरणी या रिपोर्ट को गलत या तोड़ने-मरोड़ने आदि मुद्दों को किसी भी प्रकार के प्रतिशोध, प्रतिकार, भेदभाव या उत्पीड़न के भय के बिना उठाने हेतु विकल्प प्रदान करना है। कॉरपोरेट अभिशासन पर बैंक की नीति श्रेष्ठ मण्डल प्रथा, पारदर्शी प्रकटीकरण और हितधारक सशक्तिकरण पर जोर देती है।

क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/अन्यों तक भी है?

→ जी नहीं।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इनमें से कितने प्रतिशत प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से हल कर दी गईं? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।

❖ <u>शेयरधारक की शिकायतें</u>

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के शेयरधारकों से कुल 75 शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतें वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, शेयरों का स्थानांतरण, घोषित लाभांश की अप्राप्ति आदि जैसे मुद्दों से संबंधित थी। ऐसी शिकायतों का समाधान करते समय, बैंक शेयरधारकों के पते, बैंक विवरण अद्यतित करने की कार्रवाई करता है, ताकि भविष्य में ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। 31.03.2019 को कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी। अतः हितधारकों की 100% शिकायतों को संतोषजनक ढंग से हल किया गया। शिकायतों की स्थिति तिमाही आधार पर मण्डल की हितधारक संबंध समिति और निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई है और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की गई है।

assessed annually by the Board of Directors.

→ Does the Bank publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?

→ Yes, the Bank's publishes the Business Responsibility Report annually. The Reports for the year 2016-17, 2017-18 and 2018-19 are available on the website of the Bank i.e. <u>www.obcindia.co.in</u> > Investor Relations > Business Responsibility Report

Section E: Principle-wise performance

Principle 1

Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company?

→ Yes. The Bank is committed to adhering to the highest standards of ethical, moral and legal conduct of business operations. The Bank has in place a Code of Conduct for the Directors and its core management. The Code attempts to set forth the guiding principles on which the Bank shall operate and conduct its business with its stakeholders, government and regulatory agencies, etc. with whom it is connected.

The Bank also has in place a Whistle Blower Policy which aims to provide an avenue to Bank's stakeholders including employees and their representative bodies, to raise concerns of any violations of legal or regulatory requirements, incorrect or misrepresentation of any financial statements and reports etc. without any fear of reprisal, retaliation, discrimination or harassment of any kind. The Bank's Policy on Corporate Governance emphasizes on best Board practices, transparent disclosures and stakeholder empowerment.

Does it extend to the Group/Joint Ventures / Suppliers /Contractors/ NGOs/Others?

→ No.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

❖ <u>Shareholder Complaints</u>

The total number of complaints received from the shareholders of the Bank during the FY 2018-19 was 75. The complaints pertained to issues like non-receipt of Annual Reports, Transfer of Shares, non receipt of dividend declared etc. While resolving such complaints, the Bank has been taking steps to update the addresses, bank details of shareholders so as to avoid recurrence of such complaints in future. No complaint was pending as on 31.03.2019. As such 100% of the shareholder complaints were satisfactorily resolved. The status of complaints is being placed before the Stakeholders Relationship Committee of Board and the Board of Directors on quarterly basis and also submitted to the Stock Exchanges as per applicable guidelines.

❖ <u>Customer Complaints</u>

❖ ग्राहक शिकायतें

वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुईं 24,909 शिकायतों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ग्राहकों से 16467 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से वित्तीय वर्ष 2017-18 के 99.45% की तुलना में 99.65% शिकायतें संतोषजनक ढंग से हल कर दी गई और 31.03.2019 को केवल 58 शिकायतें लंबित थीं। बैंक द्वारा बेहतर सेवा प्रदान करने और शिकायतों के त्वरित निवारण के कारण शिकायतों की संख्या में भारी कमी आई है।

बैंक ग्राहकों से संबंधित सभी शिकायतों में त्वरित और निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करता है, जिसके परिणामस्वरूप उनके समाधान का अनुवर्ती समय (टीएटी) कम हो गया है। ग्राहक शिकायतों का निवारण करने के लिए बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय, गुरुग्राम में महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक समर्पित विभाग है। कॉरपोरेट कार्यालय स्थित शिकायत कक्ष, ग्राहक की शिकायतों का संतोषजनक ढंग से यथोचित समय के भीतर त्वरित समाधान करने का प्रयास करता है ताकि उन्हें बैंकिंग लोकपाल और अन्य प्राधिकारियों के पास जाने से रोका जा सके। बैंक ने स्वत: प्रसार की विशेषताओं के साथ स्वचालित शिकायत निवारण तंत्र का भी शुभारंभ किया है।

इसके अलावा, बैंक के शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति के अनुसार एक आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति की है। सभी अस्वीकृत एवं आंशिक रुप से बंद शिकायतें बंद करने से पूर्व अभिमत के लिए आंतरिक लोकपाल के पास भेजी जाती हैं।

सिद्धांत 2

व्यवसायों को ऐसी वस्तु और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने जीवन चक्र के दौरान स्थिरता में योगदान करती हों

1. अपने कम-से-कम 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय मुद्दों, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया गया है।

i वित्तीय समावेशन अभियान:

भारत सरकार की वित्तीय समावेशन पहल के अनुसरण में, बैंक समग्र समावेशी आर्थिक विकास के लिए बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता को किफायती दरों पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक ने ग्रामीण जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष उत्पाद जैसे कि बचत सह इनबिल्ट ओवरड्राफ्ट सुविधा, आवर्ती जमा, ओरियन्टल ग्रीन कार्ड, सामान्य क्रेडिट कार्ड और कम प्रीमियम वाले बीमा उत्पाद तैयार किए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न मॉड्यूल जैसे पीओएस आधारित बीसी मॉडल, कियोस्क बैंकिंग मॉडल और औपचारिक शाखा मॉडल, लागू किए गए हैं।

ii ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स ग्रामीण विकास न्यास: बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण देने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स ग्रामीण विकास न्यास (ओबीसीआरडीटी) नामक एक विशेष प्रयोजन संस्थान की स्थापना की है।

न्यास का मुख्य उद्देश्य कृषि की आधुनिक तकनीकों, ट्रैक्टर/कृषि मशीनरी की मरम्मत एवं रखरखाव और कृषि/ग्रामीण विकास के अन्य पहलुओं पर किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कॉलेजों/ संस्थानों और कार्यशालाओं की स्थापना करना और सूक्ष्म वित्त तथा ग्रामीण युवाओं और महिलाओं की क्षमता निर्माण है।

वर्तमान में, देहरादून, श्रीगंगानगर, जयपुर, फिरोजपुर और पलवल में पांच ओबीसीआरसेटी (ओबीसी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) कार्यरत हैं। बलेखण (जयपुर), जीरा (फिरोजपुर) और पलवल में आरसेटी अपने परिसर से परिचालन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। शेष 2 आरसेटी के लिए भवनों के निर्माण की प्रक्रिया प्रगति पर है।

In all, the Bank has received 16467 complaints during FY 2018-19 from the customers as compared to 24,909 complaints during FY 2017-18 out of which 99.65% complaints have been satisfactorily resolved as compared to 99.45% complaints in FY 2017-18 and 58 complaints remain unresolved as on 31.03.2019. The number of complaints has been drastically reduced due to better service rendered by the bank and prompt redressal of complaints.

The Bank carries out vigorous and continuous follow-up in all customer related complaints resulting into reduced TAT (Turn-around Time) of their Redressal. The Bank has a dedicated Department headed by a General Manager at Corporate Office, Gurugram to redress customer grievances. The Complaint Cell at Corporate Office endeavor to resolve the complaints of the customer promptly to their satisfaction within reasonable time to avoid escalation to BO and other authorities. The Bank has also launched the Automated Grievance redressal Mechanism with auto escalation features.

Further, to strengthen the grievance redressal mechanism of the Bank, an Internal Ombudsman has been appointed by the Bank as per RBI Policy. All the complaints which are rejected or partially resolved are referred to Internal Ombudsman for his opinion before the closure.

Principle 2

Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.

i. Financial Inclusion Campaign:

Pursuant to the financial inclusion initiatives of Government of India, the Bank has been providing banking services in unbanked rural areas with affordable cost to the rural masses for an overall inclusive economic growth. The Bank has devised special products such as saving cum inbuilt overdraft facility, recurring deposit, oriental green card, General credit Card and insurance product with low cost premium to cater to the needs of rural masses. Various modules have been implemented for providing the banking services in rural and urban areas such as POS based BC model, Kiosk banking model and Brick and Mortar branches model.

ii. Oriental Bank of Commerce Rural Development Trust: Bank has set up a special purpose vehicle in the name of Oriental Bank of Commerce Rural Development Trust (OBCRDT) for setting up Training Centres at various places across the country for imparting training for capacity building in rural areas.

The main objective of the Trust is to establish training colleges/ institutes and workshops for providing training to farmers on modern techniques of farming, tractor/farm machinery repair & maintenance and other aspects of agriculture/rural development; micro finance and capacity building of the rural youth and women.

Presently, five OBCRSETIs (OBC Rural Self Employment Training Institutes) are functional at Dehradun, Sriganganagar, Jaipur, Ferozepur and Palwal. The RSETIs at Balekhan (Jaipur) and Zira (Ferozpur) & Palwal are operating and holding training programme from their own premises. The process of construction of buildings for the remaining 2 RSETIs is under progress.

During the Financial Year 2018-19 a total of 137 Skill

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 137 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए और विभिन्न कार्यक्रमों में 3412 उम्मीदवारों को सिलाई और ड्रेस डिजाइनिंग, वाटरशेड प्रबंधन, फुलकारी कढ़ाई, दुधारू पशु पालन, फसल उत्पादन, ब्यूटी पार्लर, औषधीय वृक्षारोपण, मोबाइल मरम्मत आदि जैसे विषयों का प्रशिक्षण दिया गया।

स्थापना से अब तक प्रशिक्षुओं की नियोजन (सैटलमेंट) दर 67% है। समाज के गरीबी रेखा से नीचे स्तर के उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए जोर दिया जाता है, जिसके लिए केंद्र उम्मीदवारों की सूची संबंधित डीआरडीए से प्राप्त करते हैं। समेकित रूप से इन केन्द्रों ने अपने आरंभ से 1160 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिससे 30467 उम्मीदवार लाभान्वित हुए।

iii. <u>स्वयं सहायता समूहः</u>

स्वयं सहायता समूह गरीबों तक पहुंचने और उनमें बचत करने की आदत पैदा करके और बैंक ऋण के माध्यम से आय सृजन गतिविधियां करने में सक्षम बनाने के लिए एक किफायती तरीका है।

बैंक ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तपोषण के अधिक उदार नियमों को अपनाया है। महिलाओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों द्वारा निभाई गई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, बैंक महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बैंक वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, देश के चिन्हित पिछड़े जिलों में महिला लाभार्थियों को वित्तपोषण की योजना का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसमें प्रति उधारकर्ता को कम-से-कम रु.50,000/- की ऋण राशि मंजूर की जा रही है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए चिन्हित सभी 250 जिलों में गैर-सरकारी संगठनों के साथ करार के तहत महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। एनआरएलएम योजना जिसका उद्देश्य महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों को रियायती ब्याज दर पर बाधा रहित ऋण प्रदान करना है, के क्रियान्वयन में बैंक सक्रिय रूप से शामिल है। एनआरएलएम योजना के तहत बैंक ने 31.03.2019 तक महिलाओं द्वारा संचालित 1145 स्वयं सहायता समूहों में रु.956.17 लाख का वित्त पोषण किया है।

2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के लिए, उत्पाद के प्रति यूनिट संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) उपयोग के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (वैकल्पिक) :

   i) पिछले वर्ष से मूल्य श्रृंखला के दौरान सोर्सिंग/ उत्पादन/ वितरण में कमी के लक्ष्य को हासिल किया गया?

   ii) पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग (ऊर्जा, जल) में कमी के लक्ष्य को हासिल किया गया?

→ एक सेवा संगठन होने के कारण यह खंड लागू नहीं है।

3. क्या सतत सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए कंपनी में प्रक्रियाएं लागू हैं

   यदि हां, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत सतत रूप से सोर्स किया गया? इसके अलावा, इसका लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रदान करें।

→ बैंक अपने अधिकांश उत्पादों को स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करता है और सूक्ष्म व लघु उद्यमों (एमएसई) की सक्रिय रूप से सहायता करता है। बैंक ने भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबी) द्वारा बनाए गए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता कोड को अपनाया है। कोड यह भी स्पष्ट करता है कि बैंक को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के साथ उनके दैनिक परिचालन और वित्तीय समस्या के समय कैसे संव्यवहार करना है।

Development Training programmes were conducted and 3412 candidates were given training on subjects like tailoring & dress designing, watershed management, phulkari embroidery, milch animal rearing, crop production, beauty parlor, medicinal plantation, mobile repairing, etc.

The settlement rate of trainees is more than 67% since inception. Emphasis is also given to train candidates from BPL strata of the society for which list of candidates are obtained by the centres from respective DRDA. Cumulatively these centres have conducted 1160 Skill Development training programmes since inception benefiting 30467 candidates.

iii. <u>Self Help Groups</u>:

SHG is a cost effective way to reach out to the poor and empower them by inculcating saving habit amongst them as well as to enable them to undertake income generating activities through bank credit.

Bank has adopted more liberal norms of financing to Self Help Groups (SHGs). Considering the role played by SHG in empowerment of women, the Bank is focusing on financing of women SHGs. Bank is implementing the scheme of financing to women beneficiaries in identified backward districts of the country, as per guidelines of Ministry of finance, wherein the minimum loan amount of ₹50,000/- per borrower is being sanctioned. In all 250 districts have been identified for implementation of this Scheme under which exclusive women SHGs are formed under tie up with NGOs. Bank is actively involved in implementation of NRLM scheme aimed at providing hassle free credit to women SHGs at a concessional rate of interest. Under NRLM scheme bank has financed 1145 women SHGs with outstanding balance of ₹956.17 lakhs up to 31.03.2019.

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):

   i) Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

   ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

→ Being a service organization this section is not applicable.

3. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?

   If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? *<u>Also, provide details thereof, in about 50 words or so.</u>*

→ The Bank procures most of its products from locally based suppliers and also actively supports the Micro and Small Enterprises (MSE). The Bank has adopted Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises (MSE) formulated by Banking Codes and Standards Board of India (BCSB). The Code also explains how banks are expected to deal with MSEs for their day-to-day operations and in times of financial difficulty.

4. Has the company taken any steps to procure goods and

4. क्या कंपनी ने अपने कार्यस्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और लघु उत्पादकों से वस्तु और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है?

   यदि हां, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता और सामर्थ्य को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

→ बैंक अपनी शाखाओं/ कार्यालयों को स्थानीय आधार पर आपूर्तिकर्ताओं से अपने अधिकतर उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। बैंक स्वयं सहायता समूहों एवं महिला उद्यमियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण भी प्रदान करता है।

5. क्या कंपनी के पास उत्पादों एवं अनुपयोगी सामान के री-सायकल करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हां, तो उत्पादों एवं अनुपयोगी सामान की री-सायकल की कितनी प्रतिशतता है (अलग से <5%, 5-10%,>10%)? साथ ही इसके बारें में लगभग 50 शब्दों में विवरण दीजिए

→ बैंक के पास कार्यालय में प्रयोग होने वाली सामग्री की अधिक से अधिक संभावित सीमा तक री-सायकल करने की प्रणाली है और इस संबंध में प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया हुआ है। बैंक में पुराने रिकॉर्ड के निपटान से संबंधी नीति है। अनुमोदित वेंडर पुरना रिकॉर्ड नष्ट करता है और इसकी लुगदी बनाता है तथा बैंक को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है जिसे शाखा के रिकॉर्ड में रखा जाता है।

सिद्धांत 3

कारोबार को सभी कर्मचारियों के हित को बढ़ावा देना चाहिए।

1. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं।

→ 31.03.2019 को कुल कर्मचारियों की संख्या 21,729 है।

2. कृपया अस्थायी/करार/आकस्मिक आधार पर रखे गए कुल कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं।

→ 31.03.2019 को अस्थायी/करार/आकस्मिक आधार पर रखे गए कुल कर्मचारियों की संख्या 01 है (आंतरिक लोकपाल)।

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं।

→ 31.03.2019 को स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 4,929 है।

4. कृपया दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं।

→ 31.03.2019 को दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 607 है।

5. क्या आपके यहां प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ है।

→ जी हां,

   1) ऑल इण्डिया ओरियन्टल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन

   2) ऑल इण्डिया ओरियन्टल बैंक एम्पलाईज एसोसिएशन

6. आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ का सदस्य है?

→ ऑल इण्डिया ओरियन्टल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन - 31.03.2019 को 90.41%

→ ऑल इण्डिया ओरियन्टल बैंक एम्पलाईज एसोसिएशन - 31.03.2019 को 100.00%

services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?

If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

→ The Bank encourages its branches/offices to procure most of its products from locally based suppliers. The Bank also provides loans at subsidized rate to Self Help Groups and women enterprises.

5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%)? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

→ The Bank has a mechanism for recycling office materials to the maximum extent possible and a certification to this effect is also obtained. Bank has policy of old record disposal. The approved vendor destroys the old record and converts it into pulp and submits certificate to Bank which is kept on record in the branch.

Principle 3

Businesses should promote the wellbeing of all employees

1. Please indicate the Total number of employees.

→ The total number of employees as on 31.03.2019 is 21,729

2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis.

→ The total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis as on 31.03.2019 is 01 (Internal Ombudsman)

3. Please indicate the Number of permanent women employees:

→ The total number of women employees as on 31.03.2019 is 4,929

4. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities:

→ The total number of permanent employees with disabilities as on 31.03.2019 is 607.

5. Do you have an employee association that is recognized by management?

→ Yes

   1) All India Oriental Bank Officers' Association

   2) All India Oriental Bank Employees' Association

6. What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association? :

→ All India Oriental Bank Officers' Association – 90.41% as on 31.03.2019

→ All India Oriental Bank Employees' Association –100 % as on 31.03.2019

7. Please indicate the Number of complaints relating to child

7. कृपया वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या को दर्शाएं।

क्र. स.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी/ अनैच्छिक मजदूरी	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	यौन उत्पीड़न	01	01
3.	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. निम्नलिखित कर्मचारियों में से पिछले वर्ष के दौरान सुरक्षा एवं कौशल अद्यतन प्रशिक्षण कितने प्रतिशत को दिया गया?

→ स्थायी कर्मचारीः 89.67%

→ स्थायी महिला कर्मचारीः 86.08%

→ सामयिक/अस्थायी/करार आधार पर कर्मचारीः लागू नहीं

→ दिव्यांग कर्मचारीः 90.77%

सिद्धांत 4

कारोबार को सभी हितधारकों विशेष रूप से जो कमजोर, वंचित और हाशिए पर हैं, उनके हितों का सम्मान करना और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को मैप किया है?

→ जी हां, हितधारकों में भारत सरकार, निवेशक, कर्मचारी और बैंक के ग्राहक और साथ ही विभिन्न सेवाओं / उत्पादों के लिए बैंक से जुड़े विक्रेता भी शामिल हैं ।

❖ शेयरधारक को विभिन्न उप-वर्गों जैसे- सरकार, विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी पोर्टफॉलियो वाले निवेशक, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों, म्युचुअल फंड तथा व्यक्तियों सहित अन्य में विभाजित किया गया है।

❖ ग्राहकों को बड़े कॉरपोरेट, मिड कॉरपोरेट, लघु एवं मध्यम उद्यम और रिटेल ग्राहकों में विभाजित किया गया है। इन वर्गों को समर्पित शाखाओं द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

❖ स्टाफ सदस्य

2. उक्त में से, क्या कंपनी द्वारा कमजोर, वंचित और हाशिए पर हितधारकों की पहचान की गई है?

→ जी हां, बैंक ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कमजोर, वंचित और हाशिए पर हितधारकों की पहचान की है।

3. क्या कंपनी द्वारा कमजोर, वंचित और हाशिए पर हितधारकों के लिए कोई विशेष पहल की गई है। यदि ऐसा है, तो इसका विवरण लगभग 50 शब्दों में प्रस्तुत करें।

→ बैंक ने कमजोर, वंचित और हाशिए पर हितधारकों को सहायता और लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। बैंक द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं :-

labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year:

Sr. No.	Category	No of complaints filed during the financial year 2018-19	No of complaints pending as at end of the financial year 2018-19
1.	Child labour / forced labour / involuntary labour	Not Applicable	Not Applicable
2.	Sexual harassment	01	01
3.	Discriminatory employment	Nil	Nil

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

→ Permanent Employees: 89.67%

→ Permanent Women Employees: 86.08%

→ Casual/Temporary/Contractual Employees: N/A

→ Employees with Disabilities: 90.77%

Principle 4

Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders?

→ Yes. The stake holders of the Bank include Government of India, Investors, Employees, Customers of the Bank, and also Vendors engaged by the Bank for various services/products.

❖ Shareholders are divided into different sub-categories, viz., Government, Foreign Institutional Investors/ Foreign Portfolio Investors, Banks, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, and others including Individuals.

❖ Customers are segmented into large corporate, mid-corporate, small and medium enterprises and retail customers. Dedicated branches provide service to these segments.

❖ Staff members.

2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?

→ Yes. The Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders as per Government of India guidelines.

3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so. :

→ The Bank has taken various initiatives to engage and extend its support and benefits to the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. Some of the initiatives taken by the Bank are as under:

❖ कर्मचारी

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों का कल्याण

बैंक सभी कर्मचारियों से जाति, पंथ और धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार की नीति का अनुसरण करता है। बैंक सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों को विशेष लाभ/सुविधाएं/सहायता प्रदान करता है।

(ii) दिव्यांग व्यक्ति (पीडबल्यूडी)

दिव्यांग जनों को सहजतापूर्वक कार्य करने हेतु उनके अनुरोध के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। वांछित स्थान पर उनके स्थानांतरण अनुरोध पर भी विचार किया गया है।

❖ ग्राहक

बैंक आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित ग्राहकों, छोटे किसानों और व्यापारियों, महिला समूहों आदि को विशेष ऋण योजना के अंतर्गत सूक्ष्म वित्त, लघु ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड आदि जैसी विशेष ऋण योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराता है। बैंक समाज के निम्न स्तर के लोगों को बैंकिंग धारा में लाने के लिए 'नो फ्रिल योजना' के अंतर्गत खाते खोलने की सुविधा प्रदान कर रहा है।

सिद्धांत 5

"कारोबार को मानवाधिकार को सम्मान और उसे बढ़ावा देना चाहिए"

1. क्या मानवाधिकार पर कंपनी की नीति के अंतर्गत केवल कंपनी आती है या इसका विस्तार समूह/ संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/अन्य तक भी है?

❖ मानवाधिकार संबंधित नीति केवल बैंक को ही कवर करती है। बैंक अपने कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और सम्मान करता है और कर्मचारी की राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, आयु, अक्षमता, सामाजिक और आर्थिक स्थिति या कानून द्वारा प्रतिबंधित अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है।

❖ यौन उत्पीड़न का निवारण

बैंक कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न पर प्रतिबंध लगाता है और कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और समाधान) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को बैंक द्वारा कार्यान्वित किया गया है। ऐसे मामलों को निपटाने के लिए बैंक द्वारा कॉरपोरेट कार्यालय और मण्डल कार्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है और इसके विवरण नियमित रूप से बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया है?

→ वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित 1 शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर मार्च, 2019 में कार्यवाही शुरु हुई, जो कि अभी प्रक्रियाधीन है।

सिद्धांत 6

कारोबार को पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण और उसकी बहाली के लिए प्रयास करने चाहिए

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति के अंतर्गत केवल कंपनी आती है या इसका विस्तार समूह/ संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/अन्य तक भी है?

❖ Employees

(i) Welfare of SC/ST Employees

The Bank practices policy of equal treatment to all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends special benefits/ facilities / assistance to the employees belonging to SC/ST category as per extant Government guidelines.

(ii) Persons with Disabilities (PWD)

The PWD staff members are provided with the equipments as per their request for their comfortable working. Their requests for transfer to place of choice are also considered.

❖ Customers

The Bank caters to the economically and socially underprivileged customers, small farmers and businessman, women groups, etc, by providing micro-finance, small loans, and credit under special credit schemes such as Kisan Credit Cards etc. The Bank is also providing facility of account opening under "No Frill Scheme" to the people of lower strata in the society to bring them under banking fold.

Principle 5

"Businesses should respect and promote human rights".

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?

❖ The HR related Policies cover the Bank only. The Bank respects and protects the rights of its employees and no discrimination is made based on nationality, religion, gender, age, disabilities, social and economic status of the employees or any other basis prohibited by the law.

❖ Prevention of Sexual Harassment

The Bank prohibits sexual harassment at work place and the provisions of "The Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, prohibition and redressal) Act 2013 has been implemented by the Bank. For addressing such issues, the Bank has constituted Internal Complaint Committees at the Corporate Office as well as at all the Circle Offices and the details are regularly uploaded on the Bank's website.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

→ The total number of complaints relating to sexual harassment received during FY 2018-19 was 1 and the complaint is under process as it was initiated in March 2019.

Principle 6

Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/others?

→ नीति बैंक को कवर करती है। बेहतर पर्यावरण के लिए अपना योगदान देने हेतु बैंक अपने दैनिक क्रियाकलापों में "ग्रीन प्रैक्टिस" को बढ़ावा देता है।

2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वॉर्मिंग आदि के लिए रणनीतिक उपाय हैं? हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वेबपेज आदि का हाइपर लिंक दें।

→ जी हां, बैंक ने पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित ऊर्जा, जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं, बैंक ने कॉरपोरेट कार्यालय, गुरूग्राम और भुवनेश्वर, पंचकूला तथा बठिंडा में बैंक की इमारतों पर सौर संयंत्र स्थापित किए हैं। अग्रतर, बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय और मानव संसाधन विकास संस्थान (मा.सं.वि.सं.) नोएडा में सौर स्ट्रीट लाइट प्रणाली लगाई है।

अग्रतर, बैंक पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए दैनिक कारोबारी गतिविधियों में "ग्रीन प्रैक्टिस" को प्रोत्साहित करता है जैसेः-

क) लागत में 50% की कमी लाने के लिए कागज के दोनों ओर मुद्रण किया जाता है। बैंक अपने दैनिक कामकाज में ई-दस्तावेज एवं ई-निविदा के सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है।

ख) केवल ऊर्जा संरक्षण डेस्कटॉप, प्रिंटर, सर्वर आदि खरीदे जाते हैं। बोली में भाग लेने वाले विक्रेता 6 स्टार अथवा समकक्ष ऊर्जा संरक्षण अनुपालक अर्थात् बीईई प्रमाणित होने चाहिए।

ग) बैंक ने दस्तावेजों को डिजीटल रूप में संरक्षित करने के लिए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन (डीएमएस) प्राप्त किया है।

घ) बिजली की खपत को कम करने के लिए बैंक एलईडी लाईटें और जहां संभव हो सेंसर आधारित लाइट कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग कर रहा है।

ड.) बैंक वैकल्पिक सेवा वितरण प्रणाली की उपलब्धता को बढ़ा रहा है और अपने ग्राहकों को इस प्रयोग हेतु प्रोत्साहित कर रहा है परिणामस्वरुप कागज की बचत होगी।

च) वीडियो एवं टेलिफोन कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके कारोबार संबंधी यात्राओं पर होने वाले खर्च को कम करना।

छ) अधिकतर संवाद ई-मेल द्वारा करने के लिए प्रोत्साहित करना।

ज) बड़े दस्तावेजों अर्थात् आंतरिक परिपत्र तथा विभिन्न समितियों की बैठकों की कार्यसूची को इलेक्ट्रॉनिक रूप में साझा करना अथवा उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराना।

झ) स्टाफ मामलों में एचआरएमएस का प्रयोग, जिसने कागज के प्रयोग को बड़ी मात्रा में कम कर दिया है।

ञ) बैंक ने टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं से मोबाइल कनेक्शन हेतु टाई-अप किया है, जिसके अंतर्गत समेकित बिल जनरेट किया जाता है, इससे बड़ी मात्रा में कागज के प्रयोग में कमी आएगी।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरण जोखिमों को समझती और इसका आकलन करती है? हां/नहीं

→ जी हां, हरित ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व, बैंक इन परियोजनाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों से सलाह करता है। (वित्तीय संस्था होने के नाते) बैंक के परिचालन से पर्यावरण को बहुत अधिक जोखिम नहीं होता है।

4. क्या कंपनी की स्वच्छता विकास प्रणाली संबंधी कोई परियोजना है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें। साथ ही, यदि हां तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है?

→ The Policy covers the Bank. Bank encourages "Green practices" in routine actions to contribute to a better environment:.

2. Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.

→ Yes. Various initiatives have been undertaken towards environment conservation such as for Green Energy, Bank has installed Solar Plant at Corporate Office, Gurugram and at Bank's building at Bhubaneswar , Panchkula and Bhatinda. Further, solar street lighting system is in place at the Bank's Corporate Office and Human Resource Development Institute (HRDI) Noida.

Further, Bank encourages "Green practices" in routine business activities to contribute towards environment conservation such as

a) Printing on both sides of the paper to reduce costs by 50%. Bank promotes the concept of using e-documents & e-tendering in its day-to-day working.

b) Buying only energy efficient desktop PCs, printers, servers etc. Vendors participating in bids need to be energy star 6 compliant or equivalent i.e. BEE certified.

c) Bank has procured Document Management Solution (DMS) for digitally storing of the documents.

d) Using LED lights and using sensor based light control systems wherever possible to minimise the usage of electricity.

e) Increasing availability of alternative service delivery channels and promoting its use by its customers leading to paper saving.

f) Efficient use of technology to cut down on business travel by relying on video and telephone conferencing.

g) Encouraging increased use of communication through e-mails.

h) Sharing of large documents electronically or making them available online e.g. internal circulars and agenda items of various committee meetings.

i) Use of HRMS portal for staff matters which has significantly reduced paper consumption.

j) Bank has made a corporate tie-up with Telecom Service Providers for Mobile connection under which one consolidated bill is generated which will drastically reduce use papers.

3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N

→ Yes, prior to implementation of project relating to green energy, the Bank consults with the specialists in the field for garnering maximum benefit from these projects. The operations of the Bank (being a financial institution) do not per se generate significant environmental risks.

4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance report is filed?

→ जी हां। बैंक ने स्वच्छता विकास के लिए उठाये कदम निम्नानुसार है।

क) सौर ऊर्जा संयंत्र हेतु, संस्थापना रिपोर्ट परियोजना अधिकारी, हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को भेज दी गई है।

ख) वेंडरों को ई-चैनलों के माध्यम से भुगतान किया गया है।

ग) बैंक ने पेपर-रहित बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न तकनीकी पहल की हैं जैसे- इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ए.टी.एम.।

घ) कैश जमा/ निकासी मशीनों के द्वारा पेपर-रहित लेनदेन के लिए ई-लॉबी स्थापित की गई हैं।

ङ) ग्राहकों को एटीएम पिन एटीएम अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जनरेट/रीसेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है अर्थात् मोबाइल एसएमएस द्वारा प्राप्त ओटीपी के द्वारा ग्रीन पिन जनरेट करना। बैंक ने एटीएम पिन को कागज द्वारा भेजना बंद कर दिया है।

च) बैंक ने मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ई-पासबुक को क्रियान्वित किया है साथ ही इसे प्रयोग करने को प्रोत्सहित कर रहा है।

छ) ग्राहकों को ऑनलाइन फिक्सड डिपोजिट खाते खोलने की सुविधा भी दी जा रही है तथा इसकी रसीद/ पावती को भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है।

ज) बैंक पेपरलैस लेनदेन के लिए बंच नोट एक्सेपटर/ रिसाइक्लर्स लगा रहा है और साथ ही इनका प्रयोग करने के लिए भी प्रेरित कर रहा है।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छता तकनीकी, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरण ऊर्जा आदि से संबंधित कोई पहल की है। हां / नहीं । यदि हां तो वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

→ जी हां। ऊर्जा संरक्षण के उपाय के रूप में बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय, गुरुग्राम, प्रशासनिक कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों में एलईडी लाईट लगाई गई हैं। अग्रतर, महानगरीय शाखाओं में एलईडी आधारित साइनेज लगाए गए हैं। बैंक अपने कंप्यूटर हार्डवेयर को भी रिसाइक्लेबल ई-कचरे के रूप में ग्रीन प्रमाणित वेंडरों अर्थात् आरओएचएस (संकटजनक पदार्थों के प्रतिबंध) अनुपालक वेंडरों के माध्यम से डिस्पोज भी कर रहा है ।

6. क्या कंपनी का प्रदूषण/कचरा रिपोर्ट से संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा तय की गई अनुमत्य सीमा के अंदर है ?

→ बैंक एक सेवा आधारित संगठन है अतः लागू नहीं है ।

7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त लंबित कारण बताओ /कानूनी नोटिसों की संख्या (अर्थात्; जिनका संतोषजनक समाधान नहीं किया गया)।

→ शून्य

सिद्धांत 7

कारोबार, जब जनसामान्य एवं नियामक नीति को प्रभावित करते हैं तो उन्हें यह कार्य जिम्मेदारी से करना चाहिए।

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार एवं चैंबर अथवा संघ की सदस्य है? यदि हां, तो केवल उन प्रमुख संस्थाओं का नाम बताएं जिनसे आपका कारोबार संबंधित है।

   जी हां। बैंक निम्न का सदस्य हैः-

→ Yes. Inititatives taken by Bank for Clean Development are as follows:

a) For solar energy plant, installation report has been submitted to Project Officer, Haryana Renewable Energy Development Agency.

b) Payments to vendors are made through e-channels.

c) Bank has undertaken various technological initiatives to promote paperless banking e.g. internet banking, mobile banking, ATMs.

d) E-lobbies are established for paperless transactions through Cash Deposit/ Dispenser machines.

e) Customers are encouraged to generate/ reset ATM PIN through ATMs or Internet Banking i.e. Green Pin generation using OTP as Mobile SMS. Bank has stopped sending of ATM PIN through paper mode.

f) Bank has implemented e-passbook through Mobile Banking and also encouraging usage of the same.

g) Customers are also being provided the facility of opening fixed deposits online and the receipt/acknowledgement of the same is also being made available online.

h) Bank is installing Bunch Note Acceptor/Recyclers and also promoting usage of the same for paperless transactions.

5. Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.

→ Yes. As energy saving measure, LED lights are installed at the Bank's Corporate Office at Gurugram, administrative offices and branch offices. Further LED based signage is provided to metro branches. The Bank is also disposing off its computer hardware as recyclable e-waste to green certified vendors i.e. RoHS (Restriction of Hazardous Substance) compliant only.

6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

→ The Bank being a service based organization, hence not applicable.

7. Number of show cause / legal notices received from CPCB/ SPCB which is pending (i.e. not resolved to satisfaction) as at the end of Financial Year.:

→ Nil

Principle 7

Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:

   Yes. The Bank is member of:

1) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) : इसका गठन बेहतर एवं प्रगतिशील बैंकिंग सिद्धांत, व्यवहार तथा परम्परा को प्रोत्साहित और विकसित करने के लिए एवं सदस्य बैंकों को सहायता प्रदान करने के साथ-साथ भारत में बैंकिंग के विकास के लिए किया गया है। अन्य उद्देश्यों के साथ ही यह बैंकों तथा बैंकिंग उद्योगों की प्रक्रियागत, विधिक, तकनीकी, प्रशासनिक अथवा व्यावसायिक समस्याओं एवं व्यवहारों के संबंध में समन्वय तथा सहयोग करता है ।

2) भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और भारतीय व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए): यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, प्राथमिक डीलरों एवं बीमा कंपनियों का एक संघ है। यह संघ नियत आय लिखतों, मुद्रा बाजार लिखतों तथा व्युत्पन्नों में लेनदेन के हितों की बेहतरी और इन्हें नियमित करने के लिए कार्य करता है। यह नए उत्पादों एवं व्यवहारों की शुरूआत करने के साथ-साथ, सदस्यों के अनुपालन हेतु स्वस्थ कारोबारी व्यवहार, नैतिक आचार संहिता, मानक सिद्धांत एवं व्यवहारों की अनुशंसा और क्रियान्वयन भी करता है।

3) भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (एफईडीएआई) : यह भारत में विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने वाले बैंकों (अधिकृत डीलरों-एडी) का संघ है, जो स्वयं नियामक संस्था है। इसका प्रमुख कार्य बैंकों एवं जनसामान्य के बीच अंतर-बैंक विदेशी आचरण को शासित करने वाले नियम बनाना और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सुधार और विकास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समन्वय स्थापित करना है। एफईडीएआई भारतीय रिजर्व बैंक, एफआईएमएमडीए, भारतीय विदेशी विनिमय संघ तथा विभिन्न बाजार प्रतिभागियों जैसे अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ समन्वय के द्वारा बाजार के क्रियाकलापों के सुगम संचालन में प्रेरक की भूमिका निभाता है।

2. क्या आपने जनसामान्य के हितों में वृद्धि अथवा विकास के लिए उपरोक्त संगठनों के माध्यम से वकालत/पैरवी की है ? हां/नहीं। यदि हां, तो इसे विस्तार से बताएं (ड्रॉप बॉक्सः अभिशासन एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समन्वित विकास नीति, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, धारणीय कारोबार सिद्धान्त, अन्य) ।

सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के नाते बैंक नीति निर्माताओं एवं नीतियों का विकास करने वाले नियामकों, जो बैंकिंग उद्योग की कार्यशैली एवं विनियमों का नियमन करते हैं, के समन्वय से कार्य करते हुए वित्तीय समावेशन के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। बैंक का प्रबंधन नियमित रूप से अपने विचार रखता है तथा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर नियामकों और नीति निर्माताओं को अपना इनपुट देता है। अग्रतर, बैंक भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी द्वारा जारी आर्थिक एवं सामाजिक विकास और साथ-ही देश का धारणीय व संपार्श्विक विकास सुनिश्चित करने संबंधी सभी निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन करता है।

सिद्धांत 8

"कारोबार को अंतर्वेशी वृद्धि एवं संपार्श्विक विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए"

1. क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 के संबंध में नीति को लागू करने के लिए कार्यक्रम /पहल/परियोजनाएं विनिर्दिष्ट की हैं ? यदि हां तो उनका विवरण दें।

→ जी हां। बैंक ने अंतर्वेशी वृद्धि एवं संपार्श्विक विकास के लिए कई पहलें की हैं/परियोजनाएं चलाई हैं। जिनमें से कुछ का विवरण निम्नानुसार हैः-

1) Indian Banks' Association (IBA): It is formed with the objective of promoting and developing sound and progressive banking principles, practices and conventions and to contribute to the developments of banking in India besides rendering assistance to member banks. Besides other objectives, it also organizes co-ordination and co-operation on procedural, legal, technical, administrative or professional problems and practices of banks and the banking industry.

2) Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA): It is an association of Scheduled Commercial Banks, Public Financial Institutions, Primary Dealers and Insurance Companies. The association works to further the interests of and regulate the dealings in fixed Income instruments, money market instruments and derivatives. It also recommends and implements healthy business practices, ethical code of conduct, standard principles and practices to be followed by members, besides facilitating introduction of new products and practices.

3) Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI): It an Association of banks dealing in foreign exchange in India (Authorised Dealers - ADs) as a self regulatory body. Its major activities include framing of rules governing the conduct of inter-bank foreign exchange business among banks vis-à-vis public and liaison with RBI for reforms and development of forex market. FEDAI plays a catalytic role for smooth functioning of the markets through closer co-ordination with the RBI, other organizations like FIMMDA, the Forex Association of India and various market participants.

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others):

The Bank being a Public Sector Bank works in coordination with policy makers and regulators in evolving policies that govern the functioning and regulation of the Banking industry and contributes actively towards the objective of Financial Inclusion. The Management of the Bank regularly places its concerns and gives inputs to the regulators and policy makers on various economic and financial issues impacting the economy. Further, the Bank adheres to all the directions / guidelines issued by the Government of India and Reserve Bank of India, SEBI relating to promotion of economic and social objectives as well as for ensuring sustainable and equitable development of the country.

Principle 8

"Businesses should support inclusive growth and equitable development"

1. Does the company have specified programmes/initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof. :

→ Yes. The Bank has taken various initiatives / projects to support inclusive growth and equitable development. Some of them are detailed hereunder:

i) भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय समावेशन

बैंक ने बैंक-विहीन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता को किफायती दरों पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने और अंतर्वेशी वृद्धि के लिए इन्हें अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए वित्तीय समावेशन परियोजना को लागू किया है। बैंक ने ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष उत्पाद, जैसे बचत-सह-अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधा, आवर्ती जमा, ओरियन्टल ग्रीन कार्ड, जनरल क्रेडिट कार्ड एवं कम लागत किश्तों पर बीमा उत्पाद, तैयार किए हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न मॉड्यूल जैसे पीओएस आधारित बीसी मॉडल, किओस्क बैंकिंग मॉडल एवं पारंपरिक शाखा मॉडल लागू किए गए हैं। अभी तक हुई प्रगति निम्नानुसार हैः-

हमारे बैंक ने आबंटित 1600 सर्व शिक्षा अभियान में से 1228 कारोबार प्रतिनिधियों की सहायता से ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में 1228 सर्व शिक्षा अभियान को शामिल कर लिया है, 372 सर्व शिक्षा अभियानों को शाखाओं द्वारा शामिल किया गया है और 14 कारोबार प्रतिनिधियों को शहरी क्षेत्रों में लगाया गया है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना

वित्तीय समावेशन की पहल के तहत, भारत सरकार ने 28 अगस्त, 2014 को प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) लागू की थी। प्रधान मंत्री जन धन योजना एक समेकित वित्तीय समावेशन योजना है जिसमें वित्तीय समावेशन को अधिक सार्थक बनाने के लिए इसका दायरा विस्तृत किया गया है। प्रधान मंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय अभियान है। यह योजना उन्हें बैंकिंग एवं ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराती है साथ ही यह उन्हें वित्त-पोषण के अनौपचारिक स्रोतों से निधियां प्राप्त करने की आदत से मुक्ति दिलाने में भी मदद करती है।

योजना का प्रथम चरण सभी परिवारों के खाते खोलना तथा ₹100000/- का दुर्घटना बीमा सुरक्षा के लिए समर्थ बनाने के लिए रूपे डेबिट कार्ड प्रदान करना था। अग्रतर, प्रत्येक खाताधारक खाते का छह माह तक संतोषजनक परिचालन करने पर ₹5000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पाने के लिए पात्र है। जिन ग्राहकों ने 15.08.2014 से 31.05.2015 के बीच खाते खुलवाएं हैं, वे भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से ₹30000/- का अतिरिक्त मियादी बीमा प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 09 मई, 2015 को जन सुरक्षा योजना भी लागू की थी, जिसके द्वारा कम प्रीमियम पर बीमा उत्पाद जैसे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई तथा अटल पेंशन योजना लागू की गई थीं।

भारत सरकार ने, खाते खोलने के अपने लक्ष्य को "प्रत्येक परिवार" से "प्रत्येक व्यस्क" तक परिवर्तित करते हुए 28.08.2018 के बाद भी प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) नामक वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय अभियान को जारी रखने का निर्णय लिया है । 28.08.2018 के बाद खुले पीएमजेडीवाई खातों के लिए नए रुपे कार्डधारकों हेतु दुर्घटना बीमा कवर ₹1.00 लाख से बढ़ाकर ₹2.00 लाख कर दिया गया है तथा पीएमजेडीवाई खाताधारकों के लिए मौजूदा ओवरड्राफ्ट सुविधा ₹5000/- से बढ़ाकर ₹10000/- कर दी गई है ।

बैंक ने 16.08.2014 से 31.03.2019 तक पीएमजेडीवाई के अन्तर्गत रु. 4012.74 करोड़ की जमाराशियों के साथ 48.83 लाख खाते खोले हैं।

ii) वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमः

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक / आईबीए द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार वित्तीय साक्षरता प्रसार कार्यक्रम चला रहा है। वित्तीय साक्षरता अभियान निम्न प्रमुख दृष्टिकोणों के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर चलाया जा रहा हैः

i) Financial Inclusion under various Schemes of Govt. of India

Bank has implemented financial inclusion project to provide banking service in unbanked rural areas with affordable cost to the rural masses and cover them in main economical stream for inclusive growth. The Bank has devised special products such as saving cum inbuilt overdraft facility, recurring deposit, oriental green card, General credit Card and insurance product with low cost premium to cater to the needs of rural masses. Various modules have been implemented for providing the banking services in rural and urban areas such as POS based BC model, Kiosk banking model and Brick and Mortar branches model. The Progress made so far is as under:

Out of 1600 SSAs allocated to our bank, 1228 SSAs have been covered by engaging 1228 BCAs in rural & semi-urban areas, 372 SSAs have been covered by branches and 14 BCAs have been engaged in urban areas.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana

Under the initiative of Financial Inclusion, the Government of India launched 'Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana' (PMJDY) on 28th August, 2014. PMJDY is a comprehensive financial inclusion plan wherein the ambit of financial inclusion is enlarged to make it more meaningful. PMJDY is a National Mission for Financial Inclusion. The Scheme enables them to access banking and credit facilities while also helping them in coming out of the habit of raising funds from informal sources of finances.

The first step of the scheme was to open account of every household, and provide RuPay Debit Card to make them eligible for ₹100000/- accidental insurance cover. Further, every account holder is eligible for an overdraft facility up to ₹5000/- on satisfactory conduct of account for six months. Customers who have opened accounts under the scheme between 15.08.2014 to 31.01.2015 are eligible for additional term insurance of ₹30000/- from LIC. Further, Govt. of India also launched Jan Suraksha Yojana on 9th May 2015, through which low premium insurance product like PMJJBY, PMSBY and Atal Pension Yojana were introduced.

Government has decided to continue the National Mission on Financial Inclusion namely Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) beyond 28.08.2018, with the change in focus of opening of accounts from 'every household' to 'every adult'. Accidental insurance cover for new RuPay card holders has been raised from ₹1 lakh to ₹2 lakh to new PMJDY accounts opened after 28.08.2018 and existing overdraft limit to PMJDY account holders of ₹5000/- has been raised to ₹10000/-.

The Bank has opened 48.83 lakh accounts from 16.08.2014 upto 31.03.2019 under PMJDY with deposit of ₹4012.74 crores.

ii) Financial Literacy Programme:

The Bank is undertaking Financial Literacy dissemination Programme as per guidelines issued by RBI/IBA. The financial literacy campaign is being taken on priority basis as per following key approaches:

क) वित्तीय साक्षरता को वित्तीय साक्षरता सामग्री के माध्यम से बीसी नेटवर्क / शाखाओं द्वारा प्रसारित किया जा रहा है।

ख) वित्तीय साक्षरता शिविरों में भारतीय बैंक संघ द्वारा वित्तीय साक्षरता पर उपलब्ध कराई गई फिल्में भी दिखाई जा रही हैं।

ग) हमारे बैंक मित्र विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं कौशल विकास केन्द्रों में वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

घ) गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्यों में वित्तीय साक्षरता सामग्री स्थानीय भाषाओं में मुद्रित और वितरित की गई है।

iii) विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना :

क) प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) : 31.03.2019 को 38.45 लाख आवेदन प्राप्त किए गए और ₹ 461.34 लाख का प्रीमियम एकत्रित किया गया है ।

ख) प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) : 31.03.2019 को 707555 आवेदन प्राप्त किए गए और ₹ 2334.93 लाख का प्रीमियम एकत्रित किया गया है ।

ग) अटल पेंशन योजना (एपीवाई) : 31.03.2019 को कुल 292451 आवेदन प्राप्त किए गए हैं।

iv) कमजोर वर्ग को ऋण :

बैंक एससी/एसटी, महिला लाभार्थियों और अल्पसंख्यक समुदायों को सूक्ष्म ऋण प्रदान कर रहा है। ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ग्रामीण विकास ट्रस्ट (ओबीसीआरडीटी) के माध्यम से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत बैंक ग्रामीण / अर्ध-शहरी इलाकों में कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

2. क्या ये कार्यक्रम / परियोजनाएं अपनी टीम/ अपने फाउंडेशन/ बाहरी गैर-सरकारी संगठन/ सरकारी संघटनों / किसी अन्य संगठन द्वारा चलाये जा रहे हैं ?

→ वित्तीय समावेशन परियोजनाएं अपनी टीम और साथ ही बीसी द्वारा भी चलाई गई हैं। बैंक के पास कॉरपोरेट कार्यालय में महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एग्रीबिजनेस और एफआई के नाम से एक अलग वित्तीय समावेशन प्रभाग है। सामुदायिक विकास परियोजनाओं में सीधे योगदान के लिए बैंक ने "ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ग्रामीण विकास ट्रस्ट" भी स्थापित किया है। ओबीसीआरडी ट्रस्ट विभिन्न प्रकार के वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

3. क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई आकलन किया है?

→ जी हाँ, प्रमुख बातें इस प्रकार हैं -

❖ बैंक श्रीगंगानगर, जयपुर, फिरोजपुर, देहरादून और पलवल में कार्यरत पांच ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के जरिए बेरोजगार युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

❖ बैंक ग्रामीण बेरोजगार युवाओं और गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि उन्हें स्व-रोजगार प्राप्त करने और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाया जा सके। ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रदान किया गया प्रशिक्षण बेरोजगार व्यक्तियों के लिए व्यावहारिक रूप से उपयोगी है । सभी पांच आरएसईटीआई ने शुरुआत से अब तक 1160 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की और 30467 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया।

a) Financial literacy is being disseminated through BC network/ branches by using financial literacy material.

b) Films on financial literacy provided by IBA are also being shown in financial literacy camps.

c) Our Bank Mitras are imparting training on financial literacy in the schools, colleges and skill development centres.

d) The financial literacy material have been printed and distributed in local languages in the states of Gujarat, Maharshtra and Madhya Pradesh.

iii) Special Social Security Scheme:

a. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY): As on 31.03.2019 a total number of 38.45 lakh applications have been sourced and premium of ₹461.34 lakh has been collected.

b. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY): As on 31.03.2019 a total number of 707555 applications have been sourced and premium of ₹2334.93 lakh has been collected.

c. Atal Pension Yojana (APY): As on 31.03.2019 a total number of 292451 applications have been sourced.

iv) Credit to Weaker Sections:

The Bank is extending Micro Credit, Credit to SC/ST, women beneficiaries and Minority communities. Bank is also promoting welfare in rural/ Semi-urban areas as a part of Corporate Social Responsibility (CSR) through Oriental Bank of Commerce Rural Development Trust (OBCRDT).

2. Are the programmes / projects undertaken through in-house team / own foundation / external NGO/government structures / any other organization?

→ The financial inclusion projects have been undertaken with the help of an in-house team and also through BCs. The Bank has a separate Financial Inclusion Division under the name of Agribusiness & FI at Corporate Office headed by a General Manager. The Bank has also set up "Oriental Bank of Commerce Rural Development Trust" for direct contribution to community development projects. OBCRD Trust is conducting various types of financial literacy programmes.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

→ Yes. The major deliverables are:

❖ The Bank is providing free of cost training to unemployed youth through five Rural Self Employment Training Institutes (RSETI) working at Sriganganagar, Jaipur, Ferozpur, Dehradun and Palwal.

❖ The Bank imparts training to rural unemployed youth and persons from BPL category by way of training programmes to enable them to get self employed and earn their own livelihood. The training extended to rural unemployed youth is of practical use for unemployed persons. Since inception all five RSETIs have arranged 1160 training programmes training 30467 candidates.

❖ बैंक 13 वित्तीय साक्षरता परामर्श केंद्र संचालित कर रहा है, जिनमें संरचित वित्तीय साक्षरता का प्रसार किया जा रहा है। ये एफएलसी बैंकिंग से संबंधित वित्तीय मुद्दों पर आमने-सामने परामर्श प्रदान कर रहे हैं जैसे "नो फ्रिल" खाता, अन्य जमा खाते, उधार खाते खोलना और निवारक परामर्श आदि। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एफएलसी द्वारा आयोजित सेमिनार में कुल 56,834 व्यक्तियों ने भाग लिया ।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है ? चलाई गई परियोजनाओं का विवरण और राशि रूपये में बताएं ।

→ सामुदायिक विकास कार्यक्रम में बैंक का योगदान ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ग्रामीण विकास संस्थान (ओबीसीआरडीटी) के माध्यम से किया गया है।

"ओबीसीआरडीटी" का मूल उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने और उन्हें स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में सहायता करना है, जिससे एकीकृत तरीके से विकास होगा, और जिसमें मानव संसाधन विकास, आर्थिक विकास और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास शामिल होगा।

5. इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या आपने कोई कदम उठाए हैं? कृपया इसे लगभग 50 शब्दों में बताएं।

→ जी हाँ, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ओबीसीआरडीटी पहल के अंतर्गत आयोजित 137 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का 3412 व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाया गया। ग्रामीण बेरोजगार युवाओं से प्राप्त प्रतिक्रिया से पता चलता है कि इस समुदाय ने पहल को अच्छी तरह से अपनाया है।

सिद्धांत 9

"व्यवसायों को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना और उन्हें महत्व प्रदान करना चाहिए"

1. वित्तीय वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायत / उपभोक्ता मामले लंबित हैं :

→ 31.03.2018 की 137 शिकायतों की तुलना में 31.03.2019 को कुल 16604 ग्राहकों की शिकायतों में से 0.35% लम्बित थीं । आज तक केवल नौ शिकायतें लम्बित हैं तथा उन्हें यथाशीघ्र निपटाने का प्रयास किया जा रहा है ।

2. क्या कंपनी स्थानीय नियमों के मुताबिक अनिवार्य रूप से उत्पाद लेबल पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? हां/नहीं /लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)

→ जी हां। बैंक द्वारा प्रदत्त उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी शाखाओं में पुस्तिकाएं और ब्रोशर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है और बैंक की वेबसाइट पर भी इन्हें उपलब्ध कराया गया है।

3. किसी भी हितधारक द्वारा क्या पिछले पांच सालों के दौरान अनुचित व्यापार पद्धतियों, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के संबंध में कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत तक ऐसे कितने मामले लंबित है। यदि हां, तो इसके बारे में लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रदान करें।

→ शून्य ।

4. क्या आपकी कंपनी ने किसी उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि विचार धाराओं का परीक्षण किया है?

❖ The Bank is operating 13 Financial Literacy Counseling Centers wherein structured financial literacy is being spread. These FLCs are providing face to face counseling on financial issues related to banking such as opening of "No Frill" accounts, other deposit accounts, borrowal accounts and preventive counseling etc. In all 56,834 persons attended the seminars conducted by FLCs during F.Y 2018-19.

4. What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken?

→ The Bank's contribution to community development program has been through Oriental Bank of Commerce Rural Development Trust (OBCRDT).

The basic object of "OBCRDT" is to impart training to unemployed youth and assisting them in settling their own business, which will result in development in an integrated manner, and includes Human Resource Development, Economic Development & other infrastructure development.

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

→ Yes. Under OBCRDT initiative 3412 persons were benefitted from 137 training programmes conducted during the Financial Year 2018-19.The response being received from rural unemployed youth shows that the community has adopted the initiative well.

Principle 9

"Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner"

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year. :

→ 0.35% (58) of the total 16604 customer complaints was pending as on 31.03.2019 as compared to 137 complaints as on 31.03.2018. Only nine complaints are pending as on date and endeavour is being made to redress the same at the earliest.

2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/ No/N.A. /Remarks(additional information)

→ Yes. The information about the products and services offered by the Bank are made available in the branches through pamphlets and brochures and is also made available at the Bank's website.

3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/ or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

→ Nil

4. Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?

→ बैंक एक ग्राहक केंद्रित संगठन है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी ग्राहक शिकायतों और परिवादों का यथासंभव प्रभावी और दक्षतापूर्वक निपटान हो । मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा बैंक की कार्यप्रणाली का एक अभिन्न अंग है जो ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाने में मदद करती है। साथ ही, बैंक के शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने, ग्राहक के विश्वास को बढ़ाने और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार इसे पारदर्शी बनाने और त्वरित समाधान के उद्देश्य से बैंक द्वारा आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, बैंक, अपनी वेबसाइट के माध्यम से ग्राहकों से प्राप्त प्रश्नों और सुझावों की निगरानी करता है और प्राप्त प्रश्नों का त्वरित उत्तर देता है और बैंक के ग्राहकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करता है।

→ The Bank is a customer centric organization and ensures that all customer grievances and complaints are handled as efficiently and effectively as possible. The review of existing systems & procedures is an integral part of Bank's functioning which helps in further enhancement of the customer service. Also, to strengthen the grievance redressal mechanism of the Bank, the Internal Ombudsman has been appointed by the Bank with the objective of enhancing customer confidence and providing transparent and speedy redressal of the same. Further, the Bank monitors the queries and suggestions, received from the constituents on the Bank's website and gives prompt response to the queries received and ensures instant solutions are provided to the problems faced by the customers of the Bank. Based on the feedback of the customers, the Bank is regularly improvising its services and grievances redressal mechanism.

31 मार्च, 2019 का तुलन - पत्र

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2019

(₹000 छोड़ा गया / (₹ 000s omitted)

	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2019 को As on 31.03.2019 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2018 को As on 31.03.2018 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
पूंजी और देयताएं / CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	1370,20,93	632,76,75
आरक्षित एवं अतिरिक्त निधि / Reserves & Surplus	2	17531,03,42	11153,98,94
निक्षेप / Deposits	3	232645,37,76	207346,06,44
उधार / Borrowings	4	14119,36,71	9694,05,65
अन्य देयताएं और प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	6243,57,79	4517,16,58
कुल / Total		**271909,56,61**	**233344,04,36**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष / Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	11193,88,20	12254,84,01
बैंकों में अधिशेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि / Balances with Banks and Money at Call & Short Notice	7	5282,20,48	1426,59,15
निवेश / Investments	8	79267,82,19	69902,27,40
अग्रिम / Advances	9	159284,81,35	136367,87,29
स्थायी आस्तियां / Fixed Assets	10	2589,27,22	2549,62,76
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	14291,57,17	10842,83,75
कुल / Total		**271909,56,61**	**233344,04,36**
आकस्मिक देयताए / Contingent Liabilities	12	34856,50,24	37845,04,48
संग्रहण हेतु बिल / Bills for Collection		11484,86,05	12114,11,18
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां / Significant Accounting Policies	17		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां / Notes to Accounts	18		

उपर्युक्त अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न भाग हैं /
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

प्रवीण कुमार शर्मा / Praveen Kumar Sharma
उप महाप्रबंधक (लेखा) / Dy.General Manager(Accounts)

महेश धवन / Mahesh Dhawan
महाप्रबंधक (लेखा) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी / General Manager (Accounts) & CFO

निदेशक / Directors

(प्रशांत गोयल)/(Prashant Goyal) (एस. एम. नरसिम्हा स्वामी)/(S. M. Narasimha Swamy) (संजय कपूर)/(Sanjay Kapoor)

हमारी सम दिनांकित संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में / As per our Report of even date attached.

कृते बी. सी. जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN 001099C

For B C Jain & Co.
Chartered Accountants
FRN 001099C

(पूजा जैन)
भागीदार
एम. सं. 406783

(Pooja Jain)
Partner
M.No. 406783

एस. एन. धवन एण्ड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
FRN 000050N/N500045

For S N Dhawan & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN 000050N/N500045

(एस. के. खट्टर)
भागीदार
एम. सं. 084993

(S.K. Khattar)
Partner
M.No. 084993

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 13 मई, 2019

Place : Gurugram
Date : 13th May, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2019

(₹000 छोड़ा गया / (₹ 000s omitted)

		अनुसूची सं. / Schedule No.	31.03.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2019 (चालू वर्ष)/(Current Year)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018 (पिछले वर्ष)/(Previous Year)
I.	**आय / INCOME**			
	अर्जित आय / Interest Earned	13	17867,68,79	17388,88,91
	अन्य आय / Other Income	14	2669,08,42	2792,36,18
	कुल / Total		**20536,77,21**	**20181,25,09**
II.	**व्यय / EXPENDITURE**			
	अपचित ब्याज / Interest Expended	15	12369,57,05	12888,13,05
	परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	4413,43,55	3589,94,67
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and Contingencies		3698,77,23	9574,91,74
	कुल / Total		**20481,77,83**	**26052,99,46**
III.	**वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि) / NET PROFIT/ (LOSS) FOR THE YEAR**		**54,99,38**	**(5871,74,37)**
	जोड़ेः आगे लाया गया लाभ / **Add:** Brought Forward Profit/(Loss)		(5871,74,37)	0
	कुल / Total		(5816,74,99)	(5871,74,37)
IV.	**विनियोजन / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Statutory Reserves		13,74,85	0
	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Revenue & Other Reserves		0	0
	विनिधान आरक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Investment Reserve Account		0	0
	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि खाते में अंतरण / Transfer to Investment Fluctuation Reserve Account		10,19,72	0
	विशेष आरक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Special Reserves		0	0
	पूंजी आरक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Capital Reserves		31,04,81	0
	प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		0	0
	लाभांश पर कर / Tax on Dividend		0	0
	तुलन-पत्र में ले जाया गया अधिशेष / Balance Carried over to Balance Sheet		(5871,74,37)	(5871,74,37)
	कुल / Total		**(5816,74,99)**	**(5871,74,37)**
	प्रति शेयर अर्जन / Earnings Per Share			
	मूल और ह्रासित (₹ में) / Basic & Diluted (In ₹)		**0.77**	**(168.09)**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां / Significant Accounting Policies	17		
	लेखा संबंधी टिप्पणियां / Notes to Accounts	18		
	उपर्युक्त अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न भाग हैं / Schedules referred to above form an integral part of Profit & Loss Account			

बालकृष्ण अल्से एस. / Balakrishna Alse S.
कार्यकारी निदेशक / Executive Director

मुकेश कुमार जैन / Mukesh Kumar Jain
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी / Managing Director & Chief Executive Officer

निदेशक / Directors

(देश दीपक खेत्रपाल)/(Desh Deepak Khetrapal) (अशोक कुमार शर्मा)/(Ashok Kumar Sharma) (एम.एम. एल. वर्मा)/(M. M. L. Verma)

हमारी सम दिनांकित संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में / As per our Report of even date attached.

कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FRN 000346N

For S P Chopra & Co
Chartered Accountants
FRN 000346N

(पवन के. गुप्ता)
भागीदार
एम. सं. 092529

(Pawan K. Gupta)
Partner
M.No. 092529

कृते बत्रा दीपक एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN 005408C

For Batra Deepak & Associates
Chartered Accountants
FRN 005408C

(कपिल कुमार भागीरथ)
भागीदार
एम. सं. 095639

(Kapil Kumar Bhagirath)
Partner
M.No. 095639

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 13 मई, 2019

Place : Gurugram
Date : 13th May, 2019

(₹ 000 छोड़े गए/ ₹ 000s omitted)

विवरण Particulars	31.03.2019 को (चालू वर्ष) As on 31.03.2019 (Current Year)	31.03.2018 को (पिछला वर्ष) As on 31.03.2018 (Previous Year)

अनुसूची 1 / SCHEDULE 1

पूंजी / CAPITAL

"अधिकृत पूंजी ₹10/- प्रत्येक के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹10/- प्रत्येक के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर)" AUTHORISED CAPITAL 300,00,00,000 equity shares of ₹10 each (Previous Year 300,00,00,000 equity shares of ₹10 each)	**3000,00,00**	**3000,00,00**
निर्गमित, अभिदत्त तथा चुकता पूंजी / ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP CAPITAL	1370,20,93	632,76,75
₹10/- प्रति शेयर के 137,02,09,321 (पिछले वर्ष 63,27,67,525) इक्विटी शेयर [केन्द्र सरकार द्वारा धारित 1,19,99,89,370 (पिछले वर्ष 48,86,79,067) सहित] 137,02,09,321 (Previous Year 63,27,67,525) equity shares of ₹10/- each [Includes 1,19,99,89,370 (Previous year 48,86,79,067) held by the Central Govt].		
कुल / Total	**1370,20,93**	**632,76,75**

अनुसूची 2 / SCHEDULE 2

आरक्षित एवं अतिरिक्त निधि / RESERVES & SURPLUS

I.	**सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVES**				
	अथशेष / Opening Balance	3463,00,00		3463,00,00	
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	13,74,85		0	
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	**3476,74,85**	0	**3463,00,00**
II.	**पूंजी आरक्षित निधि / CAPITAL RESERVES**				
	क) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / a) Revaluation Reserve				
	अथशेष / Opening Balance	1404,62,34		1448,42,59	
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	128,94,22		0	
	वर्ष के दौरान कटौतियां (संपत्ति के पूर्नमूल्यांकित भाग और पूर्नमूल्यांकित आस्ति की बिक्री के कारण उत्क्रमण पर मूल्यह्रास) / Deductions during the year(being depreciation on revalued portion of property & reversals on account of sale of revalued assets)	32,25,20	**1501,31,36**	43,80,25	**1404,62,34**
	ख) अन्य / b) Others				
	अथशेष / Opening Balance	590,44,75		590,44,75	
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	31,04,81		0	
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	**621,49,56**	0	**590,44,75**
	कुल (क+ख) / Total(a+b)		**2122,80,92**		**1995,07,09**

(₹ 000 छोड़े गए/ ₹ 000s omitted)

	विवरण Particulars			31.03.2019 को (चालू वर्ष) As on 31.03.2019 (Current Year)	31.03.2018 को (पिछला वर्ष) As on 31.03.2018 (Previous Year)
III.	**शेयर प्रीमियम / SHARE PREMIUM**				
	अथशेष / Opening Balance	7271,87,28		3987,46,99	
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year *	6198,55,82		3284,40,29	
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	**13470,43,10**	0	**7271,87,28**
IV.	**राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां / REVENUE & OTHER RESERVES**				
	क) राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां / a) Revenue & Other Reserves				
	अथशेष / Opening Balance	2710,78,94		2700,85,12	
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	26,80,26		9,93,82	
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	**2737,59,20**	0	**2710,78,94**
	ख) निवेश आरक्षित निधि लेखा/b) Investment Reserve Account				
	अथशेष / Opening Balance	0		0	
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	0		0	
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	**0**	0	**0**
	ग) आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि c) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of I-T Act				
	अथशेष / Opening Balance	1585,00,00		1585,00,00	
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	0		0	
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	**1585,00,00**	0	**1585,00,00**
	घ) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि d) Investment Fluctuation Reserve				
	अथशेष / Opening Balance	0		0	
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	10,19,72		0	
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	**10,19,72**	0	**0**
	कुल (क+ख+ग) / Total (a+b+c+d)		**4332,78,92**		**4295,78,94**
V.	**लाभ एवं हानि खाते में अथशेष / BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT**		**(5871,74,37)**		**(5871,74,37)**
	कुल (I,II,III,IV एवं V) / TOTAL (I, II, III, IV & V)		**17531,03,42**		**11153,98,94**

* (*अनुसूची-18 के नोट 18.1.2 का संदर्भ लें /Refer note no. 18.1.2 of Schedule 18)

(₹ 000 छोड़े गए/ ₹ 000s omitted)

विवरण Particulars	31.03.2019 को (चालू वर्ष) As on 31.03.2019 (Current Year)	31.03.2018 को (पिछला वर्ष) As on 31.03.2018 (Previous Year)

अनुसूची 3 / SCHEDULE 3

निक्षेप / DEPOSITS

क/A I. मांग निक्षेप / Demand Deposits		
i) बैंकों से / From Banks	23,70,76	18,33,73
ii) अन्यों से / From Others	14237,37,74	13791,56,26
	14261,08,50	**13809,89,99**
II. बचत बैंक निक्षेप / Saving Banks Deposits	**54125,88,80**	**51887,26,18**
III. आवधिक निक्षेप / Term Deposits		
i) बैंकों से / From Banks	65,50,65	54,48,26
ii) अन्यों से / From Others	164192,89,81	141594,42,01
	164258,40,46	**141648,90,27**
कुल (I, II एवं III) / Total (I, II & III)	**232645,37,76**	**207346,06,44**
ख/B i) भारत में शाखाओं का निक्षेप / Deposits of Branches in India	232645,37,76	207346,06,44
ii) भारत से बाहर शाखाओं का निक्षेप / Deposits of Branches outside India	0	0
कुल / Total	**232645,37,76**	**207346,06,44**

अनुसूची 4 / SCHEDULE 4

उधार / BORROWINGS

I. भारत में उधार / Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India	7550,00,00	2919,00,00
ii) अन्य बैंक / Other Banks	375,20,00	533,73,73
iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेन्सियां / Other Institutions and Agencies *	6194,16,71	5948,03,17
कुल / Total	**14119,36,71**	**9400,76,90**
II. भारत के बाहर से उधार / Borrowings Outside India	0	293,28,75
कुल (I एवं II) / Total (I & II)	**14119,36,71**	**9694,05,65**
प्रतिभूति उधार (I और II में सम्मिलित) / Secured Borrowings (Included in I and II)	7550,00,00	2919,00,00

*भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ₹600.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹600.00 करोड़) के स्थायी ऋण लिखत (टियर I बॉण्ड) तथा ₹4225.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4725.00 करोड़) के ऋण पूँजी लिखत** (टियर II बॉण्डों) को उधारियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गय है।/ Perpetual Debt Instruments (Tier I Bonds) ₹600.00 crore (Previous year ₹600.00 crore) and Debt Capital Instruments** (Tier II Bonds) amounting to ₹4225.00 crore (Previous year ₹4725.00 crore) are classified under Borrowings as per RBI Guidelines.

** ऋण पूंजी लिखत (टीयर II बाण्ड) में बासेल III अनुपालक टीयर II बाण्ड के रूप में जारी ₹3000 करोड़ शामिल हैं/ The Debt capital instrument (Tier II Bonds) includes ₹3000.00 crore issued as Basel III Compliant Tier II Bonds.

(₹ 000 छोड़े गए/ ₹ 000s omitted)

विवरण Particulars	31.03.2019 को (चालू वर्ष) As on 31.03.2019 (Current Year)	31.03.2018 को (पिछला वर्ष) As on 31.03.2018 (Previous Year)

अनुसूची 5 / SCHEDULE 5

अन्य देयताएं एवं प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I.	देय बिल / Bills Payable	48,95,78	49,34,70
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter Office Adjustments (Net)	804,85,40	660,28,80
III.	उपचित ब्याज / Interest Accrued	831,23,66	494,64,31
IV.	आस्थगित कर दायित्व (निवल) / Deferred Tax Liability (Net)	0	0
V.	अन्य (प्रावधानों सहित) / Others (Including Provisions)	4558,52,95	3312,88,77
	कुल / Total	**6243,57,79**	**4517,16,58**

अनुसूची 6 / SCHEDULE 6

नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष /
CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

I.	हस्तगत नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) / Cash in Hand (Including Foreign Currency Notes)	1041,61,94	934,43,76
II.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष / Balance with Reserve Bank of India		
	i) चालू खातों में / In Current Account	10152,26,26	11320,40,25
	ii) अन्य खातों में / In Other Accounts	0	0
	कुल(I एवं II) / Total (I & II)	**11193,88,20**	**12254,84,01**

अनुसूची 7 / SCHEDULE 7

बैंकों के पास अधिशेष और मांग व अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि /
BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

भारत में / IN INDIA		
i) बैंकों के पास अधिशेष / Balances with Banks		
क/a) चालू खातों में / In Current Accounts	31,73,25	63,43,38
ख/b) अन्य निक्षेप खातों में/ In Other Deposit Accounts	0	0
ii) मांग व अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि / Money at Call & Short Notice		
क/a) बैंकों में / With Banks	968,17,00	0
ख/b) अन्य संस्थानों में /With Other Institutions	3000,00,00	1249,36,04
कुल / Total (I)	**3999,90,25**	**1312,79,42**
भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA		
i) चालू खातों में / In Current Accounts	1282,30,23	113,79,73
ii) अन्य निक्षेप खातों में / In Other Deposit Accounts	0	0
iii) मांग व अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि / Money at Call and Short Notice	0	0
कुल (II) / Total (II)	**1282,30,23**	**113,79,73**
कुल योग (I एवं II) / Grand Total (I & II)	**5282,20,48**	**1426,59,15**

(₹ 000 छोड़े गए/ ₹ 000s omitted)

विवरण Particulars	31.03.2019 को (चालू वर्ष) As on 31.03.2019 (Current Year)	31.03.2018 को (पिछला वर्ष) As on 31.03.2018 (Previous Year)
अनुसूची 8 / SCHEDULE 8		
विनिवेश / INVESTMENTS		
क/A. I. **भारत में विनिवेश / Investment in India in**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	58327,43,98	56388,89,77
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities	15,00	15,00
iii) शेयर/Shares	1126,02,21	1158,70,29
iv) डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	16575,26,66	10463,81,90
v) सहयोगी संस्थाएं और/अथवा संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/ or Joint Ventures	218,50,00	218,50,00
vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, इंदिरा विकास पत्र, म्युचुअल फंड के यूनिट आदि) / Others (Commercial paper, Indira Vikas Patras, Units of Mutual Funds etc.)	3020,44,34	1672,20,44
कुल / Total	**79267,82,19**	**69902,27,40**
II. **भारत से बाहर विनिवेश * /** Investments Outside India *	0	0
सकल योग (I एवं II) /Grand Total (I & II)	**79267,82,19**	**69902,27,40**
ख/B. क) भारत में कुल विनिवेश/ a) Gross Investments in India	80505,59,68	70856,96,13
घटाएं:प्रावधान/मूल्यह्रास का योग / Less : Aggregate of Provisions/ Depreciation	1237,77,49	954,68,73
निवल विनिवेश/ Net Investments	**79267,82,19**	**69902,27,40**
ख) भारत से बाहर विनिवेश / b) Investments outside India	0	0
सकल योग (I एवं II) / **Grand Total (a & b)**	**79267,82,19**	**69902,27,40**

* अनुसूची-18 के नोट 18.2.1 का संदर्भ लें/Refer note 18.2.1 of Schedule 18

(₹ 000 छोड़े गए/ ₹ 000s omitted)

विवरण Particulars	31.03.2019 को (चालू वर्ष) As on 31.03.2019 (Current Year)	31.03.2018 को (पिछला वर्ष) As on 31.03.2018 (Previous Year)

अनुसूची 9 / SCHEDULE 9

अग्रिम/ADVANCES:

क/ A) i) खरीदे गए एवं मितिकाटे पर दिए गए विनिमय पत्र / Bills Purchased and Discounted	3157,06,20	861,27,57
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर देय ऋण / Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	75693,32,70	61146,72,80
iii) मीयादी ऋण /Term Loans	80434,42,45	74359,86,92
कुल (क) / Total (A)	**159284,81,35**	**136367,87,29**
ख/ B) i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों के प्रति दिए गए अग्रिमों सहित) / Secured by Tangible Assets(includes advances against book debts)	149032,73,48	127427,19,08
ii) बैंकों/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित/ Covered by Banks/Govt. Guarantees	496,62,36	516,01,07
iii) अप्रतिभूत / Unsecured	9755,45,51	8424,67,14
कुल (ख) / Total (B)	**159284,81,35**	**136367,87,29**
ग/ C) I. भारत में अग्रिम / Advances in India		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority Sector	59165,08,22	54593,48,09
ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	11142,57,08	5359,18,43
iii) बैंक / Banks	10528,00,51	1,36,71
iv) अन्य / Others	78449,15,54	76413,84,06
कुल/Total	**159284,81,35**	**136367,87,29**
II. भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India	0	0
कुल जोड़ ग (I एवं II) / Total C (I & II)	**159284,81,35**	**136367,87,29**

(₹ 000 छोड़े गए/ ₹ 000s omitted)

विवरण Particulars	31.03.2019 को (चालू वर्ष) As on 31.03.2019 (Current Year)	31.03.2018 को (पिछला वर्ष) As on 31.03.2018 (Previous Year)

अनुसूची 10 / SCHEDULE 10

स्थायी आस्तियां / FIXED ASSETS

क/A. मूर्त आस्तियां / TANGIBLE ASSETS		
I. परिसर / Premises		
पिछले वर्ष 31 मार्च की लागत पर / At cost as on 31st March of the preceding year	2074,61,31	2017,13,68
वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	140,59,09	90,82,40
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन / Less: Deductions/Adjustments during the year	163,645	33,34,77
उप-जोड़ / Sub total	**2198,83,95**	**2074,61,31**
घटाएं: अद्यतित मूल्यह्रास / Less: Depreciation to date	222,65,59	189,09,49
कुल / Total	**1976,18,36**	**1885,51,82**
II. चल रहा निर्माण कार्य / Construction work in Progress	**34,17,31**	**32,01,41**
III. **अन्य स्थायी आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) /** Other Fixed Assets (Including Furnitures & Fixtures)		
पिछले वर्ष 31 मार्च की लागत पर / At cost as on 31st March of the preceding year	2032,95,94	1725,16,50
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	149,49,86	344,11,26
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां Less: Deductions during the year	20,72,27	36,31,82
उप-जोड़ / Sub total	**2161,73,53**	**2032,95,94**
घटाएं: अद्यतित मूल्यह्रास / Less: Depreciation to date	1618,76,24	1409,64,62
कुल / Total	**542,97,29**	**623,31,32**
क का कुल (I, II एवं III) / Total of A (I , II & III)	**2553,32,96**	**2540,84,55**
ख/B. अमूर्त आस्तियां / INTANGIBLE ASSETS		
पिछले वर्ष 31 मार्च की लागत पर / At cost as on 31st March of the preceding year	14,56,61	0
वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	45,58,08	14,56,61
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां / Less: Deductions during the year	0	0
उप-जोड़ / Sub total	**60,14,69**	**14,56,61**
घटाएं: अद्यतित मूल्यह्रास / Less: Depreciation to date	24,20,43	5,78,40
ख का कुल / Total of B	**35,94,26**	**8,78,21**
कुल (क एवं ख) / Total (A & B)	**2589,27,22**	**2549,62,76**

(₹ 000 छोड़े गए/ ₹ 000s omitted)

विवरण Particulars	31.03.2019 को (चालू वर्ष) As on 31.03.2019 (Current Year)	31.03.2018 को (पिछला वर्ष) As on 31.03.2018 (Previous Year)

अनुसूची 11 / SCHEDULE 11

अन्य आस्तियां / OTHER ASSETS

i) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter-Office adjustment (Net)	0	0
ii) उपचित ब्याज / Interest Accrued	1719,96,98	1684,92,45
iii) अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/ स्रोत पर काटा गया कर / Tax paid in Advance/ Tax deducted at source	3479,22,11	2803,11,43
iv) आस्थगित कर परिसंपत्ति(निवल) / Deferred Tax Asset (Net)	3581,00,00	8,00,00
v) लेखन सामग्री और टिकटें / Stationery and Stamps	1,51,09	1,16,75
vi) गैर-बैंककारी आस्तियां, जो दावों की तुष्टि में अर्जित की गई हैं / Non-banking Assets acquired in satisfaction of claims	11,13,91	11,13,91
vii) अन्य*/ Others *	5498,73,08	6334,49,21
कुल / Total	**14291,57,17**	**10842,83,75**
* (क) इसमें स्टाफ को बिना ब्याज दिए ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं / (a) Includes non-interest bearing loans and advances to staff	7,82	6,28
(ख) सीबीएलओ के अंतर्गत उधार के ऐवज में गिरवी प्रतिभूतियों सहित / (b) Includes securities pledged against borrowing under CBLO	0	0

अनुसूची 12 / SCHEDULE 12

आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES

I. बैंक के खिलाफ ऋण के रूप में स्वीकृत न हुए दावे (अपीलाधीन, संदर्भाधीन विवादास्पद आयकर और ब्याज कर देयताओं आदि सहित)* Claims against the bank not acknowledged as debts (Including disputed Income tax and Interest tax liability under Appeal, Reference etc.) *	4426,51,74	2329,21,76
II. अंशतः प्रदत्त विनिवेश के लिए देयताएं / Liabilities for partly paid investments	0	0
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के प्रति देयताएं / Liability on account of outstanding forward exchange contracts	7401,87,18	10182,51,58
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां / Guarantees given on behalf of constituents		
क) भारत में / a) In India	15682,77,54	15553,92,95
ख) भारत से बाहर / b) Outside India	961,65,41	1623,10,41
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं / Acceptances, endorsements and other obligations	5646,05,14	7486,13,23
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है* / Other items for which the bank is contingently liable *	737,63,23	670,14,55
कुल / Total	**34856,50,24**	**37845,04,48**

* अनुसूची-18 के नोट 18.8.11 का संदर्भ लें/Refer note 18.8.11 of Schedule 18

(₹ 000 छोड़े गए/ ₹ 000s omitted)

विवरण Particulars	31.03.2019 को (चालू वर्ष) As on 31.03.2019 (Current Year)	31.03.2018 को (पिछला वर्ष) As on 31.03.2018 (Previous Year)

अनुसूची 13 / SCHEDULE 13

अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED

i) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/मितिकाटा/ Interest/Discount on Advances/Bills	12081,42,84	12128,26,92
ii) विनिवेशों पर आय / Income on Investments	5349,73,10	4807,00,44
iii) भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेषों और अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज / Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter- Bank funds	48,53,90	215,11,73
iv) अन्य / Others	387,98,95	238,49,82
कुल / Total	**17867,68,79**	**17388,88,91**

अनुसूची 14 / SCHEDULE 14

अन्य आय / OTHER INCOME

I.	कमीशन, विनिमय एवं दलाली / Commission, Exchange and Brokerages	1146,70,07	1122,29,92
II.	विनिवेशों की बिक्री पर लाभ / Profit on Sale of Investments	336,18,25	1458,10,35
	घटाएं: विनिवेशों की बिक्री पर हानि / *Less:* Loss on Sale of Investments	14,79,93	237,42,75
		321,38,32	1220,67,60
III.	विनिवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/Profit on revaluation of Investments	0	0
	घटाएं: विनिवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि/*Less*: Loss on revaluation of Investments	0	0
IV.	भूमि,भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ / Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets	2,15,83	3,02,47
	घटाएं: भूमि,भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि / *Less:* Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	1,48,20	,75,45
		67,63	227,02
V.	विनिमय लेन-देनों पर लाभ (इसमें विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के मूल्यांकन पर लाभ के संबंध में ₹7091.71 लाख (गत वर्ष ₹10591.19 लाख) शामिल हैं) Profit on Exchange Transactions [Including ₹7091.71 Lakh (Previous year ₹10591.19 Lakh) on account of profit on valuation of Foreign Currency Assets & Liabilities]	71,95,55	106,46,09
	घटाएं: विनिमय लेन-देनों पर हानि / Less : Loss on Exchange Transactions	0	0
		71,95,55	106,46,09
VI.	विदेश/भारत में सहायक/कंपनियों और या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/companies and/or joint ventures abroad/ in India	7,54,27	10,00,02
VII.	विविध आय/ Miscellaneous Income	1120,82,58	330,65,53
	कुल /Total	**2669,08,42**	**2792,36,18**

(₹ 000 छोड़े गए/ ₹ 000s omitted)

विवरण Particulars	31.03.2019 को (चालू वर्ष) As on 31.03.2019 (Current Year)	31.03.2018 को (पिछला वर्ष) As on 31.03.2018 (Previous Year)

अनुसूची 15 / SCHEDULE 15

अपचित ब्याज / INTEREST EXPENDED

i) निक्षेपों पर ब्याज / Interest on Deposits	11551,08,07	12048,67,03
ii) भारतीय रिजर्व बैंक एवं अंतर बैंक उधारों पर ब्याज/ Interest on Reserve Bank of India and Inter-bank borrowings	177,18,00	23,40,36
iii) अन्य / Others	641,30,98	816,05,66
कुल / Total	**12369,57,05**	**12888,13,05**

अनुसूची 16 / SCHEDULE 16

परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES

I.	कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान / Payments to and Provision for employees	2397,62,47	1756,62,55
II.	किराया, कर और बिजली / Rent, Taxes & Lighting	354,80,18	336,20,73
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing & Stationery	23,08,15	26,01,23
IV.	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement & Publicity	22,43,77	23,67,95
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास/परिशोधन/ Depreciation/Amortisation on Bank's Property	280,34,17	217,86,21
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते तथा व्यय/Directors' fees, allowances and expenses	61,07	37,44
VII.	लेखापरीक्षकों (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) की फीस और खर्च Auditors' fees and expenses (including for Branch Auditors)	20,74,59	21,75,31
VIII.	विधि प्रभार / Law Charges	43,88,83	26,61,58
IX.	डाक व्यय, तार, टेलीफोन आदि / Postage, Telegram, Telephones etc.	62,44,57	58,67,85
X.	मरम्मत एवं रखरखाव / Repairs & Maintenance	65,84,24	72,20,62
XI.	बीमा / Insurance	226,09,36	230,89,28
XII.	अन्य व्यय / Other Expenditure	915,52,15	819,03,92
	कुल / Total	**4413,43,55**	**3589,94,67**

अनुसूची-17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणियों को परंपरागत लागत अवधारणा एवं लेखांकन को सतत संबंधित संचयी आधार पर तैयार किया गया है, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो तथा सांविधिक प्रावधानों और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हो। यह भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (GAAP) के अनुकूल है जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, नियामक / भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देश, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी लेखांकन मानक / मार्गदर्शी टिप्पणियां तथा भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं।

2. प्राक्कलन का उपयोग

प्रबंध वर्ग को वित्तीय विवरणियां तैयार करने में प्राक्कलन तथा धारणाएं करनी होती हैं जो वित्तीय विवरणियों की तारीख को आस्ति व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की यथासूचित राशि में और रिपोर्टिंग अवधि के लिए यथासूचित आय व व्यय में लिए जाते हैं। प्रबंधन वर्ग का विश्वास है कि वित्तीय विवरणियां तैयार करने में प्रयोग किए गए प्राक्कलन विवेकपूर्ण तथा सुसंगत हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक तथा अनुमानित परिणाम के बीच कोई संशोधन या अंतर की पहचान उस अवधि के दौरान की जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात हो / कार्यान्वित हो ।

3. राजस्व मान्यता

3.1 आय और व्यय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है किन्तु प्राप्त / प्रदत्त कमीशन, वाद दायर खातों पर कानूनी व्यय और इनमें हुई वसूली, अतिदेय बिलों पर ब्याज, आवास ऋणों पर प्रदत्त बीमा प्रीमियम तथा कर-वापसी पर ब्याज की वसूली / भुगतान आधार पर हिसाब में लिया गया है। लाभांश का लेखांकन तब किया जाता है जब उक्त को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है ।

3.2 गैर-निष्पादनकारी आस्तियों / विनिवेशों के मामले में आय के संग्रहण की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार ऐसी आय की वसूली होने पर ही हिसाब में लिया जाता है।

3.3 अतिदेय जमाराशियों पर ब्याज का प्रावधान बचत बैंक जमा दर पर किया जाता है और शेष को नवीकरण के समय हिसाब में लिया जाता है।

4. विनिवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विनिवेशों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है

SCHEDULE- 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS OF PREPARATION

The financial statements are prepared under the historical cost convention, on accrual basis of accounting on going concern basis, unless otherwise stated and in conformity with statutory provisions and generally accepted accounting principles. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Banking Regulation Act, 1949, Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the estimates or difference between the actual result and estimates is recognized in the period in which the results are known/ materialized.

3. REVENUE RECOGNITION

3.1 Income and expenses are accounted for on accrual basis except commission received / paid, legal expenses for suit filed accounts and recoveries there against, interest on overdue bills, insurance premium paid on Housing Loans and interest on tax refunds are accounted for on realisation/payment basis. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

3.2 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

3.3 Interest on overdue deposits is provided for at the Saving Bank Deposit Rate and the balance is accounted for at the time of renewal.

4. INVESTMENTS

4.1 In accordance with RBI guidelines, investments are classified into three categories.

i) परिपक्वता तक धारित (परिपक्वता तक धारित किए जाने हेतु आशयित विनिवेश)

ii) व्यापार हेतु धारित (अभिग्रहण की तिथि से 90 दिन के भीतर बिक्री हेतु धारित विनिवेश)

iii) बिक्री हेतु उपलब्ध (उपर्युक्त (i) व (ii) में वर्गीकृत न किए गए विनिवेश)

तथापि, तुलन-पत्र में प्रकटीकरण हेतु, विनिवेशों को 6 शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है (क) सरकारी प्रतिभूतियां (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (ग) शेयर (घ) डिबेंचर एवं बाँड्स (ङ) अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम तथा (च) अन्य ।

4.2 मूल्यांकनः

i) परिपक्वता तक धारितः-

क. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत विनिवेशों को अभिग्रहण लागत अथवा यदि अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम मूल्य पर लिया गया हो तो परिशोधित लागत पर लिया गया है। जहां बही मूल्य, अंकित मूल्य / प्रतिदेय मूल्य से अधिक है, वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में किया गया है।

ख. संयुक्त उपक्रम में विनिवेशों को, अस्थायी स्वरूप के विनिवेशों को छोड़कर, रखाव लागत में से मूल्य ह्रास घटाकर, यदि कोई हो, पर मूल्यांकित किया गया है।

ग. जोखिम पूँजी में विनिवेश रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

ii) बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित

1.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	नियत आय मुद्रा बाजार तथा व्युत्पन्नी संघ (एफ.आई.एम.एम.डी.ए.) / फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य पर।
2.	राज्य विकास ऋण / अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	एफ.आई.एम.एम.डी.ए./ एफबीआईएल के मार्गनिर्देशों के अनुसार परिपक्वता पर होने वाली उपयुक्त आय के आधार पर
3.	राजकोषीय बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा-प्रमाण पत्र	रखाव लागत पर
4.	इक्विटी शेयर	(i) कोट किए गए: बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए: जहां नवीनतम तुलन-पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) उपलब्ध है, ब्रेक-अप मूल्य पर (अर्थात् इक्विटी पूंजी तथा आरक्षित निधियां, जिन्हें अमूर्त आस्तियों तथा पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधियों को इक्विटी शेयरों से भाग देते हुए, कम किया गया हो) अन्यथा प्रति कम्पनी 1/- रुपए पर।

i) Held to Maturity *(Investments intended to be held till maturity)*

ii) Held for Trading *(Investments held for sale within 90 days from the date of acquisition)*

iii) Available for Sale *(Investments not classified in (i) and (ii) above)*

However, for disclosure in the Balance Sheet, Investments are classified under the six heads. (a) Government Securities (b) Other Approved Securities (c) Shares (d) Debentures and Bonds (e) Subsidiaries / Joint Ventures and (f) Others.

4.2 Valuation:

i) Held to Maturity: -

(a) Investments under "Held to Maturity" category are carried at acquisition cost or amortized cost if acquired at a premium over face value. Wherever the book value is higher than the face value / redemption value, the premium is amortized over the remaining period of maturity.

(b) Investments in joint venture are valued at carrying cost less diminution, in value, if any, other than temporary in nature.

(c) Investment in venture capital is valued at carrying cost

ii) Available for Sale and Held for Trading

1.	Government of India Securities	At market prices as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) /Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL)
2.	State Development Loans /Other Approved Securities	At appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/FBIL guidelines
3.	Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits	At carrying cost
4.	Equity Shares	(i) Quoted: At market price (ii) Unquoted: At break-up value(means Equity Capital & Reserves as reduced by Intangible Assets and Revaluation Reserves divided by number of equity shares), where latest balance sheet is available (Not more than one year old), otherwise at Re. 1/- per company

5.	अधिमानी शेयर	(i) कोट किए गए: बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए: एफ.आई.एम.एम.डी.ए. के मार्गनिर्देशों के अनुसार परिपक्वता पर होने वाली उपयुक्त आय पर
6.	डिबेंचर / बॉन्ड्स	(i) कोट किए गए: बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए: एफ.आई.एम.एम.डी.ए. के मार्गनिर्देशों के अनुसार रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर परिपक्वता पर उपयुक्त आय पर।
7.	म्यूचुअल फंड के यूनिट	(i) कोट किए गए: बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए: पुनर्खरीद मूल्य / निवल आस्ति मूल्य पर
8.	असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी/एसआर) की प्रतिभूति रसीदें	एसआर में विनिवेश के मामले में एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य ।

बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित श्रेणी में उपर्युक्त मूल्यांकन स्क्रिप-वार किया गया है तथा प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्य ह्रास / मूल्यवृद्धि को जोड़ा गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए निवल वृद्धि को छोड़ते हुए निवल मूल्यह्रास यदि कोई हो, का प्रावधान किया गया है।

4.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रतिभूतियों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण किया जाता है। ऐसे अंतरण, अंतरण की तारीख को अभिग्रहण लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर लिया गया है। ऐसे अंतरण पर मूल्य ह्रास, यदि कोई हो, का पूरा प्रावधान किया गया है।

4.4 सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ तरलता समायोजन सुविधा (LAF) / सीमांत रक्षित सुविधा (MSF) के अंतर्गत किए गए लेनदेनों सहित) में रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन क्रमशः उधार लेने और उधार देने के लेनदेनों के रूप में परिलक्षित होते हैं। रेपो लेनदेनों पर उधार लागत की गणना ब्याज व्यय और रिवर्स रेपो लेनदेनों पर ब्याज आय की गणना राजस्व के रूप में की गई है।

4.5 अन्यः

i) अभिदान पर प्राप्त दलाली / कमीशन को लाभ व हानि खाते में दर्ज किया गया है।

ii) विनिधानों को अभिग्रहण के संबंध में की गई दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) / वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आदि का अपफ्रंट व्यय किया जाता है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया।

iii) प्रतिभूतियों की खरीद / बिक्री पर खंडित अवधि के प्रदत्त/ प्राप्त ब्याज को, ब्याज व्यय / आय माना गया है।

iv) विनिवेशों पर, गैर-निष्पादनकारी विनिवेशों के वर्गीकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण प्रतिमान लगाए गए हैं तथा गैर-निष्पादनकारी प्रतिभूतियों के संबंध में उपयुक्त प्रावधान किया गया है।

5.	Preference Shares	(i) Quoted: At market price (ii) Unquoted: At appropriate yield to maturity as per FIMMDA guidelines
6.	Debentures / Bonds	(i) Quoted: At market price (ii) Unquoted: At appropriate yield to maturity based on rating assigned by Rating Agencies as per FIMMDA guidelines
7.	Units of Mutual Funds	(i) Quoted: At market price (ii) Unquoted: At repurchase price/ Net Asset Value.
8.	Security receipts of Asset Reconstruction Company (ARC/SR)	In case of investment in SR, at NAV declared by ARC.

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading are done scrip wise and depreciation / appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification, if any, is provided for while net appreciation is ignored.

4.3 Transfer of securities from one category to another is done in conformity with the RBI guidelines. Such transfers are accounted at the lower of the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

4.4 Repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under LAF and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions are accounted for as interest expense and revenue on reverse repo transactions are accounted for as interest income.

4.5 Others:

i) Brokerage/commission received on subscription is booked in Profit and Loss Account.

ii) Brokerage, Commission, Securities Transaction Tax (STT)/ Goods and Service Tax (GST) etc. paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.

iii) Broken period interest paid / received on purchase / sale of securities is recognised as interest expense / income.

iv) Prudential norms of RBI for non performing investment Classification are applied to Investments and appropriate provisions are made in respect of non performing securities.

v) किसी भी श्रेणी के विनिवेश की बिक्री पर हुए लाभ / हानि को लाभ तथा हानि खाते में लिया गया है। तथापि, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत विनिवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ के मामले में, कर पश्चात अवशिष्ट राशि और सांविधिक आरक्षित निधि को पूंजी आरक्षित खाते में विनियोजित किया गया है।

vi) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) तथा बिक्री के लिए उपलब्ध संविभाग (एएफएस) का मूल्यांकन दैनिक आधार पर किया जाता है तथा यदि कोई मूल्य ह्रास हो तो उसका प्रावधान क्रमशः मासिक तथा तिमाही आधार पर लिया जाता है।

vii) बैंक द्वारा वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के परिचालन हेतु "विवेकपूर्ण मानदंड" पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के तहत बैंक ने निवेश बही में खरीद एवं बिक्री के लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए "सैटलमेंट तिथि" लेखा का पालन किया है।

viii) गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश के मामले में, डीमैट खाते में प्रतिभूति के आबंटन तक निवेश की राशि "उचंत निवेश" के अंतर्गत दर्शाई गई है।

4.6 व्युत्पन्न लेन-देन व्यापारिक या बचाव व्यवस्था प्रयोजनों से किए जाते हैं। व्यापारिक लेन-देन बाजार मूल्य पर अंकित किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार स्वैप की विभिन्न श्रेणियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

i) बचाव स्वैप : ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज वाली आस्ति या देयता का बचाव करते हैं, को वित्तीय विवरणी में बाजार मूल्य या कम लागत पर ली गयी आस्ति या देयता के साथ पदनामित स्वैप को छोड़कर, उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

स्वैप सौदे समाप्त होने पर हुए लाभ या हानि को स्वैप की शेष संविदागत अवधि या आस्ति / देयता की शेष अवधि में से जो कम हो, उसके आधार पर लिया जाता है।

ii) व्यापारिक स्वैप : व्यापारिक स्वैप लेन-देनों के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और संबंधित परिवर्तनों को वित्तीय विवरणी में दर्ज किया जाता है।

5. अग्रिम / प्रावधान / वसूली

5.1 अग्रिमों को निष्पादनकारी / गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है और उन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण प्रतिमानों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं।

5.2 अग्रिमों में गैर- निष्पादनकारी आस्तियों के लिए किए गए निवल प्रावधान तथा तकनीकी रुप से बट्टे खाते डाली गई राशि शामिल है।

5.3 निष्पादनकारी आस्तियों हेतु प्रावधान को भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार "अन्य देयताएं व प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है।

v) Profit/Loss on sale of any Investment in any category is taken to Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale of Investments under 'Held to Maturity' category, the residual amount after taxes and amount transferred to statutory reserve is appropriated to Capital Reserve Account.

vi) Valuation of HFT and AFS portfolio is done on daily basis and depreciation if any is provided on monthly and quarterly basis respectively.

vii) In line with RBI Master Circular on "Prudential norms for classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by Banks", bank has followed "Settlement date" accounting for recording purchase and sale of transactions in Investment book.

viii) In case of investment in Non-SLR securities, till the allotment of security in the Demat account, the amount of investment is shown under "Suspense Investment".

4.6 The derivatives transactions are undertaken for trading or hedging purposes. Trading transactions are marked to market. As per RBI guidelines, different categories of swaps are valued as under:

i) Hedge swaps: Interest rate swaps which hedges interest bearing asset or liability is accounted for on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost in the financial statement.

Gain or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

ii) Trading swaps: Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

5. ADVANCES / PROVISIONS / RECOVERIES

5.1 Advances are classified as performing / non-performing assets and provisions are made in accordance with prudential norms prescribed by the RBI.

5.2 Advances are net of provisions and technical write-offs made for Non-Performing Assets (NPAs).

5.3 Provision for performing assets is shown under the head "Other Liabilities and Provisions" in terms of RBI guidelines.

5.4 गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में हुई वसूली को पहले मूलधन और तत्पश्चात ब्याज के प्रति विनियोजित किया गया है।

6. अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास तथा परिशोधन

6.1 अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास / परिशोधन को घटाकर परंपरागत लागत पर दिखाया गया है (इसमें पुनर्मूल्यांकित परिसर शामिल नहीं है जिन्हें पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया गया है)। पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है और पुनर्मूल्यांकित राशि के कारण हुए वृद्धिशील मूल्यह्रास को लाभ-हानि खाते में डेबिट किया गया है और इसी राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से राजस्व एवं अन्य आरक्षित शीर्ष में अंतरित किया गया है। स्थाई आस्तियों की लागत में खरीद की लागत तथा उनमें व्यय किए गए संबंधित खर्चे उनको उपयोग में लाने की समयावधि तक शामिल हैं।

6.2 परिसरों में भूमि और भवन का मूल्य शामिल है।

6.3 अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का निर्धारण सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) के आधार पर, नीचे दी गई आस्तियों के उपयोगी जीवनावधि के अनुसार किया जाता हैः-

क्र. सं.	विवरण	उपयोगी जीवनावधि	मूल्यह्रास/ परिशोधन दर
क	परिसर	60 वर्ष	1.67%
ख	फर्नीचर व फिक्सचर (सेफ डिपॉजिट लॉकर्स सहित) कम्प्यूटर एवं एटीएम को छोड़कर	10 वर्ष	10%
ग	वाहन	5 वर्ष	20%
घ	कम्प्यूटर एवं एटीएम **क.** सर्वर, नेटवर्क उपकरण एवं ऑटोमेटेड टेलर मशीन (इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में सॉफ्टवेयर भी शामिल है)	5 वर्ष	20%
	ख. उपर्युक्त घ (क) में वर्णित कम्प्यूटरों के अलावा कम्प्यूटर (इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में सॉफ्टवेयर भी शामिल है)	3 वर्ष	33.33%
ङ	अस्थायी निर्माण	1 वर्ष	100%

टिप्पणी:-

(क) ऐसे मामले, जहां लीजहोल्ड परिसरों की खरीद की गई है अथवा ऐसी लीजहोल्ड भूमि पर भवन का निर्माण किया गया है जिसकी लीज अवधि 60 वर्ष से कम है, लीज अवधि को उपयोगी अवधि के रूप में लिया जाए तथा इसे निम्न टिप्पणी 6.5 के अनुसार परिशोधित किया जाए।

(ख) ऐसे परिसरों के मामलों में जहां भूमि का मूल्य अलग से नहीं लिया गया है, वहां मूल्यह्रास को परिसर की उपयोगी अवधि के अनुसार समग्र मूल्य पर प्रभारित अथवा परिशोधन किया जाए।

5.4 Recoveries in NPAs are appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

6. FIXED ASSETS DEPRECIATION AND AMORTISATION

6.1 Fixed Assets are stated at historical cost (except revalued premises which are stated at revalued amount) less accumulated depreciation/amortisation. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is debited to the Profit & Loss account and the equal amount is transferred from Revaluation Reserve to Revenue & Other Reserve. Cost of fixed assets includes cost of purchase and relevant expenditure incurred thereon till the time it is put to use.

6.2 Premises include cost of land and building.

6.3 Depreciation on Fixed Asset is charged on Straight Line Method (SLM) basis as per useful life of asset as given here under:-

S. No.	Particulars	Useful life	Depreciation /amortisation rate
A	Premises	60 years	1.67%
B	Furniture & Fixtures (including Safe Deposit Lockers) other than Computers & ATMs	10 years	10%
C	Vehicles	5 years	20%
D	Computers and ATMs a. Servers, Network Equipments & Automated Teller Machines (including software forming an integral part of computer hardware)	5 years	20%
	b. Computers other than mentioned at D(a) above (including software forming an integral part of computer hardware)	3 years	33.33%
E	Temporary Erections	1 year	100%

NOTE:-

(a) In case where leasehold Premises is purchased or Building constructed on leasehold land having lease period less than 60 years, the period of lease is taken as useful life and is amortised as per Note 6.5 below.

(b) In case of Premises where the value of land is not separable, the depreciation is being charged or amortisation is made on the composite value as per the useful life of Premises.

6.4 बिक्री/ निपटान के वर्ष में मूल्यह्रास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान आस्ति का उपयोग 180 या अधिक दिनों के लिए किया गया है तो वित्तीय वष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान, मूल्यह्रास के लिए निर्धारित दर का 100% है और यदि वित्तीय वर्ष के दौरान आस्ति का उपयोग 180 दिन से कम दिनों के लिए किया गया है तो मूल्यह्रास का प्रावधान, मूल्यह्रास के लिए निर्धारित दर का 50% है।

6.5 पट्टाधारी भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम को पट्टे (नीचे पैरा 9 में संदर्भित के अलावा) की अवधि में एसएलएम आधार पर परिशोधित किया गया।

6.6 सभी प्रकार की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना के उद्देश्य के लिए ₹1/- (एक रूपए) का अवशेष मूल्य लिया गया है।

6.7 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है, को उपयोगी जीवनावधि अथवा तीन वर्ष की अवधि, जो भी कम हो के लिए व्यवस्थित ढंग से परिशोधित किया गया है।

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

7.1 मौद्रिक आस्तियां और देयताएं, वित्त वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेईडीएआई) द्वारा सूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित की गई हैं और इससे हुए लाभ / हानि को राजस्व में लिया गया है।

7.2 आय तथा व्यय मदों को, लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर हिसाब में लिया गया है।

7.3 वायदा विनिमय संविदाओं तथा बिलों को, वायदे की तारीख को प्रभावी विनिमय दर पर लिया गया है। बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं और बिलों का पुनर्मूल्यांकन फेडाई की दरों के अनुसार किया गया है और परिणामतः उन पर हुए लाभ / हानि को राजस्व में लिया गया है।

7.4 वित्त वर्ष के अंत में तुलन पत्र एक्सपोजर के उद्देश्य हेतु विदेशी मुद्रा गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य देयताओं का उल्लेख फेडाई दरों पर किया गया है।

7.5 100% गैर-ह्रासित टीयर-। पूंजी के अंतर्गत पात्रता के अनुसार रुपया निधि को बढ़ाने के लिए उधार ली हुई विदेशी मुद्रा को कवर करने के लिए बचाव स्वैप के मामले में, मासिक आधार पर विदेशी मुद्रा स्वैप को कवर करने के लिए प्रीमियम भुगतान परिशोधित है।

8. कर्मचारी हित

8.1 भविष्य निधि तथा नवीन पेंशन योजना (जो 01.04.2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों पर लागू है) एक परिभाषित अंशदान है क्योंकि बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर नियत अंशदान अदा करता है। बैंक का दायित्व ऐसे नियत अंशदान तक समिति है। ये अंशदान लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं।

6.4 *No depreciation is provided in the year of sale/ disposal. Depreciation on additions to Fixed Assets during the financial year is provided at 100% of the prescribed rate of depreciation, if asset is put to use for 180 days or more during the financial year and at 50% of the prescribed rate of depreciation, if the asset is put to use for less than 180 days during the year.*

6.5 *Premium paid on leasehold land (other than those referred in para 9 given below) is amortised on SLM basis over the period of lease.*

6.6 *Residual value of Re.1 (Rupee one) is taken for the purpose of calculating depreciation on all types of fixed assets.*

6.7 *Computer software not forming an integral part of computer hardware is amortised systematically over a period of useful life or three years whichever is lower.*

7. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS

7.1 Monetary assets and liabilities are revalued at exchange rates advised by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) at the close of the financial year and the resultant gain/loss is taken to revenue.

7.2 Income and expenditure items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

7.3 Forward exchange contracts and bills are translated at the exchange rates prevailing on the date of commitment. Outstanding foreign exchange contracts and bills are revalued as per FEDAI rates and the resultant gain/loss is taken to revenue.

7.4 Foreign currency guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at FEDAI rates at the close of the financial year for the purpose of balance sheet exposure.

7.5 In case of Hedge swap to cover the foreign currency borrowing to raise Rupee fund as per eligibility under 100% of Un-impaired Tier-I capital, the premium paid to cover the foreign currency swap is amortised on monthly basis.

8. EMPLOYEE BENEFITS

8.1 Provident Fund and New Pension Scheme (which is applicable to employees who have joined bank on or after 01.04.2010) are defined contribution schemes, as the bank pays fixed contribution at predetermined rates. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to the Profit and Loss Account.

8.2 उपदान तथा पेंशन देयता, परिभाषित लाभ दायित्व है और इसके लिए प्रावधान, वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। इन योजनाओं का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है और प्रबंध विभिन्न ट्रस्टों द्वारा किया जाता है।

8.3 अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी का नकदीकरण, छुट्टी किराया रियायत का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।

8.4 अल्पावधि कर्मचारी लाभों को उस वर्ष, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हों, के लाभ एवं हानि खाते में खर्च के रूप में मान्यता दी गई हैं।

9. लीज

लीज अवधि से अधिक परिचालन लीज पर आस्तियों के लिए किए जाने वाले पट्टे भुगतान को लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में दिखाया जाता है।

10. आय पर कर

10.1 आय कर व्यय, चालू कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) सहित, जहां भी लागू हो) और आस्थगित कर, दोनों की कुल राशि है।

10.2 चालू कर का निर्धारण, वर्ष के लिए देय कर की राशि पर किया गया है तथा तदनुसार कर का प्रावधान किया गया है।

10.3 समय के परिवर्तन से होने वाली आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं तथा जिनका प्रत्यावर्तन बाद की अवधि में किया जा सकता हो, को तुलनपत्र की तारीख तक या बाद में लागू होने वाली कर दरों और कर नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गई है। आस्थगित कर आस्तियों को तभी मान्यता दी जाती है यदि भविष्य में ऐसी आस्तियों की वसूली होने की वास्तविक निश्चितता हो।

10.4 मैट ऋण को आस्ति के रूप में तभी मान्य किया जाता है जब एक सीमा तक इसके पक्ष में ठोस साक्ष्य हों कि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य कर का भुगतान किया गया है।

11. आस्तियों की अनर्जकता

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर यह जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि कोई आस्ति अनर्जक है । यदि कोई ऐसा संकेत मिलता है, तो वसूली योग्य राशि तथा अनर्जक हानि, यदि कोई हो का अनुमान लगाया जाता है ।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां -

12.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 - "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां" के अनुरूप बैंक ऐसे प्रावधानों को तभी मानता है

8.2 Gratuity and Pension liabilities are defined benefit obligations and are provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year. The schemes are funded by the Bank and are managed by separate Trusts.

8.3 Other Employee benefits such as leave encashment, leave fare concessions are provided for based on actuarial valuation.

8.4 Short term employee benefits are recognized as an expense in the profit and loss account of the year in which the related services are rendered.

9. LEASES

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the profit and loss account over the lease term.

10. TAXES ON INCOME

10.1 Income tax expense is the aggregate amount of current tax [including Minimum Alternate Tax (MAT)], wherever applicable and deferred tax.

10.2 Current tax is determined as the amount of tax payable for the year and accordingly provision for tax is made.

10.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the Balance Sheet date. Deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty of realisation of such assets in future.

10.4 MAT credit is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that there will be payment of normal income tax during the period specified under the Income Tax Act, 1961.

11. IMPAIRMENT OF ASSETS

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

12. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS-

12.1 In conformity with Accounting Standard 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present

जबकि पिछली घटना के परिणामतः इनका वर्तमान दायित्व हो। ऐसी संभावना है कि इन दायित्वों को पूरा करने के लिए आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता हो तथा जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता हो।

12.2 वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को नही लिया गया है क्योंकि इससे ऐसी आय का निर्धारण हो सकता है जिसकी कभी भी वसूली न हो सके।

13. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसरण में मूल तथा ह्रासित प्रति इक्विटी शेयर अर्जन की सूचना देता है। मूल अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना, निवल आय को आलोच्य अवधि के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की गई है। ह्रासित अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा आलोच्य अवधि के दौरान बकाया ह्रासित संभाव्य इक्विटी शेयर की संख्या का प्रयोग करके की गई है।

obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

12.2 Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

13. EARNINGS PER SHARE

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard 20 “Earnings Per Share” issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

अनुसूची. 18 लेखा टिप्पणियां

18.1 पूंजी

18.1.1 पूंजी अनुपात (बासेल III के अन्तर्गत पूंजी पर्याप्तता)

(राशि करोड़ ₹ में, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
i)	सामान्य इक्विटी टीयर-I पूंजी अनुपात (%)	9.86%	7.46%
ii)	टीयर-I पूंजी अनुपात (%)	9.98%	7.61%
iii)	टीयर-II पूंजी अनुपात (%)	2.75%	2.89%
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	12.73%	10.50%
v)	बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	87.58%	77.23%
vi)	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	6936	3571
vii)	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर-1 पूंजी की राशि, जिसमें शाश्वत गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस): शून्य डिबेंचर के रूप में जारी शाश्वत ऋण प्रपत्र (पीडीआई): (गत वर्ष 10.25% की दर से जारी ₹1000 करोड़)	शून्य	1000
viii)	जुटाई गई टीयर-2 पूंजी की राशि, जिसमें ऋण पूंजी लिखतः अधिमानी शेयर पूंजी लिखतः [शाश्वत संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस) / प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)]	शून्य	शून्य

18.1.2 शेयर पूंजी / शेयर आवेदन राशि

1. बैंक ने 16 फरवरी, 2019 को रु.71.76 के इश्यू मूल्य पर "ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स- कर्मचारी शेयर क्रय योजना" [ओबीसी-ईएसपीएस] के तहत अपने पात्र कर्मचारियों को ₹ 10.00 के अंकित मूल्य पर 2,61,31,493 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। मण्डल की पारिश्रमिक समिति (ईएसपीएस के लिए नामित प्रतिपूर्ति समिति) द्वारा न्यूनतम मूल्य ₹ 95.67 के 25% छूट पर इश्यू मूल्य निर्धारित किया गया। बैंक को ईएसपीएस योजना के तहत ₹187.52 करोड़ प्राप्त हुए।

   सेबी(शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के अनुसार एवं भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार, प्रति शेयर ₹ 23.91 की राशि की दर से प्रदत्त ₹ 62.48 करोड़ की छूट को "पेमेंट टू एंड प्रोवीजन फॉर एम्पलाइ" को डेबिट किया गया।

2. बैंक को भारत सरकार से दो किश्तों में अर्थात् 31 दिसंबर, 2018 को ₹ 5500 करोड़ तथा 31 जनवरी, 2019 को ₹ 1186 करोड़ पूंजी प्राप्त हुई. तदनुसार भारत सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त होने के बाद, भारत सरकार को अधिमानी आधार पर निम्न शेयर आबंटित किए गएः

(i) ₹ 96.10 के प्रति शेयर निर्गम मूल्य (₹ 86.10 के प्रीमियम सहित) पर कुल ₹ 5500 करोड़ राशि के 57,23,20,499 इक्विटी शेयर

SCHEDULE 18 - Notes to Accounts

18.1 Capital

18.1.1 Capital Ratio (Capital adequacy under Basel III)

(Amount in ₹ Crore, unless otherwise stated)

S. No.	Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	9.86%	7.46%
ii)	Tier 1 capital ratio (%)	9.98%	7.61%
iii)	Tier 2 capital ratio (%)	2.75%	2.89%
iv)	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	12.73%	10.50%
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank	87.58%	77.23%
vi)	Amount of equity capital raised	6936	3571
vii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; *of* which Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS): Nil Perpetual Debt Instruments (PDI) : (in previous year ₹1000 Crore @ 10.25 %) issued in the nature of debenture	NIL	1000
viii)	Amount of Tier 2 capital raised; *of which* Debt capital instruments: Preference Share Capital Instruments: [*Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]*	NIL	NIL

18.1.2 Share Capital

1. The Bank, has allotted 2,61,31,493 equity shares of face value of ₹10.00 each to its eligible employees under "Oriental Bank of Commerce - Employee Share Purchase Scheme" [OBC-ESPS] at an issue price of ₹ 71.76 per share on 16th February, 2019. The Issue price was fixed by the Remuneration Committee of the Board (designated as Compensation Committee for ESPS) at a discount of 25% on the floor price of ₹ 95.67 per share. The Bank has received Rs. 187.52 crores under the ESPS scheme.

   Pursuant to SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and as per the Guidance Note issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the element of the discount allowed per share amounting to ₹23.91 aggregating to ₹62.48 crore has been debited to "Payment to and Provision for employee.

2. The Bank has received capital infusion from the Government of India in two tranches viz. ₹5500 crore on 31st December 2018 and ₹1186 crore on 31st January 2019. Accordingly, upon receipt of all requisite approvals, the following shares were allotted to the Government of India on Preferential basis:

(i) 57,23,20,499 equity shares at an Issue price of ₹96.10 (including premium of ₹86.10) per share aggregating to ₹5500 crore

(ii) ₹ 85.33 के प्रति शेयर निर्गम मूल्य (₹ 75.33 के प्रीमियम सहित) पर कुल ₹ 1186 करोड़ राशि के 13,89,89,804 इक्विटी शेयर

उपरोक्त आबंटन के पश्चात् भारत सरकार की शेयरधारिता 31 मार्च, 2018 के 77.23% से बढ़कर 31 मार्च, 2019 को 87.58% हो गई।

[गत वर्ष बैंक ने भारत सरकार को ₹ 124.60 के प्रति शेयर निर्गम मूल्य (₹ 114.60 के प्रीमियम सहित) पर कुल ₹ 3571 करोड़ राशि के 28,65,97,110 इक्विटी शेयर आबंटित किए थे]

18.1.3 टीयर I बॉण्ड

बैंक द्वारा विभिन्न वर्षों में जुटाए गए टीयर। बॉण्डः

जारी करने का वर्ष	बॉण्ड का प्रकार	कूपन दर (%)	राशि (₹ करोड़ में)
2009-10	स्थायी टीयर I बॉण्ड (बासेल II) : अप्रतिभूत, अपरिवर्तनीय, अप्रतिदेय, स्थायी बॉण्ड क्रय विकल्प 10 वर्ष के बाद (17.12.2019)	9.10	300.00
2010-11	स्थायी टीयर I बॉण्ड (बासेल II) : अप्रतिभूत, अपरिवर्तनीय, अप्रतिदेय, स्थायी बॉण्ड क्रय विकल्प 10 वर्ष के बाद (17.09.2020)	9.05	300.00

18.1.4 टीयर II बॉण्ड

बैंक द्वारा विभिन्न वर्षों में जुटाए गए टीयर II बॉण्ड:

जारी करने का वर्ष	बॉण्ड का प्रकार	दर (%)	राशि (₹ करोड़ में)
2008-09	अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय अधीनस्थ उच्च टीयर-II बॉण्ड (क्रय विकल्प 10 वर्ष के बाद-12.02.2019) परिपक्वताः 12.02.2024	8.75	500.00*
2010-11	अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय अधीनस्थ उच्च टीयर-II बॉण्ड (क्रय विकल्प 10 वर्ष के बाद-20.09.2020) परिपक्वताः 20.09.2025	8.68	200.00
2012-13	अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, अधीनस्थ निम्न टीयर-II बॉण्ड परिपक्वताः 30.11.2022	8.93	1025.00
2014-15	अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बासेल-III अनुपालक टीयर-II बॉण्ड परिपक्वताः 27.10.2024	9.20	1000.00
2015-16	अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बासेल-III अनुपालक टीयर-II बॉण्ड परिपक्वताः 26.10.2025	8.34	1000.00
2016-17	अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बासेल-III अनुपालक टीयर-II बॉण्ड (क्रय विकल्प 05 वर्ष के बाद-24.06.2021) परिपक्वताः 24.06.2026	9.05	1000.00

(ii) 13,89,89,804 equity shares at an Issue price of ₹85.33 (including premium of ₹75.33) per share aggregating to ₹1186 crore

Subsequent to the aforesaid allotments, the shareholding of Government of India has increased from 77.23% as at 31st March 2018 to 87.58% as at 31st March 2019.

[In the previous year, the Bank had allotted 28,65,97,110 equity shares to Government of India on preferential basis at an Issue price of ₹124.60 (including premium of ₹114.60) per share aggregating to ₹3571 crore]

18.1.3 Tier I Bonds

Tier I Bonds raised by the Bank during various years:

Year of Issue	Type of Bonds	Coupon Rate (%)	Amount (₹ in Crore)
2009-10	Perpetual Tier I Bonds (Basel II): Unsecured Non-convertible, Non-redeemable, Perpetual Bonds with Call Option after 10 years (17.12.2019)	9.10	300.00
2010-11	Perpetual Tier I Bonds (Basel II): Unsecured Non-convertible, Non-redeemable, Perpetual Bonds with Call Option after 10 years (17.09.2020)	9.05	300.00

18.1.4 Tier II Bonds

Tier II Bonds raised by the Bank during various years:

Year of Issue	Type of Bonds	Coupon Rate (%)	Amount (₹ in Crore)
2008-09	Upper Tier-II Bonds (Basel II): Unsecured, redeemable, non-convertible (with Call Option after 10 years - 12.02.2019) Maturity: 12.02.2024	8.75	500.00*
2010-11	Upper Tier-II Bonds (Basel II): Unsecured, redeemable, non-convertible (with Call Option after 10 years - 20.09.2020) Maturity: 20.09.2025	8.68	200.00
2012-13	Lower Tier-II Bonds (Basel II): Unsecured, redeemable, non-convertible. Maturity: 30.11.2022	8.93	1025.00
2014-15	Basel III Compliant Tier-II Bonds: Unsecured, redeemable, non-convertible. Maturity : 27.10.2024	9.20	1000.00
2015-16	Basel III Compliant Tier-II Bonds: Unsecured, redeemable, non-convertible. Maturity : 26.10.2025	8.34	1000.00
2016-17	Basel III Compliant Tier-II Bonds: Unsecured, redeemable, non-convertible (with Call Option after 5 years - 24.06.2021) Maturity: 24.06.2026	9.05	1000.00

*वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से क्रय विकल्प का प्रयोग करते हुए कुल ₹ 500 करोड़ के 8.75% उच्च टीयर-II बॉण्ड रिडीम किए।

18.2 विनिवेश

18.2.1 बैंक के विनिवेश पर मूल्यह्रास हेतु किए गए विनिवेशों एवं प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र. सं.		विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
1.		विनिवेशों का मूल्य		
	i)	विनिवेशों का सकल मूल्य		
		क) भारत में	80505.60	70856.96
		ख) भारत से बाहर	-	-
	ii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		
		क) भारत में	1237.77	954.69
		ख) भारत से बाहर	-	-
	iii)	विनिवेशों का निवल मूल्य		
		क) भारत में	79,267.83	69,902.27
		ख) भारत से बाहर	-	-
2.		विनिवेशों पर मूल्यह्रास के प्रति किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
	(i)	अथ शेष	954.69	251.35
	(ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	283.08	703.34
	(iii)	घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई / अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	-	-
	(iv)	इति शेष	1237.77	954.69

18.2.2 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य पर)

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया राशि	31 मार्च 2019 के अनुसार बकाया राशि
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां *				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	3200.00 (5552.00)	259.11 (271.39)	7763.29 (2919.00)
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गईं प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	3831.34 (12541.00)	268.63 (2793.21)	2719.99 (0.00)
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

• तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) तथा आरबीआई की मीयादी रेपो के अंतर्गत आने वाली रेपो सम्मिलित है।

**During the year, the Bank redeemed 8.75% Upper Tier II Bonds aggregating to ₹500.00 Crore on exercise of Call Option with the prior approval of RBI.*

18.2 Investments

18.2.1 The detail of investments and the Movement of Provisions held towards Depreciation on Investments of the bank are given below:

(Amount in ₹Crore)

		Particulars	*Current Year 31-03-2019*	*Previous Year 31-03-2018*
(1)		Value of Investments		
	(i)	Gross Value of Investments		
		(a) In India	80505.60	70856.96
		(b) Outside India	-	-
	(ii)	Provisions for Depreciation		
		(a) In India	1237.77	954.69
		(b) Outside India	-	-
	(iii)	Net Value of Investments		
		(a) In India	79,267.83	69,902.27
		(b) Outside India	-	-
(2)		Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(i)	Opening balance	954.69	251.35
	(ii)	Add: Provisions made during the year	283.08	703.34
	(iii)	Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	-	-
	(iv)	Closing balance	1237.77	954.69

18.2.2 Repo Transactions (in Face Value terms)

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2019
Securities Sold Under Repo*				
i. Government securities	0.00 (0.00)	3200.80 (5552.00)	259.11 (271.39)	7763.29 (2919.00)
ii. Corporate debt securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities Purchased under Reverse Repo				
i. Government securities	0.00 (0.00)	3831.34 (12541.00)	268.63 (2793.21)	2719.99 (0.00)
ii. Corporate debt securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

(Figures in brackets are for the previous year)

* Includes Repo under Liquidity Adjustment Facility (LAF), Marginal Standing Facility (MSF) and Term Repo of RBI.

18.2.3. गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर-एसएलआर निवेशों की निर्गमकर्ता संरचना

(राशि करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निजी स्थापन की सीमा	'निवेश ग्रेड से कम' प्रतिभूतियों की सीमा	'गैर मूल्यांकित' प्रतिभूतियों की सीमा	"गैर-सूचीबद्ध" प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1937.46 (2366.85)	428.48 (977.24)	0.00 (190.40)	650.10 (660.08)	1240.92 (1584.80)
(ii)	वित्तीय संस्थान	2189.04 (2811.45)	320.05 (413.71)	0.00 (0.00)	114.35 (124.97)	308.43 (600.52)
(iii)	बैंक	1609.22 (146.02)	1244.24 (120.40)	0.00 (0.00)	19.27 (21.42)	1530.74 (0.00)
(iv)	निजी कॉरपोरेट	5160.40 (4428.59)	2861.54 (2377.07)	7.26 (14.68)	2505.99 (2266.35)	1669.07 (1113.93)
(v)	अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम	218.50 (218.50)	218.50 (218.50)	0.00 (0.00)	218.50 (218.50)	218.50 (218.50)
(vi)	अन्य *	10907.58 (4301.76)	10907.58 (4301.76)	0.00 (0.00)	10434.63 (3829.97)	10830.30 (4196.76)
(vii)	**कुल (i से vi)**	**22022.20 (14273.17)**	**15980.39 (8408.68)**	**7.26 (205.08)**	**13942.84** (7121.29)**	**15797.96*** (7714.51)**
(viii)	घटाएं : मूल्यह्रास के प्रति किया गया प्रावधान	1081.97 (759.94)	-	-	-	-
	कुल (vii-viii)*	**20940.23 (13513.23)**	**15980.39 (8408.68)**	**7.26 (205.08)**	**13942.84** (7121.29)**	**15797.96*** (7714.51)**

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

टिप्पणियां -

1) *अन्य में म्युचुअल फंड, उद्यम निधियां, प्रतिभूति प्राप्तियां, राज्य सरकार के विशेष बॉण्ड तथा पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड्स में विनिवेश शामिल है।

2) **अमूल्यांकित प्रतिभूतियों में ₹13942.84 करोड़ के कुल विनिवेश में से ₹13245.35 करोड़ छूट प्राप्त विनिवेश में हैं जिनमें ₹1721.91 करोड़ के इक्विटी शेयर, ₹164.24 करोड़ की उद्यम निधि, ₹218.50 करोड संयुक्त उद्यम-बीमा, ₹545.62 करोड़ के अपरिवर्तनीय डिबेंचर, ₹330.80 करोड के अधिमानी शेयर, ₹10264.28 करोड के विशेष सरकारी बॉण्ड शामिल हैं।

   अतः रेटिंग न किए गए गैर-छूट प्राप्त विनिवेश ₹697.49 करोड़ के हैं (अधिमानी शेयर ₹18.82 करोड़, बॉण्ड और ऋणपत्र में ₹672.56 करोड़ तथा प्रतिभूति रसीदों में ₹6.11 करोड़)।

3) ***कुल ₹15797.96 करोड़ के असूचीबद्ध प्रतिभूतियां में विनिवेश में से ₹15166.58 करोड़ छूट प्राप्त विनिवेश सीडी ₹1777.95 करोड़, सीपी ₹617.15 करोड़, एनसीडी ₹549.25 करोड़, पीएसयू बॉण्ड ₹427.48 करोड़, जेवी ₹218.50 करोड, ₹164.24 करोड़ वीसीएफ, ₹36.00 करोड़ म्युचुअल फंड, ₹374.06 करोड़ एसआर, ₹10257.00 करोड़ के विशेष बॉण्ड और ₹745.95 करोड़ शेयरों में शामिल हैं (₹415.15 करोड़ इक्विटी शेयरों में तथा ₹330.80 करोड़ अधिमानी शेयरों में)

   अतः असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में विनिवेश ₹631.38 करोड (₹8.82करोड अधिमानी शेयर तथा ₹622.56 करोड बॉण्ड एवं डिबेंचर में) है।

18.2.3. Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non SLR investments

Amount in ₹ Crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PSUs	1937.46 (2366.85)	428.48 (977.24)	0.00 (190.40)	650.10 (660.08)	1240.92 (1584.80)
	FIs	2189.04 (2811.45)	320.05 (413.71)	0.00 (0.00)	114.35 (124.97)	308.43 (600.52)
	Banks	1609.22 (146.02)	1244.24 (120.40)	0.00 (0.00)	19.27 (21.42)	1530.74 (0.00)
	Private Corporates	5160.40 (4428.59)	2861.54 (2377.07)	7.26 (14.68)	2505.99 (2266.35)	1669.07 (1113.93)
	Subsidiaries/ Joint Ventures	218.50 (218.50)	218.50 (218.50)	0.00 (0.00)	218.50 (218.50)	218.50 (218.50)
	Others*	10907.58 (4301.76)	10907.58 (4301.76)	0.00 (0.00)	10434.63 (3829.97)	10830.30 (4196.76)
	Total (i to vi)	**22022.20 (14273.17)**	**15980.39 (8408.68)**	**7.26 (205.08)**	**13942.84** (7121.29)**	**15797.96*** (7714.51)**
	Less: Provision held towards depreciation	1081.97 (759.94)	-	-	-	-
	Total (vii-viii)	**20940.23 (13513.23)**	**15980.39 (8408.68)**	**7.26 (205.08)**	**13942.84** (7121.29)**	**15797.96*** (7714.51)**

(Figures in brackets are for the previous year)

Note: -

1) * Others include Investment in Mutual Funds, Venture Funds, Security Receipts, State Govt. Special Bonds and Recapitalisation Bonds.

2) ** Out of total investment of ₹13942.84 Crore in Unrated securities, ₹13245.35 Crore is in exempted investment consisting of equity shares ₹ 1721.91 Crore, venture fund ₹164.24 Crore, JV-INS ₹218.50 Crore, NCDs ₹545.62 Crore, Preference Shares ₹330.80 Crore and Special Government Bonds ₹ 10264.28 Crore.

   Hence, unrated un-exempted investment is ₹697.49 Crore (₹18.82 Crore Preference Share, ₹672.56 Crore in Bonds & Debenture and ₹6.11 Crore in Security Receipts)

3) *** Out of total investment in unlisted securities ₹15797.96 Crore, ₹15166.58 Crore is in exempted investments consisting of CD ₹1777.95 Crore, CP ₹617.15 Crore, NCDs ₹549.25 Crore, PSU Bonds ₹427.48 Crore, JV ₹218.50 Crore, VCF ₹164.24 Crore, Mutual Fund ₹35.00 Crore, SR ₹374.06 Crore, Special Bond ₹10257.00 Crore and Shares ₹745.95 Crore (₹415.15 Crore in Equity shares and ₹330.80 Crore in Pref. Shares)

   Hence, investment in unlisted securities is ₹631.38 Crore (₹8.82 Crore Preference Share & ₹622.56 Crore in Bonds & Debenture)

ii) गैर-निष्पादनकारी गैर एसएलआर विनिवेश

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	राशि 31 मार्च, 2019 को	राशि 31 मार्च, 2018 को
अथशेष	1251.97	1026.07
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि	400.89	1066.28
उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी	531.35	840.38
इति शेष	1121.51	1251.97
कुल प्रावधान	353.00	235.45

18.2.4 एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री तथा अन्तरण

*1अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि के दौरान एचटीएम श्रेणी को/ से की गई बिक्री और अन्तरण का मूल्य, वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए विनिवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक हो गया है।

भारतीय रिज़र्व बैक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण इस हद तक है कि बाज़ार मूल्य से अधिक बही मूल्य के बराबर प्रावधान निम्न अनुसार नहीं किया गया है:

(राशि करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	एचटीएम श्रेणी में रखी गई प्रतिभूतियों का बही मूल्य	एचटीएम श्रेणी में रखी गई प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य	प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य से बही मूल्य की आधिक्य
1.	सरकारी प्रतिभूतियां	39,801.78	39,470.63	331.15
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-	-
3.	शेयर	-	-	-
4.	डिबेंचर / बॉण्ड	10,264.28	10,264.44	-
5.	अनुषंगी, संयुक्त उपक्रम, सहायक	218.50	210.04	8.46
6.	अन्य	44.27	53.40	-
	कुल	**50,328.83**	**49,998.51**	**339.61**

उपरोक्त से संबंधित 5 प्रतिशत सीमा में निम्न शामिल नहीं है:

क) लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में बैंकों द्वारा निदेशक मण्डल के अनुमोदन से एचटीएम श्रेणी को/ से एकबारगी किया जाने वाला अंतरण

ख) पूर्व घोषित ओएमओ नीलामी के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को बिक्रियां

ग) भारत सरकार द्वारा बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद

घ) लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में अनुमत अंतरण के अतिरिक्त एचटीएम के तहत एसएलआर प्रतिभूतियों पर सीमा में कटौती के कारण प्रतिभूतियों की बिक्री अथवा एएफएस/एचएफटी को अंतरण।

ii) **Non performing Non SLR Investments**

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Amount as at 31st March, 2019	Amount as at 31st March, 2018
Opening Balance	1251.97	1026.07
Additions during the year since 1st April	400.89	1066.28
Reductions during the above period	531.35	840.38
Closing Balance	1121.51	1251.97
Total Provision Held	353.00	235.45

18.2.4 Sale and Transfers to/from HTM category:

The value of sales and transfers of securities to /from HTM category during period from 1st April 2018 to 31st March 2019 has exceeded 5 % of book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

Disclosure in terms of extant RBI guidelines to the extent the provision equivalent to excess of book value over market value is not made is as under:

(Amount in ₹ Crore)

S.No.	Particulars	Book Value of Securities held in HTM Category	Market Value of Securities held in HTM Category	Excess of Book Value over Market Value of Securities
1.	Government Securities	39,801.78	39,470.63	331.15
2.	Other Approved Securities	-	-	-
3.	Share	-	-	-
4.	Debenture and Bond	10,264.28	10,264.44	-
5.	Subsidiaries, JV , Associates	218.50	210.04	8.46
6.	Other	44.27	53.40	-
	Total	**50,328.83**	**49,998.51**	**339.61**

The 5 per cent threshold referred to above excludes the following:

a) One time transfer of securities to / from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year.

b) Sales to the Reserve Bank of India under pre announced OMO auctions.

c) Repurchase of Government Securities by Government of India from banks

d) Sale of securities or transfer to AFS / HFT consequent to the reduction of ceiling on SLR securities under HTM, in addition to the shifting permitted at the beginning of the accounting year.

18.2.5 प्रतिभूति प्राप्तियों में विनिवेशों के बही मूल्य का विवरण

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) आधार के रूप में बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	374.06	429.73
(ii) आधार के रूप में अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	0.00	0.00
योग	**374.06**	**429.73**

18.2.5 Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current year	Previous Year
(i) Backed by NPAs sold by the bank as underlying	374.06	429.73
(ii) Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	0.00	0.00
Total	**374.06**	**429.73**

18.2.6 प्रतिभूति प्राप्तियों में विनिवेशों का प्रकटीकरण

(राशि करोड़ ₹ में)

	विवरण	पिछले 5 वर्षों के दौरान जारी एसआर	पिछले 5 वर्ष से अधिक पहले किंतु पिछले 8 वर्षों में जारी एसआर	8 वर्षों से अधिक पहले जारी एसआर
(i)	आधार के रूप में बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर के बही मूल्य	318.87	51.89	3.30
	(i) के लिए किया गया प्रावधान	9.82	2.80	3.83
(ii)	आधार के रूप में अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर के बही मूल्य	0.00	0.00	0.00
	(ii) के लिए किया गया प्रावधान	0.00	0.00	0.00
	योग (i) + (ii)	**318.87**	**51.89**	**3.30**

18.2.6 Disclosures of Investments in Security Receipts:

(Amount in ₹ Crore)

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	318.87	51.89	3.30
	Provision held against (i)	9.82	2.80	3.83
(ii)	Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	NIL	NIL	NIL
	Provision held against (ii)	NIL	NIL	NIL
	Total (i) + (ii)	**318.87**	**51.89**	**3.30**

18.3 व्युत्पन्न

18.3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
i. स्वैप व्यवस्थाओं का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
ii. यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं करता है, तो होने वाली हानि	शून्य	शून्य
iii. स्वैप करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित सम्पार्श्विक	शून्य	शून्य
iv. स्वैप से होने वाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रीकरण	शून्य	शून्य
v. स्वैप बुक का सही मूल्य	शून्य	शून्य

18.3 Derivatives

18.3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	For the year ended 31st March 2019	For the year ended 31st March 2018
i. The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
ii. Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	NIL	NIL
iii. Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv. Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v. The fair value of the swap book	NIL	NIL

18.3.2 एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर व्युत्पन्न

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	वर्ष के दौरान एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर व्यत्पन्न की कल्पित मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
2.	एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूल राशि 31 मार्च 2019 को बकाया (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
3.	एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूल राशि-बकाया एवं 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
4.	एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर बकाया व्युत्पन्न जो 'अत्यधिक प्रभावी नहीं है, का 'बाजार को अंकित मूल्य' (लिखत-वार)	शून्य	शून्य

18.3.3 व्युत्पन्न में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन:-

i) गुणात्मक प्रकटनः

क) ट्रेजरी विभाग में परिचालनों को तीन कार्यक्षेत्रों में बांटा गया है अर्थात् फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस तथा बैक ऑफिस, जिनमें आवश्यक बुनियादी सुविधाएं तथा प्रशिक्षित अधिकारी हैं, जिनके उत्तरदायित्व सुपरिभाषित हैं।

ख) बैंक की राजकोषीय नीति में वित्तीय व्युत्पन्न लिखतों के प्रकारों, प्रयोग क्षेत्र, अनुमोदन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। व्युत्पन्न लेनदेनों में ब्याज दर जोखिम, प्रतिपक्ष जोखिम, बाजार जोखिम, मुद्रा जोखिम, निपटान जोखिम, खुली स्थिति जोखिम तथा परिचालनपरक जोखिम रहते हैं। राजकोषीय नीति में आंतरिक नियंत्रण सीमाओं जैसे खुली स्थिति सीमाओं, सौदे की सीमाओं, हानि रोध सीमाओं, अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग / बचाव के लिए सौदा प्रारंभ करने वाले प्राधिकारी के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है ताकि जोखिम को नियंत्रित किया जा सके और व्युत्पन्न लेनदेनों से अधिक से अधिक आय हो सके।

ग) मिड ऑफिस व्यापारिक बहियों में लेनदेनों को मॉनीटर करता है और प्रतिभूतियों के अंकित बाजार मूल्य (एमटीएम) स्थिति की गणना द्वारा व्यापारिक बही में दैनिक आधार पर लेनदेनों में वित्तीय जोखिमों को भी आंकता है। मिड ऑफिस की निगरानी तथा नियंत्रण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा होती है।

घ) बैंक में अपने तुलनपत्र में लिए गए एक्सपोज़र के बचाव की नीति है। बैंक की राजकोषीय नीति में एक्सपोज़र के बचाव हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।

ड.) बचावकारी / व्यापारिक लेनदेन अलग-अलग दर्ज किए जाते हैं। बचावकारी लेनदेनों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। समस्त व्यापारिक संविदाएं बाजार को अंकित की जाती हैं तथा परिणामतः सकल हानि को विवेक सम्मत आधार पर लाभ की अनदेखी करते हुए हिसाब में लिया जाता है।

18.3.2 Exchange Traded Interest rate derivatives

(Amount in ₹ Crore)

S. no.	Particulars	For the year ended 31st March 2019	For the year ended 31st March 2018
1.	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL	NIL
2.	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March, 2019. (instrument-wise)	NIL	NIL
3.	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective'. (instrument-wise)	NIL	NIL
4.	Mark-to-Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective'. (instrument-wise)	NIL	NIL

18.3.3 Disclosure on Risk Exposure in Derivatives

i) Qualitative Disclosure:

(a) Operations in the Treasury Department are segregated into three functional areas, i.e. Front Office, Mid Office and Back Office equipped with necessary infrastructure and trained Officers, whose responsibilities are well defined.

(b) The Treasury Policy of the Bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usage, approval process. Derivative transactions contain interest rate risk, counterparty risk, market risk, currency risk, settlement risk, open position risk and operational risk. Treasury Policy specifies the internal control limits like open position limits, deal size limits, stop-loss limits, deal initiating authority for trading/hedging in approved instruments to contain the risk and maximize return on the derivative transactions.

(c) The mid office monitors the transactions in the trading books and also measures the financial risks for the transactions in the trading book on a daily basis by way of calculating Mark to market (MTM) of positions. The Mid Office is monitored and controlled by Risk Management Department.

(d) The Bank also has a policy for hedging its balance sheet exposures. The treasury policy of the Bank spells out the approval process for hedging the exposures.

(e) The hedging/trading transactions are recorded separately. The hedge transactions are accounted for on accrual basis. All trading contracts are marked to market and resultant gross loss is accounted for ignoring the gain on a prudence basis.

च) बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का व्यापारिक सदस्य है। बैंक करेंसी फ्यूचर्स/आईआरएफ में स्वामित्व लेनदेन करता है। बैंक ने फ्रंट, मिड तथा बैक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना स्थापित की है, विनियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दैनिक बाजार मूल्य (एमटीएम) तथा मार्जिन दायित्वं का निपटान एक्सचेंजों के साथ किया जाता है।

राजकोषीय नीति भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशानुसार तैयार की गई है

ii) मात्रात्मक प्रकटनः

(राशि करोड़ ₹ में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
i) व्युत्पन्न (अनुमानित मूलधन राशि)				
क) बचाव व्यवस्था हेतु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यापार हेतु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) बाजार मूल्यों की स्थिति				
क) आस्तियां (+)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) देयताएं (-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) ऋण एक्सपोज़र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv) ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100* पीवी 01)				
क) बचाव व्यवस्था व्युत्पन्न पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यापारिक व्युत्पन्न पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v) वर्ष के दौरान 100* पीवी01 का अधिकतम तथा न्यूनतम प्रभाव				
क) बचाव व्यवस्था पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यापार पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अधिकतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
न्यूनतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

18.4 एक्सपोजर

जोखिम श्रेणीवार देश एक्सपोजर :

(राशि करोड़ ₹ में)

जोखिम श्रेणी	**31 मार्च, 2019 (चालू वर्ष) तक एक्सपोजर (निवल)**	**31 मार्च, 2019 (चालू वर्ष) तक प्रावधान**	**31 मार्च, 2018 (पिछले वर्ष) तक एक्सपोजर (निवल)**	**31 मार्च, 2018 (पिछले वर्ष) तक प्रावधान**
मामूली	851.64	0.00	675.23	0.00
कम	304.75	0.00	420.18	0.00
सामान्य से कम	7.88	0.00	27.07	0.00
सामान्य	21.03	0.00	16.84	0.00
सामान्य से अधिक	3.01	0.00	1.66	0.00
अधिक	0.00	0.00	0.00	0.00
बहुत अधिक	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**1188.31**	0.00	**1140.98**	0.00

(f) The Bank is Trading Member of National Stock Exchange (NSE). The Bank has set up the necessary infrastructure for Front, Mid and Back Office operations, daily mark to market (MTM) and margin obligations, wherever required, are settled with the exchanges as per guidelines issued by the regulators.

Treasury Policy has been drawn up in accordance with RBI guidelines.

ii) Quantitative Disclosure-

(Amount in ₹ Crore)

	Current Year		Previous Year	
Particulars	**Currency Derivatives**	**Interest rate Derivatives**	**Currency Derivatives**	**Interest rate Derivatives**
i) Derivatives (Notional Principal Amount)				
a) For hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
b) For trading	NIL	NIL	NIL	NIL
ii) Marked to market Positions				
a) Assets (+)	NIL	NIL	NIL	NIL
b) Liabilities (-)	NIL	NIL	NIL	NIL
iii) Credit Exposure	NIL	NIL	NIL	NIL
iv) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
a) On hedging derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
b) On trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
v) Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
a) On hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
b) On trading	NIL	NIL	NIL	NIL
Maximum	NIL	NIL	NIL	NIL
Minimum	NIL	NIL	NIL	NIL

18.4 Exposures

Risk Category wise Country Exposure:

(Amount in ₹ Crore)

Risk Category	**Exposure (net) as at March 31, 2019 (Current Year)**	**Provision held as at March 31, 2019 (Current Year)**	**Exposure (net) as at March 31, 2018 (Previous Year)**	**Provision held as at March 31, 2018 (Previous Year)**
Insignificant	851.64	0.00	675.23	0.00
Low	304.75	0.00	420.18	0.00
Moderately Low	7.88	0.00	27.07	0.00
Moderate	21.03	0.00	16.84	0.00
Moderately High	3.01	0.00	1.66	0.00
High	0.00	0.00	0.00	0.00
Very High	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**1188.31**	**0.00**	**1140.98**	**0.00**

बैंक का प्रत्येक देश के लिए श्रेणी-वार देश एक्सपोजर के लिए निवल निधिआधारित एक्सपोजर बैंक के 31.03.2019 की कुल आस्तियों के 1% से कम है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है।

18.5 आस्ति गुणवत्ता

18.5.1 क्षेत्रवार अग्रिम

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	इस क्षेत्र में कुल अग्रिम का सकल एनपीए%	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	इस क्षेत्र में कुल अग्रिम का सकल एनपीए%
क	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	20450.04	2943.12	14.39%	21348.94	2818.53	13.20%
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम	12126.68	1651.97	13.62%	10526.71	1534.82	14.58%
3	सेवाएं	18957.48	1539.51	8.12%	17495.38	1670.56	9.55%
4	वैयक्तिक ऋण	10089.36	206.65	2.05%	7501.64	272.42	3.63%
	उप-जोड़ (क)	**61623.57**	**6341.26**	**10.29%**	**56872.67**	**6296.33**	**11.07%**
ख	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	2542.82	812.41	31.95%	3179.66	443.62	13.95%
2	उद्योग	28945.05	11133.74	38.47%	29444.32	14776.32	50.18%
3	सेवाएं	50374.94	3145.63	6.24%	12132.87	1181.77	9.74%
4	वैयक्तिक ऋण	28063.08	284.03	1.01%	46576.49	3435.62	7.38%
	उप-जोड़ (ख)	109925.89	15375.82	13.99%	91333.34	19837.31	21.72%
	कुल (क+ख)	**171549.46**	**21717.08**	**12.66%**	**148206.01**	**26133.64**	**17.63%**

18.5.2 (i) गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	**चालू वर्ष 2018-19**	**पिछला वर्ष 2018-19**
(i) निवल अग्रिमों का निवल एन.पी.ए. (%)	5.93%	10.48%
(ii) **एनपीए** में उतार-चढ़ाव (सकल)		
क) अथ शेष	26133.64	22859.27
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	7066.15	12429.34
ग) वर्ष के दौरान कमी	11482.72	9154.97
घ) इति शेष	21717.07	26133.64
(iii) **एनपीए** में उतार-चढ़ाव (निवल)		
क) अथ शेष	14282.88	14117.83
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	114.13	2931.26
ग) वर्ष के दौरान कमी	4957.39	2766.21
घ) इति शेष	9439.62	14282.88
(iv) **एनपीए हेतु प्रावधानों** में उतार-चढ़ाव (स्तरीय आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
क) अथ शेष	11753.58	8735.77
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	6952.02	9498.08
ग) अधिक प्रावधान का बट्टे खाते/राइट बैक	6585.22	6480.27
घ) इति शेष	**12120.38**	**11753.58**

Bank's net funded exposure for risk category-wise country exposures for each country is less than 1% of bank's total assets as on 31.03.2019 and as such no provision is required in terms of RBI guidelines.

18.5 Asset Quality

18.5.1 Sector-wise Advances

(Amount in ₹ Crore)

Sl. No.	Sector	For the Year ended 31st March, 2019			For the Year ended 31st March, 2018		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	20450.04	2943.12	14.39%	21348.94	2818.53	13.20%
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	12126.68	1651.97	13.62%	10526.71	1534.82	14.58%
3	Services	18957.48	1539.51	8.12%	17495.38	1670.56	9.55%
4	Personal loans	10089.36	206.65	2.05%	7501.64	272.42	3.63%
	Sub-total (A)	**61623.56**	**6341.25**	**10.29%**	**56872.67**	**6296.33**	**11.07%**
B	**Non Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	2542.82	812.41	31.95%	3179.66	443.62	13.95%
2	Industry	28945.05	11133.74	38.47%	29444.32	14776.32	50.18%
3	Services	50374.94	3145.63	6.24%	12132.87	1181.77	9.74%
4	Personal loans	28063.08	284.03	1.01%	46576.49	3435.62	7.38%
	Sub-total (B)	**109925.89**	**15375.83**	**13.99%**	**91333.34**	**19837.33**	**21.72%**
	Total (A+B)	**171549.45**	**21717.08**	**12.66%**	**148206.01**	**26133.66**	**17.63%**

18.5.2 (i) Non-Performing Assets

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	**Current Year 2018-19**	**Previous Year 2017-18**
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	5.93%	10.48%
(ii) Movement of **NPAs** (Gross)		
(a) Opening balance	26133.64	22859.27
(b) Additions during the year	7066.15	12429.34
(c) Reductions during the year	11482.72	9154.97
(d) Closing balance	21717.07	26133.64
(iii) Movement of **NPAs** (Net)		
(a) Opening balance	14282.88	14117.83
(b) Additions during the year	114.13	2931.26
(c) Reductions during the year	4957.39	2766.21
(d) Closing balance	9439.62	14282.88
(iv) Movement of **Provisions for NPAs** (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening balance	11753.58	8735.77
(b) Provisions made during the year	6952.02	9498.08
(c) Write-off/ write-back of excess provisions	6585.22	6480.27
(d) Closing balance	**12120.38**	**11753.58**

(ii) 31 मार्च, 2019 को बैंक का प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर) 75.84% (गत वर्ष 64.07%) है जिसकी गणना बैंक द्वारा तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई कुल राशि को हिसाब में लेकर की गई है।

18.5.3 परिसंपत्ति वर्गीकरण में विचलन एवं एनपीए हेतु प्रावधान

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के हिस्से के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के कुछ खातों में परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानन के संदर्भ में विचलन को इंगित किया था। चूंकि, इंगित विचलन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से कम था, अतः इसे प्रकट करना आवश्यक नहीं है। बैंक ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी वित्तीय विवरणियों में इनके प्रभाव को विधिवत् रिकॉर्ड में लिया है।

18.5.4 क्षेत्रवार एनपीए

क्र. सं.	क्षेत्र	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत	
		31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार
1	कृषि एवं संबंद्ध गतिविधियां	16.33%	13.30%
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं वृहत)	31.13%	40.81%
3	सेवाएं	6.76%	9.63%
4	वैयक्तिक ऋण	1.29%	6.86%

18.5.5 एनपीए उतार-चढ़ाव:

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार
1	**01 अप्रैल, 2018 की यथास्थिति के अनुसार सकल एनपीए* (अथ शेष)**	26133.64	22859.27
2	वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एनपीए)	7066.15	12429.34
उप-जोड़ (क)		**33199.79**	**35288.61**
घटाएं:-			
(i)	अपग्रेडेशन	763.61	563.27
(ii)	वसूली	4262.08	2234.78
(iii)	तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते**	5223.24	6306.46
(iv)	उपर्युक्त (iii) के अलावा बट्टे पर डाले गए खाते	1233.79	50.46
उप-जोड़ (ख)		**11482.72**	**9154.97**
31 मार्च की यथास्थिति के अनुसार सकल एनपीए (इति शेष) (क-ख)		**21717.07**	**26133.64**

* डीबीओडी परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.46/21.04.048/2009-10 दिनांक 24 सितंबर, 2009 के अनुबंध की मद 2 के अनुसार सकल एनपीए जिसमें सकल अग्रिम, निवल अग्रिम, सकल एनपीए एवं निवल एनपीए की गणना करने हेतु समरूप विधि के बारे में बताया गया है।

** तकनीकी अथवा विवेकपूर्ण बट्टे खातों की राशि गैर-निष्पादित ऋण है जो संबंधित शाखाओं की बहियों में बकाया है, लेकिन इन्हें प्रधान कार्यालय स्तर पर बट्टे खातों में (पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से) डाला गया है। (अग्रिमों के लिए प्रावधानन कवरेज पर डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.6421.04.048/2009-10 दिनांक 01 दिसंबर, 2009)

(ii) The Provisioning Coverage Ratio (PCR) for the Bank as on 31.03.2019 is 75.84% (previous year 64.07%), which is calculated taking into account the total technical write offs.

18.5.3 Divergence in assets Classification and provisioning for NPAs.

As part of Risk Based Supervision (RBS) exercise for the year ended 31st March, 2018, the Reserve Bank of India had pointed out divergence in respect of Bank's assets classification and provisioning in certain accounts. However, as the divergence pointed out was below the threshold limits specified by RBI, the same is not required to be disclosed. The Bank has duly accounted for the impact of the above in its financial statements for the year ended 31st March, 2019.

18.5.4 Sector-wise NPAs

S. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that Sector	
		As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
1	Agriculture & Allied activities	16.33%	13.30%
2	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	31.13%	40.81%
3	Services	6.76%	9.63%
4	Personal Loans	1.29%	6.86%

18.5.5 Movement of NPAs:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
Gross NPAs* as on 1st April of particular year (Opening Balance)	26133.64	22859.27
Additions (Fresh NPAs) during the year	7066.15	12429.34
Sub-total (A)	**33199.79**	**35288.61**
Less:-		
(i) Upgradations	763.61	563.27
(ii) Recoveries	4262.08	2234.78
(iii) Technical/Prudential Write-offs **	5223.24	6306.46
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	1233.79	50.46
Sub-total (B)	**11482.72**	**9154.97**
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)	**21717.07**	**26133.64**

* Gross NPAs as per item 2 of Annex to DBOD Circular DBOD. BP.BC.No.46/21.04.048/2009-10 dated September 24, 2009 which specified a uniform method to compute Gross Advances, Net Advances, Gross NPAs and Net NPAs.

** Technical or prudential write off is the amount of non-performing loans which are outstanding in the books of the respective branches, but have been written off (fully or partially) at Head office level. (DBOD No. BP.BC.6421.04.048/2009-10 dated 1st December 2009 on Provisioning coverage for advances)

18.5.6 पुनः-संरचित खातों का विवरण

31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार पुनः-संरचित खातों का प्रकटन

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	पुनःसंरचना का प्रकार		सीडीआर पद्धति के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनः संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण विवरण		स्तरीय	अव-स्तरीय	संदिग्ध	हानि	कुल	स्तरीय	अव-स्तरीय	संदिग्ध	हानि	कुल	स्तरीय	अव-स्तरीय	संदिग्ध	हानि	कुल	स्तरीय	अव-स्तरीय	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष 2018-19 के 1 अप्रैल को पुनःसंरचित खाते	ऋणियों की संख्या	3	1	25	-	29	10	11	29	-	50	158	155	153	-	466	171	167	207	-	545
		बकाया राशि	133.20	234.00	2,984.41	-	3351.61	24.59	41.46	559.07	-	625.12	594.93	1,054.59	3,963.05	-	5612.57	752.72	1,330.05	7,506.53	-	9,589.30
		किया गया प्रावधान	6.14	-	-	-	6.14	1.18	-	-	-	1.18	23.34	-	-	-	23.34	30.66	-	-	-	30.66
2	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान नई पुनःसंरचना	ऋणियों की संख्या	-	-	-	-	-	3,471	-	-	-	3,471	766	4	16	-	786	4,237	4	16	-	4,257
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	232.93	-	-	-	232.93	125.24	0.62	281.39	-	407.25	358.17	0.62	281.39	-	640.18
		किया गया प्रावधान	-	-	-	-	-	11.60	-	-	-	11.60	6.26	-	-	-	6.26	17.86	-	-	-	17.86
3	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एनपीए से पुनःसंरचित स्तरीय श्रेणी में उन्नयन	ऋणियों की संख्या	-	-	-	-	-	3	(3)	-	-	-	5	(2)	(3)	-	-	8	(5)	(3)	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	0.25	(0.61)	-	-	(0.36)	0.10	(0.08)	(0.04)	-	(0.02)	0.35	(0.69)	(0.04)	-	(0.38)
		किया गया प्रावधान	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01
4	पुनःसंरचित स्तरीय अग्रिम जिन पर मार्च 2019 के अंत में उच्च प्रावधान और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार बंद कर दिया गया है अतः अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 के आरंभ में इन्हें पुनःसंरचित स्तरीय अग्रिम के रूप में दर्शाना आवश्यक नहीं है।	ऋणियों की संख्या	2				2	5				5	74				74	81				81
		बकाया राशि	75.23					23.42				517.36										
		किया गया प्रावधान	3.24					1.12				18.89										
5	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पुनःसंरचित खातों का अवनयन	ऋणियों की संख्या	-	(1)	(1)	2	-	-	(7)	6	1	-	(43)	(85)	127	1	-	(43)	(93)	132	4	-
		बकाया राशि	-	(234.00)	(14.63)	326.72	78.09	-	(40.83)	(136.72)	152.66	248.55	106.40	(951.77)	854.49	195.88	7.80	106.40	(1,226.60)	703.14	675.26	334.44
		किया गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.32	-	-	-	5.32	5.32	-	-	-	5.32
6	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पुनःसंरचित खातों की बकाया राशि में बट्टे खाते डाली गई/वसूली गई / निकाली गई/कुल जोड़ी गई राशि	ऋणियों की संख्या		-	16	1	17	3	1	10	-	14	12	31	71	1	115	15	32	97	2	146
		बकाया राशि	4.27	-	1,968.72	147.93	2,120.92	0.31	0.02	81.87	-	82.20	67.88	1.24	2,750.52	195.88	3,015.52	72.46	1.26	4,801.11	343.81	5,218.64
		किया गया प्रावधान	0.22	-	-	-	0.22	0.02	-	-	-	0.02	3.39	-	-	-	3.39	3.63	-	-	-	3.63
7	31 मार्च 2019 के पुनः-संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)	ऋणियों की संख्या	1	-	8	1	10	3476	-	25	1	3502	800	41	222	-	1063	4,277	41	255	2	4,575
		बकाया राशि	53.70	-	1001.06	178.79	1233.55	234.04	-	340.48	152.66	727.18	127.28	102.12	2,348.37	-	2577.77	415.02	102.12	3,689.91	331.45	4,538.50
		किया गया प्रावधान	2.68	-	-	-	2.68	11.65	-	-	-	11.65	6.36	-	-	-	6.36	20.69	-	-	-	20.69

18.5.6 Particulars of Accounts Restructured

DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON MARCH 31, 2019

Amount in Rs. crore

S. No	Types of Restructuring → / asset classification Details ↓		Under CDR Mechanism					Under SME Debt restructuring					Others					Total				
			Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	TOTAL	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	TOTAL	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	TOTAL	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	TOTAL
1	Restructured accounts as on April 1 of the FY 2018-19.	No. of borrowers	3	1	25	-	**29**	10	11	29	-	**50**	158	155	153	-	**466**	171	167	207	-	**545**
		Amount outstanding	133.20	234.00	2,984.41	-	**3351.61**	24.59	41.46	559.07	-	**625.12**	594.93	1,054.59	3,963.05	-	**5612.57**	752.72	1,330.05	7,506.53	-	**9,589.30**
		Provision thereon	6.14	-	-	-	**6.14**	1.18	-	-	-	**1.18**	23.34	-	-	-	**23.34**	30.66	-	-	-	**30.66**
2	Fresh restructuring during the FY 2018-19	No. of borrowers	-	-	-	-	**-**	3,471	-	-	-	**3,471**	766	4	16	-	**786**	4,237	4	16	-	**4,257**
		Amount outstanding	-	-	-	-	**-**	232.93	-	-	-	**232.93**	125.24	0.62	281.39	-	**407.25**	358.17	0.62	281.39	-	**640.18**
		Provision thereon	-	-	-	-	**-**	11.60	-	-	-	**11.60**	6.26	-	-	-	**6.26**	17.86	-	-	-	**17.86**
3	Upgradation from NPA to restructured standard category during the FY 2018-19	No. of borrowers	-	-	-	-	**-**	3	(3)	-	-	**-**	5	(2)	(3)	-	**-**	8	(5)	(3)	-	**-**
		Amount outstanding	-	-	-	-	**-**	0.25	(0.61)	-	-	**(0.36)**	0.10	(0.08)	(0.04)	-	**(0.02)**	0.35	(0.69)	(0.04)	-	**(0.38)**
		Provision thereon	-	-	-	-	**-**	0.01	-	-	-	**0.01**	-	-	-	-	**-**	0.01	-	-	-	**0.01**
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and or/ additional risk weight at the end of March 2019 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY 2019-20.	No. of borrowers	2				**2**	5				**5**	74				**74**	81				**81**
		Amount outstanding	75.23				**75.23**	23.42				**23.42**	418.71				**418.71**	517.36				**517.36**
		Provision thereon	3.24				**3.24**	1.12				**1.12**	14.53				**14.53**	18.89				**18.89**
5	Down-gradations of restructured accounts during the FY 2018-19	No. of borrowers	-	(1)	(1)	2	**-**	-	(7)	6	1	**-**	(43)	(85)	127	1	**-**	(43)	(93)	132	4	**-**
		Amount outstanding	-	(234.00)	(14.63)	326.72	**78.09**	-	(40.83)	(136.72)	152.66	**248.55**	106.40	(951.77)	854.49	195.88	**7.80**	106.40	(1,226.60)	703.14	675.26	**334.44**
		Provision thereon	-	-	-	-	**-**	-	-	-		**-**	5.32	-	-	-	**5.32**	5.32	-	-	-	**5.32**
6	Write offs / Recovery / Exit / Net Addition in O/s of restructured accounts during the FY 2018-19	No. of borrowers		-	16	1	**17**	3	1	10	-	**14**	12	31	71	1	**115**	15	32	97	2	**146**
		Amount outstanding	4.27	-	1,968.72	147.93	**2,120.92**	0.31	0.02	81.87	-	**82.20**	67.88	1.24	2,750.52	195.88	**3,015.52**	72.46	1.26	4,801.11	343.81	**5,218.64**
		Provision thereon	0.22	-	-	-	**0.22**	0.02	-	-	-	**0.02**	3.39	-	-	-	**3.39**	3.63	-	-	-	**3.63**
7	Restructured accounts as on March 31, 2019 (Closing Figures)	No. of borrowers	1	-	8	1	**10**	3476	-	25	1	**3502**	800	41	222	-	**1063**	4,277	41	255	2	**4,575**
		Amount outstanding	53.70	-	1001.06	178.79	**1233.55**	234.04	-	340.48	152.66	**727.18**	127.28	102.12	2,348.37	-	**2577.77**	415.02	102.12	3,689.91	331.45	**4,538.50**
		Provision thereon	2.68	-	-	-	**2.68**	11.65	-	-	-	**11.65**	6.36	-	-	-	**6.36**	20.69	-	-	-	**20.69**

18.5.7 तकनीकी रूप से बट्टे पर डाले गए खातों में उतार-चढ़ाव एवं वसूली

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार
उस वर्ष के 01 अप्रैल के अनुसार तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों में डाले गए खातों में अथ शेष	**13613.00**	**7576.23**
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी / बट्टे खातों में डाले गए	5223.24	6306.46
उप जोड़ (क)	**18836.24**	**13882.69**
घटाएं : वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खातों में डाले गए खातों से वसूली (ख)	1484.11	269.69
31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार इति शेष (क-ख)	**17352.13**	**13613.00**

18.5.8 आस्ति पुनर्संरचना / एनबीएफसी के लिए प्रतिभूतीकरण / पुनः संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार
i. खातों की संख्या	11	1
ii. एससी / आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान का निवल)	209.59	82.16
iii. कुल निवल प्रतिफल	447.47	68.12
iv. पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
v. निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ / हानि	237.88	(14.04)

18.5.9 प्रतिभूति रसीदों में किए गए विनिवेशों के बही मूल्य का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार
(i) बैंक द्वारा बेचे गए अंतर्निहित एनपीए द्वारा समर्थित	374.06	429.73
(ii) अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए अंतर्निहित एनपीए द्वारा समर्थित	0.00	0.00
कुल	**374.06**	**429.73**

18.5.7 Movement of Technical Write-offs and the Recoveries

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
Opening Balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at 1st April of particular year	**13613.00**	**7576.23**
Add: Technical/ Prudential written-offs during the year	5223.24	6306.46
Sub Total (A)	**18836.24**	**13882.69**
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year (B)	1484.11	269.69
Closing Balance as on 31st March (A-B)	**17352.13**	**13613.00**

18.5.8 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction / NBFC

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
(i) No. of accounts	11	1
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	209.59	82.16
(iii) Aggregate Net consideration	447.47	68.12
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL
(v) Aggregate gain/loss over net book value/TWO	237.88	(14.04)

18.5.9 Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
(i) Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	374.06	429.73
(ii) Backed by NPAs sold by other Banks / financial institutions / non-Banking financial companies as underlying	0.00	0.00
Total	**374.06**	**429.73**

18.5.10 प्रतिभूति रसीदों में निवेश:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण		बीते 5 वर्ष के भीतर जारी किए गए प्रतिभूति रसीद	5 वर्ष से अधिक पहले परंतु 8 वर्षों के भीतर जारी किए गए प्रतिभूति रसीद	8 वर्ष से अधिक पूर्व जारी किए गए प्रतिभूति रसीद
(i)	बैंक द्वारा बेची गई मूल एनपीए समर्थित प्रतिभूति रसीदों का बही मूल्य	318.87	51.89	3.30
	(i) के तहत किया गया प्रावधान	9.82	2.80	3.83
(ii)	अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई मूल एन पी ए समर्थित प्रतिभूति रसीदों का बही मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) के तहत किया गया प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i)+(ii)		318.87	**51.89**	**3.30**

18.5.11 खरीदी / बेची गई गैर-निष्पादनकारी वित्तीय आस्तियों का विवरण

वे बैंक जो अन्य बैंकों से गैर-निष्पादनकारी वित्तीय आस्तियां खरीदते हैं, उन्हें अपने तुलन पत्र की लेखा टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटन करने होंगे:

(क) खरीदी गई गैर-निष्पादनकारी वित्तीय आस्तियों का विवरणः

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2. (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य

(ख) बेची गई गैर-निष्पादनकारी वित्तीय आस्तियों का विवरणः

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रं सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
1.	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3.	कुल प्राप्त प्रतिफल	शून्य	शून्य

18.5.12 स्तरीय आस्तियों हेतु प्रावधानः

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार
स्तरीय आस्तियों हेतु प्रावधान / (किया जा चुका है)	93.50	(387.00)

बैंक द्वारा धारित सहित स्तरीय आस्तियों के लिए किया गया संचित प्रावधान, जो वर्ष की समाप्ति पर ₹642.46 करोड़ (पिछले वर्ष ₹548.96 करोड़) है, को तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं व प्रावधान' के तहत शामिल किया गया है।

18.5.10 Investments in security receipts:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars		SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	318.87	51.89	3.30
	Provision held against (i)	9.82	2.80	3.83
(ii)	Book value of SRs backed by NPAs sold by other Banks / financial institutions / non-Banking financial companies as underlying	NIL	NIL	NIL
	Provision held against (ii)	NIL	NIL	NIL
Total (i) + (ii)		318.87	**51.89**	**3.30**

18.5.11 Details of non-performing financial assets purchased / sold

Banks which purchase non-performing financial assets from other banks shall be required to make the following disclosures in the Notes to Accounts to their Balance sheet:

a) Details of non-performing financial assets purchased:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
1. (a) No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL

b) Details of non-performing financial assets sold:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
1. No. of accounts sold	NIL	NIL
2. Aggregate outstanding	NIL	NIL
3. Aggregate consideration received	NIL	NIL

18.5.12 Provisions on Standard Assets:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
Provisions towards Standard Assets/ (decreased)	93.50	(387.00)

The cumulative provision towards Standard Assets held by the Bank as at the year-end amounting to ₹642.46 Crore (previous year ₹548.96 Crore) is included under the head Other Liabilities and Provisions in Schedule 5 to the Balance Sheet.

18.5.13 कारोबार अनुपात

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार
i)	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय	7.11%	6.84%
ii)	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में गैर-ब्याज आय	1.06%	1.10%
iii)	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में परिचालन लाभ/हानि	1.49%	1.46%
iv)	आस्तियों पर आय	0.02%	(2.31%)
v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा एवं अग्रिम) (₹ लाख में)	1860.16	1618.13
vi	प्रति कर्मचारी लाभ / (हानि) ₹ लाख में)	0.25	(26.72)

18.5.14 प्रतिभूतिकरण (कॉरपोरेट ऋण)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण			31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या			शून्य	
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूत आस्तियों की कुल राशि				
3.	तुलन-पत्र की तारीख को बैंक द्वारा एमआरआर के अनुसरण में रखी गई एक्सपोजर की कुल राशि				
	क)	ऑफ तुलन-पत्र एक्सपोजर			
		प्रथम हानि			
		अन्य			
	ख)	ऑन-तुलन पत्र एक्सपोजर			
		प्रथम हानि			
		अन्य			
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेनों में एक्सपोजर राशि				
	क)	ऑफ तुलन पत्र एक्सपोजर			
		1)	स्व-प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर		
			प्रथम हानि		
			हानि		
		2)	तृतीय पक्ष प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर		
			प्रथम हानि		
			अन्य		
	ख)	ऑन तुलन-पत्र एक्सपोजर			
		1)	स्व-प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर		
			प्रथम हानि		
			अन्य		
		2)	तृतीय पक्ष प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर		
			प्रथम हानि		
			अन्य		

18.5.13 Business Ratios

(Amount in ₹ Crore)

S. No	Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	7.11%	6.84%
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.06%	1.10%
iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.49%	1.46%
iv)	Return on Assets	0.02%	(2.31%)
v)	Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in Lakh)	1860.16	1618.13
vi)	Profit /(Loss) per employee (₹in Lakh)	0.25	(26.72)

18.5.14 Securitisation (Corporate Credit)

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Particulars			As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
1.	No of SPVs sponsored by the Bank for securitisation transactions			NIL	
2.	Total amount of securitised assets as per books of the SPVs sponsored by the Bank				
3.	Total amount of exposures retained by the Bank to comply with MRR as on the date of balance sheet				
	a)	Off balance sheet exposures			
		First loss			
		Others			
	b)	On-balance sheet exposures			
		First loss			
		Others			
4.	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR				
	a)	Off balance sheet exposures			
		1)	Exposure to own securitizations		
			First loss		
			Loss		
		2)	Exposure to third party securitisations		
			First loss		
			Others		
	b)	On balance sheet exposures			
		1)	Exposure to own securitisations		
			First loss		
			Others		
		2)	Exposure to third party securitisations		
			First loss		
			Others		

18.5.15 31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) की धारणीय अवसंरचना के लिए योजना

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		प्रावधान
			भाग क में	भाग ख में	
मानक के रूप में वर्गीकृत	------------------------शून्य------------------------				
एनपीए के रूप में वर्गीकृत					

18.5.16 वित्तीय वर्ष 2018-19 में मौजूदा ऋणों की लचीली अवसंरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

अवधि	लचीली अवसंरचना हेतु लिए गए उधारकर्ताओं की सं.	लचीली अवसंरचना के लिए ली गई ऋण राशि		लचीली अवसंरचना के लिए लिए गए ऋणों की अवधि पर औसत भारित एक्सपोजर	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीली अवसंरचना लागू करने से पूर्व	लचीली अवसंरचना लागू करने के बाद
पिछला वित्तीय वर्ष 2017-18	6	703.47	140.63	119.65 माह	227.06 माह
चालू वित्तीय वर्ष 2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

18.5.17 नीतिगत ऋण अवसंरचित योजना (वर्तमान में जो खाते अवरोधित अवधि में है)

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहां एसडीआर इन्वोक्ड किया गया है	रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार बकाया राशि		रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार बकाया राशि ऐसे खातों के संबंध में जहां ऋण से इक्विटी में कन्वर्जन लंबित है।		रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार बकाया राशि ऐसे खातों के संबंध में जहां ऋण से इक्विटी में कन्वर्जन किया गया है।	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
--शून्य--						

18.5.18 31 मार्च 2019 की यथास्थिति के अनुसार एसडीआर योजना से अलग स्वामित्व में बदलाव (वर्तमान में जो खाते अवरोधित अवधि में हैं)

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जिसमें बैंक ने स्वामित्व में बदलाव को प्रभावी करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार बकाया राशि		रिपोर्टिंग तिथि की यथास्थिति के अनुसार बकाया राशि ऐसे खातों के संबंध में जहां ऋण से इक्विटी में कन्वर्जन / इक्विटी शेयरों का गिरवी लागू करना लंबित है।		रिपोर्टिंग तिथि की यथास्थिति के अनुसार बकाया राशि ऐसे खातो के संबंध में जहां ऋण से इक्विटी में कन्वर्जन / इक्विटी शेयरों का गिरवी लागू किया गया है।		रिपोर्टिंग तिथि की यथास्थिति के अनुसार बकाया राशि ऐसे खातों के संबंध में जहां स्वामित्व में बदलाव नए शेयर या प्रमोटर इक्विटी की बिक्री के जरिए लागू किया गया है।	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
--शून्य--								

18.5.15 The Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31st March 2019

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision Held
			In Part A	In Part B	
Classified as Standard	----------------------------------NIL------------------------------------				
Classified as NPA					

18.5.16 Flexible Structuring of Existing Loans in the F.Y. 2018-19

(Amount in ₹ Crore)

Period	No. of borrowers taken up for flexible structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Previous Financial Year -2017-18	6	703.47	140.63	119.65 Months	227.06 Months
Current Financial Year -2018-19	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

18.5.17 Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(Amount in ₹ Crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
---NIL---						

18.5.18 Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period) as on 31.03.2019

(Amount in ₹ Crore)

No. of accounts where Bank has decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
---NIL---								

18.5.19 क्रियान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में बदलाव (वर्तमान में जो खाते अवरोधित अवधि में है)

(राशि ₹ करोड़ में)

परियोजना ऋण खातो की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में बदलाव के प्रभावी करने का निर्णय लिया है	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	अवसंरचित मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
---शून्य---			

18.5.20 आस्ति- देयता प्रबंधन

आस्ति एवं देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न

(राशि ₹ करोड़ में)

परिपक्वता पैटर्न	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक एवं	कुल
जमाराशियां	4445.85	8564.02	5868.35	9516.31	36679.51	33728.62	51737.11	35120.33	8797.51	38187.76	232645.38
अग्रिम	1947.05	7180.92	748.06	3348.89	9004.34	17271.60	7592.34	20854.06	29468.21	61869.33	159284.81
निवेश	-	199.88	124.79	56.58	1602.23	1881.74	2721.97	10350.60	11096.28	52118.52	80152.59
उधार	1652.31	-	4500.00	-	2506.70	6.75	909.40	519.20	1025.00	3000.00	14119.36
विदेशी मुद्रा आस्तियां	5057.22	1303.65	53.98	536.13	1032.08	970.20	427.52	65.23	0.09	-	9446.10
विदेशी मुद्रा देयताएं	4355.30	1890.47	31.27	574.50	963.51	896.00	543.31	132.09	48.30	-	9435.75

18.6 एक्सपोज़र

18.6.1 रियल एस्टेट क्षेत्र को एक्सपोज़र

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार
क) प्रत्यक्ष एक्सपोज़र		
i) आवासीय बंधक: उधारकर्ता द्वारा कब्जा की गई अथवा की जाने वाली अथवा किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति बंधक द्वारा पूरी तरह प्रतिभूत ऋण	13837.28	12608.38
ii.) वाणिज्यिक रियल एस्टेट : वाणिज्यिक रियल एस्टेट; कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपारिवारिक आवासीय भवन, कई किरायेदारों वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा भंडार गृह स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण इत्यादि) के बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण। इसमें गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल हैं।	7197.66	8863.31
iii.) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण क) आवासीय ख) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	0	0
(ख) अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को निधि- आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र	11269.48	5864.57
रियल एस्टेट क्षेत्र को कुल एक्सपोज़र	**32304.42**	**27336.26**

18.5.19 Change in ownership of Projects under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(Amount in ₹ Crore)

No. of project loan accounts where Bank has decided to effect change in ownership	Classified as standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
---NIL---			

18.5.20 Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(Amount in ₹ Crore)

Maturity Pattern	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 Month	Over 3 month & up to 6 month	Over 6 Month & up to 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	4445.85	8564.02	5868.35	9516.31	36679.51	33728.62	51737.11	35120.33	8797.51	38187.76	232645.37
Advances	1947.05	7180.92	748.06	3348.89	9004.34	17271.60	7592.34	20854.06	29468.21	61869.33	159284.80
Investments	-	199.88	124.79	56.58	1602.23	1881.74	2721.97	10350.60	11096.28	52118.52	80152.59
Borrowings	1652.31	-	4500.00	-	2506.70	6.75	909.40	519.20	1025.00	3000.00	14119.36
Foreign Currency assets	5057.22	1303.65	53.98	536.13	1032.08	970.20	427.52	65.23	0.09	-	9446.10
Foreign Currency liabilities	4355.30	1890.47	31.27	574.50	963.51	896.00	543.31	132.09	48.30	-	9434.75

18.6 Exposures

18.6.1 Exposure to Real Estate Sector:

(Amount in ₹ Crore)

Category	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
a) Direct Exposure		
i) Residential Mortgages: Landings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	13837.28	12608.38
ii.) Commercial Real Estate: Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.), including non-fund based (NFB) limits.	7197.66	8863.31
iii.) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other Securitised Exposures: a) Residential b) Commercial Real Estate	0	0
b) Indirect Exposure		
Fund Based and Non-fund Based Exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	11269.48	5864.57
Total Exposure to Real Estate Sector	**32304.42**	**27336.26**

18.6.2 पूंजी बाजार को एक्सपोज़र

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी वाले म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी आधारभूत निधि का विशिष्ट निवेश कारपोरेट ऋणों में नहीं किया गया है।	1015.19	992.43
(ii)	शेयरों (आईपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी वाले म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयरों / बॉण्डों / डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बेजमानती आधार पर अग्रिम।	0.16	0.05
(iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी वाले म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	0.00	0.00
(iv)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जो शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी वाले म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की सम्पार्श्विक प्रतिभूति की सीमा तक प्रतिभूत हों अर्थात् जहां शेयरों / परिवर्तनीय बॉण्डों / परिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी वाले म्यूचुअल फंडों की यूनिटों से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा अग्रिम पूरी तरह कवर न हो।	17.88	86.51
(v)	शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और शेयर दलालों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां।	18.23	54.61
(vi)	कारपोरेटों को शेयरों / बॉण्डों / डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बेजमानती आधार पर संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कम्पनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों का अंशदान वहन करने के लिए स्वीकृत ऋण।	0.00	0.00
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह / निर्गम के प्रति कम्पनियों को पूरक ऋण	0.00	0.00
(viii)	शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी वाले म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबताएं।	0.00	0.00
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग हेतु शेयर दलालों को दिया गया वित्त।	0.00	0.00
(x)	वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत व गैर पंजीकृत दोनों) को दिए गए कुल एक्सपोज़र।	167.08	198.75
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोज़र	1218.54	**1332.35**

18.6.2 Exposure to Capital Market

(Amount in ₹ Crore)

	Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
(i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1015.19	992.43
(ii)	Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.16	0.05
(iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.00	0.00
(iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not f+ully cover the advances;	17.88	86.51
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	18.23	54.61
(vi)	Loans sanctioned to Corporates against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues	0.00	0.00
(viii)	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
(ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
(x)	All exposure to Venture Capital Funds(both registered & unregistered)	167.08	198.75
Total Exposure to Capital Market		1218.54	**1332.35**

18.6.3 नीतिगत अवसंरचित ऋण (एसडीआर) योजना

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों में **नीतिगत अवसंरचित ऋण (एसडीआर)** लागू किया है तथा एसडीआर लागू करने के क्रम में शेयरों को अधिग्रहित किया है। अधिग्रहित शेयरों का विवरण निम्न रूप में है-

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	इक्विटी में परिवर्तित एक्स्पोजर
----------------शून्य----------------		

18.6.4 जोखिम श्रेणीवार देश एक्सपोज़र

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार एक्सपोजर (निवल)	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार एक्सपोजर (निवल)	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान
मामूली	851.64	0.00	675.23	0.00
कम	304.75	0.00	420.18	0.00
सामान्य से कम	7.88	0.00	27.07	0.00
सामान्य	21.03	0.00	16.84	0.00
सामान्य से उच्च	3.01	0.00	1.66	0.00
उच्च	0	0.00	0.00	0.00
अत्यधिक उच्च	0	0.00	0.00	0.00
कुल	**1188.31**	0.00	**1140.98**	0.00

प्रत्येक देश के लिए जोखिम श्रेणी-वार देश एक्सपोज़र बैंक के निवल निधिक ऋण के अनुसार बैंक की कुल आस्तियों के 1% से कम हैं तथा इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

18.6.5 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल) के अतिक्रमण का विवरणः

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ऋणी का नाम	अधिकतम ऋण सीमा	स्वीकृत सीमा	31.03.2019 को बकाया
	शून्य			

18.6.6 बैंक द्वारा समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के अतिक्रमण का विवरणः

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ऋणी का नाम	अधिकतम एक्सपोजर सीमा	स्वीकृत सीमा	31.03.2019 को बकाया
	शून्य			

18.6.7 इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार
इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर में कुल राशि	218.50	218.50
शीर्ष 20 इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर में कुल राशि	218.50	218.50
बैंक के उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर कुल एक्सपोजर में से इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत	0.08%	0.09%
इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर में सीमाओं के उल्लंघन एवं उसके अंतर्गत नियामक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं	लागू नहीं

18.6.3 Strategic Debt Restructuring (SDR) Scheme

During the year, Bank has invoked **Strategic Debt Restructuring (SDR)** as per RBI guidelines in the following companies and acquired shares pursuant to invocation of SDR. The details of shares acquired are as under:-

(Amount in ₹ Crore)

S.N.	Name of the Company	Exposure Converted in Equity
----------------NIL----------------		

18.6.4 Risk Category wise Country Exposure:

(Amount in ₹ Crore)

Risk Category	Exposure (net) as on 31st March, 2019	Provision held as on 31st March, 2019	Exposure (net) as on 31st March, 2018	Provision held as on 31st March, 2018
Insignificant	851.64	0.00	675.23	0.00
Low	304.75	0.00	420.18	0.00
Moderately Low	7.88	0.00	27.07	0.00
Moderate	21.03	0.00	16.84	0.00
Moderately High	3.01	0.00	1.66	0.00
High	0.00	0.00	0.00	0.00
Very High	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**1188.31**	0.00	**1140.98**	0.00

Bank's net funded exposure for risk category-wise country exposures for each country is less than 1% of Bank's total assets and as such no provision is required in terms of RBI guidelines.

18.6.5 Details of Single Borrower Limit (SBL), exceeded by the Bank:

(Amount in ₹ Crore)

Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31st March, 2019
NIL				

18.6.6 Details of Group Borrower Limit (GBL), exceeded by the Bank:

(Amount in ₹ Crore)

Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31st March, 2019
Nil				

18.6.7 Intra-Group Exposure

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
Total Amount of Intra Group Exposure	218.50	218.50
Total Amount of Top-20 intra group exposure	218.50	218.50
Percentage of intra group exposure to total exposure of the Bank on borrowers/customers	0.08%	0.09%
Detail of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	NA	NA

18.6.8 (i) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

बैंक के पास एसएमई सहित कॉरपोरेट अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के प्रबंधन एवं निगरानी हेतु मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है। उपलब्ध आँकड़ों एवं वित्तीय विवरणियों तथा उधारकर्ताओं के घोषणा पत्र के आधार पर, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी, 2014 एवं परिपत्र सं. डीबीओडी.सं- बीपी-बीसी.116/21.06.200/2013-14 दिनांक 3 जून, 2014 के अनुसार दिए गए तदनुरूपी स्पष्टीकरण के अनुसार अपने घटकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर देयताओं को 31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार ₹25.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹22.64करोड़) आकलित किया है। 31 मार्च, 2019 को अरक्षित एक्सपोजर का बकाया प्रावधान ₹25.18 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹22.64करोड़)।

(ii) बाजार भाव पर दर्शाई गई हानि का विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर सं.बीपी.बीसी.113/21.04.048/2017-18 दिनांक 15 जून, 2018 बैंकों को 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए एएफएस एवं एचटीएफ श्रेणी के निवेशों पर बाजार भाव पर दर्शाई गई (एमटीएम) हानि के प्रावधान का, 30 जून, 2018 तिमाही से प्रारंभ करके, चार तिमाही में विस्तार करने का विकल्प प्रदान करता है। तदनुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान बाजार भाव पर दर्शाई गई (एमटीएम) ऐसी हानि हेतु रु.577.36 करोड़ लाभ व हानि खाते को प्रभारित की गई और 31 मार्च, 2019 को गैर-परिशोधित शेष राशि शून्य है।

18.6.9 अरक्षित अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार
कुल अरक्षित अग्रिम	9755.46	8424.67
जिनमें से i) अमूर्त प्रतिभूतियों पर प्रभार के अधीन बकाया अग्रिमों की राशि जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि संपार्श्विक के रूप में बैंक पर प्रभारित	97.84	शून्य
ii) इस प्रकार की अमूर्त आस्तियों का अनुमानित मूल्य (उपरोक्त (i) के अनुसार)	शून्य	शून्य

(प्रबंधन द्वारा यथा संकलित तथा प्रमाणित एवं लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वस्त)

18.7 विविध प्रकटन

18.7.1 बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई शास्तियां:

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के ऊपर ₹3.50 करोड़ (रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र) की शास्ति लगाई गई है।

18.7.2 भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर सं. बीपी 13018 / 21.04.048/2015-16, दिनांक 12.04.2016 तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. 3992/21.04.048/2016-17 एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर बीपी 7201 / 21.04.132/2017-18, दिनांक 08.02.2018 के अनुपालन में, बैंक ने पंजाब राज्य सरकार द्वारा प्राप्त खाद्य ऋण सुविधा के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 को ₹585.88 करोड़ के मौजूदा बकाया का 5% अर्थात् ₹29.29 करोड़ का प्रावधान रखा है।

18.6.8 (i) Unhedged Foreign Currency Exposure

Bank has laid down Board approved policy for managing and monitoring Un-hedged Foreign Currency Exposure of corporate including SMEs. Based on the available data and financial statements and the declaration from borrowers, the Bank has estimated the liability of Rs. 25.18 Crore (Previous Year Rs. 22.64 Crore) as on 31st March, 2019 on unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular DBOD. NO. BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated 15th January 2014 and subsequent clarification vide circular no. DBOD.No. BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 3rd June 2014. The outstanding provision on Unhedged Exposure as on 31.03.2019 is Rs. 25.18 Crore (Previous Year Rs. 22.64 Crore).

(ii) Spreading of MTM Losses

Reserve Bank of India circular DBR No. BP.BC.113/21.04.048/2017-18 dated June 15, 2018 grants banks an option to spread provisioning for mark to market (MTM) losses on investments held in AFS and HFT categories for the quarter ended June 30, 2018 equally over up to four quarters, commencing with the quarter ending June 30, 2018. Accordingly, ₹577.36 Crore have been charged to the profit and loss account during the financial year ended March 31, 2019 towards such MTM losses and the balance unamortized amount is NIL as on March 31, 2019.

18.6.9 Unsecured Advances:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
Total Unsecured Advances	9755.46	8424.67
Out of which i) Amount of advances outstanding against charging over intangible securities such as rights, licenses, authorisations etc charged to the Bank as collateral	97.84	Nil
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above)	Nil	Nil

(As compiled and certified by the management and relied upon by the Auditors).

18.7 Miscellaneous Disclosures

18.7.1 Penalties imposed by RBI under Banking Regulation Act, 1949:

Reserve Bank of India has imposed penalty of Rs. 3.50 crore (Rs. Three crore fifty lakh only) on the Bank during the year ending 31st March 2019, under the provision of Section 47(A) (1) (c) read with section 46 (4) (i) of the Banking Regulation Act 1949.

18.7.2 In compliance of RBI letter no.DBR No.BP.13018/21.04.048/2015-16 dated 12.04.2016 and further in compliance with RBI letter No.3992/21.04.048/2016-17 and further to RBI letter No.DBR.BP.7201/21.04.132/2017-18 dated 08.02.2018, Bank has retained provision of Rs.29.29 Crore being 5% of the existing outstanding of Rs.585.88 Crore as on 31st March, 2019 under food credit availed by State Government of Punjab.

18.7.3 ₹0.25 करोड़ के एक परिसर के संबंध में (गत वर्ष ₹0.25 करोड़), बैंक के पक्ष में पंजीकरण / बिक्री / हक विलेख लंबित है।

18.8 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन

18.8.1 लेखांकन मानक एएस-5 : आलोच्य अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, अवधि पूर्व मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तनः

कोई अवधि पूर्व मद सामग्री नहीं है। पिछले वर्ष की तुलना में लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

18.8.2 लेखांकन मानक - एएस 10 - संपत्ति प्लांट तथा उपस्कर/ स्थायी आस्तियां

01 अप्रैल, 2018 से लागू संशोधित लेखांकन मानक - 10 के फलस्वरूप, स्थायी आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग पर वर्ष के लिए ₹17.73 करोड़ के मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों से राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में अंतरित किया गया।

18.8.3 लेखांकन मानक - एएस 12 सरकारी अनुदान हेतु लेखांकन

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक को "आधार पंजीकरण एवं अद्यतन केन्द्रों (एईसी) स्थापित करने के लिए सहायता" के रूप में ₹1.64 करोड़ का अनुदान सहयोग तथा "भीम आधार भुगतान डिवाइस संस्थापित करने के लिए प्रोत्साहन" के रूप में ₹0.43 करोड़ प्राप्त हुए। बैंक ने अनुदान को आस्थागित आय के रूप में माना है जिसे आस्ति के उपयोगी काल में सुव्यवस्थित एवं युक्तिसंगत रूप से लाभ व हानि खाते में दर्शाया गया है।

18.8.4 लेखांकन मानक - एएस 15 - कर्मचारी लाभः

बैंक एएफ-15 (संशोधित 2005) कर्मचारी लाभ का अनुसरण कर रहा है। परिभाषित कर्मचारी अंशदान/लाभ योजनाएं निम्नानुसार हैः

क) भविष्य निधि

बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि में एक नियत अंशदान का भुगतान एक अलग न्यास को करता है, जो इन निधियों का निवेश अनुमोदित प्रतिभूतियों में करता है। इस कोष में आलोच्य अवधि के लिए किए गए अंशदान को व्यय माना गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है। बैंक का दायित्व इस प्रकार के नियत अंशदान तक सीमित है।

ख) उपदान

बैंक में 1 जनवरी 1983 से पहले कार्यग्रहण करने / बनने वाला अधिकारी नियमानुसार अधिकतम 20 माह का उपदान पाने का पात्र है।

बैंक में 1 जनवरी 1983 को अथवा इसके बाद कार्यग्रहण करने वाला अधिकारी उपदान भुगतान अधिनियम अथवा अधिकारी सेवा विनियमावली के तहत, जैसा भी मामला हो, उपदान पाने का पात्र है।

कर्मकार उपदान भुगतान अधिनियम अथवा द्विपक्षीय समझौते के तहत, जैसा भी मामला हो, उपदान पाने के पात्र हैं।

अधिकारी / कर्मकार जिन्होंने पांच वर्ष अथवा इससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी की है, अधिवर्षिता, त्यागपत्र देने एवं सेवा - समाप्ति पर उपदान पाने के पात्र हैं। अग्रतर, मृत्यु के मामले में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा आवश्यक है। उपदान निधि का प्रबंधन एक अलग न्यास करता है और इसका निधीयन बैंक करता है। इसकी देयता को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर माना जाता है।

18.7.3 In respect of one premises costing ₹0.25 Crore (Previous year ₹0.25 Crore), registration/sale/title deeds in favour of the Bank are pending.

18.8 Disclosure in terms of Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

18.8.1 Accounting Standard AS-5 – Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies:

There are no material prior period items. There is no change in the Accounting Policy as compared to the previous year.

18.8.2 Accounting Standard AS- 10 – Property Plant and Equipment/Fixed Assets

Subsequent to the revised Accounting Standards- 10 applicable from April 1, 2018, depreciation of ₹17.73 Crore for the year on the revalued portion of the fixed assets has been transferred from the Revaluation Reserve to Revenue and Other reserve.

18.8.3 Accounting Standard AS-12 Accounting for Government Grants

During the year 2018-19 the Bank has received a sum of Rs.1.64 crore as Grant Assistance under the Scheme "Support for setting up of Aadhaar Enrolment and update Centers (AECs)" and Rs.0.43 crore as "Incentive for installation of BHIM Aadhaar Pay devices". The Bank has treated the grant as deferred income which is recognised in the profit and loss statement on a systematic and rational basis over the useful life of the asset. Accordingly, the Bank has booked a sum of Rs.0.69 crore as income in the Profit & Loss account during the year 2018-19.

18.8.4 Accounting Standard AS-15 – Employee Benefits:

The Bank is following AS-15 (revised 2005) 'Employee Benefits'. The defined employee contribution/ benefit schemes are as under:-

a. Provident Fund

The Bank pays fixed contribution to Provident Fund at predetermined rates to a separate Trust, which invests the funds in permitted securities. The contribution to the fund for the period is recognized as expense and is charged to the profit & loss account. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution.

b. Gratuity

The officers who had joined the service or became officer before 1st January, 1983 are entitled for Gratuity under Rules subject to Maximum 20 months.

The Officers who had joined the service on or after 1st January, 1983 are entitled for Gratuity under The Payment of Gratuity Act or Officer's Service Regulation, whichever is higher.

The workmen are entitled for gratuity under The Payment of Gratuity Act or Bipartitle Settlement, whichever is higher.

The Officers / Workmen who had rendered continuous services of five years or more are eligible for gratuity on superannuation, resignation and termination. Further, in case of death, the minimum service required is one year. The gratuity fund is managed by separate trust and is funded by the Bank. The liability of the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

ग) पेंशन

बैंक में एक परिभाषित पेंशन लाभ योजना है। यह योजना 29.09.1995 की स्थिति के अनुसार बैंक के उन वर्तमान कर्मचारियों पर, जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प चुना है और इसके बाद परंतु 01 अप्रैल, 2010 के पूर्व कार्यग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू है। इस योजना की देखरेख एक अलग न्यास करता है और इसकी देयता को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर माना जाता है।

घ) चिकित्सा अवकाश

भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी के अनुसार, बैंक ने चिकित्सा अवकाश के लिए 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹4.49 करोड़ (गत वर्ष के दौरान ₹11.87 करोड़) प्रदान किए हैं।

ङ) अन्य परिभाषित सेवानिवृति लाभ (ओडीआरबी)

अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभों में अवकाश नगदीकरण, कर्मचारियों और आश्रितों को उनके गृह नगर (होम टाऊन) में बसाना और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी व कार्यकारी निदेशक के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ शामिल हैं। ये गैर निधिक हैं और इन्हें बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर माना गया है।

लाभ एवं हानि खाता और तुलन पत्र में लिए गए विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति और निधिक स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड में)

मदें		**निधिक**				**गैर-निधिक**	
		ग्रेच्युटी		पेंशन		छुट्टी नकदीकरण	
		2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
क.	**परिभाषित लाभ बाध्यता में परिवर्तनः**						
	परिभाषित लाभ बाध्यता अथशेष	875.50	773.62	5946.28	5598.76	543.45	440.76
	(जोड़े) वेतन संशोधन के कारण भुगतान किया गया अन्तर	-	-	-	-	-	-
	अर्जन समायोजन	-	-	-	-	-	-
	वर्तमान सेवा लागत	46.00	44.09	137.37	135.37	36.85	33.68
	ब्याज लागत	67.85	58.02	460.84	419.91	42.12	33.06
	गत सेवा लागत	-	79.93	-	-	-	-
	बीकांकिक हानि /(लाभ)	36.70	(7.62)	281.13	11.82	42.19	138.20
	प्रदत्त लाभ	(121.27)	(72.54)	(281.60)	(219.58)	(93.83)	(102.25)
	परिभाषित लाभ बाध्यता इतिशेष	904.78	875.50	6544.02	5946.28	570.78	543.45
ख.	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**						
	आस्तियों का उचित मूल्य अथशेषः	806.14	778.12	6189.58	5597.76		
	योजना आस्तियों पर अनुमानित आय	64.49	66.14	526.11	475.81		
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	(0.10)	8.74	(33.96)	209.41		
	नियोक्ता द्वारा अंशदान	149.36	25.67	77.11	126.18		
	प्रदत्त लाभ	(121.27)	(72.53)	(281.60)	(219.58)	लागू नहीं	
	परिशोधित राशि/एनपीआई	(0.01)	-	-	-		
	अतिरिक्त निधि हेतु प्रावधान	-	-	(273.18)	-		
	आस्तियों का उचित मूल्य इतिशेष	898.61	806.14	6204.06	6189.58		
ग.	**तुलनपत्र में ली गई राशिः**						
	बाध्यता का वर्तमान मूल्य - वर्ष के अंत में - (i)	904.78	875.50	6544.02	5946.28	570.78	543.45
	आस्तियों का उचित मूल्य - वर्ष के अंत में - (ii)	898.61	806.14	6204.06	6189.58	-	-
	अंत (ii)-(i)	(6.17)	(69.36)	(339.96)	243.30	(570.78)	(543.45)

c. **Pension**

The Bank has a defined benefit pension scheme. The scheme applies to existing employees of the Bank as on 29.09.1995 who have opted for the pension scheme and to all the employees joining, thereafter but before 01.04.2010. The scheme is managed by a separate Trust and the liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

d. **Sick leave**

In compliance to RBI observations, the Bank has provided for ₹4.49 Crore towards sick leaves during the year ended 31st March, 2019 (₹11.87 Crore during the previous year).

e. **Other Defined Retirement Benefits (ODRB)**

Other Defined Retirement Benefits (ODRB) include leave encashment, settlement at home town for employees and dependents and post-retirement medical benefit for MD, CEO and ED. These are unfunded and are recognized on the basis of actuarial valuation.

The summarized position of various defined benefits recognized in the profit and loss account and balance sheet along with the funded status are as under:

(Amount in ₹Crore)

	Items	**FUNDED**				**UNFUNDED**	
		Gratuity		**Pension**		**Leave Encash-ment**	
		2018-19	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**
a)	Changes in the Defined Benefit Obligation:						
	Opening defined benefit obligation	875.50	773.62	5946.28	5598.76	543.45	440.76
	(Add) Difference paid on account of Wage revision	-	-	-	-	-	-
	Acquisition Adjustment	-	-	-	-	-	-
	Current Service Cost	46.00	44.09	137.37	135.37	36.85	33.68
	Interest Cost	67.85	58.02	460.84	419.91	42.12	33.06
	Past Service Cost	-	79.93	-	-	-	-
	Actuarial loss/(gain)	36.70	(7.62)	281.13	11.82	42.19	138.20
	Benefits paid	(121.27)	(72.54)	(281.60)	(219.58)	(93.83)	(102.25)
	Closing defined benefit obligation	904.78	875.50	6544.02	5946.28	570.78	543.45
b)	Changes in Fair value of Plan Assets:						
	Opening fair value of Assets	806.14	778.12	6189.58	5597.76		
	Expected return on plan assets	64.49	66.14	526.11	475.81		
	Actuarial (gain)/loss	(0.10)	8.74	(33.96)	209.41		
	Contributions by employer	149.36	25.67	77.11	126.18	N.A.	
	Benefits paid	(121.27)	(72.53)	(281.60)	(219.58)		
	Amount amortized/NPI	(0.01)	-	-	-		
	Provision for Excess of Fund	-	-	(273.18)	-		
	Closing Fair Value of Asset	898.61	806.14	6204.06	6189.58		
c)	Amount recognised in the Balance Sheet:						
	Present Value of Obligation - as at the year-end - (i)	904.78	875.50	6544.02	5946.28	570.78	543.45
	Fair value of the Assets - as at the year-end- (ii)	898.61	806.14	6204.06	6189.58	-	-
	Difference (ii) - (i)	(6.17)	(69.36)	(339.96)	243.30	(570.78)	(543.45)

	तुलनपत्र में ली गई निवल आस्ति /(देयता)	(6.17)	(69.36)	(339.96)	243.30	(570.78)	(543.45)
घ	**लाभ हानि खाते में लिया गया व्ययः**						
	वर्तमान सेवा लागत	46.00	44.09	137.37	135.37	36.85	33.68
	पिछली सेवा लागत/मान्य	-	79.93	-	-	-	-
	परिभाषित लाभ बाध्यता पर ब्याज	67.85	58.02	460.84	419.91	42.12	33.06
	योजना आस्तियों पर अनुमानित आय	(64.49)	(66.14)	(526.11)	(475.81)	-	-
	चालू वर्ष में लिया गया निवल बीमांकिक घाटा/(लाभ)	36.80	(16.37)	315.08	(197.59)	42.19	138.20
	लाभ-हानि खाते में लिया गया व्यय	86.16	99.53	387.18	(118.12)	121.16	204.94
ड	**तुलनपत्र में ली गई देयता में उतार-चढ़ाव**						
	निवल देयता अथशेष	875.50	773.62	5946.28	5598.76	543.45	440.76
	(जोड़े) वेतन संशोधन के कारण भुगतान किया गया अन्तर	-	-	-	-	-	-
	उपरोक्तानुसार व्यय	86.16	99.53	387.18	(118.12)	121.16	204.94
	प्रदत्त लाभ	(121.27)	(72.53)	(281.60)	(219.58)	(93.83)	(102.25)
	योजना आस्तियों पर वास्तविक आय	64.39	74.88	492.16	685.22	-	-
	अर्जन समायोजन	-	-	-	-	-	-
	निवल देयता/(आस्ति) इतिशेष	904.78	875.50	6544.02	5946.28	570.78	543.45
च	**योजना आस्तियों के विवरण (विनिवेश)**						
	सरकारी प्रतिभूतियां	60.66	22.39	457.14	137.20	लागू नहीं	
	कॉरपोरेट बॉण्ड/डिबेंचर	82.00	81.94	1088.00	1187.93		
	बैंकों में जमाराशियां	0.03	0.02	-	-		
	बीमा कंपनियों द्वारा प्रबंधित निधियां	662.02	634.72	4272.76	4363.22		
	अन्य	19.64	7.46	202.50	134.70		
	कुल	824.35	746.53	6020.40	5823.05		
	उपर्युक्त में से ओबीसी बॉण्ड / जमाराशियों में विनिधान	-	35.00	-	-		
छ	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक धारणाएं:**						
	प्रयुक्त पद्धति	**अनुमानित यूनिट लाभ**		**अनुमानित यूनिट लाभ**			
	बट्टा दर (वार्षिक)	7.80%	7.75%	7.80%	7.75%	7.80%	7.75%
	योजना आस्तियों पर आय की अनुमानित दर (वार्षिक)	8.00%	8.00%	8.50%	8.50%	-	-
	भावी वेतन वृद्धि	5.50%	5.50%	5.50%	5.00%	5.50%	5.50%
ज	**अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ - गैर-निधिक:**	**चिकित्सा राहत**				**चिकित्सा अवकाश**	
	परिभाषित लाभ बाध्यता अथशेष	3.27	2.91	लागू नहीं		78.61	66.75
	वर्तमान सेवा लागत	0.24	0.05			5.73	5.24
	ब्याज लागत	0.25	0.22			6.09	5.01
	प्रदत्त लाभ	(0.64)	(0.17)			-	-
	बीमांकिक हानि / लाभ	1.96	0.26			(7.34)	1.61
	परिभाषित लाभ बाध्यता इतिशेष	5.10	3.27			83.10	78.61
झ	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक धारणाएं:**						
	बट्टा दर (वार्षिक)	7.80%	7.75%	लागू नहीं		7.80%	7.75%
	भावी वेतन वृद्धि	5.50%	5.50%			5.50%	5.50%

	Net asset / (liability) recognised in the Balance Sheet	(6.17)	(69.36)	(339.96)	243.30	(570.78)	(543.45)
d)	Expenses recognised in the Profit and Loss account::						
	Current Service cost	46.00	44.09	137.37	135.37	36.85	33.68
	Past service cost/ recognised	-	79.93	-	-	-	-
	Interest on defined benefit obligation	67.85	58.02	460.84	419.91	42.12	33.06
	Expected return on plan assets	(64.49)	(66.14)	(526.11)	(475.81)	-	-
	Net actuarial loss/(gain) recognised in the current year	36.80	(16.37)	315.08	(197.59)	42.19	138.20
	Expenses recognised in the P&L a/c	86.16	99.53	387.18	(118.12)	121.16	204.94
e)	Movements in the Liability recognised in the Balance Sheet						
	Opening Net Liability	875.50	773.62	5946.28	5598.76	543.45	440.76
	(add) difference paid on account of wage revision	-	-	-	-	-	-
	Expense as above	86.16	99.53	387.18	(118.12)	121.16	204.94
	Benefit paid	(121.27)	(72.53)	(281.60)	(219.58)	(93.83)	(102.25)
	Actual return on Plan asset	64.39	74.88	492.16	685.22	-	-
	Acquisition Adjustment	-	-	-	-	-	-
	Closing Net liability/(asset)	904.78	875.50	6544.02	5946.28	570.78	543.45
f)	Details of Plan Assets (Investments):						
	Government Securities	60.66	22.39	457.14	137.20	N.A.	
	Corporate Bonds/ debentures	82.00	81.94	1088.00	1187.93		
	Deposit in Banks	0.03	0.02	-	-		
	Funds managed by Insurance Co.	662.02	634.72	4272.76	4363.22		
	Others	19.64	7.46	202.50	134.70		
	Total	824.35	746.53	6020.40	5823.05		
	Of the above, investment in OBC Bond/deposits	-	35.00	-	-		
g)	Principal actuarial assumptions used:						
	Method used	Projected Unit Credit		Projected Unit Credit			
	Discount rate (p.a.)	7.80%	7.75%	7.80%	7.75%	7.80%	7.75%
	Expected rate of return on plan assets (p.a.)	8.00%	8.00%	8.50%	8.50%	-	-
	Future Salary increase	5.50%	5.50%	5.50%	5.00%	5.50%	5.50%
h)	Other Long Term Employee Benefits – unfunded	**Medical Aid**				**Sick Leave**	
	Opening defined benefit obligation	3.27	2.91	N.A		78.61	66.75
	Current Service Cost	0.24	0.05			5.73	5.24
	Interest Cost	0.25	0.22			6.09	5.01
	Benefits paid	(0.64)	(0.17)			-	-
	Actuarial loss/gain	1.96	0.26			(7.34)	1.61
	Closing defined benefit obligation	5.10	3.27			83.10	78.61
i)	**Principal actuarial assumptions used:**						
	Discount rate (p.a.)	7.80%	7.75%	N.A		7.80%	7.75%
	Future Salary increase	5.50%	5.50%			5.50%	5.50%

टिप्पणियां:

- बीमांकिक मूल्यांकन में ली गई भावी वेतन वृद्धि का अनुमान महंगाई, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया।
- आलोच्य वर्ष के दौरान छुट्टी किराया रियायत के लिए ₹46.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹45.19 करोड़) तथा स्टाफ सैटलमेंट व्यय हेतु ₹4.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4.27 करोड़) का प्रावधान किया गया है जो बीमांकिक प्रमाणपत्र के अनुसार है।

18.8.5 लेखांकन मानक एएस- 17- खण्डवार रिपोर्टिंगः

क) कारोबार खंड जो प्राथमिक खंड है, में निम्नलिखित शामिल हैं

- ट्रेजरी परिचालन
- कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग कारोबार परिचालन

ख) भौगोलिक खण्ड को गौण खण्ड के रुप में माना जाता है। चूंकि बैंक का विदेश में कोई परिचालन नहीं है, इसलिए भौगोलिक खण्ड में रिपोर्ट करने योग्य केवल घरेलू परिचालन हैं।

- **ट्रेजरी परिचालन:** ट्रेजरी परिचालन में प्रतिभूतियों में लेनदेन और मुद्रा बाजार परिचालन शामिल है।
- **कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग:** इनमें न्यासों, भागीदार फर्म, कम्पनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें "रिटेल बैंकिंग" में शामिल नहीं किया गया है।
- **रिटेल बैंकिंग:** व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवार, भागीदार फर्म, न्यास, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों, सहकारी समितियों इत्यादि अथवा लघु कारोबार को ₹5.00 करोड़ तक का ऋण रिटेल बैंकिंग के तहत आता है। लघु कारोबार वह है जहां पिछले तीन वर्ष का वार्षिक टर्नओवर (मौजूदा कम्पनी के लिए वास्तविक और नई कम्पनी के लिए पूर्वानुमानित) ₹50 करोड़ से कम हो।
- **अन्य बैंकिंग कारोबार परिचालनः** ट्रेजरी, थोक बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग खण्डों में शामिल न किए गए अन्य सभी बैंकिंग परिचालन इनमें आते हैं। अन्य बैंकिंग कारोबार अवशिष्ट श्रेणी हैं।

ग) खंड राजस्व को, ट्रेजरी परिचालन में प्रयुक्त औसत अंतर-खण्डीय निधियों पर ब्याज के बाद दर्शाया गया है। ब्याज निधियों को लागत के उतार-चढ़ाव के आधार पर प्रभारित किया गया है अर्थात् आलोच्य वर्ष हेतु औसत कार्यशील निधियों पर व्यय किए गए कुल ब्याज का प्रतिशत।

व्यय, आस्ति एवं देयतायों का आबंटन - प्रधान कार्यालय / नियंत्रक कार्यालय में किए गए व्ययों को सीधे कॉरपोरेट / होलसेल एवं रिटेल बैंकिंग परिचालनों अथवा ट्रेजरी ऑपरेशन सेगमेंट में तद्नुसार आवंटित किया जाता है। व्यय को प्रत्येक सेगमेंट में छोड़े गए ब्याज (पुनर्संरचित अग्रिमों के आधार पर विभाजित) के प्रावधान को छोड़कर बकाए बकाया के अनुपात के आधार पर सीधे आबंटित किया जाता है तथा एफआईटीएल का प्रावधान एवं मानक पुनर्संरचित एवं मानक अग्रिम (बकाए मानक पुनर्संरचित अग्रिम के आधार पर विभाजित) किया गया है। बैंक के पास कुछ सामान्य संपत्तियां और देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी सेगमेंट में नहीं रखा जा सकता है, और इन्हें अनाबंटित माना जाएगा।

Note:

- The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation, takes into account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market.
- The provision for LFC is at ₹46.96 Crore (previous year ₹45.19 Crore) and Staff settlement expenses at ₹4.47 Crore (previous year ₹4.27 Crore) which are as per Actuarial Certificate.

18.8.5 Accounting Standard AS-17 – Segment Reporting:

a) The Business Segments, which is the Primary Segment include:

- Treasury Operations
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Other Banking Business Operations

b) The Geographical segments are recognized as the Secondary Segment. As the Bank is not carrying on any foreign operations, the only reportable geographical segment is of Domestic operations.

- **Treasury Operations**: Treasury operations consist of dealing in securities and Money Market Operations
- **Corporate / Wholesale Banking**: Includes all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included under "Retail Banking"
- **Retail Banking**: The exposure up to ₹5.00 Crore to individual, HUF, Partnership firm,Trust, Private Ltd. Companies, Public ltd. Companies , Co-operative societies etc. or to a small business is covered under retail Banking. Small business is one where average of last three years' annual turnover (Actual for existing & projected for new entities) is less than ₹50 Crore.
- **Other Banking business operations**: Includes all other Banking operations not covered under Treasury, Wholesale Banking and Retail Banking Segments. Other Banking business is the residual category.

c) The segment revenue is shown after interest on average inter-segment funds used in Treasury Operations. The interest on inter segment funds has been charged at the rate based on the movements in Cost of Funds i.e. percentage of total interest expended to average working funds for the year.

Allocation of Expenses, Assets and Liabilities: Expenses incurred at Head office/ Controlling Office directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of outstanding advances in each segment except the provision for sacrifice interest (bifurcated on the basis of outstanding restructured advances) and provision for FITL & Standard restructured standard advances (bifurcated on the basis of outstanding standard restructured advances).The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

(राशि ₹ करोड़ में)

कारोबार खण्ड	ट्रेजरी		कॉरपोरेट/होल सेल बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व	5797.93	6192.78	8826.35	9726.96	8724.59	7727.80	610.42	443.14	23959.29	24090.68
अनाबंटित आय									163.96	3.92
कुल राजस्व									24123.25	24094.60
घटाएं: अंतःखण्डीय राजस्व									3586.48	3913.35
परिचालन से राजस्व									20536.77	20181.25
परिणाम (लाभ/(-) हानि)	1563.93	1627.77	-6845.45	-8171.83	1266.20	293.38	223.47	153.03	-3791.85	-6097.65
अनाबंटित आय में से अनाबंटित व्यय का निवल									-161.08	-3.23
कर एवं असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ									-3630.77	-6094.42
आयकर									-3685.76	-222.68
असाधारण लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल लाभ									54.99	-5871.74
अन्य सूचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
खण्ड आस्तियां	85156.06	72875.87	102649.06	92371.18	75060.87	62889.34	1981.70	2396.39	264847.69	230532.78
अनाबंटित आस्तियां									7061.88	2811.26
कुल आस्तियां									271909.57	233344.04
खण्ड देयताएं	85156.06	72875.87	102649.06	92371.18	75060.87	62889.34	1981.70	2396.39	264847.69	230532.78
अनाबंटित देयताएं									7061.88	2811.26
कुल देयताएं									271909.57	233344.04

18.8.6 लेखांकन मानक-एएस 18 - संबंधित पार्टी:

बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के संबंध में संबंधित पार्टी लेनदेन का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	नाम	संबंध	लेनदेन का स्वरूप	2018-19	2017-18
1	श्री मुकेश कुमार जैन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कायपालक अधिकारी (15.07.2017 से)	पारिश्रमिक	27.66	18.45
2	श्री अनिमेष चौहान	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कायपालक अधिकारी (30.06.2017 तक)	पारिश्रमिक	शून्य	6.73
3	श्री विजय दुबे	कार्यकारी निदेशक (01.11.2018 से)	पारिश्रमिक	13.33	शून्य
4	श्री बालकृष्ण अल्से एस.	कार्यकारी निदेशक (26.12.2018 से)	पारिश्रमिक	6.31	शून्य
5	श्री राजकिरण राय जी.	कार्यकारी निदेशक (30.06.2017 तक)	पारिश्रमिक	शून्य	5.79
6	श्री हिमांशु जोशी	कार्यकारी निदेशक (31.10.2018 तक)	पारिश्रमिक	14.13	22.83

* पारिश्रमिक में सेवांत लाभ शामिल नहीं हैं।

(Amount in ₹ Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		TOTAL	
Particulars	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previ-ous Year	Current Year	Previous Year
Revenue	5797.93	6192.78	8826.35	9726.96	8724.59	7727.80	610.42	443.14	23959.29	24090.68
Un-allocable income									163.96	3.92
Total Revenue									24123.25	24094.60
Less: Intersegment Revenue									3586.48	3913.35
Revenue from Operations									20536.77	20181.25
Result (Profit/ (-) Loss)	1563.93	1627.77	-6845.45	-8171.83	1266.20	293.38	223.47	153.03	-3791.85	-6097.65
Un-allocable Expenditure net off un-allocable income									-161.08	-3.23
Net Profit before Tax & Extraordinary items									-3630.77	-6094.42
Income Taxes									-3685.76	-222.68
Extraordinary Profit/ Loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Profit									54.99	-5871.74
Other Information:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Segment Assets	85156.06	72875.87	102649.06	92371.18	75060.87	62889.34	1981.70	2396.39	264847.69	230532.78
Unallocated Assets									7061.88	2811.26
Total Assets									271909.57	233344.04
Segment Liabilities	85156.06	72875.87	102649.06	92371.18	75060.87	62889.34	1981.70	2396.39	264847.69	230532.78
Unallocated Liabilities									7061.88	2811.26
Total Liabilities									271909.57	233344.04

18.8.6 Accounting Standard AS-18 – Related Party:

Details pertaining to Related Party Transactions in respect of key managerial personnel of the Bank are as follows:-

(Amount in ₹ Lakh)

S. No.	Name	Relationship	Nature of Transaction	2018-19	2017-18
1	Sh. Mukesh Kumar Jain	Managing Director & CEO (from 15.07.2017)	Remuneration	27.66	18.45
2	Sh. Animesh Chauhan	Managing Director & CEO (upto 30.06.2017)	Remuneration	Nil	6.73
3	Sh. Vijay Dube	Executive Director (from 01.11.2018)	Remuneration	13.33	Nil
4	Sh. Balakrishna Alse S.	Executive Director (from 26.12.2018)	Remuneration	6.31	Nil
5	Sh. Rajkiran Rai G.	Executive Director (upto 30.06.2017)	Remuneration	Nil	5.79
6	Sh. Himanshu Joshi	Executive Director (upto 31.10.2018)	Remuneration	14.13	22.83

*Remuneration excludes retirement benefits.

केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड-संयुक्त उद्यम। आईसीएआई द्वारा जारी किए पार्टी प्रकटीकरण संबंधित एएस -18 के उद्धरण 9, जो कि सरकार नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबंधित सरकार नियंत्रित उद्यमों के साथ लेनदेन से संबंधित किसी प्रकटीकरण से छूट प्रदान करता है, को ध्यान में रखते हुए संयुक्त उद्यम के साथ किए गए लेनदेनों का प्रकटन नहीं किया गया है।

अग्रतर, एएस-18 के उद्धरण 5 के अनुसार, प्रबंधन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों सहित बैंकर-ग्राहक संबंधों के स्वरूप में किए गए लेनदेनों का प्रकटन नहीं किया गया है।

18.8.7 लेखांकन मानक -एएस 19 - लीज

बैंक ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज़ का लेनदेन नहीं किया है। परिचालनपरक लीज़ जो मुख्यतः कार्यालय परिसरों से संबंधित होती हैं, जिसका बैंक के विकल्प पर नवीकरण किया जाता है। परिचालन लीज पर ली गई आस्तियों के लीज का भुगतान लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में माना जाता है।

18.8.8 लेखांकन मानक - एएस 20 - प्रति शेयर अर्जन (ई.पी.एस.)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
i)	मूल / ह्रासित प्रति शेयर अर्जन (₹)	0.77	(168.09)
ii)	मूल / ह्रासित प्रति शेयर अर्जन का परिकलन		
क)	असाधारण मदों के बाद और कर पश्चात् निवल लाभ/(हानि) (करोड़ ₹)	54.99	(5871.74)
ख)	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	710330450	349311205
ग)	मूल / ह्रासित प्रति शेयर अर्जन (क/ख) (₹)	0.77	(168.09)
घ)	प्रति शेयर सामान्य मूल्य (₹)	10.00	10.00

18.8.9 लेखांकन मानक - 22 आय पर कर हेतु लेखांकन

i) चालू कर

क) कर योग्य हानियों को देखते हुए, बैंक को आयकर हेतु किसी प्रकार का प्रावधान करना अपेक्षित नहीं है।

ख) 31.03.2019 की यथास्थिति के अनुसार अनुसूची 12 - 'बैंक के विरूद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया' शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित देयताएं में विवादित कर मांग ₹3,300.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,297.82 करोड़) बकाया है।

ग) अन्य आस्तियां 'अनुसूची 11 (iii) बैंक द्वारा अदा/प्राधिकारियों द्वारा समायोजित किए विवादित आय कर सहित ₹3,210.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2656.86 करोड़) हैं, जिनमें मैट ऋण पात्रता ₹136.89 करोड़ (पिछले वर्ष ₹136.89 करोड़) भी शामिल है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों/विधि परामर्शदाताओं की राय के आधार पर उपर्युक्त विवादित मांग के संबंध में प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है।

ii) आस्थागित कर

बैंक ने आस्थगित आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की है। प्रमुख मदों में आस्थगित आस्तियों एवं देयताओं का विश्लेषण नीचे दिया जा रहा है:-

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited – Joint Venture. The transactions with joint venture have not been disclosed in view of para 9 of the AS -18 Related Party Disclosures issued by ICAI, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to transactions with other related state controlled enterprises.

Further, in terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel.

18.8.7 Accounting Standard AS-19 – Leases:

The Bank has not entered into any transaction of Financial Lease. Operating lease primarily comprises of office premises, which are renewable at the option of the Bank. Lease payment for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the Profit and Loss Account.

18.8.8 Accounting Standard AS-20 - Earnings per Share (EPS):

S. No.	Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
i)	Basic/Diluted EPS (₹)	0.77	(168.09)
ii)	Calculation of Basic/Diluted EPS.		
a)	Net Profit /(Loss)after Extraordinary Items and after Tax (₹ Crore)	54.99	(5871.74)
b)	Weighted Average No. of Equity Shares	710330450	349311205
c)	Basic/Diluted Earnings per Share (a/b) (₹)	0.77	(168.09)
d)	Nominal value per Share (₹)	10.00	10.00

18.8.9 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income:

i. Current Tax

a. In view of taxable losses, the Bank is not required to make any provision for income tax.

b. The disputed tax demands of ₹ 3,300.77 Crore outstanding as on 31st March, 2019 (previous year ₹1,297.82 Crore) have been shown in Schedule No 12 – Contingent Liabilities under the head "Claims against the Bank not acknowledged as debt".

c. Other assets {Schedule 11 (iii)} include ₹3,210.94 Crore (previous year ₹ 2,656.86 Crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank / adjusted by the authorities and also include MAT Credit Entitlement of ₹136.89 Crore (previous year ₹136.89). Provision is not considered necessary in respect of aforesaid disputed demands based on several judicial pronouncements / counsels opinions.

ii. Deferred Tax

The Bank has recognized deferred tax assets and liabilities. The breakup of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क) आस्थगित कर आस्तियां:		
छुट्टी नकदीकरण/छुट्टी किराया रियायत आदि के लिए प्रावधान	241.00	227.00
पूंजीकृत ब्याज के लिए प्रावधान (निधिगत ब्याज)	67.00	85.00
निष्पादनकारी ऋणों के लिए नियामक प्रावधान*	247.00	262.00
आकस्मिकताओं के लिए अन्य प्रावधान	56.00	69.00
क का जोड़	**4,203.00**	**643.00**
ख. आस्थगित कर देयताएं:		
अनुच्छेद 36(1) (viii) के अंतर्गत आरक्षित निधि	(554.00)	(554.00)
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	(68.00)	(81.00)
ख का जोड़	**(622.00)**	**(635.00)**
निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**3,581.00**	**8.00**

* समीक्षा करने एवं भावी कर योग्य आय की उपलब्धता की संभावना के आधार पर, बैंक ने चालू वर्ष के दौरान गैर-अवशोषित मूल्यह्रास तथा आगे ले जाई गई हानियों के कारण रु.2,917 करोड़, तथा गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) के लिए नियामक प्रावधानों के लिए रु.675 करोड़ की आस्थगित कर आस्ति की पहचान की है।

18.8.10 लेखांकन मानक - 28 आस्तियों की अनर्जकता

बैंक की आस्तियों में मुख्यतः वित्तीय आस्तियां शामिल हैं, जो एएस-28 'आस्तियों की अनर्जकता' के तहत नहीं आतीं। बैंक प्रबंधन के मतानुसार उक्त लेखांकन मानक के अनुसार इसकी गैर वित्तीय आस्तियों के मूल्य में कोई अनर्जकता नहीं है।

18.8.11 लेखांकन मानक - 29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

उपर्युक्त वर्णित लेखों की अनुसूची 12 [खण्ड (i) और (vi)] में यथा उल्लिखित आकस्मिक देयताएं, अदालती मामलों के निष्कर्ष/विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष दायर अपीलों के निपटान/मध्यस्थता/न्यायालय के बाहर समझौता, अपीलों का निपटान, तथा मांगी गई राशि, संविदात्मक दायित्वों की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा मांग और मांग बढ़ाने, जैसा भी मामला हो, पर निर्भर है। उक्त अनुसूची के खंड (i) एवं (vi) के संबंध में कोई देयता संभावित नहीं है।

18.9 अतिरिक्त प्रकटन

18.9.1 इंश्योरेंस एवं अन्य त्रिपक्षीय उत्पाद के संबंध में शुल्क/प्राप्त कमीशनः-

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
1	जीवन बीमा	65.12	32.31
2	सामान्य बीमा एवं मेडिक्लेम	19.83	9.99
3	सामाजिक सुरक्षा योजना - पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई	2.31	2.42
4	म्यूचुअल फंड	0.41	0.37
5	क्रेडिट कार्ड	1.18	1.27
6	यूआईडी - आधार	1.47	0.04
	कुल	**90.32**	**46.40**

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
A. Deferred Tax Assets:		
Provision for Leave Encashment/LFC etc.	241.00	227.00
Provision for Interest Capitalized (Funded Interest)	67.00	85.00
Regulatory provision for performing loan assets	247.00	262.00
Other Provisions for contingencies	56.00	69.00
On Carry forward Business loss & unabsorbed Depreciation.*	2,917.00	0.00
Regulatory provision for non performing loan assets*	675.00	0.00
Total of A	**4,203.00**	**643.00**
B. Deferred Tax Liabilities:		
Special Reserve under section 36(1)(viii)	(554.00)	(554.00)
Difference in WDV of Fixed Assets.	(68.00)	(81.00)
Total of B	**(622.00)**	**(635.00)**
Net Deferred Tax Asset/(Liability)	**3,581.00**	**8.00**

* Based on the review and certainity of availability of future taxable income, the Bank has recognized Deferred Tax Assets during the current year of ₹ 2,917 Crores, on account of unabsorbed depreciation and carry forward losses, and an amount of ₹ 675 Crores on account of regulatory provisions for non performing loan assets (NPA).

18.8.10 Accounting Standard – 28 - Impairment of Assets:

The Bank's assets substantially comprise of financial assets, which are not covered by AS-28 'Impairment of Assets'. In the opinion of Bank's management there is no impairment in the value of its non-financial assets in terms of said Accounting Standard.

18.8.11 Accounting Standard – 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The Contingent Liabilities as stated in schedule 12 [clause (I) and (VI)] to the accounts mentioned above are dependent upon the outcome of Court/ arbitration/out of Court settlements, disposal of appeals, and the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No liability is expected in respect of clause (I) and (VI) of the said schedule.

18.9 Additional Disclosures

18.9.1 Fee/Commission earned in respect of insurance and other third party products :-

(Amount in ₹ Crore)

S. No.	Particulars	For the Year ended 31st March, 2019	For the Year ended 31st March, 2018
1	Life Insurance	65.12	32.31
2	General Insurance & Mediclaim	19.83	9.99
3	Social Security Schemes – PMJJBY & PMSBY	2.31	2.42
4	Mutual Funds	0.41	0.37
5	Credit Cards	1.18	1.27
6	UID – Aadhar	1.47	0.04
	Total	**90.32**	**46.40**

18.9.2 अस्थायी प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	अस्थायी प्रावधान खाते में अथशेष	24.12	24.12
ख.	लेखांकन वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानो की मात्रा	0.00	0.00
ग.	लेखांकन वर्ष में आहरण द्वारा कम की गई राशि	0.00	0.00
घ.	अस्थायी प्रावधान खाते में इति शेष	24.12	24.12

18.9.3 शिकायतें

क) ग्राहक शिकायतें

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	137	1136
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	16467	24510
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	16546	25509
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	58	137

(ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
(क)	वर्ष के आरंभ में अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
(घ)	वर्ष के अंत में अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य

18.9.4 चुकौती आश्वासन पत्र

बैंक अपने विभिन्न घटकों की ओर से उन्हें स्वीकृत ऋण सीमाओं के लिए चुकौती आश्वासन पत्र (एल.ओ.सी.) जारी करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र ए.पी.(डीआईआर श्रेणी) परिपत्र सं.20 दिनांक 13.03.2018 द्वारा क्रेता ऋण हेतु चुकौती आश्वासन पत्र जारी करने पर रोक लगी दी है। 31 मार्च, 2019 को रु.9.00 करोड़ के चुकौती आश्वासन पत्र बकाया हैं, चूंकि ये पूंजी खाता लेनदेन से संबंधित हैं, जो 31.03.2019 को देय नहीं थे।

चुकौती आश्वासन पत्रों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः-

18.9.2 Floating provisions

(Amount in ₹ Crore)

S. No.	Particulars	For the Year ended 31st March, 2019	For the Year ended 31st March, 2018
a.	Opening balance in the floating provision a/c	24.12	24.12
b.	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
c.	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
d.	Closing balance in the floating provisions a/c	24.12	24.12

18.9.3 Complaints

a) Customer Complaints

S. No.	Particulars	For the Year ended 31st March, 2019	For the Year ended 31st March, 2018
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	137	1136
(b)	No. of complaints received during the year	16467	24510
(c)	No. of complaints redressed during the year	16546	25509
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	58	137

b) Awards passed by the Banking Ombudsman

S. No.	Particulars	For the Year ended 31st March, 2019	For the Year ended 31st March, 2018
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	Nil	Nil
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	Nil	Nil
(c)	No. of Awards implemented during the year	Nil	Nil
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	Nil	Nil

18.9.4 Letter of Comforts

The Bank issues Letter of Comforts (LOCs) on behalf of its various constituents against the credit limits sanctioned to them. RBI vide its circular A.P. (DIR Series) Circular No. 20 dated 13.03.2018, has discontinued the issuance of Letter of Comfort for raising buyer's credit. Bank has complied with the circular and has discontinued the issuance of Letter of Comfort. 4 LOCs for Rs.9.00 Crore are outstanding as on 31st March 2019, since these pertains to Capital Account transactions, which have not fallen due as on 31.03.2019.

Brief details of LOCs are as under:-

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
1	वर्ष के आरंभ में बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	1314	1954
2	वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	0	4675
3	वर्ष के दौरान परिपक्व हुए/रद्द किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	1305	5315
4	वर्ष के अन्त में बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	9	1314

18.9.5 जमाओं का संकेद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार
शीर्ष बीस जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	29355.55	27364.25
बैंक के कुल जमाओं में शीर्ष बीस जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि का प्रतिशत	12.62%	13.19%

18.9.6 अग्रिमों का सकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार
शीर्ष बीस उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	24112.40	17431.88
बैंक के कुल अग्रिमों में शीर्ष बीस उधारकर्ताओं को कुल अग्रिमों का प्रतिशत	14.05%	11.76%

18.9.7 एक्सपोजर का सकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार
शीर्ष बीस उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	30223.62	24742.11
बैंक के उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल एक्सपोजर में शीर्ष बीस उधारकर्ताओं को एक्सपोजर का प्रतिशत	11.62%	10.77%

18.9.8 एनपीए का सकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल निधिगत एक्सपोजर	3000.13	3913.71

18.9.9 विदेश में आस्तियां, एनपीए एवं राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार
कुल आस्तियां	0.22	0.24
कुल एनपीए	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

(Amount in ₹ Crore)

S. No.	Particulars	For the Year ended 31st March, 2019	For the Year ended 31st March, 2018
1	Letter of comforts outstanding as at the beginning of the year	1314	1954
2	Letter of comforts issued during the year	0	4675
3	Letter of comforts matured/ cancelled during the year	1305	5315
4	Letter of comforts outstanding as at the end of the year	9	1314

18.9.5 Concentration of Deposits

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
Total Deposits of twenty largest depositors	29355.55	27364.26
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	12.62%	13.20%

18.9.6 Concentration of Advances

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
Total Advances to twenty largest borrowers	24112.40	17431.88
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	14.05%	11.76%

18.9.7 Concentration of Exposures

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	30223.62	24742.11
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers to Total Exposure of the Bank on borrowers/customers	11.62%	10.77%

18.9.8 Concentration of NPAs

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
Total Funded Exposure to top four NPA accounts	3000.13	3913.71

18.9.9 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
Total Assets	0.22	0.24
Total NPAs	Nil	Nil
Total Revenue	Nil	Nil

18.9.10 ऑफ़ तुलन पत्र एसपीवी प्रायोजित (घरेलू एवं विदेशी) - शून्य

18.9.11 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस): बैंक में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के लिए नीति है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक द्वारा कोई भी सीडीएस लेनदेन नहीं किया गया है।

18.9.12 जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) में अंतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार
डीईएएफ में अंतरित राशि का अथ शेष	609.81	504.05
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	109.13	118.68
घटाएं : दावों पर डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	27.23	12.92
डीईएएफ में अंतरित राशि का इति शेष	691.71	609.81

18.9.13 तरलता कवरेज अनुपात

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार	
		कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)	कुल निर्धारित मूल्य (औसत)	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)	कुल निर्धारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां					
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)		44594.54		40615.05
नकदी बाह्य प्रवाह					
2	रिटेल जमा एवं छोटे कारोबारी ग्राहकों से जमाराशि, जिसमें हैः	115864.72	7706.69	112331.25	7812.53
(i)	स्थिर जमाराशि	77595.60	3879.78	68411.82	3420.59
(ii)	स्थिर जमाराशि से घटाएं	38269.12	3826.91	43919.43	4391.94
3	असुरक्षित होलसेल वित्तपोषण, जिसमें हैः	76421.90	28862.37	87145.67	33485.25
(i)	परिचालन जमाराशि (सभी प्रतिपक्षी)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालन जमाराशि (सभी प्रतिपक्षी)	76421.90	28862.37	87145.67	33485.25
(iii)	असुरक्षित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
4	सुरक्षित होलसेल वित्तपोषण		55.54		16.29
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें हैं	1098.48	1098.49	1916.48	1916.48
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोजर से संबंधित बाह्य प्रवाह एवं अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं	1098.48	1098.49	1916.48	1916.48
(ii)	ऋण उत्पादों के वित्तपोषण में हानि से संबंधित बाह्य प्रवाह	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएं	0.00	0.00	0.00	0.00
6	अन्य संविदात्मक वित्त पोषण संबंधी बाध्यताएं	23616.96	2481.53	25691.58	2675.50

18.9.10 Off Balance Sheet SPVs sponsored (domestic & overseas) – Nil

18.9.11 Credit Default Swaps (CDS): Bank has policy in place for Credit default Swaps. However, no CDS transaction has been under taken by the Bank during the F.Y. 2018-19.

18.9.12 Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	For the year ended 31st March, 2019	For the year ended 31st March, 2018
Opening Balance of amount transferred to DEAF	609.81	504.05
Add: Amount transferred to DEAF during the year	109.13	118.68
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claim	27.23	12.92
Closing balance of amount transferred to DEAF	691.71	609.81

18.9.13 Liquidity Coverage Ratio

(Amount in ₹ Crore)

	Particulars	As on 31st March, 2019		As on 31st March, 2018	
		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		44594.54		40615.05
Cash Outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	115864.72	7706.69	112331.25	7812.53
(i)	Stable deposits	77595.60	3879.78	68411.82	3420.59
(ii)	Less stable deposits	38269.12	3826.91	43919.43	4391.94
3	Unsecured wholesale funding, of which:	76421.90	28862.37	87145.67	33485.25
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	76421.90	28862.37	87145.67	33485.25
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding		55.54		16.29
5	Additional requirements, of which	1098.48	1098.49	1916.48	1916.48
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	1098.48	1098.49	1916.48	1916.48
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Other contractual funding obligations	23616.96	2481.53	25691.58	2675.50

7	अन्य आकस्मिक वित्त पोषण संबंधी बाध्यताएं	22821.96	670.55	24898.56	1244.92
8	**कुल नकदी बाह्य प्रवाह**		**40875.17**		**47150.99**
नकदी अंतर प्रवाह					
9	सुरक्षित ऋण पोषण (यथा, रिवर्स रेपो)	0.00	0.00	0.00	0.00
10	पूर्ण रूप से कार्य निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर प्रवाह	4179.74	2306.20	9020.63	5197.55
11	अन्य नकदी अंतर प्रवाह	432.66	432.66	1374.44	1374.44
12	कुल नकदी अंतर प्रवाह	5316.74	3443.20	10395.07	6571.99
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एचक्यूएलए		44594.54		40615.81
14	कुल निवल नकदी बाह्य प्रवाह		37431.97		40578.99
15	तरलता कवरेज अनुपात (%)		119.13%		100.09%

प्रबंधन द्वारा संकलित और प्रमाणित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा आश्वस्त रूप में

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी गुणवत्तापरक प्रकटन

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की गई है कि बैंक भार-रहित उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर बनाए रखता है, जिसे विशेष गम्भीर चलनिधि दबाव परिदृश्य के अंतर्गत 30 कैलेंडर दिवस समय हेतु चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। चलनिधि आस्तियों का स्टॉक दबाव परिदृश्य में 30 दिनों तक बैंक की स्थिति बरकरार रखने में सक्षम होना चाहिए, जिसके दौरान यह माना जाता है कि समुचित उपचारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। 01 जनवरी, 2019 से एलसीआर 100% रखना आवश्यक है। एलसीआर को आगामी 30 कैलेंडर दिवसों के दौरान कुल निवल नकदी बहिर्गमन हेतु उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में परिभाषित किया गया है। तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां शामिल हैं जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा कठिन परिस्थितियों में निधियां प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एचक्यूएलए के स्टॉक में दो प्रकार की आस्तियां शामिल हैं, जैसे स्तर 1 एवं स्तर 2 आस्तियां। स्तर 1 आस्तियों में 0% हानि होती है जबकि 2-ए आस्तियों में न्यूनतम 15% की हानि और 2-बी आस्तियों में न्यूनतम 50% की हानि होती है।

कुल निवल नकदी बाह्य प्रवाह, आगामी 30 कैलेण्डर दिनों के लिए कुल संभावित नकदी बाह्य प्रवाह में से कुल संभावित नकदी अंतर प्रवाह को घटाकर प्राप्त होता है। कुल संभावित नकदी अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह संविदागत प्राप्तियों की विभिन्न श्रेणियों के अधिषेश और देयताओं के प्रकार तथा तुलन पत्र से पृथक कमिटमेंट को उस दर से गुणा करने पर प्राप्त होता है जिसपर वे प्राप्त होने अथवा दिए जाने हैं।

एलसीआर परिणामों के मुख्य कारक तथा समय के साथ एलसीआर गणना हेतु निविष्टियों के अंशदान का उदभवः

i) एलसीआर परिणामों के मुख्य अभिप्रेरक अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा से अधिक अतिरिक्त एसएलआर के रूप में उच्च क्वालिटी की तरल आस्तियां (एचक्यूएलएल), अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा, एमएसएफ पात्र एसएलआर प्रतिभूतियों (वर्तमान में एनडीटीएल का 2%) और एलसीआर के लिए चलनिधि उपलब्ध कराने की सुविधा (एफएएलएलसीआर), एलडीटीएल के 13% तक अतिरिक्त चलनिधि सुविधा के रूप में प्रदान करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2018 के द्वारा एफएएलएलसीआर को पहले के 11% से बढ़ाकर एनडीटीएल का 13% कर दिया है।

7	Other contingent funding obligations	22821.96	670.55	24898.56	1244.92
8	**Total Cash Outflows**		**40875.17**		**47150.99**
Cash Inflows					
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	4179.74	2306.20	9020.63	5197.55
11	Other cash inflows	432.66	432.66	1374.44	1374.44
12	Total Cash Inflows	5316.74	3443.20	10395.07	6571.99
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
13	Total HQLA		44594.54		40615.81
14	Total Net Cash Outflows		37431.97		40578.99
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		119.13%		100.09%

As complied and certified by the management and replied upon the auditors.

Qualitative Disclosure around LCR

Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard has been introduced with the objective that a Bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The stock of liquid assets should enable the Bank to survive until day 30 of the stress scenario, by which time it is assumed that appropriate corrective actions can be taken. Minimum LCR has to be maintained at 100% with effect from January 01, 2019. LCR has been defined as Stock of high quality liquid assets (HQLAs) over Total net cash outflows over the next 30 calendar days. Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. There are two categories of assets included in the stock of HQLAs, viz. Level 1 and Level 2 assets. Level 1 assets are with 0% haircut while Level 2A assets are with a minimum 15% haircut and Level 2B Assets, with a minimum 50% haircut.

The total net cash outflows is the total expected cash outflows minus total expected cash inflows for the subsequent 30 calendar days. Total expected cash inflows and outflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables and types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to flow in or drawn down.

The main drivers of LCR results and the evolution of the contribution of inputs to the LCR calculation over time:

i. The main drivers of LCR results are High Quality liquid assets (HQLA) in the form of excess SLR over mandatory SLR requirement, MSF eligible SLR securities (presently upto 2% of NDTL) and providing additional liquidity facility in the form of Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR) upto 13 % of NDTL. RBI vide circular dated September 27, 2018 has increased the FALLCR to 13% of NDTL from 11% earlier.

ii) अंतर-अवधि परिवर्तन तथा समयोपरि परिवर्तनः वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही के लिए एलसीआर 100.03% रहा। यह वित्तीय वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में एचक्यूएलए में वृद्धि के कारण बढ़कर 122.14% हो गया। अग्रतर, तीसरी तिमाही में एचक्यूएलए और वृद्धि के साथ 126.43% हो गया और आउटफ्लो में वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही के लिए यह कम होकर 116.45% हो गया। एलसीआर में चौथी तिमाही में हुई वृद्धि मुख्यतः बढ़े हुए एचक्यूएलए के कारण हुई। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए औसत एलसीआर 119.13% रही।

iii) **एचक्यूएलए की संरचनाः** एचक्यूएलए में मुख्यतः अतिरिक्त सीआरआर सहित नकदी, अतिरिक्त एसएलआर, अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के अंतर्गत एनडीटीएल के 2% तक सरकारी प्रतिभूतियां (एमएसएफ), अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के अंतर्गत एनडीटीएल के 13% तक सरकारी प्रतिभूतियां (एफएएलएलसीआर), दावों का प्रतिनिधित्व करने वाले अथवा सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां अथवा बहुपक्षीय विकास बैंक द्वारा गारंटी प्राप्त दावों का विपणन योग्य प्रतिभूतियां, जिन्हें 20% का जोखिम भार दिया गया है, बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी अथवा इसकी किसी सहयोगी इकाई, जिसे पात्र ऋण मूल्यांकन एजेंसी द्वारा एए- अथवा इससे अधिक की रेटिंग दी गई है, द्वारा जारी न किए गए कारपोरेट बांड, बैंक /पीडी /वित्तीय संस्था अथवा इसकी किसी संबद्ध संस्था आदि के द्वारा जारी न किए गए वाणिज्यिक पत्र शामिल हैं।

iv) निधियन स्रोतों का संकेंद्रणः बैंक का भलीभांति व्यापक जमा आधार है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, बैंक की कुल देयताओं की 1% से अधिक कुल जमाराशि रखने वाले तीन जमाकर्ता हैं। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार शीर्ष जमाकर्ता का कुल देयताओं में 1.82% एवं कुल जमाओं में 2.12% योगदान रहा।

v) डेरीवेटिव एक्सपोजर तथा संभावी संपाश्विक मांग - शून्य

vi) एलसीआर में करेंसी असंतुलन - शून्य

vii) समूह की यूनिटों के बीच संपर्क और चलनिधि प्रबंधन के केन्द्रीयकरण की मात्रा का विवरण:- बैंक की कोई अनुषंगी संस्था नहीं है। चलनिधि प्रबंधन कॉरपोरेट कार्यालय में ट्रेजरी विभाग द्वारा किया जाता है।

viii) एलसीआर गणना में अन्य अंतर्वाह तथा बहिर्वाह, जिन्हें एलसीआर सामान्य टेम्प्लेट में नहीं दिया गया किंतु संस्था द्वारा इसे चलनिधि प्रोफाइल के लिए संगत माना गया है - शून्य

18.9.14 लाभ एवं हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दिखाए गए प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार
(i) निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	308.41	708.83
(ii) एनपीए के लिए प्रावधान	6952.02	9498.08
(iii) आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	(3685.76)	(222.68)
(iv) अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं (विवरण सहित)		
(क) गैर निष्पादनकारी विनिधान	13.52	(160.13)
(ख) स्तरीय आस्तियों के लिए प्रावधान	93.50	(387.00)
(ग) एफआईटीएल के लिए प्रावधान	(37.64)	(134.50)
(घ) छोड़े गए ब्याज हेतु प्रावधान	(11.77)	(83.69)
(ड.) अन्य	66.49	356.01
कुल	**3698.77**	**9574.92**

ii. **Intra-period changes as well as changes over time:** The LCR for the 1st quarter of FY 2018-19 stood at 100.03%. The same increased to 122.14% for the 2nd Quarter of FY 2018-19 due to increase in HQLA. The LCR for the 3rd Quarter further increased to 126.43% and the same decreased to 116.45% for the 4th quarter of FY 2018-19 due to increase in Outflow. The average LCR for the FY 2018-19 stood at 119.13%.

iii. **The composition of HQLA :** HQLA Mainly consists of Cash including excess CRR, excess SLR, Govt. securities upto 2% of NDTL within the mandatory SLR requirement (MSF), Govt. Securities upto 13% of NDTL within the mandatory SLR requirement (FALLCR), Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by sovereigns, Public Sector Entities (PSEs) or multilateral development Banks that are assigned a 20% risk weight, Corporate bonds not issued by a Bank/financial institution/NBFC or any of its affiliated entities, which have been rated AA- or above by an Eligible Credit Rating Agency, Commercial Papers not issued by a Bank/ PD/ financial institution or any of its Affiliated entities etc.

iv. **Concentration of funding sources:** The Bank has well diversified deposit base, three depositors had aggregate deposits in excess of 1% of the total liabilities of the Bank as on 31st March, 2019. The deposit by the largest depositor contributed 1.82% of the total liabilities and 2.12% of the total deposits as on 31st March, 2019.

v. **Derivative exposures and potential collateral calls:** - NIL

vi. **Currency mismatch in the LCR:** - NIL

vii. **A description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:** The Bank is not having any subsidiary. The Liquidity Management is undertaken at Corporate Office by Treasury Department.

viii. Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile. - NIL

18.9.14 Break up of provisions and contingencies shown under the head expenditure in profit and loss account

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2019	As on 31st March, 2018
(i) Provisions for depreciation on Investment	308.41	708.83
(ii) Provision towards NPA	6952.02	9498.08
(iii) Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	(3685.76)	(222.68)
(iv) Other Provisions and Contingencies (with details)		
(a) Non Performing Investments	13.52	(160.13)
(b) Provisions towards Standard Assets	93.50	(387.00)
(c) Provision for FITL	(37.64)	(134.50)
(d) Provision for sacrifice interest	(11.77)	(83.69)
(e) Others	66.49	356.01
TOTAL	**3698.77**	**9574.92**

18.9.15 वर्ष 2018-19 के दौरान, आरक्षित निधि से कोई आहरण नहीं हुआ।

18.9.16 धोखाधड़ी की सूचना एवं वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान

वर्ष के दौरान ₹2410.89 करोड़ के धोखाधड़ी के 319 मामले प्रकाश में आए एवं ₹ 2288.24 करोड़ (की गई वसूली एवं बट्टाकृत किए गए को छोड़कर) का प्रावधान किया गया।

18.9.17 अंतर कार्यालय खाते

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और प्रधान कार्यालयों के बीच अंतर कार्यालय खातों को निरंतर आधार पर मिलाया जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव होने की उम्मीद नहीं है।

18.9.18 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भुगतान

अभी तक एमएसएमई व्यापारी का वर्गीकरण मैनुअल किया जा रहा है और इसे सिस्टम में नहीं डाला गया है। अग्रतर, बैंक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम व्यापारी को मूलधन राशि तथा/ या ब्याज के देरी से भुगतान करने का कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

18.9.19 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (पी.एस.एल.सी.)

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने निम्न श्रेणी के अंतर्गत ₹9000 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 11484.50 करोड़) की राशि की पीएसएलसी की खरीदारी की।

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	
1	कृषि	2300.00
2	लघु एवं सीमांत किसान	2700.00
3	प्राथमिकता क्षेत्र सामान्य	4000.00
	कुल	**9000.00**

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने कोई पीएसएलसी की बिक्री नहीं की (विगत वर्ष शून्य)।

18.9.20 चालू वर्ष के वर्गीकरण के मिलान के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक था, पुनः समूहबद्ध/ पुनः-वर्गीकृत किया गया। ऐसे मामलों में जहां भारतीय रिज़र्व बैंक/ लेखांकन मानकों के अनुरूप पहली बार प्रकटीकरण किया गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

18.9.21 आकस्मिक देयताएं

31 मार्च, 2019 की यथास्थिति के अनुसार आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान का उतार-चढ़ाव निम्नानुसार हैः

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
अथशेष	34.92	35.59
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.55	-
वर्ष के दौरान उपयोग किए गए	-	-
वर्ष के दौरान अप्रयुक्त राशि का प्रत्यावर्तन	-	0.67
इतिशेष	35.47	34.92

18.9.15 During the year 2018-19, no draw drawn from reserves has been made.

18.9.16 Fraud reported and provision made during the year 2018-19

During the year, 319 cases of fraud amounting to ₹ 2410.89 Crore were reported and provision of ₹ 2288.24 Crore (excluding recovery made & amount Written off) has been made.

18.9.17 Inter Office Accounts

Inter Office Accounts between branches, controlling offices and head office are being reconciled on an ongoing basis and no material effect is expected on the profit and loss account of the current year.

18.9.18 Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

As on date the categorization of MSME vendor is being done manually and not captured in the system. Further the Bank has not received any claim from any MSME vendor for interest on account of delayed payment and/or for the principal during Financial Year 2018-19.

18.9.19 Priority Sector Lending Certificate (PSLC)

The Bank purchased PSLCs amounting to ₹9000/- Crore (Previous Year: ₹11484.50Crore) during the year ended March 31, 2019 under following categories:

Sr. No.	Category	Amount in ₹ Crore
1	Agriculture	2300.00
2	Small and Marginal Farmer	2700.00
3	Priority Sector General	4000.00
	Total	**9000.00**

The Bank did not sell any PSLC during the year ended March 31, 2019 (Previous Year: Nil)

18.9.20 Previous year figures have been regrouped/ reclassified, wherever necessary, to conform to current year classification. In cases where disclosures have been made for the first time in terms of RBI guidelines / Accounting Standards, previous year's figures have not been mentioned.

18.9.21 Contingent liabilities

Movement of provisions against contingent liabilities as on 31st March, 2019.

Amount in ₹ Crore

Particulars	2018-19	2017-18
Opening Balance	34.92	35.59
Additions during the year	0.55	-
Amount utilised during the year	-	-
Unused amount reversed during the year	-	0.67
Closing balance	35.47	34.92

18.9.22 रिवार्ड प्वाइंट का उतार-चढ़ाव

विवरण	डेबिट कार्ड पर रिवार्ड प्वाइंट	क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड प्वाइंट	आई-बैंक पर रिवार्ड प्वाइंट	एम-बैंक पर रिवार्ड प्वाइंट	यूपीआई पर रिवार्ड प्वाइंट	योग
अथशेष	0	लागू नहीं	0	0	0	0
जोड़ें : ग्राहकों द्वारा वर्ष के दौरान उपचित रिवार्ड प्वाइंट	330687726		6797036	5210046	267582	351775490
घटाएं : ग्राहकों द्वारा रिवार्ड प्वाइंट का लाभ उठाया गया						2245291
घटाएं : समाप्त हुए रिवार्ड प्वाइंट	0		0	0	0	0
इति शेष						**349530199**

टिप्पणीः यहां दिए गए आंकड़े 25 मार्च, 2019 के अनुसार हैं, चूंकि वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखाबंदी के कारण एमआईएस को पहले बंद कर दिया गया था।

18.9.23 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर. सं. बीपी.बीसी. 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01.2019, के अनुसार 31.03.2019 को समाप्त तिमाही के दौरान पुन: संरचित एमएसएमई उधार खातों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	पुन: संरचित खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
नए पुन: संरचित	3466	231.29
कुल	**3466**	**231.29**

18.9.24 भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/186 डीबीआर सं. बीपी. बीसी. 108/21.04.048/2017-18 दिनांक 06.06.2018 के अनुसार उधारकर्ता को 31.03.2019 को निम्नानुसार आस्ति वर्गीकरण में लाभ दिया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ताओं की संख्या	निधि आधारित एक्सपोजर	गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	कुल एक्सपोजर	उपचित ब्याज खाते में रखी गई राशि
26 (36 खाते)	31.02	0.84	31.86	0.69

18.9.25 वर्ष के दौरान, बैंक ने अपनी स्थायी आस्तियों की अनुसूची के अंश के रूप में परिसरों का पुनः-मूल्यांकन किया है। मण्डल द्वारा अनुमोदित परिसर नीति के अनुसार इन परिसरों का पुनःमूल्यांकन बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। पुनः-मूल्यांकन के कारण अधिशेष हुई ₹127.99 करोड़ की राशि को प्रारक्षित एवं अधिशेष के तहत पुनःमूल्यांकन प्रारक्षित के रूप में दर्शाया गया है।

18.9.26 विनिवेशों का वर्गीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार तथा लेखांकन नीति सं.4 में यथाउल्लिखित विनिवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया हैः

1.9.22 Movement of Rewards Points

Particulars	Reward points on Debit Card	Reward points on Credit Card	Reward points on I-bank	Reward points on M-bank	Reward points on UPI	Total
Opening Balance	0		0	0	0	0
Add: Reward points accrued during the Year by Customers	330687726	N.A.	6797036	5210046	267582	351775490
Less: Reward Points availed by customers						2245291
Less: Reward Points Expired	0		0	0	0	0
Closing balance						**349530199**

Note: Data shown here is as on 25 March'19 as the MIS was closed earlier due to FY-18-19 closing activities.

18.9.23 As per RBI circular no DBR.NO.BP BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019 the details of MSME Borrower accounts restructured during quarter ended 31.03.2019 is as under.

Particulars	No. of accounts restructured	Amount (₹ in Crore)
Fresh Restructured	3466	231.29
Total	**3466**	**231.29**

18.9.24 As per RBI Circular no RBI/2017-18/186 DBR No. BP.BC.108/21.04.048/2017-18 dated 06.06.2018, MSME borrower get benefitted in assets classification as on 31.03.2019 is as under.

Amount in ₹ Crore

No of Borrowers	Fund Based Exposure	Non Fund Based Exposure	Total Exposure	Amount parked in Intt. Accrued account.
26 (36 accounts)	31.02	0.84	31.86	0.69

18.9.25 During the year, the Bank has revalued the premises forming part of its fixed assets schedule. These premises are revalued based on the reports of external independent valuers as per premises policy of the Bank approved by the Board. The surplus arising from the revaluation amounting to ₹ 127.99 crores is shown as "Revaluation Reserves" under "Reserves and Surplus".

18.9.26 Categorization of Investments

In accordance with Reserve Bank of India guidelines and as stated in Accounting Policy No. 4, investment portfolio has been categorized as under:

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रतिभूति	31 मार्च, 2019 की यथास्थिति				31 मार्च, 2018 की यथास्थिति			
	एचटीएम	एचएफटी	एएफएस	योग	एचटीएम	एचएफटी	एएफएस	योग
सरकारी प्रतिभूतियां	39801.78	-	18681.47	58483.25	37544.29	5.13	19034.22	56583.64
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-	0.15	0.15	-	-	0.15	0.15
शेयर	-	1.93	2069.60	2071.53	10.00	1.66	1,868.56	1,880.22
डिबेंचर / बॉण्ड	10264.28	-	6429.49	16693.77	3588.28	-	6900.31	10488.59
अन्य- वाणिज्य पत्र, जमा प्रमाणपत्र, एसआर, वीसीएफ एवं म्युचुअल फंड के यूनिट	44.27	-	2994.13	3038.40	66.72	48.83	1,570.31	1,685.86
अन्य (संयुक्त उद्यम-बीमा)	218.50	-	-	218.50	218.50	-	-	218.50
कुल	50328.83	**1.93**	**30174.84**	80505.60	**41427.79**	**55.62**	**29373.55**	70856.96

एचटीएम- परिपक्वता हेतु धारित, एचएफटी-ट्रेडिंग हेतु धारित, एएफएस-बिक्री के लिए उपलब्ध

18.9.27 परिपक्वता हेतु धारित श्रेणी में विनिवेशों के संबंध में, वर्ष के दौरान परिशोधित प्रीमियम की राशि ₹106.35 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹135.36 करोड़) तथा इसे अनुसूची सं.13 में 'अर्जित ब्याज' शीर्ष के तहत 'विनिवेशों से आय' से कटौती के रूप में लेखों में लिया गया है।

18.9.28 बैंक ने वर्ष के दौरान, 'परिपक्वता हेतु धारित' श्रेणी से 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में ₹ 6022.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 23582.96 करोड़), 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी से 'परिपक्वता हेतु धारित' श्रेणी में ₹ 4703.23 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3202.99 करोड़ की प्रतिभूतियां अंतरित की हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार किया गया है। उपरोक्त प्रतिभूतियों को शिफ्ट करने में बाजार मूल्य पर बही में अंकित मूल्यह्रास ₹86.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹35.65 करोड़) था, और इसे लाभ हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

18.9.29 'केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड' के नाम व प्रारूप में 31.03.2019 की यथास्थिति जीवन बीमा कारोबार के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी में पूंजी अंशदान के लिए विनिवेश ₹ 218.50 करोड़ है, इस प्रकार बैंक का पूंजी में 23% अंशदान है। अग्रतर, चालू वर्ष तथा पिछले वर्ष के दौरान कोई विनिवेश नहीं किया गया है। उक्त विनिवेश संयुक्त उद्यम में विनिवेश शीर्ष में 'परिपक्वता हेतु धारित' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, इसके पीछे मंशा संयुक्त उद्यम विनिवेश को धारित करने की है, यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार धारिता 25% से कम है। बैंक ने इसे एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त की है। प्रबंधन के मतानुसार प्रारंभिक हानि के कारण उक्त विनिवेश के मूल्य की प्रकृति स्थायी नहीं है अतः किसी प्रकार का प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

(Amount in ₹ Crore)

Security	Position as on March 31, 2019				Position as on March 31, 2018			
	HTM	HFT	AFS	Total	HTM	HFT	AFS	Total
Govt. Securities	39801.78	-	18681.47	**58483.25**	37544.29	5.13	19034.22	**56583.64**
Other Approved Securities	-	-	0.15	**0.15**	-	-	0.15	**0.15**
Shares	-	1.93	2069.60	**2071.53**	10.00	1.66	1,868.56	**1,880.22**
Debentures / Bonds	10264.28	-	6429.49	**16693.77**	3588.28	-	6900.31	**10488.59**
Others- Commercial Paper, Certificate of Deposits, SR, VCF and Units of Mutual Funds etc	44.27	-	2994.13	**3038.40**	66.72	48.83	1,570.31	**1,685.86**
Others (Jt. Venture – Insurance)	218.50	-	-	**218.50**	218.50	-	-	**218.50**
Total	**50328.83**	**1.93**	**30174.84**	**80505.60**	**41427.79**	**55.62**	**29373.55**	**70856.96**

HTM – Held to Maturity; HFT – Held for Trading; AFS – Available for Sale

18.9.27 In respect of investments under Held to Maturity category, the premium amount amortized during the year is ₹106.35 Crore (previous year ₹135.36 Crore) and the same has been accounted for in Schedule No.13 under the head 'Interest Earned' as deduction from 'Income on Investments'.

18.9.28 The Bank has transferred Securities amounting to ₹6022.38 Crore (Previous year ₹23582.96 Crore), from 'Held to Maturity' category to 'Available for Sale' category and ₹4703.23 Crore (Previous year ₹3202.99 Crore) from 'Available for Sale' to 'Held to Maturity' category, during the year which is in accordance with RBI guidelines. The total Mark to Market depreciation on shifting of above mentioned securities was ₹86.05 Crore (previous year ₹35.65 Crore), and the same has been charged to Profit and Loss Account.

18.9.29 Investment towards capital contribution in Joint Venture Company for Life Insurance Business with Canara Bank and HSBC under the name and style of "Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited" as on 31.03.2019 is ₹218.50 Crore, which amounts to 23% capital contribution by the bank. Further there is no investment in the current year as well as in previous year. The said investment has been classified under `Held to Maturity' category under the head investment in joint ventures, as the intention is to hold as joint venture investment although the holding is less than 25% as required under RBI norms. The Bank has obtained permission of RBI to classify the same under HTM category. In the opinion of the management the impact in the value of the said investment on account of initial losses is not permanent in nature and hence no provision is considered necessary.

लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के लिए

अभिमत

1. हमने ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ('बैंक') की लेखा परीक्षा की है, जिनमें 31 मार्च, 2019 के तुलनपत्र तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाता एवं नकद प्रवाह विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, जिनमें इसी तारीख को समाप्त वर्ष की हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं तथा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1388 शाखाओं की विवरणियों को सम्मिलित किया गया है। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। साथ ही, तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाते में ऐसी 982 शाखाओं की विवरणियों को भी सम्मिलित किया गया है जिनकी लेखापरीक्षा नहीं होनी थी। ऐसी अलेखापरीक्षित शाखाओं में 6.04 प्रतिशत अग्रिम, 17.74 प्रतिशत जमाराशियां, 4.34 प्रतिशत ब्याज आय तथा 16.83 प्रतिशत ब्याज व्यय निहित हैं।

2. हमारे मत से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंक की उपरोक्त वित्तीय विवरणियां बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित और आवश्यक सूचना देती हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं तथा :
   - क) 31 मार्च, 2019 के अनुसार बैंक के कार्यकलापों एवं तुलनपत्र की स्थिति में सत्य तथा स्पष्ट राय;
   - ख) इसी तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाते की स्थिति में लाभ का सही शेष; तथा
   - ग) इसी तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणी की स्थिति में सत्य और स्पष्ट राय, देती है।

अभिमत का आधार

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार आयोजित की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों को अग्रतर हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणियां खंड की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के दायित्व में स्पष्ट किया गया है। हम, भारत में वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक अपेक्षाओं सहित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को आचार संहिता की आवश्कतानुसार पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे अभिमत हेतु आधार उपलब्ध कराने के लिए हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखापरीक्षा मुद्दे

4. मुख्य लेखापरीक्षा मुद्दे वे हैं, जो चालू वर्ष की वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा में, हमारे व्यवसायिक निर्णय लेने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे। समग्रत: वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में तथा हमारा अभिमत तैयार करने में, इन मुद्दों पर विचार किया गया था तथा हम इन मुद्दों पर अलग-से अभिमत नहीं देते । हमने निम्नलिखित मुद्दों को हमारी रिपोर्ट में दर्शाए जाने के लिए मुख्य लेखापरीक्षा मुद्दों के रूप में निर्धारित किया है:

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Members of Oriental Bank of Commerce

Opinion

1. We have audited the financial statements of Oriental Bank of Commerce (the 'Bank') which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2019, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are included returns for year ended on that date of 20 branches audited by us and 1388 branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 982 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 6.04 percent of advances, 17.74 per cent of deposits, 4.34 per cent of interest income and 16.83 per cent of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (the 'Act') in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:
   - a) true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2019;
   - b) true balance of profit in case of Profit and Loss Account for the year ended on that date; and
   - c) true and fair view in case of Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements' section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

मुख्य लेखापरीक्षा मुद्दे	लेखापरीक्षा में हमारे मुद्दे का कैसे समाधान किया गया
अग्रिम - वर्गीकरण एवं प्रावधान (लेखांकन नीति सं. 17.5 के साथ पठित वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 9 का संदर्भ लें) अग्रिमों को निष्पादनकारी तथा गैर-निष्पादनकारी (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप प्रावधान किए गए हैं । वर्गीकरण तथा प्रावधानन, कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के साथ एकीकृत बैंक के आईटी सॉफ्टवेयर द्वारा किया गया है । विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत एनपीए के प्रावधान की सीमा मुख्यतया अंतर्निहित प्रतिभूति की आवधिकता तथा वसूलीयोग्यता पर आधारित है । विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी अनुपयुक्त क्रियान्वयन या प्रतिभूति के गलत मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, क्योंकि प्रतिभूति के मूल्यांकन में उच्च स्तर का अनुमान तथा निर्णय शामिल होता है, अग्रिमों की वहन मूल्य की गणना व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गलत हो सकती है तथा वित्तीय विवरणियों में अग्रिमों की राशि अर्थात्; कुल आस्तियों का 58.58% के महत्व को देखते हुए, अग्रिमों का वर्गीकरण तथा उनके प्रावधान को हमारी लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा मुद्दा माना गया है ।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया :** हमने बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्रों, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं निर्देशों तथा बैंक के आंतरिक अनुदेशों एवं आस्तियों के वर्गीकरण व प्रावधानन की जानकारी प्राप्त की तथा निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया : - आईटी सॉफ्टवेयर नियंत्रण तथा अग्रिम निगरानी, प्रासंगिक आंकड़ों की गुणवत्ता की जांच सहित ऋण हानि की पहचान / वर्गीकरण, मूल्यांकन के संबंध में अन्य मुख्य आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन और परीक्षण तथा सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट किए गए वास्विक / मौजूदा आंकड़ों की समीक्षा । - दस्तावेजीकरण, परिचालन / कार्यनिष्पादन का सत्यापन / समीक्षा तथा हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं / वर्टिकल्स के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार उनका वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए किसी अग्रिम खाते में कोई अतिदेयता, असंतोषजनक आचरण या कमियों का मूल्यांकन करने के लिए दीर्घ एवं दबावग्रस्त अग्रिमों के परीक्षण जांच के आधार पर अग्रिम खातों की निगरानी। शाखा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं के सबंध में हमने उनकी रिपोर्टों पर विश्वास किया है । - क्रेडिट लेखापरीक्षा की रिपोर्टों, निरीक्षण लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, संपार्श्विक लेखापरीक्षा, विनियामक लेखापरीक्षा तथा उन अग्रिमों की पहचान के लिए कोई अन्य लेखापरीक्षा / निरीक्षण तंत्र, जिनमें कोई विपरीत संकेत / टिप्पणियां हैं तथा इस प्रकार के अग्रिमों का समुचित वर्गीकरण एवं उनका प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए बैंक के नियंत्रण तंत्र की समीक्षा करना। **हमारे परिणाम :** संव्यवहारों के महत्व पर विचार करते हुए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के परिणाम पर्याप्त तथा संतोषजनक पाए गए।
निवेश - गैर-निष्पादित निवेशों के लिए मूल्यांकन तथा पहचान तथा प्रावधान (लेखांकन नीति सं. 4 के साथ पठित वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 8 के संदर्भ में) बैंक का निवेश पोर्टफोलियो, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियां, बॉण्ड्स, लाभांश, शेयर्स, सिक्योरिटी रसीदें तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, जिन्हें तीन श्रेणियों के अतर्गत वर्गीकृत किया गया है- परिपक्वता तक धारित, बिक्री हेतु उपलब्ध तथा ट्रेड के लिए धारित सम्मिलित हैं । निवेशों का मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेशों(एनपीआई) तथा उनमें आय व प्रावधान की गैर-मान्यता, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रासंगिक परिपत्रों / दिशानिर्देशों / निर्देशों के अनुसार किया गया है। उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों एवं निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया गया है, जिनमें आंकड़े / सूचना एकत्रित करना / एफबीआईएल दरों, बीएसई/एनएसई पर दर्ज दरों, असूचीबद्ध कंपनियों की वित्तीय विवरणियों, सिक्योरिटी रसीदों के मामले में एनएवी जैसे विभिन्न स्त्रोतों से आंकड़ों/सूचना का संग्रहण शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार कुछ ऐसे निवेश हैं जो बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं जबकि कुछ निवेश मूल्यांकन पद्धति पर आधारित होते हैं जिनमें निहित धारणाओं के साथ सांख्यिकी मॉडल, वित्तीय विवरणियों पर धारित मूल्यांकन हेतु कीमत का निर्धारण आदि शामिल हैं। अतः, इन निवेशों के मूल्यांकन हेतु खोजे गए मूल्य सत्य प्रतिनिधि नहीं हो सकते परंतु केवल उस तिथि पर मात्र निवेशों का स्पष्ट मूल्यांकन ही होंगे। अतः, निवेशों के मूल्यांकन में विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है तथा अग्रतर वित्तीय विवरणियों में निवेश की राशि अर्थात् 29.15% की दृष्टि से, इन्हें हमारी लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा मुद्दे के रूप में लिया गया है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया :** भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों / निर्देशों के संदर्भ में निवेशों के लिए हमारी लेखारीक्षा पद्धति में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, निवेशों के संबंध में प्रावधान / मूल्यह्रास के संबंध में पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तथा डिजाइन की समीक्षा तथा परीक्षण, आंतरिक नियंत्रण की परिचालनगत प्रभावोत्पदकता शामिल है । मुख्यतया – - हम, मूल्यांकन वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के सबध में भारतीय रिजर्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु बैंक द्वारा निर्धारित पद्धति तथा आंतरिक नियंत्रण का, मूल्यांकन करते हैं और उन्हें समझते हैं । - हम, इन निवेशों का स्पष्ट मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्त्रोतों से सूचना के संग्रहण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का आंकलन तथा मूल्यांकन करते हैं । - निवेशों के चुनिंदा नमूने (प्रतिभूति की प्रकृति पर आधारित निवेशों की सभी श्रेणियों को कवर करते हुए) के लिए, हमने भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र/निर्देशों के अनुसार प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी हेतु पुनर्निष्पादित मूल्यांकन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार सटीकता तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुपालन का परीक्षण किया है । - हमने एनपीआई की पहचान तथा तदनुरूपी आय के प्रत्यवर्तन तथा प्रावधान करने की प्रक्रिया का आंकलन तथा मूल्यांकन किया । - हमने किए जाने वाले प्रावधान की स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना हेतु पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं सम्पन्न कीं । **हमारे परिणाम :** संव्यवहारों के महत्व पर विचार करते हुए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के परिणाम पर्याप्त तथा संतोषजनक पाए गए ।

Key Audit Matters	How our matter was addressed in the audit
Advances – classification and provisioning (Refer Schedule 9 to the financial statements, read with the Accounting Policy No. 17.5) The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The classification and provisioning is done by the Bank's IT software integrated with its Core Banking Solution (CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security. In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in the financial statements i.e. 58.58% of total assets, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.	Our Audit Procedure: We obtained an understanding of the Bank's software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of the assets classification and its provisioning and adopted the following audit procedures: - Evaluation and testing of the effectiveness of the IT Software controls and other key internal control mechanisms with respect to the advances monitoring, identification / classification, assessment of the loan impairment including testing of relevant data quality, and review of the real data entered / existing in the software. - Verification / review of the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to ensure that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI, in respect of the branches / verticals audited by us. In respect of the branches audited by the branch statutory auditors, we have placed reliance on their reports. - Review of the reports of the credit audit, inspection audit, internal audit, concurrent audit, regulatory audit and any other audit / inspection mechanisms to ascertain the advances having any adverse indication / comments, and review of the control mechanisms of the bank to ensure the proper classification of such advances and provisioning thereof. Our Results: The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality of the transactions.
Investments – valuation, and identification and provisioning for Non-Performing Investments (Refer Schedule 8 to the financial statements, read with the Accounting Policy No. 4) Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trade. Valuation of Investments, identification of Non-performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. The valuation of each category (type) of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of security receipts etc. As per the RBI directions, there are certain investments that are valued at market price however certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. Hence, the price discovered for the valuation of these Investments may not be the true representative but only a fair assessment of the Investments as on date. Hence the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements i.e. 29.15% of total assets), the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	Our Audit Procedure: Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments. In particular, - We evaluated and understood the system and internal control as laid down by the Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non Performing Investments, Provisioning/ depreciation related to Investments. - We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments. - For selected sample of investments (covering all categories of investments based on nature of security) we tested accuracy and compliance with the RBI Master circulars and directions by re-performing valuation for each category of security in accordance with the RBI Master Circular/ directions. - We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision. - We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created. Our Results: The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality of the transactions.

वित्तीय विवरणियों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

5. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है । अन्य सूचनाओं में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट (परंतु इसमें वित्तीय विवरणियां तथा उस पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं हैं), जो हम लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि से पहले प्राप्त करते हैं तथा निदेशकों की रिपोर्ट, अनुलग्नकों सहित, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं, जो हमें उस तिथि के बाद उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित होती है ।

   वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना तथा बासेल III के अंतर्गत पिलर 3 को कवर नहीं करता है तथा हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष प्रकट नहीं करते हैं तथा न ही करेंगे।

   वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा दायित्व ऊपर बतायी गई अन्य सूचना को पढ़ना है तथा, ऐसा करने में, इस पर विचार करना है कि वित्तीय विवरणियों के साथ अन्य सूचना मूर्त रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा मूर्त रूप से गलत बयानी प्रतीत होती है।

   यदि, इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि से पूर्व हमारे द्वारा प्राप्त अन्य सूचना पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि इस अन्य सूचना में मूर्त रूप से गलत बयानी है तो, हमें उस तथ्य की जानकारी देना आवश्यक है। हमें इस संबंध में कुछ रिपोर्ट नहीं करना है।

   जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, अनुलग्नकों सहित, यदि कोई हो, उस पर, यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कुछ मूर्त रूप से गलत बयानी है, तो हमें मामले की जानकारी उन्हें देना आवश्यक है जिनके पास अभिशासन का प्रभार है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबन्ध वर्ग और जिनके पास अभिशासन का प्रभार है उनकी जिम्मेदारी

6. बैंक का निदेशक मंडल, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों, और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की वित्तीय विवरणियों, जो वित्तीय स्थिति की सत्य एवं स्पष्ट स्थिति दर्शाती हैं, को तैयार करने के संबंध में, वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा बैंक के नकदी प्रवाह के संबंध में, उत्तरदायी है। इस दायित्व में, बैंक की आस्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त रिकार्डों का रख-रखाव तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचाव और उनकी पहचान, समुचित लेखांकन नीतियों को लागू करना; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना तथा अनुमान लगाना तथा पर्याप्त आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की रुपरेखा तैयार करना, लागू करना व रख-रखाव भी सम्मिलित है, जो उन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने व प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक है, जो एक सत्य एवं स्पष्ट स्थिति दर्शाती है तथा जो धोखाधड़ी या चूक के कारण किसी मूर्त रूप से गलत बयानी से मुक्त है, के लेखांकन रिकार्ड की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे थे, भी सम्मिलित है ।

   वित्तीय विवरणियां तैयार करने में, प्रबंधन वर्ग बैंक के लाभकारी संस्थान के रूप में कार्य करते रहने, यथालागू प्रकटीकरण, लाभकारी संस्थान से संबंधी मामलों तथा लेखांकन के लाभकारी संस्थान के

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon), which we obtained prior to the date of this auditor's report, and Directors' Report, including annexures, if any, thereon, which is expected to be made available to us after that date.

   Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

   If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

   When we read the Directors' Report, including annexures, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of the Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to

आधार के प्रयोग का, मूल्यांकन करने हेतु उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन वर्ग या तो बैंक के परिसमापन या परिचालन पर रोक लगाने का इरादा न रखता हो या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई अन्य व्यवहारिक विकल्प न हो ।

वित्तीय विवरणियों की लेखापरिक्षा हेतु लेखापरीक्षकों का दायित्व

7. हमारा उद्देश्य यथोचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरणियां धोखाधड़ी या चूक के कारण, समग्रतः मूर्त रूप से गलत बयानी, से मुक्त हैं तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा अभिमत सम्मिलित हो । यथोचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु इस बात की गारंटी नहीं है कि मूर्त रूप से गलत बयानी, जब कभी मौजूद हो, तो एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा सदैव उसे दर्शाएगी ।गलत बयानी धोखाधड़ी या चूक के कारण हो सकती है तथा उन्हें मूर्त समझा जा सकता है यदि, वे इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकती है ।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा संपूर्ण लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्न भी करते हैं :

- वित्तीय विवरणियों की भौतिक गलत बयानी के जोखिम की पहचान तथा मूल्यांकन करना, भले वो धोखाधड़ी या चूक के कारण हो, उन जोखिमों पर प्रतिक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन व निष्पादित करते हैं, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारे अभिमत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों । धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलतबयानी का पता न लग पाने का जोखिम चूक के परिणामस्वरूप पता न लग पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाज़ी, इरादतन चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को अनदेखा करना शामिल हो सकता है ।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य का तथा लेखांकन अनुमानों की तर्कसम्मत्ता तथा प्रबंधन वर्ग दवारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना ।
- लेखांकन के लाभकारी संस्थान आधार पर तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो एक लाभकारी संस्थान के रूप में जारी रहने के लिए बैंक की क्षमता पर संदेह पैदा करती है । यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपना मत संशोधित करना अपेक्षित है । हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अब तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है । तथापि, भविष्यगत घटनाएं या परिस्थितियां बैंक को लाभकारी संस्थान से रोक सकती है।
- वित्तीय विवरणियों का समग्र प्रस्तुतिकरण, प्रकटीकरण सहित उनकी संरचना एवं विषय-वस्तु, तथा इस आशय का मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरणियां अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत करती हैं कि वे स्पष्ट निर्णय तक पहुंच सकें ।

हम, अन्य मामलों, लेखापरीक्षा की नियोजित संभावना व समय तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों सहित पर्याप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष के सबंध में अभिशासन द्वारा प्रभारित व्यक्ति, को सूचित करते हैं ।

going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

हम अभिशासन से प्रभारित व्यक्ति को वह विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं, जिसका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है तथा उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों की सूचना देते हैं जो हमारी स्वतंत्रता पर भारी पड़ सकते हैं तथा जहां आवश्यक हो वहां उससे संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते हैं।

अभिशासन द्वारा प्रभारित व्यक्तियों को मामलों की जानकारी देने से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे तथा इसलिए ये मुख्य लेखापरीक्षा मुद्दे हैं । हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मुद्दों को दर्शाते हैं जब तक कि कानून या विनियम इन मुद्दों के प्रकटीकरण पर रोक न लगाता हो या जब अत्यंत दुलर्भ परिस्थितियों में, हम तय करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में मुद्दों की जानकारी न दी जाए यदि इस प्रकार की सूचना से सार्वजनिक हित लाभों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

अन्य मामले

8. हमने बैंक की वित्तीय विवरणियों में सम्मिलित उन 1388 शाखाओं की वित्तीय विवरणियों / सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणियां / सूचना, जैसा कि इन वित्तीय विवरणियों में दर्शाया गया है, 31 मार्च, 2019 के अनुसार रु.75543 करोड़ की कुल आस्तियों तथा इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु रु.6241 करोड़ के कुल राजस्व दर्शाती हैं । इन शाखाओं की वित्तीय विवरणियां / सूचना शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित की गई हैं जिनकी रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई गई है तथा इन शाखाओं के संबंध में राशियों तथा प्रकटीकरण से जुड़ा हमारा अभी तक का अभिमत केवल इन शाखाओं के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित है ।

   इस मामले में हमारा अभिमत संशोधित नहीं है ।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षा संबंधी रिपोर्ट

9. तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुक्रम में तैयार किए गए हैं।

10. उक्त पैराग्राफ 5 से 7 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के तहत तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा यथापेक्षित और इसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

    (क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

    (ख) बैंक के जो कारोबार हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है; तथा

    (ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ समुचित पाया गया है।

11. हम अग्रतर रिपोर्ट करते हैं कि :

    (क) हमारे मतानुसार, बैंक द्वारा विधि अनुसार यथापेक्षित खातों की समुचित बहियां रखीं हैं, जैसा कि अभी तक बहियों का हमारे द्वारा किए गए परीक्षण से ज्ञात होता है और लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उन शाखाओं की समुचित विवरणियां हमें प्राप्त हो गई हैं, जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया ।

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

8. We did not audit the financial statements/ information of 1388 branches included in the financial statements of the Bank whose financial statements/ information reflect total assets of Rs. 75543 crores as at 31st March, 2019 and total revenue of Rs. 6241 crores for the year ended on that date, as considered in these financial statements. The financial statements/ information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

   Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 7 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. We further report that:

    a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

(ख) तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते और नकदी प्रवाह विवरणी का निपटान खाता बहियों एवं उन शाखाओं विवरणियों के साथ किया गया है जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया;

(ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई तथा इस रिपोर्ट का हमारे द्वारा ठीक प्रकार से निपटान किया गया है;

(घ) हमारे अभिमत के अनुसार तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी उस सीमा तक लागू लेखांकन मानकों के अनुसार है जहां तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत न हो ।

कृते बी.सी. जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001099 सी

(पूजा जैन)
भागीदार
सदस्य सं. 406783

कृते एस. एन. धवन एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000050एन/एन500045

(एस. के. खट्टर)
भागीदार
सदस्य सं. 084993

कृते एस. पी. चौपड़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000346 एन

(पवन कु. गुप्ता)
भागीदार
सदस्य सं. 092529

कृते बत्रा दीपक एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 005408सी

(कपिल कुमार भागीरथ)
भागीदार
सदस्य सं. 095639

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 13 मई, 2019

b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flows Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flows Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For B. C. Jain & Co.
Chartered Accountants
FRN:001099C

(Pooja Jain)
Partner
M. No. 406783

For S. N. Dhawan & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 000050N/N500045

(S. K. Khattar)
Partner
M. No. 084993

For S. P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000346N

(Pawan K. Gupta)
Partner
M. No. 092529

For Batra Deepak & Associates
Chartered Accountants
FRN: 005408C

(Kapil Kumar Bhagirath)
Partner
M. No. 095639

Place: Gurugram
Dated: May 13, 2019

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण
ORIENTAL BANK OF COMMERCE
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ 000 छोड़ा गया / ₹ 000s omitted)

			31.03.2019	31.03.2018
क. A.		**परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह /** Cash flow from operating activities		
	I.	**कर पूर्व निवल लाभ / (निवल हानि) /** Net Profit/ (Net Loss) before Tax	(3630,76,82)	(6094,42,52)
	II.	**समायोजन** / Adjustment for		
		सामान्य आरक्षित को अंतरित Transfer to General Reserve	26,80,27	9,93,82
		अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / परिशोधन Depreciation/ Amortization on Fixed Assets	280,34,17	217,86,21
		स्तरीय आस्तियों के प्रति प्रावधान Provision against Standard Assets	93,50,00	(387,00,00)
		एनपीए अग्रिमों हेतु प्रावधान Provision for NPA advances	6952,02,36	9498,07,97
		अन्य प्रावधान Other Provision	339,01,07	686,51,91
		गौण ऋणों पर ब्याज Interest on subordinate Debts	467,23,91	726,32,17
		व्ययों का परिशोधन Amortisation of Expenses	0	0
		अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि (Profit)/Loss on Sale of Fixed Assets	(67,63)	(2,27,02)
		कुल (II) /Total (II)	**8158,24,15**	**10749,45,06**
		परिचालनपरक आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पूर्व परिचालनपरक लाभ कुल (i)+(ii) Operating Profit before changes in Operating Assets & Liabilities Total (I)+(II)	4527,47,33	4655,02,54
	III.	परिचालनपरक आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन Changes in Operating Assets & Liabilities		
		विनिधान में कमी / (वृद्धि) Decrease/(Increase) in Investments	(9673,95,64)	(11381,84,29)
		अग्रिमों में कमी / (वृद्धि) Decrease/(Increase) in Advances	(29868,96,42)	11840,04,96
		अन्य आस्तियों में कमी / (वृद्धि) Decrease/(Increase) in Other Assets	800,37,26	5353,93,26
		जमाओं में (कमी) / वृद्धि (Decrease)/Increase in Deposits	25299,31,32	(11993,32,26)
		उधारों में (कमी) / वृद्धि (Decrease)/Increase in Borrowings	4925,31,06	(2398,12,90)
		अन्य देयताओं व प्रावधान में (कमी) / वृद्धि (Decrease)/Increase in Other Liabilities & Provisions	1602,30,99	128,69,26
		कुल (III) / Total (III)	**(6915,61,43)**	**(8450,61,97)**
		परिचालनों से सृजित नकदी **Cash generated from Operations**		
		प्रदत्त कर (वापसी का निवल) Tax Paid (Net of Refund)	(563,34,48)	156,67,78
		परिचालनपरक कार्यकलापों से निवल नकदी कुल (क) **Net Cash from Operating Activities Total (A)**	**(2951,48,58)**	**(3638,91,65)**
ख. **B.**		**निवेशपरक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह** **Cash flow from Investing Activities**		
		अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री का निवल) Purchase of Fixed Assets (Net of Sales)	(222,61,99)	(450,56,57)
		कुल (ख) / Total (B)	**(222,61,99)**	**(450,56,57)**

ग. **C.**	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह** **Cash Flow from Financing Activities**		
	शेयर पूंजी जारी करना Issue of Share Capital	737,44,18	286,59,71
	शेयर प्रीमियम Share Premium	6198,55,82	3284,40,29
	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन Share application money pending allotment	0	0
	जारी / रिडीम किए गए गौण बॉण्ड - निवल Subordinate Bonds issued/(Redemption) -Net	(500,00,00)	(2500,00,00)
	गौण बॉण्डों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Subordinate Bonds	(467,23,91)	(726,32,17)
	लाभांश पर लाभांश / अंतरिम लाभांश / कॉरपोरेट कर का भुगतान Payment of Dividend/interim Dividend/Corporate Tax on Dividend	0	0
	कुल (ग) Total (C)	**5968,76,09**	**344,67,83**
घ. **D.**	**नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)** **Net Changes in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)**	**2794,65,52**	**(3744,80,39)**
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य **Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year**	**13681,43,16**	**17426,23,55**
	समाप्त वर्ष पर नकदी एवं नकदी समतुल्य (वित्तीय विवरणी की अनुसूची 6 एवं 7 को अनुसार) **Cash & Cash Equivalents at the end of the year (as per Schedules 6 & 7 to the financial statements)**	**16476,08,68**	**13681,43,16**

नोट / Note:

1. नगदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-3 के अनुरूप 'अप्रत्यक्ष रीति' द्वारा तैयार किया गया है।
   Cash Flow Statement has been prepared under 'Indirect method' in accordance with the Accounting Standard-3, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
2. कोष्ठक () में दिए सभी आंकड़े, अचल आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ एवं स्तरीय आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान को छोड़कर, जिसे परिचालनपरक आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पहले परिचालनपरक लाभ निकालने के लिए हिसाब में लिया गया है, "नकदी बाह्य प्रवाह" को दर्शाते हैं।
   All figures in bracket() represents "Cash out-flow", except profit on sale of fixed assets and Provision against Standard Advances, considered to arrive at operating profit before changes in operating assets and liabilities.
3. भुगतान किए गए प्रत्यक्ष करों को परिचालनपरक कार्यकलापों से सृजित माना गया है और इन्हें निवेश और वित्तपोषण कार्यकलापों के मध्य विभाजित नहीं किया गया है।
   Direct taxes paid are treated as arising from Operating activities and are not bifurcated between investing and financing activities.

प्रवीण कुमार शर्मा
Praveen Kumar Sharma
उप महाप्रबंधक (लेखा)
Dy.General Manager(Accounts)

महेश धवन
Mahesh Dhawan
महाप्रबंधक (लेखा) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
General Manager (Accounts) & CFO

बालकृष्ण अल्से एस.
Balakrishna Alse S.
कार्यकारी निदेशक
Executive Director

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer

हमारी सम दिनांकित संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में / As per our Report of even date attached.

कृते बी. सी. जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN 001099C
For B C Jain & Co.
Chartered Accountants
FRN 001099C
(पूजा जैन)
भागीदार
एम. सं. 406783
(Pooja Jain)
Partner
M.No. 406783

एस. एन. धवन एण्ड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
FRN 000050N/N500045
For S N Dhawan & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN 000050N/N500045
(एस. के. खट्टर)
भागीदार
एम. सं. 084993
(S.K. Khattar)
Partner
M.No. 084993

कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FRN 000346N
For S P Chopra & Co
Chartered Accountants
FRN 000346N
(पवन के. गुप्ता)
भागीदार
एम. सं. 092529
(Pawan K. Gupta)
Partner
M.No. 092529

कृते बत्रा दीपक एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN 005408C
For Batra Deepak & Associates
Chartered Accountants
FRN 005408C
(कपिल कुमार भागीरथ)
भागीदार
एम. सं. 095639
(Kapil Kumar Bhagirath)
Partner
M.No. 095639

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 13 मई, 2019

Place : Gurugram
Date : 13th May, 2019

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय: हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट संख्या 5, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम – 122001

प्रॉक्सी फॉर्म 'बी'

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फ़ोलियो सं.		डीपी आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं हैं)		ग्राहक आईडी	
		(यदि शेयर अमूर्त हैं)	

मैं/हम ______________________________

निवासी ______________________________ जिला ______________ राज्य ______________

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स का शेयरधारक होने के नाते, एतद् द्वारा श्री/श्रीमती ______________________________

निवासी ______________________________ जिला ______________

राज्य ______________ को, अथवा उनकी अनुपस्थिति में, श्री/श्रीमती ______________________________

निवासी ______________________________ जिला ______________ राज्य ______________

को, दिनांक: शनिवार, 29 जून, 2019 को पीएचडी चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली -110016 में आयोजित होने वाली, **ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स** के शेयरधारकों की 25वीं वार्षिक आम बैठक में अथवा ऐसी स्थगित बैठक में, मेरी/हमारी ओर से प्रॉक्सी मतदान करने के लिए नियुक्त करते हैं।

दिनांक: _______ ________ 2019 हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम धारक / एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

रसीदी टिकट चिपकाएं

नाम: ______________________

पता: ______________________________

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर और प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1.	प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह जरुरी है कि,	
	क)	व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में, यह उसके द्वारा या लिखित रुप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
	ख)	संयुक्त धारकों के मामले में, सदस्य रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रुप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
	ग)	किसी कॉरपोरेट निकाय के मामले में, सामान्य मोहर, यदि कोई है, के साथ उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाए या अन्यथा लिखित रुप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा फार्म बी में विधिवत् रूप से मुहर लगी हो।
2.	प्रॉक्सी की कोई लिखत, जिसमें शेयरधारक ने किसी भी कारण से हस्ताक्षर नहीं किया है और कोई टिप्पणी की है तो यह तभी वैध होगी जब यह किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) अथवा रजिस्ट्रार अथवा उप निबंधक बीमा अथवा अन्य किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।	
3.	प्रॉक्सी के साथ	
	क.	मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया अथवा
	ख.	नोटरी पब्लिक या किसी दंडाधिकारी(मजिस्ट्रेट) द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामे या प्राधिकार की प्रति वार्षिक आम बैठक प्रारंभ होने की तारीख से चार दिन से पहले अर्थात् सोमवार, 24 जून, 2019 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात सायं: 5:00 बजे तक या उसके पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा कॉरपोरेट कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
4.	कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि वह फॉर्म 'बी' में हो और उस पर विधिवत् मुहर न लगी हो।	
5.	बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिहस्तांतरणीय एवं अंतिम होगी।	
6.	यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रुप में दो प्रासिकर्ताओं के पक्ष में मंजूर की गई तो एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।	
7.	शेयरधारक, जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, वह उस वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रुप से मतदान करने हेतु अधिकृत नहीं होगा, जिस बैठक से ऐसे लिखत संबंधित है।	
8.	ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रुप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।	
9.	प्रॉक्सी फार्म में किसी भी प्रकार के संशोधन को विधिवत् रुप से प्रमाणित किया जाए।	

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001
CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURUGRAM -122001

PROXY FORM 'B'

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No.	DP ID	
If shares are not dematerialized	Client ID	
	If shares are dematerialized	

I/We,____

resident/s of ________________________ in the district of ________________________

in the State of ________________________ being a shareholder/shareholders of ORIENTAL BANK OF COMMERCE,

hereby appoint Shri/Smt.________________________ resident of ________________________

________________________ in the district of ________________________

in the State of ________________________ or failing him/her, Shri/Smt.________________________

resident of ________________________in the district of ________________________

in the State of ____________________ as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the 25th ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of **ORIENTAL BANK OF COMMERCE** to be held on Saturday , June 29th, 2019 at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016 and at any adjournment thereof.

Signed this ______________ day of __________________ 2019.

Please affix Revenue Stamp

Signature of the Proxy

Signature of the first holder/sole holder

Name: ________________________

Address: ____

____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1.	No instrument of proxy shall be valid unless,	
	a)	in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing
	b)	in the case of joint holders, it shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing
	c)	in the case of a body corporate, signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing and shall be in the Form B and duly stamped.
2.	An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his /her remark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Oriental Bank of Commerce or any other Nationalised Bank.	
3.	The proxy together with	
	a.	the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
	b.	a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Head Office or Corporate Office of the Bank, not later than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before closing hours of the Bank at 5.00 p.m. of Monday, 24th June 2019.
4.	No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form B and duly stamped.	
5.	An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.	
6.	In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.	
7.	The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.	
8.	No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.	
9.	All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.	

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001
CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURUGRAM – 122001

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date: June 29th, 2019 **Time: 10.00 a.m.** **Place: New Delhi**

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder (IN BLOCK LETTERS)			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder/ Proxy/Authorised Representative present			

I hereby record my presence at the 25th Annual General Meeting of the Bank held on June 29th, 2019 at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016.

Signature of the Shareholder/Proxy/Authorised Representative	

……

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001
CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURUGRAM – 122001

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date: June 29th, 2019 **Time: 10.00 a.m.** **Place: New Delhi**

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder (IN BLOCK LETTERS)			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative present			

Shareholders / proxy holders / authorized representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass-Cum- Ballot Paper Pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

……

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001
CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURUGRAM – 122001

(To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder (IN BLOCK LETTERS)			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative present			

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

प्रधान कार्यालयः हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
कॉरपोरेट कार्यालयः प्लॉट संख्या 5, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम - 122001

उपस्थिति पर्ची

(बैठक स्थल पर प्रवेश के समय प्रस्तुत की जानी है)

दिनांक: 29 जून, 2019 **समय:10.00 बजे प्रातः** **स्थान : नई दिल्ली**

पंजीकृत फ़ोलियो सं.		डीपी आईडी और ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं हैं)		(यदि शेयर अमूर्त हैं)	
शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

मैं एतद् द्वारा दिनांकः 29 जून, 2019 को, पीएचडी चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली -110016 में आयोजित बैंक की 25वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं ।

शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

....

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

प्रधान कार्यालयः हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
कॉरपोरेट कार्यालयः प्लॉट संख्या 5, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम - 122001

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

दिनांक: 29 जून, 2019 **समय: 10.00 बजे प्रातः** **स्थान : नई दिल्ली**

पंजीकृत फ़ोलियो सं.		डीपी आईडी और ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं हैं)		(यदि शेयर अमूर्त हैं)	
शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक स्थल पर प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र के साथ-साथ बैंक में पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुसार हस्ताक्षरित, उपरोक्त उपस्थिति स्लिप प्रस्तुत करें। यद्यपि प्रवेश, सत्यापन / जांच के अधीन होगा, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-एंट्री-पास-सह –मतपत्र-पास मीटिंग हॉल के प्रवेश द्वार पर जारी नहीं किया जाएगा।

....

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

प्रधान कार्यालयः हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
कॉरपोरेट कार्यालयः प्लॉट संख्या 5, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम – 122001

<u>(मतपत्र जारी करने के लिए मतदान काउंटर पर जमा करें)</u>

पंजीकृत फ़ोलियो सं.		डीपी आईडी और ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं हैं)		(यदि शेयर अमूर्त हैं)	
शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

(क) रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा.लि.
नोबल हाइट्स, प्रथम तल,
प्लॉट नं. एनएच-2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक
सावित्री मार्केट के समीप, जनकपुरी,
नई दिल्ली-110058
दूरभाष: 011-49411000
फैक्स: +011-4141 0591
ई-मेल आईडी: delhi@linkintime.co.in

(ख) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

कॉरपोरेट कार्यालय – मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग
द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 5
सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
गुरुग्राम – 122001 (हरियाणा)
दूरभाष: 0124-41264511/4126281
फैक्स: 0124-4126574
ई-मेल आईडी: mbd@obc.co.in

(a) Registrar & Share Transfer Agent

Link Intime India Pvt. Ltd.
Noble Heights, 1st Floor,
Plot No. NH2, LSC, C-1 Block,
Near Savitri Market, Janakpuri,
New Delhi-110058
Phone: 011-49411000
Fax: 011-41410591
Email id: delhi@linkintime.co.in

(b) Oriental Bank of Commerce

Corporate Office –
Merchant Banking Division,
Second Floor, Plot No.5
Sector – 32, Institutional Area,
Gurugram – 122001 (Haryana)
Ph: 0124- 4126451/4126281
Fax: 0124-4126574
Email id: mbd@obc.co.in

An Added Layer of Security
for your hard earned money
Another other layer of security added
to our Digital Channels.
This new layer has been added to keep
your money safe with OBC.
So kindly register online at the earliest.
Kindly register through
Net Banking and
Mobile Banking.
Connect with us
For more info : www.obcindia.co.in or call 0120-2580001 or 1800-180-1235 (toll free)
ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
Oriental Bank of Commerce